disha
Nurturing Ambitions

भारतीय राजव्यवस्था

for IAS Prelims सामान्य अध्ययन

Paper 1 & State PSC Exams

VISIT…

EBD_7939

• **Corporate Office :** 45, 2nd Floor, Maharishi Dayanand Marg, Corner Market,
Malviya Nagar, New Delhi-110017
Tel. : 011- 49404757/ 49404758/ 49404768

Typeset by Disha DTP Team

DISHA PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED

© Copyright Publisher

No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission of the publisher. The author and the publisher do not take any legal responsibility for any errors or misrepresentations that might have crept in. We have tried and made our best efforts to provide accurate up-to-date information in this book.

For further information about the books from DISHA,
Log on to **www.dishapublication.com** or email to **info@dishapublication.com**

विषय सूची

अध्याय 1: संविधान का निर्माण **1-12**

संविधान क्या है?, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा की संकल्पना और राष्ट्रीय आन्दोलन, भारत की संविधान सभा की रचना, संविधान सभा की विभिन्न समितियां, संविधान का निर्माण: कतिपय तथ्य

अध्याय 2: भारतीय संविधान का दर्शन, स्रोत एवं विशेषताएँ **13-20**

संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्तावना की विशेषताएँ, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान की मुख्य विशेषताएँ

अध्याय 3: संघ और उसका राज्य क्षेत्र **21-30**

संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण, राज्यों के सम्बंधित विभिन्न आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा पुनर्गठित राज्य, क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें तथा उनके शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण, क्षेत्रीय परिषदों का गठन, क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और उद्देश्य, क्षेत्रीय परिषदों के कार्य, क्षेत्रीय परिषदों का सचिवालय

अध्याय 4: नागरिकता **31-39**

नागरिकता का अर्थ, नागरिक की परिभाषाएँ, नागरिक और विदेशी में अन्तर, भारत के नागरिक, नागरिकता अधिनियम-1955, भारतीय नागरिकता का स्थगन, नागरिकता संशोधन अधिनियम-1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम-1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम-2003, अध्यादेश-2005 की उदघोषणा, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2015, नागरिकता (संशोधन) विधेयक-2019 लोकसभा में पारित

अध्याय 5: मौलिक अधिकार तथा कर्त्तव्य **40-58**

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकारों का महत्त्व, मूल अधिकार और संविधान के अन्य उपबन्धों द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों के मध्य अंतर, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, परमाधिकार रिट, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकारों का निलम्बन, संसद की मौलिक अधिकारों को निर्बन्धित करने की शक्ति, संसद और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित सिद्धान्त, मानवाधिकारों के रूप में मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों की सीमाएँ, मौलिक कर्त्तव्य, मौलिक कर्त्तव्यों का अनुपालन, मौलिक कर्त्तव्यों का मूल्यांकन, मौलिक कर्त्तव्य आधार संहिता के रूप में

अध्याय 6: राज्य की नीति के निदेशक तत्व **59-66**

नीति निदेशक तत्त्वों का अर्थ एवं स्वरूप, संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्त्व, संविधान के अन्य भागों में वर्णित नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्वों के प्रकार, राज्य की नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों में अन्तर, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य विरोधाभास, राज्य की नीति निदेशक सिद्धान्तों का महत्त्व

अध्याय 7: केन्द्रीय कार्यपालिका **67-102**

भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

अध्याय 8: केन्द्रीय व्यवस्थापिका: संसद **103-135**

संसद का गठन, संसद की संरचना, राज्यसभा, पृष्ठभूमि, राज्य सभा से संबंधित संवैधानिक उपबंध संरचना/संख्या, राज्यसभा का संगठन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों की पात्रता अर्हताएं, राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा की सदस्यता की समाप्ति, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के अधिवशेन, राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ, वित्तीय मामलों में राज्यसभा, सभा के नेता, विपक्ष के नेता, राज्यसभा का औचित्य, लोकसभा, लोकसभा का गठन, लोकसभा में स्थानों का आवंटन, विभिन्न राज्यों में आवंटित लोकसभा सीटों का विवरण, परिसीमन आयोग, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएँ, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा अधिवेशन, लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, शपथ ग्रहण, लोकसभा के अधिकारियों की पदावधि, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, लोकसभा की शक्तियाँ, संसद सदस्यों की निरर्हताएं, संसदीय विशेषाधिकार, संसद का सत्रावसान, विघटन और स्थगन , संसद सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, उनके वेतन एवं भत्ते तथा गणपूर्ति, संसद में कार्य संचालन प्रक्रिया, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, संसद की विधायी प्रक्रिया, साधारण विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण), संसदीय समितियाँ, स्थायी समितियाँ, तदर्थ समितियाँ

अध्याय 9: राज्य की कार्यपालिका **136-147**

राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल पद के लिए योग्यता, राज्यपाल का वेतन एवं उन्मुक्तियाँ, शपथ ग्रहण, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार, राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध, राज्यपाल की स्थिति, राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका से संबंधित प्रमुख समितियां एवं आयोग, राज्य मंत्रिपरिषद्, राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन, मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद्, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, महाधिवक्ता

EBD_7939

अध्याय 10: राज्य विधानमंडल **148-158**

राज्य विधानमंडल का गठन, विधानपरिषद्, विधानसभा, विधायी प्रक्रिया, राज्य विधान मंडल की शक्तियाँ, राज्य विधान मण्डल की शक्तियों पर प्रतिबंध

अध्याय 11: जम्मू-कश्मीर राज्य: विशेष दर्जा (370 के न्यूनीकरण से पूर्व) **159-162**

जम्मू-कश्मीर राज्य और भारतीय संविधान, जम्मू-कश्मीर राज्य विशेष स्थिति, 370 और 35 A के न्यूनीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर

अध्याय 12: भारत में स्थानीय स्वशासन **163-179**

भारत में स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लार्ड रिपन और स्थानीय स्वशासन, द्वैध शासन के अधीन स्थानीय स्वशासन, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में स्थानीय स्वशासन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं, पंचायती राज के संबंध में गठित समितियों के प्रतिवेदन, बलवंतराय मेहता समिति का प्रतिवेदन, अशोक मेहता का पंचायती राज प्रतिमान, डा. पी. वी. के. राव समिति, पंचायती राज का नया प्रतिमान, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा, नगरीय स्थानीय सरकार, नगरीय संस्थाओं की नवीन प्रणाली

अध्याय 13: संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन **180-184**

संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र

अध्याय 14: भारत की न्यायपालिका **185-205**

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, जनहित याचिका, लोक अदालत

अध्याय 15: भारत की संघ व्यवस्था तथा संघ-राज्य संबंध **206-227**

भारतीय संघ व्यवस्था, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद, संघ और संघ-राज्य संबंध, संविधानेत्तर अभिकरण, अंतर्राज्यीय परिषद्, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, आपात् की उद्घोषणा और केन्द्र-राज्य संबंध, सरकारिया आयोग

अध्याय 16: संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं **228-237**

लोक सेवाएँ, भारत में लोक सेवा का स्वरूप, प्रशासनिक अधिकरण, आयोग की सलाहकारी भूमिका

अध्याय 17: सरकार और लोक सेवक: अधिकार एवं दायित्व **238-243**

केन्द्र एवं राज्यों की सम्पत्ति, केन्द्र और राज्यों की व्यापार करने की शक्ति, सरकारी समझौतों के लिए औपचारिकताएँ, केन्द्र या राज्यों के विरुद्ध वाद, राज्य के प्रधान के विरुद्ध वाद, लोक अधिकारियों की वाद-शक्यता

अध्याय 18: निर्वाचन **244-261**

भारत में निर्वाचन, निर्वाचन आयोग - संगठन एवं कार्य, निर्वाचन प्रक्रिया, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, भारत में चुनाव प्रणाली की खामियां व समस्याएं, भारत में चुनाव सुधार, चुनाव सुधारों के लिए किए गए प्रयास

अध्याय 19: भारत में दलीय व्यवस्था **262-277**

भारत में राजनीतिक दल, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल, भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएँ , लोकतंत्र में विरोधी दलों की भूमिका, दबाव समूह

अध्याय 20: संघ की राजभाषा **278-283**

भाषा संबंधी संवैधानिक उपबन्ध, संघ की राजभाषा, राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम-1963, प्राधिकृत पाठ, केन्द्रीय विधि अधिनियम-1973, राज्य की राजभाषा, न्यायपालिका की भाषा, लोक शिकायतों की भाषा, राजभाषा के विकास से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्देश, अन्य भाषाओं के प्रयोग से संबंधित निर्देश

अध्याय 21: संविधान संशोधन **284-297**

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन अधिनियम

अध्याय 22: विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध **298-306**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति, भारत में अल्पसंख्यक वर्ग, आंग्ल-भारतीय समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग आयोग, आरक्षण के संबंध में वर्तमान स्थिति, महिला आरक्षण

परिशिष्ट 1 : महत्वपूर्ण संसदीय शब्दावली **307-309**

परिशिष्ट 2 : राजनीतिक तथा संवैधानिक शब्दावली **310-315**

परिशिष्ट 3 : भारतीय संविधान: एक दृष्टि में **316-328**

संविधान का निर्माण

1 अध्याय

संविधान नियमों अथवा विधियों का एक लिपिबद्ध आलेख भर नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ विकसित होने वाला एक सजीव तत्त्व है, जो सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालित करता है।

आजादी मिलते ही देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में 29 अगस्त, 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी सौंपी गई। दुनिया भर के तमाम संविधानों को बारीकी से परखने के बाद डॉ. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर लिया। 26 नवंबर, 1949 को इसे भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया। इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपना लिया। यही वजह है कि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी आधार पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। यह 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर, 1948 से शुरू हुई यह चर्चा तकरीबन 32 दिनों तक चली थी। इस अवधि के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त, 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति - 'कैबिनेट मिशन' ने प्रस्तावित किया था।

टाइपिंग नहीं पेन से लिखी गई मूल प्रति

भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा का खानदानी पेशा कैलिग्राफी का था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा है। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे। जब उनसे मेहनताना पूछा गया था तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी कि संविधान के हर पृष्ठ पर वह अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का भी नाम लिखेंगे। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राममनोहर सिन्हा ने किया है। वह नंदलाल बोस के ही शिष्य थे। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है।

संविधान क्या है?

- संविधान किसी देश के नियमों व उपनियमों का संकलन है। ये नियम उस राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करता है। संविधान के बिना देश का शासन चलाना कठिन है। राज्य का प्रकार कोई भी हो सकता है जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र इत्यादि, लेकिन नियमों का होना अनिवार्य है जो देश को अराजकता से दूर रख सके।
- संविधान एक सामाजिक-राजनीतिक दस्तावेज है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्त्व के आदर्शों पर आधारित है।
- यह मौलिक विधियों तथा आधारभूत राजनीतिक सिद्धांतों का एक आलेख है, जिस पर किसी देश का शासन आधारित होता है।
- यह सरकार और शासन के अंगों की शक्तियों और उत्तरदायित्त्वों को परिभाषित एवं उनके बीच सीमाएं निर्धारित करता है।
- यह सरकार के विभिन्न अंगों की व्याख्या करता है तथा सरकार और नागरिकों के संबंधों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।
- संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण उपयोगिता इस बात में है कि यह शासन अथवा सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में समर्थ होता है।
- इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संविधान नियमों अथवा विधियों का एक लिपिबद्ध आलेख भर नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ विकसित होने वाला एक सजीव तत्त्व है, जो सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालित करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1757 ई. की प्लासी की लड़ाई और 1764 ई. के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनीं। वे निम्न हैं:

EBD_7939

1773 ई. का रेग्यूलेटिंग एक्ट: इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चार सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं–

- कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया।
- बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया।
- कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।

1784 ई. का पिट्स इंडिया एक्ट: इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ-

- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स - व्यापारिक मामलों के लिए
- बोर्ड ऑफ कंट्रोलर- राजनीतिक मामलों के लिए

1793 ई. का चार्टर अधिनियम: इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई।

1813 ई. का चार्टर अधिनियम: इसके द्वारा

- कंपनी के अधिकार-पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया।
- कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।
- कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया।

1833 ई. का चार्टर अधिनियम: इसके द्वारा

- कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णत: समाप्त कर दिए गए।
- अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया।
- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
- भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

1853 ई. का चार्टर अधिनियम: इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्त्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई।

1858 ई. का चार्टर अधिनियम

- भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया।
- भारत में मंत्री-पद की व्यवस्था की गई।
- 15 सदस्यों की भारत-परिषद का सृजन हुआ।
- भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया।

1861 ई. का भारत शासन अधिनियम

- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया,
- विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ,
- गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई।
- गवर्नर जरनल को बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई।

1892 ई. का भारत शासन अधिनियम

- अप्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली की शुरुआत हुई।
- इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई।

1909 ई० का भारत शासन अधिनियम (मार्ले-मिंटो सुधार)

- पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया।
- भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई।
- केंद्रीय और प्रांतीय विधान-परिषदों को पहली बार बजट पर वाद-विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला।
- प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई।

1919 ई० का भारत शासन अधिनियम (मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार)

- केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई- प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधान सभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी; जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था।
- प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया- आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे - वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचारपत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटरगाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि।

हस्तांतरित विषय

- शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि।
- आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था; जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था।
- द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ई० के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया।

भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है।

- इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया।

1935 ई० का भारत शासन अधिनियम:

- 1935 ई० के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- **अखिल भारतीय संघ:** यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा-पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया।
- **प्रांतीय स्वायत्तता:** इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।
- **केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना:** कुछ संघीय विषयों [सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले] को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर-जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था।
- **संघीय न्यायालय की व्यवस्था:** इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल (लंदन) को प्राप्त थी।
- **ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता:** इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधान मंडल और संघीय व्यवस्थापिका में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे।
- **भारत परिषद का अंत:** इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया।
- **सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार:** संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न सम्प्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों - भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था।

इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया।

1947 ई० का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

- ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, 1947 ई० को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई, 1947 ई० को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं -

दो अधिराज्यों की स्थापना:

- 15 अगस्त, 1947 ई० को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी।
- सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा।
- भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी।
- **संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना-** जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नई कर लेतीं, तब तक वह विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी।
- भारत-मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे।
- 1935 ई० के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है; तब तक उस समय 1935 ई० के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा।
- देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

संविधान सभा की संकल्पना और राष्ट्रीय आन्दोलन

संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है, जो नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए गठित की जाती है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि किसी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की रचना का कार्य सामान्यतया उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के निकाय को ही संविधान सभा कहते हैं। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहां भी लिखित संविधान है, वहां संविधान का निर्माण इन्हीं संविधान सभाओं के माध्यम से किया गया है। भारत में संविधान की इस मांग को निम्न अवसरों पर देखा जा सकता है:

1919 के अधिनियम के विरोध के रूप में संविधान सभा की मांग

ऐसी संविधान सभा का विचार, जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकें, 1919 के अधिनियम के विरोध में अन्तर्निहित था। भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही इन शब्दों में या इस नाम विशेष से न हुआ हो, किंतु पहली बार भारत शासन अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि, "भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा"।

सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान सभा की मांग

फरवरी 1923 में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासी डोमिनियनों के समतुल्य रखते हुए संविधान के आवश्यक तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। 24 अप्रैल को तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक 'राष्ट्रीय सम्मेलन' बुलाया गया। इस सम्मेलन में 'कामनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल' का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप बिल, थोड़े से संशोधित रूप में जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष पेश किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रमुख प्रयास था।

EBD_7939

1928 नेहरू समिति की रिपोर्ट

पं॰ मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, जिसे 'नेहरू समिति' के नाम से जाना जाता है। इस समिति के अन्य सदस्यों में सुभाष चन्द्र बोस तथा सर तेजबहादुर सप्रू शामिल थे। जब साइमन कमीशन ने यह चुनौती दी कि भारतीय नेता एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएँ जो सभी दलों को स्वीकार्य हो तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 19 मई, 1928 को बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में "भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए" मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। 10 अगस्त, 1928 को प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से जाता है। यह भारतवासियों द्वारा अपने देश के लिए सर्वांगपूर्ण संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था।

1934 कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा

लंदन में सम्पर्क हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जारी किए गए श्वेतपत्र में, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की रूपरेखा दी गई थी। इसी के आधार पर कांग्रेस कार्यकारिणी ने जून 1934 में यह घोषणा की कि "श्वेतपत्र का एकमात्र विकल्प यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए।" इसी वर्ष कांग्रेस ने एक संसदीय बोर्ड की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए नवीन संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना था। यह पहला अवसर था, जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग प्रस्तुत की गई।

1939 में विश्वयुद्ध छिड़ने के बाद, संविधान सभा की मांग को 14 सितंबर, 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा जारी किए गए एक लंबे वक्तव्य में दोहराया गया।

1940 में पं॰ जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग

1940 में पंडित नेहरू ने इस मांग को मूर्त रूप प्रदान किया। उन्हीं के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कांग्रेस ने यह घोषणा की कि "यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी, जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा के अतिरिक्त संविधान निर्माण का अन्य कोई विकल्प नहीं है।" यद्यपि 1940 में मुस्लिम लीग ने भी पृथक् पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत कर दी, किन्तु वह संविधान सभा की मांग के प्रति सहमत हो गई।

1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' में ब्रिटिश सरकार ने भी संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, भले ही स्वीकृति अप्रत्यक्ष तथा महत्त्वपूर्ण शर्तों के साथ थी।

क्रिप्स मिशन व संविधान सभा की मांग

1942 की क्रिप्स योजना को ब्रिटेन ने स्पष्टतया स्वीकार कर लिया, जिसके तहत् भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाना था, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन, भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद तथा यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति तक अर्थात् मई 1945 तक भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

कैबिनेट मिशन और संविधान सभा की मांग

जुलाई 1945 में, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब 19 सितंबर, 1945 को वॉयसराय लॉर्ड वेबेल ने भारत के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा की तथा 'यथा शीघ्र' संविधान-निर्माण-निकाय का गठन करने के लिए महामहिम की सरकार के इरादे की पुष्टि की। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक मिशन भारत भेजा गया, जो कैबिनेट मिशन कहलाया। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया। मिशन का विचार था कि वर्तमान परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा का गठन असम्भव है। अतः इसके लिए प्रान्तीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाना ही व्यावहारिक होगा। तत्कालीन परिस्थितियों में मिशन ने इसे "सर्वाधिक न्यायोचित" तथा "व्यवहार्य योजना" बताया और सिफारिश की कि संविधान-निर्माण-निकाय में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न प्रस्ताव रखे–

- संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 296 प्रान्तों से तथा 93 भारतीय रियासतों से आएंगे।
- संविधान सभा में प्रान्तों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिए जाएंगे। प्रत्येक दस लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा।
- प्रान्तों की इस प्रकार निर्धारित सीटें प्रान्तों में निवास करने वाली प्रमुख जातियों में वितरित कर दी जाएंगी और प्रत्येक जाति के लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी संविधान सभा में शामिल होंगे और दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, किन्तु उनके चुनने की विधि का निर्माण शासकों के परामर्श से किया जाएगा।
- कैबिनेट मिशन ने संविधान के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप पेश किया तथा संविधान-निर्माण-निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कुछ विस्तार के साथ निर्धारण किया।

भारत की संविधान सभा की रचना

भारत की संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, जिसमें 292 सदस्यों को ब्रिटिश प्रान्तों की विधान सभाओं से चुनना था, 4 सदस्यों को चीफ कमिश्नर के प्रान्तों से चुनना था और 93 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि होने थे। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जनसंख्या निश्चित की गई थी और इसी आधार पर प्रान्तों एवं भारतीय रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई थी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 में से 208 स्थानों पर कांग्रेस को, जिनमें नौ को छोड़कर शेष सभी सामान्य स्थान शामिल थे, विजय प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को मुसलमानों को आवंटित स्थानों को छोड़कर शेष 73 स्थानों पर सफलता मिली। चुनावों में निम्नलिखित दलीय स्थिति उभर कर सामने आई:

1946 के निर्वाचन में दलीय स्थिति

कांग्रेस	208
मुस्लिम लीग	73
यूनियनिस्ट पार्टी	1
यूनियनिस्ट मुस्लिम	1
यूनियनिस्ट शिड्यूल कास्ट	1
कृषक प्रजा पार्टी	1
अनुसूचित जाति परिसंघ	1
सिक्ख कांग्रेस	1
साम्यवादी	1
स्वतन्त्र	8
कुल	296

संविधान सभा का पुनर्गठन

भारत विभाजन योजना के निश्चित होने के पश्चात् भारत और पाकिस्तान को अपना-अपना पृथक् संविधान बनाना था। अत: संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गये। इसलिए भारत की संविधान सभा में प्रान्तों के 296 सदस्यों के स्थान पर 235 सदस्य शेष रह गये। देशी रियासत की सदस्य संख्या भी 93 के स्थान पर 89 रह गई। इस प्रकार कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 324 रह गई।

देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की सदस्यता

हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि को छोड़कर, अन्य सभी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए।

संविधान सभा का निर्वाचन

संविधान सभा कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल के सुझाव के अनुसार प्रान्तीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित हुई थी। इस निर्वाचन में:

- प्रत्येक प्रान्त और प्रत्येक देशी रियासत या रियासतों के समूह को अपनी जनसंख्या के अनुपात से स्थानों का आवंटन किया गया था। स्थूल रूप से 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात था। अत: प्रान्तों को 292 और रियासतों को 93 स्थान दिये गए।
- प्रत्येक प्रान्त के स्थानों को तीन प्रमुख समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, साधारण) में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया।
- प्रान्तीय विधानसभा के सदस्यों ने "एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार" अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन किया।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति, परामर्श से तय की जानी थी।

संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें वर्गीय आधार पर संविधान सभा का गठन बताया गया है–

नेपाली	1 (बंगाल से निर्वाचित)
सिक्ख	5 (कैबिनेट योजना में दिए गए प्रतिनिधित्व से एक अधिक)
पारसी	3
ईसाई	7
आंग्ल-भारतीय	3
पिछड़ी हुई जनजातियां	5
अनुसूचित जातियां	33
मुस्लिम	31 (कैबिनेट योजना के अनुसार भारत में रह रहे क्षेत्रों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 28 ही होनी थी)

इस प्रकार विभाजन के बाद जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त संविधान सभा का गठन हो चुका था, अल्पसंख्यकों को 235 में से 88 अर्थात् 36 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त था, अनुसूचित जातियों के भी 33 सदस्य थे

संविधान सभा के सत्र	
पहला सत्र	9-23 दिसंबर, 1946
दूसरा सत्र	20-25 जनवरी, 1947
तीसरा सत्र	28 अप्रैल - 2 मई, 1947
चौथा सत्र	14-31 जुलाई, 1947
पाँचवां सत्र	14-30 अगस्त, 1947
छठा सत्र	27 जनवरी, 1948
सातवाँ सत्र	4 नवंबर, 1948 - 8 जनवरी, 1949
आठवाँ सत्र	16 मई-16 जून, 1949
नौवां सत्र	30 जुलाई-18 सितंबर, 1949
दसवां सत्र	6-17 अक्टूबर, 1949
ग्यारहवां सत्र	14-26 नवंबर, 1949

(सभा 24 जनवरी, 1950 को पुन: समवेत हुई जब सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर संलग्न किए)

अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसम्बर, 1946 को पहली बार समवेत हुई। संविधान सभा का सत्र कुछ दिन चलने के बाद नेहरू जी ने 13 दिसम्बर, 1946 को ऐतिहासिक 'उद्देश्य-प्रस्ताव' पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी प्रभुत्तासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए, जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण का कार्य करना था। अंतत: 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ही भारत डोमिनियन की प्रभुत्वसंपन्न संविधान सभा के रूप में 14 अगस्त, 1947 को पुन: समवेत

हुई। संविधान सभा के गठन के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि, "स्वाधीनता और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती हैं। वह उत्तरदायित्व अब इस भारत के लोगों की प्रतिनिधि, प्रभुसत्ता सम्पन्न संविधान सभा के कन्धों पर है।"

संविधान सभा का सभापतिः

7 दिसम्बर, 1946 को प्रथम बार समवेत हुई संविधान सभा का सभापतित्व अस्थायी सभापति श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सभापति के रूप में विधिवत् निर्वाचित किया गया।

संविधान सभा की विभिन्न समितियां

- समितियां संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया। इन समितियों ने अगस्त 1947 तक अपनी-अपनी रिपोर्ट भेजी और उसके पश्चात उन रिपोर्ट्स पर संविधान सभा ने विचार किया।
- डॉ. बी. एन. राव ने संविधान सभा द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे तैयार करने में सर बी. एन. राव ने लगभग तीन महीने लगाए। संविधान के प्रथम प्रारूप में 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थीं।
- एन. माधव राव, बी. एल. मित्रा के स्थान पर बाद में नियुक्त हुए।
- प्रारूप समिति के सदस्य श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के. एम. मुंशी, बी. एल. मित्रा और डी. पी. खेतान थे।
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य समिति के लिए बंगाल से निर्वाचित हुए थे।
- संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वालो में महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू प्रमुख हैं।
- संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया। इन समितियों ने अगस्त 1947 तक अपनी रिपोर्ट भेजी और उसके पश्चात उन रिपोर्ट पर संविधान सभा ने विचार किया।

संविधान सभा की महत्त्वपूर्ण समितियाँ और उनके अध्यक्ष

समिति का नाम	अध्यक्ष
प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति	राजेन्द्र प्रसाद
संचालन समिति	राजेन्द्र प्रसाद
वित्त एवं स्टाफ समिति	राजेन्द्र प्रसाद
प्रत्यय-पत्र संबंधी समिति	अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
आवास समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैय्या
कार्य संचालन संबंधी समिति	के.एम. मुन्शी
राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति	राजेन्द्र प्रसाद
संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति	जी.वी. मावलंकर
राज्यों संबंधी समिति	जवाहरलाल नेहरू
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति	वल्लभभाई पटेल
मौलिक अधिकारों संबंधी उप-समिति	जे.बी. कृपलानी
पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति	गोपीनाथ बारदोलोई
अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों (असम के क्षेत्रों को छोड़कर) संबंधी उपसमिति	ए.वी. ठक्कर
संघीय शक्तियों संबंधी समिति	जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रारूप समिति	बी.आर. अम्बेडकर

संविधान का निर्माणः कतिपय तथ्य

संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को लगभग तीन वर्षों (दो वर्ष, ग्यारह माह और सत्रह दिन) में पूरा किया। इस अवधि के दौरान इसने ग्यारह सत्र आयोजित किए जो कुल 165 दिनों तक चले। इनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श में बीत गए। संविधान सभा का संघटन कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के आधार पर हुआ था जिसमें सदस्यों को प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था। व्यवस्था इस प्रकार थी–

(i) 292 सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए;
(ii) 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया;
(iii) चार सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया।

इस प्रकार सभा के कुल सदस्य 389 हुए। तथापि, 3 जून, 1947 की माउन्टबेटेन योजना के परिणामस्वरूप विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन हुआ और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। जिसके फलस्वरूप सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई। 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प उपस्थित किया।

- यह संविधान सभा भारतवर्ष को एक स्वतंत्र संप्रभु तंत्र घोषित करने और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है।
- जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के अंतर्गत आने वाले प्रदेश हैं तथा इनके बाहर भी हैं और राज्य और ऐसे अन्य प्रदेश जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों; और
- जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा (चौहदी) चाहे कायम रहे या संविधान-सभा और बाद में संविधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा। उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संघ को

EBD_7939

नहीं सौंपे जाएंगे और वे शासन तथा प्रबंध सम्बन्धी सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे और कार्य करेंगे सिवाय उन अधिकारों और कार्यों के जो संघ को सौंपे जाएंगे अथवा जो संघ में स्वभावत: निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

- जिससे संप्रभु स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता (अधिकार) जनता द्वारा प्राप्त होगी; और
- जिसमें भारत के सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अध्यधीन सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति व अवसर की तथा कानून के समक्ष समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जाएंगे; और
- जिसमें सभी अल्प-संख्यकों के लिए, पिछड़े व आदिवासी प्रदेशों के लिए तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षापाय रहेंगे; इस गणतंत्र के क्षेत्र की अखंडता (आन्तरिक एकता) रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे; और
- यह प्राचीन देश संसार में अपना उचित व सम्मानित स्थान प्राप्त करता है और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देता है।
- यह संकल्प संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। 14 अगस्त, 1947 की देर रात सभा केन्द्रीय कक्ष में समवेत हुई और ठीक मध्यरात्रि में स्वतंत्र भारत की विधायी सभा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श के दौरान सभा ने पटल पर रखे गए कुल 7,635 संशोधनों में से लगभग 2,473 संशोधनों को उपस्थित किया, परिचर्चा की एवं निपटारा किया।
- 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी, 1950 को माननीय सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। कुल 284 सदस्यों ने वास्तविक रूप में संविधान पर हस्ताक्षर किए।
- 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसका रूपांतरण 1952 में नई संसद के गठन तक अस्थाई संसद के रूप में हो गया।

अभ्यास प्रश्न-1

1. निम्न में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधानपरिषद् को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई?
   (a) भारतीय परिषद् अधिनियम 1861
   (b) भारतीय परिषद् अधिनियम 1862
   (c) भारतीय परिषद् अधिनियम 1892
   (d) भारतीय परिषद् अधिनियम 1909
2. केंदीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पड़ी?
   (a) रेग्युलेटिंग अधिनियम 1773
   (b) पिट्स इण्डिया एक्ट 1784
   (c) चार्टर अधिनियम 1833
   (d) चार्टर अधिनियम 1853
3. अंतरिम सरकार के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) जवाहरलाल नेहरू - कार्यकारी परिषद् के उपाध्यक्ष
   (b) डा. राजेन्द्र प्रसाद - खाद्य एवं कृषि
   (c) सरदार बल्लभभाई पटेल - गृह-सूचना एवं प्रसारण
   (d) सी राजगोपालाचारी - रक्षा
4. 26, जनवरी, 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत एक-
   (a) लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया
   (b) प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया
   (c) प्रभुसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य घोषित किया गया
   (d) प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य घोषित किया गया
5. द्वैध-शासन प्रणाली की शुरूआत किस अधिनियम से हुई थी?
   (a) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909
   (b) भारत सरकार अधिनियम, 1919
   (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
   (d) स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947
6. चार्टर एक्ट, 1833 में निम्न उपबन्धों में से कौन-सा एक नहीं था?
   (a) ईस्ट इण्डिया कम्पनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन
   (b) परिषद् में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर-जनरल के पदनाम में बदलना
   (c) सहपरिषद् गवर्नर-जनरल को विधिनिर्माण की सभी शक्तियाँ प्रदान करना
   (d) गवर्नर-जनरल की परिषद् में विधि-सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति
7. निम्नलिखित में से कौन-सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता **नहीं** है?
   (a) केंद्र में द्वैध शासन (b) अखिल भारतीय संघ
   (c) प्रांतीय स्वायत्तता (d) प्रांतों में द्वैध शासन
8. कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
   (a) 1773 का विनियामक अधिनियम
   (b) 1784 का पिट्स इण्डिया अधिनियम
   (c) 1793 का चार्टर अधिनियम
   (d) 1813 का चार्टर अधिनियम

9. भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है?
(a) महात्मा गाँधी (b) बी आर अम्बेडकर
(c) जवाहरलाल नेहरू (d) बी एन राव

10. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था?
(a) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (b) जवाहरलाल नेहरू
(c) एम ए जिन्ना (d) लाल बहादुर शास्त्री

11. संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था
(a) 26 जनवरी, 1950 को (b) 26 दिसम्बर, 1949 को
(c) 26 नवम्बर, 1949 को (d) 30 नवम्बर, 1949 को

12. भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(a) डॉ. बी आर अम्बेडकर (b) पं. जवाहरलाल नेहरू
(c) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (d) जे बी कृपलानी

13. भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया?
(a) न्यायपालिका एवं विधायिका (लेजिस्लेचर) के बीच शक्ति का पृथक्करण
(b) केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों की अधिकारिता
(c) भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वाइसरॉय की शक्तियां
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

14. निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee) का अध्यक्ष कौन था?
(a) बी. आर. अम्बेडकर (b) जे. बी. कृपलानी
(c) जवाहरलाल नेहरू (d) अलादि कृष्णास्वामी अय्यर

15. इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था?
(a) एन॰ जी॰ अयंगार (b) के॰ एम॰ मुंशी
(c) बी॰ एन॰ राव (d) मुहम्मद सादुल्लाह

16. निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था?
(a) रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (b) पिट का भारत अधिनियम, 1784
(c) चार्टर एक्ट, 1813 (d) चार्टर एक्ट, 1833

17. केंद्र में कौन-सा एक्ट द्विसदनीय विधायिक लाया?
(a) 1961 एक्ट (b) 1917 एक्ट
(c) 1919 एक्ट (d) 1915 एक्ट

18. संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
(a) जवाहर लाल नेहरू (b) बी.आर. अम्बेडकर
(c) बी.एन. राव (d) महात्मा गांधी

19. भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
(a) 7 (b) 9
(c) 12 (d) 15

20. भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था-
(a) बी.आर. अम्बेडकर द्वारा (b) बी.एन. राव द्वारा
(c) के. संथानम द्वारा (d) के.एम. मुंशी द्वारा

21. निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था?
(a) मोतीलाल नेहरू (b) महात्मा गाँधी
(c) एम. ए. जिन्ना (d) शौकत अली

22. भारत में 'द्वैधशासन' सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरम्भ किया गया?
(a) मोर्ले-मिन्टो सुधार (b) चेम्सफोर्ड सुधार
(c) साइमन आयोग योजना (d) भारत सरकार अधिनियम, 1935

23. संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
(a) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (b) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
(c) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (d) एस. राधाकृष्णन

24. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कैबिनेट मिशन, 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था?
(a) लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धान्त के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था
(b) प्रान्तों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबन्ध
(c) संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था
(d) संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था

25. निम्नलिखित में से किसने 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य-संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रीएम्बुल) का आधार बना?
(a) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (b) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(c) सरदार बल्लभभाई पटेल (d) पं. जवाहरलाल नेहरू

26. भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? **[IAS Prelims 2018]**
(a) संघीय विधान-मण्डल को (b) गवर्नर जनरल को
(c) प्रांतीय विधान-मण्डल को (d) प्रांतीय राज्यपालों को

27. विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिम्बित करता है? **[IAS Prelims 2018]**
(a) यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है।
(b) यदि विधि नहीं हैं तो स्वाधीनता भी नहीं है।
(c) यदि स्वाधीनता है तो विधि-निर्माण जनता को करना होगा।
(d) यदि विधि-परिवर्तन बार-बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए ख़तरा है।

अभ्यास प्रश्न-2

1. चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें।
   1. ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई।
   2. चीन के साथ व्यापार और चाय के अतिरिक्त कंपनी का व्यापार विषयक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
   3. चर्च का मामला एक विषय के अधीन कर दिया गया, जिसका खर्च ब्रिटिश राजस्व से चुकाया जाने लगा।
   4. विधान निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई।

   कूट:
   (a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1, और 2
   (c) केवल 4 (d) 1 और 4
2. संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व कौन-कौन से हैं? कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए-
   1. शक्तियों का विभाजन 2. संविधान की सर्वोच्चता
   3. लिखित संविधान 4. न्यायपालिका की स्वतंत्रता

   कूट:
   (a) 1, 2, 3 (b) 2, 3, 4
   (c) 1, 2, 3, 4 (d) 1, 3, 4
3. निम्न कथनों पर विचार करें-
   1. 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होते समय भारतीय संविधान की वस्तुस्थिति की-सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
   2. भारत के 'गणतंत्र' होने का अर्थ है-सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है।
   3. भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' शब्दों से प्रारम्भ होती है।
   4. 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) में संशोधन किया गया।

   उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य हैं?
   (a) केवल 4 (b) 1, 4
   (c) 1, 2, 4 (d) उपरोक्त सभी
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए-
   1. भारतीय संविधान कठोरता एंव लचीलेपन का समन्वय है।
   2. भारतीय संविधान, लिखित संविधानों में एक सर्वाधिक विशाल संविधान है।
   3. भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है।
   4. भारत में इकहरी नागरिकता तो है, परंतु इकहरी न्यायपालिका नहीं है।

   कूट:
   (a) 1, 2 , 3 (b) 1, 3 , 4
   (c) 1, 2, 4 (d) 2, 3
5. भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. लोक सम्प्रभुता (Public sovereignty) और वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) संविधान के मूल लक्षण हैं।
   2. जंहा तक केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध है, संविधान संशोधन कठिन होता है।
   3. संविधान , नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योन्याश्रिता को मान्यता देता है।
   4. संविधान, जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के जनमत संग्रह (Referendum) उपक्रम प्रत्याह्वान (Undertaking the Recall) जैसे तरीकों का प्रावधान करता है।

   नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
   (a) केवल 1 (b) 1, 2 और 4
   (c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2 और 3
6. निम्नलिखित में कौन-सा लक्षण भारतीय संविधान को संसार का सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देता है-
   1. विभिन्न प्रकार के आपातकालों पर विस्तार से विचार किया गया है।
   2. यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों पर कानून बनाता है।
   3. यह सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता के विषय में और उसके समाप्त होने के विषय में निर्देश देता है।
   4. इसमें न सिर्फ मौलिक अधिकारों के विषक में विस्तार है, बल्कि इन पर लगे निषेध भी विस्तार सै दिए गए हैं।

   उपरोक्त के संदर्भ में सही विकल्य का चयन करें-
   (a) 1, 2 व 4 (b) 1 व 4
   (c) 2, 4 (d) 2, 3, 4
7. भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है?
   1. संयुक्त राज्य अमेरिका 2. ऑस्ट्रेलिया
   3. कनाडा 4. आयरलैण्ड

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) 3 और 4
   (c) 1 और 2 (d) 1 और 3
8. 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के सन्दर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
   1. रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
   2. इसमें मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 5 थी।
   3. इस न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में फिलिप फ्रांसिस को नियुक्त किया गया।
   4. इस न्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के अधिकारी की अनुमति थी।

   उपरोक्त कथनों में कौन-से कथन सही हैं?
   (a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3
   (c) 1 और 4 (d) 3 और 4
9. निम्नलिखित कथनों में भारत सरकार अधिनियम, 1858 में क्या शामिल हैं?
   1. कम्पनी शासन की जगह सम्राट शासन लाया जाना।
   2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ऊपर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल की स्थापना।
   3. खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सुनिश्चितीकरण।
   4. गवर्नर-जनरल के विधायी और कार्यकारी कार्यो का पृथक्करण।
   5. भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नए पद का सृजन।

   कूट
   (a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 4
   (c) 1 और 5 (d) 1, 3 और 5

10. निम्मलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएँ थीं
1. गवर्नरी प्रान्तों में द्वैध-शासन की समाप्ति (Abolition of Diarchy In States)
2. गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार (वीटो) की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना
3. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई।
2. प्रारम्भ में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 369 थी।
3. संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 जनवरी, 1946 को हुई।
4. संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा चुने गए।
उपरोक्त कथनों में कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 1 और 4 (d) ये सभी

12. भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. भारत सरकार अधिनियम, 1909 ने केंद्रीय विधान परिषदों के अधिकारिक बहुमत के प्रावधान को समाप्त कर दिया।
2. भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

13. भारत के संविधान के आलेखन (प्रारूपण) सदस्य के रूप में, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित पहत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे।
2. उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी।
3. न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था।
4. वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) 1, 2 और 4

14. संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूपनिर्माण को अनुप्राणित किया।
2. यह केवल एक प्रस्ताव-भर ही नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी।
3. इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2 और 3

15. भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था।
2. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे।
3. चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलिगेशन द्वारा किया गया था।
4. सीटों का वर्गीकरण माउंटबैटन योजना के आधार पर किया गया था।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 (b) 1, 2 और 3
(c) 2 और 4 (d) केवल 1 और 3

16. निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है?
(a) इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी
(b) अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो-इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।
(c) इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया
(d) इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर सम्पत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था।

17. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत सरकार अधिनियम, 1919 की मुख्य विशेषता(एँ) थी/थीं?
1. मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचक-मण्डल का प्रारम्भ
2. केन्द्र द्वारा प्रान्तों को विधायी विधानमण्डलों का विस्तार तथा पुनर्गठन
3. केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानमण्डलों का विस्तार तथा पुनर्गठन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
कूट:
(a) केवल 2 (b) 1 केवल 3
(c) केवल 3 (d) 2 और 3

18. भारत की संविधान सभा, 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गयी थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उस परिस्थिति में, संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया?
(a) विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा
(b) विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा
(c) भिन्न जाति, धार्मिक समूहों तथा महिलाओं के सवतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा भी
(d) देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन माँगने के द्वारा

EBD_7939

19. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (अधिनियम)	**सूची-II (विशेषता)**
A. दि इंडियन काउंसिल्स ऐक्ट, 1892	1. प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत
B. दि इंडियन काउंसिल्स ऐक्ट, 1909	2. निर्वाचन के सिद्धान्त की शुरुआत
C. भारत सरकार अधिनियम, 1919	3. प्रान्तों में द्वैधशासन की शुरुआत
D. भारत सरकार अधिनियम, 1935	4. मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत

कूट :

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	2	4	3	1
(b)	1	3	4	2
(c)	2	3	4	1
(d)	1	4	3	2

20. 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने
1. केन्द्र में द्विसदनीय विधान मण्डल स्थापित किया
2. प्रान्तीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरम्भ किया
3. भारत में संघीय शासन-प्रणाली को आरम्भ किया

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 2

21. भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उप-समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी अनुशंसा/अनुशंसाएँ दी गई/गईं?
1. उत्तर-पूर्व सीमान्त (असम) जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए पाँचवीं अनुसूची
2. असम के समस्त स्वायत्त ज़िलों में ज़िला परिषदों का गठन
3. उत्तर-पूर्व सीमान्त (असम) जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची
4. उत्तर-पूर्व भारत में राज्य-क्षेत्रों का सीमांकन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 (b) 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 4

22. सूची-1 को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

सूची-I (व्यक्ति)	**सूची-II (भारत के संविधान को बनाने में भूमिका)**
A. राजेन्द्र प्रसाद	1. सदस्य, प्रारूपण समिति
B. टी० टी० कृष्णमाचारी	2. अध्यक्ष, संविधान सभा
C. एच० सी० मुखर्जी	3. अध्यक्ष, प्रारूपण समिति
D. बी० आर० अम्बेदकर	4. उपाध्यक्ष, संविधान सभा

कूटः

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	2	1	4	3
(b)	2	4	1	3
(c)	3	4	1	2
(d)	3	1	4	2

23. वर्ष 1939 में सभी प्रान्तों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन-सा कारण था?
(a) राज्यपालों ने सांविधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने से इंकार कर दिया था
(b) केन्द्र ने प्रान्तों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की थी।
(c) द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर-जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक में परिवर्तित कर दिया था।
(d) प्रान्तीय सरकारों की सहमति के बिना, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था

24. "संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है, वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया हैं। सत्ता में कौन हो, इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए, यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है।"
संविधान निर्मात्री सभा के विचार-विमर्श से उद्धृत उपर्युक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है?"
(a) पंडित जवाहरलाल नेहरू
(b) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर
(c) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
(d) आचार्य जे० बी० कृपलानी

25. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है/हैं?
1. संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था।
2. देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया।
3. संविधान सभा के भीतर विचार-विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था।
4. सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 (b) 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) 1 और 4

26. भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन-कौन सी निरसित की गई हैं?
1. भारत सरकार अधिनियम, 1935
2. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
3. प्रिवी कौंसिल अधिकारिता समाप्ति अधिनियम, 1949
4. निवारक निरोध अधिनियम, 1950

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 4

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, कथन I तथा कथन II। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

कूट :

(a) दोनों कथन अलग-अलग सही है और कथन II, कथन I का सही स्पष्टीकरण है
(b) दोनों कथन अलग-अलग सही है, किन्तु कथन II, कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) कथन I, सही है, किन्तु कथन II गलत है
(d) कथन I, गलत है, किन्तु कथन II सही है

27. **कथन I:** भारत सरकार अधिनियम, 1935 से केन्द्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ।
कथन II: प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई।

28. निम्नलिखत कथनों में सत्य कथनों की पहचान करें।
1. संविधान सभा के संविधान बनाने का काम 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में पूरा किया।
2. संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किये गये।
3. संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुना गया था।
4. संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को 208 सीटें मिलीं।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

29. भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबन्ध/ उपबन्धों में से कौन सा/से 26 नवम्बर 1949 से प्रभावी हुआ/हुए?
1. निर्वाचन 2. नागरिकता
3. आपात उपबंध 4. न्यायाधीशों की नियुक्ति

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) 2 और 4

30. निम्नलिखित में से किनको ''विधि के शासन'' के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा?
1. शक्तियों का परिसीमन
2. विधि के समक्ष समता
3. सरकार के प्रति जन-उत्तरदायित्व
4. स्वतन्त्रता और नागरिक अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

[IAS Prelims 2018

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(c)	**4**	(b)	**7**	(d)	**10**	(a)	**13**	(b)	**16**	(a)	**19**	(c)	**22**	(b)	**25**	(d)		
2	(a)	**5**	(b)	**8**	(a)	**11**	(c)	**14**	(c)	**17**	(c)	**20**	(b)	**23**	(c)	**26**	(b)		
3	(d)	**6**	(d)	**9**	(b)	**12**	(a)	**15**	(c)	**18**	(a)	**21**	(b)	**24**	(d)	**27**	(b)		

अभ्यास-2

1	(b)	**4**	(a)	**7**	(d)	**10**	(b)	**13**	(a)	**16**	(c)	**19**	(a)	**22**	(a)	**25**	(d)	**28**	(d)
2	(c)	**5**	(d)	**8**	(c)	**11**	(c)	**14**	(c)	**17**	(d)	**20**	(d)	**23**	(d)	**26**	(a)	**29**	(b)
3	(b)	**6**	(a)	**9**	(d)	**12**	(b)	**15**	(d)	**18**	(c)	**21**	(a)	**24**	(b)	**27**	(b)	**30**	(c)

EBD_7939

भारतीय संविधान का दर्शन, स्रोत एवं विशेषताएँ

2 अध्याय

संविधान का दर्शन

संविधान के दर्शन से आशय संविधान में उल्लेखनीय देश के मूल्य व आदर्शों से है जैसे भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि के लिए प्रतिबद्ध है। इस सबके साथ उसके दर्शन को शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाये। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, धार्मिक समूहों के अधिकार सार्वभौम मताधिकार, संघवाद आदि का भी समावेश हुआ है। संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार-संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है।

हमारे संविधान का दार्शनिक आधार पं॰ नेहरू का वह 'उद्देश्य प्रस्ताव' है, जिसे उन्होंने 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान-निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया तथा जिसे 15 दिसम्बर, 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इन दार्शनिक आधारों का विवेचन संविधान की प्रस्तावना में हुआ है। ये उद्देश्य संवैधानिक सिद्धांतों का शिलान्यास करते हुए संविधान निर्माण की विचारधारा प्रस्तुत करते हैं।

संविधान की प्रस्तावना से यह आशा की जाती है कि जिन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन पर संविधान आधारित हो तथा जिन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करने के लिए संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को निर्देशित किया हो, उसका प्रस्तावना में समावेश हो। भारतीय संविधान की अन्तरात्मा न्याय, समता, अधिकार और बन्धुत्व के प्रभाव से अभिसिंचित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे वर्तमान संविधान की नियामक, महत्त्वाकांक्षाओं में से एक है।

उद्देशिका में समाविष्ट विभिन्न संकल्पनाओं से स्पष्ट होता है कि हमारी उद्देशिका के उदात्त और गरिमामय शब्द भारत के सम्पूर्ण संविधान के सारांश, दर्शन, आदर्शों और उसकी आत्मा का निरूपण करते हैं।

संविधान की प्रस्तावना में उन महान आदर्शों, मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर भविष्य के भारत का निर्माण किया जाना था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस मौलिक दर्शन का उल्लेख मिलता है, वास्तव में विभिन्न सांविधानिक प्रावधान उन्हीं की पूर्ति का प्रयास हैं। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के परिवेश में सामाजिक व आर्थिक न्याय की प्रस्थापना के महान लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास, जो संविधान निर्माताओं ने किया है, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तावना के रूप में हुई है।

भारतीय संविधान में निहित दर्शन, जिसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में की गई है, वास्तव में उस युग का राजनीतिक दर्शन कल्याणकारी राज्य की ओर उन्मुख उदारवादी लोकतंत्र का दर्शन के अनुरूप था, जिसमें संविधान का निर्माण किया गया। वस्तुतः भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की ओर उन्मुख उदारवादी लोकतंत्र के दर्शन से ही प्रेरित है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

"हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्-द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं।

प्रस्तावना का उद्देश्य

प्रस्तावना संविधान के 'तत्त्वज्ञान' (दर्शन) तथा उद्देश्यों को प्रकट करती है। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि हमारा संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक-आर्थिक न्याय की अभिन्नता पर आधारित है।

प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक-ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रस्तावना में संविधान का सार निहित है। संविधान की शब्दावली यदि अस्पष्ट है तो संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है।

प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। वे स्वप्न जो हमने युगों से संजोए थे, इसमें परिलक्षित होते हैं। सभी संवैधानिक और संसदीय अधिनियमों की इसके प्रकाश में व्याख्या की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने 1969 में कहा था, "यदि विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त किसी शब्दावली पर कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो उसे दूर करने का सबसे विश्वसनीय तरीका यह है कि उसके मूल में निहित भावनाओं, उसके आधारों तथा कानून-निर्माण के कारणों पर विचार किया जाए तथा (संविधान की) प्रस्तावना का आश्रय लिया जाए।"

प्रस्तावना, भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ भारत किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतया स्वतंत्र हो। कुछ आलोचकों का यह मत

EBD_7939

है कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता के कारण भारत की इस स्थिति में कुछ कमजोरी है, किंतु यह बात सच नहीं है। कॉमनवेल्थ की मूल स्थिति में अब काफी परिवर्तन आ चुका है। अब यह विशुद्ध रूप से एक ऐच्छिक समुदाय है जिसके सदस्य स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य हैं।

संविधान के 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। समाजवादी शब्द का प्रयोग संविधान में समाजवादी दर्शन को सम्मिलित करने के लिए किया गया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने इसका जोरदार विरोध किया था। उनका कहना था कि "संविधान के दो अध्यायों, मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में पहले से ही आर्थिक लोकतंत्र के सार तत्व की व्यवस्था कर दी गई है, तो फिर ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिसका भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न अर्थ निकालें।"

इसी प्रकार, संविधान सभा में यह सुझाव भी आया था कि प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता का भी उल्लेख किया जाए, किंतु इसका भी यह कहकर विरोध किया गया कि इस शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, पर 1976 में देश के नेतृत्व ने इसे प्रस्तावना में रखना उचित समझा।

लोकतंत्र से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है, जहाँ सरकार जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अनुसार एक निश्चित अंतराल के बाद उसका निर्वाचन होता है तथा जनता को स्वतंत्रतापूर्ण तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि यहाँ विधि का शासन होगा तथा कोई भी स्वेच्छाचारितापूर्ण आचरण नहीं कर सकेगा।

गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, आनुवंशिकता के आधार पर नहीं।

प्रस्तावना का एक उद्देश्य यह भी है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। न्याय का सामान्य अर्थ यह है कि जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तथा सबको उनके उचित अधिकार प्राप्त हों। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है, जहाँ जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा आदि में से किसी के भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज में सभी को समान स्थान एवं अवसर प्राप्त हों। इसी प्रकार, राजनीतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है, जहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो।

प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता को भी आदर्श रूप में उल्लेखित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छानुसार धर्म पालन करने तथा अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने की छूट हो और राज्य इन विषयों में तब तक हस्तक्षेप न करे जब तक दूसरों की स्वतंत्रता अथवा अधिकार बाधित न हों।

प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख किया गया है। इससे अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी विघ्न-बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो।

प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में बंधुता की भावना का आधार व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, न कि समाज में उसकी स्थिति। इसी प्रकार, राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार भी बंधुता की भावना होनी चाहिए।

प्रस्तावना का लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है, जहाँ जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी हो, शासन की सत्ता जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षक तथा जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। भारत के संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य, राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित करना तथा उसकी नीति सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने नव-निर्माण की भूमिका में एक नए और सुव्यवस्थित समाज की स्थापना का प्रयास किया है।

संक्षेप में, जैसा कि डॉ. सुभाष कश्यप ने कहा है, ''शब्द चयन, साहित्यिक सौंदर्य एवं मानवीय भाव गरिमा की दृष्टि से भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व के संविधान-साहित्य में अद्वितीय है।'' इसके शब्दों में भारत के 'जन-गण-मन' को प्रेरित करने की अदम्य शक्ति है। "शायद यह कहना अत्युक्ति न हो कि यदि प्रस्तावना बीज है तो संविधान उस बीज से ही विकसित वृक्ष।"

प्रस्तावना की विशेषताएँ

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित मौलिक आदर्श वर्णित हैं:

स्वतंत्र और प्रभुत्ता-सम्पन्न

भारत का संविधान ब्रिटिश संसद की देन नहीं है, बल्कि भारत के लोगों ने एक प्रभुत्व-संपन्न संविधान सभा में समवेत अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे स्वीकार किया है। सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न या सार्वभौम शब्द का प्रयोग किया जाना इस बात का द्योतक है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतन्त्र है।

गणराज्य

पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किन्तु भारत ने 1949 में ही अपने संविधान की रचना के बाद से अपने आपको गणराज्य घोषित किया, जिसका अर्थ है-भारत का राष्ट्र-प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित है। उसे किसी वंश परम्परा के कारण पद प्राप्त नहीं है।

प्रभुत्व-संपन्नता राष्ट्रकुल की सदस्यता से संगत

आयरलैंड ने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्ट, 1948 बनाकर ब्रिटिश राष्ट्रकुल से अपने सम्बन्ध समाप्त कर लिए थे, किन्तु भारत ने अपने आप को गणराज्य घोषित करने के बावजूद राष्ट्रकुल में बने रहने का निश्चय किया, जिसके कारण राष्ट्रकुल की संकल्पना ही बदल गयी, क्योंकि भारत ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा रखना स्वीकार नहीं किया। अत: ब्रिटिश राष्ट्रकुल जो कि साम्राज्यवाद का प्रतीक था, अब स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संघ हो गया।

लोकतंत्र

प्रस्तावना में "लोकतंत्रात्मक गणराज्य" का तात्पर्य यह है कि न केवल शासन में लोकतंत्र होगा, बल्कि समाज भी लोकतंत्रात्मक होगा, जिसमें 'न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता' की भावना होगी।

प्रतिनिधिक लोकतंत्र

शासन में लोकतंत्र का रूप प्रतिनिधिक है। भारत के लोग अपनी प्रभुत्ता का प्रयोग केन्द्र में संसद और राज्यों में विधानमंडल में अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। संविधान सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने के विषय में समानता प्रदान करता है।

जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन

प्रस्तावना में जिस राजनीतिक न्याय की घोषणा की गई है, उसे सुनिश्चित करने के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी आर्थिक, शैक्षिक अथवा सामाजिक भेदभाव के मताधिकार दिया गया है अर्थात् प्रत्येक पांच वर्ष में संघ और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदस्य समस्त वयस्क जनता के मत से निर्वाचित होंगे और निर्वाचन का सिद्धांत होगा 'एक व्यक्ति एक मत'।

लोकतांत्रिक समाज

संविधान में जिस लोकतंत्र को दृष्टि में रखा गया, वह 'राजनीतिक लोकतंत्र' तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी व्याप्त है, क्योंकि वोट उस व्यक्ति के लिए कोई महत्त्व नहीं रखता जो निर्धन और निर्बल है।

आर्थिक न्याय

संविधान के भाग 4 में वर्णित निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य का उद्देश्य किसी से धन छीनकर निर्धनता का उन्मूलन करना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय धन और संसाधनों में वृद्धि करके समस्त लोगों में उनका समानतापूर्वक उचित वितरण करना है। यही आर्थिक न्याय है।

स्वतंत्रता

संविधान द्वारा समाज में स्वतंत्र और सभ्य जीवन के लिए आवश्यक तत्वों-'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता'-की संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19ए 25-28 के अर्न्तगत व्यवस्था की गई है।

समानता

समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक नागरिकों को दिए गए समानता के मूल अधिकार द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक समानता के लिए अनुच्छेद 326 के तहत् सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है।

समाजवादी राज्य

संविधान का उद्देश्य 'कल्याणकारी' और समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में "समाजवाद" शब्द जोड़ा गया, किन्तु भारत का समाजवाद धन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करके निजी सम्पत्ति को समाप्त करने वाला समाजवाद नहीं है। 1978 में किये गए संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का निरसन करके राज्य द्वारा सम्पत्ति के अर्जन पर निजी स्वामियों को प्रतिकर संदाय करने की संवैधानिक बाध्यता समाप्त कर दी गई।

एकता एवं अखंडता

1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'अखंडता' शब्द को जोड़कर राष्ट्र की एकता के आदर्श को बल प्रदान किया गया। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बिना हम अपने आर्थिक विकास के प्रयासों में सफल नहीं हो सकते और न ही हम लोकतन्त्र या देश की स्वाधीनता तथा देशवासियों के सम्मान की रक्षा करने की आशा कर सकते हैं। इसलिए अनुच्छेद 51 (क) के अन्तर्गत सभी नागरिकों का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वे भारत की संप्रभुत्ता एकता एवं अखंडता की रक्षा करें।

बंधुत्व

बंधुत्व का अर्थ सभी भारतीयों के सर्वमान्य भाईचारे की, सभी भारतीयों के एक होने की भावना है। यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता तथा अखंडता प्रदान करता है। हमारे देश में अनेक मूलवंश, धर्म, भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनमें एकता और बन्धुत्व की भावना स्थापित करने के लिए संविधान में पंथनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। बंधुत्व की संकल्पना, वसुधैव कुटुंबकम्, अर्थात् समूचा विश्व एक परिवार है-के प्राचीन भारतीय आदर्श की ओर ले जाती है। इसे संविधान के अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है।

व्यक्ति की गरिमा

यद्यपि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और इनकी सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है, तथापि यदि व्यक्ति को अभाव और दु:ख से छुटकारा न मिले तो उसके लिए इन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। अत: संविधान के भाग 4 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपनी कल्याणकारी नीतियों का संचालन इस प्रकार करे कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन समान रूप से प्राप्त हों (अनुच्छेद 39)।

पंथनिरपेक्ष राज्य

पंथनिरपेक्ष का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है तथा जहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए, वही पंथनिरपेक्षता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था संविधान में जोड़ी गई। इसे अनुच्छेद 25-29 में धर्म की स्वतन्त्रता से संबंधित सभी नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में समाविष्ट करके क्रियान्वित किया गया है। इसका प्रयोग धर्म पर आधारित भेदभावों के अभाव तथा सभी धर्मों को समान सम्मान देने के रूप में किया गया है। इसका अर्थ है-सर्वधर्मसम्भाव अर्थात् सभी धर्मों को समान आदर देना, चाहे वह धर्म अल्पसंख्यक का हो या बहुसंख्यक का।

भारतीय संविधान के स्रोत

भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं, जो 1935 ई० के अधिनियम से या तो शब्दश: लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण 10 देशों के संविधान से प्रमुख तथ्य लेकर बनाया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है:

EBD_7939

देश	प्रमुख प्रावधान
संयुक्त राज्य अमेरिका	मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
ब्रिटेन	संसदात्मक शासन-प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद
आयरलैंड	नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचकमंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाजसेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन
ऑस्ट्रेलिया	प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार-वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
जर्मनी	आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन
कनाडा	संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन
दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन
सोवियत संघ (पूर्व)	मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श
जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
फ्रांस	गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श

भारत शासन अधिनियम, 1935-संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

भारत का संविधान भारत की अतीतकालीन आस्थाओं और परम्पराओं का प्रतीक है, साथ ही हमारे देश के राजनीतिक सांविधानिक ढाँचे के निर्धारण के साथ-साथ ऐसे संविधान निर्माण का ध्येय था, जो विशेष परिस्थितियों में भी राष्ट्र को गतिशील बनाये रखे, हमारे देश के संविधान का निर्माण हेतु विभिन्न स्रोतों को भी इसका हिस्सा बनाया गया जो संविधान की उत्कृष्टता को दर्शाता है और भारतीय संविधान की विशेषताओं में चार चाँद लगाती है–

- भारत का संविधान निर्मित, लिखित, एवं सर्वव्यापक है।
- मूल संविधान 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, और 22 भागों में विभाजित था। आज हमारा संविधान 465 से भी ज्यादा अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित है जबकि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में मूल रूप से–अमरीका में केवल 7, कनाडा में 147, अफ्रीका में 253 और आस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा (2002), अनुच्छेद "21क" के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है।
- **प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, और समाजवादी गणराज्य का होना**– हमारा संविधान जन संप्रभुता के सिद्धान्त पर आधारित है जिसका निर्माण स्वयं जनता द्वारा किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ''पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता'' शब्द जोड़े गए थे। उपरोक्त शब्द भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता को दर्शाते हैं।
- **संसदीय पद्धति की सरकार का होना**– भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदीय पद्धति को अपनाया था। इस पद्धति की मुख्य विशेषता सरकार का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जनता द्वारा चुना जाता है।
- **स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना –** भारतीय संविधान की एक विशेषता है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना कर न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा के साथ ही केंद्र राज्यों के मध्य विवादों का समाधान भी करता है।
- **संसदीय प्रणाली और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय बनाए रखना**– भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में संसदीय और न्यायिक सर्वोच्चता को बनाए रखना अर्थात संसदीय सर्वोच्चता के साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन को भी सुनिश्चित किया गया है।
- **मूल अधिकारों का समावेश**– भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपति के अधिकार को समाप्त कर दिया था। अब 6 मूल अधिकार हैं। 1.समानता का अधिकार 2.स्वतन्त्रता का अधिकार 3.धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार 4.शोषण के विरुद्ध अधिकार 5.शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 6.संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- **नीति निर्देशक तत्व का होना**– भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्वों द्वारा देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- **कठोर और लचीले का मिश्रण होना**– भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को कठोर और लचीले का मिश्रण बनाया है ताकि सामान्य कानून और संवैधानिक कानून को आवश्यकता अनुसार लागू और भेद किया जा सके।

- **केंद्राभिमुख संविधान का होना–** भारतीय संविधान की एक विशेषता है। आपातकालीन जैसी स्थिति में केंद्र एकात्मक शक्तियाँ ग्रहण कर लेता है।
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना**– भारतीय संविधान की एक विशेषता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त था (61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई।)
- **एकल नागरिकता का होना** – भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जबकि अमरीका और इजरायल जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया हुआ है। भारत में प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है।
- **मूल कर्तव्यों का समावेश**– स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें (1976) संशोधन द्वारा 10 मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा (2002) अनुच्छेद-"21 क" के तहत शिक्षा को मूल अधिकार व मूल कर्तव्य बनाया गया है, जिसके तहत अभिभावकों का कर्तव्य होगा 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना।
- **कल्याणकारी राज्य की स्थापना**– केंद्र और राज्य सरकारों का प्रमुख ध्येय है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और जनता की समृद्धि और आर्थिक समता की स्थापना करना।
- **सामाजिक समरसता और न्याय की स्थापना करना**– विविधता में एकता, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना का होना, समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय हो, ऐसी धारणा से कार्य करना।
- **विश्व शांति व सुरक्षा की कामना करना–** भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारतीय संस्कृति में निहित भावनाओं के अनुरूप विश्व शांति और सुरक्षा की कामना करना, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की कामना की गई है।
- जनता के अधिकारों की चर्चा सबसे पहले अमरीका के संविधान में की गई है।
  - आइवर जेनिग्स के अनुसार "भारत का संविधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है, जिसके अनेक उपबंधों को नवीन संविधान में शब्दशः ले लिया गया है।"
  - डॉ. भीम राव अंबेडकर के अनुसार–"मैं इस तथ्य से लज्जा का अनुभव नहीं करता कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय 1935 के अधिनियम कि बहुत सी बातों को अपनाया है। किसी भी अच्छी बात को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।"
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण का वर्णन किया गया है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, यह किस देश की प्रस्तावना पर आधारित प्रारूप था।
   (a) अमेरिकी प्रस्तावना (b) ब्रिटिश प्रस्तावना
   (c) रूसी प्रस्तावना (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
2. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) भारतीय संविधान को 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया था।
   (b) 42वें संविधान संशोधन (1976) के जरिये अभी तक 'प्रस्तावना' में सिर्फ एक बार संशोधन किया है।
   (c) नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसम्बर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में पेश किया गया।
   (d) केशवानंद भारतीय (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है।
3. संविधान के अनुच्छेद 51 क में किस संविधान संशोधन द्वारा अभिभावकों या माता-पिता के लिए उनके 6-14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने संबंधी 11वां मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया?
   (a) 41वां संविधान संशोधन (b) 42वां संविधान संशोधन
   (c) 80वां संविधान संशोधन (d) 86वां संविधान संशोधन
4. संविधान के किस भाग में शासन संचालन के लिए अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है?
   (a) भाग-ll (b) भाग- lll
   (c) भाग-lV (d) भाग-V
5. भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है-
   (a) हम भारत के लोग इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर भारत को सौंपते हैं।
   (b) हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर सम्पूर्ण देश को भेंट करते हैं।
   (c) हम भारत के नागरिक संविधान को निर्मित और स्वीकार कर स्वंय को अर्पित करते हैं।
   (d) हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वंय को यह संविधान अर्पित करते हैं।
6. संविधान की प्रस्तावना में वर्णित 'समाजवादी' शब्द से अभिप्राय है
   (a) उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण
   (b) गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करना
   (c) केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना तथा गरीब और अमीर के मध्य दूरी को कम करना
   (d) सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन व निजी क्षेत्रों का उन्मूलन

EBD_7939

7. संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य "हम भारत के लोग" के सम्बन्ध में क्या असत्य है?
   (a) संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है
   (b) संविधान-निर्मात्री सभा के सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे
   (c) भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है
   (d) भारतीय गणतन्त्र की प्रभुसत्ता जनता में निहित है
8. संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द "पन्थनिरपेक्ष" का अर्थ है
   (a) एकेश्वरवाद
   (b) धर्म का विरोध
   (c) सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतन्त्रता
   (d) बहुदेववाद
9. डॉ. बी आर अम्बेडकर ने संविधान का 'हृदय और आत्मा' किसे कहा था?
   (a) समानता का अधिकार
   (b) शोषण के विरुद्ध अधिकार
   (c) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
   (d) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
10. भारत के संविधाान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है?
   (a) उद्देशिका
   (b) मूल अधिाकार
   (c) राज्य की नीति के निदेशक तत्व
   (d) मूल कर्तव्य
11. संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज ''समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा'' हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो?
   (a) जवाहरलाल नेहरू
   (b) बी. आर. अम्बेदकर
   (c) राजेन्द्र प्रसाद
   (d) सरदार वल्लभ भाई पटेल
12. भारतीय संविधाान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिये गए हैं?
   (a) संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
   (b) यूनाइटेड किंगडम (UK)
   (c) जर्मनी
   (d) कनाडा
13. निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन-सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है?
   (a) नागरिकता (b) स्वतंत्र केन्द्र एवं राज्य
   (c) राज्यपालों की नियुक्ति (d) स्वतंत्र न्यायपालिका
14. भारतीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न हैं, क्योंकि –
   (a) यह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है।
   (b) यह वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है।
   (c) यह द्विसदनीय विधायिका है।
   (d) सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है।
15. भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है?
   (a) सोवियत संघ (b) ऑस्ट्रेलिया
   (c) इटली (d) कनाडा
16. राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे-
   (a) आइरिश गणतंत्र (b) कनाडा
   (c) संयुक्त राज्य अमेरिका (d) ऑस्ट्रेलिया
17. भारत सरकार अधिनियम, 1935 में अन्तर्निहित 'अनुदेश पत्र' को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया है?
   (a) मूल अधिकार
   (b) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व
   (c) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
   (d) भारत सरकार का कार्य-संचालन

अभ्यास प्रश्न-2

1. भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
   1. संविधान का दार्शनिक आधार पं. नेहरू का 'उद्देश्य प्रस्ताव' है।
   2. पं. नेहरू का 'उद्देश्य प्रस्ताव' 13 दिसम्बर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया।
   3. इस प्रस्ताव को 15 दिसम्बर 1946 को सर्वसम्पत्ति से स्वीकार कर लिया गया।

   कूट:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 2 और 3 (d) 1, 2, और 3
2. 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द शामिल नहीं थे?
   1. समाजवादी 2. पंथनिरपेक्ष
   3. अखण्डता 4. गणराज्य

   कूट:
   (a) 1 (b) 2 और 3
   (c) 3 और 4 (d) 1, 2 और 3
3. भारतीय संविधान की परिसंघ प्रणाली (Federal system) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   (1) शक्तियों पर एक सामान्य विभाजन जिसके अधीन रज्यों को अपने क्षेत्र के भीतर स्वायत्तता मिली हुई है।
   (2) राज्यों को राजस्व प्राप्त करने की शक्ति भी हो।
   (3) राष्ट्रीय एकता और प्रबल संघ सरकार की आवश्यकता है जो संविधान के कार्यकरण के 65 वर्ष बाद भी बुद्धिमान लोग आवश्यक समझते हैं।

   उपर्युक्त में से कौन से सत्य हैं?
   (a) । और 3 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

4. भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए।
   (1) सार्वभौमिक मताधिकार
   (2) गणराज्य
   (3) अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय
   (4) 9वीं अनुसूची द्वारा संरक्षण
   (5) साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

   कूट:

   (a) I, 2, 3, 4 और 5 (b) I, 3, 4 और 5
   (c) 1, 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 4 और 5

5. प्रस्तावना के महत्व के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए-
   1. शासन प्रणाली के लोकतंत्रात्मक स्वरूप को प्रकट करती है।
   2. शासन के लोकहित के लक्ष्य को प्रकट करती है।
   3. राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासनकर्ताओं के दायित्वों का बोध कराती है।
   4. जटिल परिस्थितियों में प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को इंगित करती है।

   उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही कूट का चयन करें-

   (a) 1, 2, 3, 4 (b) 1, 2, 3
   (c) 2, 3, 4 (d) 1, 3, 4

6. प्रस्तावना के महत्त्व के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. शासन प्रणाली के लोकतन्त्रात्मक स्वरूप को प्रकट करती है।
   2. शासन के लोकहित के लक्ष्य को प्रकट करती है।
   3. राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासनकर्ताओं के दायित्वों का बोध कराती है।
   4 जटिल परिस्थितियों में प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को इंगित करती है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-से कथन सही हैं?

   (a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3
   (c) 2, 3 और 4 (d) ये सभी

7. भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. लोक सम्प्रभुता (Public sovereignty) और वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) संविधान के मूल लक्षण हैं।
   2. जहाँ तक केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का सम्बन्ध है, संविधान संशोधन कठिन होता है।
   3. संविधान, नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योन्याश्रिता को मान्यता देता है।
   4. संविधान, जनता के प्रत्यक्ष नियन्त्रण के जनमत संग्रह (Referendum), उपक्रम प्रत्याह्वान (Undertaking the Recall), जैसे तरीकों का प्रावधान करता है।

   कूट

   (a) केवल 1 (b) 1, 2 और 4
   (c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2 और 3

8. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किये गए 'उद्देश्य संकल्प' पर आधारित है।
   2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द - समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शामिल किये गए।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

9. सूची-I (भारतीय संविधान के मद) को सूची-II (जिस देश से अपनाया गया) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (भारतीय संविधान के मद)	**सूची-II (जिस देश से अपनाया गया)**
A. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त	1. ऑस्ट्रेलिया
B. मूल-अधिकार	2. कनाडा
C. संघ-राज्य सम्बन्धों की समवर्ती सूची	3. आयरलैण्ड
D. भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है	4. यूनाइटेड किंगडम
	5. संयुक्त राज्य अमेरिका

   कूट:

   (a) A-5, B-4, C-1, D-2 (b) A-3, B-5, C-2, D-1
   (c) A-5, B-4, C-2, D-1 (d) A-3, B-5, C-1, D-2

10. भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबन्ध/ उपबन्धों में से कौन सा/से 26 नवम्बर 1949 से प्रभावी हुआ/हुए?
    1. निर्वाचन 2. नागरिकता
    3. आपात उपबंध 4. न्यायाधीशों की नियुक्ति

    नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :

    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3 (d) 2 और 4

11. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थीं?
    1. कानून का शासन 2. विधि-निर्माण प्रक्रिया
    3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता 4. संसदीय व्यवस्था

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    (a) केवल 1 और 2 (b) 2, 3 और 4
    (c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2 और 4

12. 26 नवम्बर, 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान लागू हुए?
    1. नागरिकता 2. निर्वाचन
    3. अस्थायी संसद 4. मौलिक अधिकार

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    (a) 2, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1 और 2

13. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (भारत के संविधान के उपबन्ध)	**सूची-II (स्रोत)**
A. संविधान संशोधन	1. जर्मनी का संविधान
B. निदेशक तत्त्व	2. कनाडा का संविधान
C. राष्ट्रपति का आपात अधिकार	3. दक्षिण अफ्रीका का संविधान
D. संघ-राज्य सम्बन्ध	4. आइरिश संविधान

कूट:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	1	2	4	3
(b)	3	4	1	2
(c)	1	4	2	3
(d)	3	1	4	2

14. वर्ष 1950 में, भारत के संविधान ने भारत के राज्यों को A, B, C तथा D कोटि में विभाजित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) मुख्य आयुक्त कोटि A राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। राजप्रमुख कोटि B राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। राज्यपाल कोटि C तथा D राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था।

(b) राजप्रमुख कोटि A राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। मुख्य आयुक्त कोटि B तथा C राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। राज्यपाल कोटि D राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था।

(c) राज्यपाल कोटि A राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। राजप्रमुख कोटि B राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। मुख्य आयुक्त कोटि C तथा D राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था।

(d) राज्यपाल कोटि A राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। मुख्य आयुक्त कोटि B राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। राजप्रमुख कोटि C तथा D राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था।

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(a)	**2**	(d)	**3**	(d)	**4**	(c)	**5**	(d)	**6**	(c)	**7**	(a)	**8**	(c)	**9**	(c)	**10**	(a)
11	(a)	**12**	(c)	**13**	(d)	**14**	(a)	**15**	(b)	**16**	(a)	**17**	(b)						

अभ्यास-2

1	(d)	**2**	(d)	**3**	(d)	**4**	(c)	**5**	(a)	**6**	(d)	**7**	(d)	**8**	(c)	**9**	(d)	**10**	(b)
11	(d)	**12**	(b)	**13**	(b)	**14**	(c)												

EBD_7939

संघ और उसका राज्य क्षेत्र

3 अध्याय

भारतीय संविधान में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। और संविधान में जहाँ कुछ संघवाद के मान्य लक्षण पाए जाते हैं, वहाँ एकात्मक राज्य के लक्षणों का प्रभुत्त्व भी जहाँ-तहाँ दिखता है। संविधान-निर्माताओं की मंशा भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करनी थी, लेकिन संविधान में कहीं पर भी 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वरन् संघ के स्थान पर 'राज्यों का संघ' शब्द के प्रयोग का स्पष्टीकरण देते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक् होने का अधिकार नहीं है। हमारी राज्य व्यवस्था के संबंध में दो मत हैं: कुछ लोगों के मतानुसार यह एक संघ राज्य है, जिसमें एकात्मक लक्षणों का प्रधान्य है जबकि दूसरे लोगों का विचार है कि यह प्रधानता एक एकात्मक राज्य है, जिसमें कुछ संघीय लक्षणों का समावेश हो गया है। भारतीय संघ व्यवस्था के बारे में विभिन्न विचारकों के विचार निम्न हैं:

- के. सी. व्हीयर के अनुसार, 'भारत मुख्यत: एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएँ नाममात्र की हैं। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है।'
- डी. एन. बनर्जी के अनुसार, 'भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, किन्तु उसका झुकाव एकात्मकता की ओर है।'
- डी. डी. बसु के अनुसार, 'भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है।'
- जी. एन. जोशी के अनुसार, 'भारत संघ राज्य नहीं अपितु अर्द्ध-संघ है और उसमें कतिपय एकात्मकता के भी लक्षण हैं।'
- नार्मन. डी. पामर के अनुसार, 'भारतीय गणतन्त्र एक संघ है तथा उसकी अपनी विशेषताएँ हैं जिन्होंने संघीय स्वरूप को अपने ढंग से ढाला है।'
- पायली के अनुसार, 'भारत के संविधान का ढाँचा संघात्मक है, किन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है।'
- डा. सुभाष कश्यप के अनुसार, 'भारतीय संविधान दोहरे शासनतंत्र की स्थापना करता है। सरकार की दो श्रेणियाँ हैं- संघ की सरकार और राज्यों की सरकारें। संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण किया है। संघवाद के इन बहिरंग लक्षणों के बावजूद भारतीय संविधान का प्रधान स्वर एकात्मकता का है।'

भारत एक संघ है, इस बात पर बल देने का प्रयोजन इस तथ्य को प्रकाश में लाना था कि यह संघटक इकाइयों के बीच सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा है, जिसने अपनी शक्ति तथा प्राधिकार भारत की प्रभुत्व सम्पन्न जनता से प्राप्त किया था। इसलिए, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता और न ही अपनी इच्छा से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन कर सकता है।

कोई ऐसा क्षेत्र जो किसी समय भारत द्वारा कानूनी रूप से, संधि द्वारा अध्यर्पण या विजय द्वारा अर्जित किया जाए, भारत के राज्य क्षेत्र का भाग होगा, जिसका प्रशासन अनुच्छेद 246(4) के अधीन भारत सरकार चलाएगी।

अत: यह कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य, जिनमें कुछ समान विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके आधार पर उनमें सामंजस्य स्थापित होता है, परस्पर मिलकर एक लिखित समझौते द्वारा, किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक नवीन राज्य की रचना करते हैं, जिसे कुछ निश्चित विषयों में संप्रभु अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिन पर उसका अनन्य क्षेत्राधिकार रहता है तथा जो अवशिष्ट विषयों पर अपना क्षेत्राधिकार बनाए रखते हैं तो यह माना जाता है कि उन्होंने संघ राज्य का निर्माण कर लिया।

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संघीय राज्य के लिए अत्यावश्यक सभी प्रमुख तत्त्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। भारत न तो संयुक्त राज्य अमरीका और स्विट्जरलैण्ड की तरह एक 'परिसंघ' है और न ही दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया की तरह एक 'संघ' है, बल्कि यह "राज्यों का संघ" है। इसकी निम्नलिखित दो विशेषताएं हैं–

1. भारत कतिपय संगठनात्मक इकाईयों के समझौते का परिणाम नहीं है, और
2. कोई भी राज्य इकाई भारत से अलग होने के लिए स्वतन्त्र नहीं है। 'राज्यों का संघ' भारत को विद्यमान रूप में लाने के लिए पहले ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया और बाद में भाषायी आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया।

संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद

संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है।

अनुच्छेद 1	अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ शासित क्षेत्र और तीसरा ऐसा क्षेत्र जिसे भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित करें। वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य के उपबंध जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। राज्य और संघ क्षेत्र के नाम उनका क्षेत्र, विस्तार आदि पहली संघ अनुसूची में उल्लिखित है। भारत के कुछ राज्य हैं जिसके लिए विशेष उपबंध बनाया गया। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि। इसके अलावा दो और अनुसूची हैं पांचवी और छठी अनुसूची। जिसके अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध हैं। अनुच्छेद 1 का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार जब चाहे नए राज्य का गठन करे। किसी राज्य को समाप्त कर सकता है इसके अलावा नाम, क्षेत्र

EBD_7939

	आदि में परिवर्तन कर सकता है। और इस परिवर्तन को साधारण विधाई प्रक्रिया मानी जाएगी ना के संविधान संशोधन। भारत भविष्य में किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहण कर सकता है और उसे भारतीय क्षेत्र में शामिल कर सकता है।
अनुच्छेद 2	अनुच्छेद 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। नए राज्यों के गठन करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 2 से प्राप्त होती है। अनुच्छेद 2 का संबंध उन राज्यों से है जो भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं है। उनके प्रवेश और गठन से संबंधित नियम संसद अनुच्छेद 2 के तहत बना सकती है।
अनुच्छेद 3	अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन की शक्ति देती है। संसद राज्यों का पुनर्गठन अनुच्छेद 3 के अनुसार ही करता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी भी राज्य से उसका क्षेत्र अलग कर सकता है, उसमें कोई नया क्षेत्र मिला सकता है या उस राज्य का अस्तित्व खत्म कर सकता है और नए राज्य का निर्माण कर सकता है किसी भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत इसे करने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। इस तरह का कोई भी अध्यादेश या प्रस्ताव राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति इस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनका मत जानने के लिए भेजते हैं और राज्य विधानमंडल को निश्चित समय सीमा के भीतर अपना मत देना होता है। परंतु राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह अनिवार्यता केवल राज्य के मामले में है संघ क्षेत्र के मामले में नहीं। उपरोक्त आधार पर ही भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है।
अनुच्छेद 4	अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सम्मिलित नए राज्य या अनुच्छेद 3 के तहत सम्मिलित नए राज्य का निर्माण, सीमा के नाम में परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरह के प्रस्ताव को सामान्य बहुमत से पास किया जा सकता है और इसे साधारण विधायी प्रक्रिया मानी जाएगी।

ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण

आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी-शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश-प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश-अधीनता से आजाद हो जाएँगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े (रजवाड़ों की संख्या 565 थी) ब्रिटिश-राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएँगे। अंग्रेजी-राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएँ या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएँ रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मँडरा रहा था।

इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने पूर्णरूपेण यह व्यवस्था कर दी थी कि भारत कई खण्डों में विभाजित हो जाये, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझ-बूझ तथा लॉर्ड माउण्टबेटन की सहायता से ब्रिटिश सरकार की इस कूटनीति को सफल नहीं होने दिया गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में 542 देशी रियासतें थीं, जिनमें 539 रियासतों ने भारत में स्वेच्छा से अपना विलय कर लिया। शेष तीन रियासतों-जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर-को भारत में विलीन करने में कठिनाई हुई। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तब भारत में मिलाया गया, जब उसका शासक पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही करके भारत में मिलाया गया और जम्मू-कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी कबाइलियों के आक्रमण के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया। ब्रिटिश प्रान्तों व देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत में चार प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। ये राज्य थे-

(i) 'ए' राज्य-	216 देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रान्तों में मिलाकर 'ए' राज्यों का गठन किया गया। ये राज्य थे- असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रान्त, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र। इनकी संख्या 10 थी।
(ii) 'बी' राज्य-	275 देशी रियासतों को नयी प्रशासनिक इकाई में गठित करके 'बी' राज्य की श्रेणी प्रदान की गयी। ये राज्य थे- हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन। इनकी संख्या 8 थी।
(iii) 'सी' राज्य-	61 देशी रियासतों को एकीकृत करके 'सी' राज्य की श्रेणी में रखा गया। ये राज्य थे- अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विन्ध्य प्रदेश। इनकी संख्या 9 थी।
(iv) 'डी' राज्य	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को 'डी' राज्य की श्रेणी में रखा गया था।

राज्य पुनर्गठन आयोग

1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के समय भारत के 17 राज्य थे। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज़ी राज के दिनों के 'राज्यों' को भाषा के आधार पर करने के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की स्थापना की थी।

जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में 22 दिसम्बर, 1953 को पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के तीन सदस्य जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर थे। इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद नए राज्यों का निर्माण होना शुरु हुआ था। वर्तमान आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर, 1953 को अस्तित्व में आया जो कि भाषा (तेलुगु) के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। इसके बाद भारत के अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में इस संबंध में मांग बढ़ने लगी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस. के. धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। यद्यपि आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग का विरोध किया तथापि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। किन्तु, जब आंध्र प्रदेश का शुद्ध रूप से भाषा के आधार पर गठन हुआ, तो घर कमीशन के

सुझावों का कोई मूल्य न रहा। अत: 22 दिसम्बर, 1953 को न्यायमूर्ति जल की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग के अन्य सदस्य थे- के.एम. पनिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरू। आयोग ने 30 दिसम्बर, 1955 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की -

1. केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए,
2. राज्यों के पुनर्गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं, पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताओं को भी ध्यान में रखा जाए,
3. भाग 'क','ख','ग','घ' राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए।

भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को संशोधनों के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में स्वीकार किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत को चौदह राज्य और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। चौदह राज्य थे - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पांच संघ राज्य क्षेत्र थे - दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह।

1956 में फ्रांस की सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर करके चन्द्रनगर, माहे, यनम और करैकल, जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, को अर्जित कर छठे संघ राज्य क्षेत्र 'पांडिचेरी' का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा 1961 में सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा, दमन तथा दीव को जीतकर भारत में मिला लिया गया और उसे सातवां संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया।

राज्यों के सम्बंधित विभिन्न आयोग

धर आयोग:

- धर आयोग का गठन जून 1948 में हुआ। इनकी अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया।
- इस आयोग ने सिफारिशें की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए परंतु इस सिफारिश पर बहुत अधिक विवाद हो गया।
- इसके उपरांत 1948 में एक और समिति जे. वी. पी. समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे।
- इन्होंने कहा राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए परंतु मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक् कर आंध्र प्रदेश बनाने का आंदोलन बहुत ही जोर शोर से चल रहा था और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया और सरकार को मजबूरन अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा।

फजल अली आयोग:

- आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ती गई इसीलिए फजल अली आयोग के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया।
- फजल अली आयोग 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें दो और सदस्य के. एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे।
- उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए परंतु एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया।
- इन्होंने राज्य के पुनर्गठन के लिए देश की एकता, सुरक्षा, सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक तथा प्रशासनिक सुगमता तथा कल्याण की योजना को आधार बनाया।
- फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सुझाव दिया।
- इस आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों का क, ख, ग में विभाजन को खत्म कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया।

भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गयी थी। सर्वप्रथम 1912 में भाषायी आधार पर तीन राज्यों, बिहार, उड़ीसा, तथा असम का गठन किया गया था। भाषायी आधार पर तेलुगु राज्य की स्थापना की मांग करने के लिए 1913 में आन्ध्र महासभा की स्थापना की गयी थी। 1918 में माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार लागू करने के समय भाषायी आधार पर राज्यों के गठन के सम्बन्ध में विचार करके इसके औचित्य को मान्यता प्रदान कर दी गयी थी। 1930 में गठित भारतीय कानून आयोग ने भी जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक हित तथा भौगोलिक समानता के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मान्य करते हुए 1936 में सिन्ध प्रान्त का गठन किया गया। स्वतन्त्रता के पूर्व तथा बाद में भारत का प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, राजनीतिक कारणों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग का समर्थन करता था। इस दल ने तेलुगु, कन्नड़ तथा मराठी भाषी जनता के दबाव में आकर 27 नवम्बर, 1947 को राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन की माँग को मान लिया तथा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. के. धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। आयोग का कार्य विशेषकर दक्षिण भारत में उठी। इस माँग की जाँच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। आयोग ने 10 दिसम्बर, 1948 को 56 पृष्ठीय अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को प्रस्तुत की जिसमें भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया था, जबकि उसके द्वारा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया गया था।

उपर्युक्त आयोग की रिपोर्ट का तीव्र विरोध हुआ। फलस्वरूप कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभिसीतारमैया की एक समिति (जे.बी.पी. समिति) गठित की। इस समिति ने 1 अप्रैल, 1949 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लोकतान्त्रिक देश होने के कारण व्यापक जनभावना का आदर करते हुए इस माँग को स्वीकार कर लेना चाहिए। समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद मद्रास राज्य में रहने वाले तेलुगु भाषियों द्वारा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया। इस आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले पोट्टी श्री रामुल्लू आमरण अनशन पर बैठ गये और 56 दिन के लगातार आमरण अनशन के बाद 15 दिसम्बर, 1952 को उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु के बाद आन्दोलन तीव्र हो गया। फलस्वरूप

19 दिसम्बर, 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक् आन्ध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। इस प्रकार 1 अक्टूबर, 1953 को आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो स्वतन्त्र भारत में भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था।

अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

भारत यदि कोई भूमि अर्जित करता है या विजित करता है या संधि करता है, तो वह उसे किसी नए राज्य के रूप में या पूर्व में स्थापित राज्यों के अंतर्गत शामिल कर सकता है।

नए राज्य के निर्माण के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित चार अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत कार्य किया जाएगा–

- अभ्यर्पण–किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे।
- उपवृद्धि–प्राकृतिक कारणों से यदि किसी दूसरे राज्य का राज्यक्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए तो वह भारतीय भूमि कहलाती है।
- आवेशन–जब राज्य किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो उस स्थान पर यदि संप्रभुता स्थापित हो जाए, तो वह भूमि भारतीय भूमि कहलाएगी।
- लम्बे समय तक बना रहना–जब किसी राज्य पर भारत लम्बे समय तक शांति कायम रखे और उसका कोई संप्रभु ना हो तो वह भारत की भूमि होगी, परंतु यदि भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो वहाँ पर ये विधियां लागू नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री मंडल स्वत: निर्णय लेगा। जैसे–गोवा और पॉण्डिचेरी को 1971 में भारत में शामिल किया गया।

नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि यह राज्यों, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित है, के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद सामान्य बहुमत अथवा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा नए राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन या नाम बदल सकती है, लेकिन इससे पूर्व नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्यों को विधेयक विचारार्थ भिजवाता है। राज्य का विधानमण डल विधेयक पर विचार-विमर्श करके अपने सुझावों सहित विधेयक को निर्धारित अवधि में वापस कर देता है। सुझावों को मानना संसद के लिए आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा विचार-विमर्श की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन, यदि राज्य इस विधेयक को निर्धारित अवधि में प्रेषित नहीं करता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में ऐसे ही प्रस्तुत करवा सकता है। जम्मू-कश्मीर राज्य में इस आशय का विधेयक पारित होना अनिवार्य है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन में नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं।

1. संबंधित राज्य विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है।
3. अहम मसलों पर विचार के लिए मंत्रि समूह का गठन किया जाता है।
4. मंत्रि समूह की सिफारिश पर केंद्र विधेयक का एक मसौदा तैयार करता है जिस पर कैबिनेट की दोबारा स्वीकृति ली जाती है।
5. सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे संबंधित विधानसभा में उसके सदस्यों की राय जानने के लिए भेजते हैं। राय जानने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समयावधि तय की जाती है।
6. बिल के मसौदे को वापस केंद्र के पास आने पर राज्य के विधायकों की राय को शामिल करते हुए गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है।
7. राज्य पुनर्गठन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए अंतिम रूप से भेजा जाता है। तत्पश्चात इसे संसद में पेश किया जाता है। जहां इसे दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है।
8. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नया राज्य गठित हो जाता है।

वर्ष जिसमें राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ	राज्य का नाम
1969	असम
1969	नागालैंड
1969	जम्मू-कश्मीर
1971	हिमाचल प्रदेश
1972	मणिपुर
1972	मेघालय
1972	त्रिपुरा
1975-76	सिक्किम
1986-87	मिजोरम
1986-87	अरुणाचल प्रदेश
2001	उत्तरांचल

राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा पुनर्गठित राज्य

- असम सीमा परिवर्तन अधिनियम, 1951 के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र से एवं भूटान को सौंपकर असम की सीमा में परिवर्तन किया गया।
- आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 के द्वारा संविधान के प्रारम्भ के समय विद्यमान मद्रास राज्य से कुछ राज्यक्षेत्र निकाल कर, आंध्र प्रदेश नामक नया राज्य बनाया गया।
- हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 से हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर, इन दो भागों का विलय कर एक राज्य अर्थात् हिमाचल प्रदेश बनाया गया।
- बिहार और पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 1956 द्वारा कुछ राज्य क्षेत्र बिहार से पश्चिमी बंगाल को अंतरित किए गए।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं में स्थानीय और भाषाई मांगों को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया गया। विद्यमान राज्यों के बीच कुछ राज्यक्षेत्रों को अंतरित किया गया। इसके अतिरिक्त एक नया केरल राज्य बनाया गया और मध्य भारत, पेप्सू, सौराष्ट्र ट्रावनकोर, कोचीन, अजमेर, भोपाल, कोड़गू, कच्छ और विंध्य प्रदेश की रियासतों का उनसे लगे हुए राज्यों में विलय कर दिया गया।

EBD_7939

- राजस्थान और मध्य प्रदेश अधिनियम, 1959 द्वारा राजस्थान राज्य से कुछ राज्य क्षेत्र मध्यप्रदेश को अंतरित किए गए।
- आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1959 द्वारा आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किए गए।
- बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 द्वारा बंबई राज्य को विभाजित करके गुजरात को नया राज्य बनाया गया और बंबई के बचे हुए राज्य को महाराष्ट्र नाम दिया गया।
- अर्जित राज्यक्षेत्र अधिनियम, 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच 1958-1959 में किए गए समझौते द्वारा अर्जित कुछ राज्यक्षेत्रों का असम, पंजाब और पश्चिमी बंगाल राज्यों में विलय के लिए उपबंध किया गया।
- नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य की रचना की गई, जिसमें "नगा पहाड़ी और त्युएनसांग क्षेत्र" का राज्य क्षेत्र समाविष्ट किया गया।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के द्वारा 1 नवम्बर, 1966 से पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा राज्यों में और चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा गया।
- आंध्र प्रदेश और मैसूर अधिनियम, 1968 (राज्य क्षेत्र अंतरण)।
- बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968
- असम पुनर्गठन अधिनियम, 1969 द्वारा असम राज्य के भीतर मेघालय नाम का स्वशासी। उपराज्य बनाया गया।
- हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्यों के प्रवर्ग में सम्मिलित किया गया और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया।
- हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979
- मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया।
- अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986
- गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987
- मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा नया छत्तीसगढ़ राज्य बना।
- उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा उत्तरांचल राज्य बना।
- बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा झारखंड राज्य बना।
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक द्वारा 1 मार्च, 2014 को तेलंगाना राज्य बना।

वर्तमान समय में उक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं।

राज्य:

1. आंध्र प्रदेश, 2. अरुणाचल प्रदेश, 3. असम, 4. उत्तराखंड, 5. बिहार, 6. गोवा, 7. गुजरात, 8. छत्तीसगढ़, 9. झारखंड, 10. हरियाणा, 11. हिमाचल प्रदेश, 12. जम्मू-कश्मीर, 13. कर्नाटक, 14. केरल, 15. महाराष्ट्र, 16. मध्य प्रदेश, 17. मणिपुर, 18. मेघालय, 19. मिजोरम, 20. नागालैण्ड, 21. उड़ीसा, 22. पंजाब, 23. राजस्थान, 24. सिक्किम, 25. तमिलनाडु, 26. त्रिपुरा, 27. उत्तर प्रदेश, 28. पश्चिम बंगाल, 29. तेलंगाना

संघ राज्य क्षेत्र:

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 2. चंडीगढ़, 3. दादरा और नगर हवेली, 4. दमन और दीव, 5. दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), 6. लक्षद्वीप, 7. पांडिचेरी।

क्षेत्रीय परिषदें

- क्षेत्रीय परिषदों के सृजन का विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस समय रखा गया जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही थी।
- उन्होंने सुझाव दिया कि पुनर्गठित किए जाने के लिए प्रस्तावित राज्यों को चार या पांच अंचलों में समूह-बद्ध किया जाए जिसमें इन राज्यों के बीच 'सहयोग पूर्ण ढंग से कार्य करने की आदत विकसित' करने के लिए सलाहकार परिषद् हो।
- पंडित नेहरू द्वारा यह सुझाव उस समय दिया गया जब भाषाई पद्धति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भाषाई कड़वाहट हमारे राष्ट्र की मूल भावना के लिए खतरा बन गई थी।
- इस स्थिति के हल के रूप में सुझाव दिया गया कि इन विद्वेषों के प्रभाव को कम करने और अंतर-राज्य समस्याओं को हल करने की दृष्टि से स्वस्थ अंतर-राज्य और केन्द्र-राज्य वातावरण का सृजन करने तथा संबंधित अंचलों का संतुलित-सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए एक उच्च स्तरी सलाहकार फोरम स्थापित किया जाना चाहिए।
- भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन 21 दिसम्बर, 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत को चार या पांच बड़े क्षेत्रों में विभाजित करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों को गठित करने का सुझाव दिया।
- बाद में क्षेत्रीय परिषदों के गठन के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में प्रावधान किया गया। इस धारा के अनुसार, भारत में चार क्षेत्रीय परिषदों, यथा-उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र, का गठन किया जाना था। लेकिन नये राज्यों के निर्माण के कारण क्षेत्रीय परिषदों की संख्या बढ़कर 5 कर दी गयी।

क्षेत्रीय परिषदें तथा उनके शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण

क्षेत्रीय परिषदें तथा उनके शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है -

(i) उत्तर क्षेत्रीय परिषद्	जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्य और चण्डीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली।
(ii) मध्य क्षेत्रीय परिषद्	उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य।
(iii) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्	बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम राज्य।
(iv) पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्	गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा राज्य और दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र।
(v) दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्	आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य एवं पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र।

क्षेत्रीय परिषदों का गठन

भारत का राष्ट्रपति इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन करता है तथा इनमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं-

- भारत सरकार का गृह मंत्री अथवा संघ सरकार का कोई अन्य मंत्री, जिसे राष्ट्रपति ने इस निमित्त मनोनीत किया है।
- क्षेत्रीय परिषदों के अधीन आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री।
- क्षेत्रीय परिषद् से सम्बन्धित प्रत्येक राज्य की सरकार के दो-दो ऐसे मंत्री, जिन्हें राज्यपाल इस प्रयोजन हेतु नामजद करें।
- संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य।
- योजना आयोग के सदस्य (सलाहकार के रूप में)।
- क्षेत्रीय परिषद् में शामिल राज्यों के मुख्य सचिव (सलाहकार के रूप में)।

प्रत्येक परिषद् का अध्यक्ष भारत सरकार का गृहमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई अन्य केन्द्रीय मंत्री होता है। सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और उद्देश्य

क्षेत्रीय परिषदें एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं जहाँ पर केन्द्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों की आपसी अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार-विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। सलाहकारी निकाय होने के नाते, उनकी बैठकों में विचारों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आदान-प्रदान की पूर्ण गुंजाईश होती है। हालांकि केन्द्र सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय विकास परिषद्, अन्तर-राज्यीय परिषद्, राज्यपालों/मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन तथा अन्य आवधिक उच्च-स्तरीय सम्मेलनों जैसे बड़ी संख्या में अन्य मंच मौजूद हैं, परन्तु क्षेत्रीय परिषदें विषय-वस्तु एवं प्रकृति दोनों ही रूपों में भिन्न हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के क्षेत्रीय मंच हैं। संक्षिप्त उच्च स्तरीय निकाय होने और विशेष रूप से संबंधित क्षेत्रों के हितों की देखरेख करने के लिए अभिप्रेत होने के नाते, यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सक्षम है।

क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

- राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना;
- तीव्र राज्य संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना;
- केन्द्र एवं राज्यों को विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए सक्षम बनाना;
- विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना।

क्षेत्रीय परिषदों के कार्य

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् की एक सलाहकारी निकाय है और यह किसी भी मामले पर विचार कर सकती है जिसमें उस परिषद् में भागीदारी करने वाले कुछेक अथवा समस्त राज्यों या केन्द्र एवं उस परिषद् में भागीदारी करने वाले एक अथवा अधिक राज्यों का सामान्य हित होता है और यह केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार को सलाह देती है कि ऐसे प्रत्येक मामले पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

विशेष रूप से, एक क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित के संबंध में विचार कर सकती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती हैं:

- आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई मामला;
- सीमा विवादों, भाषायी अल्पसंख्यकों अथवा अन्तर-राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई मामला; तथा
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अथवा उसके संबंध में उठने वाला कोई मामला।

क्षेत्रीय परिषदों का सचिवालय

निकाय द्वारा स्वयं ही क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय का गठन भी किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 19 क्षेत्रीय परिषदों के कर्मचारियों से संबंध रखती है जबकि धारा 20 परिषद् के कार्यालय तथा इसके प्रशासनिक व्यय से संबंध रखती है।

क्षेत्रीय परिषदों का कार्यालय:

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद् का कार्यालय क्षेत्र के अंदर ऐसी जगह पर स्थित होना चाहिए जैसा कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए। तथापि, समस्त क्षेत्रीय परिषदों के कार्य की देखरेख करने वाला एक एकल सचिवालय नई दिल्ली में कार्यरत है। यह सचिवालय 9/11, जामनगर हाउस, नई दिल्ली में स्थित है और यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय केन्द्र-राज्य, अन्तर-राज्यीय तथा क्षेत्रीय मामलों का पता लगाते हैं जिन पर परिषदों अथवा स्थायी समितियों द्वारा विचार-विमर्श किया जाना होता है। सचिवालय, यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष एवं अन्य केन्द्रीय मंत्रियों/मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, परिषदों/स्थायी समितियों की सिफारिशों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई भी करता है।

क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय की संगठनात्मक संरचना

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 19(1) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् में सचिवालय कर्मचारी होंगे जिसमें एक सचिव, एक संयुक्त सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जिन्हें नियुक्त करना अध्यक्ष महोदय आवश्यक समझते हों।

ऐसी क्षेत्रीय परिषदों में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के मुख्य सचिव बारी-बारी से संबंधित परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करते हैं, जो एकबारगी एक साल की अवधि के लिए पद पर होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के संयुक्त सचिव अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं।

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-1

1. 'ऐकिक' अथवा 'परिसंघीय' के रूप में सरकार का वर्गीकरण आधारित है
   (a) केन्द्र तथा राज्य के मध्य पद सम्बन्ध पर
   (b) विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य सम्बन्ध पर
   (c) विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य सम्बन्ध पर
   (d) प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति के मध्य सम्बन्ध पर
2. भारतीय संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नये राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है?
   (a) अनुच्छेद 1 (b) अनुच्छेद 2
   (c) अनुच्छेद 3 (d) अनुच्छेद 4
3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्य विधान-मंडलों के अनुमोदन हेतु कब भेजा जाता है?
   (a) राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात्
   (b) राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व
   (c) संसद के अनुमोदन से पूर्व
   (d) संसद के अनुमोदन के बाद
4. नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन गलत है?
   (a) राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिर्वतन के संदर्भ में कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पुर:स्थापित नहीं किया जायेगा।
   (b) विधेयक के पुर:स्थापन से पहले विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबद्ध राज्य के विधानमण्डल को अपना मत व्यक्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।
   (c) संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए आबद्ध है।
   (d) नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन सादे बहुमत से पारित विधि द्वारा होता है।
5. निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है?
   (a) केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा
   (b) पूर्ण रूप से लिखित संविधान
   (c) एकहरी नागरिकता
   (d) स्वतंत्र न्यायपालिका

अभ्यास प्रश्न-2

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारत विभक्त राज्यों का एक अविभाज्य संघ है।
   2. 'भारत का संघ' अभिव्यक्ति में सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) । और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
2. निम्नलिखित में कौन-से भारतीय संविधान की मूल सरंचना के भाग हैं?
   1. संसदीय प्रणाली 2. कल्याणकारी राज्य
   3. न्याय तक पहुँच 4. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4
3. निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान संघवाद को सशक्त करते हैं?
   1. एकीकृत न्यायपालिका 2. कठोर संविधान
   3. विधि का शासन 4. आपातकालीन प्रावधान
   5. द्विसदनीय व्यवस्था

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1, 2 और 5
   (b) केवल 2, 3 और 5
   (c) केवल 2 और 5
   (d) 1, 2, 3, 4 और 5
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. संविधान के भाग-1 में भारतीय संघ और उसके राज्यक्षेत्र का वर्णन है।
   2. ब्रिटिश भारत में 29 प्रान्त थे।
   3. 565 देशी रियासतों में से 542 रियासतें भारत में शामिल हो गई।
   4. स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ब्रिटिश प्रान्तों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
5. नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों दो में परिवर्तन के सम्बन्ध में संसद की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए
   1. किसी राज्य में से उसके राज्यक्षेत्र को अलग करके या दो-या-दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकेगी।
   2. किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकेगी।
   3. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकेगी।
   4. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) 1, 2, 3 और 4 (b) 2 और 4
   (c) 1 और 3 (d) 2, 3 और 4

EBD_7939

6. निम्नलिखित पर विचार कीजिए
   1. फजल अली आयोग
   2. धर आयोग
   3. जे वी पी समिति

   उपरोक्त राज्य पुनर्गठन आयोगों के गठन का सही क्रम क्या है?

   (a) 2, 1, 3 (b) 1, 2, 3
   (c) 2, 3, 1 (d) 3, 2, 1

7. भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताओं के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. शक्तियों का विभाजन (Division of Powers)
   2. स्वतन्त्र न्यायपालिका
   3. प्रधानमन्त्री का नेतृत्व
   4. लिखित संविधान

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

   (a) 2, और 3 (b) 1, 3 और 4
   (c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 4

8. संघ (Union) और अधिसंघ (Federation) में अन्तरों पर विचार कीजिए
   1. संघ में केन्द्र व राज्य के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, जबकि अधिसंघ में घनिष्ठ विधिक सम्बन्ध न होकर सन्धि से संघ का जन्म होता है।
   2. संघ में सामान्यत: राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, जबकि अधिसंघ का बन्धन ढ़ीला होता है, जिससे राज्य अलग हो सकते हैं।
   3. संघ के राज्य प्रभुत्व सम्पन्न निकाय नहीं होते, जबकि अधिसंघ के राज्य प्रभुत्व सम्पन्न निकाय होते हैं।
   4. संघ में व्यक्ति और राज्य के बीच नागरिकता के माध्यम से विधिक सम्बन्ध होता है, जबकि अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं। अधिसंघ के नहीं।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

   (a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3
   (c) 1, 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

9. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ नहीं हैं?
   1. संविधान की सर्वोच्चता
   2. अखिल भारतीय सेवाएँ
   3. एकल नागरिकता
   4. स्वतन्त्र न्याय पालिका
   5. द्वि-सदनीय विधानसभा/संसद
   6. संगठित न्यायपालिका

   कूट

   (a) 1, 4 और 5
   (b) 1, 5 और 6
   (c) 2, 3 और 6
   (d) 2, 3 और 4

10. भारत में संघीय व्यवस्था से सम्बन्धित निम्न कथनों में से कौन-सा सही है?
    1. संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है।
    2. एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है।
    3. दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएँ प्रभुतासम्पन्न हैं।
    4. विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाईयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं।

    कूट

    (a) केवल 1 (b) 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3 (d) ये सभी

11. इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है?
    1. संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बँटवारा।
    2. अवशिष्ट अधिकार जो की संघ में शामिल है।
    3. नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालक का अस्तित्व।

    कूट

    (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
    (c) 1 और 3 (d) ये सभी

12. नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के सम्बन्ध में संसद की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए-
    1. किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकेगी।
    2. किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकेगी।
    3. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकेगी।
    4. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    (a) ।, 2, 3 और 4 (b) 2 और 4
    (c) 1 और 3 (d) 2, 3 और 4

13. भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्रों को अर्जित कर भारत संघ में शामिल कर सकता है?
    1. अभ्यर्पण द्वारा
    2. संधि एवं समझौतों द्वारा
    3. विधिक न्यायगम द्वारा

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही हैं?

    (a) केवल 1 (b) 1 और 2
    (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

14. निम्न कथनों पर विचार करें।
    1. अनुच्छेद 1 के तहत् भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है।
    2. शेष तीन रियासतें-जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू-कश्मीर का विलय भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् हुआ।
    3. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को साधारण विधि द्वारा नये राज्यों के निर्माण की शक्ति प्रदान की गयी है।
    4. भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन हुआ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

15. भारतीय संघ प्रणाली के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूटों में से सही कूट की पहचान कीजिए-

1. भारत में इकहरी नागरिकता का प्रयोजन किया गया है।
2. राज्य अपनी इच्छा से संघ से अलग नहीं हो सकते।
3. भारत में कर लगाने की शक्ति केवल संघीय सरकार के पास है, राज्यों के पास नहीं है।
4. भारत में संघ और राज्य के रूप में दो राजव्यवस्था का उल्लेख है।

कूट:

(a) 1, 2, 3 (b) 1, 2, 4

(c) 1, 3, 4 (d) 2, 3, 4

16. भारतीय परिसंघ में केन्द्र की ओर प्रबल झुकाव (Strong Inclination) है जो परिसंघ प्रणाली के विपरीत माना जाता है, फिर भी यह प्रवृत्ति भारत के लिये वरदान साबित हुई है। साम्प्रदायिकता और भाषावाद की पृथक्तावादी शक्तियाँ और सत्ता पाने की भाग दौड़-केन्द्रीय नियंत्रण के होते हुए भी संविधान के कार्यकरण के छह दशक बाद भी संकट उत्पन्न कर रही है। प्रबल केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति होते हुए भी परिसंघीय प्रणाली पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में परिसंघीय प्रणाली के बने रहने का सर्वाधिक निश्चायक साक्ष्य केन्द्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, उससे भिन्न राजनीतिक दलों की राज्यों में होना है।
2. नए क्षेत्र लगातार राज्य बनने की मांग कर रहे हैं।
3. राज्यों द्वारा और अधिक वित्तीय शक्तियों के लिये किया जाने वाला आन्दोलन है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन इस बात का साक्ष्य है/हैं कि परिसंघीय प्रणाली मिट नहीं सकी है-

(a) तीनों सही हैं (b) 1 और 2 सही हैं

(c) 1 और 3 सही हैं (d) तीनों गलत हैं।

17. संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) के संदर्भ में निम्नलिखित कौन-सा वक्तव्य सही है?

1. संसदीय लोकतंत्र
2. वैधानिक प्रकिया
3. स्पीकर पद का पक्षपातरहित होना
4. संविधान की सर्वोच्चता

कूट:

(a) 1, 4 (b) 1, 2, 3

(c) 1, 3 (d) उपरोक्त सभी

18. संघ (Union) और अधिसंघ (Federation) में अन्तरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।

1. संघ में केन्द्र व राज्य के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है जबकि अधिसंघ में घनिष्ठ विधिक सम्बन्ध न होकर संधि से संघ का जन्म होता है।
2. संघ में सामान्यत: राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, जबकि अधिसंघ का बंधन ढीला होता है जिससे राज्य अलग हो सकते हैं।
3. संघ के राज्य प्रभुत्व सम्पन्न निकाय नहीं होते जबकि अधिसंघ के राज्य प्रभुत्व सम्पन्न निकाय होते हैं।
4. संघ में व्यक्ति और राज्य के बीच नागरिकता के माध्यम से विधिक सम्बन्ध होता है जबकि अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं अधिसंघ के नहीं।

कूट:

(a) 1, 2, 3, 4 (b) 1, 2, 3

(c) 1, 3, 4 (d) 2, 3, 4

19. भारतीय संविधान की परिसंघ प्रणाली (Federal System) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. शक्तियों पर एक सामान्य विभाजन जिसके अधीन राज्यों को अपने क्षेत्र के भीतर स्वायत्तता मिली हुई है।
2. राज्यों को राजस्व प्राप्त करने की शक्ति भी है।
3. राष्ट्रीय एकता और प्रबल संघ सरकार की आवश्यकता है जो संविधान के कार्यकरण के 58 वर्ष बाद भी बुद्धिमान लोग आवश्यक समझते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) 1 और 3 सही हैं

(b) 2 और 3 सही हैं

(c) 1 और 2 सही हैं

(d) तीनों सही हैं

20. भारत किस प्रकार अन्य राज्यक्षेत्रों को अर्जित कर भारत संघ में शामिल कर सकता है?

1. अभ्यर्पण द्वारा
2. संधि एंव समझौतों द्वारा
3. विधिक न्यायगम द्वारा

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) केवल 3 (d) 1, 2, और 3

21. निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइये कि इनमें से कौन सही है?

1. संविधान में "यूनियन ऑफ स्टेट्स" शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।
2. एस. के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी।
3. पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी, राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

EBD_7939

22. एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्न में कौन-से शामिल होते हैं?
    1. समन्वय के लिए तंत्र
    2. राज्यों के मध्य संबंध
    3. संघ और राज्यों के बीच संबंध
    4. विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र

    निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
    (a) 1, 2 और 3
    (b) 2, 3 और 4
    (c) 1, 3 और 4
    (d) 1, 2, 3 और 4

23. भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबध में निम्मलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार (परिधि) से परे है।
    2. यह जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है।
    3. यह संसद की संविधानी शक्तियों के अंतर्गत शामिल है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) 1 और 3 (b) 1 और 2
    (c) केवल 1 (d) 2 और 3

24. भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं-
    1. यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है।
    2. इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है।
    3. सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।
    4. यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है।

    नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
    (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
    (c) 2, 3 और 4 (d) सभी चारों

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(a)	**2**	(c)	**3**	(d)	**4**	(c)	**5**	(c)										

अभ्यास-2

1	(a)	**2**	(d)	**3**	(c)	**4**	(b)	**5**	(b)	**6**	(c)	**7**	(d)	**8**	(a)	**9**	(c)	**10**	(b)
11	(b)	**12**	(b)	**13**	(d)	**14**	(d)	**15**	(b)	**16**	(a)	**17**	(a)	**18**	(a)	**19**	(d)	**20**	(d)
21	(b)	**22**	(d)	**23**	(c)	**24**	(b)												

नागरिकता

4
अध्याय

किसी राज्य में नागरिकता का मूल स्वरूप उस राज्य और समाज के साथ व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के स्वरूप द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति को अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों, कत्तव्यों और दायित्वों का बोध होता है और यही बोध उसे उस राज्य की नागरिकता का अहसास कराता है।

नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता है। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ-साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किये हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय, रूसी या जापानी कहा जाता है। इन महत्वपूर्ण अधिकारों में मताधिकार अभिव्यक्ति या आस्था की आजादी व सामाजिक-आर्थिक अधिकार शामिल है। सम्पूर्ण और समान सदस्यता का अर्थ है कि नागरिकों को देश में जहां चाहे पढ़ने रहने व काम करने की समान अधिकार है। आज भीतरी व बाहरी के झगड़े ने कुछ लोगों से उनका यह अधिकार छीन रखा है। ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि वार्ता और विचार-विमर्श से किया जाना चाहिये।

समान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार व सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। नीतियाँ तैयार करते समय लोगों की विभिन्न जरूरतों व दावों का ध्यान रखा जाना चाहिए। भारतीय संविधान विविधतापूर्ण समाज को समायोजित किया जिनमें अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, विभिन्न समुदाय, अधिकारों से वंचित महिलाओं आदि को पूर्ण व समान नागरिकता देने का प्रयास किया है।

नागरिकता का अर्थ

नागरिकता किसी व्यक्ति का किसी राजनैतिक समुदाय के साथ संबंधों का ही नाम है। यह ऐसे समुदायों की पूर्ण और समान सदस्यता का ही प्रतीक है। नागरिक शब्द से अभिप्राय है- वह व्यक्ति, जिसे राज्य की ओर से नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और जिसे राज्य के प्रति कुछ कर्त्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। इसके विपरीत, विदेशी वे व्यक्ति होते हैं जो किसी राज्य में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से निवास करते हैं, लेकिन वे उस राज्य के नागरिक नहीं होते। उदाहरण के लिए, हजारों भारतीय श्रीलंका और दक्षिणी अफ्रीका में जाकर वहां बस गए हैं। इनमें से बहुत-से लोगों को वहां की सरकार ने नागरिकता के अधिकार प्रदान कर दिए हैं, किन्तु फिर भी वहां वे विदेशी ही माने जाते हैं। वे वहां पीढ़ियों से रह रहे हैं, परन्तु जब तक वहां की सरकार उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं करती, वे वहां के नागरिक नहीं माने जाएंगे। नागरिकों की भांति विदेशी भी कई तरह के अधिकारों के हकदार होते हैं। उनके जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना राज्य का कर्त्तव्य होता है।

नागरिक की परिभाषाएँ

प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तू ने नागरिक की परिभाषा इन शब्दों में की थी, "एक नागरिक वह है, जिसने राज्य के शासन में कुछ भाग लिया हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग कर सके।"

भले ही तत्कालीन परिस्थितियों में अरस्तु की उपर्युक्त परिभाषा सटीक रही हो, लेकिन अरस्तू की यह परिभाषा आधुनिक काल में अपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आज नगर-राज्यों का स्थान विशाल राज्यों ने ले लिया है। फलत: 'नागरिक' शब्द का अर्थ भी बहुत अधिक व्यापक हो गया है। आधुनिक विद्वानों ने 'नागरिक' शब्द की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी है।

लॉस्की के अनुसार, "नागरिक केवल समाज का एक सदस्य ही नहीं है, वरन् वह कुछ कर्त्तव्यों का यान्त्रिक रूप से पालनकर्ता तथा आदेशों का बौद्धिक रूप से ग्रहणकर्ता भी है।"

गैटिल के अनुसार, "नागरिक समाज के वे सदस्य हैं, जो कुछ कर्त्तव्यों द्वारा समाज से बँधे रहते हैं, जो उसके प्रभुत्व को मानते हैं और उससे समान रूप से लाभ उठाते हैं।"

सीले के अनुसार, "नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं, जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो, उसे सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और जन-सेवा की भावना से प्रेरित हो।"

नागरिक और विदेशी में अन्तर

भारत के नागरिक

भारत का संविधान पूरे भारत वर्ष के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी 1950) भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था और (क) जिसका जन्म भारत में हुआ है या (ख) उसके माता पिता में से एक भारत में जन्म लिया हो या (ग) जो कम-से-कम पांच वर्षों तक साधारणत: भारत में रहा है, वह भारत का नागरिक हो गया। नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, निर्धारण और रद्द करने की संबंध में है।

संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएँ दी गई हैं तथा अनुच्छेद 9, 10 और 11 में भी इस संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं–

1. अनुच्छेद 5 (क): इस अनुच्छेद के अनुसार वह व्यक्ति, जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा है-चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, भारत का नागरिक है।

EBD_7939

2. अनुच्छेद 5 (ख) और (ग): वह व्यक्ति, जिसके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्मा था या संविधान के लागू होने के ठीक पाँच वर्ष पूर्व से मामूली तौर से भारत के राज्यक्षेत्र का निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा।
3. अनुच्छेद 6: अनुच्छेद 6 के अनुसार ऐसा व्यक्ति, जो इस समय (26 जनवरी 1950) पाकिस्तानी राज्यक्षेत्र के अंतर्गत है, ने भारत में प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक समझा जाएगा।
   (क) वह या उसके माता या पिता अथवा पितामह या मातामह में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियम) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था।
   (ख) (i) वह व्यक्ति, जिसने 19 जुलाई, 1948 से पूर्व ऐसा प्रव्रजन किया है और वह उस तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है।
   (ii) वह व्यक्ति, जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् ऐसा प्रव्रजन किया हो और नागरिकता प्राप्ति के प्रयोजन के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो।
   (iii) किन्तु वह व्यक्ति, इस प्रकार पंजीकृत नहीं किया जाएगा जो नागरिकता के अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले न्यूनतम छह मास तक भारत-राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं रहा हो।
4. अनुच्छेद 7: अनुच्छेद 7 के अनुसार वह व्यक्ति, जो 1 मार्च, 1947 के पश्चात् पाकिस्तान से आव्रजन होकर भारत आया है और उसने अनुच्छेद 6 (ख) के अधीन अपने आपको पंजीकृत करा लिया हो, भारत का नागरिक होगा।
5. अनुच्छेद 8: वह व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके माता-पिता या पितामह 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित प्रावधान के अनुसार भारत में जन्मा हो या था, किन्तु जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, विहित रूप में भारत के कौंसली या राजनयिक प्रतिनिधि को आवेदन करने पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा।
6. अनुच्छेद 9: यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा।
7. अनुच्छेद 10: प्रत्येक वह व्यक्ति, जो नागरिकता विधि के उपबन्धों के अधीन नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाई विधियों के अन्तर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा।

इस अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद का यह अधिकार नागरिकता प्राप्ति से लेकर नागरिकता समाप्ति तक के सभी विषयों से संबंधित है।

नागरिकता अधिनियम, 1955

संविधान के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार निम्न प्रकार से भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है-

1. जन्म द्वारा नागरिकता

वह व्यक्ति, जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात् हुआ हो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, किन्तु नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात् भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति तब भारत का नागरिक होगा, जबकि उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो।

2. आव्रजन द्वारा नागरिकता

26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात् भारत के बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति को आव्रजन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, यदि उसके माता-पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

3. पंजीकरण द्वारा नागरिकता

भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति, जो भारतीय नागरिकता पंजीकरण करने से पहले कम-से-कम छह मास तक या पाँच वर्ष तक मामूली तौर पर भारत के नागरिक रहे हों तथा वे स्त्रियाँ, जिनका विवाह भारत के किसी नागरिक के साथ हुआ हो, भारत के नागरिक होंगे। भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे तथा राष्ट्रमंडल के राज्यों के तथा आयरलैंड गणराज्य के वयस्क और स्वस्थ्य बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे।

4. देशीयकरण द्वारा नागरिकता

कोई विदेशी व्यक्ति, देशीयकरण के लिए भारत सरकार को आवेदन करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए उसे निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

(क) वह व्यक्ति, जो वयस्क हो चुका हो तथा प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं हो, तो वह भारत सरकार को नागरिकता के लिए आवेदन पत्र दे सकता है।
(ख) केन्द्रीय सरकार भी कुछ शर्तों की संतुष्टि के आधार पर उसे देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रमाण-पत्र देगी, जैसे -
   (i) वह सच्चरित्र व्यक्ति हो।
   (ii) वह राजनिष्ठा की शपथ ग्रहण करे।
   (iii) उसे भारतीय संविधान में उल्लिखित किसी भी एक भारतीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो।
   (iv) उस व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो तथा इस बात की सूचना केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध करवाई हो।
   (v) वह ऐसे किसी देश का नागरिक न हो जहाँ भारतीयों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता दिए जाने पर रोक हो।
   (vi) देशीयकरण के लिए आवेदन से पूर्व 12 वर्ष तक भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार यदि उचित समझे तो इस अवधि को घटा सकती है।
   (vii) उक्त 12 वर्षों के पहले के कुल सात वर्षों में से कम-से-कम चार वर्षों तक भारत में या भारत सरकार की सेवा में रहा हो।
(ग) यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति, दर्शन अथवा मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे बिना किसी शर्त को पूर्ण किए भी देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

5. राज्यक्षेत्र में विलयन से प्राप्त नागरिकता

किसी अन्य राज्य क्षेत्र के भारत में मिल जाने पर उस राज्यक्षेत्र के नागरिकों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट करने पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

भारतीय नागरिकता का स्थगन

जिस प्रकार कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उसे कुछ निश्चित नियम एवं शर्तें पूरी करनी होती हैं। उसी प्रकार कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में नागरिकता का लोप हो सकता है-

परित्याग

परित्याग एक स्वैच्छिक कार्य है, जिसके तहत् कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता धारण करने के लिए भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ सकता है।

पर्यवास

पर्यवास, विधि के द्वारा होता कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है वैसे ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।

वंचित किया जाना

यदि भारत सरकार को इस बात का विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ने भारत की नागरिकता कपटता से अर्जित की है या उसने अपने आप को भारतीय संविधान के प्रति अभक्त या अप्रतिपूर्ण प्रदर्शित किया है तो भारत सरकार उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है।

विवाह द्वारा

यदि कोई स्त्री या पुरुष किसी अन्य देश के स्त्री या पुरुष के साथ विवाह कर लेते हैं तो उन्हें उस देश की नागरिकता स्वयं ही प्राप्त हो जाती है तथा भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है।

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों द्वारा

यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। फौज से निष्काषित होने पर तथा देशद्रोह के मामलों में पकड़े जाने और सज़ा पाने आदि के मामलों में भी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है।

विदेश गमन

यदि कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करने जाता है और एक निश्चित अवधि के दौरान वापिस देश नहीं लौटता तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है।

पागलपन, फ़कीरी, संन्यास आदि के कारण

यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो भी वह अपनी नागरिकता खो बैठता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति फ़कीरी, संन्यास आदि ग्रहण कर लेता है तो भी उसकी नागरिकता का लोप हो जाता है।

नागरिकता भारतीय संविधान के मूल में है। संविधान 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन अनुच्छेद-5 से लेकर 11 तक में उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जो नागरिकता के हकदार हैं। अनुच्छेद-11 संसद को कानून के जरिए नागरिकता के नियमन का अधिकार देता है और इसलिए 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। अब तक इस अधिनियम में चार बार यानी 1986, 2003, 2005, 2015 में संशोधन किया जा चुका है। हालिया विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा में लंबित है। इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी इसकी संवैधानिकता की जांच करना जल्दबाजी होगी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986

नागरिकता अधिनियम, 1955 में परिवर्तन कर नागरिकता संबंधी उपबंध को 1986 में संशोधित किया गया। उस संशोधित अधिनियम में नागरिकता का प्रावधान इस प्रकार किया गया है-

- भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, तो उसे भारत में लगातार पांच वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके पूर्व यह अवधि मात्र छह मास की थी।
- किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हो, उसे इस आधार पर भारतीय नागरिकता स्वत: प्रदान नहीं की जा सकती। जन्म के आधार पर मात्र उन्हीं लोगों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जिनके माता-पिता में से कोई एक पहले से ही भारत का नागरिक रहा हो। इससे पूर्व के अधिनियम में मात्र जन्म लेने से ही स्वत: नागरिकता प्राप्त होने का प्रावधान था।
- प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करने की जो शर्तें पूर्ववत् पांच वर्ष की थीं अब इस संशोधन द्वारा निवास करने की अवधि में वृद्धि करके दस वर्ष कर दी गयी।
- इस संशोधन अधिनियम के पश्चात् भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1992

संसद द्वारा 1992 में सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारत से बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को, यदि उसकी मां भारत की नागरिक है, तो भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को केवल उसी दशा में भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी, यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो। इस अधिनियम द्वारा बच्चे के माता और पिता दोनों को ही समान दर्जा प्रदान किया गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003

प्रवासी भारतीयों की नागरिकता सम्बन्धी नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003- प्रवासी भारतीयों व विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी

नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है। इसके लिए नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2003 को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यह विधेयक लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। इस अधिनियम द्वारा 16 देशों - आस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, आयरलैण्ड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नीदरलैण्ड्स, फिनलैण्ड, स्वीडन, इजरायल, साइप्रस, स्विट्जरलैण्ड, इटली और यूनान में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी भी नागरिकता के साथ भारत की नागरिकता भी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उक्त देशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में आने-जाने की स्वतंत्रता होगी। किन्तु, इन्हें भारत में कोई सार्वजनिक पद या नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। इन्हें भारत में मत देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त चूंकि अनुच्छेद 15(1) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की मनाही करता है और इसमें निवास संबंधी किसी शर्त का कोई उल्लेख नहीं है, अत: जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने "जोशी बनाम् मध्य भारत राज्य (1955)" के बाद में यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य अपने राज्य में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए फीस के विषय में अपने निवासियों को विशेष रियायत दे सकता है।

जम्मू-कश्मीर राज्य को इस संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त है। जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान मंडल को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अपने राज्य में स्थायी रूप से रह रहे नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है जैसे-

(i) राज्य सरकार के अधीन नियोजन के,
(ii) राज्य में अचल सम्पत्ति के अर्जन के,
(iii) राज्य में बस जाने के, तथा
(iv) छात्रवृत्तियाँ या इसी प्रकार की अन्य सहायता के संदर्भ में, जो राज्य सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करें।

संविधान निर्माताओं ने एकीकृत भारतीय राष्ट्र तथा संयुक्त बंधुत्व का निर्माण करने के लक्ष्य को सामने रखकर इकहरी भारतीय नागरिकता का प्रावधान करने का निर्णय किया था। भारत के सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, बिना किसी भेदभाव के देश भर में एक जैसे अधिकार तथा कर्त्तव्य प्राप्त हैं।

अध्यादेश 2005 की उदघोषणा

बाद में 28 जून, 2005 को नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 की उदघोषणा की गई। यह संशोधन नागरिकता अधिनियम, 1955 की चौथी अनुसूची को हटाने सम्बन्धी प्रावधानों से युक्त है। इसके अनुसार भारतीय मूल के लोग, जिनके माता/पिता या दादा/दादी 26 जनवरी, 1950 के बाद प्रवासित हुए हों अथवा 26 जनवरी, 1950 को भारतीय नागरिकता की योग्यता उनके पास रही हो अथवा ऐसे क्षेत्र में हों जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, उनके उस समय के छोटे बच्चे जो अब ऐसे देश में रह रहे हों, जहाँ पर दोहरी नागरिकता का किसी भी प्रकार का प्रावधान उपलब्ध हो, ओवरसीज (सीमा पारीय) भारतीय नागरिकता (ओसीआई) प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिकों को इस प्रावधान के अंतर्गत ओवरसीज भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के द्वारा ओसीआई जिनका पंजीकरण 5 वर्ष के लिए हुआ है कि भारत में ठहरने/रुकने की अवधि दो वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी जाएगी।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2015

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 6 जनवरी, 2015 से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है, जिसके तहत भारतीय नागरिक अधिनियम-1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं।

- वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार एक वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन, अगर केन्द्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के बारे में लिखित रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद विशेष 12 माह के लिए छूट दी जा सकती है, जो अधिकतम 30 दिन के लिए अलग-अलग अंतराल के बाद दी जा सकती है।
- भारतीय नागरिकों के ओ. सी. आई. नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ. सी. आई.) के तौर पर पंजीकरण की शर्तों को उदार बनाया जाएगा।
- ऐसे नागरिकों के बच्चों या पोता-पोतियों अथवा पड़ पोता-पोतियों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा।
- धारा 7ए के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय के पति या पत्नी या भारतीय नागरिक के पति या पत्नी ासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा और जिनकी शादी दो वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत या कायम रही हो, वे तुरंत ही इस धारा के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- वर्तमान पी. आई. ओ. कार्डधारकों के संबंध में केन्द्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर यह स्पष्ट कर सकती है कि किस दिनांक से सभी मौजूदा पी. आई. ओ. कार्डधारकों को ओ. सी. आई. कार्डधारकों के रूप में बदलने का निर्णय किया जाए।

भूमि अधिग्रहण, कार्यमुक्ति, संकट, भारतीय नागरिकता की पहचान और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम-1955 है। इस अधिनियम के तहत जन्म, पीढ़ी, पंजीकरण, विशेष परिस्थितियों में स्थान का विलय या किसी स्थान में शामिल किये जाने के साथ ही नागरिकता समाप्त होने और संकट के समय में भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है।

भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड: पीआईओ कार्ड आवेदक को भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल के अलावा किसी भी देश का नागरिक है; या किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट आयोजित किया गया हो या भारतीय नागरिक का एक व्यक्ति या भारतीय मूल के व्यक्ति; भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड: ओसीआई कार्ड विदेशी नागरिकों के लिए है जो 26.01.1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या उस तिथि के बाद या उसके बाद भारत के नागरिक थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के आवेदनों की अनुमति नहीं है।

EBD_7939

प्रवासी भारतीय कार्ड: संसद में एक नया विधेयक लंबित है (नागरिकता (संशोधन) विधेयक), जो कि मौजूदा भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के कार्ड को दूर करने की कोशिश करता है, और उन्हें प्रतिस्थापित करता है एक नया विदेशी भारतीय कार्ड के साथ, जबकि पीआईओ कार्ड धारकों को एक अलग वीजा की जरूरत नहीं है और 15 साल तक कई प्रविष्टियों के साथ भारत में प्रवेश कर सकते हैं; ओसीआई कार्ड भारत में आने के लिए एक बहु प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीजा है। ओसीआई कार्ड धारकों की कृषि भूमि प्राप्त करने के अलावा आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों के संबंध में गैर-निवासी भारतीयों के साथ समानता है।

एक पीआईओ कार्डधारक को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ किसी भी एक यात्रा पर भारत में 180 दिन से अधिक रहने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है।

ओसीआई दोहरी नागरिकता नहीं है ओसीआई कार्ड धारक के लिए कोई मत अधिकार नहीं हैं।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 लोकसभा में पारित

लोकसभा में 08 जनवरी 2019 को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पारित कर दिया गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा, इस विधेयक से असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि असम के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि यह बिल असम विशेष नहीं है। यह विधेयक भारत में आकर रहने वाले शरणार्थियों के लिए है।

विदित हो कि यह विधेयक 2016 में पहली बार पेश किया गया था। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में इस विधेयक के खिलाफ लोगों प्रदर्शन जारी है। लोगों का कहना है कि यह 1985 के असम समझौते को अमान्य करेगा जिसके तहत 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को निर्वासित करने की बात कही गई थी।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है। यह विधेयक कानून बनने के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को 12 साल के बजाय छह साल भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा।
- यह विधेयक वर्ष 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विभिन्न विपक्षी दलों की माँग को देखते हुये विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुरूप तैयार नये विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी थी।
- विधेयक पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुये गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान अक्षुण्ण रखी जायेगी तथा शरणार्थियों का बोझ सिर्फ असम पर नहीं आयेगा।
- गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक विशेष तौर पर असम के लिए नहीं है। तीनों पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) से यहाँ आने वालों को भारतीय नागरिकता दी जायेगी और वे देश में कहीं भी रहने और काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अभ्यास प्रश्न-1

1. निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है?
   (a) संविधान के अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं।
   (b) भारत में एकहरी नागरिकता **(Single Ctitizenship)** है सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर।
   (c) कनाडा में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है।
   (d) अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता **(Dual Citizenship)** का प्रावधान है।
2. कोई भारतीय नागरिक कब अपनी नागरिकता खो देता है?
   (a) नागरिकता से वंचित किए जाने पर
   (b) नागरिकता के परित्याग से
   (c) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर
   (d) उपरोक्त सभी
3. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2005 के अनुसार किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर अन्य सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है?
   (a) अफगानिस्तान और पाकिस्तान
   (b) पाकिस्तान और बांग्लादेश
   (c) बांग्लादेश और चीन
   (d) अफगानिस्तान और बांग्लादेश
4. संविधान का कौन-सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से सम्बन्धित है?
   (a) II (b) III
   (c) IV (d) V
5. 'दोहरी नागरिकता' निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है?
   (a) एकात्मक सरकार (b) संघीय सरकार
   (c) संसदीय सरकार (d) राष्ट्रपति शासित सरकार
6. नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन-सा है?
   (a) चुनाव आयोग
   (b) राष्ट्रपति
   (c) संसद
   (d) संसद और विधानसभाएँ

7. भारत के नागरिकता अधिनियम में 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा एक परिवर्तन नहीं किया गया है?
   (a) भारत के प्रवासी नागरिकों को अब भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड-धारक कहा जायेगा।
   (b) अनिवासी भारतीय, भारत में निर्वाचनों में मत देने के हकदार हैं।
   (c) भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष रखा गया है।
   (d) भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए आजीवन विजा के हकदार हैं।
8. नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधान संविधान के किस भाग में है?
   (a) भाग 1 में (b) भाग 3 में
   (c) भाग 2 में (d) भाग 4 में
9. भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है-
   (a) जन्म द्वारा
   (b) देशीकरण द्वारा
   (c) किसी भू-भाग के सम्मिलन द्वारा
   (d) भारतीय बैंक में धन जमा करके
10. भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है?
   (a) स्वैच्छिक त्याग से
   (b) बर्खास्तगी द्वारा
   (c) नागरिकता से वंचित करके
   (d) उपर्युक्त सभी
11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश 'प्रत्येक व्यक्ति' में शामिल हैं :
   (a) सशस्त्र सेनाओं का सदस्य
   (b) एक बंदी
   (c) भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति
   (d) ये सभी
12. भारतीय संविधान के अध्याय III में निम्नलिखित में से कौन वर्णित नहीं है-
   (a) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार
   (b) शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार
   (c) काम पाने का अधिकार
   (d) कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार करने का अधिकार
13. कौन अधिवास से नागरिक नहीं है-
   (a) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य-क्षेत्र में जन्मा था
   (b) जो भारत के राज्य-क्षेत्र में जन्मा हो
   (c) जो संविधान लागू होने के पश्चात् अपने कार्य के कारण भारत के राज्य-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है।
   (d) जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम-से-कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्य-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है।
14. भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है-
   (a) धर्म, (मूलवंश) जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार
   (b) विधि के समक्ष समता का अधिकार
   (c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
   (d) गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार
15. भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अन्तर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
   (a) अनुच्छेद 12 से 35
   (b) अनुच्छेद 112 से 115
   (c) अनुच्छेद 222 से 235
   (d) इनमें से कोई नहीं
16. भारतीय संविधान के अनुसार समानता के मूलभूत अधिकार में क्या शामिल नहीं है?
   (a) सामाजिक समानता (b) कानून के समक्ष समानता
   (c) अवसर की समानता (d) आर्थिक समानता
17. भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता-
   (a) विधि के समक्ष समता के अधिकार का
   (b) व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का
   (c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का
   (d) धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का
18. संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं?
   (a) विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वंत्रता
   (b) विधि के समक्ष समानता
   (c) जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण
   (d) धर्माचरण की स्वतंत्रता
19. भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन-सी सही है?
   (a) राज्य की एकल नागरिकता
   (b) राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता
   (c) सम्पूर्ण भारत की एकल नागरिकता
   (d) भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-2

1. निम्न कथनों पर विचार करें।
   1. नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में है।
   2. नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 10 के अंतर्गत निहित है।
   3. जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसमें नागरिकता को दोहरी नागरिकता प्राप्त है।
   4. भारतीय नागरिकता संबंधी एक व्यापक अधिनियम 1955 में पारित किया गया।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2, 3 और 4
   (c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3, और 4
2. भारत के नागरिकों को संविधान के अंतर्गत निम्न में कौन-से अधिकार प्राप्त हैं?
   1. मतदान का अधिकार
   2. चुनाव लड़ने का अधिकार
   3. अवसर की समानता का अधिकार
   4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

   कूट:
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
3. भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इन कथनों पर विचार करें।
   1. भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में कम-से-कम पाँच वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पहले यह अवधि मात्र छह माह थी।
   2. किसी भी व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए उसके माता-पिता में से कोई एक इससे पहले भारत का नागरिक रहा हो।
   3. देशीयकरण के संबंध में तो शर्तें पहले 10 वर्ष थीं, उन्हे बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है।
   4. इस संशोधन द्वारा विदेशी महिला को भारतीय पुरूष से विवाह के पश्चात् नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

   कूट:
   उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन गलत हैं।
   (a) 1 और 2 (b) 2, 3 और 4
   (c) केवल 3 (d) केवल 4
4. दोहरी नागरिकता के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें।
   1. वे व्यक्ति जो अब किसी भी देश के नागरिक हैं किंतु जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी भी समय भारत के नागरिक थे, दोहरी नागरिकता के क्षेत्र में शामिल होंगे।
   2. वे व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, किंतु संविधन लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पात्र थे, उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी।
   3. वे व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, किंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हों जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात् भारत का अंग बना हो, उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-से कथन सही हैं?
   (a) । और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
5. भारतीय संविधान में केवल व्यक्तियों के उन वर्गों का वर्णन किया गया है जिन्हें भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख को भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 5-8 के अधीन वर्णन किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नागरिक है-
   1. कोई व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास (Domicile) है और जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा है।
   2. भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासी कोई व्यक्ति जिसके माता-पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में अजन्मा था।
   3. भारत में अजन्मा ऐसा व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी था और भारत में अधिवासी है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
   (a) उपरोक्त सभी (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 (d) 1 और 3
6. निम्नलिखित दशाओं में से किनके अधीन भारत में किसी को नागरिकता प्रदान की जा सकती है?
   1. उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए।
   2. जिसके माता-पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा था
   3. जो कम-से-कम पाँच वर्ष तक भारत का साधारण नागरिक रहा हो।

   कूट:
   (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
   (c) 2 और 3 (d) या तो 1, 2 या 3
7. NRIs द्वारा, भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्त/शर्तों में से कौन-सी पूरी की जानी ही चाहिए?
   1. अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना ही चाहिए।
   2. NRIs चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं।
   3. पात्र NRIs को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फार्म 6-A भरकर पंजीकृत होना होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 3

(c) केवल 2 (d) केवल 3

8. भारत के नागरिकों को संविधान के अन्तर्गत कौन-से अधिकार प्राप्त हैं?

1. धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेद-भाव किया जाएगा।
2. अवसर की समानता का अधिकार।
3. सार्वजनिक चुनाव लड़ने का अधिकार।
4. मतदान का अधिकार

कूट

(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 2, 3 और 4

(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2 और 4

9. भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है?

1. वंशानुक्रम
2. देशीयकरण
3. जन्मजात
4. किसी क्षेत्र विशेष के भारतीय संघ में विलय होने पर

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

कूट

(a) केवल 1 (b) केवल 3

(c) 1, 2 और 3 (d) ये सभी

10. निम्नलिखित में से कौन-सा/से देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मानदंड है/हैं?

1. 8वीं अनुसूची में अधिसूचित किसी भाषा का ज्ञान होना।
2. देशीकरण की प्रक्रिया के लिये आवेदन करने से पूर्व बारह मास की अवधि तक भारत में निवास रहा हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी, 1951 को रंगून में हुआ, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, उसे अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है।
2. एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई, 1988 को ईटानगर में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परन्तु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नांश में दो कथन हैं, कथन I और कथन II. इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और इन प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए:

कूट:

(a) दोनों कथन व्यष्टित: सत्य हैं, और कथन II, कथन I का सही स्पष्टीकरण है।

(b) दोनों कथन व्यष्टित: सत्य हैं, किन्तु कथन II, कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(c) कथन I सत्य है, किन्तु कथन II असत्य है।

(d) कथन I असत्य है, किन्तु कथन II सत्य है।

12. **कथन I :** वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता स्थिति है।

कथन II : यह कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने, मतदान करने या भारत की विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुने जाने के लिए सक्षम बनाता है।

13. NRIs द्वारा, भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिये, निम्नलिखित शर्त/शर्तों में से कौन सी पूरी की जानी चाहिये?

1. अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना ही चाहिए।
2. NRIs चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं।
3. पात्र NRIs को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फार्म 6-A भर कर पंजीकृत होना होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2 और 3

14. नागरिकता का अर्थ हैं।

1. नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनैतिक अधिकार
2. लोक सभा (संघ की) और हर राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार
3. संसद और विधान सभाओं का सदस्य बनने का अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

15. 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंत:स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

1. यह भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को, जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है।
2. यह भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, बिना नागरिकता के OCI कार्ड प्रदान करता है।
3. यह OCI को भारत में आम चुनावों में मतदान की अनुज्ञा देता है।
4. यह OCI को भारत में बिना वीज़ा के यात्रा करने की मंजूरी देता है।

EBD_7939

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) केवल 3 (d) 2 और 4

16. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से, भारत के संविधान के नागरिकता के उपबंधों के बारे में सही है/हैं?

1. यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा।
2. संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

17. किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलम्बित की जा सकती है–

1. यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है।
2. किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर
3. यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुँचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है।
4. यदि वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 3 और 4

18. भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यदि वह

1. भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है
2. स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है
3. किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है
4. सरकार की आलोचना करता है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 2 (d) 1 और 4

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतन्त्र (संघ तथा राज्य)है, किन्तु नागरिकता इकहरी है।
2. कोई भी व्यक्ति, जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

20. निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?

(a) भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं

(b) अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है

(c) भारत में नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू है

(d) भारतीय संविधान के भाग III में नागरिकता के बारे में कहा गया है

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(c)	**3**	(b)	**5**	(b)	**7**	(b)	**9**	(d)	**11**	(d)	**13**	(c)	**15**	(a)	**17**	(b)	**19**	(c)
2	(d)	**4**	(a)	**6**	(c)	**8**	(c)	**10**	(d)	**12**	(c)	**14**	(a)	**16**	(d)	**18**	(a)		

अभ्यास-2

1	(c)	**3**	(c)	**5**	(c)	**7**	(d)	**9**	(d)	**11**	(c)	**13**	(d)	**15**	(b)	**17**	(b)	**19**	(d)
2	(d)	**4**	(b)	**6**	(b)	**8**	(b)	**10**	(c)	**12**	(c)	**14**	(d)	**16**	(c)	**18**	(c)	**20**	(d)

EBD_7939

मौलिक अधिकार तथा कर्त्तव्य

5 अध्याय

भारतीय संविधान के भाग iii में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये अधिकार न्यायोचित हैं। हमारे संविधान में विधायिका और कार्यपालिका को भी यह अनुमति नहीं दी गई है कि वे किसी कानून अथवा शासनात्मक आदेश के द्वारा इन अधिकारों का हनन कर सके। कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता है, तो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय उस पर तुरंत प्रतिबंध लगा सकता है। यद्यपि ये मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं तथापि ये सम्पूर्ण नहीं हैं। सार्वजनिक हित हेतु भारतीय संविधान ने, सरकार ने यह अधिकार प्रदान किया है कि वह हमारे अधिकारों के उपभोग पर कुछ प्रतिबंध लागू करे। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किये गये और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणा-पत्र' कहते हैं। अत: अधिकारों का घोषणा-पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है।

अधिकार लोगों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध एवं क्रिया के नियम हैं। ये राज्य और व्यक्ति अथवा समूह के कार्यों पर कुछ सीमाएं तथा दायित्व लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो इसका अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है।

अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार हैं जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। अधिकार स्वतंत्रता या हकदारी के कानूनी, सामाजिक अथवा नैतिक सिद्धांत हैं। कानूनी व्यवस्था, सामाजिक परम्परा अथवा नैतिक सिद्धांतों के अनुसार अधिकार मूलभूत आदर्श नियम है जो लोगों को कुछ करने अथवा कुछ पाने का हक देते हैं। अधिकार सामान्यत: समाज अथवा संस्कृति के आधार स्तंभों के रूप में किसी भी सभ्यता के मूल माने जाते हैं। परंतु अधिकारों का वास्तविक अर्थ तभी है जब व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं। कर्त्तव्य किसी व्यक्ति से कुछ किये जाने की अपेक्षा करते हैं। वास्तव में अधिकार तथा कर्त्तव्य जीवनरूपी गाड़ी के दो पहिये हैं, जिनके ठीक से पालन से जीवन सरलता से चल सकता है।

अधिकार तथा कर्त्तव्यों के एक-दूसरे के पूरक बन जानें तथा दोनों के ठीक से पालन करने से जीवन बहुत ही आसान बन सकता है। अधिकार वे हैं जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किये जाने की आशा करते हैं जबकि कर्त्तव्य वे कार्य हैं, जो हम दूसरों के प्रति करते हैं।

इस तरह अधिकार दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्वों के साथ मिलते हैं। ये दायित्व जो अधिकारों के साथ जुड़े होते हैं, कर्त्तव्य कहलाते हैं। यदि हम यातायात अथवा स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का अधिकार रखते हैं तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि दूसरे व्यक्ति भी इन सेवाओं का उपयोग कर सकें। यदि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमारा यह कर्त्तव्य भी है कि हम इसका दुरुपयोग न करें तथा दूसरों को किसी तरह की हानि न पहुँचायें।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्त्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिये।

भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहले सन् 1895 में मांग की गई। इसके पश्चात् 1917 तथा 1919 के दौरान कांग्रेस द्वारा संकल्प पारित करके मूल अधिकारों की मांग की गई। भारत में अंग्रेजी राज्य का स्वरूप पूर्णत: स्वेच्छाचारी था। अपनी इस स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजी सरकार लोगों पर मुकदमा चलाए बिना उन्हें नजरबन्द कर देती थी। सरकार के इन अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वाधीनता आन्दोलन के नेताओं ने प्रारम्भ से ही नागरिकों के मूल अधिकारों पर जोर देना शुरू कर दिया था। दैहिक स्वतन्त्रता, जीवन रक्षा के अधिकार, आदि कुछ ऐसे अधिकार थे, जिन्हें धीरे-धीरे ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन के सन्दर्भ में मान्यता दी थी।

1925 में श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा प्रस्तुत 'दि कॉमनवेल्थ ऑफ इण्डिया बिल' में मूल अधिकारों की भी घोषणा निहित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में 'मद्रास अधिवेशन' में एक संकल्प पारित कर निर्धारित किया कि भारत के भावी संविधान का आधार मूल अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से प्रत्येक भारतीय के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों की मांग की। मार्च 1931 में कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग को दोहराया। 1946 में संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में सुझाव दिया गया कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों, मौलिक अधिकारों और कबिलाई क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए एक परामर्श समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसलिए संविधान सभा ने सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में परामर्श समिति गठित की। परामर्श समिति ने 27 फरवरी, 1947 को पाँच उपसमितियाँ गठित कीं, जिनमें से एक मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित समिति थी। मौलिक अधिकार उप-समिति के संवैधानिक परामर्शदाता बी.एन. राव थे तथा मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित इस उपसमिति के सदस्य थे- जे.बी. कृपलानी, मीनू मसानी, के.टी. शाह, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सरदार हरनामसिंह, मौलाना आजाद, डॉ. अम्बेडकर, हंसा मेहता, सरदार पटेल, के.एम. पन्निकर तथा राजकुमारी अमृत कौर आदि।

संविधान सभा ने 38 दिन तक इस पर विचार-विमर्श किया। अंतत: संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को सात श्रेणियों में संविधान में शामिल किया।

मौलिक अधिकारों का महत्त्व

1. **अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है:** ये लोकतंत्र का आधार-स्तंभ हैं। व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास एवं प्रगति के लिए मौलिक अधिकार अनिवार्य हैं। इन अधिकारों के बिना सच्चे प्रजातंत्र के सिद्धांत लागू नहीं होते तथा व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा का अस्तित्व प्रभावी नहीं होता।
2. **राजनीतिक चेतना जागृत करते हैं:** मौलिक अधिकार व्यक्ति एवं समुदाय विशेष को शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। राजनीतिक चेतना को जागृत करने में ये अधिकार अधिक सहायक होते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं।
3. **राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता:** मौलिक अधिकार व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं एवं राजनीतिक उद्देश्यों के मध्य समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित होता है। इनके द्वारा एक ओर तो विधायिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं।
4. **तानाशाही के भय से मुक्ति:** मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक हैं। इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में 'बहुमत तानाशाही' का भय बराबर बना रहता है। मौलिक अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की, रक्षा करते हैं।

जब मौलिक अधिकारों को वैधानिक रूप से स्थिर कर दिया जाता है तो उनके महत्त्व और सम्मान में अधिक वृद्धि हो जाती है। इससे इन्हें साधारण विधि से उच्च स्थान और पवित्रता प्राप्त हो जाती है।

जवाहरलाल नेहरू ने अपने 'उद्देश्य प्रस्ताव' में कहा था कि संविधान का लक्ष्य एक ऐसे गणतंत्र की स्थापना होना चाहिए, जिसमें सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में मौलिक अधिकारों का सार-निहित है।

मूल अधिकार और संविधान के अन्य उपबन्धों द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों के मध्य अंतर संविधान के भाग-3 में सम्मिलित मूल अधिकारों और अन्य भागों में दी गई मर्यादाओं से उत्पन्न होने वाले ऐसे अधिकारों (उदाहरणार्थ संविधान भाग-4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व) के मध्य जो समान रूप से न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, क्या अंतर है। इन दोनों वर्गों के अधिकार समान रूप से न्यायाधीन हैं। उच्चतम न्यायालय में सीधे आवेदन करके अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार पाने का अधिकार भाग-3 में मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। यह अधिकार मूल अधिकार की दशा में ही उपलब्ध होता है।

यदि अधिकार संविधान के किसी अन्य उपबंध द्वारा प्राप्त होता है, जैसे अनुच्छेद 265 या अनुच्छेद 301, तो पीड़ित व्यक्ति सामान्य वाद लाकर या उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन देकर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। किन्तु, अनुच्छेद 32 के तहत् आवेदन नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसे अधिकार के अतिक्रमण के कारण मूल अधिकारों का उल्लंघन न होता हो।

यद्यपि यह ठीक है कि संविधान के किसी भाग को सामान्य विधान द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जब तक कि स्वयं संविधान में इससे संबंधित प्राधिकार न दिया गया हो (उदाहरणार्थ भाग-4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व), किंतु संविधान के सभी भाग, मूल अधिकार सहित, अनुच्छेद 368 के तहत् संशोधन अधिनियम पारित करके संशोधित किए जा सकते हैं, किंतु आधारिक लक्षणों में संशोधन नहीं हो सकता।

संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यष्टि और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है। इनकी मौलिक अधिकारों की छह व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्यायोचित हैं। संविधान के भाग iii में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। ये हैं:

- समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है, और रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल है।
- भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, जमा होने संघ या यूनियन बनाने, आने-जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं)।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का निषेध किया जाता है।
- आस्था एवं अन्त:करण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अनुयायी बनना, उस पर विश्वास रखना एवं धर्म का प्रचार करना इसमें शामिल हैं।
- किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं चलाने का अधिकार; और
- मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सांवैधानिक उपचार का अधिकार।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों को लेखबद्ध किया गया है। अन्य संविधानों की अपेक्षा हमारे संविधान में इनका विस्तृत विवेचन किया गया है तथा इनके अन्तर्गत अनेक विषय रखे गए हैं। प्रारम्भ में संविधान द्वारा नागरिकों को सात मौलिक अधिकार दिए गए थे–

(i) समानता का अधिकार
(ii) स्वतन्त्रता का अधिकार
(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(iv) धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार
(v) संस्कृति और शिक्षा का अधिकार
(vi) सांविधानिक उपचारों का अधिकार
(vii) सम्पत्ति का अधिकार

1978 में संविधान में संशोधन करके सातवें मौलिक अधिकार (सम्पत्ति का अधिकार) को हटा दिया गया है। वर्तमान में केवल छह मूल अधिकारों को ही संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

EBD_7939

समता का अधिकार	कानून के समक्ष समानता • कानूनों के समान संरक्षण • धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध • दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता • रोजगार में अवसर की समानता • छूआछूत का अंत • उपाधियों का अंत
स्वतंत्रता का अधिकार	• व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार • भाषण और अभिव्यक्ति का • शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का - संगठित होने का • भारत में कहीं भी आने-जाने का • भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का • कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का • अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण • जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार • शिक्षा का अधिकार • अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार	• मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक • जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	• आस्था और प्रार्थना की आजादी • धार्मिक मामलों के प्रबंधन • किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता • कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार	• अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार • अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार	• मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार

(क) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

समानता का अर्थ है-प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, नागरिक तथा राजनीतिक समानता प्राप्त हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 तथा 18 में समानता के अधिकार की व्याख्या की गई है, जो निम्न प्रकार से है–

1. **विधि के सम्मुख समानता:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, "भारतीय राज्यक्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सम्मुख समानता प्रदान करेगा अर्थात् कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।" इसका तात्पर्य है कि विधि के सम्मुख सब समान हैं, न कोई छोटा है, न बड़ा, न अमीर, न गरीब, न ऊँची जाति का, न कोई छोटी जाति का। न्यायालय सभी मुकदमों का कानून के अनुसार ही निर्णय करेगा। समान अपराध करने पर, सभी को, समान दण्ड का प्रावधान है।

   कानून के समक्ष समानता का यह भी अर्थ है कि सबको समान परिस्थितियों में समान अवसर प्राप्त होगा अर्थात् न तो कोई विशेष अधिकारों वाला वर्ग होगा और न किसी वर्ग विशेष को किसी अधिकार से विमुख किया जाएगा। जो कानून राज्य बनाएगा, वे राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों, गैर-नागरिकों, पर्यटकों तथा विदेशियों पर भी समान रूप से लागू होंगे तथा न्यायालय भी उनके आधार पर समान रूप से न्याय करेगा।

2. **सामाजिक समानता की स्थापना:** भारतीय संविधान में अुनच्छेद 15 के माध्यम से सामाजिक असमानता को दूर करके, समानता को स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार, राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधारों पर विभेद नहीं करेगा।

   अनुच्छेद 15 का खंड 1 जहाँ राज्य की किसी प्रतिषेध कार्यवाही के विरुद्ध है, वहीं अनुच्छेद 15 का खंड 2 का प्रतिषेध सामान्य व्यक्तियों के विरुद्ध है।

3. **राजकीय सेवाओं की प्राप्ति के लिए समानता:** अनुच्छेद 16(1) के अनुसार, "राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समानता होगी।"

   अनुच्छेद 16(2) के अनुसार, "केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न भेद किया जाएगा।"

   इस अधिकार का तात्पर्य है कि राजकीय पदों व नौकरियों की प्राप्ति के लिए सबको समान अवसर प्राप्त है। धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म-स्थान आदि के कारण किसी व्यक्ति को सरकारी पद अथवा नौकरी पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस दृष्टि से स्त्री-पुरुष में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।

4. **अस्पृश्यता का अन्त:** अनुच्छेद 17 के अनुसार, "अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।" अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा अर्थात्-
   - किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक संस्था में जैसे-अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश न देना।
   - किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक उपासना स्थल पर उपासना या प्रार्थना करने से मना करना।

- किसी सार्वजनिक दुकान, भोजनालय या मनोरंजन स्थल पर आने से रोकना या किसी जलाशय, नल या अन्य जलस्रोत, मार्ग, श्मशान आदि सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाले स्थानों पर सुविधा लेने से रोकना इत्यादि कृत्यों को अस्पृश्यता संबंधी अपराध घोषित किया गया है।

अनुच्छेद 35 के तहत् संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस अपराध के लिए दंड विधि का निर्माण करे। अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 'अस्पृयश्ता' (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया।

1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसे "सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955" का रूप दिया गया और अस्पृश्यता के दायरे में निम्नलिखित को अपराध घोषित किया गया–

- अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना।
- इतिहास, दर्शन, धर्म या जाति व्यवस्था की परम्परा के आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना।

5. उपाधियों का अन्तः

- अनुच्छेद 18(1) राज्य को उपाधियां प्रदान करने का निषेध करता है। ब्रिटिश सरकार ने साम्राज्यवादी प्रयोजनों के लिए और सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट करने के लिए अनेक उपाधियों का सृजन किया था। उपाधियाँ प्रदान करना असमानता का द्योतक है। संविधान ने उपाधियों की प्राप्ति पर प्रतिबन्ध लगाकर सामाजिक समानता की स्थापना की है।
- अनुच्छेद 18(2) के अनुसार, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 18(3) के अनुसार, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 18(4) के अनुसार, राज्य के अधीन लाभप्रद या विश्वासप्रद पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

अपवादः (i) यह प्रतिबन्ध केवल राज्य के विरुद्ध है। अन्य सार्वजनिक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय आदि अपने नेताओं और गुणीजनों को सम्मानित करने के लिए उपाधियाँ दे सकते हैं। (ii) राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान देने के लिए प्राधिकृत है, जैसे- सैन्य क्षेत्र में महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र आदि उपाधियाँ। (iii) राज्य सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी पुरस्कृत करने के लिए प्राधिकृत है।

(ख) स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 तथा 22 के अनुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतन्त्रता केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 20, 21 तथा 22 में वर्णित स्वतन्त्रता भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को समान रूप में प्राप्त हैं। ये स्वतन्त्रताएँ निम्न प्रकार से हैं–

1. (i) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रताः अनुच्छेद 19(1) (क) के अनुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिक को भाषण, लेखन तथा मुद्रण एवं अन्य प्रकार के साधनों के द्वारा अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है।

प्रेस की स्वतंत्रता

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कोई विशेष उपबंध की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)क में वर्णित अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में सम्मिलित है, जिसमें मुद्रण द्वारा अपने विचार ही नहीं, बल्कि दूसरों के विचार को भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। साथ ही, यह स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के खंड (2) में निर्धारित प्रतिबंधों से बंधी है। राज्य की सुरक्षा, भारत की प्रभुता और अखण्डता, लोक व्यवस्था, सदाचार एवं शिष्टाचार या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में विधियां बनाकर राज्य उन पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति के देखते हुए राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्षीण होती हो या समाप्त होती हो या उसके परिचालन सीमित करती हो। यदि ऐसा होता है तो प्रेस, सरकार से सहायता लेने के लिए विवश हो जाती है और ऐसा करने से उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। यदि राज्य इस प्रकार का कोई विधि बनाता है तो वे युक्ति-युक्तता का निर्णय करता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 361(क) जोड़कर इस स्थिति को और स्पष्ट कर दिया गया है।

अधिकार पर प्रतिबन्धः अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, राज्य निम्न कारणों से वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा सकता है-

(a) भारत की प्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के उद्देश्य से।
(b) देश की सुरक्षा के संबंध में।
(c) सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में।
(d) शिष्टाचार एवं सदाचार के संबंध में।
(e) विदेशियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से।
(f) न्यायालय के अपमान को अर्थात् मानहानि या अपराध उद्दीपन को रोकने के उद्देश्य से।

(ii) शान्तिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतन्त्रताः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) (ख) अपने नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है। यह प्रचार कार्य करने तथा जनमत निर्माण के लिए वातावरण तैयार करने का शांतिपूर्ण एवं वैधानिक उपाय है। इस प्रकार से बिना शस्त्र के भी सभा और जुलूसों का आयोजन किया जा सकता है।

प्रतिबन्धः राज्य, देश (भारत) की प्रभुत्ता एवं अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाकर इस अधिकार को प्रतिबन्धित कर सकता है।

(iii) संघ बनाने की स्वतन्त्रताः अनुच्छेद 19(1)(ग) अपने नागरिकों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं व प्रकृतियों के आधार पर समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इन समुदायों का उद्देश्य तथा कार्यक्रम शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक होना चाहिए।

प्रतिबन्ध: राज्य, देश की प्रभुत्ता एवं अखण्डता तथा सदाचार के हित में युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाकर इसे सीमित करने का अधिकार रखता है।

(iv) सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतन्त्रता: अनुच्छेद 19(1) (घ) नागरिकों को बिना किसी रोक-टोक के भ्रमण करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। भारतीय नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा भारत संघ के एक कोने से दूसरे कोने तक संचरण कर सकता है।

अपवाद: इसका एक मात्र अपवाद अनुच्छेद 370 है, जिस के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य में देश के किसी भी कोने के निवासी के स्थायी आवास पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे संविधान में प्रत्याभूत किया गया है, जोकि नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन है।

प्रतिबन्ध: राज्य साधारण जनता के हित में या किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के हित के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगा सकता है।

(v) निवास की स्वतन्त्रता: अनुच्छेद 19(1) (ड़) में इसका प्रावधान है, किन्तु यह भी असीमित है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने या स्थायी रूप से निवास की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इसका भी एक मात्र अपवाद जम्मू-कश्मीर राज्य का अनुच्छेद 370 है।

प्रतिबन्ध: इस पर भी राज्य साधारण जनता या किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के हित में युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगा सकता है।

(vi) (क) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतन्त्रता: अनुच्छेद 19(1)(छ) में राज्य नागरिकों को इच्छानुसार व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। नागरिक अपनी जीविका कमाने के लिए किसी भी धन्धे या व्यवसाय को अपना सकता है।

प्रतिबन्ध: (a) राज्य साधारण जनता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगा सकता है।

(b) राज्य, किसी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीकी अर्हताओं को विधि द्वारा निर्धारित कर सकता है।

(c) राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि या तो वह स्वयं या अपने स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार चला सकता है और इस पेशे या व्यापार से निजी व्यक्ति को पूर्णत: या अंशत: वंचित कर सकता है, किन्तु ये सभी प्रतिबन्ध युक्तियुक्त होने चाहिए।

2. **दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण:** अनुच्छेद 20 के अनुसार नागरिकों को दोषसिद्धि के संबंध में निम्न संरक्षण प्राप्त हैं-
   (i) भूतलक्षी दांडिक विधान अर्थात् घटना के पश्चात् का विधान अमान्य होगा।
   (ii) दोहरा दण्डादेश या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड नहीं दिया जा सकता।
   (iii) अनुच्छेद 20(3) के अनुसार, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध बलपूर्वक गवाही देने के लिए प्रतिषिद्ध करता है।
3. **दैहिक स्वतन्त्रता:** अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि "किसी व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतन्त्रताओं के अलावा व्यक्ति के जीवन की निजी स्वतन्त्रताएँ भी इसमें शामिल हैं अर्थात् वह दैनिक जीवन में अपनी रुचि के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है।
4. **(i) बन्दीकरण तथा नजरबन्दी से संरक्षण:** संविधान के अनुच्छेद 22(1)(2) के अनुसार, बन्दी बनाए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं-
   (अ) बन्दी बनाए गए व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के चौबीस घण्टे से अधिक समय के लिए हवालात में बंद नहीं किया जा सकता।
   (ब) बन्दी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर-अन्दर (इसमें यात्रा में लगने वाला समय भी शामिल है) पास के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा।
   (स) बन्दी बनाए गए व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कानूनी परामर्श लेने तथा अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार प्राप्त है।
   (द) बन्दी बनाए गए व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र बन्दी बनाए जाने के कारणों से अवगत करवाया जाएगा।

   अपवाद: यह अधिकार निम्न दो परिस्थितियों में गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं होता-
   - यदि गिरफ्तार व्यक्ति उस समय शत्रु देश का नागरिक है।
   - यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया हो।

   (ii) निवारक निरोध के विषय में संरक्षण: यद्यपि संविधान में निवारक निरोध की कोई अधिकृत परिभाषा नहीं दी गई है, तथापि इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति को किसी अपराध की सजा दिया जाना न होकर उसे अपराध करने से रोकना है। अर्थात् यदि शासन को यह विश्वास हो जाता है कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने से उसके द्वारा अपराध किए जाने की सम्भावना है तो उसे बन्दी बनाया जा सकता है, किंतु अपराध न किए जाने के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यही निवारक निरोध है। संसद आवश्यकतानुसार कानून बनाकर इसकी व्यवस्था करती है। संविधान सभा में जब अनुच्छेद 22 पर विचार किया जा रहा था तब निरोध का इस बात पर काफी विरोध हुआ कि यह अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन कर सकता है।

   साधारणतया यह व्यवस्था किसी भी लोकतान्त्रिक देश में नहीं पाई जाती। अमरीका और ब्रिटेन आदि देशों में युद्ध काल में ही इसे लागू किया जाता है, जबकि भारत में यह व्यवस्था सामान्यकाल तथा संकटकाल दोनों ही परिस्थितियों में लागू की जा सकती है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में इस सन्दर्भ में प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्न अधिकार आते हैं-

मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिशोध: अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार और बलात् श्रम एवं इसी प्रकार के अन्य कामों को विधि द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। इनका उल्लंघन अपराध माना जाएगा तथा विधिनुसार दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अनुसार अब भारत में स्त्रियों, बच्चों एवं पुरुषों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध

EBD_7939

लगा दिया गया है। अब कोई व्यक्ति किसी से बेगार नहीं ले सकता अर्थात् बिना मजदूरी के किसी व्यक्ति से काम नहीं लिया जा सकता और न किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवाया जा सकता है। ऐसा करना कानून के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अपवाद:

(i) यह खंड अपराध के दंड स्वरूप बलात् श्रम का प्रतिरोध नहीं करता तथा राज्य को लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य भर्ती या सेवा, चाहे सेना के लिए हो या समाज के लिए, प्राप्त करने से नहीं रोकता।

(ii) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए 'अनिवार्य सेवा' प्राप्त करने से नहीं रोकती। ऐसी सेवाओं की भर्ती में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

(iii) **बालश्रम का निषेध:** अनुच्छेद 24 के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा या अन्य किसी कठिन कार्य में नहीं लगाया जाएगा, जिससे उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। इस अनुच्छेद का कोई अपवाद नहीं है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य वास्तविक सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है।

सूचना का अधिकार

आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1), जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। यह स्पष्ट है कि एक जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर सक्षम है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है।

एनआईसी ने सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अक्टूबर 2005 में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को जानकारी पहुंचाने एवं सक्रिय खुलासों को प्रकाशित करने के लिए जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी (एए) नामित किया है।

धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसलिए राज्य इस संबंध में उदासीन है, प्रत्येक धर्म एवं सम्प्रदाय उसकी दृष्टि में समान है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, जिसका वह प्रचार करेगा। राज्य का कर्त्तव्य है कि वह सभी पंथों व मतों को फलने-फूलने का अवसर समान रूप से प्रदान करे। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं–

(i) अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतन्त्रता: अनुच्छेद 25(1) में यह व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 25(2) में राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रिया-कलापों को विनियमित या प्रतिबन्धित कर सकता है तथा सामाजिक कल्याण के लिए अथवा सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का कानून बनाकर उपबन्ध कर सकता है।

हिन्दुओं के अन्तर्गत जैन, सिक्ख तथा बौद्ध धर्म के मानने वालों को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार कृपाण धारण करना या कृपाण लेकर चलना सिक्ख धर्म का एक अंग माना गया है। धर्म के प्रचार करने के अधिकार में बलात् धर्म परिवर्तन का कोई अधिकार सम्मिलित नहीं है। इससे लोक व्यवस्था अस्थिर हो सकती है।

(ii) धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता: अनुच्छेद 26 के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं–

- धार्मिक और पूर्त (सेवा) प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार।
- अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का अधिकार।
- जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।
- उक्त सम्पत्ति का विधिनुसार प्रशासन करने का अधिकार।

न्यायालय के अनुसार धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति को प्रशासन की विधि द्वारा विनियमित किया जा सकता है, किंतु प्रशासन के अधिकार को पूरी तरह से छीना नहीं जा सकता।

(iii) धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतन्त्रता: अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किए गए धन पर कर की अदायगी से छूट दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसकी आय किसी धर्म विशेष या धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो।

(iv) सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध: अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के निषेध की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार–

- **राज्य-निधि से पूर्णत:** पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई विशिष्ट धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- धार्मिक शिक्षा उस शिक्षण संस्था में दी जा सकेगी, जिसका प्रशासन राज्य करता हो, किंतु जो किसी ऐसी धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई हो, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।
- राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति न दे दी हो।

संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

भारत एक विशाल देश है। यहाँ का रहन-सहन, खान-पान, भाषा, रीति-रिवाज, सभ्यता तथा संस्कृति विभिन्नता लिए हुए हैं। भारत की

सांस्कृतिक अनेकता के कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 29 एवं 30 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की सुरक्षा व समृद्धि के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किए हैं।

1. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण: अनुच्छेद 29 के अनुसार-
   (i) नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
   (ii) राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
2. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार: अनुच्छेद 30 के अनुसार-
   (i) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा।
   (ii) ऐसी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)

'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉ. अंबेडकर ने इस अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं।

बंदी प्रत्यक्षीकरण	बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है।
परमादेश	यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
निषेध आदेश	जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें (उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय) उसे ऐसा करने से रोकने के लिए 'निषेध आदेश' जारी करती है।
अधिकार पृच्छा	जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय 'अधिकार पृच्छा आदेश' के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।
उत्प्रेषण रिट	जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उनके समक्ष विचाराधीन मामले को उनसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।

बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि। ये संस्थाएँ क्रमश: अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त, मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है।

सांविधानिक उपचारों के अधिकार के कारण यदि राज्य या कोई नागरिक मूल अधिकारों से किसी को वंचित करता है तो वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा की मांग उच्चतम न्यायालय से कर सकता है। संविधान ने मूल अधिकारों की सुरक्षा का भार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सौंपा है। संविधान का अनुच्छेद 32 इस प्रकार की व्यवस्था करता है। यह अनुच्छेद संविधान की आत्मा तथा हृदय है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है।

अनुच्छेद 32 द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रदान किये जाने वाला 'सांविधानिक उपचार' भी मूल अधिकार है, क्योंकि यह संविधान के भाग-3 में शामिल है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक और प्रत्याभूतिदाता बनाया गया है।

अनुच्छेद 33 कर्त्तव्यों के निर्वहन तथा अनुशासन बनाए रखने के हित में संसद को, मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों, आसूचना कार्मिकों आदि पर लागू होने में उपांतरण करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 34 के अंतर्गत, संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करके, किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकेगी।

अनुच्छेद 35 में यह प्रावधान है कि कतिपय विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण केवल संघीय संसद के क्षेत्राधिकार में होगा, राज्यों की विधानपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं।

संविधान के भाग-3 में वर्णित अधिकारों में से किसी को प्रवर्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट, जिनके अन्तर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार कोई भी समुचित आदेश दे सकता है।

परमाधिकार रिट

'परमाधिकार रिट' इग्लैंड के कामन लॉ की अभिव्यक्ति है। ये वे असाधारण रिटें हैं, जो सम्राट् न्यायदाता के रूप में इस आधार पर प्रदान करता था कि सामान्य विधिक उपचार अपर्याप्त हैं। आगे चलकर ये रिटें उच्च न्यायालय प्रदान करने लगा, क्योंकि उसके माध्यम से ही सम्राट् न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता था। ये परमाधिकार रिटें तब दी जाती थीं, जब सामान्य विधि में कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता था।

EBD_7939

रिट जारी करने में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की आधिकारिता में अंतर

1. अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिटें जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा कुछ शर्तों के साथ सामान्य विधि के उल्लंघन में भी रिटें जारी कर सकता है।
2. उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिटें सम्पूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध हो सकती हैं, जबकि उच्च न्यायालय अपने अधीन राज्यक्षेत्र में ही अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

संपत्ति का अधिकार

अनुच्छेद 19(1) (च) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को "संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन" का मूल अधिकार प्राप्त था, जिस पर राज्य अनुच्छेद 19(5) के अनुसार, साधारण जनता के हितों के अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा हेतु युक्ति-युक्त निर्बन्धन लगा सकता था। अनुच्छेद 31(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नही किया जाएगा। उसी अनुच्छेद के खण्ड (2) में यह उपबन्धित था कि राज्य संपत्ति का वैवश्यक अर्जन या अधिग्रहण केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही करेगा और जिस विधि द्वारा ऐसा अर्जन या अधिग्रहण किया जाएगा, वह इसके लिए प्रतिकार का उपबन्ध करेगा।

मौलिक अधिकारों का निलम्बन

1. अनुच्छेद 19(2) से (5) के प्रावधानों के अनुसार, मौलिक अधिकारों पर युक्ति-युक्त निर्बन्धन आरोपित किए जा सकते हैं।
2. अनुच्छेद 15(1) तथा (4) के अनुसार, राज्य सामाजिक उद्देश्यों के प्रवर्तन, जैसे-महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण के संबंध में, मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है।
3. अनुच्छेद 34 के अनुसार, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि द्वारा प्रवर्तन में है तो संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों को निर्बन्धित कर सकती है।
4. अनुच्छेद 352 के अनुसार, जब राष्ट्रपति आपात् काल की उद्घोषणा करता है तो उस दौरान संविधान द्वारा प्रत्याभूत अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार स्वत: ही निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकारों को समाप्त कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत् राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता।

संसद की मौलिक अधिकारों को निर्बन्धित करने की शक्ति

मूल अधिकारों के प्रवर्तन पर संसद लोकहित में तथा देश की प्रभुत्ता और अखण्डता को देखते हुए निम्न प्रतिबन्ध अधिरोपित कर सकती है-

1. संसद को सशस्त्र बलों को या पुलिस बलों को या सूचना संगठनों को लागू होने में मूल अधिकारों को उपांतरित करने की शक्ति प्राप्त है, ताकि उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन हो सके तथा उनमें, अनुशासन बना रहे। इस शक्ति के प्रयोग से संसद ने कई अधिनियम परित किए हैं। जैसे- सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957।
2. संसद लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सुरक्षा बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार उपान्तरित कर सकती है।
3. संसद बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर-संचार प्रणाली या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों के मूल अधिकारों को निर्बन्धित कर सकती है।

संसद और मौलिक अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, परन्तु मौलिक अधिकारों के संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। मौलिक अधिकार के संशोधन के संदर्भ में अनुच्छेद 368 के उपयोग पर सदैव विवाद रहा है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जिससे मूल अधिकार सीमित हों।

1. शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, 1951

उच्चतम न्यायालय संविधान का सर्वोच्च निर्वचनकर्त्ता है। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951 के वाद में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठाया गया कि क्या मौलिक अधिकारों का संशोधन संसद कर सकती है या नहीं? इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अन्तर्गत नहीं आता, अतएव संसद संशोधन कर सकती है।

2. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967

इस वाद तक उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि संविधान का ऐसा कोई भाग नहीं है, जिसका संशोधन संसद अनुच्छेद 368 के तहत् नहीं कर सकती, किन्तु गोलकनाथ के मामले में न्यायालय ने कहा कि चूंकि मौलिक अधिकारों को संविधान में सर्वोपरि स्थिति प्रदान की गयी है, अत: संविधान के अधीन काम करने वाला कोई भी प्राधिकारी (जिसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति का प्रयोग करने वाली संसद भी शामिल है) मूल अधिकारों का संशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है। 1971 में किये गए संविधान के 24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 का संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है।

3. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973

इस वाद में न्यायालय ने जहाँ एक ओर 24वें संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को स्वीकार कर 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' के अपने ऐतिहासिक निर्णय को बदल दिया, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट कर दिया कि संविधान के "आधारिक लक्षणों" में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

1976 के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 स्थापित करके यह स्पष्ट किया गया कि संविधान (मूल अधिकारों वाला भाग तीन) में संशोधन करने के अनुच्छेद 368 के तहत् संसद को अनन्य शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के प्रयोग द्वारा किये गए किसी संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

4. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980

इस वाद में न्यायालय ने बहुमत से अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 को संविधान के "आधारिक लक्षणों" का उल्लंघन करने के आधार पर अविधिमान्य घोषित कर दिया और मूल अधिकारों को संविधान के "आधारभूत लक्षणों" में शामिल कर दिया।

इस निर्णय द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन के दो प्रावधानों खण्ड 4 (जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि निर्देशक तत्त्वों को लागू करने के लिए संसद जिन कानूनों का निर्माण करे, उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये कानून संविधान में दिए गए किसी अधिकार को सीमित या समाप्त करते हैं) और खण्ड 5 में यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा

संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को (जिसमें संविधान का भाग-3 भी सम्मिलित है) इसके अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी कि अनुच्छेद 368 द्वारा बतलाई गई प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, को अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि इनसे संविधान के मूल ढाँचे को आघात पहुंचता था और ये केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन करते थे।

इस प्रकार संसद की विधि निर्माण की शक्ति को सीमित कर दिया गया तथा संसद द्वारा निर्मित कानूनों तथा संविधान संशोधनों की जांच उच्चतम न्यायालय ने अपने अधिकार में ले लिया।

मौलिक अधिकारों से संबंधित सिद्धांत

1. पृथक्कीकरण का सिद्धांत

यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी कानून का कोई भाग मौलिक अधिकारों से असंगत अथवा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो उसे पूर्णत: असंवैधानिक और शून्य नहीं घोषित किया जाएगा, इसके लिए शर्त यह है कि वह भाग पृथक्करणीय हो। यदि वह भाग पृथक्करणीय नहीं है तो उस पूरे कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा।

2. अधित्यजन का सिद्धांत

मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांतों में सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत अधित्यजन का सिद्धांत है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसे मौलिक अधिकार प्रदान किया गया हो, वह इनका परित्याग नहीं कर सकता।

3. आच्छादन का सिद्धांत

संविधान के प्रवर्तन के पूर्व भारत में प्रवृत्त विधियां, जो मूलाधिकारों से असंगत है या उनके विरुद्ध हैं, समाप्त नहीं होती, बल्कि निष्क्रिय हो जाती हैं और ऐसी विधियां मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं।

4. भावी प्रवर्तन का सिद्धांत

मौलिक अधिकार का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, बल्कि इसका भावी प्रभाव है। भारतीय संविधान प्रवर्तन के पूर्व प्रवृत्त विधियों पर मौलिक अधिकारों का प्रभाव उस तिथि से होगा, जिस तिथि से इन्हें लागू किया गया हो। इसलिए संविधान पूर्व प्रवृत्त विधियों के अधीन संविधान के प्रवर्तन के पूर्व उत्पन्न अधिकार एवं दायित्व का प्रवर्तन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद भी कराया जा सकता है।

5. न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत

जब राज्य, जिसके अंतर्गत संसद, विधानमण्डल, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी शामिल हैं, कोई अधिनियम अथवा अध्यादेश जारी करते हैं और इनमें अंतर्विष्ट प्रावधान संविधान के भाग 3 में व्यक्तियों को प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो याचिका दाखिल किये जाने पर न्यायालय उनका पुनर्विलोकन कर सकते हैं। न्यायालय, न्यायालयों के ऐसे निर्णयों का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिगृहीत किया गया है।

मानवाधिकारों के रूप में मूल अधिकार

प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए मूल अधिकार वास्तव में बहुत आवश्यक हैं। हम यह भी जानते हैं कि अच्छा परिवेश, अच्छी जीवन दशाएं तथा मानवीय गरिमा के संरक्षण के लिए मानव हमेशा से ही अन्याय, उत्पीड़न तथा असमानता के विरोध में संघर्षमय रहा है। सभी मानवों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयास किये गये हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्र में सुनिश्चित किया। कुछ मानवाधिकार हैं: कानून के समक्ष समता, भेदभाव से मुक्ति, जीवन, स्वतंत्रता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार, अबाध भ्रमण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शादी एवं परिवार बनाने का अधिकार, विचारों, अन्त:करण तथा धर्म की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन और संघ बनाने का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार आदि। यदि आप उपरोक्त अधिकारों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करेंगे तो महसूस करेंगे कि ये मानवाधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं।

यही कारण है कि इनको भारतीय संविधान के मूलाधिकारों के अध्याय में स्थान दिया गया है। कुछ मानवाधिकार जो मूलाधिकारों के अध्याय में उल्लेखित नहीं है उन्हें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया ताकि इन अधिकारों को भारतीय नागरिकों के लिए प्रत्याभूत किया जा सके।

मौलिक अधिकारों की सीमाएँ

यद्यपि, भारतीय संविधान इन सभी मौलिक अधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करता है तथापि इसके कुछ अपवाद एवं सीमाएँ भी हैं। नागरिक पूर्णत: अपनी इच्छा से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इनका उपयोग वह कुछ संवैधानिक सीमाओं में रह कर ही कर सकता है। भारतीय संविधान इन अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगाता है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य बरकरार रह सकें। संविधान का सदैव यह उद्देश्य रहा है कि वह सामूहिक हितों के साथ-साथ व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखें। उदाहरण स्वरूप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग अपराध करने अथवा अन्य गैर सामाजिक गतिविधि हेतु न किया जा सके। अत: हमारा संविधान राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों पर यथाचित प्रतिबंध लगा सकता है।

1. अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिससे राष्ट्र की अखण्डता एवं एकता, बंधुत्व, संप्रभुता, भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, बाहरी राष्ट्रों/राज्यों के साथ मधुर सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता आदि की हानि न हो व अपराध एवं न्यायालयों की अवमानना न हो।
2. भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक आदेशों की रक्षा हेतु बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
3. संप्रभुता, एकता, अखंडता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए संघों के गठन करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
4. सामान्य नागरिकों अथवा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा हेतु भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने अथवा निवास करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

EBD_7939

5. किसी भी व्यवसाय को करने अथवा पेशे को अपनाने न उसका अभ्यास करने के अधिकार पर सामान्य जनता के हितों की सुरक्षा हेतु प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

राज्य को यह अनुमति भी है कि वह किसी पेशे के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कर सकता है।

मौलिक कर्त्तव्य

प्रत्येक अधिकार के एवज में नागरिकों से समाज भी कुछ आशा करता है जिन्हें सामूहिक रूप से मूल कर्त्तव्य कहा जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कर्त्तव्य भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किये गये हैं।

26 जनवरी, 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। इसमें केवल नागरिकों के अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था। ऐसी आशा की गई थी कि भारत के नागरिक स्वतन्त्र भारत में अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे। किन्तु, आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों की सूची को जोड़ दिया। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 'क' जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 51 'क' के अन्तर्गत दस मौलिक कर्त्तव्यों का वर्णन है। ये कर्त्तव्य प्रकृति से आचार संहिता हैं। चूंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, अत: इनके पीछे कोई कानूनी अनुशास्ति नहीं हैं।

वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संविधान के भाग IV में सन्निहित अनुच्छेद 51 'क' मौलिक कर्त्तव्यों के बारे में है। ये अन्य चीजों के साथ-साथ नागरिकों को, संविधान का पालन करने, आदर्श विचारों को बढ़ावा देने और अनुसरण करने का आदेश देता है, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली थी, देश की रक्षा करने और जब बुलावा हो तो देश की सेवा करने और सौहार्दता एवं समान बंधुत्व की भावना विकसित करने एवं पारा धार्मिकता का संवर्धन करने, भाषाविद् और क्षेत्रीय एवं वर्ग विविधताओं का विकास करने का आदेश देता है।

गांधीजी ने सभी नागरिकों को आर्थिक तथा सामाजिक जिम्मेदारी पर बल देने का प्रयास किया था। उन्हीं के विचारों को ध्यान में रखकर संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा संविधान में 'मूल कर्त्तव्य' शीर्षक से एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किन्तु, वर्ष 2002 में संविधान में संशोधन करके 11वें कर्त्तव्य को जोड़ दिया गया, जिससे अब भारतीय नागरिकों के 11 कर्त्तव्य हो गए हैं। ये कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं:

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद-भाव से परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।
6. हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका संरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव भी हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए, प्रयत्न और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके।
11. माता-पिता अथवा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें (86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया)।

मौलिक कर्त्तव्यों का अनुपालन

संविधान में मूल कर्त्तव्यों का समावेश करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके सामाजिक और आर्थिक दायित्वों के प्रति हित में कुछ न करने की चेतावनी देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ मूल कर्त्तव्यों के अनुपालन के संबंध में वैधानिक प्रावधान विद्यमान हैं, जो युक्ति-युक्त हैं। वर्मा समिति के अनुसार निम्नलिखित मामलों में विधियां हैं-

1. राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगीत के प्रति अवमानना न प्रदर्शित की जाए, यह सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक संबंधी विधेयक, 1971 पारित किया गया।
2. प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग पर रोक) विधेयक, 1950 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ समय पश्चात् पारित किया गया। इसके उद्देश्य में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत का अनुचित उपयोग रोकना भी शामिल है।
3. राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन में इसके साथ उचित बर्ताव किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिए गए निर्देश भारतीय ध्वज संहिता में संकलित हैं। जिसे सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को उपलब्ध कराया गया है।
4. मौजूदा आपराधिक कानूनों में यह सुनिश्चित करने वाले कई प्रावधान मौजूद हैं, जैसे- जिन गतिविधियों से विभिन्न जनसमूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्म-स्थान, निवास, भाषा आदि आधारों पर शत्रुता को प्रोत्साहन मिलता हो, उन्हें उचित सजा के दायरे में लाया जा सके। ऐसा लेखन, भाषण, हाव-भाव, गतिविधियां, अभ्यास और अंग संचालन आदि जिससे अन्य समुदायों के मध्य असुरक्षा अथवा दुर्भावना पैदा होती है, भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 153(क) के अन्तर्गत वर्जित है।
5. ऐसे आरोप और दावे, जो राष्ट्रीय एकता के प्रति दुराग्रहपूर्ण हों, आई.पी.सी. की धारा 153(ख) के तहत् दंडनीय हैं।
6. गैर कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत् किसी सांप्रदायिक संगठन को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया जा सकता है।
7. धर्म से जुड़ी आक्रामक गतिविधियां आई.पी.सी. की धाराओं 295-298 (अध्याय-15) के तहत् आती हैं।
8. नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 (पहले अस्पृश्यता निराकरण अधिनियम, 1955) के संरक्षण के प्रावधान।

9. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) और 3(क) यह घोषित करती है कि धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकों के विविध वर्गों के बीच धर्म, जाति, समुदाय अथवा भाषा को आधार बनाते हुए शत्रुता और घृणा की भावना फैलाकर वोट मांगना एक भ्रष्ट व्यवहार है। भ्रष्ट व्यवहार में संलग्न कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(क) के तहत् संसद अथवा किसी राज्य विधान सभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता है।

जहां किसी विधि के एक से अधिक निर्वाचन संभव हों, न्यायालय नागरिकों के मूल कर्त्तव्य संबंधी उपबन्धों का सहारा ले सकते हैं। रामप्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (ए आई आर 198 इला0 309) में इलाहाबाद न्यायालय ने कहा कि संविधान में भाग 4(क) का समावेश होने से नागरिकों के कर्त्तव्यों के अनुपालन का मामला संवैधानिक विधि के क्षेत्र में आ गया है और अब इस पर विचार किया जा सकता है।

संविधान नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वह अपने दायित्वों का निर्वाह आधे मन से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। शासक और विधायक, मंत्री, सांसद और प्रशासक-सभी को न केवल नगारिकों के कर्त्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, अपितु नागरिक होने के नाते अपने मूल कर्त्तव्यों के पालन के प्रति भी पूर्णतया सचेत रहना चाहिए। संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी शासक का है, क्योंकि जहां भी संविधान कोई दायित्व 'राज्य' को सौंपता है, उसका पालन उन नागरिकों के हाथों में होता है जो सत्ता में हैं अथवा शासन में हैं।

लोकतंत्र में नागरिकों के लिए यह नितांत जरूरी है कि वे लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाओं में भागीदारी करें और अपने सही प्रतिनिधि चुनकर उत्तरदायित्व की भावना का परिचय दें। लोकतंत्र का सफल प्रयोग हमारी नागरिकता की गुणात्मकता पर निर्भर है। इसके लिए समर्पित गतिशील, अनुशासित और बुद्धिमान नागरिकों की आवश्यकता है। सतत् सतर्कता के बगैर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। संविधान द्वारा निरूपित कर्त्तव्य नागरिकता के न्यूनतम दायित्व हैं, जिनका पालन किया जाना चाहिए अन्यथा स्वतंत्रता और लोकतंत्र कायम नहीं रह सकते। नागरिकों को अपने निजी जीवन में आत्मानुशासन, निम्न प्रवृत्तियों पर अंकुश, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य और राष्ट्र के उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ इसी प्रकार अनुच्छेद 15(क) के अंतर्गत यह नागरिकों का कर्त्तव्य बनता है कि वह व्यक्ति-व्यक्ति के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव न करें। सबसे महत्त्वपूर्ण नागरिकता मूल्य तथा सांविधानिक दायित्व अपने साथी नागरिकों का अपने भाई-बहनों की तरह, एक परिवार के सदस्यों की तरह ध्यान रखना तथा अपनी स्वतंत्रता तथा अन्य मूल अधिकारों की रक्षा करना ही है।

मूल कर्त्तव्यों का पालन कराने का एक मात्र तरीका यह है कि लोगों को नागरिकता के मूल्यों तथा कर्त्तव्यों के बारे में शिक्षित किया जाए और उनमें पर्याप्त जागृति उत्पन्न की जाए तथा एक ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाए, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों का पालन करने तथा समाज के प्रति अपना ऋण चुकाने में वर्ग तथा बंधन का अनुभव करें।

मौलिक कर्त्तव्यों का मूल्यांकन

समाज में हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनके बदले में हमें कुछ ऋण भी चुकाने पड़ते हैं। ये ऋण ही हमारे कर्त्तव्य हैं। हर नागरिक का यह दायित्व है कि वह संविधान और कानूनों का पालन करें, देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहे तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इस दृष्टि से यदि कर्त्तव्यों को लें तो वे निर्विवाद माने जायेंगे, परन्तु जिस रूप में कर्त्तव्य हमारे संविधान में रखे गए हैं, उससे विद्वान संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए संविधान के इस भाग की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है-

1. आपातकाल में सृजन हुआ

इन मौलिक कर्त्तव्यों की प्रमुख आलोचना इस बात पर की जाती है कि आन्तरिक आपातकाल के दौरान जबकि देश के विचारक, विद्वान, विधिवेत्ता तथा राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, उस समय 42वें संशोधन ने इन कर्त्तव्यों को एकांगी रूप में संविधान में जोड़ दिया। इस संबंध में जनता, उसके नेताओं को व समाज के बुद्धिवादी वर्ग को इस पर विचार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ और सत्तारूढ़ दल के द्वारा मनमाने ढंग से इसकी रचना कर दी गई। किंतु, इस आलोचना में अधिक तथ्य दिखलाई नहीं देता, क्योंकि ये कर्त्तव्य अत्यन्त विवाद रहित तथा सामान्य प्रकृति के हैं। इतना ही नहीं आपातकाल के पश्चात् बनी जनता सरकार ने भी इनकी उपयोगिता समझ कर इन्हें संविधान में से निकाल बाहर करने का कोई प्रयास नहीं किया।

2. कुछ कर्त्तव्य सर्वथा अस्पष्ट हैं

आलोचकों का कहना है, कि संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका अर्थ एकदम स्पष्ट हो, परन्तु 'कर्त्तव्यों' वाले भाग में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका मनमाना अर्थ लगाया जा सकता है जैसे-'मिली-जुली संस्कृति', 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण', 'अन्वेषण और सुधार की भावना' तथा 'मानववाद' आदि ऐसे ही शब्द हैं, जिनका अर्थ सर्वथा अस्पष्ट है।

3. कुछ कर्त्तव्यों को मात्र दोहराया गया है

कई ऐसे कर्त्तव्य हैं जिन्हें मात्र दोहराया गया है। उदाहरण के लिए, तीसरा कर्त्तव्य कहता है कि नागरिक को भारत की सम्प्रभुत्ता की रक्षा करनी चाहिए, लगभग यही बात चौथे कर्त्तव्य में इन शब्दों में रखी गई है कि नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। छठे कर्त्तव्य के अन्तर्गत जिस 'मिली-जुली संस्कृति' की बात कही गई है, लगभग वही बात पांचवें कर्त्तव्य में भी आ गई है।

4. दण्डात्मक व्यवस्था का अभाव है

स्वर्णसिंह समिति ने यह सुझाव दिया था कि मौलिक कर्त्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दण्ड दिया जाए और उसके लिए उचित कानूनों का निर्माण किया जाए, परन्तु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

मौलिक कर्त्तव्य आधार संहिता के रूप में

नागरिकों के लिए मौलिक कर्त्तव्य आधार संहिता के रूप में हैं। इनमें से कुछ कर्त्तव्य अस्पष्ट व अवास्तविक हैं। उदाहरणस्वरूप एक आम नागरिक यह नहीं समझ सकता कि बहुसंस्कृति, समृद्ध विरासत, मानवतावाद अथवा सामूहिक या व्यक्तिगत गतिविधियों में सभी क्षेत्रो में उत्कृष्टता के प्रयास से क्या अभिप्राय है। वे इन कर्त्तव्य का महत्व तभी समझ सकते हैं जब इन शब्दों का सरलीकरण किया जाए। चूँकि इन कर्त्तव्यों का स्वरूप न्यायसंगत नहीं है अत: यह भी इन्हें कम महत्वपूर्ण बनाता है। मौलिक कर्त्तव्य महान परामर्श की भाँति हैं जिनमें कुछ नागरिक कर्त्तव्य और अन्य नैतिक कर्त्तव्य निहित हैं।

कानूनी तौर पर कोई भी नागरिक इनके प्रति बाध्य नहीं है और न ही न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता तो कोई भी उसे दण्डित नहीं कर सकता। स्पष्ट है भारतीय संविधान का अभिन्न अंग होते हुए भी इन कर्त्तव्यों के पालन हेतु कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। ये कर्त्तव्य नागरिकों को शैक्षिक मूल्य सिखाते हैं और नैतिक प्रभाव डालते हैं। अत: लोग इन कर्त्तव्यों का पालन जनहित के लिए व नैतिक बाध्यता के कारण करते हैं। संविधान में इन मौलिक कर्त्तव्यों का समावेश देश की प्रगति, शांति व समृद्धि हेतु अनिवार्य माना गया है।

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-1

1. 'प्रतिषेध (Prohibition) नामक रिट जारी करने के पीछे उद्देश्य नहीं होता है-
   (a) अवर (Lower) न्यायालय को अपने अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य करना।
   (b) न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारियों की सीमा निर्धारित करना।
   (c) जब किसी कार्यवाही में अधिकारिता के दोष के कारण मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ता हो।
   (d) यह कार्य को निष्क्रय करने के उद्देश्य से जारी होती है।
2. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन-सा सही नहीं है?
   (a) राज्य धार्मिक वृत्तियों से जुड़े हुए आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक व अन्य धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलाप का विनियमन कर सकता है
   (b) धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अनुरक्षण के आधार पर रोक लगायी जा सकती है।
   (c) प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का अधिकार है।
   (d) किसी धार्मिक सम्प्रदाय द्वारा एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन तथा अनुरक्षण देने के लिए विनियोजित की गई निधियों पर कर नहीं लगाया जा सकता है।
3. मौलिक कर्त्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है।
   (b) उन्हें संवैधानिक प्रकिया द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है।
   (c) अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है।
   (d) मौलिक कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
4. निम्नलिखित में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) आपातकाल के दौरान श्रीमती ईदिरा गाँधी ने 42वें संविधान संसोधन अधिनियम (1976) के द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्त्तव्यों की सूची को जोड़ दिया।
   (b) 26 जनवरी 1950 को लागू किए गये भारतीय संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था।
   (c) संविधान में एक नया भाग 4 (क) जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 51 (क) के अंतर्गत दस मौलिक कर्त्तव्यों का वर्णन है।
   (d) 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मौलिक कर्त्तव्यों की सूची 12 हो गयी है।
5. निम्नलिखित में कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है?
   (a) विधि के समक्ष समानता - नागरिकों एंव गैर-नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की जाती है
   (b) किसी राज्य का नाम - राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ
   (c) किसी नए राज्य की स्थापना करना - संसद की शक्तियाँ
   (d) लोक नियोजन में अवसर - केवल भारत के नागरिकों की समानता के लिए सुनिश्चित है
6. भारतीय संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता (Secularism) का निम्न में एक भाव नहीं है-
   (a) राज्य सभी धर्मों को एक समान सम्मान देता है।
   (b) राज्य सभी धर्मों को वित्तीय सहायता देने में भेदभाव नहीं करता है।
   (c) राज्य सभी धर्मों के लिए धार्मिक स्मारक बनाता है।
   (d) राज्य सभी धर्मों को अपने मामले के प्रबंध करने का अधिकार देता है।
7. किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तारी के संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त है?
   (a) उसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाएगा
   (b) उसे अपने विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा
   (c) उसे 24 घंटे को भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा
   (d) उपरोक्त सभी
8. अनुच्छेद 14 में वर्णित अभिव्यक्ति "विधि का समान संरक्षण" से क्या अभिप्राय है?
   (a) प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही विधि लागू करना
   (b) समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार
   (c) प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का आचरण करना
   (d) उपरोक्त सभी
9. अनुच्छेद-51 (क) में उल्लिखित मौलिक कर्त्तव्यों में आये हुए पद "सामासिक संस्कृति" (composite culture) से अभिप्राय है-
   (a) हिन्दी भाषा और साहित्य से
   (b) हिन्दुस्तानी भाषा और साहित्य से
   (c) संस्कृत भाषा और साहित्य से
   (d) 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषा व उनके साहित्य से।
10. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन-सा सही नहीं है-
    (a) राज्य धार्मिक वृत्तियों से जुड़े हुए आर्थिक. वित्तीय, राजनीतिक व अन्य धर्मनिरक्षेप क्रियाकलाप का विनियमन कर सकता है
    (b) धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अनुरक्षण के आधार पर रोक लगायी जा सकती है।
    (c) प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का अधिकार है।
    (d) किसी धार्मिक सम्प्रदाय द्वारा एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन तथा अनुरक्षण देने के लिए विनियोजित की गयी निधियों पर कर नहीं लगाया जा सकता है।
11. भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है?
    (a) इस अधिकार के अन्तर्गत बाल और वयस्क निरक्षरता, दोनों आती हैं और इसलिए वह भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता है
    (b) यह अधिकार बाल अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु-समूह के बच्चे आते हैं तथा यह वर्ष 2015 से लागू होगा
    (c) यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जो संसार का पहला कल्याणकारी राज्य था
    (d) यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है
12. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में से कौन-सा अधिकार गैर-नागरिकों को भी प्राप्त हैं?
    (a) वाक् की, सम्मेलन करने की एंव संघ बनाने की स्वतंत्रता
    (b) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में संचरण करने, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता
    (c) सम्पत्ति अर्जित करने, या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता
    (d) सांविधानिक उपचारों का अधिकार

13. निम्नलिखित में से किसका 'स्वतंत्रता के अधिकार' के विवेकसम्मत प्रतिबन्ध के रूप में अर्थ लगाया जाएगा?
(a) जब राज्य किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म के नाम पर मत प्राप्त करने को अननुज्ञात करता है।
(b) जब राज्य, नागरिकों को राज्य निधियों से ऐसे क्लब का निर्माण करने को अननुज्ञात करता है जो महिलाओं को पहुँच से वंचित करता है।
(c) जब नागालैंड की सरकार नागालैंड में अस्थायी निवासियों को सम्पत्ति खरीदने के लिए अननुज्ञात करती है।
(d) उपर्युक्त सभी।

14. मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं?
(a) अमेरिका (b) आयरलैंड
(c) ऑस्ट्रेलिया (d) रूस

15. संविधान को किस धारा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है?
(a) धारा-28 (b) धारा-29
(c) धारा-31 (d) धारा-32

16. किस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है।
(a) अनुच्छेद 33 (b) अनुच्छेद 34
(c) अनुच्छेद 31 (d) अनुच्छेद 32

17. निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन-सा है जिसे डॉ. अम्बेडकर के अनुसार 'संविधान का दिल' कहा जा सकता है?
(a) सांविधानिक उपचारों का अधिकार
(b) धर्म का अधिकार
(c) समता का अधिकार
(d) स्वतंत्रता का अधिकार

18. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है?
(a) जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
(b) धर्म की स्वतंत्रता
(c) समानता की अधिकार
(d) अभिव्यक्ति का अधिकार

19. मौलिक अधिकार निलंम्बित किए जा सकते हैं
(a) राज्यपाल द्वारा (b) राष्ट्रपति द्वारा
(c) विधि मंत्री द्वारा (d) प्रधानमंत्री द्वारा

20. निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है?
(a) समता का अधिकार (b) शोषण के प्रति अधिकार
(c) हड़ताल का अधिकार (d) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

21. मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है?
(a) केवल 5 (b) केवल 4
(c) केवल 2 (d) केवल 3

22. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है?
(a) समता का अधिकार (b) स्वतंत्रता का अधिकार
(c) सम्पत्ति का अधिकार (d) शोषण के विरुद्ध अधिकार

23. डॉ. बी आर अम्बेडकर ने संविधान का 'हृदय और आत्मा' किसे कहा था?
(a) समानता का अधिकार
(b) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(c) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(d) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

24. भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हैं?
(a) भाग II (b) भाग III
(c) भाग V (d) भाग IV A

25. भारतीय संविधान में मौलिक कर्त्तव्य कब समाविष्ट किए गए?
(a) वर्ष 1971 में (b) वर्ष 1972 में
(c) वर्ष 1975 में (d) वर्ष 1976 में

26. संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद मौलिक कर्त्तव्यों से सम्बन्धित है?
(a) अनुच्छेद 39 ग (b) अनुच्छेद 51 क
(c) अनुच्छेद 29 ख (d) इनमें से कोई नहीं

27. भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मूल कर्तव्य नहीं है?
(a) लोक चुनावों में मतदान करना
(b) वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना
(c) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना
(d) संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना

28. किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था?
(a) पुंछी आयोग (b) एल. एम. सिंघवी समिति
(c) स्वर्ण सिंह समिति (d) सरकारिया आयोग

29. भारतीय संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा एक, नागरिकों का मूल कर्तव्य है?
(a) पड़ोसी देशों के लोगों को मैत्रीपूर्ण सहयोग प्रदान करना
(b) राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों का संरक्षण करना
(c) राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाये।
(d) भारत के इतिहास के विषय में अधिकाधिक जानना।

30. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है?
(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिए राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

31. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है?
(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 21
(c) अनुच्छेद 25 (d) अनुच्छेद 29

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-2

1. अनुच्छेद-17 में उल्लेखित मूल अधिकार 'अस्पृश्यता का अंत' (Abolition of Untouchability) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें-
   1. संसद द्वारा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया।
   2. 1974 में यह संशोधित होकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया है।

   उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही कूट का चयन करें-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) दोनों गलत

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन-से सही है?
   1. इस अनुच्छेद में दिया गया मूलाधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और विभिन्न मामलों में नजरबंद किये जाने से रक्षा करता है।
   2. यह मूलाधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए हैं।
   3. इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए हैं, जिन्हें किसी निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है।
   4. इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार विदेशी शत्रु के लिए नहीं हैं।

   नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए-
   (a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 4
   (c) 1, 2 और 4 (d) 1 और 4

3. अनुच्छेद 51 के अनुसार, राज्य-
   1. विश्व शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
   2. राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा।
   3. राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर और सम्मान बढ़ाने का प्रयास करेगा।
   4. अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

   कूटः
   (a) केवल 1
   (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1, 3 और 4
   (d) 1, 2, 3 और 4

4. भारतीय संघ प्रणाली के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूटों में से सही कूट की पहचान कीजिए-
   1. भारत में इकहरी नागरिता का प्रयोजन किया गया है।
   2. राज्य अपनी इच्छा से संघ से अलग नहीं हो सकते।
   3. भारत में कर लगाने की शक्ति केवल संघीय सरकार के पास है, राज्यों के पास नहीं है।
   4. भारत में संघ और राज्य के रूप में दो राजव्यवस्था का उल्लेख है।

   कूटः
   (a) 1, 2 , 3 (b) 1, 2 , 4
   (c) 1, 3, 4 (d) 2, 3, 4

5. भारतीय संविधान में दिए हुए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में क्या-क्या सम्मिलित नहीं है?
   1. आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार।
   2. किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाना।
   3. धार्मिक एंव खैराती संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण
   4. सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना।

   नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए-
   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) 1, 3 और 4 (d) 2 और 4

6. भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है-
   1. सामाजिक तथा आर्थिक न्याय
   2. विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
   3. अवसर की समानता
   4. व्यक्ति की गरिमा

   सही कूट का चयन करें-
   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) 2, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

7. निम्नलिखित में कौन-कौन से भारत के संविधान में 'शोषण के विरूद्ध अधिकार' का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं?
   1. मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।
   2. अस्पृश्यता का अन्त।
   3. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
   4. कारखाने और खान में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 1 और 4 (d) 2, 3 और 4

8. अनुच्छेद-31 (क) संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में उपबंध है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
   1. सम्पत्ति का अर्जन (Acqusition of Property)
   2. सम्पत्ति का प्रबंधन (Management of Property)
   3. निगमों का समामेलन (Amalgamation of Conformations)
   4. निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों को मत देने का अधिकार

   उपर्युक्त में से सही है/हैं-
   (a) 1, 2, 3, 4 (b) 1, 2
   (c) केवल 2 (d) 1, 2, 3

9. अनुच्छेद-21 के संबंध में निम्न में से सही कथन का चयन करें-
   1. ब्रिटिश संविधान में प्रयुक्त-'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' (Due Process of Law) को स्वीकार करते हुए यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल हुआ है।
   2. संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) पद को शामिल किया गया है।

3. इसमें स्वतंत्रता को अनुच्छेद-19 में वर्णित स्वतंत्रताओं के संदर्भ में ही व्याख्यायित किया गया है।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 3

10. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित हैं-
1. धर्म प्रचार करने का अधिकार
2. सिक्खों को 'कृपाण' धारण करने एवं रखने का अधिकार
3. राज्यों को समाज-सुधार सम्बन्धित विधि निर्माण का अधिकार
4. धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म-परिवर्तन कराने का अधिकार

नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

कूट:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 3 एंव 4 (d) उपरोक्त सभी

11. अनुच्छेद-24 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से कौन-सा/से अधिनियम लाए गए है/हैं-
1. बालक श्रम प्रतिबंध अधिनियम, 1986
2. कारखाना अधिनियम, 1948
3. खान अधिनियम, 1953
4. बाल सरंक्षण अधिनियम, 2006

(a) 1, 2, 3 (b) 1, 2, 3, 4
(c) 1, 3, 4 (d) 1, 2, 4

12. निम्न में से किन आधारों पर राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है?
1. प्रजाति और धर्म 2. लिंग
3. राष्ट्रीयता और वर्ण 4. आयु और मूल निवास

निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए

(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) 1, 2 और 4

13. भारत में 'वाक्-स्वातन्त्रय' और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्रय का अधिकार-
1. भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बन्धित है।
2. न्यायालय की अवमानना के आधार पर निर्बन्धित है।
3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बन्धित है।
4. अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार पर निर्बन्धित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 4

14. अनुच्छेद-17 में उल्लिखित मूल अधिकार 'अस्पृश्यता का अंत' (Abolition of Untouchability) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें-
1. संसद द्वारा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनयमित किया गया।
2. 1974 में यह संशोधित होकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनयम हो गया है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही कूट का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) दोनों गलत

15. निम्नलिखित मूलाधिकारों पर विचार करें-
1. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
2. लोकनियोजन के विषय में अवसर की समानता
3. अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
4. शोषण के विरूद्ध अधिकार

उपर्युक्त मौलिक अधिकारों में से कौन-से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं-

(a) 1, 2, 3, 4 (b) 2, 3, 4
(c) 1, 2, 4 (d) 1, 2, 3

16. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. भारत में अनुच्छेद-32 के अधीन सांविधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं।
2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन से बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपृच्छा की रिट जारी कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

17. अनुच्छेद-14 के तहत् समता के अधिकार से निम्न में से किन लोगों का छूट, प्रदान की गयी है-
1. राष्ट्रपति/राज्यपाल
2. राजदूत/विदेशी शासक
3. संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक
4. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

निम्न में से सही विकल्य का चयन करें-

(a) 1, 3, 4 (b) 1, 2, 4
(c) 1, 2 (d) 1, 2, 3

18. भारत के संविधान में अन्तर्विष्ट मूल कर्त्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. मूल कर्त्तव्य रिट अधिकारिता के माध्यम से प्रवर्तित किए जा सकते हैं।
2. मूल कर्त्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका एक भाग है।
3. मूल कर्त्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के अनुसार संविधान का एक भाग बने।
4. मूल कर्त्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) 1 और 2 (b) 2 और 4
(c) 2 और 3 (d) 3 और 4

19. अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित में से किनके लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करता?
1. बालक एवं स्त्रियाँ
2. सामाजिक एंव शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग
3. अनुसूचित जाति एंव जनजाति के लोग

उपुर्यक्त में से सही का चयन कीजिए-

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 2 और 3 (d) केवल 3

EBD_7939

20. अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को कौन-सा/से संरक्षण प्राप्त है/हैं?
    1. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सरंक्षण
    2. विधि की उचित प्रक्रिया का सरंक्षण
    3. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संरक्षण

    उपर्युक्त में से सही का चयन कीजिए-
    (a) केवल 1 (b) 2 और 3
    (c) 1 और 3 (d) केवल 2

21. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए संविधान सभा किससे प्रभावित हुई?
    1. बिल ऑफ राइट्स (अमेरिका)
    2. मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र (संयुक्त राष्ट्र संघ)
    3. फ्रांसीसी मानव अधिकारों की घोषणा

    उपर्युक्त में से सही का चयन कीजिए-
    (a) केवल 1 (b) 1, 2 और 3
    (c) 2 और 3 (d) केवल 3

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि
    1. इससे वाक् स्वातन्त्रय और अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय के अधिकार का उल्लंघन होगा।
    2. इससे अन्त: करण की और धर्म के अबोध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
    3. राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबन्ध नहीं है।

    कूट
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

23. भारतीय संविधान में दिए हुए धर्म की स्वतन्त्रता के अधिकार में निम्नलिखित में क्या-क्या सम्मिलित नहीं हैं?
    1. आत्मा की स्वतन्त्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार।
    2. किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना।
    3. धार्मिक एवं खैराती संस्थाओं (Religious and Charitable lnstitutions) की स्थापना और उनका अनुरक्षण।
    4. सरकार द्वारा पोषित (State Funded) किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
    (c) 1, 3 और 4 (d) 2 और 4

24. अनुच्छेद-29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है
    1. भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
    2. राज्य द्वारा पोषित/राज्यनिधि (State Funded) से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर ही वंचित किया जाएगा।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

25. मूल अधिकारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में कौन-से कथन सही हैं?
    1. इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
    2. ये अधिकार अनुच्छेद 30 से 51 के अन्तर्गत दिए गए हैं।
    3. इन अधिकारों से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है।
    4. ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं।
    5. इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है।

    कूट
    (a) 1, 3, 4 और 5 (b) 1, 2, 3 और 5
    (c) 1 और 3 (d) 1, 3 और 5

26. मौलिक कर्त्तव्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. भारत के सभी लोगों में समरसता (Harmony) तथा भ्रातृत्व (Brotherhood) की भावना का निर्माण करना।
    2. सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
    3. सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Property) को सुरक्षित रखें।
    4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 2
    (c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

27. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. यह प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित करने पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है।
    2. यह पाँचवी तथा आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में किसी बच्चे के असफल होने की स्थिति में पुन: परीक्षा का प्रावधान करता है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

28. निम्नलिखित पर विचार कीजिये:
    1. धार्मिक मामलों और संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
    2. अंत:करण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता।
    3. धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव का प्रावधान।

    उपर्युक्त प्रावधानों में से कौन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

29. निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए-
    किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि-
    1. इससे वाक् स्वातन्त्रय और अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय के अधिकार का उल्लंघन होगा।
    2. इससे अन्त:करण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
    3. राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबन्ध नहीं है।

    (a) 1 और 2 सही है
    (b) 2 और 3 सही है
    (c) 1, 2 और 3 सही है
    (d) उपरोक्त में कोई सही नहीं है

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. अनुच्छेद 301 सम्पत्ति के अधिकार से सम्बद्ध है।
    2. सम्पत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किन्तु यह मूल अधिकार नहीं है।
    3. भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 A उस समय केन्द्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अन्त: स्थापित किया गया।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 2 (b) 2 व 3
    (c) 1 व 3 (d) 1, 2 व 3

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अन्तर्गत राज्य द्वारा 6-14 वर्षों के आयु-वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया।
    2. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है।
    3. शिक्षा, भारत के संविधान के 42वें संशोधन, 1976 ई. द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) 1, 2 तथा 3 (b) केवल 1 तथा 2
    (c) केवल 2 तथा 3 (d) केवल 1 तथा 3

32. भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से परिकल्पित हैं?
    1. मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी (बेगारी) का निषेध
    2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
    3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
    4. कारखानों और खदानों में बच्चो के नियोजन का निषेध

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2, 3 और 4
    (c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

33. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
    1. भारत में अनुच्छेद-32 अधीन सांविधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबन्धों से अनुगमित होते हैं।
    2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधि. कारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपृच्छा के रिट जारी कर सकते हैं।

    नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, कथन I और कथन II। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और इन प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए:

(a) दोनों कथन व्यष्टित: सत्य है और कथन II कथन I का सही स्पष्टीकरण है
(b) दोनों कथन व्यष्टित: सत्य है किन्तु कथन II कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) कथन I सत्य है, किन्तु कथन II असत्य है
(d) कथन I असत्य है, किन्तु कथन II सत्य है

34. **कथन I:** मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की, सरकार के विधायी एवं कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं।

    कथन II: मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं।

35. निम्नलिखित में कौन-कौन से, भारत के संविधान में 'शोषण के विरुद्ध अधिकार' का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं?
    1. मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।
    2. अस्पृश्यता का अंत।
    3. अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण।
    4. कारखाने और खान में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

    नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
    (c) 1 और 4 (d) 2, 3 और 4

36. भारत के संविधान के अधीन अंत:करण की स्वतंत्रता किसके अध्यधीन है?
    1. लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य
    2. कोई विधि, जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो
    3. सार्वजनिक स्वरूप वाले हिन्दू धार्मिक संस्थानों का सभी हिन्दुओं के लिए खोला जाना
    4. मानहानि या अपराध-उद्दीपन

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) 1, 2, 3 और 4
    (b) केवल 1, 2 और 3
    (c) केवल 3 और 4
    (d) केवल 1 और 2

37. निम्नलिखित में से कौन-सा/से मूल अधिकार गैर-नागरिकों को उपलब्ध है/हैं?
    1. विधि के समक्ष समता
    2. विभेद के विरुद्ध अधिकार
    3. अवसर की समता
    4. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 4
    (c) 1, 2 और 4 (d) 2 और 3

38. प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर से संबंधित कथनों पर विचार कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए:
    1. प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता से परे निर्णय देने से पूर्व (सुनवाई के दौरान) जारी की जाती है।
    2. प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना है।
    3. प्रेतिषेध रिट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता, जबकि उत्प्रेक्षण रिट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर भी जारी किया जा सकता है।

    कूट:
    (a) केवल 2 (b) 2 और 3
    (c) 1 और 2 दोनों (d) 1, 2 और 3

EBD_7939

39. मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं।
    2. मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं।
    3. 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
    (c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

40. भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
    2. ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की तरह नहीं है।
    3. मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी हैं।
    4. ये संविधान के भाग III में सूचीबद्ध हैं।

    निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
    (a) 1 और 2 (b) 3 और 4
    (c) 1 और 3 (d) 2, 3 और 4

41. रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है।
    2. अधिकार पृच्छा रिट की मांग गैर-पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

42. भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
    2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए।
    3. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 3

43. भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है-
    1. कानून बनाकर
    2. शिक्षा की उन्नति द्वारा
    3. जनजागरण के द्वारा
    4. नौकरियों में प्रवेश दिलाकर
    (a) 1, 2, 3 सही हैं (b) 2, 3, 4 सही हैं
    (c) 1, 2 सही हैं (d) 2, 4 सही हैं

44. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है/हैं?
    1. मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा
    2. सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा
    3. वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास
    4. वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न

    निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
    (c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

45. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है/हैं?
    1. इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है।
    2. वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

46. भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन-से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित हैं?
    1. अनुच्छेद 19 (वाक् स्वातंत्र्य के अधिकार का संरक्षण)
    2. अनुच्छेद 21 (जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण)
    3. अनुच्छेद 15 (विभेद का प्रतिषेध)
    4. अनुच्छेद 16 (अवसर की समता)

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
    (c) 1, 3 और 4 (d) केवल 1 और 4

47. भारत के संविधान के अनुसार, प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है?
    1. न्यायिक और न्यायिक प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश
    2. अवर न्यायालय को, किसी विशिष्ट मामले में, जहाँ उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है, कार्यवाही करने से रोकना
    3. किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को, जिसके लिए वह हकदार नहीं है, धारण करने से रोकना

    नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
    (a) केवल 1 और 2
    (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1
    (d) 1, 2 और 3

48. निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है?

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए-

1. विधि के समक्ष समानता
2. भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
3. देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता
4. चुनाव लड़ने का अधिकार

कूट :

(a) 1, 3, 4
(b) 1, 2, 4
(c) 1, 2, 3
(d) 2, 3, 4

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है।
2. आर.टी.ई. अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) केवल 3

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(b)	**5**	(b)	**9**	(d)	**13**	(b)	**17**	(a)	**21**	(d)	**25**	(d)	**29**	(c)				
2	(d)	**6**	(c)	**10**	(d)	**14**	(a)	**18**	(d)	**22**	(c)	**26**	(b)	**30**	(c)				
3	(a)	**7**	(d)	**11**	(d)	**15**	(d)	**19**	(b)	**23**	(c)	**27**	(a)	**31**	(b)				
4	(d)	**8**	(b)	**12**	(d)	**16**	(d)	**20**	(c)	**24**	(d)	**28**	(c)						

अभ्यास-2

1	(a)	**6**	(d)	**11**	(a)	**16**	(a)	**21**	(b)	**26**	(d)	**31**	(c)	**36**	(b)	**41**	(b)	**46**	(c)
2	(c)	**7**	(c)	**12**	(b)	**17**	(d)	**22**	(c)	**27**	(c)	**32**	(c)	**37**	(b)	**42**	(a)	**47**	(a)
3	(d)	**8**	(a)	**13**	(a)	**18**	(d)	**23**	(d)	**28**	(a)	**33**	(a)	**38**	(c)	**43**	(a)	**48**	(d)
4	(b)	**9**	(b)	**14**	(a)	**19**	(b)	**24**	(a)	**29**	(c)	**34**	(a)	**39**	(c)	**44**	(c)	**49**	(a)
5	(d)	**10**	(a)	**15**	(d)	**20**	(c)	**25**	(c)	**30**	(a)	**35**	(c)	**40**	(b)	**45**	(c)		

EBD_7939

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

6 अध्याय

संविधान निर्माताओं को ज्ञात था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके अनुसार इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी थे। लेकिन वहीं संविधान इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहता था।

राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश हैं। कानूनों और नीतियों के निर्माण के समय सरकारों द्वारा इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सही है कि भारतीय संविधान के ये प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि ये किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। परन्तु ये सिद्धांत देश की सरकारों के लिए मूलभूत माने गए हैं। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि देश में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए बनाए जाने वाले कानूनों के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे।

ये सिद्धांत आयरलैण्ड के सविंधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धांतों तथा गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं।

इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक दशाओं का निमार्ण करना है जिनके अन्तर्गत सभी नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। दूसरे शब्दों में, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। सिद्धांत आम लोगों के हाथों में एक मानदण्ड की तरह है, जिनके द्वारा लोग इन उद्देश्यों की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को माप सकें। कार्यकारी एजेन्सियाँ इन सिद्धांतो से निर्देशित होती हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी विभिन्न मामलों पर निर्णय करते समय इनको ध्यान में रखना होता है।

संविधान कुछ राज्य के नीति निदेशक तत्व निर्धारित करता है, यद्यपि ये न्यायालय में कानूनन न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते, परन्तु देश के शासन के लिए मौलिक हैं, और कानून बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये निर्धारित करते हैं कि राज्य यथासंभव सामाजिक व्यवस्था जिसमें-सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में कायम करके जनता नीतियों को ऐसी दिशा देगा ताकि सभी पुरुषों और महिलाओं को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन मुहैया कराए जाऐं। समान कार्य के लिए समान वेतन और यह इसकी आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो, कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने, बेरोजगार के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी एवं असमर्थता या अयोग्यता की आवश्यकता के अन्य मामले में सहायता करना। राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्य की मानवीय स्थितियों, जीवन का शालीन स्तर और उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास करेगा।

संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निदेशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अत: संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की उसी सूची को राज्य के नीति-निदेशक तत्व कहते हैं।

समय-समय पर सरकार ने कुछ नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई कारखाना-अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती-राज व्यवस्था लागु करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित हैं।

नीति-निदेशक तत्व क्या हैं?

नीति-निदेशक तत्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं:

- वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए;
- वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और
- वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

नीति निदेशक तत्वों का अर्थ एवं स्वरूप

राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। भारतीय संविधान विश्व के उन महत्वपूर्ण संविधानों में से एक है, जिनमें इस प्रकार की व्यवस्था संविधान के एक अंग के रूप में दी गई है। जिन अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था विद्यमान है, उनमें प्रमुख हैं: आस्ट्रिया, स्पेन, ब्राजील, फ्रांस, इटली, म्यांमार तथा जर्मनी किंतु, भारतीय संविधान निर्माताओं को इन नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा आयरलैण्ड से प्राप्त हुई।

राज्य के नीति निदेशक तत्व केन्द्र अथवा राज्यों की सरकारों के नाम जारी ऐसे निर्देश हैं, जो देश की शासन व्यवस्था के लिए मौलिक हैं। देश के प्रशासकों के लिए ये एक आचार संहिता प्रदान करते हैं। जिसका पालन समय-समय पर इन्हें करना पड़ता है, क्योंकि ये तत्व उन उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हैं, जो भारत के राज्य का आधार हैं।

राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन निदेशक तत्वों का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं।

डॉ राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार, "राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है।"

डॉ. एम. वी. पायली ने इण्डियन कॉस्टीट्यूशन में लिखा है कि "ये प्रजातन्त्रात्मक भारत का शिलान्यास करते हैं। जब भारत सरकार इन्हें कार्यरूप में परिणत कर सकेगी तो भारत एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकेगा।"

डॉ. दुर्गा दास बसु के अनुसार, "अधिकांश निदेशों का ध्येय भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है, जिसका संकल्प उद्देशिका में दिया गया है।"

संविधान के भाग-4 में समाविष्ट राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान को अनोखी विलक्षणता प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 37 यह घोषणा करता है कि निर्देशक तत्व, "देश के शासन के मूलाधार हैं और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।" अत: स्पष्ट है कि ये संवैधानिक निदेश कोरे नैतिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि निश्चयात्मक समादेश हैं तथा संविधान के मानव अधिकारों संबंधी उपबंधों के अभिन्न अंग माने जाते हैं।

स्वरूप - नीति निदेशक तत्वों के स्वरूप के संबंध में प्रमुख रूप से तीन बातें उल्लेखनीय हैं–

(i) नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता; अर्थात् इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
(ii) निर्देशक तत्व शासन व्यवस्था में मूलभूत स्थान रखते हैं।
(iii) कानून निर्माण के दौरान इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्त्तव्य होगा। यहां राज्य का अभिप्राय सभी राजनीतिक संस्थाओं, केंद्र सरकार, संसद और राज्य सरकार से है। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसके अधीन हैं।

संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व

ये निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं, जो निम्न हैं-

अनुच्छेद 36: इसमें 'राज्य' का वही अर्थ बताया गया है जो मौलिक अधिकारों के लिए प्रयुक्त है अर्थात् 'राज्य' में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद 37: इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग-4 में दिए गए उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, तो भी इस भाग में दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।

अनुच्छेद 38(1): इसमें निदेशक तत्वों का सार समाहित है। इसके अन्तर्गत लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। "राज्य प्रभावी रूप से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें, समस्त व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समान रूप से प्राप्त होगा और इस प्रकार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।"

लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना

44वें संविधान संशोधन (1979) द्वारा अनुच्छेद 38 में एक खंड जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच तथा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 39: इसके अनुसार राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि सुनिश्चित रूप से–

1. प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन सुलभ हों।
2. समाज के बीच समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के विभाजन से- समुदाय के सामूहिक हित की सर्वोतम रूप में प्राप्ति हो।
3. अर्थव्यवस्था के संचालन में पूंजी और उत्पादन के साधनों का किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में संकेन्द्रन न होने पाए।
4. पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध हो।
5. आर्थिक या सामाजिक आवश्यकताओं से विवश होकर किसी नागरिक को किसी ऐसे कार्य में न जाना पड़े, जो कि उसकी आयु एवं शक्ति के अनुकूल न हो।
6. बाल दासता एवं शोषण से बालकों की रक्षा हो सके।

अनुच्छेद 39 (क): 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनुच्छेद स्थापित किया गया। इसके अनुसार 'नि:शुल्क विधिक सहायता' और सबके लिए 'समान न्याय' की प्राप्ति करवाना राज्य का कर्त्तव्य घोषित किया गया है।

नि:शुल्क कानूनी सहायता

42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व जोड़ा गया है, यथा-राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन, समान अवसर तथा न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन, योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर या असमर्थ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।

अनुच्छेद 40: इसके अनुसार 'राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा।

अनुच्छेद 41: इसके अनुसार राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम पाने, शिक्षा पाने, और वृद्धावस्था में पेंशन आदि पाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा।

अनुच्छेद 42: इसके अनुसार 'राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं के लिए' तथा 'महिलाओं को प्रसूतिकाल में विशेष सहायता के लिए' उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 43: इसके अनुसार 'राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारियों या कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकेगा'।

EBD_7939

अनुच्छेद 43 (क): 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 (क) स्थापित किया गया। इसके अनुसार, राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे (अर्थात् लाभ में भागीदारी)। यह आर्थिक न्याय की प्राप्ति में समाजवाद की ओर सशक्त कदम होगा।

अनुच्छेद 44: इसके अनुसार, "राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 45: राज्य को सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक कि बच्चा छह साल की आयु का नहीं हो जाता (86वें संविधान संशोधन द्वारा अन्त:स्थापित)।

अनुच्छेद 46: इसके अनुसार, "राज्य, समाज के कमजोर वर्गों विशेषत: अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की शैक्षिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक सम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें 'शोषण' से मुक्ति दिलवाएगा।"

अनुच्छेद 47: इसके अनुसार, "राज्य व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रबन्ध करेगा तथा मादक पेयों के उपभोग का प्रतिषेध करेगा।"

अनुच्छेद 48: इसके अनुसार, "राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध करे।"

अनुच्छेद 48 (क): 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 (क) स्थापित किया गया। इसके अनुसार, "राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 49: इसके अनुसार, "राज्य राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करेगा।"

अनुच्छेद 50: इसके अनुसार, "राज्य न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित करेगा।"

अनुच्छेद 51: अनुच्छेद 51 के अनुसार, राज्य–

1. विश्व शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,
2. राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,
3. राष्ट्रों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर और सम्मान को बढ़ाने का,
4. अंतर्राष्ट्रीय विवादों को 'मध्यस्थता' द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

संविधान के अन्य भागों में वर्णित नीति निर्देशक तत्त्व

1. **अनुच्छेद 350 (क):** इसके अनुसार, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करे।
2. **अनुच्छेद 351:** इसके अनुसार संघ का यह कर्त्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
3. **अनुच्छेद 335:** इसके अनुसार संघ या राज्य के कार्य-कलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों के प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

यद्यपि अनुच्छेद 350 (क), अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 335 संविधान के भाग-4 में शामिल नहीं हैं, तथापि न्यायालयों ने इन्हें निदेशक तत्वों की श्रेणी में रखा है। नीति निदेशक तत्वों की प्राप्ति का ढंग संवैधानिक है।

निदेशक तत्वों के प्रकार

संविधान में दिए गए निदेशक सिद्धांत विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित हैं तो कुछ गांधीवादी विचारों से तथा कुछ विदेश नीति से सम्बन्धित हैं। संविधान द्वारा इनको विभिन्न श्रेणियों में नहीं बाँटा गया है, परन्तु बेहतर समझ के लिए हम उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं:

1. सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत
2. गांधीवाद विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धांत
3. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धित सिद्धांत और विविध सिद्धांत।

सामाजिक तथा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, जो भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र के लक्ष्यों को साकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

1. सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत

सामाजिक तथा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र के लक्ष्यों को साकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में बहुत से लोग सदियों से सामाजिक तथा आर्थिक असमानता से पीड़ित रहे हैं। विशेषत: निम्नलिखित सिद्धांतो का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना है:

1. राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
2. राज्य द्वारा देश के भौतिक संसाधनों का सामान्य हित में न्यायसंगत वितरण किया जाना चाहिए।
3. राज्य द्वारा सम्पदा का वितरण इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे सम्पदा का केन्द्रीयकरण कुछ हाथों में न हो।
4. पुरूष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए।
5. राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए।
6. राज्य को उद्योगों के प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।
7. बच्चों और नवयुवकों की शोषण से रक्षा की जानी चाहिए। पुरूष, स्त्री तथा बच्चे आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसी नौकरियों एवं ऐसे रोजगार में न पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।
8. राज्य को लोगों के लिए काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता जैसे मामले में राज्य सहायता प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए।

9. राज्य को कामगारों के लिए काम की मानवीय दशाएँ तथा महिलाओं के लिए प्रसूति राहत को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना चाहिए।

2. गांधीवाद विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धांत

गांधीवादी विचार अहिंसक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। स्वराज (स्व-शासन), सर्वोदय (सभी का कल्याण) स्वाबलम्बन (आत्मनिर्भरता) आदि गांधीवादी विचारधारा के मूल सिद्धांत है। महात्मा गांधी का दर्शन तथा उनके कार्यों ने केवल स्वतन्त्रता आन्दोलन का ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण का भी मार्गदर्शन किया। निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी विचारधारा प्रतिबिम्बित होती हैं:

1. राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढावा देगा।
2. राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। इन पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दिया जाना चाहिए, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।
3. राज्य मादक पदार्थों तथा अन्य हानिकारक औषधियों आदि के सेवन को रोकने का प्रयास करेगा।
4. राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग को बढावा देने का प्रयास करेगा।
5. राज्य पशुधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाएगा तथा गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाएगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धित सिद्धांत और विविध सिद्धांत।

संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ ऐसे सिद्धांतो का समावेश भी किया गया है जो हमारी विदेश नीति सम्बन्धी मामलों में हमें दिशा-निर्देश देते हैं। ये हैं:

1. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
2. राज्य अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का प्रयास करेगा।
3. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों के प्रति आदर भाव विकसित करेगा।
4. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा अर्थात् पारस्परिक समझौतों द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा।

विविध सिद्धांत

इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निदेशक तत्व ऐसे हैं जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ये हैं:

1. राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा।
2. राज्य राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं के रखरखाव और संरक्षण के लिए कदम उठाएगा।
3. राज्य पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
4. राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए कदम उठाएगा।

राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों तथा मूल अधिकारों में अन्तर

1. संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार तथा भाग-4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं। मौलिक अधिकार राज्य को कुछ निर्देश देते हैं तथा राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि राज्य के निदेशक तत्व राज्य को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं अर्थात् आदेश देते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति सकारात्मक है।
2. कुछ विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, परन्तु राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रतिबन्धों से स्वतन्त्र हैं।
3. मौलिक अधिकारों को (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपात्काल की स्थिति में स्थगित किया जा सकता है, किन्तु निदेशक तत्वों को किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता।
4. नीति निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के कर्त्तव्य हैं और मौलिक अधिकार व्यक्ति की आधारभूत स्वाधीनताऐं हैं, जिनमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। न्यायालय नागरिक अधिकारों की रक्षा के दुर्ग हैं। मौलिक अधिकार पर न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, किन्तु नीति निदेशक तत्वों पर नहीं अर्थात् मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, किन्तु निदेशक तत्व नहीं।
5. यदि मौलिक अधिकारों या नीति निदेशक तत्वों के मध्य कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।
6. निर्देश विधान द्वारा ही लागू होते हैं अत: जब तक कोई विधि नहीं बनाई जाती तब तक निर्देशों का अनुसरण करने के नाम पर राज्य या कोई व्यक्ति किसी विद्यमान विधि या विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता।
7. मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्वों से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है।
8. मूल अधिकारों का अतिक्रमण होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है जोकि स्वयं में एक मूल अधिकार है, किन्तु निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं अर्थात् इनके उल्लंघन या पालन न करने पर न्यायालय की शरण या सहायता नहीं ली जा सकती।
9. नीति निदेशक तत्वों का संबंध राज्य, नागरिकों तथा विदेशियों से है जबकि मौलिक अधिकारों का संबंध सिर्फ राज्य तथा नागरिकों से है।
10. नीति निदेशक तत्व राज्य के सकारात्मक आदेश हैं, सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर हर सरकार को चलना पड़ेगा। अब न्यायाधीश भी इनकी भावना के अनुसार निर्णय देने लगे हैं। मौलिक अधिकारों का संबंध नागरिकों की स्वतन्त्रताओं से है और ये राज्य के लिए निषेधात्मक आदेश हैं।

मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य विरोधाभास

1. मद्रास राज्य बनाम पंचकम, 1951: इस वाद में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट किया गया है कि निदेशक तत्वों के मूलभूत होने पर भी इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्त (लागू) नहीं करवाया जा सकता। अत: न्यायालय किसी विधि को, जो अन्यथा विधिमान्य है इस आधार पर शून्य घोषित नहीं कर सकता कि वह निर्देशों का उल्लंघन करती है। संविधान के भाग 3 और भाग 4 में विरोध होने पर न्यायालय भाग 3 को महत्व देगा।
2. केरल शिक्षा विधेयक, 1957: इस वाद पर न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 45 के तहत् राज्य को निर्देशित (बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्व) प्रावधान की आड़ में राज्य अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता।

EBD_7939

3. 1971 में स्थापित और 1976 के 42वें संशोधन द्वारा विस्तारित अनुच्छेद 31(ग): इसमें यह व्यवस्था की गई कि यद्यपि निर्देश न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराये जा सकते, किंतु यदि किसी निर्देश को लागू करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकेगा।
4. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, (1980): इस वाद में न्यायालय ने निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने वाले अनुच्छेद 31(ग) के प्रयास को दो प्रकार से विफल कर दिया–
   (क) न्यायालय ने अनुच्छेद 31(ग) के विस्तार को अमान्य करते हुए यह कहा कि इस प्रकार न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करने से संविधान के आधारिक ढांचे पर कुप्रभाव पड़ेगा। अत: अनुच्छेद 31(ग) किसी विधि को तभी संरक्षण प्रदान कर सकेगा, जब वह अनुच्छेद 39(क) के निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए हो, भाग 4 में सम्मिलित किसी अन्य निर्देश के लिए नहीं।
   (ख) मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन है, अत: न्यायालय को चाहिए कि वह दोनों का समन्वयकारी निर्वाचन करके उसे बनाए रखे।
5. होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1987) के वाद में न्यायालय ने मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के बीच समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए अनुच्छेद 21 के अधीन किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधि बनाते समय राज्य के कर्त्तव्य को निश्चित करते हुए अनुच्छेद 39(क) का अनुसरण किया और यह निर्धारित किया कि जहाँ बंदी को अपील का अधिकार है, वहाँ राज्य उसे निर्णय के प्रति नि:शुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का महत्व

डॉ. पायली के अनुसार, "इन निर्देशक तत्वों का महत्व इस बात में हैं कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं।" संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उदाहरणार्थ–

1. लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की पूर्ति के लिए इनका विशेष महत्व हैं।
2. पूर्ण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
3. 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण हैं।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक विकास के लिए आवश्यक हैं।
5. राजनीतिक ठहराव के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं।
6. कार्यपालिका पर आवश्यक अंकुश लगाने के लिए आवश्यक हैं।
7. ये तत्व ही शासन की सफलता तथा असफलता की जांच के मापदण्ड जनता को उपलब्ध करवाते हैं।
8. मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों पर निर्णय देते समय ये नीति निदेशक तत्व न्यायालय का मार्गदर्शन भी करते हैं।

यद्यपि इन तत्वों को लागू करने के पीछे न्यायपालिका की शक्ति नहीं है तथापि प्रजातन्त्र की रीढ़ जनता अर्थात् जनमत की शक्ति इनके पीछे होती है। जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती।

वस्तुत: निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने तथा समाज के सांचे-ढांचे को बदलने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य भारतीय जनता को सही अर्थों में स्वतंत्रता प्रदान करना है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. राज्य की नीति निदेशक तत्वों का प्रयोजन क्या है?
   (a) ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगे।
   (b) गाँधी जी के विकेन्द्रित राज्य के विचार का कार्यान्वयन
   (c) सरकार द्वारा यादृच्छिक शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण
   (d) समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को संबंधित करना
2. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के उद्देश्य के संबंध में कौन-सा कथन सही है–
   (a) राजनैतिक प्रजातंत्र (Political Democracy) को स्थापित करना
   (b) सामाजिक प्रजातंत्र (Social Democracy) को स्थापित करना
   (c) गाधंवादी प्रजातंत्र (Gandhian Democracy) को स्थापित करना
   (d) सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना
3. राज्य के नीति निदेशक सिंद्धातों के विषय में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) ये राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करें।
   (b) ये देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं।
   (c) ये राज्य पर एक कानूनी दायित्व आरोपित करते हैं।
   (d) ये देश की विधायिका तथा कार्यपालिका को दिए गये निर्देश मात्र हैं।
4. मूलाधिकारों एवं नीति-निदेशक सिद्धान्तों के बीच सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
   (a) निदेशक सिद्धान्तों को मूलाधिकारों की अपेक्षा किसी भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी
   (b) मूलाधिकारों की अपेक्षा निदेशक सिद्धान्तों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है
   (c) निदेशक सिद्धान्तों की अपेक्षा मूलाधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है
   (d) सभी मामलों में निदेशक सिद्धान्तों को मूलाधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा सकती है
5. भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है?
   (a) आयरलैंड और स्पेन (b) यूएसए और यूके
   (c) यूएसएसआर और चीन (d) जापान और कोरिया
6. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है, कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं?
   (a) अनुच्छेद-31 (b) अनुच्छेद-38
   (c) अनुच्छेद-37 (d) अनुच्छेद-39

7. भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी?
   (a) ऑस्ट्रेलिया (b) यूएसए
   (c) कनाडा (d) आयरलैंड
8. संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली?
   (a) 24वाँ संशोधन (b) 30वाँ संशोधन
   (c) 42वाँ संशोधन (d) 44वाँ संशोधन
9. राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धान्तों में से कौन-सा गाँधीवादी दर्शन पर आधारित था?
   (a) ग्राम पंचायतों का आयोजन
   (b) बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी
   (c) मजदूरों का संरक्षण
   (d) उपरोक्त सभी
10. संविधान का कौन-सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित है?
   (a) भाग-III (b) भाग-IV
   (c) भाग-I (d) भाग-II
11. संविधान-सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धान्त किसी बैंक में देय उस चैक की तरह हैं, जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है?
   (a) के. टी. शाह (b) के. एम. मुंशी
   (c) बी. आर. अम्बेडकर (d) ऑस्टिन
12. भारत के संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है?
   (a) संविधान की उद्देशिका में
   (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में
   (c) मूल कर्तव्यों में
   (d) नौवीं अनुसूची में
13. भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है?
   (a) उद्देशिका (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्व
   (c) मूल-अधिकार (d) सातवीं अनुसूची
14. संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धान्त राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था?
   (a) पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन
   (b) उद्योगों के प्रबन्धन में कामगारों की सहभागिता
   (c) काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार
   (d) श्रमिकों के लिए निर्वाह-योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएँ सुरक्षित करना
15. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है–
   (a) राजनीतिक प्रजातन्त्र को स्थापित करना
   (b) सामाजिक प्रजातन्त्र को स्थापित करना
   (c) गांधीवादी प्रजातन्त्र को स्थापित करना
   (d) सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र को स्थापित करना
16. राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के संवर्धन से सम्बन्धित है?
   (a) 51 (b) 48 क
   (c) 43 क (d) 41
17. निम्नलिखित में से कौन सा एक, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है?
   (a) निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं
   (b) निदेशक तत्व राजनीतिक संस्वीकृति रखते हैं
   (c) निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएँ हैं
   (d) निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं
18. राज्य की नीति के निदेशक तत्व का प्रयोजन क्या है?
   (a) ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगे
   (b) गाँधीजी के विकेन्द्रित राज्य के विचार का कार्यान्वयन
   (c) सरकार द्वारा, यादृच्छिक शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण
   (d) समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को संवर्धित करना
19. निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत के संविधान में यथाप्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं था?
   (a) समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता
   (b) राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण
   (c) स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) का संरक्षण
   (d) न्यायपालिका को कार्यपलिका से अलग रखना
20. राज्य की नीति के निदेशक-तत्त्वों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) भारत के संविधान के भाग IV में अन्तर्विष्ट उपबन्ध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।
   (b) देश के शासन में राज्य की नीति के निदेशक-तत्त्व मूलभूत है।
   (c) राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निदेशक-तत्त्वों को लागू करे।
   (d) निदेशक-तत्त्व, भारत को विश्व का एक उन्नत पूँजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है।
21. निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है?
   (a) एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
   (b) सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना।
   (c) एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना।
   (d) एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना।
22. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है?
   (a) अनुच्छेद 51
   (b) अनुच्छेद 48(क)
   (c) अनुच्छेद 43(क)
   (d) अनुच्छेद 41

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-2

1. निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए।
   1. सामान्य न्याय एवं नि:शल्क विधिक सहायता
   2. बालकों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण प्रदान करना
   3. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
   4. अस्पृश्यता निषेध

   निम्न में उपर्युक्त विकल्य कौन है?
   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) 1 और 4 (d) उपरोक्त सभी
2. निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त के विषयों की पहचान कीजिए।
   1. समान न्याय एंव नि:शुल्क विधिक सहायता।
   2. बालकों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण प्रदान करना।
   3. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।
   4. अस्पृश्यता निषेध (Untouchability Prohibition)।

   निम्न में से उपयुक्त विकल्य कौन है?
   (a) 1, 2 (b) 1, 2, 3
   (c) 1, 4 (d) उपरोक्त सभी
3. निम्नलिखित में से कौन-सा/से राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में शामिल है/हैं?
   1. मानव के र्दुव्यापार और बलात-श्रम का प्रतिषेध
   2. मादक पेयों और स्वाथ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
4. निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के विषयों की पहचान कीजिए
   1. समान न्याय एवं नि: शुल्क विधिक सहायता।
   2. बालकों को स्वतन्त्र तथा गरिमामय वातावरण प्रदान करना।
   3. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।
   4. अस्पृश्यता निषेध (Untouchability Prohibition)

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) 1 और 4 (d) ये सभी
5. निम्नलिखित में से कौन-सा/से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है/हैं?
   1. मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध।
   2. मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध।

   कूट:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
6. भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
   1. भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक (सिविल) संहिता सुरक्षित करना
   2. ग्राम पंचायतों को संगठित करना
   3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
   4. सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना

   उपर्युक्त में से कौन-से गाँधीवादी सिद्धान्त हैं, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में प्रतिबिम्बित होते हैं?
   (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
7. भारत के संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है?
   (a) संविधान की उद्देश्किा में
   (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में
   (c) मूल कर्तव्यों में
   (d) नौवीं अनुसूची में
8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   भारत के संविधान के सन्दर्भ में, राज्य की नीति के निदेशक तत्व
   1. विधायिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते हैं।
   2. कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
9. राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजीए:
   1. ये तत्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
   2. इन तत्वों में अन्तर्विष्ट उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (एनफ्रोर्सिएबल) नहीं हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
10. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. संविधान के भाग चार में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित प्रावधान भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं।
    2. जम्मू-कश्मीर के मामले में संसद राज्य सरकार की सलाह से संघ सूची और समवर्ती सूची के उन्हीं विषयों पर कानून बना सकेगी, जिसका अधिमिलन-पत्र में उल्लेख है।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2
11. निम्न में कौन-सा/से राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है/हैं?
    1. मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध।
    2. मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2
12. निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    1. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व, भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं।
    2. भारत के संविधान के भाग III में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्बधनों के अधीन हैं।

EBD_7939

3. धर्मनिरपेक्षता, किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

13. निम्नलिखित में से कौन-सा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है?
1. मनुष्यों का क्रय-विक्रय निषेध
2. बेगार का निषेध
3. धर्म विशेष की उन्नति का निषेध
4. बाल श्रम का निषेध

कूट:-

(a) केवल 3 (b) केवल 4
(c) 2 और 3 (d) 1 और 4

14. निम्नलिखित में से कौन-सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है
1. धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता।
2. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
3. धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा ना देने की स्वतंत्रता।
4. व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता।

कूट:-

(a) 2 और 4 (b) केवल 4
(c) उपर्युक्त में से कोई नहीं (d) उपर्युक्त सभी

15. निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है?
1. गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बली पर रोक।
2. सभी नागरिकों को जीविका के सामान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है।
3. चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा।

कूट:-

(a) केवल 3 (b) 1, 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

16. राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को, निम्नलिखित में से किन किन के लिए निर्देशित करते हैं-
1. लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग रखना
3. लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें

(a) 1और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

17. संविधान के अनुच्छेद 51 A भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं।
1. समाजवादी, पंथनिरपेक्षवाद और लोकतंत्र में विश्वास करना
2. संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना
4. देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना
5. समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करना

कूट:-

(a) 1, 2, 3 (b) 2, 3, 4
(c) 3, 4, और 5 (d) 1, 4 और 5

18. निम्न में से कौन-सा भारत के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है?
1. संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान।
2. भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा।
3. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना।
4. राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन नहीं करना।

कूट:-

(a) केवल 3 (b) केवल 4
(c) 2 और 4 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

19. निम्न बिंदुओं में से मौलिक कर्तव्यों की आलोचना के संबंध में असत्य है-
1. कर्तव्यों में अत्यधिक आदर्शवाद
2. कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं
3. भाषा की स्पष्टता

कूट:-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) उपर्युक्त में से कोई नहीं (d) केवल 3

20. निम्न में से कौन-सा नीति निदेशक तत्वों के सम्बन्ध में सत्य है?
1. समान कार्य के लिए समान वेतन और यह आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो।
2. कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करना।
3. बेरोजगार के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता।

कूट:-

(a) केवल 3 (b) केवल 1
(c) 2 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(a)	**2**	(d)	**3**	(c)	**4**	(c)	**5**	(a)	**6**	(c)	**7**	(d)	**8**	(c)	**9**	(a)	**10**	(b)
11	(a)	**12**	(b)	**13**	(b)	**14**	(b)	**15**	(d)	**16**	(a)	**17**	(b)	**18**	(a)	**19**	(c)	**20**	(d)
21	(c)	**22**	(a)																

अभ्यास-2

1	(a)	**2**	(a)	**3**	(b)	**4**	(a)	**5**	(b)	**6**	(b)	**7**	(b)	**8**	(d)	**9**	(c)	**10**	(b)
11	(b)	**12**	(c)	**13**	(a)	**14**	(c)	**15**	(b)	**16**	(d)	**17**	(b)	**18**	(b)	**19**	(d)	**20**	(d)

केन्द्रीय कार्यपालिका

7 अध्याय

जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जन-प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था। लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ-साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हों। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएँ हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका, विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसलिए, संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।

संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक केन्द्रीय कार्यपालिका का विस्तृत वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा, जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है और उन सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे।

भारत का राष्ट्रपति

- भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को 'राष्ट्रपति' कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
- भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी। भारत का राष्ट्रपति न तो इंग्लैंड के सम्राट के समान महल में बैठकर अपने साम्राज्य को बनाए रखने वाला हो सकता है और न ही अमरीका के राष्ट्रपति के समान सारे देश पर अपनी कठपुतली सरकार के माध्यम से शासन करने वाला हो सकता है।
- भारत का राष्ट्रपति तो भारतीय संविधान का प्रतिरक्षक, संरक्षक तथा भारतीय जनता का प्रतीक है।
- विधि शास्त्रियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है, जबकि राजनीतिज्ञों के अनुसार वह मात्र संवैधानिक अध्यक्ष है, जो शक्ति का नहीं, बल्कि प्रभाव का प्रयोग करता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 53 के अनुसार, "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।" यद्यपि राष्ट्रपति की स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, तथापि उसका पद धुरी के समान है, जो राजनीतिक व्यवस्था को संतुलित करता है।

भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची एवं कार्यकाल

नाम	कार्यकाल
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884 - 1963)	जनवरी 26, 1950 - मई 13, 1962
डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	मई 13, 1962 - मई 13, 1967
डॉ. जाकिर हुसैन (1897 - 1969)	मई 13, 1967 - मई 03, 1969
वराहगिरि वेंकटगिरि (1884 - 1980) (कार्यवाहक)	मई 03, 1969 - जुलाई 20, 1969
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905 - 1992) (कार्यवाहक)	जुलाई 20, 1969 - अगस्त 24, 1969
वराहगिरि वेंकटगिरि (1884 - 1980)	अगस्त 24, 1969 - अगस्त 24, 1974
फखरुद्दीन अली अहमद (1905 - 1977)	अगस्त 24, 1974 - फरवरी 11, 1977
बी.डी. जत्ती (1913 - 2002)(कार्यवाहक)	फरवरी 11, 1977 - जुलाई 25, 1977
नीलम संजीव रेड्डी (1913 - 1996)	जुलाई 25, 1977 - जुलाई 25, 1982
ज्ञानी जैल सिंह (1916 - 1994)	जुलाई 25, 1982 - जुलाई 25, 1987
आर. वेंकटरमण (1910 - 2009)	जुलाई 25, 1987 - जुलाई 25, 1992

डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918 - 1999)	जुलाई 25, 1992 - जुलाई 25, 1997
के. आर. नारायणन (1920 - 2005)	जुलाई 25, 1997 - जुलाई 25, 2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931-2015)	जुलाई 25, 2002 - जुलाई 25, 2007
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म - 1934)	जुलाई 25, 2007 - जुलाई 25, 2012
श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म - 1935)	जुलाई 25, 2012 - जुलाई 25, 2017
श्री राम नाथ कोविन्द (जन्म - 1945)	जुलाई 25, 2017 से अब तक

राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल करेगा। इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे-

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
2. प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
3. दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों के मत का मूल्य समान नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य उसके प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं।

प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन

- संविधान सभा की 24 जनवरी, 1950 की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को निर्विरोध भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया।
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद भार संभाला। राष्ट्रपति पद के लिए संविधान के अधीन विधिवत् चुनाव मई, 1952 में हुए, जिसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद विजयी हुए।
- राष्ट्रपति के विधिवत् द्वितीय निर्वाचन में भी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पुनः निर्वाचित हो गए। इस प्रकार डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962 तक पद पर रहे।

निर्वाचन प्रक्रिया

- राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं।
- यह निर्वाचन सामानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है।
- इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्य के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित होता है।
- इस तरह राष्ट्रपति समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। किसी राज्य के विधानसभा सदस्य का मत उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देकर फिर 1000 से भाग देकर निर्धारित किया जाता है।
- इस मकसद के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आधार माना जाता है।
- अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है। राष्ट्रपति चुनाव जिस विधि से होता है उसका नाम है– आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा। सभी सांसदों और विधायकों के पास निश्चित संख्या में मत हैं, हालांकि, हर निर्वाचित विधायक और सांसद के वोटों के मूल्य की लंबी गणना होती हैं।

राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है-

1. समरूपता का सिद्धांत

अनुच्छेद 55(1) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना के लिए प्रत्येक विधायक तथा प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिससे राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एकरुपता बनी रहे तथा समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त हो। समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है। मत मूल्य निर्धारण के लिए दो प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं–

(क) राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यः अनुच्छेद 55(क) के अनुसार किसी राज्यों के विधायकों के मत की गणना के लिए उस राज्य की जनसंख्या देखी जाती है। साथ ही उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी देखा जाता है. वोट का अनुपात निकालने के लिए राज्य की कुल आबादी से चुने गए विधायकों की संख्या से विभाजित किया जाता है। इसके बाद जो अंक निकलता है, उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है, फिर जो अंक प्राप्त होता है, उसी से राज्य के एक विधायक के वोट का अनुपात निकलता है।

यदि इस विभाजन के उपरान्त भागफल 500 या 500 से अधिक आता है तो भागफल में एक और जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है।

(ख) संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यः संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए नियत समस्त मत संख्या को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है,

यदि शेष आधे से अधिक बचता है तो भागफल में एक मत जोड़ दिया जाता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य निर्धारण एवं संसद के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य निर्धारण में एक समान प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि एकरुपता बनी रहे। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहते हैं।

वोटों की गिनती: राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार की जीत सिर्फ सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से नहीं होती, साथ ही उसे सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल मूल्य का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल भी करना पड़ता है। आसान शब्दों में चुनाव से पहले तय हो जाता है कि जीतने के उम्मीदवार को कितना वोट या वेटेज हासिल करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि 10,000 वैध वोट हैं, तो उम्मीदवार को (10,000/2) +1 की आवश्यकता होगी, जो कि 5001 मतों के बराबर है।

शपथ ग्रहण

राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व देश के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करके शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है। इस शपथ ग्रहण का यह आशय होता है कि वह अपनी पूर्ण योग्यता से संविधान की रक्षा करेगा और जनता की सेवा के कार्यों में लगा रहेगा।

राष्ट्रपति पद से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह लगातार दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
- डॉ. एस. राधाकृष्णन लगातार दो बार उपराष्ट्रपति तथा एक बार राष्ट्रपति रहे।
- केवल वी.वी. गिरि के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। अभी तक दूसरे चक्र की गणना से गिरि ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं।
- श्री वी.वी. गिरि ही ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की।
- केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए।
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह तथा डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं।
- श्री के॰ आर॰ नारायणन भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग के थे।
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जो वैज्ञानिक थे और अविवाहित थे।

राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद

केवल राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो निर्वाचन में भाग ले रहा हो, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की वैधता को निम्न आधारों पर चुनौती दे सकता है–

(i) मतदाताओं को मतदान के लिए रिश्वत दी गई हो या उन पर अनुचित दबाव डाला गया हो।

(ii) किसी भी उम्मीदवार का नामांकन-पत्र अनुचित ढंग से स्वीकार किया गया हो।

(iii) निर्वाचन संबंधी नियमावली की अवहेलना की गई हो।

संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच या निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा। 1967 में डॉ. जाकिर हुसैन, 1969 में वी.वी. गिरि तथा 1983 में श्री ज्ञानी जैल सिंह के चुनावों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इन सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के चुनावों को वैध माना।

राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता

अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होने का पात्र तभी होगा, जब वह–

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(iii) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।

यदि वह संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के अधीन लाभ के पद पर है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा, किंतु किसी राज्य का राज्यपाल या केन्द्र अथवा राज्य मंत्रिपरिषद् का कोई मंत्री लाभ के पद पर आसीन नहीं माना जाएगा। वह संसद का या राज्य विधान मंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी का सदस्य है तो निर्वाचन के साथ ही सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

राष्ट्रपति पद का कार्यकाल

अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद धारण करने की तारीख से पाँच वर्ष तक के लिए पद धारण करता है।

राष्ट्रपति पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, परन्तु वह अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर आसीन नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति पद पर आसीन अथवा आसीन रह चुके व्यक्ति द्वारा पुनः चुनाव लड़ने का प्रावधान है। राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण रिक्त हो सकता है।

(i) उसकी मृत्यु हो जाने के कारण,

(ii) त्याग-पत्र देने के कारण,

(iii) महाभियोग द्वारा पद से हटा दिये जाने के कारण। महाभियोग (राष्ट्रपति को उसके असंवैधानिक कृत्यों के कारण हटाने का प्रस्ताव) को संसद् के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना कार्यभार न सम्भाल ले। उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति के लिए वेतन, भत्ते तथा सुविधाएँ

- राष्ट्रपति के लिए वेतन, भत्ते तथा सुविधाएँ संसद् द्वारा पारित कानून द्वारा निर्धारित होते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था जिसे 1998 में बढ़ा कर 50 हजार

रुपये कर दिया गया था तथा फिर से 2008 में बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपये कर दिया गया। 2017 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति महीने किया गया। वेतन के अलावा राष्ट्रपति को अन्य भत्ते भी मिलते हैं जिनमें मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधा (जीवन भर) शामिल हैं।

- इसके अलावा भारत सरकार हर साल उनके अन्य खर्चों जैसे आवास, स्टाफ, खाने-पीने और अतिथियों की मेजबानी पर करीब 2.25 करोड़ रुपये खर्च करती है।
- राष्ट्रपति तब तक ही अपने राजकीय निवास (राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली) का नि:शुल्क उपयोग करेगा, तथा संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित उपलब्धियों भत्तों एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करेगा, जब तक कि भारतीय संसद इस संबंध में अन्य कोई विधि नहीं बनाती।

अनुच्छेद 59(3) के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल में इन उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रपति के मौजूदा वेतन और भत्तों की सूची
- ➢ उनको हर महीने 5 लाख रुपये सैलरी मिलती है। इस रकम पर टैक्स नहीं लगता है।
- ➢ उनको मुफ्त चिकित्सा सुविधा और आवास मिलते हैं।
- ➢ राष्ट्रपति के जीवनसाथी को भी हर महीने 30,000 रुपये सेक्रटेरियल असिस्टेंस के तौर पर मिलता है।

महाभियोग

- संविधान के अनुच्छेद 61(1) में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है कि संविधान का अतिक्रमण करने, कदाचार या अक्षमता पर संसद राष्ट्रपति को 5 वर्ष के निर्धारित कार्यकाल से पहले महाभियोग की प्रणाली द्वारा पदमुक्त कर सकती है।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी मान्य होगा जबकि सदन की कुल सदस्य संख्या में से कम से कम दो-तिहाई उस प्रस्ताव का समर्थन करें।
- उपरोक्त प्रकिया से संपन्न उस संविधान के उल्लंघन के आरोप वाले संकल्प को वह सदन दूसरे सदन में पेश करेगा यानि जाँच के लिए भेजेगा। यानी लोकसभा में आरोप लगे तो राज्यसभा में और अगर राज्यसभा में आरोप लगे तो वह लोकसभा में ले जाएगा।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया ही राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाने का आधार सिर्फ एक ही हो सकता है, वह है संविधान का अतिक्रमण।

- एक सदन द्वारा राष्ट्रपति पर इस प्रकार आरोप लगाया जाता है तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जाँच करता है।
- जाँच के समय सदन एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रपति को ऐसी जाँच में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा अर्थात राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति उपस्थित हो सकता है।
- राष्ट्रपति को पूर्ण अवसर दिया जाता है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो कुछ कहना चाहे, कह सकते हैं।
- यदि जाँच के पश्चात् सदन दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है कि आरोप साबित हो गया तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना पड़ेगा।
- महाभियोग के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
- अनुच्छेद 56 और 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवाय अन्य किसी विधि द्वारा नहीं हटाया जा सकता।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। यह हमारे देश का सर्वोच्च पद है। भारत सरकार के सभी कार्य उसके नाम पर होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं।

(क) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ

- भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान करता है। वह प्रधानमन्त्री को नियुक्त करता है जो लोक सभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का अथवा पार्टियों के ऐसे समूह का नेता होता है जिसे लोक सभा में बहुमत प्राप्त हो। वह प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है।
- प्रशासन का औपचारिक मुखिया होने के कारण संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं।
- राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों में राज्यों के राज्यपालों, महान्यायवादी, महालेखापरीक्षक, राजदूतों एवं उच्चायुक्तों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों को नियुक्त करने की शक्ति भी शामिल है।
- वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है।
- राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है तथा सेना के तीनों अंगों स्थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति के पास किसी मन्त्री, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपालों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाने की शक्ति है।
- सारे कूटनीतिक कार्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं-

1. **शासन राष्ट्रपति के नाम पर:** अनुच्छेद 77 और 299 के अधीन सरकार के समस्त कार्य, जैसे– संधि-समझौते आदि राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते हैं।
2. **मंत्रिमंडल के निर्माण का अधिकार:** जब देश में नव-निर्वाचन संपन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 78 (ख) के तहत् राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ सरकार के समस्त कार्य-कलापों की जानकारी प्राप्त करे। इस संबंध में प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाये।
3. **नियुक्ति तथा पदमुक्त करने की शक्ति:** शासनिक अधिकार के तहत् राष्ट्रपति उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने तथा पदमुक्त करने की शक्ति भी रखता है। जैसे-भारत के प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, भारत के विदेशों में नियुक्त राजदूत तथा उच्चायुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी आदि। राष्ट्रपति इन अधिकारियों को पदमुक्त करने की शक्ति किसी-न-किसी अन्य संस्था या पदाधिकारी के परामर्श द्वारा प्रतिबन्धित है।
4. **आयोगों के गठन की शक्ति:** अधिकांश उच्च पदाधिकारियों तथा राज्यों के प्रशासन और विकास के संबंध में राष्ट्रपति को विभिन्न आयोगों से परामर्श करना पड़ता है। इसके लिए उसे इन आयोगों जैसे– जल-प्रदाय से संबंधित आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के समूहों के लिए संयुक्त आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग, पिछड़े वर्गों के अध्ययन करने के लिए आयोग, राजभाषा आयोग तथा भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के गठन की शक्ति प्राप्त है।

   उपर्युक्त अधिकारियों के प्रशासनिक कार्य तथा विभिन्न आयोगों के निर्णय तभी लागू हो सकते हैं, जब राष्ट्रपति उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे।

   संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ विस्तृत हैं, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यह परम्परा कायम हो गई है कि राष्ट्रपति इनका प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा।

(ख) विधायी शक्तियाँ

- राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है और अपनी इस क्षमता के आधार पर उसे कई विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष आहूत होने वाले संसद के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक चुनाव के बाद आहूत लोक सभा को सम्बोधित करता है।
- वह संसद के सदनों के अधिवेशन बुला अथवा स्थगित कर सकता है और मन्त्रिपरिषद की सिफारिश पर लोक सभा को भंग कर सकता है।
- उसकी सहमति और स्वीकृति के बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता। यदि राज्य सभा और लोक सभा के बीच किसी बिल को पारित करने में सहमति नहीं बनती है तो वह मुद्दे का हल निकालने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
- जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे कानून की शक्ति प्राप्त होती है।

विधि निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति निम्न शक्तियों का उपयोग करता है–

1. **संसद का अभिन्न अंग है:** ब्रिटेन के सम्राट की भांति भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, किंतु वह उसका अन्यतम अंग होता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों (लोकसभा तथा राज्य सभा) से मिलकर होता है।
2. **संसद का अधिवेशन बुलाने तथा लोकसभा भंग करने की शक्ति:** अनुच्छेद 85 और 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करता है तथा उनका सत्रवसान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है या किसी विषय पर गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

   अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक नवीन लोकसभा के प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर उनके सत्र को आहूत करता है और आहूत करने का कारण बताता है।
3. **संसद सदस्यों के मनोनयन की शक्ति:** अनुच्छेद 80(1) के अधीन राष्ट्रपति संसद के गठन के लिए राज्य सभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा इत्यादि में विशेष कार्य किया हो। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्य मनोनीत कर सकता है।
4. **प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शक्ति:** राष्ट्रपति, वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात् बजट और अनुपूरक मांगों आदि विवरणों को और नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को तथा विभिन्न आयोगों जैसे वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि के प्रतिवेदनों को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करवाता है।
5. **राष्ट्रपति की पूर्वानुमति:** प्राय: कुछ विधेयक, जैसे-अनुच्छेद-3 के तहत् राज्यों के निर्माण या सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, अनुच्छेद 117(3) के तहत् संचित निधि से व्यय करने वाला विनियोग विधेयक, जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधन पर प्रभाव डालने वाले विधेयक तथा अनुच्छेद 304 के अनुसार व्यापार व वाणिज्य की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक आदि, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
6. **राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति:** संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून का रूप ले सकता है, किंतु किसी विधेयक के संबंध में प्राय: राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देता है या राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि वह विधेयक की अनुमति विधारित (अर्थात् अनुमति देने या न देने के मध्य की स्थिति) करता है।

संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्ट वीटो की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संविधान के अनुसार किए गए कार्यों तथा स्थापित परम्पराओं के अनुसार यह माना जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्न वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं:

(i) **पूर्ण वीटो:** जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है तो यह समझा जाता है कि राष्ट्रपति ने अपनी पूर्ण वीटो की शक्ति का उपयोग किया है। राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति का उपयोग गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है या ऐसे विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है, जो ऐसी सरकार द्वारा पारित किया गया हो, जो विधेयक पर अनुमति देने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दे और नयी सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की सिफारिश करे।

(ii) **निलम्बनकारी वीटो:** जब राष्ट्रपति किसी विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि इस पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है) के प्रभाव को निलम्बित करने के उद्देश्य से अपने पास प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुन: विचार के लिए भेजता है तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलम्बनकारी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है।

परन्तु, पुन: विचार के पश्चात् राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयक पर उसे अनुच्छेद 111 के तहत् अनिवार्यत: अपनी मंजूरी देनी ही होती है।

(iii) **जेबी वीटो:** इसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में अनुमति न देकर और न ही उसे पुन: विचार के लिए संसद में भेजकर, अपने पास रख लेता है तो इसे राष्ट्रपति का जेबी वीटो कहा जाता है। यह स्थिति अनुच्छेद 111 का प्रतिफल है, क्योंकि अनुच्छेद 111 विधेयक पर अनुमति देने के संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं करता।

जेबी वीटो का प्रयोग

- स्वतन्त्र भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार इस अधिकार का उपयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के संबंध में किया और विधेयक को अपनी अनुमति देने के बजाय अपनी 'जेब' में रख लिया। यह विधेयक अभी तक राष्ट्रपति की जेब में पड़ा है।
- इसके अलावा अनुच्छेद 201 के तहत् राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उसकी अनुमति के लिए आरक्षित विधेयक पर अनुमति देने के संबंध में भी अनुमति देने या पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति है। पुनर्विचार के पश्चात् भी वह अनुमति देने को बाध्य नहीं है। वह विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है। चूंकि भारत में कनाडा जैसा संघवाद अपनाया गया है, अत: राज्य विधानमंडल के संबंध में उक्त प्रावधान कनाडा की ही देन है।

7. **अध्यादेश जारी करने की शक्ति:** जब संसद के दोनों में से एक सदन का सत्रवसान हो गया है या किसी अन्य कारण से वह सत्र में नहीं है, जिसके कारण संसद विधि बनाने में सक्षम नहीं होती, किंतु किसी विधेयक की तुरन्त आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत् अपने अध्यादेश द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं के रहते हुए उस विधि को लागू कर सकता है।

(ग) सैन्य शक्तियाँ

- भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं-जल, थल और वायु सेना-का सर्वोच्च सेनापति है।
- उसे रक्षा बलों को अभिनियोजित करने का अधिकार भी प्राप्त है।
- उसे युद्ध और शान्ति की घोषणा करने का अधिकार है।
- संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति की इन शक्तियों को नियमित कर सकती है अर्थात् अमरीका के राष्ट्रपति की तरह भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ विधायी नियंत्रण के बाहर नहीं हैं, अर्थात् संसद के नियंत्रण में हैं।
- राष्ट्रपति बिना संसद की स्वीकृति के या बाद में संसद की स्वीकृति लेने की आशा में, न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं को युद्ध में लड़ने के लिए भेज सकता है।

(घ) न्यायिक शक्तियाँ

- संघ का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के पास कुछ निश्चित न्यायिक शक्तियाँ होती हैं।
- किसी अपराध में दण्डित किसी व्यक्ति को क्षमा करने अथवा उसके दण्ड को कम करने की उसको शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए वह किसी अदालत अथवा सैन्य न्यायालय द्वारा दण्डित किसी अपराधी की सजा को स्थगित, माफ अथवा कम कर सकता है।

(i) न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति: अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बाध्य होंगे या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने 6 अक्टूबर, 1993 को दिए गए अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि:

(a) उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए तथा,

(b) उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय मानने के लिए बाध्य है।

राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है।

EBD_7939

राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को पद मुक्त करने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) **क्षमादान की शक्ति:** राष्ट्रपति अपराध के लिए दोषी किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के तहत् पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, दण्ड को स्थगित कर सकता है अथवा दण्ड में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(a) **क्षमा:** इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दिया गया दण्ड पूरी तरह समाप्त हो जाता है तथा वह व्यक्ति सभी दण्ड, आरोपों एवं निरर्हताओं से मुक्त हो जाता है।

(b) **लघुकरण:** इसके अन्तर्गत दिए गए दण्ड के स्थान पर उससे हल्के दंड दिये जाते हैं। उदाहरण के लिए मृत्यु-दण्ड को निर्वासन, निर्वासन को कठोर कारावास, कठोर कारावास को सादा कारावास तथा सादा कारावास को जुर्माने में लघुकरण किया जा सकता है।

(c) **परिहार:** इसके अन्तर्गत दण्डादेश की प्रकृति को बदले बिना उसे कम किया जा सकता है, जैसे– कारावास को ही कम समय का कारावास कर दिया जाए। उदाहरण के लिए छह वर्ष के कारावास को एक वर्ष का कारावास कर दिया जाए।

(d) **विराम:** इसके अन्तर्गत किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए दण्ड की किसी कार्यवाही को समाप्त कर देना अथवा कम कड़े दण्ड का आदेश देना। उदाहरण के लिए अपराधी गर्भवती स्त्री के दण्ड को कम करना।

(e) **प्रतिलम्बन:** इसका अर्थ है कि किसी परिस्थिति के कारण अपराधी को दिए गए दण्ड को पालन करने से रोकना। यह केवल दण्ड के पालन करने में विलम्ब करने के लिए किया जाता है।

राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग केवल तीन प्रकार के दण्डों पर कर सकते हैं–

- यदि दण्ड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो।
- यदि दण्ड ऐसे मामलों में दिया गया हो जो केन्द्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता हो।
- यदि अपराधी को मृत्यु दण्ड दिया गया हो।

व्यवहार में राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। लगभग सभी संविधान कार्यपालिका के प्रधान को ऐसे व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति देते हैं, जिनका किसी अपराध के लिए विचारण और दोषसिद्ध हुई है। कार्यपालिका को न्यायिक शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई न्यायिक भूल हुई हो तो उसे सुधारा जा सके, क्योंकि न्यायिक प्रशासन की कोई भी मानवीय प्रणाली पूर्णत: दोषमुक्त नहीं हो सकती।

केहरसिंह बनाम भारत संघ, 1989 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्षमादान करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं–

(i) क्षमादान के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होगा।

(ii) क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधीन है, किन्तु इस शक्ति का प्रयोग वह केन्द्र सरकार की सलाह पर करेगा।

(iii) न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर विचार करके राष्ट्रपति उससे भिन्न मत दे सकता है तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर होगा। क्षमादान की शक्ति में दंड को कम करना या परिवर्तित करना भी शामिल है।

क्षमादान की शक्ति के उपयोग के औचित्य का न्यायालय द्वारा निरीक्षण: न्यायालय वहीं हस्तक्षेप कर सकता है, जहाँ राष्ट्रपति का निर्णय अनुच्छेद 72 के उद्देश्यों से पूर्णतया असंगत हो अथवा तर्कहीन, मनमाना, विभेदकारी या असद्भावी हो। उच्चतम न्यायालय ने 20 जनवरी, 1982 को फांसी की सजा प्राप्त, चोपड़ा बच्चों के हत्यारे बिल्ला व रंगा की उन याचिकाओं को अस्वीकृत कर दिया, जिसमें चुनौती दी गई थी कि राष्ट्रपति ने उनकी क्षमादान याचिकाओं को अस्वीकृत कर दिया है तथा अस्वीकृति का कोई कारण नहीं दिया है।

भारत के संविधान में क्रमश: अनुच्छेद 72 और 161 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल दोनों को ही क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।

(ड) वित्तीय शक्तियाँ

- राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं।
- लोक सभा में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- दूसरे शब्दों में लोक सभा में प्रस्तुत सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति और सहमति प्राप्त होती है। आपने बजट के बारे में अवश्य सुना होगा। यह भारत सरकार की वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में इसको लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है।

वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं–

1. **धन विधेयक और बजट प्रस्तुत करना:** कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। उनकी अनुमति के बिना किसी वित्तीय अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह है कि वित्त विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। देश का वार्षिक बजट तैयार कराना और उसे लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत कराना राष्ट्रपति का ही दायित्व है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष देश की आय-व्यय का ब्यौरा बजट के रूप में संसद के समक्ष वित्तमन्त्री द्वारा प्रस्तुत कराता है। राष्ट्रपति की अनुमति से पूरक बजट के रूप में संसद से धन व्यय करने की स्वीकृति पुन: प्राप्त की जा सकती है।
2. **आकस्मिक निधि:** देश की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। यदि किसी आकस्मिक कार्य के लिए धन की तुरन्त आवश्यकता अनुभव होती है तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि में से धन व्यय कर सकने का अधिकार रखता है। इसके लिए उसे संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

3. **वित्त आयोग की नियुक्तिः** राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार भी प्राप्त है। यह आयोग केन्द्र सरकार की आय को केन्द्र व राज्य सरकारों में वितरित करने का आधार निश्चित करता है। इसके अलावा वित्त आयोग यह भी सिफारिश करता है कि केन्द्र को विभिन्न राज्यों की कितनी सहायता करनी चाहिए।
4. **कम्पट्रोलर व ऑडीटर जनरल की नियुक्तिः** सरकारी हिसाब-किताब की जांच की रिपोर्ट भारत का कम्पट्रोलर व ऑडीटर जनरल ही राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।

(च) राजनयिक शक्तियाँ

- राजनयिक शक्ति एक व्यापक विषय है।
- कई बार इसे विदेश कार्य शक्ति के समानार्थी समझा जाता है, जिसमें वे सभी विषय आते हैं जो संघ को किसी विदेशी राज्य के संस्पर्श में लाते हैं। विधान के विषय के रूप में राजनयिक प्रतिनिधित्व संसद का विषय है, किंतु राज्य के प्रधान होने के नाते भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय क्रिया-कलाप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और अन्य देशों में भारत के प्रतिनिधि नियुक्त करने की तथा अन्य राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों को ग्रहण करने की शक्ति जो संसद को मान्य हो राष्ट्रपति में निहित है।

(छ) अवशिष्ट शक्तियाँ

कार्यपालिका शक्ति के प्रधान के रूप में संविधान ने कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की हैं, जिन्हें प्रकीर्ण या अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है, जो संविधान के विभिन्न उपबन्धों में बिखरी पड़ी हैं, वे इस प्रकार हैं–

1. राष्ट्रपति को विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में प्रतिवेदन करने के प्रयोजन हेतु अनेक आयोग नियुक्त करने की शक्ति है। ये आयोग हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग, विधि आयोग, राजभाषा आयोग, अन्तर्राज्यीय परिषद् आदि।
2. अनुच्छेद 240 के अनुसार राष्ट्रपति को संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में या संघ द्वारा सीधे प्रशासित राज्यक्षेत्रों के संबंध में कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसे राज्यक्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा या उसी के प्रति उत्तरदायी प्रशासक के माध्यम से किया जाता है, राष्ट्रपति को अंड़मान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली के राज्यक्षेत्रों को लागू होने वाली संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के निरसन या संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है।
3. राष्ट्रपति को व्यापक महत्व के किसी प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट करने की शक्ति है। 1950 से अब तक ऐसे दस निर्दिष्ट हो चुके हैं।
4. अनुच्छेद 214(1) के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राज्यपाल को अनुदेश देने की शक्ति है। वैसे ही उपबंध अन्तर्विष्ट करने वाले विधेयक को संविधान के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती है।
5. राष्ट्रपति को अनेक विषयों के संबंध में नियम और विनियम बनाने का सांविधानिक प्राधिकार प्राप्त है।
6. राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों और असम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बाबत कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, यथा–
   - संसद द्वारा संशोधन के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा या यह घोषित कर सकेगा कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा या किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा तथा इसी प्रकार की अन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं।
   - किसी भी राज्य में जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार जनजाति परिषद् स्थापित की जा सकेगी।
   - राज्यपाल द्वारा किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए बनाए गए सभी नियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत रखे जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।
   - राष्ट्रपति किसी भी समय किसी राज्य के राज्यपाल से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सकता है।
   - अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व हैं–

(i) अनुच्छेद 338 के अनुसारः राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इस संविधान के अधीन उपबन्धित रक्षोपायों के अन्वेषण करने और उनके कार्यकरण के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा।
(ii) अनुच्छेद 339 के अनुसारः राष्ट्रपति राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आयोग की नियुक्ति, किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति तक करेगा।
(iii) अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसारः संसद द्वारा उपांतरण के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची बनाने और उसे अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य से संबंधित सूची की दशा में राज्यपाल से परामर्श करने की शक्ति है।

(ज) आपात शक्तियाँ

संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की विस्तृत आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है।

संविधान में तीन विशेष परिस्थितियों अथवा असामान्य स्थितियों से निपटने के लिए इन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को निम्न अवस्थाओं में आपातकाल की घोषणा का अधिकार प्राप्त है–

(i) युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह (अनुच्छेद-352)
(ii) किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता और (अनुच्छेद-356)
(iii) वित्तीय संकट (अनुच्छेद-360)

EBD_7939

(i) **युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह** (अनुच्छेद-352) यदि राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हो कि भारत की सुरक्षा अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से खतरा है तो वह 'आपातकाल की घोषणा' कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा केवल तब करता है जब उसे मन्त्रीमण्डल का निर्णय (प्रधानमन्त्री तथा कैबिनेट मन्त्रियों का निर्णय) लिखित में भेजा जाता है। प्रत्येक घोषणा को संसद के सदनों के समक्ष रखा जाता है तथा यदि इसको एक माह के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो यह स्वत: ही निष्प्रभावी हो जाती है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संघीय सरकार राज्य सरकारों को उनकी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों के प्रति निर्देश दे सकती है और संसद् राज्य विधान सभा के विधायी कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है।

1. अनुच्छेद 352 के तहत् राष्ट्रपति को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा समस्त विद्रोह की स्थिति से उत्पन्न संकट में आपातकाल की घोषणा का अधिकार प्राप्त है। इस उद्घोषणा का उद्देश्य भारत की सुरक्षा बनाए रखना है और अन्य बातों के साथ-साथ उसका प्रभाव यह है कि संघ को राज्य के क्रिया-कलापों पर या उनमें से किसी ऐसे कार्य पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, जो सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण से प्रभावित है।

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने आपातकालीन घोषणा सम्बन्धी अनुच्छेद 352 में संशोधन किए हैं और इसके दुरुपयोग किए जाने की सम्भावनाओं को कम किया है। अब अनुच्छेद 352(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसा गम्भीर संकट विद्यमान है, जिसके कारण सम्पूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किंतु इसके लिए मन्त्रिमण्डल को अपने निर्णय की लिखित रूप में राष्ट्रपति को सिफारिश करनी आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विदेशी आक्रमण हो जाए, तब ही यह घोषणा की जा सकती है। विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका से देश या उसके किसी भाग को असुरक्षा उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का उपयोग करके आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

अनुच्छेद 352 के तहत् आपातकाल की अवधि समाप्ति

अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की अवधि समाप्ति के संबंध में संविधान में निम्न प्रबंध किए गए हैं–

1. अनुच्छेद 352(4) के अनुसार आपातकाल की घोषणा को संसद में प्रस्तुत करके उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है। संसद की स्वीकृति के अभाव में यह घोषणा केवल एक माह तक लागू रह सकती है।
2. अनुच्छेद 352(6) के अनुसार संसद स्वीकृति का यह प्रस्ताव अपने दोनों सदनों में कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित करवाएगी। यह भी संभव है कि जब संकटकाल की घोषणा की जाए उसके पूर्व ही लोकसभा भंग कर दी गई हो अथवा घोषणा होने के दो माह के भीतर लोकसभा को भंग कर देना पड़े, तब इस घोषणा को राज्य सभा, जो एक स्थायी सदन है, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार की घोषणा उस समय तक लागू रहेगी, जब तक कि नई लोकसभा का गठन न हो जाए। नई लोकसभा की प्रथम बैठक प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर उसकी स्वीकृति इस घोषणा को प्राप्त होनी आवश्यक है अन्यथा यह स्वयं ही समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद 352 के तहत् आपातकाल की घोषणा

सर्वप्रथम 1962 में चीन के आक्रमण के समय यह घोषणा की गई थी। यह घोषणा 10 जनवरी, 1968 तक जारी रही। इसके पश्चात् पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किए जाने के तुरन्त बाद 3 दिसम्बर, 1971 में पुन: संकटकाल की घोषणा की गई। 26 जून, 1975 में तीसरी घोषणा की गई जो 21 मार्च, 1977 तक जारी रही।

3. संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने से यह घोषणा छह माह तक चल सकती है। इस घोषणा को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि संसद प्रति 6 माह के पश्चात् प्रस्ताव पारित कर इसे स्वीकृति प्रदान करती रहे अन्यथा यह स्वयं समाप्त हो जाएगी।
4. यदि लोकसभा आपातकाल के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे तो भी यह घोषणा समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद 352 के अधीन संकटकाल की घोषणा के विरुद्ध संरक्षण: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत भविष्य में आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक सुरक्षात्मक प्रबन्ध किए गए हैं। ये प्रबन्ध हैं–

- संकटकाल की घोषणा आंतरिक शान्ति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही की जा सकती है।
- मंत्रिपरिषद् के लिखित निर्णय की प्राप्ति पर ही राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है।
- आपातकाल की घोषणा को जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों का बहुमत से समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है।
- यदि लोकसभा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति इसे समाप्त कर देगा।
- लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग संकटकाल के जारी रहने की स्थिति पर विचार करने के लिए लोकसभा की बैठक बुला सकता है।
- अनुच्छेद 358(1) के अनुसार, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतन्त्रताओं का स्थगन केवल बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
- अनुच्छेद 358(2) (क) और (ब) के अनुसार जब तक कोई विधि या कार्यपालिका का आदेश यह सिद्ध नहीं करता कि उसका संबंध आपातकाल की स्थिति से है तब तक वह किसी भी मूल अधिकार को स्थगित नहीं कर सकता।
- अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को स्थगित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त व्यवस्थाओं ने आपातकाल के दुरुपयोग की सभी सम्भावनाओं को समाप्त करने का प्रयास किया है।

(ii) राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनुच्छेद-356)

दूसरे प्रकार का आपातकाल राज्य की स्थिति से संबंधित है। इसकी घोषणा उस समय की जा सकती है जब किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र विफल हो गया हो। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर सन्तुष्ट हो अथवा ऐसी मान्यता हो कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ऐसी घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यदि संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तो यह घोषणा दो माह की अवधि के बाद निष्प्रभावी हो जाती है। संसद के अनुमोदन के बाद यह एक बार में छः महीने से अधिक जारी नहीं रह सकती और किसी भी स्थिति में तीन वर्ष से अधिक जारी नहीं रह सकती। इस काल के दौरान राज्य की विधान सभा को या तो भंग कर दिया जाता है अथवा स्थगित रखा जाता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करता है। संसद उस राज्य विशेष की विधायी शक्तियों को ग्रहण कर लेती है।

अनुच्छेद 356(1) के अनुसार राष्ट्रपति को दो प्रकार से राज्य के संवैधानिक संकट का ज्ञान हो सकता है–

(i) यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित रिपोर्ट भेजे कि उसके राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, अथवा

(ii) राज्यों में राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न होने पर या अनुच्छेद 356 के तहत् संघ के निर्देशों का किसी राज्य द्वारा पालन न करने पर होता है अथवा राष्ट्रपति किसी अन्य प्रकार से संतुष्ट हो जाए कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है तो वह वहाँ के लिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है।

अनुच्छेद 356 के तहत् संकटकाल की अवधिः संसद द्वारा एक महीने के भीतर इस घोषणा को मंजूरी मिल जानी चाहिए। संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन छह महीने तक चल सकता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि छह-छह महीने करके पहले तीन साल तक बढ़ाई जा सकती थी। 44वें संविधान संशोधन ने यह अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। इस अवधि के पश्चात् राष्ट्रपति शासन तभी लागू रह सकता है जबकि–

(i) संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में आपात उद्घोषणा लागू है, तथा

(ii) चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि चुनाव कराने में कठिनाई है। परन्तु, राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा पर प्रतिबन्धः उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों की सरकारों की बर्खास्तगी के संबंध में दिए गए अपने निर्णय में जहाँ एक ओर 'पंथ निरपेक्षता' को संविधान का 'आधारभूत लक्षण' घोषित किया, वहां दूसरी ओर अनुच्छेद 356 के संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि–

(i) राज्य सरकार की बर्खास्तगी राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही हो सकती है। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जाँच न्यायालय कर सकता है।

(ii) राज्य की सरकार और विधानसभा एक साथ बर्खास्त नहीं की जा सकेगी। विधानसभा केवल संसद की अनुमति से ही बर्खास्त या विघटित की जा सकेगी। अतः राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 के तहत् प्रयोग की गई आपातकालीन शक्ति 'न्यायिक समीक्षा' की परिधि में आ गई है, जबकि पहले यह बाहर थी।

(iii) वित्तीय आपातकाल की घोषणा (अनुच्छेद-360)

यदि राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि समस्त भारत की या किसी राज्य विशेष की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाने अथवा उसकी साख को खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है तो वह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा की अवधि भी संसद की स्वीकृति के अभाव में दो मास तक चल सकेगी और संसद की स्वीकृति के पश्चात् तब तक जारी रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति दूसरी घोषणा से इसे समाप्त न कर दे।

वित्तीय संकटकाल की घोषणा का प्रभावः

(i) संघ सरकार के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती-केन्द्र सरकार आवश्यकतानुसार संघ सरकार के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती कर सकती है। इन कर्मचारियों में उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं।

(ii) राज्य के धन सम्बन्धी व अन्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति-वित्तीय संकट के काल में राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित धन सम्बन्धी व अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति के लिए, जो अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत आते हैं, सुरक्षित रखे जाने का आदेश दे सकता है।

(iii) केन्द्र सरकार राज्यों को आदेश दे सकेगी-केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को वित्तीय विषयों पर व्यवहार करते समय निश्चित सिद्धांतो का पालन करने का आदेश दे सकती है और राज्य सरकारें वैसा करने के लिए बाध्य होगी।

(iv) राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन आदि में कटौती-केन्द्र सरकार को अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में आवश्यक कटौती कर दे। यह कटौती संकट की समाप्ति पर पुनः बहाल हो जाती है।

इन 72 वर्षों में अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं हुई है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

कार्यकारी शक्तियाँ	सम्पूर्ण शासन राष्ट्रपति के नाम पर, मंत्रिमंडल का निर्माण, नियुक्ति तथा पद मुक्त करने की शक्ति तथा विभिन्न आयोगों के गठन की शक्ति।
विधायी शक्तियाँ	संसद का अभिन्न अंग है, संसद का अधिवेशन बुलाने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मनोनयन की शक्ति, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शक्ति, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति तथा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (यथा पूर्ण वीटो, निलम्बनकारी वीटो, जेबी वीटो) आदि, अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
सैन्य शक्तियाँ	सम्पूर्ण सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति।
न्यायिक शक्तियाँ	न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति यथा (क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलम्बन)।
वित्तीय शक्तियाँ	धन विधेयक और बजट प्रस्तुत करना, आकस्मिकता निधि पर अधिकार, वित्त आयोग की नियुक्ति तथा कम्पट्रोलर व ऑडीटर जनरल की नियुक्ति।

EBD_7939

राजनयिक शक्तियाँ	विदेश कार्य शक्ति का संचालन।
अवशिष्ट शक्तियाँ	संविधान के विभिन्न उपबंधों में बिखरी शक्तियाँ
आपात शक्तियाँ	युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति या इनकी आशंका की अवस्था में उत्पन्न संकट की घोषणा, राज्यों में सांविधानिक तन्त्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार।

राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति

- अनुच्छेद 53 के अनुसार 'संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होने के नाते अनुच्छेद 53(1) के अनुसार अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुरूप करेगा।
- सांविधानिक प्रमुख होने के नाते भारत के राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है।
- डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में, "राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है, पर कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु राष्ट्र पर शासन नहीं करता।"
- संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार करता है अर्थात् सम्पूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के होते हैं, परन्तु उन्हें लागू राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है।
- 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मात्र रबड़ की मोहर बनकर रह गया था, किन्तु 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिपरिषद से यह कह सके कि उसे अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को चेतावनी दे सकता है, किन्तु ऐसा वह एक विषय के बारे में केवल एक बार ही कह सकेगा। पुनः विचार के अनुसार कार्य न करना संविधान का उल्लंघन माना जाएगा।
- हालांकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है तथापि वह सारे कार्य प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है।
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही लोकसभा को भंग करता है, किंतु कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब लोकसभा में पराजित प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करे। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति यह समझे कि अन्य कोई व्यक्ति स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में है तो उसके लिए लोकसभा को भंग करना एवं मध्यवर्ती चुनाव कराना उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है।
- इसी प्रकार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत दल का नेता होता है, परन्तु किसी एक दल को बहुमत न मिले या अन्य किसी कारण से सरकार गिर जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 1979 में मिलता है जब जनता संसदीय दल के विभाजित हो जाने के बाद मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। उस समय श्री नीलम संजीव रेड्डी ने सर्वप्रथम विरोधी दल के नेता श्री चाह्वान को आमन्त्रित किया और उनके मना करने पर जनता पार्टी के दूसरे नेता श्री जगजीवन राम को, जिन्हें जनता संसदीय दल ने नया नेता चुना था, आमन्त्रित न करके चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, जबकि उनका दल अल्पमत में था।
- संविधान कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान करता है। उसके पास आपातकाल सम्बन्धी शक्तियाँ भी व्यापक हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सर्व शक्ति सम्पन्न है? नहीं। वास्तव में राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी अथवा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है।
- निःसन्देह सरकार उसके नाम से चलती है लेकिन भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल की सलाह और सहायता से करना होता है। यह केवल साधारण परामर्श नहीं है अपितु बाध्यकारी है। इससे संकेत मिलता है कि प्रधानमन्त्री और मन्त्रीमण्डल ही सरकार में वास्तविक शासक हैं।
- सभी निर्णय प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति को इन निर्णयों की सूचना पाने का अधिकार है। इसी प्रकार आपातकालीन प्रावधान भी राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्तियाँ प्रदान नहीं करते।
- उपरोक्त कथन के आलोक में कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति की तुलना एक रबड़ स्टैम्प से की जा सकती है। लेकिन यह निष्कर्ष भी सत्य नहीं है।
- राष्ट्रपति को संविधान को बनाए रखने, रक्षा करने और बचाए रखने का कार्य सौंपा गया है। वह संविधान में दर्ज लोकतान्त्रिक प्रणाली का संरक्षक है।
- अनिश्चित राजनीतिक स्थिति में वह सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति को दिखाया है। फिर भी व्यवहार में राष्ट्रपति नाममात्र अथवा संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

ठीक ही कहा गया है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को सर्वोच्च सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा तो प्राप्त है परन्तु वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं हैं।

भारत का उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी की गई है, जो आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम काल के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्य सभा का पदेन सभापति भी होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति राजदूतों तथा विदेशों के विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट करता है। अमरीका के उपराष्ट्रपति की भांति, भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य भी उच्च सदन की अध्यक्षता करना है।

- भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है।
- उनका कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि का होता है। लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक, पद पर बने रह सकते हैं।
- संविधान इस बात पर मौन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जब उनका पद रिक्त हो जाता है या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है।
- संविधान में एकमात्र उपबंध राज्य सभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के ऐसे कृत्य से संबंधित है जिसका निर्वहन; ऐसी रिक्ति की अवधि के दौरान, राज्य सभा के उप सभापति द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किए गए राज्य सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है।
- उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद का त्याग भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर किया जा सकता है। त्याग पत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे उसे स्वीकार किया जाता है।
- उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोक सभा सहमत हो। इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो।

राज्य सभा के सभापति (पदेन) के रूप में उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और वह राज्य सभा के सभापति को संदेय किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता।

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से हुई राष्ट्रपति के पद की अनौपचारिक रिक्ति की स्थिति में नए राष्ट्रपति का यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक, जो किसी भी स्थिति में रिक्ति होने की तारीख से छह माह के बाद नहीं होगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा अपना कार्यभार पुनः ग्रहण करने तक उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। इस अवधि के दौरान, उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति को संदेय परिलब्धियां तथा भत्ते प्राप्त करता है।

उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य संचालनः अनुच्छेद 62(1) के से अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति पद की पदावधि की समाप्ति से पहले होती है तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से पूर्व ही कर लिया जाना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से ऐसा संभव न हो तो अनुच्छेद 56(1) (ग) के अनुसार पदासीन राष्ट्रपति अवधि समाप्ति के पश्चात् भी तब तक अपने पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संचालन करता रहेगा जब तक कि नव निर्वाचित राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता। इस तरह की रिक्ति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण नहीं करता।

अनुच्छेद 65(1) के अनुसार यदि रिक्तता राष्ट्रपति की पदावधि पूरी होने के अतिरिक्त अन्य किसी कारण, जैसे–

(i) राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर,
(ii) महाभियोग संकल्प पारित होने पर, स्वयं पद त्याग या पद से हटाये जाने पर,
(iii) राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करने की असमर्थता व्यक्त करने आदि पर हुई हो।

तब उपराष्ट्रपति तुरन्त राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है और अनुच्छेद 65(3) के अनुसार नए राष्ट्रपति के चयन तक पद पर बना रहता है। इस स्थिति में अधिक-से-अधिक छह माह के भीतर नए चुनाव करवाना आवश्यक होता है तथा इस दौरान उपराष्ट्रपति को वे सभी वेतन-भत्ते एवं उन्मुक्तियाँ उपलब्ध होती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं।

उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता

अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं–

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह अपनी आयु के 35 वर्ष पूरे कर चुका हो।
3. वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
4. वह संघ सरकार, किसी राज्य सरकार या उसके अधीन किसी स्थानीय संस्था आदि का वेतन-भोगी कर्मचारी न हो। उसे अन्य कोई आर्थिक लाभ प्राप्त न होता हो।
5. वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते समय वह इनमें से किसी का सदस्य हो तो निर्वाचित होने के पश्चात् उसका वह स्थान रिक्त समझा जाता है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 66(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य (निर्वाचित व मनोनीत दोनों) एक संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। चुनावों से उत्पन्न विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते।

उपराष्ट्रपति की पदावधि

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए किया जाता है। उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हो जाता। उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी अपना पद त्याग सकता है या उसे पद मुक्त किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति निम्न अवस्थाओं में पदमुक्त हो सकता है–

1. राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप कर।
2. राज्य सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाये जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए राज्यसभा को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व इसकी लिखित सूचना 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को भेजनी पड़ती है। यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से उपराष्ट्रपति के पद-मुक्ति का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा की भी उसे स्वीकृति प्राप्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति अपदस्थ समझा जाता है।

उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। यदि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यभार का वहन कर रहा होता है तो इस स्थिति में उस पर भी महाभियोग प्रक्रिया उसी प्रकार लगाई जाती है, जैसे राष्ट्रपति पर अधिरोपित की जाती है।

शपथ ग्रहण

अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है।

वेतन एवं भत्ते

अनुच्छेद 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है।

वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति का वेतन 4 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नि:शुल्क आवास भी दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान घटाया नहीं जा सकता। पदावधि के दौरान मृत्यु या पदावधि की समाप्ति की स्थिति में पारिवारिक पेंशन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान है।

उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ

1. **राज्यसभा का सभापति:** अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति निम्न कार्य संपादित करता है–
   (i) राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है, राज्य सभा में अनुशासन बनाए रखता है तथा आज्ञा का पालन न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित कर सकता है।
   (ii) सदन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने की स्थिति में वह सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है।
   (iii) वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की आज्ञा देता है, बिना उसकी आज्ञा के कोई भी सदस्य सदन में भाषण नहीं दे सकता।
   (iv) सदन में प्रस्तुत विधेयक पर विचार-विमर्श करवाता है और इसके पश्चात् विधेयक के संबंध में मतदान करवाता है तथा उसका परिणाम भी घोषित करता है।
   (v) वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर भी करता है।
   (vi) वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दण्डित भी करता है।
   (vii) वह सदन में प्रश्नों के पूछने के संदर्भ में भी अपना निर्णय देता है।
   (viii) वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग पर रोक लगाता है।
2. **कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में:** अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वह बीमार हो जाए, महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए अथवा स्वयं त्याग पत्र दे दे; तो उपराष्ट्रपति उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत का उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के नए चुनाव होने तक ही इस पद का कार्यभार संभाल सकता है। जिस समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय तक उसे राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। इस समय वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है इसलिए न ही राज्यसभा के अधिवेशनों का सभापतित्व करता है और न ही राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे वेतन तथा भत्ते आदि प्राप्त होते हैं।
   कर्त्तव्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति की समर्थता तथा असमर्थता का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (यदि राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति दोनों पदों में किसी कारण से रिक्ति आ जाए तो ऐसे में देश के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन तब तक करता रहता है, जब तक कि नये राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता)।
3. **संप्रेषण का कार्य:** भारत का राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देता है तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति का त्याग पत्र प्राप्त कर उपराष्ट्रपति का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे।
4. **अन्य कार्य:** यद्यपि उपराष्ट्रपति को संविधान द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिका शक्ति प्राप्त नहीं है, तथापि व्यवहार में उसे मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक समारोहों तथा राजकीय यात्राओं में वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है।
5. **कुलपति:** उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति भी होता है।

भारत का प्रधानमंत्री

भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार की कार्यकारी शाखा का अध्यक्ष होता है। उनकी स्थिति राष्ट्र के मुखिया भारत के राष्ट्रपति से भिन्न होती है। चूंकि भारत में अब वेस्टमिंस्टर प्रणाली के बाद से सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन किया जाता है, इसलिए अधिकांश कार्यकारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रुप में कार्य करते है और ये मंत्रिपरिषद का नेता होते है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर की जाती है। प्रधानमंत्री या तो लोक सभा का सदस्य होता है या फिर राज्य का सदस्य भी हो सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का

स्थान अद्वितीय है। वह संसद तथा कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री सरकार का भी अध्यक्ष होता है। साथ ही, वह संसद में अपनी पार्टी का नेता तथा लोक निर्वाचित लोकसभा का नेता होता है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

सैद्धान्तिक पक्ष

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75(1) में केवल इतना उल्लेख है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की मन्त्रणा पर राष्ट्रपति करेगा। संविधान प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में मौन है।
   अत: सैद्धान्तिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के व्यक्तिगत अधिकार के अन्तर्गत आती है, किंतु संसदीय प्रणाली की सरकार में केवल बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि उसकी मन्त्रणा से बनी मंत्रिपरिषद् अनुच्छेद 75(3) के अन्तर्गत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
2. भारत में ब्रिटिश परम्पराओं के अनुसार बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यद्यपि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
3. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति लोकसभा का ही सदस्य हो। उदाहरणार्थ- 1966 में जब प्रथम बार श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, तब वह राज्यसभा की सदस्या थीं। संविधान की व्यवस्था के अनुसार संसद की सदस्यता भी आवश्यक नहीं है।
4. अनुच्छेद 75(5) के अनुसार छह माह तक संसद की सदस्यता प्राप्त किए बिना भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जा सकती है।
5. यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति को इस संबंध में स्वविवेक से निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

व्यावहारिक पक्ष

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति दो चरणों में होती है। साधारण चुनावों के पश्चात् सर्वप्रथम बहुमत प्राप्त दल अपने नेता का चयन करता है और तब राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है।
2. प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है तथा राष्ट्रपति उसे पदच्युत भी कर सकता है। भारत में किसी प्रधानमंत्री को पदच्युत नहीं किया गया है।
3. भारत के लोकसभा के चुनावों के पश्चात् राष्ट्रपति ने बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है।
4. भारत के इतिहास में पहली बार भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ा; जब 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई तब राष्ट्रपति को चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना पड़ा, जो बहुमत दल के नेता नहीं थे।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्न परम्पराओं का विकास हुआ है–

(i) लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के चयन के पश्चात् राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।

(ii) बहुमत प्राप्त दल अपने नेता का चयन सर्वसम्मति से करने का प्रयास करता है। 1967 को छोड़कर नेता का चुनाव सदैव सर्वसम्मति से किया गया है।

(iii) जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग करता है।

(iv) विरोधी दलों के बाहरी समर्थन के आश्वासन पर राष्ट्रपति अल्पमत सरकार का भी गठन कर देता है।

प्रधानमंत्री पद की योग्यता

- प्रधानमंत्री पद की योग्यता के सम्बन्ध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान तो नहीं किया गया है, लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा।
- लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के लिए जरूरी है कि नेता लोकसभा का सदस्य हो। इसलिए प्रधानमंत्री को साधारणत: लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति, जो कि लोकसभा का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे छ: महीने के अंतर्गत लोकसभा का सदस्य होना पड़ता है। उदाहरण के लिए 1967 में इंदिरा गांधी (तब राज्यसभा की सदस्य थी) तथा 1991 में जब पी. वी. नरसिंहराव प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किये गये तब वे लोकसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने छ: महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद की सदस्यता प्राप्त की थी।
- हालांकि प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। उसे वस्तुत: संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य अनिवार्यत: होना चाहिए।
- 1997 में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त इन्द्र कुमार गुजराल तथा बाद में 2004 में नियुक्त प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं।

प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता

इस संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, किंतु यह अवश्य कहा गया है कि-

1. प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो।
2. लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा का सदस्य हो।
3. लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी किसी व्यक्ति की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जा सकती है, किंतु इसके लिए उसे छह माह के अन्तर्गत लोकसभा का सदस्य होना पड़ता है।

- संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है।
- अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति छह महीने के अन्दर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन जाता है, तो वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है। इसका अर्थ है कि बाहरी व्यक्ति भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। लेकिन उसे छह महीने के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। यदि वह इस अवधि के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि 1996 में जब एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तब वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनकी नियुक्ति को एस.पी. आनन्द ने इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी थी

EBD_7939

कि इससे अनुच्छेद 14, 21 और 75 का उल्लंघन होता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यह नियुक्ति विधिमान्य है।

प्रधानमंत्री पद की अवधि

सामान्यतया प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से लोकसभा के अगले चुनाव के बाद मंत्रिमण्डल के गठन होने तक प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है, लेकिन इसके पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पद त्याग सकता है, या राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है।

वेतन एवं भत्ते

समय-समय पर संसद द्वारा पारित वेतन व भत्ते संबंधी अधिनियम के अनुसार प्रधानमंत्री को वेतन प्राप्त होता है। साथ ही निःशुल्क आवास, यात्रा, चिकित्सा, टेलीफोन आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। भत्ते के रूप में प्रधानमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र, आकस्मिक खर्चे, अन्य खर्चे एवं डी.ए. आदि प्रदान किए जाते हैं।

मूल वेतन 50 हजार रुपये है। इसके अलावा दैनिक भत्ते के हिसाब से मासिक 62 हजार रुपये और सांसद भत्ते के तौर पर उन्हे 45 हजार रुपये मिलते हैं। सरकारी आवास और यात्रा की सुविधाओं के अलावा उन्हें निजी स्टाफ के तौर भी भत्ते मिलते हैं। प्रधानमंत्री का कुल मासिक वेतन 1,60,000 रूपये है।

अधिकार एवं कार्य

1. अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने तथा मंत्रिमंडल से उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है।
2. वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभाग का आवंटन करता है तथा किसी भी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में अन्तरित कर सकता है।
3. प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है।
4. अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह संघ के कार्य-कलाप के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं की सूचना राष्ट्रपति को दे और यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर प्रधानमंत्री से सूचना मांगता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए बाध्य है।
5. अनुच्छेद 74(1) के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु या त्यागपत्र से मन्त्रिमण्डल का विघटन हो जाता है।

भारत के प्रधानमंत्री की सूची

1947 से आजादी के बाद से, भारत में अब तक विभिन्न 15 प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं।

नाम	कार्यालय लेने की तिथि	कार्यालय से हटने की तिथि	पार्टी
श्री नरेंद्र मोदी	26 मई, 2014	पदस्थ	भारतीय जनता पार्टी
डा. मनमोहन सिंह	22 मई, 2004	26 मई 2014	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	19 मार्च, 1998	22 मार्च, 2004	भारतीय जनता पार्टी
इन्द्र कुमार गुजराल	21 अप्रैल, 1997	19 मार्च, 1998	जनता दल
श्री एच. डी. देवगौड़ा	1 जून, 1996	21 अप्रैल, 1997	जनता दल
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	16 मई, 1996	1 जून, 1996	भारतीय जनता पार्टी
श्री पी.वी. नरसिंह राव	21 जून, 1991	16 मई, 1996	कांग्रेस (आई)
श्री चन्द्रशेखर	10 नवंबर, 1990	21 जून, 1991	जनता दल (एस)
विश्वनाथ प्रताप सिंह	2 दिसंबर, 1989	10 नवंबर, 1990	जनता दल
श्री राजीव गाँधी	31 अक्टूबर, 1984	2 दिसंबर, 1989	कांग्रेस (आई)
श्रीमती इंदिरा गांधी	14 जनवरी, 1980	31 अक्टूबर 1984	कांग्रेस (आई)
श्री चरण सिंह	28 जुलाई, 1979	14 जनवरी, 1980	जनता पार्टी
श्री मोरारजी देसाई	24 मार्च, 1977	28 जुलाई, 1979	जनता पार्टी
श्रीमती इंदिरा गांधी	24 जनवरी, 1966	24 मार्च, 1977	कांग्रेस
श्री गुलजारी लाल नंदा	11 जनवरी, 1966	24 जनवरी, 1966	कांग्रेस
श्री लाल बहादुर शास्त्री	9 जून, 1964	11 जनवरी, 1966	कांग्रेस
श्री गुलजारी लाल नंदा	27 मई, 1964	9 जून, 1964	कांग्रेस
श्री जवाहर लाल नेहरू	15 अगस्त, 1947	27 मई, 1964	कांग्रेस

EBD_7939

उप-प्रधानमंत्री

भारतीय संविधान में उप-प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय-समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप-प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दूसरी बार इस पद का सृजन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1967-69 के दौरान किया गया, जब मोरारजी देसाई को इसका दायित्व सौंपा गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयी तब मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में दो उप-प्रधानमंत्री-चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम बनाये गये। जनता पार्टी से अलग होने के बाद जब चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनायी तब उन्होंने वाई. बी. चह्वाण को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तब चह्वाण कांग्रेस छोड़कर चौधरी चरण सिंह के साथ आ गये थे। इसी प्रकार 1989 में वी.पी. सिंह सरकार में और 1990 में चंद्रशेखर सरकार में चौधरी देवीलाल को उप-प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया गया था। इसी क्रम में जून 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को उप-प्रधानमंत्री पद का दायित्व भी सौंपा दिया था।

संवैधानिक दृष्टि से उप-प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु व्यवहार में उप-प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है।

अब तक नियुक्त उप-प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल

लालकृष्ण आडवाणी	29 जून, 2002 से 22 मई, 2004
चौधरी देवी लाल	10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991
चौधरी देवी लाल	2 दिसम्बर, 1989 से 1 अगस्त, 1990
वाई. वी. चव्हाण	28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980
चौधरी चरण सिंह	24 जनवरी, 1979 से 28 जुलाई, 1979
जगजीवन राम	24 जनवरी, 1979 से 28 जुलाई, 1979
मोरारजी देसाई	13 मार्च, 1967 से 19 जुलाई, 1969
सरदार वल्लभ भाई पटेल	15 अगस्त, 1947 से 15 दिसम्बर, 1950

कार्यवाहक प्रधानमंत्री

भारत की संवैधानिक परम्परा में यह प्रावधान है कि यदि किसी प्रधानमंत्री की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए और नया प्रधानमंत्री चुना जाना तत्काल सम्भव न हो तो कार्यवाहक अथवा अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब तक के लिए की जा सकती है, जब तक कि नया प्रधानमंत्री विधिक रूप से नियुक्त नहीं कर दिया जाता। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री के पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता। भारत रत्न सम्मानित गुलजारी लाल नन्दा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद पर दो बार नियुक्त हुए। पहली बार तब जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का निधन हो गया था। दूसरी बार जब पद पर रहते देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था, तब 11 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे।

मंत्रिपरिषद्

भारत में संसदीय अथवा मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, परन्तु व्यवहार में कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद् ही करती है।

संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन हेतु सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संविधान में राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है, लेकिन संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है और वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही किया जाता है। संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि किसी विषय में मंत्रिपरिषद् के पुनः विचार की आवश्यकता है, तो वह ऐसे निर्णय को पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद् में भेज सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात् दिये गए निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है अर्थात् वह इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद् अपने सम्पूर्ण कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अर्थात् मंत्रिपरिषद् को संविधान ने मान्यता प्रदान की है। यह भारतीय संविधान का महत्त्वपूर्ण अंग है। यही संसद और राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद् में देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है।

मंत्रिपरिषद् का निर्माण

अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद् के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपने दल के अत्यन्त प्रतिभा संपन्न नेताओं को राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रियों के रुप में नियुक्त करता है। व्यवहार में जब नए चुनाव सम्पन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। नियुक्त मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रत्येक मंत्री अपने पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यदि कोई मंत्री जो निरन्तर छः माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह सकता।

राष्ट्रपति अनिवार्यतः बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, किन्तु कुछ विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक से कार्य करना पड़ता है, जैसे–

- उस समय जबकि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
- उस समय जबकि बहुमत प्राप्त दल में कोई निश्चित नेता या प्रधानमंत्री पद के दो प्रभावशाली दावेदार उपस्थित हों।
- राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके कुछ समय के लिए स्वेच्छा से काम चलाऊ सरकार का नेता मनोनीत कर सकता है।

मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या

संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गयी है। आवश्यकतानुसार मंत्रियों की संख्या घटायी-बढ़ायी जा सकती है। वर्ष 2003 में, 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद्

में सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद् का अधिकतम आकार, निचले सदन की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक ही हो सकेगा। इससे पूर्व इसे सदस्यों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान था।

छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या

सिक्किम और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में, जहां विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या क्रमशः 32 और 40 हैं, मंत्रियों की संख्या 7 रखने का प्रावधान पहले विधेयक में किया गया था, किन्तु स्थायी समिति की संस्तुतियों के आधार पर संसद द्वारा पारित संशोधित विधेयक में छोटे राज्यों के लिए 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है।

मंत्रियों का वर्गीकरण

संविधान मंत्रिमंडल में केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है उनके वर्गीकरण या श्रेणीकरण या संख्या का नहीं। कार्य की सुविधा के लिए मंत्रियों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–

1. **मंत्रिपरिषदीय मंत्री अथवा कैबिनेट मंत्री:** मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या बहुत अधिक होने के कारण इनकी बैठकें करना तथा उनमें नीति निर्धारण संबंधी कोई निर्णय करना अत्यन्त कठिन होता है। अतः इंग्लैंड की भांति भारत में भी मंत्रिपरिषद् की एक समिति का विकास हो गया है, यह समिति कैबिनेट कहलाती है। मूल संविधान में 'कैबिनेट' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, किन्तु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उनुच्छेद 352 में इस शब्द को स्थान दिया गया है।

   साधारणतया मंत्रिपरिषद् के सदस्य के पास शासन के अत्यन्त नाजुक तथा स्वतन्त्र विभाग जैसे- वित्त, गृह, उद्योग, कृषि, विदेश, रक्षा, रेलवे, कानून व न्याय तथा सूचना और प्रसारण आदि होते हैं। ये दल के बहुत अनुभवी तथा विश्वसनीय नेता होते हैं और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण सर्वमान्य होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं।
2. **राज्य मंत्री:** मंत्रिपरिषद् के दूसरी श्रेणी के मंत्री राज्य स्तर के मंत्री होते हैं। इनके पास भी स्वतन्त्र विभाग होते हैं। कई बार इन्हें मंत्रिपरिषदीय मंत्री की सहायता हेतु भी नियुक्त किया जाता है। राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, इस कारण ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। जब किसी राज्य मंत्री के विभाग से संबंधित किसी विषय के बारे में मंत्रिमंडल में कोई निर्णय लेना होता है तो बैठक में संबंधित विषय के राज्य मंत्री को भी आमंत्रित किया जाता है।
3. **उपमंत्री:** उपमंत्री सहायक मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ये भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। इन्हें भी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं होता।

संसदीय सचिव: इनकी नियुक्ति भी संसद के सदस्यों में से ही की जाती है। मंत्रिगणों की अत्यधिक व्यस्तता के कारण, कार्य समय पर किये जाने तथा कार्य में सहायता देने हेतु इनकी नियुक्ति की जाती है। संसदीय सचिव न तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और न ही इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति स्वयं प्रधानमंत्री कर देता है। नीति निर्धारण से इनका कोई संबंध नहीं होता।

मंत्रियों का कार्यकाल

अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ही अपने पद पर आसीन रहेंगे। वास्तव में किसी मंत्री को पदमुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है अर्थात् यहां राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत का अभिप्राय प्रधानमंत्री के प्रसादपर्यंत से है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, तब तक वह अपने पद पर कायम रह सकता है। यदि कोई मंत्री अयोग्य सिद्ध हो जाए या प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत न हो तो प्रधनमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है। यदि मंत्री अपना त्यागपत्र न दे तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त करवा सकता है।

मंत्रिपरिषद् के उत्तरदायित्व

मंत्रिपरिषद् को अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं:

1. **सामूहिक उत्तरदायित्व:** अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायी होगी अर्थात् किसी भी मंत्री की, किसी गलती के कारण लोकसभा को मंत्रिपरिषद् पर विश्वास न रहे तो मंत्रिपरिषद् के प्रत्येक मंत्री को सामूहिक रूप से पदत्याग करना पड़ेगा। यही सामूहिक उत्तरदायित्व है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, राज्यसभा के प्रति नहीं, चाहे मंत्री राज्यसभा का सदस्य ही क्यों न हो। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल के लिए पदत्याग करना आवश्यक हो जाता है अथवा पदत्याग न करके मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति को विधानमंडल को भंग करने का परामर्श देता है, क्योंकि सदन निर्वाचन मंडल के मत का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
2. **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:** अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे, जिसका अर्थ यह है कि यद्यपि मंत्री सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, किंतु वे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री) के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात् प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध आचरण करने पर किसी भी स्तर के मंत्री को प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त नहीं रहेगा और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद् से बर्खास्त कर देगा।

   अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद् का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वह पदत्याग कर देता है तो अन्य मंत्री भी काम नहीं करेंगे अर्थात् किसी मंत्री के पदत्याग से मंत्रिपरिषद् में रिक्ति हो जाती है, किंतु प्रधानमंत्री की मृत्यु या पदत्याग से मंत्रिपरिषद् का विघटन हो जाता है।
3. **विधिक उत्तरदायित्व:** हमारे संविधान में विधिक उत्तरदायित्व का इंग्लैंड वाला सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया है। इंग्लैंड में सम्राट बिना किसी मंत्री के हस्ताक्षर के कोई लोक कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे देश के किसी कानून का अतिक्रमण होता है और किसी व्यक्ति के पक्ष में वाद हेतु का सृजन होता है, तो न्यायालय में मंत्री उत्तरदायी होता है। भारत के मंत्रियों के दायित्व की संकल्पना और उसका विकास प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के सर्वोच्च सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। यह लोकसभा में

जनता के सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति सरकार का दायित्त्व है। वस्तुतः भारत में उन कार्यों के लिए मंत्रियों का कोई कानूनी उत्तरदायित्त्व नहीं होता, जो राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते हैं।

मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमंडल में अन्तर

आमतौर पर मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमंडल को पर्यायवाची माना जाता है। 1979 के 44वें संविधान संशोधन से पूर्व संविधान में 'मंत्रिमंडल' शब्द नहीं था, उसमें सिर्फ 'मंत्रिपरिषद्' का ही उल्लेख था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में यह शब्द जोड़ा गया कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति तब तक आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते, जब तक कि उसके विषय में 'मंत्रिमंडल' ने कोई निर्णय न ले लिया हो। संविधान की इस व्यवस्था से यह स्पष्ट हो गया है कि मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमंडल में पर्याप्त अन्तर है।

मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमंडल में अन्तर

मंत्रिपरिषद्	मंत्रिमंडल
1.मंत्रिपरिषद् का आकार काफी बड़ा होता है। इसमें कैबिनेट स्तर के कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव शामिल होते हैं। यह एक संविधानिक संस्था है।	1.इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसका आकार छोटा होता है। इसकी रचना प्रशासनिक सुविधा के लिए की जाती है। 44वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 352(3) के द्वारा इसे सांविधानिक मान्यता प्रदान की।
2.आकार बड़ा होने के कारण इसकी बैठक यदा-कदा ही संभव होती है।	2.आकार छोटा होने के कारण इसकी बैठकें कभी भी बुलाई जा सकती हैं।
3.मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद् का सदस्य होता है।	3.मंत्रिमंडल में सरकार के प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं।
4.नीति-निर्धारण से संबंधित कार्य मंत्रिपरिषद् द्वारा नहीं किया जाता।	4.मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ मिलकर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण एवं निर्देशन करता है।
5.अनुच्छेद 78(ग) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् से परामर्श मांग सकता है, किन्तु व्यवहार में यह कार्य इसके द्वारा नहीं किया जाता।	5.राष्ट्रपति के परामर्श का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा संपादित होता है।

मंत्रिपरिषद् के कार्य एवं शक्तियां

संविधान में मंत्रिपरिषद् की शक्तियों का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु वास्तव में शासन चलाने का कार्य इसी के एक अंग, मंत्रिमंडल का होता है। मंत्रिमंडल की वास्तविक शक्तियों ने सामूहिक मंत्रिपरिषद् को व्यापक बना दिया है, यथा-

1. **विधि-निर्माण में संसद का नेतृत्त्वः** मंत्रिपरिषद् संसद का नेतृत्व करती है। संसद में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही पेश किए जाते हैं। जब तक मंत्रिमंडल को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, तब तक उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक मंजूर हो जाते हैं। बहुमत दल के सदस्य यह स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते कि सरकारी विधेयक रद्द हो जाए।

   यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कानून की भांति ही प्रभावशाली होता है। राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही अध्यादेश जारी कर सकता है।
2. **लोकसभा के विघटन की शक्तिः** संविधान के अनुसार लोकसभा के विघटन का कार्य राष्ट्रपति का है, परन्तु राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। इस शक्ति के माध्यम से मंत्रिमंडल अथवा प्रधानमंत्री लोकसभा पर कड़ा अंकुश रख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्य समय से पूर्व लोकसभा के विघटन के पक्ष में नहीं होते।
3. **राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रणः** मंत्रिपरिषद् का राजकीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बजट का निर्माण, नये कर लगाना तथा पुराने करों की दरों में हेर-फेर करना आदि मंत्रिमंडल का ही कार्य है। मंत्रीगण अपने-अपने विभागों के वित्त-ब्यौरे वित्त मंत्री के पास भेजते हैं, वित्त मंत्री उन्हें मंत्रिमंडल की सहमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत कर देता है। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् ही बजट लोकसभा में रखा जाता है।
4. **प्रशासन संचालन की शक्तिः** कानूनों को अमल में लाना, देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा आदि मंत्रिपरिषद् का ही कार्य है। मंत्रिपरिषद् के सदस्य शासन के प्रमुख विभागों, जैसे-गृह, कृषि, रेलवे, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य आदि के अध्यक्ष होते हैं। अपने विभाग से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए वे ही जिम्मेदार होते हैं।
5. **राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारणः** मंत्रिपरिषद् का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि वह घरेलू तथा विदेश नीति का निर्धारण करती है। वह युद्ध और शान्ति के प्रश्नों पर निर्णय लेती है, राष्ट्रपति के अभिभाषणों को तैयार करती है तथा शासन प्रबंध के सभी निर्णय उसे ही करने पड़ते हैं। बैंक और बीमा निगम हो या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, पर्यावरण की समस्या हो या औद्योगिकरण की, ये सभी मामले मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही तय किए जाते हैं।
6. **वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रणः** कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्य के अध्यक्षों या सरकार के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेशमंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। वार्ता के परिणामस्वरूप जब कोई सन्धि या समझौता हो जाता है, संसद को इस सम्बन्ध में सूचना दे दी जाती है और यदि आवश्यकता हुई तो संसद से उसकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाती है। कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त सन्धियां और समझौते करती है और संसद को इस सम्बन्ध में सूचना भी नहीं दी जाती। वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन में गुप्तता की आवश्यकता होती है और इसी कारण यह कार्य कैबिनेट द्वारा ही किया जा सकता है, संसद के द्वारा नहीं।

EBD_7939

7. **महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्तिः** संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मन्त्रिमण्डल द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमण्डल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है।
8. **आपात् स्थिति की उद्घोषणाः** जून, 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल की घोषणा की, उसमें मंत्रिमंडल की राय नहीं ली गई थी। इस कारण 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति तब तक आपात् की उद्घोषणा नहीं कर सकते जब तक कि इस विषय में मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय न ले लिया हो। इतना ही नहीं लिखित रूप में यह निर्णय राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचना आवश्यक है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'मंत्रिपरिषद्' के एक अंग 'मंत्रिमंडल' के कारण ही मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ इतनी व्यापक हो गई हैं, वास्तविक प्रशासन का संचालन इसी के द्वारा संपन्न होता है और यही संसद का मार्गदर्शन करती है।

प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचित करने के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्त्तव्य निश्चित किए हैं:

(क) संघ के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे,
(ख) संघ के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मांगे, वह राष्ट्रपति को दे, और
(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मन्त्री ने विनिश्चय कर दिया है, किन्तु मन्त्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे।

हालांकि राष्ट्रपति विधि निर्माण के संबंध में अंतिम रूप से तो मंत्रिपरिषद् का परामर्श मानने के लिए बाध्य है, किंतु वह इस संबंध में 'समझाने की भूमिका' निभा सकता है, जो कि संभवतया बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व की मर्यादाओं के अधीन कार्य करता है। वास्तव में कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है, जो विधानमंडल के सदस्यों से बना होता है, जो अपनी पदावधि और कार्यों के लिए विधानमंडल के निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

भारत का महान्यायवादी

संघीय सरकार की विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देने तथा राष्ट्रपति द्वारा नियोजित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए संविधान में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। देश में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति ही उसे पद से हटा सकते हैं। इस पद के लिए चयनित व्यक्ति में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रकृति की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान और किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित है, उनका भी पालन उन्हें पूरा करना होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। उन्हें संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है, हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता। उनके कामकाज में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं।

अनुच्छेद 76(1)के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। भारत के महान्यायवादी के पद को संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। यह भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इस रूप में यह निम्न कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है–

- भारत सरकार को विधि सम्बन्धी ऐसे विषयों एवं कार्यों के बारे में सलाह एवं सहायता देगा, जिनके लिए राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करे।
- वह उन कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जिनको संविधान समय-समय पर उसको सौंपे।
- महान्यायवादी अपने कर्त्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकारी होगा।

ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि भारत में यह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 88 के अनुसार उसे संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने, कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु सदन में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। भारत का महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न ही सरकारी सेवक। भारत सरकार के विरुद्ध वह न तो सलाह दे सकता है और न ही उसके विरुद्ध वकालत कर सकता है।

नियुक्ति और पदावधि

संविधान, महान्यायवादी को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता है। इसलिए, वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संविधान के महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है।

कर्तव्य और कार्य

महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित हैं:

1. वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं।
2. वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है।

3. वह संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है।

अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में,

1. वह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है।
2. जहाँ भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरुरत होती है, वह अपनी राय से सरकार को अवगत कराता है।

अधिकार और सीमाएं

महान्यायवादी के अधिकार निम्नलिखित हैं:

1. अपने कर्तव्यों के निष्पादन में, वह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है।
2. उसे संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 88)।
3. उसे संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो बोलने का अधिकार या भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 88)।
4. वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होती है।

नीचे वर्णित महान्यायवादी पर निर्धारित की गई सीमाएं हैं:

1. वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है।
2. वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता है।
3. वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है।

यह ध्यान दिये जाने वाली बात है कि महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है। वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है क्योंकि उसे निश्चित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है।

भारत के लिए महान्यायवादीयों की सूची

महान्यायवादी	कार्यकाल
एम. सी. सीतलवाड़ (सबसे लंबा कार्यकाल)	28 जनवरी 1950–1 मार्च 1963
सी.के. दफ्तरी	2 मार्च 1963–30 अक्टूबर 1968
निरेन डे	1 नवंबर 1968–31 मार्च 1977
एस. वी. गुप्ते	1 अप्रैल 1977–8 अगस्त 1979
एल.एन. सिन्हा	9 अगस्त 1979–8 अगस्त 1983
के. परासरण	9 अगस्त 1983–8 दिसंबर 1989
सोली सोराबजी (कम से कम कार्यकाल)	9 दिसंबर 1989–2 दिसंबर 1990
जी रामास्वामी	3 दिसंबर 1990–23 नवंबर 1992
महलोन के. बनर्जी	21 नवंबर 1992–8 जुलाई 1996
अशोक देसाई	9 जुलाई 1996–6 अप्रैल 1998
सोली सोराबजी	7 अप्रैल 1998–4 जून 2004
महलोन के. बनर्जी	5 जून 2004–7 जून 2009
गुलाम एस्सजी वाहनवति	8 जून 2009–11 जून 2014
मुकुल रोहतगी	12 जून 2014–30 जून 2017
के.के. वेणुगोपाल	30 जून 2017 से अभी तक

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) संस्था देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, जो भारतीय राजनीति में जवाबदेही सुनिश्चित करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 'कंट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल' अर्थात 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' को आम तौर पर 'कैग' के नाम से जाना जाता है। संविधान के भाग-5 के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होगा, जो देश की राज्यों और केन्द्र दोनों स्तरों की वित्तीय प्रणाली से संबंधित सभी व्यय सम्बन्धी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भारत के संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन महालेखा परीक्षक के नमूने पर ही बनाया गया है। वह भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसका पद कार्यपालिका के अधीनस्थ या नियंत्रण में नहीं होना चाहिए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्था की स्थापना पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के बारे में जवाबदेही लाने के लिए की गई।

यह संस्था 1860 में अस्तित्व में आई। ऐसी संस्था का महत्व ब्रिटिश सरकार ने तब महसूस किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 858 में सत्ता संभाली।

भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 में इसकी स्थिति को और महत्व दिया गया और 1950 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थिति संविधान में निहित की गई।

महालेखा परीक्षक की स्वाधीनता

संविधान के निम्न उपबंधों द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्वाधीनता सुनिश्चित की गई है–

- नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु इसे पद से दोनों सदनों के संयुक्त समवेदन पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पृथक-पृथक् प्रस्ताव पारित होना चाहिए तथा जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होना चाहिए।
- इसके वेतन और सेवा की शर्तें विधिक होती हैं अर्थात् इन्हें संसद अधिकथित करती है। इसकी पदावधि के दौरान इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

- महालेखा परीक्षक की स्वाधीनता कायम रखने के लिए संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1971 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) अधिनियम पारित किया, जिसमें 1976 में कुछ संशोधन किए गए।

महालेखा परीक्षक की पदावधि

महालेखा परीक्षक की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तारीख से छः वर्ष तक होगी, किन्तु-

- 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर छः वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले भी पद रिक्त हो जाएगा।
- वह किसी भी समय स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र या लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है।
- उसे अनुच्छेद 148(1), 124(4) के तहत् महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ

संसद द्वारा 1976 में संशोधित, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कृत्य इस प्रकार दिए गए हैं–

1. भारत और प्रत्येक राज्य की सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से संबंधित सभी व्ययों की परीक्षा (जांच) करना और यह प्रतिवेदन देना कि क्या व्यय संविधान एवं कानून के अनुसार किए गए हैं या नहीं?
2. संघ या राज्य सरकार के विभागों द्वारा किये गए सभी व्यापार और विनिर्माण के लाभ और हानि और लेखाओं की जांच तथा उन पर अपनी रिपोर्ट देना।
3. अनुच्छेद 151 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, जिसे राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाएंगे, जिसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
4. उन सरकारी कंपनियों और अन्य निकायों की, जो संघ या राज्य के राजस्व द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त प्राप्त करती हैं, प्राप्ति और व्यय की परीक्षा करना और प्रतिवेदन देना। चाहे इस संबंध में कोई निर्देशित विधान हो या नहीं।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियां

- संघ और राज्य सरकारों के खजाने (जिसे संचित निधि कहा जाता है) की सभी प्राप्तियां और खर्च,
- आपातकालीन खर्च (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है) और सरकार द्वारा केंद्र, साथ ही राज्य स्तर पर जनता के पैसे, उदाहरण के लिए डाक बचत, विकास पत्र (जिसे लोक लेखा कहा जाता है) से संबंधित सभी लेन-देन,
- सभी व्यापारिक, विनिर्माण, लाभ और हानि खाते, बैलेंस शीट और किसी भी सरकारी विभाग में रखे अन्य सहायक खाते,
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के सभी स्टोर्स और स्टॉक खाते,
- सभी सरकारी कंपनियों और कॉरपोरेट्स जैसे ओएनजीसी, सेल आदि के खाते,
- सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के खाते, जो सरकारी पैसा प्राप्त करते हैं, जैसे नगर निगम निकाय, आईआईएम, आईआईटी, राज्य स्वास्थ्य समितियां,
- राष्ट्रपति/राज्यपाल के अनुरोध या स्वयं की पहल पर किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खाते,
- उनके लेखा अधीन आने वाले किसी भी कार्यालय या संगठन के निरीक्षण की शक्ति,
- सभी लेनदेन की जांच और कार्यकारी से सवाल पूछने की शक्ति,
- किसी लेखा परीक्षित इकाई से कोई रिकॉर्ड, कागजात, दस्तावेज मांगने की शक्ति,
- लेखा परीक्षा की सीमा और तरीके तय करने की शक्ति।

भारत में महालेखा परीक्षक की स्थिति

भारत के महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि यह कर दाताओं के हितों को भी सुरक्षित रखने वाला होता है। भारत में इसके द्वारा संपरीक्षा का कार्य तब आरम्भ होता है, जबकि धन का व्यय किया जा चुका होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम, 1971 द्वारा, इसे यह शक्ति प्राप्त है कि यह सरकारी कम्पनियों और अन्य निकायों, जो संघ या राज्य के राजस्व द्वारा पर्याप्त रूप से पोषित हैं, की प्राप्ति और व्यय की संपरीक्षा करे और इस संबंध में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, चाहे इस विषय में कोई विनिर्दिष्ट विधान हो या नहीं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवर्ष अपना संपरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति के माध्यम से संसद को प्रस्तुत करवाता है। राज्यों के लेखा संबंधी प्रतिवेदन नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है।

वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य, विवाद का विषय बन गए हैं। इन पर निम्न विवाद उठ खड़े हुए हैं-

1. **नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संपरीक्षा का कार्य :** क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के यह अधिकारिता में है कि वह कोई व्यय करने के लिए विधिक प्राधिकार देखने के अतिरिक्त फिजूलखर्ची की आलोचना करते हुए मितव्ययिता का सुझाव दे? पारंपरिक दृष्टिकोण तो यह है कि जब कोई कानून किसी प्राधिकारी को किसी व्यय की मंजूरी देने की शक्ति या विवेकाधिकार देता है तो संपरीक्षा का कार्य विशिष्ट मामलों में ऐसी शक्ति के प्रयोग के औचित्य की संपरीक्षा करना है। ऐसा करते समय अर्थव्यवस्था के हित को ध्यान में रखा जाएगा और संपरीक्षा में वैधता को तो देखा ही जाएगा, किंतु सरकारी विभाग इसका इस आधार पर विरोध करते हैं कि यह हस्तक्षेप उनके प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व से मेल नहीं खाता।
2. **नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संपरीक्षा का विस्तार:** क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संपरीक्षा का विस्तार सरकार के उन औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रमों पर भी होना चाहिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के या कानूनी लोक निगमों या उपक्रमों के माध्यम

से चलाए जाते हैं? ये कंपनी या निगम अपने संगम अनुच्छेद या शासी अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। एक पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने यह तर्क दिया था, जो सही प्रतीत होता है कि इन कंपनियों या निगमों को सरकार के नाम से विनिधान के लिए धन भारत की संचित निधि से दिया जाता है इसलिए ऐसी कंपनियों की संपरीक्षा करना नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन निगमों के लेखाओं की संवीक्षा के परिणाम सम्मिलित नहीं होते और लोक लेखा समिति या संसद के पास सार्वजनिक धन खर्च करने वाले इन महत्त्वपूर्ण निकायों के नियंत्रण के लिए सामग्री नहीं होती। सरकार के प्रतिरोध का आधार यह है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इन उद्यमों के लेखाओं के लिए आवश्यक कारोबारी या औद्योगिक अनुभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी मानना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पारंपरिक तंत्र से ये उद्यम जो राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक हैं, जड़ हो जाएंगे।

भारत और ब्रिटेन के महालेखा परीक्षक की तुलना

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों के ही कर्त्तव्य पूरे करने होते हैं, किंतु व्यवहार में वह केवल लेखा परीक्षक के कर्त्तव्यों का पालन करता है, नियंत्रक के नहीं, जबकि ब्रिटेन में वह लोकधन की प्राप्ति और उसके निर्गम का नियंत्रण भी करता है। ब्रिटेन में इसके द्वारा दिए गए प्राधिकार के बिना 'इंग्लैंड के खजाने' से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता तथा वह यह प्राधिकार तभी देता है जब उसको यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यय कानूनी रूप से आवश्यक है। किंतु भारत की संचित निधि से धन निकालने पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई नियंत्रण नहीं है। उसके द्वारा निर्देशित प्राधिकार के बिना भी बहुत से विभाग चैक द्वारा धन निकाल सकते हैं। धन व्यय हो जाने के पश्चात् नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य आरम्भ होता है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तान्तरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि-
   (a) हर निर्वाचित सासंद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है।
   (b) निर्वाचित सांसदों तथा राज्यों के निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या समान होती है।
   (c) सभी सासंदों और विधायकों में से हरेक को एक मत होता है।
   (d) सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है।
2. भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग
   (a) संसद के किसी सदन में आरंभ किया जा सकता है।
   (b) ससंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आरम्भ किया जा सकता है।
   (c) अकेले लोकसभा में आरभ्य किया जा सकता है।
   (d) अकेले राज्यसभा में आरभ्य किया जा सकता है।
3. भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तान्तरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि-
   (a) हर निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है।
   (b) निर्वाचित सांसदों तथा राज्यों के निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या समान होती है।
   (c) सभी सांसदों और विधायकों में से प्रत्येक का एक मत होता है।
   (d) सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है।
4. भारत में, रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। इसका क्या तात्पर्य है?
   (a) इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता
   (b) इस शक्ति के प्रयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जा सकेगा
   (c) युद्ध के समय राष्ट्रपति इस शक्ति के प्रयोग में केवल रक्षा बलों के प्रमुखों से परामर्श करता है
   (d) युद्ध के समय राष्ट्रपति इस शक्ति के प्रयोग में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलम्बित कर सकता है
5. यदि भारत के प्रधानमन्त्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो
   (a) वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे
   (b) वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे
   (c) वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं
   (d) उन्हें प्रधानमन्त्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद छः मास के अन्दर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा
6. राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है?
   (a) संसद और राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों द्वारा
   (b) संसद और राज्य विधानमण्डलों के चुने हुए सदस्यों द्वारा
   (c) संसद और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा
   (d) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा
7. राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के सन्दर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) यह संसद की विधायी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है
   (b) अनुच्छेद 123 में उल्लेख है
   (c) संसद के दोबारा शुरू होने की तिथि से छः सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा
   (d) राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता है

EBD_7939

8. नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अन्तिम जिम्मेदारी किसकी है?
   (a) भारत के राष्ट्रपति
   (b) उच्चतम न्यायालय
   (c) संसद
   (d) नीति आयोग
9. निम्नलिखित कर्त्तव्यों में कौन-से एक का भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता?
   (a) भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
   (b) आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
   (c) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखापरीक्षा करना और उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
   (d) सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियन्त्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो
10. भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक को उसके पद से जिस ढंग और जिस आधार पर हटाया जा सकता है, वह निम्न में किससे सम्बन्धित है?
   (a) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
   (b) उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति
   (c) भारत का महान्यायवादी
   (d) लोकसभा का अध्यक्ष
11. कैग के लिए निम्न में से कौन-सी लेखापरीक्षा विवेकाधीन है और बाध्यकर नहीं?
   (a) लेखाविधि की लेखा परीक्षा
   (b) प्राधिकार की लेखा परीक्षा
   (c) विनियोग की लेखा परीक्षा
   (d) औचित्य की लेखा परीक्षा
12. एक गैर वित्त विधेयक जो कि संसद द्वारा पारित है, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है। यह फिर से एक बार बिना किसी परिवर्तन के संसद द्वारा पास किया जाता है तब क्या होगा?
   (a) राष्ट्रपति फिर से इसे रोक सकता है
   (b) विधेयक खुद-ब-खुद खत्म हो जाएगा
   (c) इसे सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाएगा
   (d) राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे
13. मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रिमण्डल के मध्य निम्नांकित अन्तरों में से कौन-सा सही नहीं है?
   (a) मन्त्रिपरिषद् के सभी सदस्य मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते, जबकि मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य मन्त्रिपरिषद् के भी सदस्य होते हैं
   (b) मन्त्रिपरिषद् में तीन या चार स्तर के मन्त्री होते हैं, जबकि मन्त्रिमण्डल में केवल एक (कैबिनेट) ही स्तर के मन्त्री होते हैं
   (c) मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, जबकि मन्त्रिपरिषद् का उत्तरदायित्व प्राधानमन्त्री के प्रति
   (d) प्रशासनिक नीतियों का निर्धारक व वास्तविक शासनकर्ता मन्त्रिमण्डल होता है, मन्त्रिपरिषद् नहीं
14. भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है?
   (a) भारत के गवर्नर जनरल (b) भारत के मुख्य न्यायाधीश
   (c) भारत के प्रधानमंत्री (d) भारत के उपराष्ट्रपति
15. भारत का उप-राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
   (a) 30 वर्ष (b) 35 वर्ष
   (c) 40 वर्ष (d) 37 वर्ष
16. मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदाई है?
   (a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमन्त्री
   (c) लोकसभा (d) राज्यसभा
17. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है?
   (a) अनुच्छेद-340 (b) अनुच्छेद-330
   (c) अनुच्छेद-360 (d) अनुच्छेद-350
18. राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे?
   (a) अनुच्छेद-352 (b) अनुच्छेद-360
   (c) अनुच्छेद-356 (d) अनुच्छेद-364
19. निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की, उसमें निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है?
   (a) एन एस रेड्डी, ज्ञानी जैलसिंह, आर वेंकेटरमण, डॉ. शंकर दयाल शर्मा
   (b) एन एस रेड्डी, डॉ. शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकेटरमण, ज्ञानी जैल सिंह
   (c) आर वेंकेटरमण, डॉ. शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, एन एस रेड्डी
   (d) एन एस रेड्डी, आर वेंकटरमण, ज्ञानी जैल सिंह, डॉ. शंकर दयाल शर्मा
20. भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस विभाग पर पदासीन थे?
   (a) रेल मंत्री (b) वित्त मंत्री
   (c) विदेश कार्य मंत्री (d) गृह मंत्री
21. भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है?
   (a) 30 वर्ष (b) 35 वर्ष
   (c) 18 वर्ष (d) 25 वर्ष
22. जब उप-राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो, तो उसे
   1. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियों और प्रकार्य प्राप्त होंगे।
   2. राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।
   3. राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा।
   (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 3
   (c) 1 और 2 (d) केवल 2
23. भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छानिर्णय अधिकार (विवेकाधिकार) के अन्तर्गत क्या प्राप्त है?
   (a) मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
   (b) वित्तीय आपातकाल घोषित करना
   (c) किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना
   (d) प्रधानमंत्री की नियुक्ति

24. सदन में राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए?
(a) सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम-से-कम 2/3 सदस्य
(b) सदन के कुल सदस्यों में से कम-से-कम 2/3 सदस्य
(c) सदन के कुल सदस्यों में से बहु-संख्यक सदस्य
(d) सदन के विशेष बहुमत

25. निम्नलिखित में से कौन भारत का उप-राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था?
(a) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (b) डॉ. एस राधाकृष्णन
(c) नीलम संजीव रेड्डी (d) ज्ञानी जैल सिंह

26. निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था, जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया?
(a) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (b) डॉ. एस राधाकृष्णन
(c) डॉ. एन संजीव रेड्डी (d) डॉ. शंकर दयाल शर्मा

27. भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएँ, जो सबसे कम आयु के थे
(a) डॉ. शंकर दयाल शर्मा
(b) डॉ. आर वेंकटरमण
(c) डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद
(d) डॉ. जाकिर हुसैन

28. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है
(a) विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा
(b) उच्चतम न्यायालय द्वारा
(c) केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
(d) संसद द्वारा

29. राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है?
(a) 10 (b) 12
(c) 14 (d) 16

30. किसने दो पूर्ण-अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद सम्भाला था?
(a) एस राधाकृष्णन (b) वी वी गिरि
(c) बी डी जत्ती (d) एम हिदायतुल्ला

31. देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर-इन-चीफ कौन है?
(a) रक्षामंत्री
(b) प्रधानमंत्री
(c) तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ
(d) राष्ट्रपति

32. भारत के निम्नलिखित पदासीन उप-राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए?
(a) एस राधाकृष्णन (b) वी वी गिरि
(c) भैरों सिंह शेखावत (d) 'a' और 'b' दोनों

33. भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है?
(a) 4 वर्ष (b) 5 वर्ष
(c) 6 वर्ष (d) इनमें से कोई नहीं

34. किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आन्तरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी?
(a) वर्ष 1962 (b) वर्ष 1965
(c) वर्ष 1971 (d) वर्ष 1975

35. संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अन्तर्गत लागू किया जाता है?
(a) धारा 352 (b) धारा 356
(c) धारा 360 (d) धारा 350

36. भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है?
(a) लोकसभा के कार्यकाल के साथ
(b) राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ
(c) जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो
(d) पाँच वर्ष

37. मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है
(a) राष्ट्रपति के प्रति (b) प्रधानमन्त्री के प्रति
(c) लोकसभा के प्रति (d) राज्यसभा के प्रति

38. निम्नलिखित में से कौन-सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है?
(a) भारत का मुख्य न्यायाधीश (b) अध्यक्ष वित्त आयोग
(c) थल सेनाध्यक्ष (d) लोकसभा का अध्यक्ष

39. राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है?
(a) तीन महीने (b) छः महीने
(c) नौ महीने (d) अनिश्चित काल के लिए

40. भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है?
(a) निर्वाचन (b) नियुक्ति
(c) मनोनयन (d) चयन

41. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का तो भाग है, परन्तु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है?
(a) लोकसभा (b) राज्यसभा
(c) राज्यों की विधान परिषदें (d) राज्यों की विधान सभाएँ

42. निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य सही है?
भारत का प्रधानमन्त्री-
(a) संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मन्त्रियों का चयन करने के लिए स्वतन्त्र है
(b) इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों का चयन कर सकता है
(c) अपने मन्त्रिमण्डल के मन्त्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है
(d) अपने मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं

43. यदि भारत के प्रधानमन्त्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो-
(a) वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे
(b) वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे
(c) वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं
(d) उन्हें प्रधानमन्त्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद छः मास के अन्दर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा

EBD_7939

44. भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या, उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के एक हजार के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति (1997 ई.) में 'जनसंख्या' से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है?
(a) वर्ष 1991 की जनगणना (b) वर्ष 1981 की जनगणना
(c) वर्ष 1971 की जनगणना (d) वर्ष 1961 की जनगणना

45. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मन्त्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है?
(a) 39 वाँ (b) 40 वाँ
(c) 42 वाँ (d) 44 वाँ

46. जब केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने (वर्ष 2002 में) चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे अपनी सहमति दी?
(a) अनुच्छेद 121 (b) अनुच्छेद 122
(c) अनुच्छेद 123 (d) अनुच्छेद 124

47. संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है?
(a) अनुच्छेद 215 (b) अनुच्छेद 275
(c) अनुच्छेद 325 (d) अनुच्छेद 355

48. करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है
(a) भारत की आकस्मिकता निधि में
(b) लोक लेखे में
(c) भारत की संचित निधि में
(d) निक्षेप तथा अग्रिम निधि में

49. भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत (Remove) करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है?
(a) केवल लोकसभा में
(b) संसद के किसी भी सदन में
(c) संसद की संयुक्त बैठक में
(d) केवल राज्यसभा में

50. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय
(a) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परन्तु उसे छः माह के अन्दर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए
(b) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परन्तु उसे छः माह के अन्दर लोक सभा का सदस्य हो जाना चाहिए
(c) संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए
(d) आवश्यक रूप से लोक सभा का सदस्य होना चाहिए

51. भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग –
(a) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है।
(b) संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है।
(c) केवल लोक सभा में प्रारंभ किया जा सकता है।
(d) केवल राज्य सभा में प्रारंभ किया जा सकता है।

52. यदि प्रधानमंत्री राज्य सभा का सदस्य होता है तो उसे,
(a) छः महीनों के अन्दर लोक सभा के लिए निर्वाचित होना होता है
(b) सरकारी नीतियों की घोषणा केवल राज्य सभा में ही कर सकता है
(c) अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता
(d) लोक सभा में बजट पर विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता

53. भारत में, रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। इसका क्या तात्पर्य है?
(a) इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता
(b) इस शक्ति के प्रयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जा सकेगा
(c) युद्ध के समय राष्ट्रपति इस शक्ति के प्रयोग में केवल रक्षा बलों के प्रमुखों से परामर्श करता है
(d) युद्ध के समय राष्ट्रपति इस शक्ति के प्रयोग में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलम्बित कर सकता है

54. निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने लोक सभा में अविश्वास मत का समाना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया था?
(a) चन्द्रशेखर (b) मोरारजी देसाई
(c) चौधरी चरण सिंह (d) वी. पी. सिंह

55. 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस को प्रदान की गई थीं?
(a) संघीय विधानमण्डल को (b) प्रांतीय विधानमण्डलों को
(c) गवर्नर जनरल को (d) प्रांतीय गवर्नरों को

56. भारत के राष्ट्रपति का महा अभियोग
(a) संसद के किसी सदन में आरम्भ किया जा सकता है।
(b) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आरम्भ किया जा सकता है
(c) अकेले लोक सभा में आरम्भ किया जा सकता है
(d) अकेले राज्य सभा में आरम्भ किया जा सकता है

57. भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तान्तरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि
(a) हर निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है
(b) सांसदों तथा राज्य के विधायकों के मतों की संख्या समान होती है
(c) सभी सांसदों और विधायकों में से हरेक का एक मत होता है
(d) सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है

58. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है?
(a) भारत का निर्वाचन आयोग
(b) संसद की संयुक्त समिति
(c) भारत का उच्चतम न्यायालय
(d) लोकसभा अध्यक्ष

59. संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सहता है?
(a) भारत का महासालिसिटर
(b) भारत के उप-राष्ट्रपति
(c) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(d) भारत का महान्यायवादी

60. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(a) उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
(b) उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है
(c) CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी, वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है
(d) CAG का वेतन भारत संचित निधि से दिया जाता है

61. भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधत्व के आधार पर किया जाता है?
(a) प्रधानमंत्री (b) राष्ट्रपति
(c) राज्यपाल (d) लोकसभा अध्यक्ष

62. भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है?
(a) वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है।
(b) वह किसी विशेष परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है।
(c) वह प्रत्येक वर्ष संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है।
(d) वह संसद का एक भाग होता है।

63. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(a) राष्ट्रपति किसी भी समय अपने द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों को वापस ले सकता है।
(b) जब संसद अथवा राज्य विधानमण्डल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो तथा कानून लागू करना अति आवश्यक हो गया हो।
(c) अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है, जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है।
(d) अध्यादेश मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं।

64. भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचकमंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।
(b) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है।
(c) उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा।
(d) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा।

65. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जाँच और निर्णय निम्नलिखित में से किस सांविधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं?
(a) भारत का उच्चतम न्यायालय (b) भारत का निर्वाचन आयोग
(c) संसदीय समिति (d) दिल्ली उच्च न्यायालय

66. राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है-
(a) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(d) भारत सरकार अधिनियम, 1947

67. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है?
(a) पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए।
(b) राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष तक पद पर रहेंगे।
(c) राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा।
(d) निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है।

68. एक सांसद अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु
(a) चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा।
(b) अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी।
(c) निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी।
(d) एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधान सभा का सदस्य नहीं।

69. अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है-
(a) भारत के महाधिवक्ता को
(b) संसद को
(c) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को
(d) इनमें से कोई नहीं

70. राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है?
(a) लोक सभा
(b) राज्य सभा
(c) संसद के किसी भी सदन द्वारा
(d) उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं

71. जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभा सकता है, तो उप-राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है?
(a) 5 वर्ष (b) 1½ वर्ष
(c) 1 वर्ष (d) 6 माह

EBD_7939

72. भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है?
    (a) वह संसद का एक संघटक भाग है।
    (b) वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है।
    (c) वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है।
    (d) वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है।
73. निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था, जिसे संविधानिक शब्दावली में 'जेबी निषेधाधिकार' कहा जाता है?
    (a) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (b) वी.वी. गिरि
    (c) ज्ञानी जैल सिंह (d) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
    (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
74. निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है?
    (a) राजदूतों की नियुक्ति
    (b) विधेयकों पर स्वीकृति देना
    (c) राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति
    (d) लोक सभा भंग करना
    (e) संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना
75. निम्न में से कौन-सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है?
    (a) साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना।
    (b) वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना।
    (c) लोक सभा को भंग करना।
    (d) प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना।
76. उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है?
    (a) राज्य परिषद के (b) लोक सभा के
    (c) कैबिनेट के (d) मंत्रिपरिषद के
77. निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है?
    (a) लोक सभा (b) विधान सभा
    (c) राज्य सभा (d) मंत्रिपरिषद
78. निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?
    (a) राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है।
    (b) कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता।
    (c) एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए दो मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी।
    (d) मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत हैं।
79. संसदीय शासन में वास्तविक/कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है?
    (a) संसद (b) प्रधानमंत्री
    (c) राष्ट्रपति (d) नौकरशाही
80. किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुन:स्थापित किया गया था? **[IAS Prelims 2019]**
    (a) जवाहरलाल नेहरू (b) लाल बहादुर शास्त्री
    (c) इंदिरा गाँधी (d) मोरारजी देसाई

अभ्यास प्रश्न-2

1. भारत के महान्यायवादी के सम्बन्ध में निम्न कथनों में कौन-से सही है?
    1. वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    2. उसे संसद की कार्यकारिणी में भाग लेने का अधिकार होता है।
    3. उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होता है।

    कूट
    (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
    (c) 2 और 3 (d) ये सभी
2. भारतीय संविधान में उल्लिखित महान्यायवादी का पद सरकार के लिए ऐसे सुरक्षा वाल्व की तरह है, जो मन्त्रिपरिषद् के लिए कानूनी संरक्षक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. इसको भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है।
    2. यह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
    3. यह सरकार का ऐसा वकील होता है, जो किसी भी मन्त्री पर हुए कानूनी मुकदमे में उसकी सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में पैरवी करता है।
    4. यह संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून पर बनी समिति का अवश्य ही सदस्य होता है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3 (d) 1, 2 और 4
3. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदंर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. यह सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है।
    2. यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
    3. प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से यह विघटित हो जाती है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
    (c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3
4. भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता/करती है और कार्य-संचालन के संदर्भ में नियम बनाता/बनाती है।
    2. वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता/करती है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

5. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखा जाना चाहिए।
   2. राष्ट्रपति विधान के लिए प्रस्तावों में संबंधित सभी सूचना मांग सकता है।
   3. राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार है।
   4. संघ के कार्यों के प्रशासन मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य संसूचित किए जाने चाहिए।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?
   (a) ।, 2 और 3 (b) 1 और 2
   (c) 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा। जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
   2. वह अपने पद पर न रहने के पश्चात् भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् से मिलकर बनी होती है।
   2. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।
   3. संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है।
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2

8. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखा जाना चाहिए।
   2. राष्ट्रपति, विधान के लिए प्रस्तावों में संबंधित सभी सूचना माँग सकता है।
   3. राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में अभिभाषण का और सन्देश भेजने का अधिकार है।
   4. संघ के कार्यों के प्रशासन मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य संसूचित किए जाने चाहिए।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?
   (a) ।, 2 और 3 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 4 (d) 1, 2, 3 ओर 4

9. भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
   2. उसके पास वही अर्हताएँ होनी आवश्यक है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है।
   3. अपने कर्तव्यों के परिपालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में श्रवणाधिकारी होगा

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) 1 और 2
   (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् से मिलकर बनी होती है।
    2. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग कर सकता है।
    3. संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2

11. संविधान के अनुच्छेद 75 के उपबन्ध निम्नलिखित में से कौन-से हैं?
    1. मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
    2. मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होगी।
    3. मन्त्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जाँच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी।
    4. मन्त्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा।

    कूट
    (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
    (c) 2, 3 और 4 (d) 2 और 4

12. यदि प्रधानमन्त्री और किसी अन्य मन्त्री के मध्य गम्भीर मतभेद है, तो प्रधानमन्त्री
    1. उस मन्त्री को त्याग-पत्र देने के लिए कह सकता हैं
    2. उसकी संसद सदस्यता को समाप्त कर सकता है
    3. उसको मन्त्रिपरिषद् से बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है
    4. उसे स्वयं बर्खास्त कर सकता है

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) 1 और 3
    (c) 2 और 3 (d) केवल 3

13. राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किए जाने के निम्न में से कौन-से परिणाम होंगे?
    1. राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का पालन करें।
    2. राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को कम कर सकता है।

EBD_7939

3. राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु रोककर रखा जा सकता है।
4. राष्ट्रपति को संसद प्राधिकृत कर सकती है कि वह खर्चों की स्वीकृति राज्य की संचित निधि से दें।

कूट

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2, 3 और 4
(c) 1 और 3 (d) 1, 3 और 4

14. प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति के बीच के सम्बन्ध को सामान्यत: संविधान के निम्न में से कौन-से अनुच्छेद निर्धारित नहीं करते हैं?
1. अनुच्छेद 75
2. अनुच्छेद 73
3. अनुच्छेद 78
4. अनुच्छेद 76
5. अनुच्छेद 74

कूट

(a) 1, 2, 3 और 5 (b) 2 और 4
(c) 1, 3, 4 और 5 (d) 1, 2, 3,4 और 5

15. निम्नलिखित में से किन-किन विषयों पर वित्त आयोग राष्ट्रपति को अनुशंसाएँ करता है?
1. करों से प्राप्त शुद्ध आय का केन्द्र और राज्य के मध्य वितरण तथा ऐसी आय को राज्यों के मध्य उनके भाग के रूप में आवण्टन
2. वे सिद्धान्त जिनसे भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के रूप में दिए जाने वाले सहायता अनुदान शासित होते हैं।
3. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य की नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय।
4. राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के हितों को ध्यान में रखते हुए सन्दर्भित कोई अन्य मामला।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1, 2 और 4 (b) 1, 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) ये सभी

16. राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन-से कथन सही हैं?
1. यह उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद-123 में किया गया है।
2. इसका विस्तार संसद के विधायी अधिकार तक है।
3. राष्ट्रपति कोई अध्यादेश तब जारी कर सकता है, जब लोकसभा का सत्रावासान हो।
4. यह राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है।

कूट:

(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1, 2 और 4
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

17. भारतीय राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार निम्नलिखित में किन-किन का सम्मिश्रण है?
1. पॉकेट वीटो 2. एब्सोल्यूट वीटो
3. सस्पैंसिव वीटो 4 क्वालिफाइड वीटो

कूट

(a) 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2 और 3

18. राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान अधिकार के मध्य अन्तर के सम्बन्ध में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं?
1. राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है, किन्तु राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता।
2. राष्ट्रपति मृत्युदण्ड को माफ कर सकता है, किन्तु राज्यपाल नहीं।
3. राज्यपाल मृत्युदण्ड को माफ कर सकता है, किन्तु राष्ट्रपति नहीं।
4. राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है, किन्तु राज्यपाल नहीं।

कूट

(a) 1 और 2 (b) 2 और 4
(c) 1 और 3 (d) 3 और 4

19. निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है?
1. लोकसभा के सदस्य 2. राज्यसभा के सदस्य
3. विधानसभाओं के सदस्य 4. विधानपरिषदों के सदस्य

कूट

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) ये सभी

20. निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है?
1. बाह्य आक्रमण
2. आन्तरिक अशान्ति
3. राज्यों में संवैधानिक तन्त्र की विफलता
4. आर्थिक संकट

कूट

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2 और 4

21. नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के सम्बन्ध में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं?
1. वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
2. वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है।
3. वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुसरण करता है।
4. भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियन्त्रण होता है।

कूट

(a) 2 और 4 (b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 3 (d) 2, 3 और 4

22. निम्नलिखित में से किन विधेयकों को संसद में रखे जाने से पूर्व राष्ट्रपति को सहमति प्राप्त होनी आवश्यक होती है?
    1. राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक।
    2. उन करों से संबंधित विधेयक जिनके प्रति राज्य इच्छुक हो।
    3. व्यापार की स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध लगाने वाली, संबंधी राज्य के विधेयक।
    4. भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक

    कूट

    (a) 1, 2 और 4 (b) 1, 2 और 3
    (c) 2, 3 और 4 (d) ये सभी

23. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
    1. भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त सत्र में विचार कर सकती हैं।
    2. नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य निगमों की आय और व्यय पर विचार होता है।
    3. लोकसभा द्वारा विचार से पूर्व नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर अन्य कोई समिति समीक्षा नहीं कर सकती।
    4. भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद की लोक लेखा समिति द्वारा समीक्षा का आधार बनता है।

    कूट

    (a) 1 और 3 (b) 1 और 4
    (c) 1, 2 और 3 (d) 2, 3 और 4

24. राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने के परिणाम निम्न में से क्या हो सकते हैं?
    1. राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
    2. राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ा सकता है।
    3. राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर सकता है।
    4. राष्ट्रपति केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण पैटर्न को संशोधित कर सकता हैं।

    कूट

    (a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 4
    (c) 2, 3 और 4 (d) 2 और 3

25. उप-राष्ट्रपति से सम्बन्धित निम्न कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?
    1. उप-राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है।
    2. किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की तिथि से उसकी विधायिका की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
    3. उप-राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है, जितना कि राष्ट्रपति का।
    4. उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

    कूट

    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) 1 और 4 (d) 3 और 4

26. राष्ट्रपति को प्राप्त किन्तु राज्यपाल को अप्राप्त शक्तियाँ कौन-सी हैं?
    1. राजनयिक शक्तियाँ
    2. मृत्यु दण्ड को माफ करना
    3. राज्य विधायिका पर वीटो शक्ति
    4. सैन्य शक्तियाँ

    कूट

    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) 1, 2 और 3 (d) 1, 2 और 4

27. उपराष्ट्रपति के लिए कौन-से कथन सही है?
    1. राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष।
    2. राज्य सभा का सदस्य होना चाहिए।
    3. दोनों सदनों के सदस्यों और राज्य विधान मण्डल द्वारा चुना जाता है।
    4. यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति छः महीने से अधिक समय तक कार्यभार देख सकता है।

    कूट

    (a) केवल 1 (b) 2 और 3
    (c) 1 और 3 (d) 3 और 4

28. महान्यायवादी के सम्बन्ध में कौन-से कथन सही है?
    1. वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है।
    2. उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होनी चाहिए।
    3. वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए।
    4. उसे संसद में महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है।

    कूट

    (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
    (c) 2, 3 और 4 (d) 3 और 4

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
    1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य वह संख्या होती है, जो सभी राज्यों के विधायकों के कुल मतों को लोकसभा की सदस्य संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है।
    2. भारत के उप-राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

30. भारत में उप-प्रधानमन्त्री के पद के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. भारत में उप-प्रधानमन्त्री के पद के बारे में संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है।
    2. संविधान लागू होने के बाद से अभी तक सात बार उप-प्रधानमन्त्री के पद पर किसी-न-किसी को आसीन किया गया है।
    3. भारत के प्रथम उप-प्रधानमन्त्री होने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है।
    4. उप-प्रधानमन्त्री का पद एक बार में एक व्यक्ति धारण कर सकता है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) 1 और 4 (b) 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3 (d) 2, 3 और 4

31. नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए
    1. राज्यों के लेखाओं सम्बन्धी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के समक्ष रखवाएगा।
    2. नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उसे केवल उन्हीं आधारों पर और उसी रीति से हटाया जा सकता है, जिन आधारों और रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
    3. संघ और राज्यों के लेखाओं को कैसे प्रारूप में रखा जाएगा, को नियन्त्रक महालेखा परीक्षक विहित करता है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
    (c) 2 और 3 (d) 1 और 3

32. राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि निर्वाचन नामावली के सदस्यों में कोई रिक्ति हो गई है।
    2. राष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को केवल उसके उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचक मण्डल के सदस्य ही चुनौती दे सकते हैं और कोई नहीं।
    3. राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य की विधानसभा भंग होने के कारण निर्वाचन नामावली अधूरी रह गई है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
    (c) 2 और 3 (d) ये सभी

33. राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
    1. जहाँ दण्ड सेना न्यायालय ने दिया है।
    2. जहाँ दण्ड ऐसे विषय संबंधी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया जाता है, जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।
    3. उन सभी दशाओं में जहाँ किसी व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जाता है।

    कूट
    (a) केवल 3 (b) 1 और 2
    (c) 2 और 3 (d) ये सभी

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के शीर्ष नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् से मिलकर बनी होती है।
    2. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति को सम्बन्धित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग कर सकता है।
    3. संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री में निहित होती है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2

35. भारत के महान्यायवादी के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. महान्यायवादी की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह है।
    2. महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया है।
    3. महान्यायवादी अपनी प्रैक्टिस के दौरान भारत सरकार के विरूद्ध वकालत कर सकता है।
    4. महान्यायवादी को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की कार्यवाहियों मे भाग लेने का अधिकार होता है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 4
    (c) 1 और 3 (d) 3 और 4

36 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है?
    1. वित्त आयोग का अध्यक्ष
    2. नीति आयोग का उपाध्यक्ष
    3. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक

    कूट
    (a) 1 और 2 (b) केवल 2
    (c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

37. भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों के सन्दर्भ में विचार करें
    1. वराहगिरि वेंकटगिरि
    2. मुहम्मद हिदायतुल्ला
    3. फखरूद्दीन अली अहमद
    4. बी. डी. जत्ती

    उपरोक्त में से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ-साथ उप- राष्ट्रपति के पद पर भी रहे है?
    (a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
    (c) 1, 2 और 4 (d) ये सभी

EBD_7939

38. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. उसे उसके पद से केवल उसी नीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
2. वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात् भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

39. भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन-सा कालानुक्रम सही है?
1. इन्दिरा गाँधी 2. जवाहरलाल नेहरू
3. मोरारजी देसाई 4. चरण सिंह
(a) 1, 2, 3, 4 (b) 2, 3, 1, 4
(c) 2, 1, 3, 4 (d) 3, 2, 4, 1

40. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची- I (कृत्यकारी)	**सूची-II (शपथ या प्रतिज्ञा)**
A. भारत का राष्ट्रपति	1. सूचना की गोपनीयता
B. सर्वोच्च न्यायालय के जज	2. कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन
C. संसद सदस्य	3. भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा
D. संघ के मन्त्री	4. संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना

कूट:
(a) A-3, B-4- C-1 D-2 (b) A-4, B-3, C-2, D-1
(c) A-3, B-4, C-2, D-1 (d) A-4, B-3, C-1, D-2

41. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (संविधान का अनुच्छेद)	**सूची-II (अन्तर्वस्तु)**
A. अनुच्छेद 54	1. भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन
B. अनुच्छेद 75	2. प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद् की नियुक्ति
C. अनुच्छेद 155	3. राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
D. अनुच्छेद 164	4. राज्य के मुख्यमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्
	5. विधान सभाओं की संरचना

कूट:
(a) A-1, B-2, C-3, D-4 (b) A-1, B-2, C-4, D-5
(c) A-2, B-1, C-3, D-5 (d) A-2, B-1, C-4, D-3

42. भारतीय संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको/किनको संसद के पटल पर रखवाए?
1. संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को
2. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को
3. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है।
2. प्रधानमंत्री, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

44. निम्न कथनों पर विचार कीजिए–
भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मण्डल में–
1. विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन $= \frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{राज्य की विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \times 100$
2. एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन $= \frac{\text{सभी निर्वाचित विधान सभा सदस्यों के मतों का कुल मान}}{\text{निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या}}$
3. आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे।

इन कथनों में से कौन/सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) केवल

45. निम्नलिखित में से किस-किस ने भारत के उप-राष्ट्रपति का पद सम्भाला है?
1. मोहम्मद हिदायतुल्ला 2. फखरुद्दीन अली अहमद
3. नीलम संजीव रेड्डी 4. शंकर दयाल शर्मा

कूट:
(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1 और 4
(c) 2 और 3 (d) 3 और 4

46. भारत के सन्दर्भ में, संसदीय शासन-प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सिद्धान्त संस्थागत रूप में निहित है/हैं?
1. मंत्रिमण्डल के सदस्य संसद् के सदस्य होते हैं।
2. जब तक मंत्रियों को संसद् का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं।
3. राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. केन्द्र में मंत्रिपरिषद् संसद् के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
    2. संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे।
    3. विधि-निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेगा।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

48. संघ सरकार के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमन्त्री द्वारा भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों का सृजन किया जाता है।
    2. हर एक मन्त्रालय को प्रधानमन्त्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मन्त्री को प्रदान किया जाता है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
    1. राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
    2. भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

50. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : **[IAS Prelims 2018]**
    1. प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है।
    2. लोक सभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्य सभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

51. यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो **[IAS Prelims 2018]**
    (a) उस राज्य की विधान सभा स्वत: भंग हो जाती है।
    (b) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी।
    (c) उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है।
    (d) राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बन सकता है।

52. भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए:
    1. वी. वी. गिरि 2. एम. हिदायतुल्ला
    3. बी. डी. जत्ती 4. जी. एस. पाठक

    निम्नलिखित में से कौन-सा एक उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम है?
    (a) 1-4-3-2 (b) 2-1-3-4
    (c) 3-2-1-4 (d) 4-1-3-2

53. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जायेगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
    2. वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात् भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

54. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. राष्ट्रपति निदेश दे सकता है कि कोई मामला जिसपर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखा जाना चाहिये।
    2. राष्ट्रपति, विधान के लिये प्रस्तावों से संबंधित सभी सूचना मांग सकता है।
    3. राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार है।
    4. संघ के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य संसूचित किये जाने चाहिये।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?
    (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

55. सांविधानिक प्राधिकारी और नियुक्ति प्रक्रिया के निम्नलिखित युग्मों में से कौनसा/से सही सुमेलित है/हैं?
    1. राष्ट्रपति : विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित
    2. उप-राष्ट्रपति : विधानसभा और संसद के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित
    3. अध्यक्ष : लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के पश्चात चुनती है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
    (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1
    (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

56. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है।
    2. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है।

EBD_7939

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

57. संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है?
1. विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद यदि दूसरा सदन अस्वीकार दे।
2. विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हों।
3. एक सदन से पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक दिनों तक रोक ले।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

58. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के उपराष्ट्रपति को उसके उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है।
2. अनुच्छेद 66(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य (निर्वाचित एवं मनोनीत) एक संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

59. राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल होते हैं:
1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
2. राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
3. संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर असत्य उत्तर को चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3

60. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के राष्ट्रपति को न्यायालयों के गठन, संगठन अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियाँ विनियमित करने वाले विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है।
2. राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा अधिक संख्या में न्यायाधीश निर्धारित कर सकता है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति पद की रिक्ति उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व होती है तो अनुच्छेद 56 (1) (ग) के अनुसार उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का कार्य संचालन करेगा, जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता।
2. राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संकल्प पारित होने पर या स्वयं पद त्याग किए जाने पर अनुच्छेद 65 (3) के अनुसार वह नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक अपना पद धारण करेगा।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

62. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का महान्यायवादी लोकसभा में मतदान करने का अधिकारी है।
2. लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
3. वह लोकसभा में बोल सकता है।
4. वह लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2 और 4

63. निम्न में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है?
1. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता।
2. आर्थिक संकट।
3. बाह्य आक्रमण।
4. आंतरिक अशांति

निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4 (d) 1, 3 और

64. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
2. राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
3. संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश (supreme command) राष्ट्रपति में निहित होगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 3

65. भारत के महान्यायवादी के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
1. वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है।
2. वह एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के लिए हकदार होता है।
3. वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील (काउंसेल) होता है।
4. उसकी अर्हताएँ वही होनी चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) 1, 2 और 3
(b) 2 और 4
(c) केवल 3
(d) केवल 1

66. भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है?
1. संसद के दोनों सदन 2. राज्यों की विधान सभा
3. राज्यों की विधान परिषद्
4. NCT दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधान सभा
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 1, 2 और 4 (d) 3 और 4

67. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति होगी
2. अध्यक्ष को अपने कार्यालय के कृत्यों का निर्वहन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्वयं करना होता है और वह स्टेशन से अपनी अनुपस्थिति या अपनी बीमारी के दौरान अपने कृत्यों को उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता।
उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

68. भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है।
2. राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो।
3. आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है।
4. राष्ट्रपति को आंग्ल-भारतीय समुदाय से दो सदस्य लोकसभा में नामनिर्देशित करने की शक्ति है।
नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) 1 और 2 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 3 और 4 (d) 1, 3 और 4

69. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. CAG, पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण करेगा। वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर, यदि ऐसा 6 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हो, पद रिक्त कर देगा।
2. CAG की शक्तियां भारत के संविधान से व्युत्पन्न होती है।
3. CAG प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहु-सदस्य निकाय है।
4. CAG को, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर ही, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) 1, 2 और 4 (b) 1, 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) केवल 1 और 2

70. भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है।
2. राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्थापनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है।
3. संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही है?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 अैर 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

71. राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल के सदस्य होते हैं-
(1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
(2) राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
(3) सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
(4) दिल्ली और पांडिचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
कूट:
(a) 1, 2, 3 सही हैं (b) 1, 3 सही हैं
(c) 1, 2, 4 सही हैं (d) 1, 3, 4 सही हैं

72. भारत का उप-राष्ट्रपति:
1. भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है।
2. के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य (दायित्व) नहीं है।
3. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है।
4. राष्ट्रपति की पद-त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
कूट:
(a) 1 तथा 2 (b) 1, 2 तथा 3
(c) 1, 3 तथा 4 (d) सभी चारों

73. भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है-
1. बाहरी आक्रमण का 2. आंतरिक अशांति का
3. सशस्त्र विद्रोह का 4. सांप्रदायिक संघर्ष का
अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए:
कूट:
(a) केवल 1 तथा 2 (b) केवल 2 तथा 3
(c) केवल 3 तथा 4 (d) केवल 1 तथा 3

EBD_7939

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(d)	**9**	(d)	**17**	(c)	**25**	(b)	**33**	(b)	**41**	(d)	**49**	(d)	**57**	(d)	**65**	(a)	**73**	(c)
2	(a)	**10**	(b)	**18**	(b)	**26**	(c)	**34**	(d)	**42**	(c)	**50**	(a)	**58**	(c)	**66**	(b)	**74**	(b)
3	(b)	**11**	(d)	**19**	(a)	**27**	(b)	**35**	(b)	**43**	(a)	**51**	(b)	**59**	(d)	**67**	(d)	**75**	(b)
4	(a)	**12**	(d)	**20**	(b)	**28**	(d)	**36**	(c)	**44**	(c)	**52**	(c)	**60**	(c)	**68**	(c)	**76**	(a)
5	(a)	**13**	(c)	**21**	(d)	**29**	(c)	**37**	(c)	**45**	(d)	**53**	(a)	**61**	(b)	**69**	(c)	**77**	(c)
6	(c)	**14**	(b)	**22**	(d)	**30**	(a)	**38**	(d)	**46**	(c)	**54**	(b)	**62**	(a)	**70**	(c)	**78**	(d)
7	(d)	**15**	(b)	**23**	(d)	**31**	(d)	**39**	(b)	**47**	(d)	**55**	(c)	**63**	(d)	**71**	(d)	**79**	(b)
8	(c)	**16**	(c)	**24**	(b)	**32**	(c)	**40**	(b)	**48**	(c)	**56**	(a)	**64**	(a)	**72**	(b)	**80**	(a)

अभ्यास-2

1	(d)	**9**	(b)	**17**	(d)	**25**	(c)	**33**	(d)	**41**	(a)	**49**	(a)	**57**	(d)	**65**	(c)	**73**	(d)
2	(b)	**10**	(a)	**18**	(b)	**26**	(d)	**34**	(a)	**42**	(c)	**50**	(c)	**58**	(c)	**66**	(c)		
3	(d)	**11**	(a)	**19**	(c)	**27**	(a)	**35**	(b)	**43**	(d)	**51**	(b)	**59**	(d)	**67**	(b)		
4	(d)	**12**	(b)	**20**	(b)	**28**	(a)	**36**	(b)	**44**	(b)	**52**	(a)	**60**	(d)	**68**	(b)		
5	(d)	**13**	(a)	**21**	(c)	**29**	(d)	**37**	(b)	**45**	(b)	**53**	(a)	**61**	(d)	**69**	(a)		
6	(c)	**14**	(b)	**22**	(d)	**30**	(b)	**38**	(c)	**46**	(a)	**54**	(d)	**62**	(c)	**70**	(d)		
7	(a)	**15**	(d)	**23**	(b)	**31**	(c)	**39**	(c)	**47**	(b)	**55**	(c)	**63**	(b)	**71**	(d)		
8	(d)	**16**	(d)	**24**	(b)	**32**	(a)	**40**	(c)	**48**	(b)	**56**	(d)	**64**	(c)	**72**	(d)		

केन्द्रीय व्यवस्थापिका: संसद

8
अध्याय

भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारी संसद राष्ट्रपति और दो सदनों-लोक सभा (हाउस आफ द पीपुल) और राज्य सभा (कौंसिल ऑफ स्टेट्स) से मिल कर बनती है। हमारे संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है। हमारा संविधान विदेशी संविधानों का अनुकरण मात्र न होकर एक अनुपम एवं नवीन प्रयोग है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप एक ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था की, जो हमारे वातावरण के अनुकूल थी।

अधिकांश देशों में विधायिका के दो सदन होते हैं। इस व्यवस्था को द्वि सदनीय प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली भारत, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमरीका आदि देशों में प्रचलित है। इसके विपरीत चीन, नेपाल और चैकोस्लोवाकिया आदि कुछ ऐसे देश हैं, जहां विधायिका में एक ही सदन है।

संसार के अधिकांश राज्यों ने द्विसदनीय प्रणाली को इसलिए अपनाया है, क्योंकि इसके कई लाभ हैं। यह तर्क दिया जाता है कि द्वितीय सदन, प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करता है। यह भी कहा जाता है कि एक सदनीय प्रणाली में बहुमत प्राप्त दल, अन्य किसी संस्था के परामर्श की बाध्यता न रहने के कारण, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों पर एकाधिकार रखने की कोशिश कर सकता है।

द्विसदनीय पद्धति का एक अन्य लाभ यह है कि राज्य में विशेष हितों, समूहों और वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

संसद का गठन

संसद = राष्ट्रपति +(राज्यसभा + लोकसभा)

- अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की व्यवस्थापिका के रूप में एक संसद होगी जोकि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर स्थापित होगी।
- निचले सदन को 'लोकसभा' तथा उच्च सदन को 'राज्यसभा' कहते हैं।
- ब्रिटेन के सम्राट की भांति राष्ट्रपति भी संघीय विधानमंडल का एक भाग है।
- संसद देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेता है।
- संसद के दोनों सदनों के सत्रवसान की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश निकालने की शक्ति रखता है।

भारत का संसद भवन

- भारतीय लोकतंत्र के हृदय स्थल 'संसद भवन' की स्थापना 1927 में की गयी थी।
- इस भवन का शिलान्यास 12 फरवरी, 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था तथा इसे तैयार होने में 6 वर्ष लगे थे।
- संसद भवन का उद्घाटन 18 फरवरी, 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था।
- इसकी परिकल्पना सर एडविन लुटियन्स और सर हर्बर्ट वेकर ने की थी, जिसे साकार रूप देने में 83 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

संसद की संरचना

भारतीय संविधान के अनुसार, संसद के तीन अंग हैं– राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के पांचवे भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया है। भारत की संसद में अधिकतम 802 सदस्य (लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250) हो सकते है।

1. राज्यसभा

संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। संविधान प्रवर्तन के पश्चात् सर्वप्रथम 3 अप्रैल, 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। इसकी प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई। 23 अगस्त, 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा।

यह स्थायी सदन है और इसके सदस्य देश के गणमान्य नेता होते हैं। यह जनता का नहीं, राज्यों का सदन है, अतः इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। संसद का उच्च सदन होने के नाते राज्यसभा को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। इसी तरह अनुच्छेद 312 के प्रावधानों के तहत् राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है।

पृष्ठभूमि

काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्य सभा भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा सभापीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त, 1954 को की गई थी। इसकी अपनी खास विशेषताएं हैं। भारत में द्वितीय सदन

EBD_7939

का प्रारम्भ 1918 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ। भारत सरकार अधिनियम, 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का उपबंध किया गया जिसका विशेषाधिकार सीमित था और जो वस्तुतः 1921 में अस्तित्व में आया। गवर्नर-जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से इसके गठन में शायद ही कोई परिवर्तन किए गए।

संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी, ने भी 1950 तक केन्द्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया, फिर इसे 'अनंतिम संसद' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय विधानमंडल जिसे 'संविधान सभा' (विधायी) और आगे चलकर 'अनंतिम संसद' कहा गया, 1952 में पहले चुनाव कराए जाने तक, एक-सदनी रहा।

स्वतंत्र भारत में द्वितीय सदन की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के संबंध में संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई और अन्ततः स्वतंत्र भारत के लिए एक द्विसदनी विधानमंडल बनाने का निर्णय मुख्य रूप से इसलिए किया गया क्योंकि परिसंघीय प्रणाली को अपार विविधताओं वाले इतने विशाल देश के लिए सर्वाधिक सहज स्वरूप की सरकार माना गया। वस्तुतः, एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकल सभा को स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त समझा गया। अतः, 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' के रूप में ज्ञात एक ऐसे द्वितीय सदन का सृजन किया गया जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षतः निर्वाचित लोक सभा से पूर्णतः भिन्न थी। इसे एक ऐसा अन्य सदन समझा गया, जिसकी सदस्य संख्या लोक सभा (हाउस ऑफ पीपुल) से कम है। इसका आशय परिसंघीय सदन अर्थात् एक ऐसी सभा से था जिसका निर्वाचन राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया, जिनमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। निर्वाचित सदस्यों के अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभा के लिए बारह सदस्यों के नामनिर्देशन का भी उपबंध किया गया। इसकी सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत की गई जबकि निचले सदन के लिए यह पच्चीस वर्ष है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सभा में गरिमा और प्रतिष्ठा के अवयव संयोजित किए गए। ऐसा भारत के उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाकर किया गया, जो इसकी बैठकों का सभापतित्व करते हैं।

राज्य सभा से संबंधित संवैधानिक उपबंध संरचना/संख्या

संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि, राज्य सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

स्थानों का आवंटन

संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध है। स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के गठन के परिणामस्वरूप, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्य सभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय-समय पर बदलती रही है।

राज्यसभा का संगठन

1. **निर्वाचित सदस्यः** अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की सदस्य संख्या की अधिकतम सीमा 250 है, इनमें से 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. **मनोनीत सदस्यः** अनुच्छेद 80(4) के अनुसार शेष 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के कारण राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते है।
3. **प्रतिनिधित्व का आधारः** राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या को बनाया गया है अर्थात् अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को राज्यसभा में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

डॉ. एल.एम. सिंघवी के अनुसार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के गठन में चार सिद्धांत निहित हैं- अर्द्धसंघीय सिद्धांत, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, संयुक्त पुनर्विचार, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत तथा विशिष्ट व्यक्तियों को भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित करने का सिद्धांत।

राज्यसभा के गठन का निकट से अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट भी हो जाती है, क्योंकि राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वे-साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार राज्य एवं संघ शासित राज्य क्षेत्र को जिस प्रकार प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, उससे अल्पसंख्यक दलों तथा समुदायों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है।

राज्यसभा में स्थानों का आवंटन

संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का विभिन्न राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के बीच आवंटन किया गया है। इस अनुसूची के अनुसार वर्तमान समय में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 233 प्रतिनिधि तथा 12 मनोनीत सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व

क्रम संख्या	राज्य	सीटों की संख्या	सदस्यों की संख्या	रिक्तियों
1	अरूणाचल प्रदेश	1	1	
2	असम	7	7	
3	आंध्र प्रदेश	11	11	
4	उत्तर प्रदेश	31	30	1
5	उत्तराखंड	3	3	
6	ओडिशा	10	9	1
7	कर्नाटक	12	12	
8	केरल	9	9	

9	गुजरात	11	11	
10	गोवा	1	1	
11	छत्तीसगढ़	5	5	
12	जम्मू-कश्मीर	4	4	
13	झारखंड	6	6	
14	तमिलनाडु	18	17	1
15	त्रिपुरा	1	1	
16	तेलंगाना	7	7	
17	नागालैंड	1	1	
18	नाम निर्देशित	12	12	
19	पंजाब	7	7	
20	पुडुचेरी	1	1	
21	पश्चिमी बंगाल	16	16	
22	बिहार	16	15	1
23	मेघालय	1	1	
24	मणिपुर	1	1	
25	मध्य प्रदेश	11	11	
26	महाराष्ट्र	19	19	
27	मिज़ोरम	1	1	
28	राजस्थान	10	9	1
29	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	3	3	
30	सिक्किम	1	1	
31	हरियाणा	5	5	
32	हिमाचल प्रदेश	3	3	
	योग:	245	240	5

राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन

अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय चुनाव मत प्रणाली के आधार पर होता है।

- राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
- राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यो द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव उस ढंग से किया जाता है, जिसे संसद विधि बनाकर विहित करें।
- राज्यसभा में केवल दो संघ राज्य क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी, के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है।
- इन राज्य क्षेत्रों के आवंटन द्वारा राज्यसभा के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचक गणों को गठित करने के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27-क में संसद द्वारा उस ढंग को विहित किया गया है, जिसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। इस धारा के अनुसार पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवंटित स्थान को, इस संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गये व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा तथा दिल्ली के सम्बन्ध में इस धारा में कहा गया था कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा सदस्य का चुनाव महानगर की परिषद् के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा, किंतु दिल्ली में विधानसभा के गठन के बाद स्थिति में परिवर्तन हो गया है।

राज्यसभा सदस्यों की पात्रता अर्हताएं

संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। राज्य सभा की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:

(क) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेना चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए;

(ख) उसे कम से कम तीस वर्ष की आयु का होना चाहिए;

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं।

निरर्हताएं

संविधान के अनुच्छेद 102 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा-

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ख) यदि वह विकृतचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हे या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है;

(ड.) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण-

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

इसके अतिरिक्त, संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध किया गया है। दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार, कोई सदस्य एक सदस्य के रूप में उस दशा में

निरर्हित होगा, यदि वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है; या वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा, जिसका वह सदस्य है, दिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को उस राजनीतिक दल द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया गया है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित सदस्य निरर्हित होगा यदि वह अपने निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। तथापि, राष्ट्रपति द्वारा सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य को किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होने की अनुमति होगी यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के पहले छह माह के भीतर ऐसा करता/करती है। किसी सदस्य को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा यदि वह राज्य सभा का उप-सभापति निर्वाचित होने के पश्चात् अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता/देती है।

निर्वाचन/नामनिर्देशन की प्रक्रिया निर्वाचक मंडल

राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों तथा उस संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल के सदस्यों, जैसा भी मामला हो, द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में पुडुचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।

द्वि-वार्षिक/उप-चुनाव

राज्य सभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। तथापि, प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य छह वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाता है।

राज्यसभा के पदाधिकारी

राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें। भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति हैं। राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्य सभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसके सदस्यों का नाम निर्देशन सभापति, राज्य सभा द्वारा किया जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य सभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है।

सभापति

- संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
- यह राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन एवं सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
- सभापति राज्यसभा के नये सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाता है।
- उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में उपसभापति द्वारा कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाता है।

उपसभापति

- अनुच्छेद 89 में यह भी व्यवस्था है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा।
- उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा।
- उपसभापति, सभापति की अनुपस्थिति में उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- उपसभापति किसी भी समय सभापति को संबोधित कर अपने पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।
- सभापति एवं उपसभापति दोनों को 14 दिन की पूर्व सूचना दिए जाने पर राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनके पद से हटाया जा सकेगा, किंतु सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है अत: यदि उसे पद से हटाया जाता है तो इसके लिए यह आवश्यक है कि पद मुक्ति संबंधी संकल्प से लोकसभा भी सहमत हो।

महासचिव

- महासचिव की नियुक्ति राज्य सभा के सभापति द्वारा की जाती है और उनका रैंक संघ के सर्वोच्च सिविल सेवक के समतुल्य होता है।
- महासचिव गुमनाम रह कर कार्य करते हैं और संसदीय मामलों पर सलाह देने के लिए तत्परता से पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध रहते हैं।
- महासचिव राज्य सभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख और सभा के अभिलेखों के संरक्षक भी हैं।
- वह राज्य सभा के सभापति के निदेश व नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं।

अन्य सदस्य

1. अनुच्छेद 91 में यह व्यवस्था है कि जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त है तो राज्यसभा का वह सदस्य सभापति के कृत्यों को निर्वहन करेगा, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।
2. यदि सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हैं या किसी अन्य कारण से पद पर कार्य करने में असमर्थ हैं तो वह सदस्य सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिसे राज्यसभा अपने प्रक्रिया नियमों के तहत् अवधारित करें।

अनुच्छेद 92 में यह व्यवस्था की गई है कि जब राज्य सभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो सभापति और यदि उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उपसभापति, सदन में उपस्थित होने पर भी सदन का सभापतित्व नहीं करेंगे। यद्यपि उन्हें कार्यवाही में भाग लेने, बोलने और प्रथमत: मतदान का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु वे मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने के अधिकारी नहीं होंगे।

EBD_7939

राज्यसभा की सदस्यता की समाप्ति

- राज्यसभा का सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् पुन: निर्वाचन का पात्र होता है।
- यदि किसी सदस्य की सदस्यता अचानक समाप्त हो जाती है (मृत्यु या किसी अन्य कारण से) तो उसकी शेष बची हुई अवधि के लिए उपचुनाव होता है।
- राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा के सभापति को सम्बोधित अपने पत्र से अपनी सदस्यता का त्याग कर सकता है।
- यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन के अधिवेशनों में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता की समाप्ति की घोषणा कर सकता है।

राज्यसभा का कार्यकाल

(i) अनुच्छेद 84(1) के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थायी निकाय है अर्थात् इसका कभी भी पूर्णत: विघटन नहीं किया जा सकता।
(ii) इसके सदस्य छह वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात् इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
(iii) सेवानिवृत्त सदस्यों के स्थानों को पुन: निर्वाचन द्वारा भर लिया जाता है।

इस प्रकार राज्यसभा सदा विद्यमान रहती है और इसमें नये सदस्यों का समावेश होता रहता है।

राज्यसभा के अधिवशेन

राज्यसभा का वर्ष में दो बार अधिवेशन होता है। इसके अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाली आगामी बैठक के लिए नियत तिथि के मध्य 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

सामान्यतया राज्यसभा का अधिवेशन भी तब ही बुलाया जाता है जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, किन्तु अनुच्छेद 352A, 356A तथा 360 के तहत् संकटकाल की घोषणा के पश्चात् राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, तब तक लोकसभा विघटित हो चुकी होती है।

राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ

राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक के रूप में की गई है। राज्यसभा को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं-

1. **विधायी शक्तियाँ:** लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ दी गई हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा (दोनों सदनों में से किसी भी सदन) में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतया सभी महत्त्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, यदि विधेयक को 6 महीने की अवधि के अन्दर दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है (अनुच्छेद 108)।
2. **संविधान संशोधन की शक्तियाँ:** संविधान संशोधन के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा, जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने अलग-अलग बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा।
3. **कार्यपालिका शक्तियाँ:** संसदीय शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अत: भारत में भी मन्त्रिपरिषद् केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परन्तु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मन्त्रियों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अत: कार्यकारिणी पर नियन्त्रण की दृष्टि से लोकसभा, राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है।
4. **वित्तीय शक्तियाँ:** राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, यद्यपि संविधान द्वारा ही इस सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्तीय विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक-से-अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के सम्बन्ध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्तावों को माने या न माने। संवैधानिक इतिहास में राज्यसभा द्वारा पहली बार 1977-78 के वार्षिक बजट में 6 संशोधनों की सिफ़ारिश की गई, लेकिन लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन रद्द कर दिए।
5. **अन्य शक्तियाँ:** राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है, जैसे-
   (i) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
   (ii) एक माह से अधिक की अवधि तक यदि आपात्काल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के द्वारा होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा का अनुमोदन ही आवश्यक है।

(iii) राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

(iv) राज्यसभा, लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दें।

(v) राज्यसभा, लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथमतः राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है।

6. **राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ:** एक परिसंघीय सदन होने के नाते राज्य सभा को संविधान के अधीन कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। विधान से संबंधित सभी विषयों/क्षेत्रों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है-संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्य सूचियां परस्पर अपवर्जित हैं-कोई भी दूसरे के क्षेत्र में रखे गए विषय पर कानून नहीं बना सकता।

तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह कहते हुए एक संकल्प पारित करती है कि यह 'राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन' है कि संसद, राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए उस संकल्प में विनिर्दिष्ट विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकार-संपन्न हो जाती है। ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा परन्तु यह अवधि इसी प्रकार के संकल्प को पारित करके एक वर्ष के लिए पुनः बढ़ायी जा सकती है।

यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह घोषित करते हुए एक संकल्प पारित करती है कि संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन करने के लिए अधिकार-संपन्न हो जाती है।

संविधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद की दोनों सदनों द्वारा नियत अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सभा के पास इस संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं। यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है अथवा लोक सभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।

> राज्यसभा को दो ऐसे अनन्य अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का सम्बन्ध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की दो शक्तियाँ प्राप्त हैं।
>
> (i) अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लागू होता है, किंतु यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
>
> (ii) संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे, तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती।

वस्तुतः राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है, बल्कि राज्यसभा शासनतन्त्र का एक आवश्यक अंग है।

वित्तीय मामलों में राज्य सभा

धन विधेयक केवल लोक सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है। इसके उस सभा द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त इसे राज्य सभा को उसकी सहमति अथवा सिफ़ारिश के लिए पारेषित किया जाता है। ऐसे विधेयक के संबंध में राज्य सभा की शक्ति सीमित है। राज्य सभा को ऐसे विधेयक की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उसे लोक सभा को लौटाना पड़ता है। यदि यह उस अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। राज्य सभा धन विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकती; यह केवल संशोधनों की सिफ़ारिश कर सकती है और लोक सभा, राज्य सभा की सभी या किन्हीं सिफ़ारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी।

धन विधेयक के अलावा, वित्त विधेयकों की कतिपय अन्य श्रेणियों को भी राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। तथापि, कुछ अन्य प्रकार के वित्त विधेयक हैं जिनके संबंध में राज्य सभा की शक्तियों पर कोई निर्बंधन नहीं है। ये विधेयक किसी भी सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और राज्य सभा को ऐसे वित्त विधेयकों को किसी अन्य विधेयक की तरह ही अस्वीकृत या संशोधित करने का अधिकार है। वस्तुतः ऐसे विधेयक संसद की किसी भी सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किए जा सकते, जब तक राष्ट्रपति ने उस पर विचार करने के लिए उस सभा से सिफ़ारिश नहीं की हो।

तथापि, इन सारी बातों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि राज्य सभा का वित्त संबंधी मामलों से कुछ भी लेना-देना नहीं है। भारत सरकार के बजट को प्रतिवर्ष राज्य सभा के समक्ष भी रखा जाता है और इसके सदस्यगण उस पर चर्चा करते हैं। यद्यपि राज्य सभा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों

EBD_7939

पर मतदान नहीं करती – यह मामला अनन्य रूप से लोक सभा के लिए सुरक्षित है फिर भी, भारत की संचित निधि से किसी धन की निकासी तब तक नहीं की जा सकती, जब तक दोनों सभाओं द्वारा विनियोग विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता। इसी प्रकार, वित्त विधेयक को भी राज्य सभा के समक्ष लाया जाता है। इसके अलावा, विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां, जो मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक अनुदान मांगों की जांच करती हैं, संयुक्त समितियां हैं जिनमें दस सदस्य राज्य सभा से होते हैं।

सभा के नेता

सभापति और उपसभापति के अलावा, सभा का नेता एक अन्य ऐसा अधिकारी है जो सभा के कुशल और सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सभा में सभा का नेता सामान्यतया प्रधानमंत्री होता है, यदि वह इसका सदस्य है, अथवा कोई ऐसा मंत्री होता है, जो इस सभा का सदस्य है और जिसे उनके द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया हो। उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभा में सौहार्दपूर्ण और सार्थक वाद-विवाद के लिए सभा के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाए रखना है। इस प्रयोजनार्थ, वह न केवल सरकार के, बल्कि विपक्ष, मंत्रियों और पीठासीन अधिकारी के भी निकट संपर्क में रहता है। वह सभा-कक्ष (चैम्बर) में सभापीठ के दायीं ओर की पहली पंक्ति में पहली सीट पर बैठता है ताकि वह परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारी को सहज उपलब्ध रहे। नियमों के तहत, सभापति द्वारा सभा में सरकारी कार्य की व्यवस्था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हेतु दिनों के आवंटन अथवा समय के आवंटन, शुक्रवार के अलावा किसी अन्य दिन को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य, अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा, अल्पकालिक चर्चा और किसी धन विधेयक पर विचार एवं उसे वापस किये जाने के संबंध में सदन के नेता से परामर्श किया जाता है।

महान व्यक्तित्व, राष्ट्रीय नेता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उस दिन के लिए सभा के स्थगन अथवा अन्यथा के मामले में सभापति उनसे भी परामर्श कर सकते हैं। गठबंधन सरकारों के युग में उनका कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि सभा के समक्ष लाये गए किसी भी मामले पर सार्थक चर्चा के लिए सभा में हर संभव तथा उचित सुविधा प्रदान की जाए। वह सभा की राय व्यक्त करने और इसे समारोह अथवा औपचारिक अवसरों पर प्रस्तुत करने में सभा के वक्ता के रूप में कार्य करते हैं।

निम्नलिखित सदस्यराज्य सभा में सभा के नेता रहे हैं:

	नाम	से	तक
1.	श्री एन. गोपालस्वामी अयंगर	मई, 1952	फरवरी, 1953
2.	श्री चारू चन्द्र बिश्वास	फरवरी, 1953	नवम्बर, 1954
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री	नवम्बर, 1954	मार्च, 1955
4.	पंडित गोविंद बल्लभ पंत	मार्च, 1955	फरवरी, 1961
5.	हाफीज मोहम्मद इब्राहीम	फरवरी, 1961	अगस्त, 1963
6.	श्री यशवन्त राव बलवन्तराव	अगस्त, 1963	दिसम्बर, 1963
7.	श्री जय सुख लाल हाथी	फरवरी, 1964	मार्च, 1964
8.	श्री महोमदाली करीम छागला	मार्च, 1964	नवम्बर, 1967
9.	श्री जय सुख लाल हाथी	नवम्बर, 1967	नवम्बर, 1969
10.	श्री कोडारादास कालीदास शाह	नवम्बर, 1967	मई, 1971
11.	श्री उमा शंकर दीक्षित	मई, 1971	दिसम्बर,1975
12.	श्री कमलापति त्रिपाठी	दिसम्बर,1975	मार्च, 1977
13.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	मार्च, 1977	अगस्त, 1979
14.	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	अगस्त, 1979	जनवरी, 1980
15.	श्री प्रणव मुखर्जी	जनवरी,1980 अगस्त, 1981	जुलाई 1981 और दिसम्बर, 1984
16.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	दिसम्बर, 1984	अप्रैल, 1987
17.	श्री नारायण दत्त तिवारी	अप्रैल, 1987	जून, 1988
18.	श्री पी. शिव शंकर	जुलाई, 1988	दिसम्बर, 1989
19.	श्री एम.एस. गुरूपदस्वामी	दिसम्बर, 1989	नवम्बर, 1990
20.	श्री यशवंत सिन्हा	दिसम्बर, 1990	जून, 1991
21.	श्री शंकर राव बलवंत राव चव्हाण	जुलाई, 1991	अप्रैल, 1996
22.	श्री सिकन्दर बख्त	20 मई, 1996	31 मई, 1996
23.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल	जून, 1996	नवम्बर, 1996
24.	श्री एच.डी. देवेगौड़ा	नवम्बर, 1996	अप्रैल, 1997
25.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल	अप्रैल, 1997	मार्च, 1998
26.	श्री सिकन्दर बख्त	मार्च, 1998	अक्टूबर, 1999
27.	श्री जसवन्त सिंह	अक्टूबर, 1999	मई, 2004
28.	श्री डा. मनमोहन सिंह	01 जून, 2004 29 मई, 2014	18 मई, 2009 26 मई, 2014
29.	श्री अरुण जेटली	02 जून, 2014 अप्रैल, 2018	अप्रैल, 2018 मई, 2019
30.	थावरचंद गहलोत	जून, 2019	अब तक

EBD_7939

विपक्ष के नेता

विधायिका में विपक्ष के नेता के पद का अत्यधिक सार्वजनिक महत्व है। इसका महत्व संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को दी गई मुख्य भूमिका से उद्भूत होता है। विपक्ष के नेता का कार्य वस्तुत: अत्यधिक कठिन है क्योंकि उन्हें आलोचना करनी पड़ती है, गलती इंगित करनी पड़ती है और ऐसे वैकल्पिक प्रस्तावों/नीतियों को प्रस्तुत करना पड़ता है जिन्हें लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उन्हें संसद और देश के प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेवारी निभानी होती है।

राज्य सभा में वर्ष 1969 तक वास्तविक अर्थ में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता था। उस समय तक सर्वाधिक सदस्यों वाली विपक्षी पार्टी के नेता को बिना किसी औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता मानने की प्रथा थी। विपक्ष के नेता के पद को संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 द्वारा अधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सभा में विपक्षी नेता, राज्य सभा का एक ऐसा सदस्य होता है जो कुछ समय के लिए राज्य सभा के सभापति द्वारा यथा मान्य सबसे अधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के विपक्ष में होता है। इस प्रकार विपक्ष के नेता को तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं, नामश: (i) उसे सभा का सदस्य होना चाहिए (ii) सर्वाधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के विपक्ष में राज्य सभा का नेता होना चाहिए और (iii) इस आशय से राज्य सभा के सभापति द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

राज्य सभा में निम्नलिखित सदस्य विपक्ष के नेता रहे हैं:

	नाम	से	तक
1.	श्री श्याम नंदन मिश्र	दिसम्बर, 1969	मार्च, 1971
2.	श्री एम.एस. गुरूपदस्वामी	मार्च, 1971	अप्रैल, 1972
3.	श्री कमलापति त्रिपाठी	30.3.1977	15.2.1978
4.	श्री भोला पासवान शास्त्री	24.2.1978	23.3.1978
5.	श्री कमलापति त्रिपाठी	23.3.1978 18.4.1978	2.4.1978 और 8.1.1980
6.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	21.1.1980	7.4.1980
7.	श्री पी. शिव शंकर	18.12.1989	2.1.1991
8.	श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी	28.6.1991	21.7.1991
9.	श्री एस. जयपाल रेड्डी	22.7.1991	29.6.1992
10.	श्री सिकन्दर बख्त	7.7.1992 10.4.1996	10.4.1996 और 23.5.1996
11.	श्री शंकर राव बलवन्त राव चव्हाण	23.5.1996	1.6.1996
12.	श्री सिकन्दर बख्त	1.6.1996	19.3.1998
13.	डा. मनमोहन सिंह	21.3.1998	21.5.2004
14.	श्री जसवन्त सिंह	3.6.2004 5.7.2004	4.7.2004 और 16.5.2009
15.	श्री अरुण जेटली	3.6.2009	26.5.2014
16.	श्री गुलाम नबी आजाद	8.6.2014 16.02.2015	11.02.2015 अब तक

हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य सभा ने रचनात्मक और प्रभावी भूमिका निभाई है। विधायी क्षेत्र और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के मामले में इसका कार्य-निष्पादन काफी अहम रहा है। वस्तुत: राज्य सभा ने संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक लोक सभा के साथ सहयोग की भावना से कार्य किया है। राज्य सभा ने जल्दबाजी में कानून पारित नहीं किया है और संघीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक आदर्श सभा की तरह कार्य किया है। संघीय सभा होने के नाते इसने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का कार्य किया है और संसदीय लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़ाई है।

राज्यसभा का औचित्य

राज्यसभा न तो अमरीकी सीनेट की भांति अत्याधिक शक्तिशाली है और न ही ब्रिटिश लॉर्ड सभा या फ्रांस के चतुर्थ गणतन्त्र की गणतन्त्रीय परिषद् की भांति अत्यधिक दुर्बल है। जापानी व्यवस्था की भांति द्वितीय सदन की निषेधात्मक शक्ति को भी हमारे संविधान में स्वीकार नहीं किया गया है, इसे सिर्फ दोहराने की पर्याप्त शक्ति दी गई है, निषेध की नहीं। राज्यसभा न केवल रचना की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ द्वितीय सदन है, बल्कि यह आधुनिक प्रजातंत्र के योग्य तथा द्वितीय सदन के उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से भी सर्वाधिक संतुलित द्वितीय सदन है।

राज्य सभा और लोक सभा के बीच संबंध

संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अधीन, मंत्री परिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति जिम्मेदार होती है जिसका आशय यह है कि राज्य सभा सरकार को बना या गिरा नहीं सकती है। तथापि, यह सरकार पर नियंत्रण रख सकती है और यह कार्य विशेष रूप से उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब सरकार को राज्य सभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है।

किसी सामान्य विधान की दशा में, दोनों सभाओं के बीच गतिरोध दूर करने के लिए, संविधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का उपबंध है। वस्तुत:, अतीत में ऐसे तीन अवसर आए हैं जब संसद की सभाओं की उनके बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक में उठाये जाने वाले मुद्दों का निर्णय दोनों सभाओं में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से किया जाता है। संयुक्त बैठक संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित की जाती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तथापि, धन विधेयक की दशा में, संविधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई उपबंध नहीं है, क्योंकि लोक सभा को वित्तीय मामलों में राज्य सभा की तुलना में प्रमुखता हासिल है। संविधान संशोधन

विधेयक के संबंध में, संविधान में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन विहित रूप में, विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाना होता है। अत:, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सभाओं के बीच गतिरोध को दूर करने का कोई उपबंध नहीं है।

मंत्री संसद की किसी भी सभा से हो सकते हैं। इस संबंध में संविधान सभाओं के बीच कोई भेद नहीं करता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वह उसी सभा में मत देने का हकदार होता है जिसका वह सदस्य होता है।

इसी प्रकार, संसद की सभाओं, उनके सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में, दोनों सभाओं को संविधान द्वारा बिल्कुल समान धरातल पर रखा गया है।

जिन अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं वे इस प्रकार हैं– राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित उद्घोषणा और वित्तीय आपातकाल। विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों आदि से प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त करने के संबंध में, दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मंत्री-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी के मामले और कुछ ऐसे वित्तीय मामले, जो सिर्फ लोक सभा के क्षेत्राधिकार में आते हैं, के सिवाए दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं।

लोकसभा

संघीय संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम सदन है, जिसके प्राय: सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या प्राय: उसकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है। राज्यों को विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित सदस्य संख्या और उसकी जनसंख्या का अनुपात पूरे राज्य में एक समान हो।

लोकसभा का गठन

लोक सभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है जिसमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को नामित करते हैं। कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आबंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सभी राज्यों के लिए समान रहे।

1. अनुच्छेद 81(1)(क) के अनुसार लोकसभा में राज्यों के अधिक-से-अधिक 530 प्रतिनिधि हो सकते हैं और संघ शासित क्षेत्रों के 20, अनुच्छेद 81(1)(ख) के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती।
2. अनुच्छेद 331 के अनुसार इन 550 सदस्यों के अलावा राष्ट्रपति यदि यह समझें कि ऐंग्लो-इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तब राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिक-से-अधिक 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की सदस्य संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती।

लोकसभा में स्थानों का आवंटन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में स्थान दिया जाएगा। लोकसभा के लिए स्थानों के आवंटन हेतु दो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं–

1. प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति के अनुसार किया जाता है कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान ही हो।
2. प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का तथा उसके आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में एक-सा हो।

42वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 2001 तक वही रहेगी जो 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित की गई थी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा अब यह व्यवस्था 2026 तक यथावत् बनी रहेगी।

विभिन्न राज्यों में आवंटित लोकसभा सीटों का विवरण

वर्तमान में लोकसभा के लिए 543 संदस्यों को चुना जाता है जबकि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 330 सदस्य विभिन्न राज्यों से जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और यदि चुनावों में एंग्लो इंडियन समुदाय से कोई भी प्रतिनिधि चुनाव जीतकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन लोगों को चुनकर लोक सभा में भेज सकता है।

भारत की लोकसभा में विभिन्न राज्यों के लिए आवंटित सीटों का विवरण इस प्रकार है;

	राज्य	सीटें
1.	उत्तर प्रदेश	80
2.	महाराष्ट्र	48
3.	पश्चिम बंगाल	42
4.	बिहार	40
5.	तमिलनाडु	39
6.	मध्य प्रदेश	29
7.	कर्नाटक	28

EBD_7939

8.	गुजरात	26
9.	राजस्थान	25
10.	आंध्र प्रदेश	25
11.	ओडिशा	21
12.	केरल	20
13.	तेलंगाना	17
14.	असम	14
15.	झारखंड	14
16.	पंजाब	13
17.	छत्तीसगढ़	11
18.	हरियाणा	10
19.	जम्मू-कश्मीर	6
20.	उत्तराखंड	5
21.	हिमाचल प्रदेश	4
22.	अरुणाचल प्रदेश	2
23.	गोवा	2
24.	मणिपुर	2
25.	मेघालय	2
26.	त्रिपुरा	2
27.	मिजोरम	1
28.	नागालैंड	1
29.	सिक्किम	1

	केंद्र शासित प्रदेश	केंद्र शासित प्रदेश
1.	दिल्ली	7
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
3.	चंडीगढ़	1
4.	दादरा और नगर हवेली	1
5.	दमन और दीव	1
6.	लक्षद्वीप	1
7.	पुदुचेरी	1
	योग	543

परिसीमन आयोग

संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त् होने के पश्चात केन्द्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन, परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया गया है। उपर्युक्त के होते हुए भी, वर्ष 2002 में भारत के संविधान में विशेष रूप से संशोधन किया गया था कि वर्ष 2026 के उपरान्त होने वाली प्रथम जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर बनाए गए वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 2026 के उपरान्त तक होने वाली प्रथम जनगणना तक यथावत बने रहेंगे।

लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन

लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न पद्धति के अनुसार किया जाता है–

1. **वयस्क मताधिकार:** अनुच्छेद 326 के अनुसार राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्य की जनता द्वारा किया जाएगा। अठारह वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक भारतीय नागरिक (अनिवास, पागल, अपराध या भ्रष्ट आचरण का दोषी आदि को छोड़कर) निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा।
2. **गुप्त मतदान द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन:** 1965 के संघ राज्य क्षेत्र (लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम द्वारा संसद ने यह व्यवस्था की है कि संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे तथा इनके मतदान को गुप्त रखा जाएगा।
3. **संयुक्त निर्वाचन प्रणाली:** सदस्यों का निर्वाचन किसी सम्प्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि समस्त जनता द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में जनता द्वारा अपने संयुक्त प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे। अनुच्छेद 330, 341, 342 के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर किसी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लोकसभा में स्थानों का कोई आरक्षण नहीं किया जाएगा।
4. **एकल सदस्यीय:** लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र 'एकल सदस्यीय' बनाए जाएँगे अर्थात् एक चुनाव क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाएगा।

लोकसभा सदस्यों की योग्यताएँ

संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार में निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक हैं–

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. अपनी आयु के 25 वर्ष पूरे कर चुका हो।
3. भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी पद पर न हो।
4. वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो अथवा पागल न हो।

इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान में संसद को दिया गया है। अपने इसी अधिकार के तहत् संसद ने 1951 में 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम' पास कर संसद के सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की हैं-

(i) उसने किसी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक सजा न पाई हो। उसे जेल से छुटे हुए 5 साल से ज्यादा हो गये हो।

(ii) उसे सरकार से सम्बन्धित किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए और न ही सरकार से संबंधित किसी कारखाने में उसका हित होना चाहिए।

(iii) उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से न निकाला गया हो। इस प्रकार के अपराध के कारण वह 5 वर्ष पश्चात् ही संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

(iv) चुनाव संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को, निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय के लिए अथवा जीवन भर के लिए संसदीय चुनावों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

(v) अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है अर्थात् किसी निर्वाचन क्षेत्र से उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।

(vi) असम की जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार होने के लिए उसी जनजाति का होना और उस निर्वाचन क्षेत्र अथवा उस जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है।

(vii) इसी तरह अनुसूचित जातियों से संबंधित स्थानों के लिए भी यह आवश्यक है कि उम्मीदवार इनसे संबंधित हो। ये प्रतिनिधि समस्त भारतीय क्षेत्र में किसी भी स्थान से अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हो सकते हैं।

लोकसभा का कार्यकाल

- लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष है, किन्तु इसे समय से पूर्व अनुच्छेद 85(2)(ख) के अधीन राष्ट्रपति भंग कर सकता है।
- अनुच्छेद 352 के अधीन आपात् उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 83(2) के अनुसार यह कार्यकाल एक अधिनियम द्वारा एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता तथा आपात् उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् इसका विस्तार किसी भी दशा में छह माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकता।

लोकसभा अधिवेशन

- लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम-से-कम दो बार होना चाहिए। लोकसभा के अंतिम अधिवेशन तथा आगामी अधिवेशन की नियत तिथि के मध्य 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। यह अन्तराल 6 माह से अधिक तब हो सकता है, जबकि आगामी अधिवेशन से पूर्व ही लोकसभा विघटित कर दी जाये।
- राष्ट्रीय आपात्काल की उद्घोषणा नामंजूर करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है।
- यह लोकसभा अधिवेशन न होने कि स्थिति में ही बुलाया जा सकता है, इसके लिए कम-से-कम 110 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना दें।
- यह सूचना अधिवेशन से 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। ऐसी सूचना पर राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य है।

लोकसभा के पदाधिकारी

लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

- अनुच्छेद 93 में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।
- अध्यक्ष का पद भारत में 1921 से चला आ रहा है, जब मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के अन्तर्गत सर्वप्रथम केन्द्रीय विधान सभा बनी थी।
- 1947 तक यह पद 'सभापति' कहलाता था। सर्वप्रथम इस पद पर, सर फ्रेडरिक व्हाइट को मनोनीत किया गया था।
- गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की व्यवस्था की गई है।
- लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निश्चित तिथि को लोकसभा में किया जाता है।
- लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है।
- इसी प्रकार उपाध्यक्ष को भी अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि को लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी राजनीतिक दल ही खड़ा करते हैं। सर्वसम्मति से भी चुनाव हो सकता है, किंतु भारत में अभी यह स्वस्थ परम्परा नहीं बन पाई है, फिर भी प्रयास यह किया जाता है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से तथा उपाध्यक्ष प्रमुख विपक्षी दल से सम्बन्धित हो।
- किसी भी लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष बन जाने के पश्चात् उससे यह आशा की जाती है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से पूरे सदन के विवेक प्रहरी की भांति कार्य करें।
- लोकसभा के सदस्य सदन के उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष के चुनाव में वही प्रक्रिया अपनायी जाती है, जो अध्यक्ष के चुनाव में अपनायी जाती है।
- उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक वह सदन का सदस्य रहता है।

शपथ ग्रहण

लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद धारण करते समय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते, बल्कि वह केवल संसद सदस्य होने की शपथ लेते हैं। प्रत्येक नवीन लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करता है, जो कि लोकसभा के समस्त सदस्यों को शपथ दिलवाता है।

लोकसभा के अधिकारियों की पदावधि

अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य-

- यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा।
- किसी भी समय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र से अपना पद त्याग सकेगा।
- लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु इस प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम-से-कम 14 दिन पहले सूचना न दे दी गई हो।
- जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात् होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 96 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि सदन में अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह सदन में उपस्थित रहने पर भी सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा।

लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत करने का प्रथम प्रस्ताव

सर्वप्रथम लोकसभा के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के विरूद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए 18 दिसम्बर, 1954 को प्रस्ताव लाया गया था, जो पारित नहीं हो सका था।

यद्यपि लोकसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का, बोलने का और अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमत: ही मत देने का अधिकार होगा, किन्तु यदि मत बराबर होते हैं तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। यही स्थिति लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में भी लागू होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, जिन्हें उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ

- लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी हैं। उसे निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं–
- लोक सभा में व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व लोकसभा अध्यक्ष का है। इसके लिए वह निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- अध्यक्ष, संकल्पों तथा प्रस्तावकों की ग्राह्यता का निर्णय करता है तथा लोकसभा के प्रक्रिया नियमों का कड़ाई से पालन करवाता है।
- अध्यक्ष सदन के विचार-विमर्श के लिए प्रश्न एवं विषय प्रस्तावित करता है तथा उन्हें पटल पर निर्णय के लिए रखता है।
- अध्यक्ष, विधेयकों तथा संकल्पों में प्रस्तावित संशोधनों को पटल पर रखता है।
- लोकसभा में याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है।
- वह सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। सदन के नेता से परामर्श करके सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है।
- संसद की समितियों पर उसका पूर्ण नियन्त्रण रहता है। सदस्यों एवं सभापति की नियुक्ति, समिति के कार्य करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में विशेष निर्देश दे सकता है।
- सदन के नेता से विचार-विमर्श करके बजट आदि विधेयकों पर विचार करने के लिए तिथि व समय निश्चित करता है।
- राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य सम्पूर्ण पत्र व्यवहार अध्यक्ष द्वारा ही होता है।
- किसी भी सार्वजनिक विषय पर प्रस्तुत कार्य स्थगन प्रस्ताव उसकी अनुमति मिलने पर ही सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- लोकसभा नियमों के अनुसार अध्यक्ष, पारित विधेयक की प्रत्यक्ष गलतियों को प्रस्तावित संशोधनों के अनुरूप शुद्ध करता है।
- संसद द्वारा विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रेषित किए जाने से पूर्व अध्यक्ष, उस विधेयक को हस्ताक्षर करके प्रमाणित करता है।
- लोकसभा सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। लोकसभा के समस्त कर्मचारी, लोकसभा परिसर तथा सुरक्षा के सम्बन्ध में उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
- दल-बदल विरोधी अधिनियम का पालन करवाता है तथा स्वयं निर्णय लेता है। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है तथा सदन की कार्यवाही का समय नियत करता है।
- अध्यक्ष, सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है तथा उनके लिए बोलने का समय निर्धारित करता है।
- लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकारी होता है। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- लोकसभा अध्यक्ष, यह निर्णय करता है कि प्रस्तुत विधेयक वित्तीय विधेयक है अथवा नहीं, उसका निर्णय अन्तिम होता है।
- संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाने की स्थिति में जब लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।
- सदन में किसी विषय पर पक्ष तथा विपक्ष के मत समान होते हैं, तब अध्यक्ष पक्ष अथवा विपक्ष में अपना मत देता है, जिसे निर्णायक मत कहते हैं।
- लोकसभा की बैठक स्थगित करने अथवा गणपूर्ति न होने पर सदन की बैठक निलम्बित कर सकता है।
- अध्यक्ष, किसी भी सदस्य को अपने विवेक के आधार पर, अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार प्रदान कर सकता है।
- अध्यक्ष, सदन में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। सदन के सदस्यों के लिए स्थान भी नियत कर सकता है।
- लोकसभा प्रक्रिया एवं नियमों से सम्बन्धित मामलों में अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार मिले हुए हैं।
- अध्यक्ष, अपने आसन पर बैठकर किए गए कार्यों एवं कर्त्तव्यों के लिए सार्वजनिक रूप से वाद-विवाद में नहीं पड़ता।

EBD_7939

- अध्यक्ष, सदन में निधन सम्बन्धी विषयों आदि के संदर्भ में निर्देश देता है।
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर भी समय-समय पर अर्थात् औपचारिक अवसरों पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है।
- अध्यक्ष को सदन में पूछे गए प्रश्नों के सम्बन्ध में भी अधिकार प्राप्त है। प्रश्नों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अध्यक्ष का अधिकार अंतिम है।

लोकसभा की शक्तियाँ

संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियन्त्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन अर्थात् लोकसभा को प्राप्त होती है। भारतीय संविधान ने भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थान प्रदान किया है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा को संविधान द्वारा निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं।

- लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने तथा पदमुक्त करने का अधिकार केवल लोकसभा को प्रदान किया गया है।
- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को संकल्प पारित करके पदमुक्त किया जा सकता है, किंतु अब तक ऐसा नहीं हुआ है।
- मंत्रिपरिषद् संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा मंत्रिपरिषद् पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है।
- यदि लोकसभा, मंत्रिपरिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त कर देता है।
- यदि लोकसभा, सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नामंजूर कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उसके धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे, तो भी मंत्रिपरिषद् को त्याग पत्र देना पड़ता है।
- वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किये जाते हैं। यदि राज्यसभा वित्त विधेयक में कोई संशोधन करती है तो लोकसभा के विवेक पर निर्भर है कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे या अस्वीकार।
- लोकसभा अनुच्छेद 352 के तहत् राष्ट्रपति द्वारा जारी राष्ट्रीय आपात् की उद्घोषणा को नामंजूर कर सकती है। यह नामंजूरी लोकसभा के विशेष अधिवेशन में दी जा सकती है।
- यदि लोकसभा का कोई सदस्य अपने कार्यों से सदन की गरिमा भंग करता है या अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, तब लोकसभा उस सदस्य को निष्कासित कर सकती है।
- लोकसभा को निष्कासन रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए सन् 1980 में लोकसभा ने श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें 1978 में निष्कासित कर दिया गया था, का निष्कासन रद्द कर दिया।
- जो व्यक्ति लोकसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, उसे लोकसभा द्वारा जेल भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए सन् 1977 में इन्द्रदेव सिंह को लोकसभा में पर्चे फेंकने के कारण जेल भेजा गया था।
- लोकसभा को सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। साथ ही वह इन नियमों को निलम्बित भी कर सकती है।

संसद सदस्यों की निरर्हताएं

अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए निम्न परिस्थितियों में निरर्हित होगा–

- यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसे संसद ने छूट दी है, कोई लाभ का पद धारण करता है। इसमें केन्द्र या राज्य के मंत्री का पद शामिल नहीं है।
- यदि वह विकृतचित्त है और इस संदर्भ में सक्षम-न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।
- यदि वह दिवालिया घोषित है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रतिनिष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार करता है।
- यदि वह संसद द्वारा बनाई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।
- संसद की सदस्यता में लिंग के आधार पर कोई निरर्हता नहीं है।

संसद (अयोग्यता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006

लाभ के पद पर आसीन संसद सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा संसद (अयोग्यता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 बनाया गया है। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य होने के साथ-साथ अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। केन्द्र और राज्य में मंत्री पद व इस अधिनियम द्वारा स्वीकृत कुछ अन्य पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। 18 अगस्त, 2006 राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है अथवा नहीं, तब यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

अनुच्छेद 140 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन में यह जानते हुए कि वह अर्हित नहीं है या उसे सदस्यता से निरर्हित कर दिया गया है, सदन में बैठता है या मतदान करता है तो वह प्रतिदिन के लिए 500 रुपये के दण्ड का भागी होगा।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परिस्थितियों में भी संसद सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, जैसे-

(i) अनुमति के बिना अनुपस्थिति
   - यदि कोई सदस्य सदन को सूचित किए बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है।
   - यदि कोई सदस्य अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि सदन 15 दिन के अन्दर-अन्दर निर्देश उल्लंघन के लिए उसे क्षमा कर दे, तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी।

(ii) अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित होने पर
- यदि निर्दलीय रूप में निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
- यदि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य शपथ लेने के 6 महीने के पश्चात् की अवधि में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

संसदीय विशेषाधिकार

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य संसद की स्वतन्त्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा करना है। ये ऐसे विशेषाधिकार हैं जिनके बिना संसद सदस्य अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 105(3) और अनुच्छेद 194(3) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संसद को वे सभी विशेषाधिकार जो 1950 को ब्रिटेन की संसद के 'हाउस ऑफ़ कॉमन्स' के सदस्यों एवं समितियों को प्राप्त थे, प्राप्त हैं।

एक वाद के तहत् उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि संसद के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो विशेषाधिकारों को अधिमानता दी जाएगी, क्योंकि ये स्वतन्त्र उपबन्ध हैं। इन विशेषाधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. जिनका सदस्यों द्वारा व्यक्तिशः उपयोग किया जाता है
   - **गिरफ्तारी से उन्मुक्तिः** प्रत्येक सदस्य को सदन या उसकी किसी समिति के अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन के चलते रहने या बैठक के पूर्व अथवा पश्चात् की 40 दिन की अवधि के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त होगी, किन्तु आपराधिक मामलों में या निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी में नहीं।
   - **गवाह के रूप में उपस्थिति से उन्मुक्तिः** जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो, तब सदन की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
   - **वाक् स्वतंत्रताः** सदन या उसकी किसी समिति में कही गयी, किसी बात के लिए किसी सदस्य के प्रति, न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता। किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि सदस्य सदन की अवमानना पर उतर आए। साथ ही अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्त्तव्य पालन सम्बन्धी आचरण पर महाभियोग की कार्यवाही के अलावा अन्य किसी प्रकार से सदन या उसकी किसी समिति में चर्चा नहीं की जा सकेगी।
2. सदन के सामूहिक विशेषाधिकार
   - सदन के वाद-विवाद या कार्यवाहियों के प्रकाशन को रोकने का अधिकार।
   - अजनबियों को सदन से बाहर जाने का आदेश देना।
   - सदन के आतंरिक मामलों को विनियमित करने एवं संसद भवन की चारदीवारी के भीतर कुछ कहने या करने के सम्बन्ध में न्यायालय की जांच से उन्मुक्ति।
   - संसदीय कदाचार को प्रकाशित करने का अधिकार।
   - सदस्यों एवं बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने का विशेषाधिकार आदि।

संसद का सत्रवसान, विघटन और स्थगन

संसद के प्रथम अधिवेशन और उसके सत्रवसान या विघटन के बीच की अवधि को 'सत्र' कहते हैं। संसद के सत्रवसान होने और नए सत्र समवेत होने के बीच के समय को 'दीर्घावकाश' कहते हैं। किसी 'सत्र' में प्रतिदिन बहुत-सी 'बैठकें' होती हैं, जिन्हें स्थगन द्वारा अलग किया जाता है। सदन की बैठक विघटन, सत्रवसान तथा स्थगन द्वारा समाप्त की जा सकती है।

संसद का सत्रवसान

सत्रवसान से सदन के सत्र की समाप्ति हो जाती है। अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत् संसद के किसी भी सदन का सत्रवसान करने का अनन्य अधिकार राष्ट्रपति को है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर यह कार्य करेगा। इंग्लैंड में सत्रवसान की तारीख को लम्बित सभी काम-काज और विधेयक सत्रवसान के कारण समाप्त हो जाते हैं, किन्तु भारत में अनुच्छेद 107(3) के तहत् यह स्थिति नहीं है। यहां सत्रवसान का विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि लम्बित सूचनाएं और संकल्प सत्रवसान के कारण समाप्त हो जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि लम्बित कार्यवाही या संकल्प पर "स्थगन" के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

संसद का स्थगन

अनुच्छेद 85(1) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों को समय-समय पर आहूत करेगा, किन्तु किसी भी सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की पहली बैठक के लिए तय की गई तिथि के मध्य छह माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। जब संसद का कोई सदन सत्र में होता है तो उसकी कार्यवाहियों को अनुशासनहीनता, शोर-शराबे या अन्य किसी व्यवधान के कारण कुछ समय के लिए रोका या मुलतवी किया जाता है, जिससे सदन में व्यवस्था कायम हो सके। इसे सदन का "स्थगन" होना कहते हैं। यह स्थगन कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए हो सकता है, किन्तु स्थगन से सदन के सत्र का अंत नहीं होता।

संसद का विघटन

यह ध्यान देने योग्य है कि केवल लोकसभा का ही विघटन होता है राज्यसभा का नहीं। लोकसभा का विघटन दो प्रकार से हो सकता है।

- लोकसभा का निर्धारित कार्यकाल पूरा हो जाने पर अर्थात्, 5 वर्ष की अवधि के पश्चात्।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 80(2)(क) के तहत् शक्ति प्रयोग द्वारा।

विघटन से सदन में लम्बित सभी प्रस्ताव, विधेयक या संकल्प आदि जिन पर सदन ने विचार कर लिया है और वे राज्यसभा के विचाराधीन हैं या जो स्वयं लोकसभा के विचाराधीन हैं, समाप्त हो जाते हैं। यदि उनको पुनः प्रारंभ करना है तो नए निर्वाचन के पश्चात् उन्हें पुनः सदन में प्रस्तुत करना होगा।

EBD_7939

संसद सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, उनके वेतन एवं भत्ते तथा गणपूर्ति

शपथ ग्रहण

संसद सदस्यों को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। बिना शपथ ग्रहण किए कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता।

वेतन एवं भत्ते

1. लोकसभा और राज्यसभा के सांसद कार्यकाल के दौरान 50 हजार रुपये का वेतन मिलता है।
2. अगर सांसद की कार्यवाही के दौरान उसमें शामिल होते हैं, और रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं तो उन्हें 2000 रुपये हर रोज का भत्ता मिलता है।
3. एक सांसद अपने क्षेत्र में कार्य कराने के लिए 45000 रुपये प्रतिमाह भत्ता पाने का हकदार होता है।
4. कार्यालयीन खर्चों के लिए एक सांसद को 45000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। इसमें से वह 15 हजार रुपये स्टेशनरी पर खर्च कर सकता है। इसके अलावा अपने सहायक रखने पर सांसद 30 हजार रुपये खर्च कर सकता है।
5. सांसद निधि (मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट) स्कीम के तहत् सांसद अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का खर्च करने की सिफ़ारिश कर सकता है।
6. सांसदों को हर तीन महीने में 50 हजार रुपये यानी करीब 600 रुपये रोज घर के कपड़े धुलवाने के लिए मिलते हैं।
7. सांसदों को हवाई यात्रा का 25 प्रतिशत ही देना पड़ता है। इस छूट के साथ एक सांसद सालभर में 34 हवाई यात्राएं कर सकता है। यह सुविधा पति/पत्नी दोनों के लिए है।
8. ट्रेन में सांसद फर्स्ट क्लास एसी में अहस्तांतरणीय टिकट पर यात्रा कर सकता है। उन्हें एक विशेष पास दिया जाता है।
9. एक सांसद को सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 16 रुपये प्रतिकिलोमीटर यात्रा भत्ता मिलता है।

गणपूर्ति (कोरम)

संसद के सदनों की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए गणपूर्ति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों के दसवें भाग का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा में गणपूर्ति क्रमश: 25 और 55 सदस्यों से होती है। यदि किसी समय संसद के किसी सदन में कोरम नहीं होता, तो अध्यक्ष या सभापति तब तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं, जब तक की कोरम पूरा न हो जाए।

संसद में कार्य संचालन प्रक्रिया

सामान्यतया प्रत्येक कार्य दिवस का प्रथम घंटा 'प्रश्न काल' कहलाता है, जिसमें सदस्यगण मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न करते हैं।

प्रश्न काल

प्रश्न काल का तात्पर्य उस समयावधि से है जिसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्त्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, मंत्रिपरिषद् से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल प्रत्येक सदन के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारम्भ में एक घंटे का होता है। इस दौरान भारत सरकार से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है तथा सार्वजनिक समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मंत्रियों द्वारा इस दौरान निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-

1. **तारांकित प्रश्न:** यदि सदन का कोई सांसद अपने किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में चाहता है तो वह अपने प्रश्न को तारांक लगाकर विशेषांकित करता है। ऐसे प्रश्न तारांकित प्रश्न कहे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के समय सदस्यों द्वारा उससे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।
2. **अतारांकित प्रश्न:** जो प्रश्न तारांक द्वारा विशेषांकित नहीं होते, वे अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। ये वह प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सांसद लिखित रूप में चाहता है। सदन में इनका उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया जाता, अत: इसमें कोई पूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता। इसका उत्तर लिखित रूप में टेबल पर छोड़ दिया जाता है।
3. **अल्प सूचना प्रश्न:** जो प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्त्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्पसूचना प्रश्न कहा जाता है।
4. **गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न:** संसद में गैर-सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जब प्रश्न का विषय किसी ऐसे विधेयक या संकल्प अथवा सदन के कार्य के किसी अन्य विषय से संबंधित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी रहा हो।
5. **व्यवस्था संबंधी प्रश्न:** व्यवस्था का प्रश्न उस स्थिति में उठाया जाता है जब प्रक्रिया विषयक किसी नियम की अनदेखी की जा रही हो, परन्तु इसका सम्बन्ध उसी कार्य से होना चाहिए जो सदन द्वारा उस समय किया जा रहा हो। व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय सदस्य को प्रक्रिया का वह नियम इंगित करना होता है, जिसका उल्लंघन किया गया हो या जिसकी अनदेखी की गई हो। कोई आपत्ति व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, यह निर्धारित करना सदन के अध्यक्ष का दायित्व है।

प्रश्नों के संबंध में सामान्य प्रक्रिया:

- प्रश्न पूछने की सूचना महासचिव को लिखित रूप में दी जाती है।
- जब किसी सूचना पर एक-से-अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों तो वह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दी गई मानी जाएगी।
- जब तक अध्यक्ष कोई अन्य निर्देश नहीं देता तब तक प्रत्येक बैठक का प्रथम घंटा प्रश्न पूछने के लिए तथा उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- जब तक अध्यक्ष कोई अन्य निर्देश न दे, सामान्यत: प्रश्न पूछने के लिए कम-से-कम पूरे दस दिन और अधिक-से-अधिक इक्कीस दिन की सूचना देना आवश्यक है।
- किसी दिन के लिखित उत्तर के लिए प्रश्न सूची में एक सदस्य के पाँच से अधिक तथा कुल 230 से अधिक प्रश्न सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, लेकिन यह कुल संख्या सीमा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य अथवा राज्यों से सम्बन्धित प्रश्न संख्या, जो अधिक-से-अधिक 25 होगी, के अनुसार बढ़ सकती है।

EBD_7939

- मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन को प्रश्न सूची में एक ही सदस्य का एक तारांक लगाकर विभेद किया गया एक प्रश्न तथा कुल मिलाकर 20 प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। यदि कोई प्रश्न स्थगित हो जाता है तो एक सदस्य के एक-से-अधिक प्रश्न सम्मिलित किए जा सकते हैं।
- अध्यक्ष/सभापति प्रश्नों की ग्राह्यता के विषय में निर्णय लेता है।
- अध्यक्ष/सभापति यह निश्चित करता है कि प्रश्न तारांकित माना जाए या अतारांकित।
- महासचिव द्वारा प्रश्न की सूचना मंत्री को दिए जाने के कम-से-कम पांच दिन पश्चात् उत्तर के लिए प्रश्न सूची में रखा जाता है।

आधे घंटे की चर्चा

लोकसभा में प्रायः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में ऐसे प्रश्नों से उत्पन्न मामलों पर चर्चा की जाती है, जिनका उत्तर सदन में दिया जा चुका है। राज्यसभा और लोकसभा में इस प्रकार की चर्चा के लिए क्रमशः सभापति और अध्यक्ष समय निर्धारित करते हैं। इस प्रकार की चर्चा को उठाने की सूचना कम-से-कम तीन दिन पूर्व दी जानी चाहिए। इस प्रकार की चर्चा प्रायः अपार लोक महत्त्व के विषयों पर की जाती है।

शून्यकाल

संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के तत्काल पश्चात् का समय शून्य काल कहलाता है। प्रश्न काल के बाद दोपहर के भोजन का समय हो जाता है। यह 12 बजे प्रारम्भ होता है और 1 बजे तक चलता है। इसका लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्य अविलम्बनीय महत्त्व के मामलें को उठाते हैं तथा उस पर तुरन्त कार्यवाही चाहते हैं।

संसद में मामला उठाने संबंधी प्रस्ताव

आधे घंटे की चर्चा को छोड़कर संसद में किसी प्रश्न को पूछकर उसका उत्तर पाने में कम-से-कम 10 दिन का समय लगता है, जिस कारण किसी अविलम्बनीय या सार्वजनिक महत्त्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया के संबंध में संसद के दोनों सदनों की प्रक्रिया तथा संचालन के नियमों में मामलों को उठाने की प्रक्रिया विहित की गई है। इन नियमों में दो प्रकार के मामलों का उल्लेख है और उनको सदन में उठाने के लिए कई प्रक्रियाएं निश्चित की गई हैं, जो निम्न प्रकार से हैं–

(क) अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मुद्दों को उठाने की प्रक्रियाः अविलम्बनकारी लोक महत्त्व के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए निम्न प्रस्तावों को संसद में पेश किया जाता है–

1. **स्थगन प्रस्तावः** इस प्रस्ताव द्वारा ऐसे गम्भीर मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिन विषयों या मामलों पर शीघ्र विचार न होने पर गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सामान्य कार्य को रोक कर उन मामलों पर तुरन्त विचार करना आवश्यक माना जाता है। प्रायः ऐसे प्रस्तावों द्वारा केन्द्रीय सरकार की असफलता की ओर संकेत किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव को शाम के 4 बजे विचारार्थ लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कराने के बाद उस दिन तक सभा को स्थगित नहीं कर सकता, जब तक कि स्थगन प्रस्ताव का निपटारा न हो जाए। जब स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तब सभा स्वतः ही स्थगित हो जाती है। स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है।
2. **ध्यानाकर्षण प्रस्तावः** सदन का सदस्य अविलम्बीय लोक महत्त्व के विषय की ओर सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकर्षित करवा सकता है, पर इस हेतु सदन की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक है। मंत्री उस विषय पर उसी दिन सदन में वक्तव्य दे सकता है या बाद में वक्तव्य देने का समय मांग सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूची लिखित रूप में महासचिव को सम्बोधित की जाती है और उसकी प्रतियाँ अध्यक्ष व सम्बन्धित मंत्री को भेजी जाती हैं।
3. **अल्पकालीन चर्चाएँः** इसके द्वारा सदन के सदस्य लोक महत्त्व के ऐसे मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता है। अध्यक्ष अल्पकालीन चर्चाओं के लिए सप्ताह में दो बैठकें निर्धारित कर सकता है। कार्य मंत्रणा समिति सामान्यतः चर्चा के लिए विषय का चयन करती है तथा समय निर्धारित करती है। अपवादात्मक स्थितियों को छोड़कर प्रायः ये चर्चाएँ मंगलवार व वृहस्पतिवार के दिन की जाती हैं।
4. **नियम 184:** लोकसभा की नियमावली का अध्याय-14 ए सदन में लाए जाने वाले प्रस्तावों से सम्बन्धित है। इस अध्याय में नियम-184 से लेकर नियम-192 तक का उल्लेख है। लोकसभा में किसी भी विषय पर चर्चा प्रारम्भ करने से पहले सदन के अध्यक्ष के सामने नियम-184 के तहत् एक प्रस्ताव लाया जाता है। यानी नियम-184 के अन्तर्गत अध्यक्ष से प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुमति लेने की बात कही गयी है, जबकि मतदान नियम-191 के तहत् होता है न कि नियम-184 के तहत्। इस नियमावली के अध्याय-15 के नियम-193 से नियम-195 तक में लोक महत्त्व के विषय पर प्रस्ताव लाकर बहस हो सकती है। यह नियम, नियम-184 का अपवाद है। इसमें सदन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं होता, केवल बहस की अनुमति होती है। किसी प्रस्ताव को सदन में लाने के लिए क्या नियम हैं, यह व्यवस्था नियम-146 में है।
5. **नियम 377:** जिन विषयों को अन्य किसी माध्यम से नहीं उठाया जा सकता, उन्हें नियम 377 के तहत् उठाया जाता है। मामला नियम 377 के अधीन उठाने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय अनन्य रूप से लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, क्योंकि केवल लोकसभा में ही नियम 377 के अधीन मामले उठाये जा सकते हैं राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में इस प्रकार के मामले "विशेष उल्लेख" के जरिए उठाए जा सकते हैं। इसके अन्तर्गत लोक महत्त्व के मामलों तथा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामलों को उठाया जाता है। नियम 377 के तहत् सर्वप्रथम 14 मई, 1966 को मामला उठाया गया था।

(ख) सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर चर्चाएँ उठाने वाले विभिन्न प्रस्ताव: सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्नों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सदस्य निम्न प्रस्ताव पेश कर सकते हैं–

1. **मूल प्रस्ताव:** यह अपने आप में सम्पूर्ण प्रस्ताव होता है, जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए अथवा पद त्याग के लिए जो प्रस्ताव लाये जाते हैं, मूल प्रस्ताव कहलाते हैं। इस प्रस्ताव के संबंध में कहा जाता है कि इससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति होती है। निम्न प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव होते हैं–
   अविश्वास प्रस्ताव: इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करता है, यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।
   विशेषाधिकार प्रस्ताव: यह संसद के उस सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जिससे यह विश्वास हो जाता है कि मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का अतिक्रमण किया है।
2. **अनुषंगी प्रस्ताव:** इन प्रस्तावों को विभिन्न प्रकार के कार्यों की आगामी कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
   - **संशोधन प्रस्ताव:** यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है।
   - **प्रतिस्थापन प्रस्ताव:** यह प्रस्ताव किसी अन्य प्रश्न पर विचार-विमर्श के दौरान प्रस्तुत किया जाता है।
   - **स्थानापन्न प्रस्ताव:** यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे, मूल प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व पेश किया जाता है।
   - **अनियत दिन वाले प्रस्ताव:** इन प्रस्तावों को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, किंतु इन पर विचार-विमर्श के लिए कोई नियत दिन या समय निश्चित नहीं किया जाता।
   - **कटौती प्रस्ताव:** जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित माँग में कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर स्वीकृत करता है। कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं–

   (i) **नीतिगत कटौती:** इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी खास माँग की पृष्ठभूमि में विद्यमान नीति को अस्वीकृत करना होता है। इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करते समय सदस्य को यह बताना होता है कि वह सरकार की किस नीति में कटौती चाहता है।
   (ii) **अर्थगत कटौती:** इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी मद में माँगी गई राशि में कटौती करना होता है।
   (iii) **प्रतीक कटौती:** इस आशय के प्रस्ताव के अन्तर्गत किसी राशि में 100 रुपये कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। इसका उद्देश्य सरकार की किसी नीति विशेष के प्रति विरोध प्रकट करना होता है।

धन्यवाद प्रस्ताव: संसदीय प्रणाली में आम चुनाव के पश्चात् जब नई सरकार स्थापित होती है, तब राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण देता है, जिसमें वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सांकेतिक उल्लेख करता है। सरकार की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात् राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद करने के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव के पारित होने का अर्थ होता है कि सरकार की नीतियों में सदन को विश्वास है।

संसद के कार्य एवं शक्तियाँ

यद्यपि संसद प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है, किंतु संविधान द्वारा संसद को निम्न कार्य एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं–

1. **मंत्रिपरिषद् का निर्माण और नियंत्रण:** संसद का सर्वप्रथम कृत्य अपने सदस्यों में से मंत्रिपरिषद् की रचना करना है, क्योंकि संसद का प्रत्येक सदस्य मंत्री हो यह आवश्यक नहीं, किंतु प्रत्येक मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यद्यपि वह व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है, किंतु उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बन जाना अनिवार्य है, तभी वह अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद् तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि लोकसभा का उसे विश्वास प्राप्त रहता है।
2. **विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ:** संसद सातवीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची एवं समवर्ती सूची में अंतर्विष्ट विषयों पर विधि बना सकती है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये विषय हैं–
   - अनुच्छेद 250 के तहत् जब राष्ट्रीय आपात् या राज्य में आपात् स्थिति प्रवर्तन में हो।
   - अनुच्छेद 252 के तहत् जब दो या दो से अधिक राज्य के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करें।
   - अनुच्छेद 249 के तहत् जब राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे।
3. **वित्त संबंधी शक्तियाँ:** संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भारत की संचित निधि पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद को आकस्मिकता निधि को भी स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वर्ष भर की आय तथा व्यय का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त संसद को विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवादानुदान के संबंध में पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं।
4. **कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ:** संसद सदस्यों में से ही मंत्रिपरिषद् का गठन किया जाता है जो वास्तविक सत्ता संचालक होती है। संसद विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण बनाए रखती है। मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
5. **राज्य संबंधी शक्तियाँ:** संसद राज्यों की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नए राज्यों का गठन या पुनर्गठन तथा राज्यों का विभाजन या कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाने की शक्ति रखती है।

6. **संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ:** संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। संसद का यह अधिकार सीमित है, क्योंकि संसद संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।
7. **निर्वाचन संबंधी कार्य:** संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तथा उपराष्ट्रपति को भी निर्वाचित करते हैं।
8. **महाभियोग की शक्ति:** अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद को राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पदमुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

संसद की विधायी प्रक्रिया

संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक और उनके पारित करने की प्रक्रिया के आधार पर विधेयक को निम्न भागों में बांटा जाता है–

साधारण विधेयक

यह वह प्रारूप होता है जो सदन में विधि निर्माण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विधेयक तब विधि का रूप धारण करता है जब उसे संसद के दोनों सदनों तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। साधारण विधेयक के भी दो रूप होते हैं–

1. **सरकारी विधेयक:** ये विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। इनका संबंध आम जनता से भी हो सकता है और किसी विशेष वर्ग, संस्था या इलाके से भी।
2. **गैर-सरकारी विधेयक:** वे विधेयक, जिन्हें संसद का कोई अन्य सदस्य प्रस्तुत करता है, गैर-सरकारी विधेयक कहलाते हैं। ये भी आम जनता, विशेष वर्ग, संस्था या इलाके से संबंधित हो सकते हैं।

साधारण विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया: संसद की विधायी प्रक्रिया में साधारण विधेयक को पास करने की वैधानिक विधि निम्न प्रकार है–

तैयारी: संसद में पेश किए जाने वाले अधिकतर विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, इसलिए इनकी तैयारी भी सरकारी स्तर पर ही की जाती है। संसद में जिस विभाग का विधेयक पेश किया जाना होता है, उस विभाग का मंत्री अपने विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ मिलकर विधेयक की रूप-रेखा तैयार करता है। अगर यह विधेयक अन्य विभागों को प्रभावित करता है तो इस संबंध में कानून मंत्री तथा महान्यायवादी से विचार-विमर्श किया जाता है, ताकि संवैधानिक त्रुटियों का समाधान किया जा सके। जब मंत्री विधेयक को अंतिम रूप दे देता है तो मंत्रिपरिषद् विधेयक को सदन में पेश करने की आज्ञा दे देती है। यह विधि केवल सरकारी विधेयकों के ऊपर ही लागू होती है।

प्रस्तुतीकरण या प्रथम वाचन: अनुच्छेद 107 के तहत् संसद के किसी भी सदन में विधेयक या तो किसी मंत्री द्वारा या किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इन विधेयकों के संबंध में एक महीने का नोटिस देना पड़ता है। संसद में जिस दिन विधेयक प्रस्तुत किया जाना होता है उससे लगभग एक सप्ताह पहले ही विधि मंत्रालय से विधेयक की दो प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त होती हैं। यदि कोई मंत्री विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे विधेयक के प्रस्तुतीकरण के लिए सभा की अनुमति मांगने के प्रस्ताव की लिखित सूचना सात दिन पूर्व देनी पड़ती है। इसी सूचना के अन्तर्गत विधेयक का उद्देश्य, कारण और उस पर होने वाले व्यय आदि का विवरण देना भी आवश्यक है। विधेयक के प्रस्तुतीकरण के लिए निश्चित तिथि को अध्यक्ष संबंधित मंत्री को बुलाता है और वह विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव रखता है। सदन जब अनुमति दे देता है तो विधेयक को प्रस्तुत करने वाला मंत्री विधेयक के शीर्षक को पढ़ने के पश्चात् एक संक्षिप्त-सा भाषण देता है, जिसमें विधेयक की खास-खास बातों पर प्रकाश डाला जाता है। विधेयक की प्रतियां अन्य सदस्यों में भी वितरित कर दी जाती हैं। यदि इस अवस्था पर विधेयक का विरोध हो जाता है तो सदन का अध्यक्ष प्रस्ताव रखने वाले सदस्य और उसका विरोध करने वाले सदस्य का संक्षिप्त भाषण करवा सकता है। परन्तु, परम्परा यह है कि इस अवस्था में विधेयक का विरोध नहीं होता। इस प्रकार विधेयक का प्रस्तुतीकरण ही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। इसके पश्चात् इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तुत करने के पश्चात् की प्रक्रिया या द्वितीय वाचन: विधेयक सदन में पुर:स्थापित करने के पश्चात् सदन में सदस्यों को विधेयक की प्रतियां वितरित कर दी जाती हैं तथा सामान्यत: दो दिन के पश्चात् द्वितीय वाचन प्रारम्भ होता है। प्रस्तुतकर्त्ता व्यक्ति विधेयक के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता है–

- विधेयक का शीघ्र ही वाचन किया जाना चाहिए।
- विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए।
- विधेयक पर जनता की राय ली जानी चाहिए।
- विधेयक को दूसरे सदन की सहमति से संयुक्त प्रवर संसदीय समिति को सौंप देना चाहिए।

सदन केवल उन विधेयकों पर तत्काल कार्यवाही करता है, जो बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं और विवाद रहित होते हैं। विधेयक को प्राय: संबंधित प्रवर समिति को भेजा जाता है। यदि सदन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने के लिए सहमत हो तो उसे दूसरे सदन की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

प्रवर समिति की रिपोर्ट: यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर देता है तो उस विधेयक पर एक समिति नियुक्त की जाती है। समिति के सदस्यों के नाम प्रस्ताव में ही निश्चित कर दिए जाते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि समिति के सदस्य सम्बन्धित विधेयक के विषय के विशेषज्ञ हों। समिति के सदस्य दोनों सदनों से लिए जाते हैं। प्रवर समिति का सभापति सदन के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह समिति विधेयक की प्रत्येक धारा पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करती है और उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करती है। प्रवर समिति विधेयक के उपबन्धों पर विचार करती है, सिद्धांतो पर नहीं।

जब प्रवर समिति विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार कर चुकती है, तो वह अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करती है। यदि समिति के कार्य की कोई निश्चित अवधि तय न की गई हो तो उसे तीन महिने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। रिपोर्ट पर सभापति के हस्ताक्षर होते हैं।

प्रतिवेदन या रिपोर्ट स्तर: प्रवर समिति द्वारा किए गए संशोधन सहित या रहित विधेयक को छपवा कर सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। तब प्रस्तावक निम्न से कोई एक प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता है–

- प्रवर समिति द्वारा दिए गए संशोधित विधेयक पर सदन द्वारा विचार किया जाए।

EBD_7939

- इस संशोधित विधेयक को एक बार फिर समिति को पुन: विचार करने के लिए दिया जाए।
- इस संशोधित विधेयक को जनता की सम्मति के लिए पुन: जनता के समक्ष रखा जाए।

स्वीकार प्रस्ताव के अनुरूप सदन का अध्यक्ष कार्यवाही करता है। यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के द्वारा संशोधित रूप में ही विचार करना स्वीकार कर लेता है, तो उस विधेयक पर खण्डवार सूक्ष्मता से सदन में विचार-विमर्श किया जाता है। आपस में सदस्यों द्वारा विधेयक के विभिन्न खण्डों पर तर्क-वितर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। विधेयक पर बहस कर लेने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर सदन में मतदान होता है। मतदान पूर्ण होने के पश्चात् विधेयक तृतीय वाचन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

तृतीय वाचन: यह विधेयक की, एक सदन में अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में विधेयक के सामान्य सिद्धांतो पर बहस होती है और भाषा की अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ साधारण संशोधन कर दिए जाते हैं, यदि कोई कमी रह जाती है तो उसे भी दूर कर लिया जाता है। इसके पश्चात् सम्पूर्ण विधेयक पर मतदान होता है। इस अवस्था में प्राय: विधेयक पारित हो जाता है। एक सदन में पारित होने के पश्चात् विधेयक को दूसरे सदन को प्रेषित कर दिया जाता है।

दूसरा सदन: दूसरे सदन में भी विधेयक के सम्बन्ध में पूर्ववर्णित प्रक्रिया दोहरायी जाती है। दूसरा सदन विधेयक के सम्बन्ध में निम्नलिखित घोषणा कर सकता है–

- वह सामान्यत: विधेयक को पारित कर देता है और विधयेक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति के पास उसके हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है।
- यदि दूसरा सदन विधेयक को पूर्णतया अस्वीकार कर देता है, या ऐसे संशोधन प्रस्तावित करता है जो पहले सदन को स्वीकार्य न हों।
- या विधेयक के सम्बन्ध में छह मास तक कोई निर्णय नहीं लेता।

इन तीनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति समाधान स्वरूप अनुच्छेद 108 के तहत् दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और विधेयक के सम्बन्ध में गतिरोध को दूर कर विधेयक के पारित होने का मार्ग प्रशस्त करता है।

अब तक हुए संसद के संयुक्त अधिवेशन

देश में अभी तक केवल तीन बार किसी विवादित विधेयक को पारित करवाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। पहला संयुक्त अधिवेशन, 1961 में जवाहर लाल नेहरू; दूसरा संयुक्त अधिवेशन 1978 में मोरारजी देसाई तथा तीसरा संयुक्त अधिवेशन अटल बिहारी वाजपेयी 2002 के समय में आहूत किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रथम संयुक्त अधिवेशन (1961) द्वारा दहेज प्रतिबंध विधेयक, द्वितीय संयुक्त अधिवेशन (1978) द्वारा बैंकिग सेवा आयोग विधेयक तथा तृतीय संयुक्त अधिवेशन (2002) द्वारा आतंकवाद निवारक अध्यादेश पारित किया गया था।

राष्ट्रपति की अनुमति: किसी विधेयक को चाहे संसद के दोनों सदन अलग-अलग पारित करें या अपनी संयुक्त बैठक में, उसे कानून का रूप धारण करने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करना पड़े। राष्ट्रपति इस सम्बन्ध में प्राय: अपनी अनुमति देने से इन्कार नहीं करता, तथापि:

- वह विधेयक के संबंध में अनुमति विधारित कर सकता है। ऐसी स्थिति में विधयेक समाप्त हो जाता है।
- वह विधेयक पर संसद को पुर्नविचार के लिए कह सकता है।

जब संसद पुर्नविचार के पश्चात् विधेयक को (अर्थात् राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार करने या न करने) राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इन्कार नहीं कर सकता। इस प्रकार साधारण विधेयक देश की विधि का रूप धारण कर लेता है।

धन विधेयक

साधारणत: आय-व्यय से सम्बन्धित सभी विधयेक धन विधेयक कहे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को वर्णित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार:

1. किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन।
2. भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन या भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले किन्हीं वित्तीय आधारों से सम्बन्धित कानून का संशोधन।
3. भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन डालना या धन निकालना।
4. भारत की संचित निधि में धन का विनियोग।
5. किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना।
6. भारत की संचित निधि के या भारत के लेखे-जोखे के लिए धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना या संघ अथवा राज्य के लेखाओं का लेखा परीक्षण।
7. उपखण्ड (क) से (च) तक में वर्णित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।

इस संबंध में यह कहा गया है कि कोई विधेयक केवल इस वजह से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य किसी प्रकार के अर्थदण्डों का आरोपण अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या अभियाचना का उपबन्ध करता है।

यदि इस संबंध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति कि शक्तियाँ भी सीमित हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों की भांति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।

धन विधेयक की वैधानिक प्रक्रिया

1. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
2. धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश आवश्यक है।
3. लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
4. लोकसभा से पास होने पर इसे राज्यसभा की सिफ़ारिश के लिए भेजा जाता है।
5. अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा से यह अपेक्षा की जाती है कि विधेयक प्राप्त होने के 14 दिन की अवधि के भीतर, अपनी सिफ़ारिशों सहित, यदि कोई हों तो, उस विधेयक को लोकसभा को लौटा दे, तब विधेयक पारित समझा जाता है।

6. राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती।
7. राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन भी नहीं कर सकती।
8. यदि राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तुत करती है तो लोकसभा उस संशोधन को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं होगी।
9. यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर लोकसभा को विधेयक नहीं लौटाती तो भी धन विधेयक पारित मान लिया जाता है।
10. कोई धन विधेयक संसद की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता।

विनियोग विधेयक

अनुच्छेद 114 के अनुसार लोकसभा में प्रस्तुत 'अनुदानों की मांगों' और संचित निधि पर भारित व्ययों के लिए अपेक्षित धन को प्राप्त करने के लिए 'विनियोग विधेयक' को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि विनियोग विधेयक के बिना भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। विनियोग विधेयक भी धन विधेयक की तरह पारित किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार विनियोग विधेयक के विरूद्ध किसी भी सदन में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।

वित्त विधेयक और धन विधेयक में अन्तर

1. वे विधेयक जिनमें अनुच्छेद 110 के कुछ प्रावधान लागू होते हैं, किन्तु उसमें मात्र ये प्रावधान ही नहीं हैं, अर्थात् जैसे, किसी विधेयक में कराधान का खण्ड है किन्तु वह विधेयक केवल कराधान से ही सम्बन्धित नहीं है, ऐसा विधेयक धन विधेयक के समान राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के बिना संसद में प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। ऐसा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा, किन्तु इस विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है। यदि कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसका समाधान राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से करेंगे, जबकि धन विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
2. कोई ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय अन्तर्वलित हैं, किन्तु अनुच्छेद 110 में वर्णित अन्य कोई प्रावधान उसमें नहीं है तो वह सामान्य विधिक प्रक्रिया द्वारा पारित किया जाने वाला साधारण विधेयक होगा, अन्तर केवल यह होगा कि उसे धन विधेयक के समान राष्ट्रपति द्वारा सिफ़ारिश किए जाने पर ही सदन में प्रारम्भ किया जा सकेगा, सदन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा।
3. सभी वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं हो सकते, परन्तु सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं।
4. धन विधेयक पूरी वैधानिक विधि से गुजरने के पश्चात् लागू होते हैं, जबकि वित्त विधेयक सदन में पेश होते ही लागू हो जाते हैं।

बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)

अनुच्छेद 112 के तहत् प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री देश के आय-व्यय का वार्षिक विवरण बजट के रूप में प्रस्तुत करता है। बजट केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। बजट केवल वित्त मंत्री या उसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जा सकता है, कोई निजी सदस्य इसे प्रस्तावित नहीं कर सकता।

भारत में बजट

- भारत में पहला बजट जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था।
- जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक भी कहा जाता है।
- भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष 1867 से शुरू हुआ। इससे पहले तक 1 मई से 30 अप्रैल तक का वित्तीय वर्ष होता था।
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्तमंत्री आरके षणमुखम शेट्टी (चेट्टी) ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था।
- षणमुखम शेट्टी ने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया, तब से लघु अवधि के बजट के लिए 'अंतरिम' शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ।
- वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा से अनुसार, बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2001 में अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और शाम की बजाय सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की शुरुआत की।
- दरअसल, यह समय ब्रिटिश संसद के आधार पर तय किया गया था और उनके टाइम के अनुसार भारत ने इसे शाम को 5 बजे पेश करना शुरू किया। पहली बार 11 बजे बजट तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया।
- शाम 5 बजे बजट पेश करने की प्रथा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी।
- 2017 से पहले बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से इसे 1 फरवरी या फरवरी के पहले कार्य दिवस में पेश किया जाने लगा।
- 2017 के बजट से ही केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में समायोजित कर दिया।

तदर्थ बजट: बजट की प्रस्तुति और बजट के पारित होने में पर्याप्त अन्तराल होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कारणों से बजट निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं हो पाता। इस अन्तराल की अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए अनुमानित व्यय के अनुरूप अग्रिम अनुदान के लिए संसद द्वारा स्वीकृति ले ली जाती है, इसे 'तदर्थ बजट' या 'वोट ऑन एकाउंट' कहते हैं। वर्ष 1991-92 के लिए चन्द्रशेखर सरकार द्वारा बजट की प्रस्तुति में विलम्ब होने के कारण उपर्युक्त उपाय का आश्रय लिया गया था।

बजट की तैयारी

बजट दो भागों में बंटा होता है, बजट के एक भाग में संघीय सरकार की आय तथा दूसरे भाग में व्यय का विवरण होता है। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्री विभिन्न विभागों के वितरण के आधार पर नवीन कर अधिरोपित करने या बढ़ाने तथा कम करने संबंधी सुझाव तैयार करता है।

इसके पश्चात् वह अपने सुझावों के प्रारूप को मत्रिमंडल के समक्ष पेश करता है। वित्त मंत्री मंत्रिमंडल के सुझावों के अनुसार ही बजट को अंतिम रूप प्रदान करता है। बजट प्रस्तुत करने में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य विभिन्न विभागों से आने वाले वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय का विवरण इकट्ठा करना होता है। व्यय को दो भागों में बांटा जा सकता है-

(क) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय: जितने भी प्राक्कलन अर्थात् अनुमानित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते, किंतु प्रत्येक सदन इन अनुमानों पर चर्चा कर सकता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं–

- राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, एवं अन्य संबंधित व्यय।
- राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते।
- ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर है।
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को देय पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संदेय पेंशन।
- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन।
- कोई ऐसा अन्य व्यय जो संविधान द्वारा, संसद द्वारा या विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए।

भारत की संचित निधि वह जलाशय है, जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उनके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। अनुच्छेद 266(3) के अनुसार इस निधि में से विधि (अनुच्छेद 114 के अनुसार पारित विनियोग विधेयक) के अनुसार ही व्यय किया जाएगा।

(ख) अन्य सरकारी व्यय: उपर्युक्त सभी व्ययों के अतिरिक्त अन्य सभी सरकारी व्यय संसद में मतदान के लिए रखे जाते हैं। इन सभी पर लोकसभा में अनुमति प्रदान करने या न करने के लिए मतदान होता है, यथा-

- **अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की माँग:** अनुच्छेद 113 के अनुसार प्रत्येक अनुदान की माँग राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 115 के अनुसार यदि किसी योजना या परियोजना के लिए बजट में निर्धारित की गई राशि से अधिक की आवश्यकता होती है या उस, और उस सेवा के लिए प्रदान की गई राशि से अधिक धन व्यय हो गया है तो राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के समक्ष, उस अतिरिक्त धन को दर्शाने वाला विवरण रखवाएगा या लोकसभा में इस संबंध में मांग प्रस्तुत करेगा, जिस प्रकार बजट पारित होता है, उसी प्रकार यह अनुदान भी पारित किया जाता है।
- **लेखानुदान:** विशेष परिस्थितियों में जब अनुच्छेद 113 और 114 के तहत् बजट की प्रक्रिया पूरी करने में सरकार सक्षम न हो, तो संसद सरकार को अनुच्छेद 116 के तहत् लेखानुदान के रूप में वित्तीय कामकाज निपटाने के लिए धन प्रदान कर देती है, किन्तु जैसे ही सरकार बजट की प्रक्रिया पूरी करने में समर्थ हो जाती है, वैसे ही उसे संसद से अपना वार्षिक बजट पारित करवाना होता है। चन्द्रशेखर सरकार बजट पास करवाने में सक्षम न थी, इसलिए उसने लेखानुदान पारित करवाकर भारत सरकार के वित्तीय संतुलन को बनाए रखा।
- **अधिक अनुदान:** जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक धन व्यय हो गया हो तो राष्ट्रपति लोकसभा में अधिक अनुदान की मांग रखवाता है।

संसदीय समितियाँ

संसद अपना बहुत-सा कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। इन समितियों को कार्य की कुछ ऐसी विशेष मदों को निपटाने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए विशेषज्ञों द्वारा ब्यौरेवार विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में तो संसदीय समितियां संसद का लघुरूप ही बन गई हैं। संसद के दोनों सदनों में समिति व्यवस्था कुछ मामलों को छोड़कर एक जैसी है तथा उसकी नियुक्ति, कार्यकाल, कृत्य और कार्यवाही संचालन की प्रक्रिया लगभग समान है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 118(1) के तहत् दोनों सदनों के द्वारा बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा विनियमित होती है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं।

स्थायी समितियाँ

स्थायी समितियों का निर्वाचन या नियुक्ति प्रतिवर्ष या आवधिक रूप से की जाती है, इनका कार्य लगभग अनवरत रूप से चलता रहता है। स्थायी समितियों को उनके कृत्य के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

1. वित्तीय समिति

वित्त व्यवस्था पर संसदीय नियंत्रण वित्तीय समिति के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय समिति के अन्तर्गत निम्न समितियां आती हैं–

(क) प्राक्कलन समिति: प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। जिनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों से प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। यह परम्परा बन गई है कि विभिन्न दल और समूह, समिति के सदस्यों के रूप में अपने सदस्यों का नाम निर्देशन करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहां तक संभव हो समिति के एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाएं और शेष दो-तिहाई सदस्य पुन: समिति के सदस्य चुन लिए जाएं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता यदि मंत्री समिति का सदस्य बनता है, तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है।

समिति का मुख्य कार्य प्रशासन में "मितव्ययिता" और "दक्षता" सम्बन्धी सुझाव देना है। समिति प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकाल के प्रारंभ में आगामी वर्ष के लिए जांच हेतु तीन या चार मंत्रालय चुन लेती है और जैसे ही उनकी जांच पूरी होती है, वह अपनी रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करती है।

(ख) लोक-लेखा समिति: लोक-लेखा समिति में मूल रूप में केवल लोकसभा के ही 15 सदस्य होते थे, किन्तु 1954-55 से राज्यसभा के 7 सदस्यों को भी समिति में लिया जा रहा है। वर्तमान में समिति की सदस्य संख्या 22 है, जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष है और एक वर्ष पूर्व ही नई समिति के सभी सदस्यों का चुनाव करवा लिया जाता है।

समिति का मुख्य कार्य विनियोग लेखों की जांच करना है। इन लेखों में भारत सरकार के व्यय के लिए संसद द्वारा प्रदान की गई राशि का विनियोग किया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य यह देखना है कि संघ सरकार ने जो व्यय किया है, क्या उसकी मंजूरी संसद ने दी थी?

(ग) सरकारी उपक्रम समिति: सर्वप्रथम 1 मई, 1964 को सरकारी उपक्रमों, निगमों, कम्पनियों की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों की जांच करने एवं इन पर संसद का समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए 'सरकारी उपक्रम समिति' गठित की गई। इस समिति में 22 सदस्य (15 लोकसभा, 7 राज्यसभा) होते हैं, जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। यह एक स्थाई समिति है, फिर भी इसका गठन हर वर्ष किया जाता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं–

(i) ऐसे सरकारी उपक्रमों की रिपोर्ट तथा लेखों की जांच करना, जो विशेष रूप से समिति को इस प्रयोजन के लिए सौंपे गए हों।
(ii) सरकारी उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना।
(iii) सरकारी उपक्रमों की उत्पादन क्षमता एवं कार्य कुशलता की जांच करना।

समिति प्रत्येक वर्ष जांच के लिए ऐसे 8 से 10 तक उपक्रम चुनती है, जिस पर संसद में गंभीर चर्चा होती है।

2. सदन की समितियाँ

सदन से संबंधित निम्न समितियाँ हैं–

(क) कार्य मंत्रणा समिति: लोकसभा की इस समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार राज्यसभा की भी अपनी कार्य मंत्रणा समिति होती है। इसमें समिति के सभापति एवं उपसभापति के अतिरिक्त 11 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति अपने-अपने सदस्यों के नाम-निर्दिष्ट करते हैं। इस समिति के निम्न कार्य हैं:

(i) समिति यह सिफ़ारिश करती है कि सरकार के विधायी कार्यों तथा अन्य कार्यों के निपटाने के लिए कितना समय नियत किया जाए, लेकिन राज्यसभा में यह समिति यह भी सिफ़ारिश करती है कि गैर-सरकारी विधेयकों तथा प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए कितना समय नियत किया जाए।
(ii) यह समिति स्वयं सरकार से यह सिफ़ारिश कर सकती है कि किसी विशेष विषय पर सदन में विचार किया जाए या नहीं। समिति ऐसे विचार विमर्श के लिए समय नियत कर सकती है।
(iii) समिति राज्यसभा के सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का भी निर्वहन करती है।

(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति: इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति के 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है, जो प्रतिवर्ष 1 मई से प्रारम्भ होता है और 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। इस समिति के मुख्य कार्य हैं–

(i) अशासकीय सदस्यों द्वारा पुर: स्थापित किए गए विधेयकों की जांच करना, उनको बद्ध करना, उनके द्वारा रखे गए प्रस्तावों या संकल्पों पर विचार करना और तद्नुसार सिफ़ारिश करना आदि।
(ii) समिति अशासकीय सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के लिए समय नियत करती है।
(iii) समिति संविधान में संशोधन करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की जांच करती है।

(ग) सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति: सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के प्रार्थना-पत्रों और तत्संबंधी विषयों पर विचार करने के लिए यह समिति बनाई जाती है। लोकसभा में इसे सभा में बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थित सदस्यों संबंधी समिति कहा जाता है। लोकसभा में यह कार्य इस समिति के माध्यम से किया जाता है, जबकि राज्यसभा स्वयं यह कार्य करती है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनका नाम-निर्देशन अध्यक्ष करता है।

(घ) नियम समिति: संसद के दोनों सदनों में इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। समिति का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में सभापति तथा उपसभापति के साथ 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति अपने-अपने सदन की समितियों के पदेन सभापति होते हैं। इस समिति के कार्य निम्न हैं–

(i) सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के मुद्दों पर विचार-विमर्श करना।
(ii) सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन या परिवर्तन की सिफ़ारिश करना।

3. विषयगत समितियाँ

1989 में लोकसभा की नियम समिति ने विषय विभाग से संबंधित समितियों की स्थापना की सिफ़ारिश की थी। फ़लस्वरूप इस सिफ़ारिश के अनुसरण में तीन समितियों की स्थापना की गई थी। इन समितियों का गठन 22 सदस्यों द्वारा होता है। 1991 में नियम समिति ने पुन: यह सिफ़ारिश की कि सरकार के सभी विभागों के लिए विषयगत समिति की स्थापना की जाए, जिससे कोई भी क्षेत्र संसदीय जांच के क्षेत्र से बाहर न हो। 1989 की सिफ़ारिश के आधार पर तीन विषयगत समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से 15 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद् का कोई भी सदस्य इनका सदस्य नहीं होता। विषयगत समिति तथा उसके द्वारा संपादित कार्य निम्न हैं–

(क) कृषि समिति: इस समिति के मुख्य कार्य हैं–

- यह समिति कृषि मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों की जांच करती है।
- यह समिति कृषि से संबंधित अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के अधीन आने वाले विषयों पर भी विचार कर सकती है।
- इसके अतिरिक्त कृषि उद्योगों के सर्वांगीण विकास द्वारा देश की आर्थिक प्रगति में सक्षम योगदान देने के लिए आवश्यक सिफ़ारिश भी कर सकती है।

(ख) पर्यावरण तथा वन समिति: इस समिति का कार्य उन सभी मामलों की जांच करना है, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आते हों या इन मंत्रालयों के अधीन आने वाले विषयों से संबंधित हों। यह पर्यावरण और वन सम्पदा के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए भी सिफ़ारिश कर सकती है।

EBD_7939

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति: यह समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इससे संबंधित विभागों, संगठनों तथा इनसे संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श कर सकती है तथा नयी-नयी आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं के अधिकतम प्रयोग और आधुनिकीकरण द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए उचित सिफ़ारिश कर सकती है।

4. जांच समिति

जांच समिति के अन्तर्गत निम्न समितियां आती हैं-

(क) याचिका समिति: संसद के दोनों सदनों में याचिका समिति होती है। लोकसभा की इस समिति में 15 तथा राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। यह समिति बहुत पुरानी समिति है तथा इसका प्रादुर्भाव सन् 1921 से माना जाता है। इसका कार्यकाल एक वर्ष होता है। इस समिति के मुख्य कार्य हैं–

- यह समिति प्रत्येक ऐसी याचिका की जांच करती है, जो सदन में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् इसे सौंपी जाती है।
- सदन में पेश की गई तथा समिति को निर्दिष्ट की गई याचिका पर यह अपनी रिपोर्ट पेश करती है।
- समिति या तो समीक्षाधीन विशिष्ट मामलों में या भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए उपचारात्मक सुझाव देती है।
- विभिन्न व्यक्तियों से और संघों से प्राप्त पत्रों एवं तारों सहित उन अभ्यावेदनों पर विचार करती है, जो याचिका संबंधी नियम के अधीन न आते हों और इनके उचित निपटारे के लिए उचित निर्देश देती है।

(ख) विशेषाधिकार समिति: संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रतिवर्ष विशेषाधिकार समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस समिति के मुख्य कार्य हैं–

- जब संसद के किसी सदन या सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो ऐसे प्रश्न की जाँच इस समिति द्वारा की जाती है।
- विशेषाधिकार के अतिक्रमण के मामलों की जांच करके समिति उस पर अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट के आधार पर विशेषाधिकार का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को दण्डित किया जाता है।

(5) छानबीन समितियाँ

ये समिति विभिन्न विभागों एवं उन पर गठित समितियों के कार्यों की छानबीन करती हैं, इसके अन्तर्गत निम्न समितियां आती हैं–

(क) **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति:** इस समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं-20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। ये सदस्य संसद के अलग-अलग सदनों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते हैं। समिति अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण से संबंधित उन सभी मामलों पर विचार करती है, जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह इस बात पर भी नजर रखती है कि इन वर्गों से संबंधित संवैधानिक रक्षोपायों का उचित क्रियान्वयन किया जाए।

(ख) **सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति:** यह समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा से इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य। इन सदस्यों का कार्यकाल अधिक-से-अधिक एक वर्ष होता है। यह समिति अपने-अपने सदनों में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की छानबीन करती है तथा इस संबंध में रिपोर्ट देती है कि मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन कहां तक पूरे हुए हैं और यदि आश्वासन पूरे किए गए हैं, तो क्या आश्वासन कम-से-कम समय में पूर किए गए हैं।

(ग) **सभापटल पर रखे पत्रों संबंधी समिति:** यह समिति संसद के प्रत्येक सदन द्वारा गठित की जाती है। लोकसभा में इस समिति के 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। इसका गठन 1975 से प्रारम्भ किया गया। इसका कार्य सभापटल पर रखे गये सभी पत्रों की जांच करना है और यदि पत्र सदन में अवैध रूप से या अत्यधिक विलम्ब से रखे गये हों, तो जांच कर प्रतिवेदन देना है।

(घ) **अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति:** दोनों सदनों की इस समिति में 15-15 सदस्य होते हैं, जो लोकसभाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि समिति यह जाँच करे कि संविधान या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विधायन, जो नियम, उपनियम, विनियम आदि बनाने के लिए स्थानीय निकायों या प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं।

6. सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली समितियाँ

इसके अन्तर्गत निम्न समितियाँ आती हैं–

(क) **ग्रन्थालय समिति:** ग्रन्थालय समिति, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, यह समिति संसद के ग्रन्थालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है।

(ख) **सामान्य प्रयोजन समिति:** यह समिति सभा के कार्यों संबंधी ऐसे मामलों पर विचार करती है जो किसी अन्य संसदीय समिति के यथोचित अधिकार क्षेत्र में नहीं आते और अध्यक्ष/सभापति को सलाह देती है।

(ग) **आवास समिति:** यह समिति सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है।

(घ) **लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति:** यह समिति लाभ के पदों संबंधी नियन्त्रण रखने का कार्य करती है। यह दोनों सदनों की संयुक्त समिति है तथा इसमें लोकसभा के 10 सदस्य तथा राज्यसभा के 5 सदस्य शामिल किये जाते हैं।

तदर्थ समितियाँ

ऐसी समितियों को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है–

1. विशिष्ट विषयों पर विचार और प्रतिवेदन देने संबंधी समितियाँ

ऐसी समितियाँ जिन्हें विशिष्ट विषयों पर विचार करने तथा अपना प्रतिवेदन देने हेतु दोनों सदनों द्वारा अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा समय-समय पर तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर गठित किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कतिपय सदस्यों के आचरण संबंधी समिति, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप संबंधी समिति आदि।

2. प्रवर अथवा संयुक्त समितियां

विधेयकों संबंधी प्रवर अथवा संयुक्त समितियां, जो विधेयकों पर विचार करने तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से भिन्न हैं क्योंकि ये विधेयकों से संबंधित होती हैं। इनमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रक्रिया संबंधी नियमों अध्यक्ष/सभापति द्वारा दिए गए निर्देशों से निर्धारित होते हैं।

अभ्यास प्रश्न-1

1. यदि लोकसभा सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
   (a) मंत्रिपरिषद् बर्खास्त हो जाएगी
   (b) लोकसभा भंग हो जाएगी
   (c) प्रधानमंत्री को पदत्याग करना होगा
   (d) उपरोक्त सभी
2. राज्यसभा के विशिष्ट अधिकारों के संबंध में क्या असत्य है?
   (a) लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपात् उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा करती है।
   (b) राज्यसभा अपने दो-तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत कर सकती है।
   (c) राज्यसभा अपने दो-तिहाई बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
   (d) राज्यसभा अपने सभापति का निर्वाचन करती है।
3. लोकसभा के संबंध में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
   (a) मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण रखना।
   (b) धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
   (c) केवल संशोधन विधेयक पर लोकसभा को राज्यसभा के समानान्तर शक्तियाँ प्राप्त हैं।
   (d) लोकसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
4. निम्नलिखित में से कौन-सा एक, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है?
   (a) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन
   (b) यह जाँच करना कि सदन के सदस्यों का चुनाव प्रमाणपत्र नियमानुसार है या नहीं
   (c) सदन के सदस्यों को शपथ दिलवाना तथा नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्यभार लिए रहना
   (d) सदन द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देना
5. एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति विभाजन के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उनमें से एक नहीं है?
   (a) यह विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को कम करता है।
   (b) बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपता।
   (c) चूँकि सरकार की नीतियों से सभी प्रभावित होते हैं, अत: देश के शासन में उनकी सलाह ली जानी चाहिए।
   (d) यह निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाता है तथा देश की एकता की संभावना को उन्नत करता है।
6. भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में, 'समापन' (क्लोजर) शब्द क्या निर्दिष्ट करता है?
   (a) संसद की एक दिन बैठक की समाप्ति पर चर्चा का निलम्बन
   (b) विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है
   (c) संसद सत्र की समाप्ति
   (d) विपक्ष को महत्त्वपूर्ण दस्तावेज दिखाने से सरकार की ओर से इन्कार
7. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
   (a) संसद दो या दो से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का उपबंध कर सकती है।
   (b) संसद संबंधित राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल के अनुरोध पर ही उनके लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकेगी।
   (c) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर ही संसद दो या अधिक राज्यों अथवा राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकेगी।
   (d) संविधान द्वारा संसद को ऐसी कोई अधिकारिता प्रदान नहीं की गई है।
8. किसी विधेयक के संबंध में बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक में उस विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है?
   (a) दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से
   (b) दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से
   (c) दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से
   (d) दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों की सर्वम्मति से
9. किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त करने की परम्परा है?
   (a) अनुमान समिति (b) लोक उद्यम समिति
   (c) लोक लेखा समिति (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
10. भारतीय संसद में शून्य काल कब शुरू होता है?
   (a) बैठक के पहले घंटे पर
   (b) बैठक के अन्तिम घंटे पर
   (c) दोपहर 12.00 बजे
   (d) कोई नियत समय नहीं है
11. लोकसभा का कार्यकाल
   (a) किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता
   (b) एक बार मे छ: महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है
   (c) अपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है
   (d) आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में दो वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है
12. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?
   (a) लोकसभा में, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण, जिन पर वह आधारित है, देना आवश्यक है।
   (b) लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं।
   (c) यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए, तो इजाजत मिलने के दस दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है।
   (d) राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है।

EBD_7939

13. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है?
    (a) धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है
    (b) लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अन्तिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं
    (c) लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अन्दर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है
    (d) राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोक सभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता
14. सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्न में से कौन-सा है?
    (a) संविधान की लोचशीलता
    (b) कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन
    (c) न्यायपालिका की सर्वोच्चता
    (d) संसदीय सम्प्रभुत्ता
15. भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है?
    (a) राष्ट्रपति (b) उच्चतम न्यायालय
    (c) प्रधानमन्त्री (d) संसद
16. अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है?
    (a) उच्चतम न्यायालय (b) संसद
    (c) मन्त्रिपरिषद् (d) प्रधानमंत्री
17. संसद के संयुक्त सत्रों को कौन सम्बोधित करता है?
    (a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमन्त्री
    (c) राज्यसभा का चेयरमैन (अध्यक्ष)
    (d) लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर)
18. एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?
    (a) केवल राज्य परिषद् (राज्यसभा) में
    (b) केवल लोकसभा में
    (c) संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी
    (d) उपरोक्त में से किसी में भी नहीं
19. यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं, तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा?
    (a) सदन द्वारा नामित सदस्य
    (b) लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य
    (c) सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य
    (d) राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य
20. निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है?
    (a) राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद्
    (b) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
    (c) राष्ट्रपति और संसद के दो सदन
    (d) लोकसभा और राज्यसभा
21. सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है?
    (a) संसदीय प्रणाली (b) राष्ट्रपति प्रणाली
    (c) संघीय प्रणाली (d) एकात्मक प्रणाली
22. किसने कहा था? "संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत"?
    (a) जवाहरलाल नेहरू (b) एम के गाँधी
    (c) डॉ. बी आर अम्बेडकर (d) सरदार पटेल
23. यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे, तो उसे कहते हैं
    (a) स्टैण्डिंग समिति (b) तदर्थ समिति
    (c) संयुक्त समिति (d) स्थायी समिति
24. भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन-सा है?
    (a) राज्यसभा (b) लोकसभा
    (c) लोकसभा भी और राज्यसभा भी
    (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
25. लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है?
    (a) साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व (b) वृत्तिगत प्रतिनिधान
    (c) आनुपातिक प्रतिनिधित्व (d) भू-भागीय प्रतिनिधित्व
26. संसदीय प्रकार की सरकार में "वह बराबर वालों में पहला होता है" वह कौन है?
    (a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री
    (c) विपक्ष का नेता (d) निचले सदन का अध्यक्ष
27. भारत की संसद द्वारा दल-बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था?
    (a) वर्ष 1984 (b) वर्ष 1985
    (c) वर्ष 1986 (d) वर्ष 1988
28. निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
    (a) राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए
    (b) लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए
    (c) राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए
    (d) ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए
29. संसद में शामिल हैं
    (a) राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
    (b) लोकसभा और राज्यसभा
    (c) लोकसभा और विधानसभा
    (d) विधानसभा, विधानपरिषद् और लोकसभा
30. लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे
    (a) रवि राय (b) हुकुम सिंह
    (c) एम अनन्तशयनम् (d) जी वी मावलंकर
31. निम्नलिखित में से कौन-सा संसद से सम्बन्धित नहीं है?
    (a) आमुख (b) स्थगन
    (c) भंग करना (d) बर्खास्त करना
32. राज्य सभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है?
    (a) दो वर्ष (b) चार वर्ष
    (c) पाँच वर्ष (d) छ: वर्ष

EBD_7939

33. यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग-पत्र देना चाहे, तो वह अपना त्याग-पत्र निम्नलिखित में से किसको सम्बोधित करेगा?
(a) भारत के राष्ट्रपति (b) उपाध्यक्ष
(c) प्रधानमन्त्री (d) मन्त्रिमण्डल

34. लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था?
(a) एक बार (b) दो बार
(c) तीन बार (d) इनमें से कोई नहीं

35. यदि राज्य सभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात् क्या होगा?
(a) लोक सभा, राज्य सभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है
(b) लोक सभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती
(c) लोक सभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य सभा को लौटा सकती है
(d) राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है

36. जब संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट (रेफर) किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है?
(a) उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत
(b) उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का तीन-चौथाई बहुमत
(c) सदनों का दो-तिहाई बहुमत
(d) सदनों का पूर्ण बहुमत

37. अस्थायी अध्यक्ष का क्या कार्य है?
(a) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करना
(b) जब अध्यक्ष का निर्वाचन होना असंभावित हो, अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्ना होना
(c) नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण किए रहना एवं सदस्यों को शपथ दिलाना
(d) सदस्यों के निर्वाचन प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की संवीक्षा करना

38. संसद में बजट पारित करने का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए:
(a) लेखानुदान-वित्त विधेयक-विनियोग विधेयक-बजट पर चर्चा
(b) वित्त विधेयक-विनियोग विधेयक-बजट पर चर्चा-लेखानुदान
(c) बजट पर चर्चा-लेखानुदान-वित्त विधेयक-विनियोग विधेयक
(d) बजट पर चर्चा-विनियोग विधेयक-वित्त विधेयक-लेखानुदान

39. लोक सभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
(a) सदन में बहुमत वाले दल द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव को अपनाकर
(b) सदन की कुल सदस्यता के कम-से-कम आधे सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा
(c) सदन की कुल सदस्यता के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा
(d) सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा

40. राज्य सभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं?
(a) उनकी जनसंख्या के अनुसार
(b) समान रूप से
(c) जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार पर
(d) वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर

41. भारत की संसद के बारे में, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
(a) राष्ट्रपति, लोक सभा और राज्य सभा से संसद बनती है
(b) लोक सभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं
(c) राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता है
(d) राज्य सभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित (मनोनीत) होते हैं

42. भारतीय संविधान के अंतर्गत, वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है?
(a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री
(c) केंद्रीय मंत्रिपरिषद (d) संसद

43. राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है?
(a) राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा।
(b) लोकसभा के सदस्यों द्वारा।
(c) भारत की जनता द्वारा
(d) विधान परिषद के सदस्यों द्वारा।

अभ्यास प्रश्न-2

1. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किस योग्यता का होना आवश्यक नहीं है?
1. वह किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए।
2. वह कम-से-कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए।
3. उसे सक्षम न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
4. वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।

कूट:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) 2 और 4

2. यह परम्परा है कि कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद
1. अपने राजनीतिक दल से संबधं तोड़ लेगा
2. संसद का सदस्य नहीं रहेगा
3. वह दलीय रूप से असक्रिय व्यक्ति हो जाएगा
4. वह दलीय व्यक्ति हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा कथन सत्य है?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 3 (d) केवल 4

3. निम्नलिखित समितियों में से कौन-कौन सी संसदीय समितियाँ हैं?
1. लोक लेखा समिति
2. प्राक्कलन समिति
3. सरकारी उपक्रम समिति

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए:
(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

4. संसद की किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है?
   1. लोक लेखा समिति
   2. लोक उद्यम समिति
   3. अनुमान समिति
   4. नई स्थायी ससंदीय समितिंया

   उपर्युक्त में से सही का चयन कीजिए
   (a) केवल 1
   (b) 1 और 2
   (c) केवल 3
   (d) उपरोक्त किसी भी समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यें में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है।
   2. भारत के संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को उठा लिया

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. संसदीय कार्य मंत्रालय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की परामर्शदात्री समिति गठित करता है।
   2. इन समितियों का मुख्य प्रयोजन सरकार और सांसदों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में औपचारिक विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करना है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

7. संसदीय समितियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. राज्यसभा के सदस्य सार्वजनिक लेखा एंव सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से जुड़े नहीं होते हैं।
   2. प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा एंव राज्यसभा दोनों से ही लिए जाते हैं।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) 2 केवल
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. निम्नलिखित दशाओं में से किस/किन में लोकसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि वापस लौटाई जाती है?
   1. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत नामांकन अवैध पाया जाता है।
   2. वैध पाये जाने के बावजूद उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है।
   3. उम्मीदवार चुनाव में पराजित हो जाता है, परन्तु वह मतदान में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) 2 और 3 (d) केवल 1

9. भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित हैं?
   1. राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा।
   2. संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी।

   कूट
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. लोक-लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य सम्बन्धित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं।
    2. संसदीय कार्य मन्त्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मन्त्रिमण डलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है।
    3. विभिन्न मन्त्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषद्, मण्डलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्यमन्त्री संसद-सदस्यों को नामित करते हैं

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. संसद का वर्षाकालीन सत्र जुलाई के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन ही शुरू होता है।
    2. संसद का दूसरा सत्र, बजट सत्र के रूप में संविधान में वर्णित किया गया था।
    3. शीतकालीन सत्र नवम्बर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आरम्भ होता है और दिसम्बर के तीसरे सप्ताह के साथ समाप्त होता है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) केवल 3 (d) ये सभी

12. भारतीय संविधान द्वारा किसी सांसद को जो सदन में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपने आपको पर्याप्तत: अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसे सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने का आदेश प्रदान करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
    (a) राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा उनकी जगह पर सदन में कार्यरत् पदासीन व्यक्ति
    (b) लोकसभा का सभापति अथवा उनकी जगह पर सदन में कार्यरत् पदासीन व्यक्ति
    (c) सदन का नेता
    (d) (a) और (b) दोनों

13. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है-

    कथन (A) : संसद और राज्य विधानमण्डलों में महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

    कारण (R) : चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दल, बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके तैंतीस प्रतिशत का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं।

ऊपर के दोनों वक्तव्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

कूट:

(a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है
(b) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
(c) A सही है परन्तु R गलत है
(d) A गलत है परन्तु R सही है

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है।
2. लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी।
3. भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन)बिल को पारित करने के लिए हुई थी।

इन कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोक सभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारम्भ किया जा सकता है।
2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की माँग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमण्डल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

16. भारत की संसद के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. गैर-सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किन्तु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट है।
2. हाल ही में, भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर-सरकारी विधेयक पारित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

17. लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र
(a) भारत मे निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
(b) जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
(c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में है, दाखिल किया जा सकता है।
(d) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है।

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में, जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए, किए गए मतदान का कम से कम 50 प्रतिशत पाना अनिवार्य है।
2. भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, लोक सभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

19. निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
1. केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है।
2. आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 तथा 2 (d) न ही 1 तथा न ही 2

20. भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. वित्तीय आपात की उद्घोषणा (Proclamation of financial emergency) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।
2. यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो, तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परन्तु जिनके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

21. लोक सभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
2. यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परन्तु उसे अपने निर्वाचन के बाद छः माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा।
3. यदि वह त्यागपत्र देना चाहे, तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सम्बोधित करना होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) 1, 2 और 3 (d) कोई भी नहीं

22. लोक सभा और राज्य सभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति/किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है?
1. साधारण विधि-निर्माण को पारित करने की स्थिति में
2. धन-विधेयक को पारित करने की स्थिति में
3. संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

EBD_7939

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. राज्य सभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।
    2. राज्य सभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
    3. राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
    1. भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है।
    2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? **[IAS Prelims-2018]**
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

25. भारत के महान्यायवादी के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    2. उसके पास वही अर्हतायें होनी आवश्यक हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं।
    3. अपने कर्तव्यों के परिपालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में श्रवणाधिकार होगा।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. लोक सभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितारित है।
    2. भारत के संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम ने, 42वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन पर लगे रोक को उठा लिया।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नांश में दो कथन हैं, कथन I और कथन II. इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और इन प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए:

कूट:

(a) दोनों कथन व्यष्टित: सत्य हैं, और कथन II, कथन I का सही स्पष्टीकरण है।

(b) दोनों कथन व्यष्टित: सत्य हैं, किन्तु कथन II, कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(c) कथन I सत्य है, किन्तु कथन II असत्य है।

(d) कथन I असत्य है, किन्तु कथन II सत्य है।

27. **कथन I :** कानून के समक्ष समानता का सिद्धान्त भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता।
    कथन II : भारत के संविधान के तहत कुछ विशेष अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं।

28. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता/विशेषताएँ संघीय राज्य के मानकों के विपरीत है/हैं?
    1. सामान्य अखिल भारतीय सेवा
    2. एकल एकीकृत न्यायपालिका

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

    कूट:
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

29. लोक सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
    1. अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो प्रधानमंत्री नियत करे और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेगा।
    2. उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करे और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेगा।
    3. इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन दोपहर से पहले किसी समय, कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकता है कि दूसरे सदस्य को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाये।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 2
    (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

30. किसी संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित किस सिद्धान्त/किन सिद्धान्तों पर ध्यान दिया जाता है?
    1. ऐसे सदस्यों का संघ जिनका सदन के भीतर और बाहर एक संगठन हो।
    2. ऐसे सदस्यों का संघ जिनकी संख्या, सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम-से-कम एक-तिहाई हो।
    3. ऐसे सदस्यों का संघ जिनका संसदीय कार्य का एक विशिष्ट कार्यक्रम हो।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1
    (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

31. संसद की विधायी शक्ति में विधियाँ बनाना सम्मिलित है-
    1. समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं प्रगणित किसी भी विषय पर
    2. राज्य सूची की प्रविष्टियों के सम्बन्ध में, यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमण्डल इसे वांछनीय मानें।
    3. किसी देश के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए, चाहे वह राज्य सूची में आता है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

32. लोक सभा के उपाध्यक्ष से सम्बन्धित कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. 1950 में भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने के बाद उपाध्यक्ष के पद को और अधिक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ।
    2. उसका निर्वाचन सदस्यों के मध्य से ही होता है।
    3. वह पद पर तब तक बना/बनी रह सकता/सकती है जब तक वह सदन का/की सदस्य/सदस्या बना/बनी रहे।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1
    (b) केवल 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3
    (d) केवल 2 और 3

33. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?
    (a) केन्द्र सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य में किसी सेवा को समुदाय के लिए अत्यावश्यक महत्त्व की सेवा विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी करे।
    (b) ऐसी अधिसूचना छह मास तक विधिमान्य रहती है।
    (c) जब ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त रहती है, तब सेना अधिनियम, 1950, वायुसेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन सभी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए प्रत्येक समादेश का पालन करें।
    (d) सशस्त्र बल (आपात कर्त्तव्य) अधिनियम, 1947 के उपबंध सशस्त्र बलों को आपात में सौंपी गई अत्यावश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

34. संसद की नये राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही **नहीं** है?
    (a) संसद विधि द्वारा नये राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेर-बदल कर सकती है।
    (b) इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता।
    (c) इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है।
    (d) इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी।

35. अंतरिम बजट और लेखानुमोदन के बीच अंतर पर विचार कीजिए:
    1. लेखानुमोचन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, किन्तु अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों को शामिल किया जाता है।
    2. स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1, न ही 2

36. स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
    1. यह एक असाधारण प्रक्रिया है, जिसमें सदन के सामान्य कामकाज को दरकिनार कर दिया जाता है।
    2. राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है।
    3. इसमें सरकार की निंदा की जा सकती है।
    4. इसे लाने के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) 1, 2 और 3
    (b) 2, 3 और 4
    (c) 1, 2 और 4
    (d) 1, 3 और 4

37. राज्यसभा की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. इसके दो-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
    2. राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन होता है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1, न ही 2

38. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    2. लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग एवं व्यापार के कुछ जाने-माने व्यक्ति शामिल होते हैं।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1, न ही 2

39. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है तथा सांविधानिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इसका सभापति नियुक्त किया जाता है।
    2. लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2
    (d) न तो 1, न ही 2

EBD_7939

40. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. संसदीय कार्यवाही के अन्तर्गत आनेवाला शून्य-काल एक संवैधानिक व्यवस्था है।
    2. यह दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलने के कारण शून्यकाल कहा जाता है, किन्तु फिर भी यह स्थायी नियम नहीं है।
    3. सातवीं लोक सभा में शून्यकाल 5 से 15 मिनट तक चलता रहा।
    4. नौंवी लोकसभा में शून्यकाल कभी-कभी दो-दो घंटे चलता रहा।

    निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए:
    (a) 1 और 2
    (b) 1 और 3
    (c) 1, 2 और 4
    (d) 2, 3 और 4

41. संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. तारांकित प्रश्नों का सदन में लिखित उत्तर दिया जाता है तथा ऐसे प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।
    2. अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा ऐसे प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
    3. अल्प-सूचना प्रश्न, वह प्रश्न है जो किसी अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले संबंधित हों।

    निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए:
    (a) 1 और 2
    (b) केवल 2
    (c) 2 और 3
    (d) केवल 3

42. लोकसभा के विघटन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. लोकसभा में लम्बित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं।
    2. राज्यसभा में लम्बित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, समाप्त हो जाते हैं।
    3. यदि विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया हो तो उस पर लोकसभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) केवल 1 और 2
    (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3
    (d) केवल 3

43. राज्यसभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं।
    2. राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उस राज्य का निवासी होना चाहिए।
    3. राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर होता है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) केवल 1
    (b) केवल 1 और 2
    (c) 2 और 3 दोनों
    (d) 1, 2 और 3

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 25 सदस्य हो सकते हैं
    2. लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के शीर्षस्थ व्यक्ति होते हैं।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1, न ही 2

45. संसद में नियम 377 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. नियम 377 के उपबंध का प्रथम बार प्रयोग 14 मई, 1996 को किया गया, जब पुलिस द्वारा एक संसद सदस्य के साथ किए गए दुर्व्यवहार संबंधी मामले को उठाया गया।
    2. जो सदस्य नियम 377 के अधीन कोई मामला उठाना चाहता है वह संक्षेप में, मुद्दा बताते हुए और साथ ही उसको उठाने का कारण बताते हुए लिखित रूप में महासचिव को सूचना देता है।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2
    (d) न तो 1, न ही 2

46. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. लोकसभा में सामान्यत: सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सदन की बैठक के आरंभ में आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों से उत्पन्न मामलों पर चर्चा की जाती है, जिसका उत्तर सदन में दिया जा चुका है।
    2. इस प्रकार की चर्चा को उठाने के लिए पूर्ण सूचना की आवश्यकता नहीं होती है।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2
    (d) न तो 1, न ही 2

47. निम्न में से कौन-सा कथन राज्यों के निर्माण के बारे में सही है/हैं?
    1. संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
    2. इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा।
    3. इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा।

4. इस प्रयोजन के लिए संसद में तब तक पुन:स्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक इसे उस राज्य वे विधानमण्डल को निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है।

निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन करें:

(a) 1, 2 और 3
(b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4
(d) 1, 3 और 4

48. अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की प्रक्रिया के तहत् अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुन:स्थापित किया जा सकता है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) न तो 1, न ही 2

49. निम्नलिखित में से किसको भारत की संचित निधि से वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है:
1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
2. उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
3. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

50. राज्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्य सभा भी कहा जाता है, की घोषणा सभापीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त, 1954 को की गई थी।
2. भारत में द्वितीय सदन का प्रारम्भ भारत परिषद अधिनियम, 1909 या मार्ले-मिन्टो सुधारों से हुआ।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

51. विभागीय स्थायी समिति के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्थायी समिति बजट चर्चा के दौरान संसद को ज्यादा बेहतर ढंग से मदद करती है।
2. इस समिति का एक उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका की अत्यधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) न तो 1, न ही 2

52. भारतीय संसद का बहुत-सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियाँ कहते हैं। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तदर्थ समितियाँ प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहता है।
2. लोकसभा की स्थायी समितियों में तीन वित्तीय समितियों, यानी लोक लेखा समिति, प्राकक्लन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

53. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम (पी. बीपीटी), 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दी है। पीबीपीटी अधिनियम के तहत किन जगहों पर तीन अतिरिक्त खंडपीठों के साथ निर्णयन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा?

(a) कोलकाता, मुम्बई और बेंगलुरु
(b) गुवाहाटी, मुम्बई और चेन्नई
(c) कोलकाता, बेंगलुरु और गुवाहाटी
(d) कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई

54. अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम 198 के तहत् व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब

(a) वह गठबंधन सरकार चलाता हो
(b) जब उसके पास कम सांसद हों
(c) वह लोकसभा का सदस्य हो
(d) वह राज्यसभा का सदस्य हो

55. राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?
1. राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है
2. राज्यसभा में, 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं
3. अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं

EBD_7939

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1

56. लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरर्हित नहीं हो जाता, यदि वह सदस्य:

(a) जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था/आयी थी, उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता/देती है

(b) जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था/हुई थी, उससे निष्कासित कर दिया गया/दी गई हो

(c) एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है

(d) अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निदेश के विपरीत मतदान से प्रविरत रहता हो

57. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय

(a) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे छ: माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए।

(b) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे छ: माह के अंदर लोक सभा का सदस्य हो जाना चाहिए।

(c) संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए।

(d) आवश्यक रूप से लोक सभा सदस्य होना चाहिए।

58. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **[IAS Prelims 2019]**

1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को 'लाभ का पद' के आधार पर निरर्हता से छूट देता है।
2. उपर्युक्त अधिनियम पाँच बार संशोधित किया गया था।
3. शब्द 'लाभ का पद' भारत के संविधान में भली-भाँति परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(d)	**6**	(b)	**11**	(c)	**16**	(b)	**21**	(a)	**26**	(b)	**31**	(d)	**36**	(a)	**41**	(b)		
2	(d)	**7**	(a)	**12**	(a)	**17**	(a)	**22**	(c)	**27**	(b)	**32**	(d)	**37**	(c)	**42**	(d)		
3	(d)	**8**	(a)	**13**	(a)	**18**	(b)	**23**	(c)	**28**	(c)	**33**	(b)	**38**	(c)	**43**	(a)		
4	(c)	**9**	(c)	**14**	(b)	**19**	(c)	**24**	(b)	**29**	(a)	**34**	(a)	**39**	(d)				
5	(d)	**10**	(c)	**15**	(d)	**20**	(c)	**25**	(d)	**30**	(d)	**35**	(a)	**40**	(a)				

अभ्यास-2

1	(a)	**7**	(d)	**13**	(d)	**19**	(a)	**25**	(b)	**31**	(d)	**37**	(b)	**43**	(a)	**49**	(b)	**55**	(a)
2	(c)	**8**	(b)	**14**	(d)	**20**	(a)	**26**	(c)	**32**	(c)	**38**	(a)	**44**	(d)	**50**	(a)	**56**	(b)
3	(d)	**9**	(c)	**15**	(d)	**21**	(b)	**27**	(d)	**33**	(b)	**39**	(b)	**45**	(c)	**51**	(d)	**57**	(a)
4	(d)	**10**	(d)	**16**	(d)	**22**	(a)	**28**	(c)	**34**	(d)	**40**	(d)	**46**	(d)	**52**	(b)	**58**	(a)
5	(b)	**11**	(d)	**17**	(c)	**23**	(b)	**29**	(a)	**35**	(a)	**41**	(d)	**47**	(c)	**53**	(d)		
6	(c)	**12**	(d)	**18**	(d)	**24**	(a)	**30**	(c)	**36**	(d)	**42**	(c)	**48**	(b)	**54**	(d)		

EBD_7939

राज्य की कार्यपालिका

9 अध्याय

राज्यों में सरकार की प्रणाली केन्द्र की प्रणाली के निकट सदृश है। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में उल्लेख है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। केन्द्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख (अध्यक्ष) होता है; उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत में केवल जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों में लगभग वैसी ही शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जैसी केन्द्र में अर्थात् संसदीय शासन व्यवस्था। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद् होती है। आमतौर पर राज्यपाल अपनी शक्तियों का उपयोग मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा, जोकि राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु, संविधान के अनुसार राज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों का उपयोग करते समय राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

राज्यपाल

संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद् राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है।

राज्यपाल की नियुक्ति

- जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, लेकिन उसे इससे पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
- संविधान के अनुसार, राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते राज्यपाल दो भूमिकाएं अदा करता है-एक तो राज्य के प्रमुख के रूप में, दूसरी केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जो केन्द्र तथा राज्य के बीच कड़ी के रूप में काम करता है।
- अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
- 1956 में किए गए संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप भी में नियुक्त किया जा सकता है।
- 1972 में उत्तर-पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार उत्तर-पूर्व क्षेत्र के पाँच राज्यों असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में उसी प्रकार निहित होगी, जैसे संघ में राष्ट्रपति में निहित होती है।
- राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के समान किसी निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित नहीं होता, बल्कि अनुच्छेद 155 के तहत् राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल पद के लिए योग्यता

अनुच्छेद 157 और 158 के अनुसार राज्यपाल के लिए नियुक्त व्यक्ति में निम्न योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. वह राज्यपाल पद के लिए अयोग्य माने जाने वाले किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो।
4. वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो।

राज्यपाल का वेतन एवं उन्मुक्तियाँ

1. राज्यपाल को 3.5 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता है।
2. राज्यपाल निःशुल्क सरकारी निवास 'राजभवन' (जो राज्य की राजधानी में स्थित होता है) का उपयोग करता है।
3. यदि राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करे।
4. राज्यपाल को ऐसे अन्य भत्ते एवं विशेषाधिकार उपयोग करने का अधिकार है जो राज्यपाल (परिलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 के द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इस कारण ये मत-निरपेक्ष हैं अर्थात् इस पर विधानमंडल को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

शपथ ग्रहण

अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है कि वह राज्यपाल का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा तथा राज्य की सेवा एवं कल्याण में लगा रहेगा।

राज्यपाल का कार्यकाल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अन्तर्गत राज्यपाल की कार्यावधि के संबंध में निम्न प्रावधान दिये गए हैं-

1. राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेगा।
2. राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने लिखित पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।
3. राज्यपाल, अपनी नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष तक पदधारण करेगा। राज्यपाल पुनः राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।

केन्द्र में उपराष्ट्रपति के समान राज्यों में किसी उप राज्यपाल की व्यवस्था नहीं है। अतः राज्यपाल अपनी पदावधि पूरी कर लेता है तो वह नए राज्यपाल के पद पर आने तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पदधारण किये रहता है। किन्तु, यदि राज्यपाल मृत्यु या अन्य किसी कारण से पदधारण की स्थिति में नहीं है, तो प्रायः किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को प्रभावित राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है।

राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार

राज्यपाल को निम्नलिखित उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं–

1. राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की अपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की जा सकती।
2. जब वह पदासीन हो तो उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती।
3. राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले या बाद में उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कार्य के संबंध में कोई दाण्डिक कार्यवाही करने से पूर्व उसे दो माह की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।
4. राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

राज्यपाल की शक्तियाँ

राज्यपाल को कोई राजनयिक एवं सैन्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते प्राप्त हैं। राज्यपाल को प्राप्त प्रमुख शक्तियाँ इस प्रकार हैं–

(क) कार्यकारी शक्ति

अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती हैं। इनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित हैं–

1. राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और ये मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पदधारण करते हैं। अनुच्छेद 166 के अनुसार कार्यपालिका संबंधी समूचा कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्यपाल राज्य के और सुविधाजनक कार्य-निष्पादन तथा मंत्रियों के बीच काम के आवंटन के बारे में नियम बना सकता है। मंत्रिपरिषद् का कोई निर्णय सरकारी आदेश के रूप में तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक कि उसे राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त न किया जाए और उसका विधिवत अधिप्रमाणन न हो।
2. राज्यपाल, राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, किन्तु अनुच्छेद 317 के अनुसार आयोग के सदस्य, कुछ निरर्हताओं के कारण उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किये जा सकते हैं, राज्यपाल द्वारा नहीं।
3. राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति इस संबंध में अनुच्छेद 217(1) के अधीन राज्यपाल से परामर्श करता है।
4. राष्ट्रपति के समान राज्यपाल को भी अपने राज्य की विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है। राष्ट्रपति लोकसभा में इस समुदाय के अधिकतम दो सदस्य मनोनीत कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल केवल एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
5. राज्यपाल को विधान मंडल में उन सदस्यों के मनोनयन की शक्ति प्राप्त है, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, ''सहकारी आंदोलन'' और सामाजिक सेवा के कार्यों में विशेष योगदान दिया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की सूची में सहकारी आंदोलन का विषय शामिल नहीं है।

(ख) विधायी शक्तियाँ

1. अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का अंग है, जिस प्रकार राष्ट्रपति केन्द्रीय संसद का अभिन्न अंग है।
2. अनुच्छेद 144 के अनुसार, निर्वाचन के पश्चात् राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान अपने राज्य के विधानमंडल को संबोधित करने तथा विधानमंडल की पहली बैठक में एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है।
3. अध्यादेश जारी करने की शक्तिः अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का दोनों (जहाँ विधान मंडल द्विसदनीय है) में से एक सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति के समान राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकेगा। इसका वही प्रभाव होगा जैसा कि विधानमंडल के अधिनियम का होता है। अध्यादेश जारी करने के संबंध में कुछ अपवादित विषयों के कारण राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति की तुलना में कुछ सीमित हो गई है। ये विषय इस प्रकार हैं–
   - वह विधेयक या विषय, जिसको विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 304 में वर्णित अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य पर युक्ति-युक्त निर्बन्धन अधिरोपित करने वाला अध्यादेश।
   - वे विषय जिनसे संबंधित किसी विधेयक को राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना आवश्यक समझता है, उदाहरणार्थ अनुच्छेद 220 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करने वाला अध्यादेश। इन विषयों के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
   - इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची से संबंधित किसी विषय पर यदि राष्ट्रपति के किसी अध्यादेश का, राज्यपाल के किसी अध्यादेश से टकराव होता है तो राष्ट्रपति का अध्यादेश मान्य होगा। राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर अध्यादेश को छह सप्ताह के भीतर विधानमंडल का अनुमोदन मिल जाता है तो वह विधानमंडल के अधिनियम का रूप ले लेता है यदि अनुमोदन नहीं मिलता या छह सप्ताह का समय निकल जाता है तो अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाता है।

यदि राज्यपाल किसी विधेयक को संदेश के साथ विधानमंडल को लौटा देता है, तो उस पर तद्नुसार विचार किया जाएगा और यदि उसे पुनः संशोधनों सहित या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो उस पर अनुमति दे दी जाएगी। राज्यपाल के विषय में कहा जा सकता है कि वह चारों विकल्पों में मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करता है। इस संबंध में राज्यपाल द्वारा अधिकारी प्रयोग को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

(ग) वित्तीय शक्तियाँ

1. अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात् बजट को प्रस्तुत करवाता है।
2. अनुच्छेद 207 के अनुसार धन विधेयक और अनुदानों की मांगों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की सिफ़ारिश करता है।
3. राज्य की आकस्मिक निधि पर भी राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की मंजूरी के बिना भी आकस्मिक निधि से धन निकाल सके।

(घ) न्यायिक शक्तियाँ

1. अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति के भीतर किसी अपराध से संबंधित दंड को राज्यपाल क्षमा (मृत्युदंड को छोड़कर), उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अनन्य अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
2. राज्यपाल राज्य के न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, पद्दोन्नति आदि के मामलों में भी निर्णय लेता है।
3. राज्यपाल की पदावधि के दौरान उस पर कोई फ़ौजदारी मुकद्दमा या महाभियोग नहीं चलाया जा सकता।

(ड) आपात् शक्तियाँ

राज्यपाल को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति के समान अनुच्छेद 352 के तहत् किसी प्रकार की कोई घोषणा करने का अधिकार नहीं है। वह अनुच्छेद 356 के तहत् राष्ट्रपति को अपना यह प्रतिवेदन भेज सकता है कि राज्य सरकार का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, अतः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करता है।

(च) राज्यपाल के विवेकाधिकार

1. **मंत्रिपरिषद् को भंग करने की शक्तिः** राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद् को भंग कर सकता है–
   - जब राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद् का विधानसभा में बहुमत नहीं रह गया है।
   - जब मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे और मंत्रिपरिषद् त्यागपत्र न दें।
   - जब मंत्रिपरिषद् संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य न कर रही हो या मंत्रिपरिषद् की नीतियों से राष्ट्र का अहित सम्भाव्य हो या केन्द्र से संघर्ष होने की सम्भावना हो।
   - जब किसी स्वतन्त्र अधिकरण ने जाँच के पश्चात् मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार में अन्तर्लिप्त होना पाया हो।
2. **विधानसभा को भंग करने की शक्तिः** सामान्यतया राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही विधानसभा को भंग करता है, किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में वह बिना मुख्यमंत्री के परामर्श के भी विधानसभा भंग कर सकता है।
3. **विधानसभा का अधिवेशन बुलाने की शक्तिः** सामान्यतया राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर विधान सभा का अधिवेशन बुलाता है, लेकिन यदि असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुला सकता है।
4. **मुख्यमंत्री को अभियोजित करने की आज्ञा देनाः** राज्यपाल, कार्यरत या भूतपूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की अनुमति दे सकता है, यदि वह भ्रष्टाचार या किसी षड्यंत्र या आपराधिक कार्य में संलिप्त हो।
5. **मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकारः** राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित है, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। यहां अधीनस्थ प्राधिकरण का तात्पर्य मंत्रिपरिषद् से है। मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। सामान्यतः राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो या जिसे बहुमत प्राप्त करने के लिए कई दलों का समर्थन प्राप्त हो।

लेकिन, यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो या किसी भी व्यक्ति को कई दलों का समर्थन प्राप्त न हो या कई दलों के गठबन्धन ने मिलकर चुनाव में बहुमत प्राप्त न किया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में अपने विवेक का प्रयोग करता है।

राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध

सामान्यतः, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते समय राज्यपाल अपने औपचारिक कर्त्तव्यों का पालन करता है। वह मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही आमंत्रित करता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की संस्तुति के अनुसार ही करता है। विधानसभा में बहुमत एक दल अथवा दल समूह अथवा निर्दलीय समूहों से मिलकर बनता है। लेकिन जब सदन में एक नेता के चुनाव हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह, सैद्धांतिक रूप से सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पदों पर बने रहते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहने तक अपने पदों पर बने रहते हैं। राज्यपाल उन्हें तभी बर्खास्त कर सकता है जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को भेजनी होती है। राज्यपाल राज्य प्रशासन से संबंधित किसी आवश्यक सूचना की मांग भी कर सकता है। यदि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय लेता है तो राज्यपाल ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष उसके विचार के लिए रखने हेतु मुख्यमंत्री से कह सकता है। यह सच है कि राज्यपाल नाममात्र का प्रमुख होता है तथा वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता

EBD_7939

में मंत्रिपरिषद द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं। परंतु यह कहना उचित नहीं है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक या औपाचारिक प्रमुख होता है। वह कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी शक्तियों का बड़े प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है। वह विशेषतौर पर ऐसा तब कर सकता है जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता है। चूंकि वह केन्द्र तथा राज्य के बीच की कड़ी है, अत: वह उस समय बहुत प्रभावी हो जाता है, जब केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश भेजती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियाँ भी राज्यपाल को वास्तविक कार्यकारी के रूप में कार्य करने का अवसर देती हैं।

राज्यपाल की स्थिति

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति

संविधान द्वारा राज्यों में भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की स्थापना की गयी है और संसदीय व्यवस्था में शासन की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं जो विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अत: मंत्रिपरिषद् राज्य का वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातो को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मत्रिपरिषद् होती है। संविधान, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। केवल असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और नगालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार के स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अत: यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल राज्य शासन का वैधानिक अध्यक्ष है।

राज्यपाल की वास्तविक स्थिति

राज्य प्रशासन में राज्यपाल की वही स्थिति है जो संघीय शासन में राष्ट्रपति की होती है अर्थात् राज्यपाल राज्य शासन का संवैधानिक अध्यक्ष तो है, किंतु वास्तविक शक्तियां मन्त्रिपरिषद् में निहित हैं। राज्यपाल केवल स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अपनी अन्य सभी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद् के परामर्श से करता है। इस संबंध में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि "उन सिद्धांतों" के अनुसार, जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद् का परामर्श अवश्य मानना होगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा, जिसके कारण उसे अपने स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े।"

राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ उसकी वास्तविक स्थिति को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाती हैं, किंतु हाल के वर्षों में राज्यपाल का पद काफ़ी विवादास्पद हो गया है।

अनेक विवादास्पद कार्यों के पश्चात् भी यह नहीं कहा जा सकता कि राज्यपाल का पद महत्त्वपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के कार्य एक साथ विविध और महत्त्वपूर्ण हैं। राज्यपाल सामान्य समय में राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और केन्द्र सरकार के मध्य महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। कुछ कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में जबकि अनुच्छेद 356 के तहत् उद्घोषणा की जाए तो राज्यपाल संघ का एजेन्ट बन जाता है। जब राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद् उपलब्ध नहीं होती तो उस थोड़ी-सी अवधि में वह कार्यपालिका सरकार की निरन्तरता को सुनिश्चित करता है। राज्यपाल संविधान द्वारा कल्पित व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी है। कोई भी संवैधानिक अधिकारी अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त इन उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर सकता। संक्षेप, में यह ऐसा पद है जिसके बिना राज्य शासन में काम नहीं चल सकता। राज्यपाल की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समितियाँ गठित की जाती रही हैं, जिन्होंने इस संबंध में अपने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए हैं।

राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका से संबंधित प्रमुख समितियां एवं आयोग

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह प्रथा बन गई थी कि-

1. किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसका वह निवासी हो।
2. राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श किया जाएगा।

यह प्रथा 1950 से 1967 तक अपनायी गई, किंतु 1967 के आम चुनावों के पश्चात् मुख्यमंत्री से परामर्श की प्रथा समाप्त कर दी गई। अब बिना मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी है।

भारतीय राजव्यवस्था में राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका सदैव से चर्चा का विषय रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न आयोग और समितियाँ गठित की जाती रहीं हैं। प्रमुख आयोगों एवं समितियों की सिफ़ारिशें इस प्रकार से हैं-

प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)

प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख सिफ़ारिशें

- उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन का अनुभव हो और जो अपने आप को दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त रख सकता हो।
- राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए।
- राज्यपाल द्वारा अपने 'स्वविवेक' के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।
- यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि मंत्रिमंडल को विधानसभा का समर्थन प्राप्त नहीं रहा तो उसे विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री को कहना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री इस संबंध में आनाकानी करता है या विधानसभा का सत्र बुलाने की सिफ़ारिश नहीं करता, तब राज्यपाल को स्वयं विधानसभा का सत्र बुलाकर स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए।

भगवान सहाय समिति (1970)

1970 में जम्मू-कश्मीर राज्य के तत्कालीन राज्यपाल श्री भगवान सहाय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसकी प्रमुख सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं-

- यदि विधानसभा में मंत्रिमंडल के पक्ष में समर्थन सन्देहास्पद हो और मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुलाने में आनाकानी करे तो राज्यपाल को तुरन्त मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना चाहिए।

- यदि मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या बर्खास्तगी के बाद राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने की समस्त संभावनाएं क्षीण हो गई हों, तो ही राज्यपाल को विधानसभा भंग करने और राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफ़ारिश करनी चाहिए।
- ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं है या जिसे विधानसभा के लिए मनोनीत किया गया हो, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना चाहिए न कि राष्ट्रपति के अभिकर्त्ता के रूप में।

राजमन्नार समिति (1969)

इस समिति की प्रमुख सिफ़ारिशें निम्नलिखित हैं–

- राज्यपाल की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके ही की जानी चाहिए।
- राज्यपाल के पद पर सेवा प्रदान कर चुके व्यक्ति को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन पुनः सेवा में नहीं लेना चाहिए।
- राज्यपाल को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर केवल उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जाना चाहिए।
- इस संवैधानिक प्रावधान को तत्काल निरसित कर देना चाहिए कि, "मंत्रिपरिषद्, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगी।"
- जब विधान सभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिए और अधिवेशन में बहुमत से चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति करना चाहिए।

सरकारियाँ आयोग (1983)

न्यायमूर्ति श्री आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं है–

- देश की एकता व अखण्डता के लिए मजबूत केन्द्र अनिवार्य है।
- राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।
- राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति का भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए।
- राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह को संवैधानिक रूप से अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए।
- यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को तुरन्त राज्य में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि विरोधी पक्ष सरकार बनाने की स्थिति में न हो तो उसे राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफ़ारिश करनी चाहिए।

सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशों पर सहमति

अन्तर्राज्यीय परिषद् की उपसमिति ने 7 दिसम्बर, 1991 को अपनी बैठक में राज्यपालों के चयन व उनके कार्यकाल के बारे में सरकारिया आयोग की कुछ सिफ़ारिशों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। समिति ने सरकारिया आयोग की इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है कि किसी भी राज्यपाल को उसके पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् केन्द्र अथवा राज्य में किसी भी पद पर नियुक्त होने की अनुमति नहीं होगी। वह सक्रिय राजनीति में भी नहीं लौट सकेगा। उपसमिति ने राज्यपालों का कार्यकाल 5 वर्ष करने और आमतौर पर इस अवधि के दौरान राज्यपाल को न बदलने से सम्बन्धित सिफ़ारिश भी स्वीकार कर ली। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व सम्बद्ध राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाएगा, परन्तु यह परामर्श कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस पर समिति में आम राय नहीं थी।

अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थायी समिति में 1 सितम्बर, 2000 को अपनी बैठक में राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व राज्यों से अनिवार्यतः सलाह लेने पर पुनः सहमति हो गई।

संविधान समीक्षा आयोग, 2000

भारतीय संविधान की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 22 फ़रवरी, 2000 को जारी की। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचेलैया को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग ने अपनी प्रथम बैठक में जिन आठ क्षेत्रों को खोजा, उसमें से राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी भी एक क्षेत्र है। इस आयोग ने 2001 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सार्वजनिक बहस के लिए परामर्श पत्र जारी किया।

राज्य मंत्रिपरिषद्

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य में राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद्, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि वास्तव में राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्य मंत्रिपरिषद् में निहित है। राज्य मंत्रिपरिषद् का प्रधान मुख्यमंत्री होता है।

राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन

- अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को उसके 'विवेकाधीन कृत्यों' को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
- मंत्रिपरिषद् का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है।
- मंत्रिपरिषद् में सामान्यतया उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है जो राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्य हों, किंतु विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद् में ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है, जो इनके सदस्य न हों। किंतु, इस प्रकार नियुक्त सदस्य को 6 माह के भीतर इनमें से किसी का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका मंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
- यदि मंत्री पद पर आसीन गैर निर्वाचित व्यक्ति दिए गए छह माह के दौरान चुनाव जीतने में असफल रहता है और अगर उसी व्यक्ति को दोबारा मंत्री पद पर बहाल किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 164(1) और 164(4) की योजना और भावना पर आघात जैसा होगा।

मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल

मंत्रिपरिषद् का अस्तित्व तब तक बना रहता है, जब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने या बर्खास्त होने से मंत्रिपरिषद् स्वतः ही विघटित हो जाती है।

EBD_7939

राज्यपाल और मंत्रिपरिषद्

राज्यपाल नाममात्र का कार्यकारी है और मंत्रिपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका। संविधान में वर्णित राज्यपाल की सत्ता को स्वीकृत कर लिया जाए तो राज्यपाल राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। मंत्रिगण राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त ही पदासीन रहेंगे अर्थात् मंत्रिमंडल तब तक पदासीन रहेगा जब तक उसे विधानसभा का बहुमत या समर्थन प्राप्त है। सामान्य स्थिति में राज्यपाल से मंत्रिपरिषद् के परामर्श के आधार पर ही कार्य करने की आशा की जाती है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। कुछ विशेष परिस्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है, जैसे-संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। इन परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

मंत्रिपरिषद् के निर्माण के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परन्तु वास्तव में राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। चुनाव में किसी दल के बहुमत प्राप्त न कर पाने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसे नियत समय के अंदर विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देता है।

मुख्यमंत्री का कार्यकाल

सामान्यत: मुख्यमंत्री की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए होती है, किन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहता है, जब तक उसे विधानसभा में विश्वास प्राप्त होता है। विधानसभा में बहुमत समाप्त होते ही उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है, तो राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की शक्ति प्राप्त है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है -

- यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन तथा उसमें बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे और निर्धारित अवधि के भीतर मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।
- यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति

मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संविधान में न तो मंत्रियों की संख्या निश्चित की है और न ही श्रेणियां।

- राज्य स्तर पर भी मंत्रिपरिषद् में चार स्तर के मंत्री होते हैं-कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव।
- कैबिनेट स्तर तथा राज्य स्तर के मंत्री एक या एक से अधिक विभागों का कार्यभार संभालते हैं।
- उपमंत्री तथा संसदीय सचिव नीचे दर्जे के मंत्री होते हैं। वे कैबिनेट मंत्रियों व राज्य मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। मंत्रिमंडल की बैठकों में वे तभी भाग ले सकते हैं, जबकि उनके विभाग से संबंधित मंत्री अनुपस्थित होता है।

कार्यकाल

- सभी मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यन्त का तात्पर्य है-राज्यपाल के प्रति मंत्रिपरिषद् का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अर्थात् मुख्यमंत्री के आदेशों का उल्लंघन करने या मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध आचरण करने पर किसी भी मंत्री को राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर बर्खास्त कर सकेगा।
- मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक ही अपने पद पर रह सकेगी।
- मंत्रिपरिषद् का कोई भी मंत्री, जो निरंतर छह मास की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, किन्तु मंत्री पद धारण करने के पश्चात् भी वह छह मास तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता तो छह माह की अवधि बीत जाने पर वह मंत्री, मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ

जिस प्रकार केन्द्र में राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है, परन्तु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, किन्तु वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। वह राज्य का नायक और मुख्य प्रवक्ता भी होता है। मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व तथा राजनीतिक स्थिति पर ही राज्य का आर्थिक और सामाजिक विकास निर्भर करता है।

राज्य का सम्पूर्ण शासन उसी के संकेत के माध्यम से चलाया जाता है। वह राज्य शासन का कप्तान है तथा राज्य मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है अर्थात् वह राज्य का वास्तविक शासक होता है।

राज्य के शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे–

- मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के कारण वह मंत्रिमंडल का गठन करता है।
- मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के कारण मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- राज्यपाल को राज्यशासन या व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयों से अवगत कराता है।
- कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण उसे समस्त प्रशासन के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है।
- विधानसभा में शासकीय नीतियों तथा कार्यों की घोषणा और स्पष्टीकरण करने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री पर ही होता है।
- मंत्रिमंडल के सदस्यों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है।

- मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की शक्ति भी मुख्यमंत्री को प्राप्त है। यदि वह आवश्यक समझे तो मंत्रिमंडल का विस्तार या संकुचन कर सकता है।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर उसे मंत्रिपरिषद् से हटा सकता है।
- राज्य के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री अनेक महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल से परामर्श करके करवाता है।
- मुख्यमंत्री ही राज्य प्रशासन का मुख्य शासक होता है।

महाधिवक्ता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत कार्य करता है। (राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है) वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश बनने की योग्यता रखता है। महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है वह राज्य के दोनों सदनों (विधानसभा तथा विधान परिषद) की कार्यवाही में तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। उसे विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिये भारत में सभी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की है वही स्थिति केन्द्र में महान्यायवादी (एटॉर्नी जनरल) की होती है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट प्रावधान कहाँ से लिया गया है?
   (a) कनाडा के संविधान से
   (b) ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
   (c) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
   (d) उपरोक्त किसी से भी नहीं
2. महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) अनुच्छेद 165 के अुनसार राज्य का एक महाधिवक्ता होगा।
   (b) भारत के महान्यवादी के कृत्यो के समान वह राज्य में कार्य करेगा।
   (c) इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगा।
   (d) यह राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है।
3. राज्य मन्त्रिपरिषद् का कोई मन्त्री किसे सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है?
   (a) मुख्यमन्त्री को
   (b) अपनी पार्टी के अध्यक्ष को
   (c) राज्यपाल को
   (d) विधानसभाध्यक्ष को
4. अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ 'अधीनस्थ' शब्द में शामिल है
   (a) सभी मन्त्री और मुख्यमन्त्री
   (b) मुख्यमन्त्री को छोड़कर सभी मन्त्री
   (c) केवल मुख्यमन्त्री और उपमुख्यमन्त्री
   (d) केवल कैबिनेट मन्त्री
5. यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा?
   (a) सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
   (b) सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल
   (c) भारत के महान्यायवादी
   (d) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
6. भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
   (a) 30 वर्ष (b) 25 वर्ष
   (c) 35 वर्ष (d) 45 वर्ष
7. राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है?
   (a) मुख्यमंत्री
   (b) मंत्रिपरिषद्
   (c) राज्यपाल
   (d) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
8. किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है?
   (a) महान्यायवादी
   (b) महाधिवक्ता
   (c) सॉलिसिटर जनरल
   (d) विधि विभाग का महासचिव
9. निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी?
   (a) दिल्ली (b) राजस्थान
   (c) तमिलनाडु (d) उत्तर प्रदेश
10. स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी?
   (a) श्रीमती सरोजिनी नायडू (b) श्रीमती सुचेता कृपलानी
   (c) श्रीमती इन्दिरा गाँधी (d) श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित
11. कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है?
   (a) राज्यपाल (b) मुख्यमंत्री
   (c) विरोधी पक्ष के नेता (d) स्पीकर

EBD_7939

12. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?
    (a) भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता।
    (b) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।
    (c) भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है।
    (d) विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा, बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है।
13. राज्य के एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता)के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक वकतव्य सही नहीं है?
    (a) एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहता है।
    (b) राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है।
    (c) एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है।
    (d) एडवोकेट जनरल राज्य विधानमण्डल की कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सकता।
14. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है?
    (a) राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ
    (b) महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति
    (c) राज्य विधान सभा को आहूत (समन) करना, स्थगित करना और भंग करना
    (d) दंडों के लिए क्षमा, प्रविलंबन विराम अथवा परिहार प्रदान करने की शक्ति
15. राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
    (a) यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
    (b) राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है।
    (c) अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो।
    (d) अध्यादेश जारी (घोषित) करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है।
16. भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है?
    (a) अनुच्छेद 169 (b) अनुच्छेद 200
    (c) अनुच्छेद 201 (d) अनुच्छेद 202
17. राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष/संवैधानिक प्रमुख कौन है?
    (a) मुख्यमंत्री (b) राज्यपाल
    (c) मुख्यमंत्री का सचिव (d) मुख्य सचिव
18. किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
    (a) वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है
    (b) वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है
    (c) वह पांच वर्ष तक पद पर रहता है
    (d) यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाये जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है
19. किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी आर्डिनेंन्स का अनुमोदन होना आवश्यक है-
    (a) राष्ट्रपति द्वारा
    (b) राज्य की विधायिका द्वारा
    (c) राज्य के मंत्रियों की काउन्सिल द्वारा
    (d) उपर्युक्त में से किसी से नहीं
20. भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला-
    (a) राजकुमारी अमृत कौर (b) पद्मजा नायडू
    (c) सरोजिनी नायडू (d) सरला ग्रेवाल
21. निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता?
    (a) मुख्यमंत्री
    (b) सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग
    (c) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
    (d) महाधिवक्ता
22. राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं?
    (a) 1 (b) 2
    (c) 12 (d) 6
23. राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है:
    (a) राज्य विधानमंडल की संस्तुति पर
    (b) राष्ट्रपति की संस्तुति पर
    (c) मुख्यमंत्री की संस्तुति पर
    (d) यदि उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है
24. निम्नलिखित में से कौन-सा एक मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में **नहीं** है?
    (a) राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों और विधायन के प्रस्तावों को राज्य के राज्यपाल को संसूचित करना
    (b) राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल द्वारा चाही गई सूचना और विधायन के प्रस्तावों को उपलब्ध कराना
    (c) मासिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करना
    (d) यदि राज्यपाल ऐसा चाहें, तो ऐसे किसी मामले को, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है किंतु मंत्रिपरिषद् द्वारा विचार नहीं किया गया है, मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करना
25. निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हों या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? **[IAS Prelims 2019]**
    (a) पहला प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
    (b) राजमन्नार समिति (1969)
    (c) सरकारिया आयोग (1983)
    (d) संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2000)

अभ्यास प्रश्न-2

1. राज्यपाल के योग्यता के संदर्भ में कौन-सा/से कथन असत्य है।
   1. वह भारत का नागरिक हो ।
   2. वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
   3. वह राष्ट्रपति पद के लिए आयोग्य माने जाने वाली किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो।
   4. वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो।

   कूट:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 2 और 3 (d) 3 और 4
2. भारत में केंद्र की तरह राज्यों में भी मंत्रिमंडलीय शासन की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यपाल-
   1. मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करता है।
   2. अपने विवकाधीन कृत्यों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।
   3. राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र के अभिकर्ता के रूप में वह अपनी दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है।
   4. राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है।

   कूट:
   (a) 1 और 4 सही हैं
   (b) 1, 2, 3 और 4 सही हैं
   (c) 1, 2 और 3 सही हैं
   (d) 2, 3 और 4 सही हैं
3. राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई है-
   1. मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के कारण मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है ।
   2. मंत्रिमडंल का अध्यक्ष होनें के कारण वह मंत्रिमंडल का गठन करता है।
   3. राज्यपाल को राज्यशासन या व्यवस्थापन संबंधी निर्णयों से अवगत कराता है।
   4. मुख्यमंत्री राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सत्य है?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1, 2, और 3 (d) उपरोक्त सभी
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन, राज्यपाल-
   1. राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा।
   2. राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा।
   3. धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमण्डल के पुनर्विचारार्थ लौटा सकेगा।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
5. भारत में केंन्द्र की भांति राज्यों में भी मंत्रिमण्डलीय शासन की स्थापना की गई है, जिसके राज्यपाल-
   1. मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करता है।
   2. अपने विवेकाधीन कृत्यों में वह मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।
   3. राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केन्द्र के अभिकर्ता के रूप में अपनी दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है।
   4. राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद-धारण करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 4 सही हैं (b) 1, 2, 3 और 4 सही हैं
   (c) 1, 2 और 3 सही हैं (d) 1, 3 और 4 सही हैं
6. राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. वह दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम और परिहार कर सकता है।
   2. वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. मुख्यमन्त्री राज्य में मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करता है।
   2. राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श से मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।
   3. किसी मन्त्रिमण्डल में मन्त्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 12% से अधिक नहीं होगी।
   4. राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त मन्त्री अपना पत्र धारण करते हैं।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) 1, 2, 3, और 4 (b) 1, 2, और 4
   (c) 2, 3, और 4 (d) 1, 3 और 4
8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधि वक्ता नियुक्त करेगा।
   2. राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमण्डल की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
9. राज्यपाल के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. वह अपना त्याग-पत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है।
   2. उसे 35 वर्ष की आयु पूरी किए हुए होना चाहिए।
   3. उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
   4. कार्यकाल के दौरान उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन असत्य हैं?
   (a) 1 और 3 (b) 2, 3 और 4
   (c) 1, 3 और 4 (d) 2 और 4

EBD_7939

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन, राज्यपाल
1. राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा।
2. राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा।
3. धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमण्डल के पुनर्विचारार्थ लौटा सकेगा।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) ये सभी

11. राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने सम्बन्धी शक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
1. इन पंक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है।
2. राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य मन्त्रिपरिषद् की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है।
3. यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ सहयोजित है।
4. अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के अवसान के समय ही जारी किया जा सकता है न कि राज्य विधानपरिषद् के अवसान के समय।
5. राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी वापस नहीं किया जा सकता है।
कूट
(a) 2, 3 और 4 (b) 1, 3 और 5
(c) 1, 2 और 3 (d) 2, 4 और 5

12. भारत के एक राज्य के राज्यपाल से सम्बन्धित निम्न कथनों पर विचार कीजिए
1. उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसकी आयु कम-से-कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
3. उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए।
4. वह एक-से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 1, 2, और 4 (d) 2 और 4

13. राज्य का राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से स्वतन्त्र कार्य कर सकता है
1. विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।
2. मुख्यमन्त्री को बर्खास्त करने के लिए।
3. भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए।
4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए।
5. उच्च न्यायालय का परामर्श माँगने के लिए।
उपरोक्त कथनों में कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 2, 3, 4 और 5
(c) 1, 2, 4 और 5 (d) 1, 2, 3 और 4

14. निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है?
1. यदि यह अधिकारातीत हो।
2. यदि यह राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों के विरूद्ध हो।
3. यदि इससें उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो।
4. यदि विधेयक अनुच्छेद 31(A) के तहत सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से सम्बन्धित हो।
कूट
(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 3 और 4

15. संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबन्ध है कि राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
1. किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता।
2. कोई राज्यपाल पाँच वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता।
कूट
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

16. राज्य के राज्यपाल को
1. राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
2. उसे सदैव मन्त्रिपरिषद् की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है।
3. उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त और पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त होती है।
4. विभिन्न मन्त्रियों में सरकारी कार्य के बँटवारे का अधिकार प्राप्त होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) 2, 3 और 4
(c) 1 और 4 (d) 1, 3 और 4

17. निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें/किनमें राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर सकता है?
1. राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना
2. मुख्यमन्त्री को नियुक्त करना
3. पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाना
4. राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित रखना
कूट
(a) केवल 1 (b) 1 और 3
(c) 1, 2 और 4 (d) ये सभी

18. राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन-से कथन सही हैं?
1. राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है।
2. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
3. राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है।
4. उसे 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए।
कूट
(a) 1 और 3 (b) 2 और 4
(c) 1 और 4 (d) 2 और 3

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. राज्यपाल, संसद के किसी अधिनियम को किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने से अधिसूचना द्वारा वर्जित कर सकता है या उपान्तरित कर सकता है।
    2. राज्य विधानमण्डल की राज्य सूची में प्रगणित विषयों पर विधान बनाने की शक्ति संसद की संघ सूची और समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों की बाबत विधान बनाने की शक्ति के अधीन है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल 5 वर्षों के लिए करता है।
    2. महाधिवक्ता को न्यायाधीशों की पदावधि की गारण्टी के समान अधिकार दिए गए हैं।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
21. राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. इसे अमेरिकी राजनीतिक-संवैधानिक प्रणाली से लिया गया है।
    2. राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिये होता है।
    3. राज्य विधानसभा में जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तब राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का विवेकाधिकार होता है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
22. संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबन्ध है कि राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अपबन्ध तक पद धारण करेगा, इससे निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है
    1. किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता।
    2. कोई राज्यपाल पाँच वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता।

    नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए-
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) दोनों ही नहीं
23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है
    2. राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **[IAS Prelims 2018]**
    1. किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।
    2. किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
25. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    2. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, अत: उन्हें पदावधि तक काम करने की सुरक्षा है।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2
26. राज्यपाल और मंत्रियों के बीच संबंध के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. साधारणतया राज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच संबंध उसी प्रकार के हैं, जैसे राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों के हैं।
    2. इसमें केवल एक महत्त्वपूर्ण अंतर है कि संविधान राष्ट्रपति को कोई कार्य अपने विवेकानुसार करने की शक्ति नहीं देता, जबकि राज्यपाल को कुछ कृत्य अपने विवेकानुसार करने का अधिकार है।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2
27. राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    1. राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते।
    2. जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद् से स्वतंत्र रह कर कोई निर्णय लेता है या जहाँ वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा संविक्षा के अधीन होते हैं।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2
28. अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    1. यह एक वैवेकिक शक्ति है।
    2. किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

EBD_7939

29. भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए–
    1. उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए।
    2. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
    3. उसमें लोक सभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए।
    4. वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

    इनमें से–

    (a) 1 तथा 2 सही है (b) 1, 2 और 3 सही है
    (c) 1, 2 और 4 सही है (d) 2 तथा 4 सही है

30. निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए:
    1. राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
    2. शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है।
    3. राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।
    4. शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गयी है।

    कूट:

    (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
    (c) 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

31. किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
    2. राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं।
    3. उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है।
    4. सामान्यत: वह पांच वर्ष के लिए पद पर रहते हैं।

    सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए:

    कूट:

    (a) 1 तथा 2
    (b) 1, 2 तथा 3
    (c) 1, 2 तथा 4
    (d) सभी चारों

32. भारत के किसी राज्य की विधान सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : **[IAS Prelims 2019]**
    1. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है।
    2. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, तो उस विषय पर वह लोक सभा के नियम का पालन करता है।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(a)	**2**	(c)	**3**	(c)	**4**	(a)	**5**	(d)	**6**	(c)	**7**	(a)	**8**	(b)	**9**	(b)	**10**	(a)
11	(b)	**12**	(c)	**13**	(d)	**14**	(a)	**15**	(d)	**16**	(b)	**17**	(b)	**18**	(d)	**19**	(b)	**20**	(c)
21	(c)	**22**	(a)	**23**	(d)	**24**	(c)	**25**	(c)										

अभ्यास-2

1	(b)	**2**	(b)	**2**	(d)	**4**	(d)	**5**	(d)	**6**	(a)	**7**	(b)	**8**	(b)	**9**	(a)	**10**	(d)
11	(c)	**12**	(d)	**13**	(a)	**14**	(b)	**15**	(a)	**16**	(a)	**17**	(d)	**18**	(d)	**19**	(c)	**20**	(d)
21	(b)	**22**	(d)	**23**	(a)	**24**	(c)	**25**	(b)	**26**	(c)	**27**	(c)	**28**	(d)	**29**	(d)	**30**	(b)
31	(d)	**32**	(a)																

EBD_7939

राज्य विधानमंडल

10 अध्याय

राज्य विधानमंडल का गठन

अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल और विधानसभा तथा विधानपरिषद् नामक एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को 'विधानसभा' तथा उच्च सदन को 'विधानपरिषद्' कहते हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर राज्यों की द्विसदनात्मक व्यवस्था को छोड़कर भारत के शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा असम को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधानपरिषद बनाने की मंजूरी दे दी है।

जिन राज्यों में एकसदनात्मक व्यवस्था है वहाँ राज्यपाल और विधानसभा के सम्मिश्रण से राज्य विधानमंडल का निर्माण हुआ है, जैसे–

- राज्य विधानमंडल = राज्यपाल + विधानसभा
- इसके विपरीत द्विसदनात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत स्थिति अलग है, जैसे– राज्य विधानमंडल = राज्यपाल + विधानपरिषद् + विधानसभा

विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित में विधानसभा एवं विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या

राज्य	विधानसभा	विधानपरिषद्
उत्तर प्रदेश	403	100
पश्चिम बंगाल	294	
महाराष्ट्र	288	78
बिहार	243	75
तमिलनाडु	234	
मध्य प्रदेश	230	
कर्नाटक	224	75
राजस्थान	200	
गुजरात	182	
आंध्र प्रदेश	175	58
ओडिशा	147	
केरल	140	
असम	126	
तेलंगाना	119	40
पंजाब	117	
छत्तीसगढ़	90	
हरियाणा	90	
झारखण्ड	81	
जम्मू एवं कश्मीर	76*	36
उत्तराखण्ड	70	
दिल्ली	70	
हिमाचल प्रदेश	68	
अरुणाचल प्रदेश	60	
मणिपुर	60	
मेघालय	60	
नागालैंड	60	
त्रिपुरा	60	
गोवा	40	
मिजोरम	40	
सिक्किम	32	
पुदुचेरी	30	

*जम्मू-कश्मीर के संविधान के तहत, पाक अधिकृत क्षेत्र के 24 सीटों को छोड़कर राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 87 है जिसमें से 7 सीटों को जम्मू-कश्मीर के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।

विधानपरिषद्

विधानपरिषद् के गठन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार जिन राज्यों में विधानपरिषद् विद्यमान हैं, वहां उसको समाप्त किया जा सकता है और जहाँ वह विद्यमान नहीं है वहां या उस राज्य में उसका निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार का कोई भी कृत्य एक साधारण प्रक्रिया से हो सकेगा, जिसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के कृत्य के लिए प्रक्रिया यह होगी कि विधानपरिषद् को समाप्त या उसका निर्माण करने वाला राज्य इस सम्बन्ध में अपनी विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करेगा, जिसका अनुसरण करते हुए संसद इस सम्बन्ध में एक अधिनियम बनाएगी।

- अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधानपरिषद् की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह संख्या न्यूनतम 40 से कम भी नहीं होगी।
- अनुच्छेद 171(2) के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन की संरचना का उपबन्ध करने की अग्रिम शक्ति संसद को दी गई है।
- अनुच्छेद 171(3) के अनुसार किसी राज्य की विधानपरिषद् भागतः नामनिर्दिष्ट (1/6) और भागतः निर्वाचित (5/6) निकाय होगी।

राज्य विधानपरिषद् का निर्वाचन

राज्य विधायिका के दूसरे अर्थात् उच्च सदन को विधानपरिषद् कहते हैं। इसकी सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक तथा 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकती। जम्मू तथा कश्मीर की विधानपरिषद् में 36 सदस्य हैं यह एक अपवाद है। विधानपरिषद् के सदस्य अंशतः निर्वाचित तथा अंशतः मनोनीत होते हैं।

अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधानपरिषद् का निर्वाचन अप्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। विधानपरिषद् का निर्वाचन निम्न निकायों द्वारा किया जाएगा–

विधानपरिषद् की संरचना निम्न रूप में होती है:

- इसके 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं
- इसके 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं
- इसके 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो राज्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष के स्नातक हैं
- इसके 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में, शिक्षण के काम में कम से कम तीन वर्ष से संलग्न हों, और
- शेष 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

मनोनीत किए जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या विधान परिषद् का 1/6 भाग होगी, जिन्हें राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला 'सहकारी आन्दोलन' और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के कारण मनोनीत करेगा। यह उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के मनोनयन की सद्भावना या औचित्य को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

विधानपरिषद् के पदाधिकारी

अनुच्छेद 182 के अनुसार विधानपरिषद् वाले राज्य की विधानपरिषद् यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी। सभापति या उपसभापति का पद धारण करने वाला व्यक्ति तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक वह सदन का सदस्य रहता है, अन्यथा–

- यदि वह विधानपरिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद त्याग देगा।
- सभापति तथा उपसभापति क्रमशः एक-दूसरे को संबोधित अपने लिखित पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकते हैं।
- चौदह दिन की पूर्व सूचना देकर विधानपरिषद् की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इन्हें हटाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सभापति या उपसभापति पद के कृत्यों, पद की रिक्ति, अनुपस्थिति और पदच्युति वाले समस्त प्रावधान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समान ही लागू होंगे।

परिषद् की सदस्यता के लिए योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. अपनी आयु के 30 वर्ष पूरे कर चुका हो।
3. संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता रखता हो।

संसद ने राज्य विधानपरिषद् की सदस्यता के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा निम्न अर्हताएँ निश्चित की हैं–

- राज्य विधानपरिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए उस व्यक्ति को उस राज्य के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए।
- राज्यपाल द्वारा राज्य विधानपरिषद् में कोई व्यक्ति तभी मनोनीत किया जाएगा, जब वह राज्य में मामूली तौर पर निवासी हो।

गणपूर्ति तथा बैठक

- विधानपरिषद् की गणपूर्ति के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्यों में से कम-से-कम 10 प्रतिशत सदन में उपस्थित हों। उदाहरणार्थ यह संख्या यदि 100 है तो सदस्य संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए।
- जब तक गणपूर्ति प्राप्त न हो तो सदन के अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य है कि वह सदन की बैठक स्थगति कर दे।
- विधानपरिषद् की वर्ष में कम-से-कम दो बैठकें होनी चाहिए।
- इन बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए।

विधानपरिषद् की अवधि

अनुच्छेद 169 के अनुसार परिषद् का राज्य सभा की भांति कभी भी विघटन नहीं होता अर्थात् विधानपरिषद् का उत्सादन तो किया जा सकता है, किंतु इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं तथा इन पदमुक्त सदस्यों के स्थान पर दूसरे सदस्यों का चुनाव विहित ढंग से कर लिया जाता है।

विधानसभा

विधानसभा भारत के राज्यों में लोकतन्त्र की निचली प्रतिनिधि सभा है। यह विधानमण्डल का अंग है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर मतदान के द्वारा होता है जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी भारतीय नागरिक मतदान करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है जिसे बहुमत दल के सभी सदस्य या कई दल संयुक्त रुप से चुनते हैं।

विधानसभा का गठन

- राज्य विधानमंडल का निम्न सदन 'विधानसभा' कहलाता है। अनुच्छेद 170 में यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की अपनी एक विधानसभा होगी जो कि उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार किया जाएगा कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम-से-कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे।

- राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। गोवा (40 सदस्य), सिक्किम (32 सदस्य), तथा मिजोरम (40 सदस्य) इसके अपवाद हैं।
- भारत में जनगणना प्रत्येक दस वर्ष पश्चात् की जाती है। प्रत्येक जनगणना के उपरान्त प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि राज्य की जनसंख्या और उसकी विधानसभा की सदस्य संख्या का अनुपात राज्य भर में समान रहे।
- प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

विधानसभा का कार्यकाल

अनुच्छेद 172 के अनुसार मूल संविधान में विधानसभा का कार्यकाल छः वर्ष था, किंतु 1978 में किए गए 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह अवधि पांच वर्ष निश्चित कर दी गई है किन्तु –

- राज्यपाल इसे पाँच वर्ष पूर्व भी विघटित कर सकता है।
- आपातकाल के दौरान इस अवधि को संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् किसी भी दशा में इसका विस्तार छः मास से अधिक नहीं होगा।

इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में भी इसको विघटित किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसकी बैठक हुई हो, क्योंकि इसका गठन चुनाव आयुक्त द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होते ही, हो जाता है। उदाहरणार्थ-1965 में केरल विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पूर्व ही कर दिया गया था तथा केरल उच्च न्यायालय ने इसे वैध ठहराया था।

विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएँ

संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा की सदस्यता के लिए निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक हैं–

- वह भारत का नागरिक हो।
- अपनी आयु के 25 वर्ष पूरे कर चुका हो।
- वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो।
- संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य न हो अर्थात् पागल या दिवालिया न हो।

अनुच्छेद 192 के अनुसार यदि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कोई व्यक्ति सदस्यता के लिए योग्य अथवा अयोग्य है या नहीं तो इस सम्बन्ध में निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया गया, राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।

गणपूर्ति (कोरम) तथा बैठक

- विधानसभा की कार्यवाही के लिए कुल सदस्य संख्या का कम-से-कम 10% सदस्यों का होना अनिवार्य है। यदि सदस्य संख्या 100 है तो यह कोरम 10 सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए।
- विधानसभा की कम-से-कम दो बैठकें वर्ष में होनी चाहिए तथा किन्हीं दो सत्रें के मध्य 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए।

शपथ ग्रहण

- अनुच्छेद 188 के अनुसार विधानसभा का प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता धारण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेगा।
- राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए सदन के वरिष्ठतम सदस्य को प्राधिकृत किया जाता है।

विधानसभा के अधिकारी

अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष अपने पद के संबंध में राज्यपाल से शपथ ग्रहण करेगा।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) को अपने पद के संबंध में शपथ ग्रहण नहीं करनी पड़ती। वह केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है।

पदावधि

अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति

- यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो अपना पद रिक्त कर देगा।
- किसी भी समय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को सम्बोधित तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
- विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किन्तु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कम-से-कम चौदह दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो। इसके अलावा जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है या किसी अन्य कारण से विधानसभा का नया निर्वाचन करवाया जाता है तो ऐसी प्रत्येक नवीन विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पूर्व विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद धारण किये रहता है।
- अनुच्छेद 180 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा। किन्तु, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन से अनुपस्थित हैं तो वह व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा तय किया जाए या ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा।
- अनुच्छेद 181 के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको भी पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा और यथासम्भव अध्यक्षता के सम्बन्ध में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति वाले प्रावधान लागू होंगे।

विधायी प्रक्रिया

द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों की विधायी प्रक्रिया संसद के समान है, किंतु कुछ बातों में यह संसद से भिन्न भी है। राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है-

साधारण विधेयक

- साधारण विधेयक मन्त्रिपरिषद् के किसी सदस्य या विधानमण्डल के किसी भी सदस्य द्वारा विधानमण्डल के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं।
- यदि विधेयक मन्त्रिपरिषद् के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है तो इसे 'सरकारी विधेयक' और यदि राज्य विधानमण्डल के किसी अन्य सदस्य द्वारा रखा जाता है तो इसे 'निजी सदस्य विधेयक' कहा जाता है।

राज्य विधानमण्डल को भी कानून निर्माण के लिए लगभग वैसी ही प्रक्रिया अपनानी होती है, जैसी प्रक्रिया संसद के द्वारा अपनायी जाती है। ऐसे विधेयकों को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए अग्रलिखित अवस्थाओं में गुजरना होता है:

(1) विधेयकों की प्रस्तुति तथा प्रथम वाचन

- सरकारी विधेयकों के लिए कोई पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु निजी सदस्य विधेयकों के लिए एक महीने की पूर्व सूचना जरूरी है।
- सरकारी विधेयक साधारणतया सरकारी गजट में छाप दिया जाता है और इस पर किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार विचार किया जा सकता है।
- निजी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए तारीख निश्चित कर दी जाती है। निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर उस विधेयक को पेश करने के लिए सदन में आज्ञा मांगता है और इसके बाद विधेयक के शीर्षक को पढ़ता है।
- यदि विधेयक बहुत महत्वपूर्ण होता है तो विधेयक पेश करने वाला सदस्य विधेयक पर एक संक्षिप्त भाषण भी दे सकता है। यदि उस सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन करते हैं, तो विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। इसे विधेयक का प्रथम वाचन समझा जाता है।

(2) द्वितीय वाचन

- प्रथम वाचन के बाद विधेयक प्रस्तावित करने वाला सदस्य प्रस्ताव रखता है कि उसके विधेयक का द्वितीय वाचन किया जाए।
- इस अवस्था में विधेयक के सामान्य सिद्धांतो पर ही वाद-विवाद होता है, उसकी एक-एक प्रवृत्ति पर बहस नहीं होती है।
- जब इस प्रकार के वाद-विवाद के बाद कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो उसे 'प्रवर समिति' के पास भेज दिया जाता है।

(3) प्रवर समिति अवस्था

- दूसरे वाचन के बाद विवादपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है।
- इसमें विधानमण्डल के 25 से 30 तक सदस्य होते हैं।
- इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर गहरा विचार किया जाता है।
- अनेक प्रकार के सुझाव इस अवस्था में रखे जाते हैं और अन्त में एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।
- इस प्रतिवेदन को सदन के सम्मुख पेश किया जाता है।

(4) प्रतिवेदन अवस्था

- प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन को परिसदन द्वारा विचार किया जाता है।
- इस अवस्था में सदन के सदस्यों को भी अपने संशोधन और सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार होता है।
- समिति द्वारा रखे गये प्रत्येक सुझाव पर सदन में मतदान होता है।
- यदि कोई सुझाव पास न हो तो मूल धारा पर मतदान लिया जाता है।
- इस तरह विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार और वाद-विवाद करके उसे स्वीकार किया जाता है।
- विधि-निर्माण की समस्त प्रक्रिया में यह अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है।

(5) तृतीय वाचन

- प्रतिवेदन अवस्था की समाप्ति के कुछ समय बाद उसका तृतीय वाचन प्रारम्भ होता है।
- इस अवस्था में विधेयक के साधारण सिद्धांतो पर फिर से बहस की जाती है और विधेयक में भाषा सम्बन्धी सुधार किये जाते हैं।
- इस अवस्था में विधेयक की धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या तो सम्पूर्ण विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है या अस्वीकार।
- इसके बाद मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को बहुमत द्वारा अस्वीकृत समझा जाता है।

दूसरे सदन में विधेयक

- एक सदन द्वारा विधेयक स्वीकार कर लिये जाने पर, जिन राज्यों में विधानमण्डल का द्विसदनीय होता है, वहां विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।
- द्वितीय सदन में भी विधेयक को उन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिन अवस्थाओं से होकर विधेयक प्रथम सदन में गुजरा था।
- यदि विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात् विधानपरिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद् तीन महीने तक विधेयक पर विचार पूरा नहीं कर पाती या परिषद् विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधानसभा उस विधेयक को पुन: स्वीकृत करके परिषद् के पास भेजती है।
- तब यदि परिषद् पुन: विधेयक अस्वीकृत कर देती है अथवा दुबारा विधेयक पास नहीं करती या परिषद् विधेयक में पुन: संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते तो विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित किये जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पास हुआ समझ लिया जाता है।

EBD_7939

राज्यपाल की स्वीकृति

- विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
- राज्यपाल या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है अथवा कुछ सुझावों सहित विधानमण्डल के पास दुबारा भेज सकता है।
- यदि राज्य विधानमण्डल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाये गये संशोधनों सहित या रहित रूप से दुबारा पास कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है।
- राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है।
- अनेक बार राज्यपाल कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देता है, ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कानून बनते हैं।

वित्त विधेयक

वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें हैं। संविधान के अन्तर्गत वित्त विधेयक वे होते हैं, जिनका सम्बन्ध निम्न बातों से हो:

1. किसी कर को लागू करने, परिवर्तन करने या व्यवस्थित करने से सम्बन्धित विधेयक।
2. ऋण लेने, राज्य द्वारा अनुग्रह प्रदान करने अथवा राज्य के किसी आर्थिक कर्त्तव्य से सम्बन्धित विधेयक।
3. राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने से सम्बन्धित विधेयक।

   उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त उन्हें भी वित्त विधेयक समझा जायेगा, जिसे विधानसभा का अध्यक्ष वित्त विधेयक घोषित कर दे।

   - जहां तक विधेयकों की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, वे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं और विधानपरिषद् को वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो राज्य सभा को केन्द्रीय वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में हैं।
   - विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक विधानपरिषद् के पास विचारार्थ भेज दिया जाता है।
   - यदि परिषद् उस विधेयक को प्राप्ति की तिथि से चौदह दिन बाद तक न लौटाए तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत समझा जायेगा।
   - यदि परिषद् चौदह दिन की अवधि में विधेयक को अपने संशोधन सहित लौटा भी दे तो इन संशोधनों के साथ या इन संशोधनों के बिना, जिस रूप में भी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजना चाहे, भेज सकती है और राज्यपाल की स्वीकृति से यह विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है।

राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ

(क) विधायी शक्तियाँ

- राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- पुलिस, न्याय-व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, भूमि-सुधार आदि विषय राज्य सूची में शामिल हैं।
- जहाँ तक समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का प्रश्न है, उन पर केन्द्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही विधि निर्माण की शक्ति रखती हैं।
- किंतु, विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची के विषयों पर पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा जाता है, यदि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है, तो वह कानून अवैध नहीं होगा, भले ही वह संसद द्वारा उस विषय पर पारित कानून के विरुद्ध हो।

(ख) कार्यपालक शक्तियाँ

मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि विधान सभा का विश्वास या समर्थन उसे मिलता रहे। मंत्रिमंडल को अपने प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए विधानमंडल निम्नलिखित अधिकारों का उपयोग करता है–

- विधानमंडल के सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं।
- वे सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं।
- काम रोको प्रस्तावों द्वारा आकस्मिक घटनाओं पर विचार किया जा सकता है।
- सदन की प्राक्कलन और लोकलेखा समितियां यह जांच-पड़ताल करती हैं कि सार्वजनिक पैसे का ठीक उपयोग किया गया है या नहीं।
- विधानसभा द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इस स्थिति में मंत्रिपरिषद् को त्याग पत्र देना पड़ता है।
- विधानसभा या विधानपरिषद् के सत्र के दौरान मंत्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा प्रशासन में किये जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों को प्रकाश में लाया जा सकता है।
- यदि राज्य विधानमंडल में किसी मंत्री के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

(ग) संविधान संशोधन सम्बन्धी शक्तियाँ

संविधान के कई अनुच्छेदों में कोई संशोधन तभी किया जा सकता है, जब संसद और कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल संशोधन-विधेयक पर अनुमति न दे दें। ये विषय हैं-

- केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण,
- राष्ट्रपति के चुनाव की विधि,
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तथा
- उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय संबंधी व्यवस्थाएँ।

इस प्रकार संविधान संशोधन प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

(घ) निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ

- निर्वाचन के संबंध में विधानपरिषद् को काफी कम शक्तियां प्राप्त हैं।

- वह केवल विधानपरिषद् के सभापति या उपसभापति का ही निर्वाचन कर सकती है। इसके विपरीत विधानसभा को चुनाव की व्यापक शक्ति प्राप्त हैं। इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं तथा राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं।
- विधानसभा के सदस्य राज्य विधानपरिषद् के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं तथा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं।

(ड) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तथा उपसभापति को पदमुक्त करने की शक्ति

- ऐसा करने के लिए राज्य विधानमंडल की विधानसभा समस्त सदस्यों के बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे।
- प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसको हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाना है, को इसकी सूचना देनी आवश्यक है।
- 14 दिन की पूर्व सूचना के बिना भी विधानसभा या विधानपरिषद् के पदाधिकारी हो हटाया जा सकता है।
- इस संबध में उच्च न्यायालय में सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा याचिका प्रस्तुत करने पर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 14 दिन की पूर्व सूचना देना प्रक्रियात्मक दृष्टि से तो उचित नहीं है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से यह वैध है।

(च) सदस्यों को निलम्बित करने तथा सदस्यता समाप्त करने की शक्ति

- राज्य विधानमंडल अपने सदस्यों को सदन में अनुचित व्यवहार के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित कर सकते हैं।
- राज्य विधानमंडल अपने सदस्यों को दुर्व्यवहार के लिए सदन से निष्कासित भी कर सकती है।
- यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है।

(छ) राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार

राज्य विधानमंडल को भी संसद के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कुछ प्रमुख विशेषाधिकार इस प्रकार हैं-

- विधानमंडल के प्रत्येक सदन को अपने विशेषाधिकार का हनन करने वाले व्यक्ति या संस्था को दण्ड देने की शक्ति है।
- प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकारिता है कि वह स्वयं यह तय करे कि उसके क्या विशेषाधिकार हैं तथा किन विशेष मामलों में उनका उल्लंघन हुआ है। न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उन अधिकारों का दावा किया जाए जो स्वयं संसदीय विधि के लिए अज्ञात हों।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के तहत् विशेषाधिकारों के सबंध में इस आधार पर हस्तक्षेप कर सकते हैं कि विधानमंडल की अवमानना के लिए अधिरोपित दंडादेश से याची के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- किसी विद्यमान विशेषाधिकार के संबंध में सदन ही यह निर्णय करेगा कि उसका कब और किस प्रकार प्रयोग किया जाए। विशेषाधिकारों के भंग होने के संबंध में सदन द्वारा किये गए किसी निश्चय पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

(ज) गतिरोध दूर करने के लिए उपबंध

- संसद के दोनों सदनों के बीच उत्पन्न गतिरोध का निपटारा संयुक्त बैठक से होता है, किंतु राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के मध्य उत्पन्न गतिरोध को निपटाने के लिए कोई उपबंध नहीं है।
- राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच उत्पन्न गतिरोध में विधानसभा की इच्छा ही अंत में प्रभावी होती है।
- विधानपरिषद् को इस संबंध में मात्र इतनी शक्ति प्राप्त है कि जिस विधेयक के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हुआ है, वह उसे पारित करने में कुछ विलम्ब कर सकती है।

राज्य विधानमंडल का कार्य संचालन

- अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्य की विधानसभा और विधानपरिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- अनुच्छेद 189 में कार्य संचालन संबंधी साधारण नियम जैसे सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति आदि के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं।

राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबन्ध

संविधान द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर निम्न प्रतिबन्ध लगाये गए हैं–

- आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकते और इस दौरान विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित हो जाती है।
- राज्य विधानमंण्डल संविधान की सातवीं अनुसूची की तृतीय सूची (समवर्ती सूची) में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि इन विषयों पर संसद द्वारा भी विधि का निर्माण किया गया है और संसद द्वारा निर्मित विधि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के विरोध में है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि उस सीमा तक शून्य होगी, जिस सीमा तक वह संसद द्वारा निर्मित विधि के विरोध में है।
- राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना राज्य विधानमंडल राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधि का निर्माण नहीं कर सकते। उदाहरणार्थः- अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य पर युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करने वाला कानून।

- राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। जब संसद को ऐसा अधिकार दिया गया हो, तब राज्य विधान मंडल उस विषय पर कानून नहीं बना सकते। राज्यसभा, संसद को यह अधिकार एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के संबंध में दे सकती है।
- संघ की शक्तियों या उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को प्रभावित करने वाले विधेयक राज्य विधानमंडल पारित कर सकते हैं, लेकिन इस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकते हैं और राष्ट्रपति की सम्मति के बाद ही ये विधेयक कानून के रूप में प्रवर्तित होते हैं।

भारत के विभिन्न राज्य विधानसभाओं एवं विधानपरिषद्ों की सदस्य संख्या

- भारतीय संविधान के अनुसार एक विधानसभा सदस्य एक निश्चित विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका चुनाव आम जनता मतदान के द्वारा करती है, जबकि विधानपरिषद् के सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्य, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, शिक्षक, स्नात्तक इत्यादि द्वारा किये गये मतदान से होता है।
- वर्तमान समय में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश (403) में और सबसे कम संख्या पुदुचेरी (30) में है, जबकि विधानपरिषद् सदस्यों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश (100) में और सबसे कम संख्या जम्मू-कश्मीर (36) में है।

राज्य सरकार	
विधानसभा (निम्न सदन)	**विधानपरिषद् (उच्च सदन)**
सदस्य संख्या 60-500 तक	सदस्य संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से कम
इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं।	इसके 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा एवं 1/12 सदस्य स्नात्तकों द्वारा चुने जाते हैं।
इसके सदस्यों को MLA कहा जाता है।	इसके सदस्यों को MLC कहा जाता है।
इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।	इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं।
इसके संचालनकर्ता को "स्पीकर" कहा जाता है।	इसके संचालनकर्ता को "चेयरमैन" कहा जाता है।
वर्तमान में सभी 29 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी में विधानसभा कार्यरत है।	वर्तमान में केवल 7 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक एवं जम्मू-कश्मीर में विधानपरिषद् कार्यरत है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. राज्य विधान परिषद् को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है?
   (a) संसद (b) राष्ट्रपति
   (c) राज्यपाल (d) विधानसभा
2. राज्य विधानसभा में कोई भी धन-विधेयक पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता, बगैर
   (a) संसद की संस्तुति के
   (b) राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के
   (c) भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के
   (d) मन्त्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के
3. यदि कोई राज्य सरकार प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है, तो
   (a) राज्य मन्त्री परिषद् को अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है।
   (b) राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तथा संघीय संरचना को ऐकिक संरचना में परिवर्तित कर सकता है।
   (c) राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है तथा राष्ट्रपति राज्य की सारी शक्तियाँ ग्रहण कर सकता है।
   (d) सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप के लिए कहा जा सकता है।
4. क्या किसी राज्य विधानसभा में संविधान संशोधन विधेयक को प्रारम्भ किया जा सकता है?
   (a) हाँ
   (b) नहीं
   (c) केवल उक्त राज्य से संबंधित होने पर
   (d) राष्ट्रपति की अनुमति से
5. राज्य विधान सभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है?
   (a) विधानसभाध्यक्ष (b) राज्यपाल
   (c) राज्य का वित्त मंत्री (d) राज्य का मुख्यमंत्री
6. राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु कब भेजा जाता है?
   (a) राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात्
   (b) राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व
   (c) संसद के अनुमोदन से पूर्व
   (d) संसद के अनुमोदन के बाद
7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है?

EBD_7939

(a) असम (b) मणिपुर
(c) नागालैण्ड (d) आंध्र प्रदेश

8. राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं?
(a) 1 (b) 2
(c) 2 (d) 6

9. निम्नलिखित राज्यों में से कौन-से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है?
(a) पश्चिम बंगाल (b) आन्ध्र प्रदेश
(c) तमिलनाडु (d) पंजाब

10. संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अन्तर्गत लागू किया जाता है?
(a) धारा 352 (b) धारा 356
(c) धारा 360 (d) धारा 350

11. राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है?
(a) 350 (b) 600
(c) 500 (d) 750

12. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी, 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है
(a) 16 लाख (b) 18 लाख
(c) 20 लाख (d) 25 लाख

13. भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधानपरिषद् नहीं है। यद्यपि सप्तम संशोधन अधिनियम, 1956 में उसके लिए उपबन्ध है–
(a) महाराष्ट्र (b) बिहार
(c) कर्नाटक (d) मध्य प्रदेश

14. यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि–
(a) मतदान बहुत कम हुआ
(b) बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था
(c) निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पर विजय बहुत कम मतों से थी
(d) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी

15. राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफ़ारिश कर सकता है:
(a) राज्य विधानमंडल की संस्तुति पर
(b) राष्ट्रपति की संस्तुति पर
(c) मुख्यमंत्री की संस्तुति पर
(d) यदि उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है

16. किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है?
(a) भारत का राष्ट्रपति
(b) मुख्य मंत्री और उसका मंत्रिमंडल
(c) भारत का निर्वाचन आयोग
(d) संसद

17. "द्विसदनीय विधानसभा" का मतलब क्या है?
(a) विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है
(b) विधायकों को 1 विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
(c) विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बाँटा जाता है।
(d) विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बाँटा जाता है।

18. निम्न में से कौन-सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का तो भाग है, किन्तु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है?
(a) राज्यसभा
(b) लोकसभा
(c) राज्यों की विधानसभाएँ
(d) राज्यों की विधानपरिषदें

19. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में संशोधन कर इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल का सदस्य बनाया गया है?
(a) 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1974
(b) 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991
(c) 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
(d) 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

20. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत् भारतीय विधानपरिषद् को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई?
(a) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 ई.
(b) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 ई.
(c) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 ई.
(d) भारतीय शासन अधिनियम, 1919 ई.

21. जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में, भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) राज्य की नीति के निदेशक तत्व प्रयोज्य नहीं होते हैं।
(b) रोजगार, अधिवास तथा सम्पत्ति के संबंध में राज्य के स्थायी निवासियों को अनुच्छेद 35A कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है।
(c) अनुच्छेद 19(1)(f) को छोड़ दिया गया है।
(d) राज्य के संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 प्रयोज्य नहीं है।

22. निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग **नहीं** माना जाता है?
(a) राज्यपाल (b) विधानसभा
(c) विधानपरिषद् (d) मुख्यमंत्री

23. भारत के राज्यों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
(a) भारत में राज्यों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते हैं।
(b) जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान है।
(c) भारत में राज्यों को भारत संघ से पृथक् होने का अधिकार नहीं है।
(d) दिल्ली के मंत्रिपरिषद् में सदस्यों की अधिकतम संख्या, विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत हो सकती है।

24. भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है?
(a) पश्चिम बंगाल (b) बिहार
(c) मध्य प्रदेश (d) तमिलनाडु

25. निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता?
(a) मुख्यमंत्री
(b) सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग
(c) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(d) महाधिवक्ता

26. भारत में राज्य विधानपालिकाओं (State Legislatives) का उच्च सदन कौन-सा है?
(a) विधानपालिका परिषद् (b) विधानपालिका समिति
(c) राज्यपाल का कार्यालय (d) इनमें से कोई नहीं

27. राज्य विधान सभा में कोई भी धन विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता, बगैर
(a) संसद की संस्तुति के
(b) राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के
(c) भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के
(d) मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के

28. राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन-सी सही विधि है?
(a) लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव
(b) संबंधित राज्य की विधान सभा द्वारा साधारण बहुत से पारित प्रस्ताव
(c) संबंधित राज्य की विधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा
(d) लोक सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव

29. उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?
(a) कुल सदस्यों का 1/10 (b) कुल कुल सदस्यों का 1/8
(c) कुल सदस्यों का 1/7 (d) कुल सदस्यों का 1/6

अभ्यास प्रश्न-2

1. राज्य की विधानसभा और विधानपरिषद् की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा है
1. 25 वर्ष विधानसभा के लिए
2. 35 वर्ष विधानपरिषद् के लिए
3. 21 वर्ष विधानसभा के लिए
4. 30 वर्ष विधानपरिषद् के लिए

कूट
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 4 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने सम्बन्धी शक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
1. इन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है।
2. राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य मन्त्रिपरिषद् की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है।
3. यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ सहयोजित है।
4. अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के अवसान के समय ही जारी किया जा सकता है न कि राज्य विधान परिषद् के अवसान के समय।
5. राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी वापस नहीं किया जा सकता है।

कूट
(a) 2, 3 और 4 (b) 1, 3 और 5
(c) 1, 2 और 3 (d) 2, 4 और 5

3. राज्य का राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से स्वतन्त्र कार्य कर सकता है
1. विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।
2. राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए।
3. भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए।
4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए।
5. उच्च न्यायालय का परामर्श माँगने के लिए।

कूट
(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 2, 3, 4 और 5
(c) 1, 2, 4 और 5 (d) ये सभी

4. राज्य के राज्यपाल से सम्बन्धित निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है।
2. उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
3. वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है।
4. राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है।

कूट
(a) 1, 2 और 4 (b) 1, 2 और 3
(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

5. विधानपरिषद् के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
1. विधानपरिषद् विधानमंडल का उच्च सदन है।
2. जिन राज्यों में विधानपरिषद् है वहाँ उनको समाप्त नहीं किया जा सकता।
3. जिन राज्यों में विधानपरिषद् नहीं है वहाँ उनका गठन किया जा सकता है।
4. विधानपरिषद् के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

EBD_7939

कूट:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) उपरोक्त सभी

6. नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के सम्बन्ध में संसद की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए-
   1. किसी राज्य में से उसके राज्यक्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकेगी।
   2. किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकेगी।
   3. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकेगी।
   4. किसी राज्य के नाम से परिवर्तन कर सकेगी ।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
   (a) 1, 2, 3, 4
   (b) 2, 4
   (c) 1 और 3
   (d) 2, 3, 4

7. अन्तर्राज्य परिषद् के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. इसकी स्थापना भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन की गई।
   2. यह एक सिफ़ारिश करने वाला निकाय है।
   3. परिषद् के विचारार्थ मामलों को प्रक्रमित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद् की एक स्थायी समिति है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
   (a) केवल 1 और 3
   (b) केवल 1
   (c) केवल 1 और 2
   (d) 1, 2 और 3

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. भारत में किसी राज्य की विधान परिषद् आकार में उस राज्य की विधान सभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है।
   2. किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद् के सभापित को नामनिर्देशित करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

9. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है?
   1. राज्य विधाान सभा का विघटन
   2. राज्य के मंत्रिपरिषद् का हटाया जाना
   3. स्थानीय निकायों का विघटन

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3
   (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
    1. विधानसभा का/की अध्यक्ष, यदि विधानसभा का/की सदस्य नहीं रहता है/रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा/देगी।
    2. जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा/देगी।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    [IAS Prelims 2018]
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1, न ही 2

11. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. किसी राज्य विधान सभा की कार्यवाही के लिए कुल सदस्य संख्या का कम-से-कम 15 प्रतिशत सदस्यों का होना अनिवार्य है।
    2. विधान सभा की कम-से-कम तीन बैठकें वर्ष में होनी चाहिए तथा किन्हीं दो सत्रों के मध्य 4 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1, न ही 2

12. निम्नलिखित में से कौन-सी एक, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में सरकारिया आयोग की सिफारिश नहीं है?
    (a) उसे राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के कम-से-कम कुछ समय पहले तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया हुआ नहीं होना चाहिए।
    (b) किसी राज्यपाल को चुनने में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह ली जानी चाहिए।
    (c) राज्यपाल की पाँच वर्ष की पदावधि में असाधारण स्थिति को छोड़कर, बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।
    (d) राज्यपाल को उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए

13. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. किसी राज्य विधान सभा की कार्यवाही के लिए कुल सदस्य संख्या का कम-से-कम 15 प्रतिशत सदस्यों का होना अनिवार्य है।
    2. विधान सभा की कम-से-कम तीन बैठकें वर्ष में होनी चाहिए तथा किन्हीं दो सत्रों के मध्य 4 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1, न ही 2

EBD_7939

14. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 170 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 40 होगी।
    2. वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में विधानपरिषद् हैं – उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2
    (d) न तो 1, न ही 2

15. राज्य विधानमंडल में विधानपरिषद् के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
    (a) बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद् हैं।
    (b) किसी राज्य के विधान परिषद् में सदस्यों की कुल संख्या, विधान सभा में सदस्यों की कुल सख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।
    (c) कुल सदस्यों का बारहवाँ अंश, स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा।
    (d) कुल सदस्यों का बारहवाँ अंश, राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा।

16. निम्नलिखित में से कौन-सा एक मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में **नहीं** है?
    (a) राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों और विधायन के प्रस्तावों को राज्य के राज्यपाल को संसूचित करना
    (b) राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल द्वारा चाही गई सूचना और विधायन के प्रस्तावों को उपलब्ध कराना
    (c) मासिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करना
    (d) यदि राज्यपाल ऐसा चाहें, तो ऐसे किसी मामले को, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है किंतु मंत्रिपरिषद् द्वारा विचार नहीं किया गया है, मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करना

17. राज्य विधान सभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है?
    I. भारत के राष्ट्रपति के
    II. भारत के उपराष्ट्रपति के
    III. राज्यसभा के सदस्यों के
    IV. राज्य विधान परिषद के सदस्यों के

    सही उत्तर चुनिए-
    (a) I, II एवं III
    (b) I, III एवं IV
    (c) I एवं III
    (d) I, II एवं IV

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(a)	**4**	(b)	**7**	(c)	**10**	(b)	**13**	(d)	**16**	(c)	**19**	(c)	**22**	(d)	**25**	(c)	**28**	(c)
2	(b)	**5**	(b)	**8**	(a)	**11**	(c)	**14**	(d)	**17**	(c)	**20**	(b)	**23**	(d)	**26**	(a)	**29**	(d)
3	(c)	**6**	(d)	**9**	(b)	**12**	(a)	**15**	(d)	**18**	(c)	**21**	(c)	**24**	(a)	**27**	(b)		

अभ्यास-2

1	(c)	**3**	(a)	**5**	(b)	**7**	(d)	**9**	(b)	**11**	(d)	**13**	(d)	**15**	(c)	**17**	(b)		
2	(c)	**4**	(b)	**6**	(b)	**8**	(d)	**10**	(a)	**12**	(b)	**14**	(b)	**16**	(c)				

जम्मू-कश्मीर राज्यः विशेष दर्जा (370 के न्यूनीकरण से पूर्व)

11 अध्याय

जम्मू-कश्मीर राज्य और भारतीय संविधान

जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में दी गई परिभाषा के अनुरूप भारतीय संघ का 15वां राज्य है। किन्तु संविधान के वे सभी उपबंध जो पहली अनुसूची से सम्बन्धित राज्यों पर लागू होते हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत् प्राप्त "विशेष प्रस्थिति" के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते। मूल संविधान में जम्मू-कश्मीर राज्य को "भाग ख" राज्य का स्तर दिया गया था, किन्तु राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग-ख स्तर समाप्त कर सभी राज्यों को एक ही प्रवर्ग प्रदान किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की तत्कालीन परिस्थितियों के कारण भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि राज्य के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से कार्य करते हुए यह अंतिम रूप से तय करेंगे कि राज्य का संविधान क्या होगा और भारत संघ की उसमें क्या अधिकारिता होगी।

राज्य सरकार के परामर्श से जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू होने संबंधी 1950 में एक आदेश निकाला जिसमें प्रतिरक्षा, विदेश-कार्य एवं संचार इन तीन विषयों पर विधि बनाने के लिए भारत की संसद की अधिकारिता स्वीकार की गई।

राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित की गई प्रभुत्वसम्पन्न संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 31 अक्टूबर, 1951 को हुआ और राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में आयी, जिसमें सर्वप्रथम महाराजा के आनुवंशिक शासन को समाप्त किया गया और यह स्पष्ट किया कि राज्य में निर्वाचित सरकार स्थापित की जाएगी। अतः एक ओर महाराजा ने अखिल जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को अंतरिम सरकार के गठन करने का निमंत्रण दिया तो दूसरी ओर संविधान सभा ने महाराज के पुत्र कर्णसिंह को राज्य के सदर-ए-रियासत के रूप में निर्वाचित किया, जिसके साथ ही राज्य का प्रधान आनुवंशिक राजा न होकर निर्वाचित व्यक्ति हो गया। फरवरी, 1954 में राज्य की संविधान सभा ने जम्मू-कश्मीर राज्य का भारत के साथ विलय का अनुमोदन किया। इसके बाद भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति ने 1954 के अपने अध्यादेश द्वारा राज्य पर भारतीय संघ की अधिकारिता सभी संघीय विषयों पर स्वीकार की, जबकि पहले यह केवल प्रतिरक्षा, विदेश-कार्य और संचार तक ही सीमित थी। साथ ही इस आदेश के द्वारा संघ और राज्यों के संबंधों को शासित करने वाले भारतीय संविधान के उपबन्धों को स्थायी आधार भी दिया।

राज्य की संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1957 को राज्य के संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार और प्रवृत्त किया जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

1. यह संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत संघ का अविभाज्य अंग घोषित करता है।
2. इस संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर के राज्यक्षेत्र में पाक-अधिकृत कश्मीर भी सम्मिलित है।
3. इस संविधान के तहत राज्य की कार्यपालिका के प्रधान को "सदर-ए-रियासत" कहा जाता था जो कि राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता था, किन्तु 1965 में राज्य के संविधान में किए गए छठे संशोधन के बाद सदर-ए-रियासत को शेष भारतीय राज्यों के समान राज्यपाल कहा जाने लगा और वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मोहरयुक्त अधिपत्र द्वारा नियुक्त होने लगा।
4. राज्य का विधानमण्डल राज्यपाल और दो सदनों, विधानसभा और विधानपरिषद् से मिलकर बनता है। विधानसभा में अधिनियम 100 सदस्य होंगे, जिनका प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता निर्वाचन करेगी और दो महिला सदस्यों को राज्यपाल नामनिर्दिष्ट करेगा। विधानसभा के 24 स्थान पाक-अधिकृत कश्मीर में आते हैं। विधानपरिषद् में 36 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों क्रमशः लद्दाख और कारगिल से न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि होगा। ग्यारह सदस्य जम्मू प्रांत का प्रतिनिधित्व करेंगे, इनका चुनाव भी विधानसभा सदस्य करेंगे। शेष 14 सदस्य नगरपालिका आदि स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे।
5. राज्य की अपनी न्यायपालिका होगी, जिसके शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य व दो या दो से अधिक न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाएगा।
6. राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा जिसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
7. राज्य के संविधान का संशोधन राज्य का विधानमंण्डल अपने प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से अलग-अलग पारित प्रस्ताव के द्वारा कर सकेगा। किन्तु राज्य के संबंध में भारत संघ की अधिकारिता को प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन विधेयक को केवल भारतीय संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
   राज्य के संविधान के अनुच्छेद 22(7) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई निवारक निरोध की विधि का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं होगा। 1986 के एक अध्यादेश द्वारा भारतीय संविधान की धारा 249 का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर कर दिया गया है। इस अनुच्छेद के द्वारा राज्य सभा के दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर संसद राज्य-सूची के किसी भी विषय पर भी कानून बना सकती है।
8. इसके अलावा –
   - अनुच्छेद 352 और 360 के आपातकालीन प्रावधान राज्य की सहमति से ही उस पर लागू होंगे।

- केंद्र के निर्देशों के अनुपालन में असमर्थ रहने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 365 के अधीन राज्य के संबंध में यह समझने की शक्ति नहीं हैं कि राज्य सरकार शासन चलाने में अक्षम है।
- राज्य के संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से राज्य की समस्त विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है।
- भारतीय संविधान के भाग चार में वर्णित राज्य के नीति-निदेशक तत्वों से संबंधित प्रावधान राज्य पर लागू नहीं है।
- सम्पत्ति का नियोजन, अर्जन एवं निवास से संबंधित मौलिक अधिकार जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों को प्राप्त है, जबकि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम शेष भारतीयों को प्राप्त नहीं है।
- भारत के संविधान का संशोधन जम्मू-कश्मीर पर तभी विस्तारित होता है, जब अनुच्छेद 370(1) के अधीन राष्ट्रपति इस संबंध के आज्ञा प्रसारित करें। प्रारंभ से ही अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मांग की जाती रही है, किंतु इसके पीछे जो तथ्य छिपा है वह यह है कि अनुच्छेद 370 के खंड (3) के अनुसार राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद के प्रवर्तन में न रहने की घोषणा कर सकेगा साथ ही राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले इस अनुच्छेद के खंड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। चूंकि राज्य की संविधान सभा अब विद्यमान नहीं है, अत: मांग कर्त्ताओं के अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति पर अब कोई बंधन नहीं है।

जम्मू-कश्मीर राज्य विशेष स्थिति

अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है जो 1957 में 26 नबम्बर से प्रवृत्त हुआ। भारतीय संघीय संविधान एवं जम्मू-कश्मीर के संविधान के रहते हुए निम्नलिखित प्रावधान है:

1. संघ सरकार के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान है, लेकिन संघीय संविधान तथा जम्मू कश्मीर के संविधान में विरोध नहीं होगा।
2. संघ सरकार, जम्मू कश्मीर की सीमाओं तथा नाम में उसकी इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन नहीं कर सकती।
3. नागरिकता के नियम यहाँ भी लागू होते हैं। यहाँ की सरकार को 'स्थानीय निवासी' की समय-समय पर व्याख्या करनी होगी।
4. मौलिक अधिकार इस राज्य में भी लागू होते हैं, किंतु प्रतिबंधित रूप में।
5. भारत के संविधान कें वर्णित राज्य के नीति-निदेशक तत्व यहाँ भी लागू होते हैं।
6. समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य के कानून को केंद्र की सर्वोच्चता के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता।
7. अवशिष्ट विषय राज्य के पास हैं। केंद्र-राज्य सूची के विषयों पर केवल आपातकाल को छोड़कर अन्यथा विधि नहीं बना सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संविदा या समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। केंद्र सूची के विषयों पर बनाए कानून यहाँ लागू होते हैं।
8. राष्ट्रीय आपात स्थिति यहाँ लागू होती है, लेकिन राज्यों का संविधानिक तंत्र फेल हो जाने पर आपात या वित्तीय आपात पहले राज्य स्वयं लगाता है तथा बाद में संघ सरकार।
9. भारतीय संविधान के एंग्लो- इण्डियन तथा दलित वर्गों के प्रावधान यहाँ भी लागू होते हैं।

370 और 35 A के न्यूनीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर

5 अगस्त, 2019 को केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) को न्यूनीकरण करने की उद्घोषणा की। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है। सरकार के ऐलान के अनुसार जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर एक केन्द्र शासित प्रदेश होगा, वहीं लद्दाख को दूसरा केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख (Laddakh) में विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख के लोग लंबे समय से उसे केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे और यह फैसला स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है।

प्रमुख परिवर्तन

- जम्मू-कश्मीर दो भागों में विभाजित कर दिया गया है- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब ये दो अलग-अलग केन्द्रशासित प्रदेश होंगे।
- जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। अर्थात् जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार बनेगी, लेकिन लद्दाख की कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी।
- जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान रद्द हो गया है, अब वहाँ भारत का संविधान लागू होगा। जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा भी नहीं होगा।
- जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
- जम्मू-कश्मीर सरकार का कार्यकाल अब छह साल का नहीं, बल्कि पाँच साल का होगा।
- जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी ज़मीन लेकर बस सकेंगे। अब तक देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को वहाँ ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था।
- भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर में नौकरी भी कर सकेगा। अब तक जम्मू-कश्मीर में केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरी करने का अधिकार था।
- जम्मू-कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लोगों से भी विवाह करने की स्वतंत्रता होगी। किसी अन्य राज्य के पुरूष से विवाह करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, जैसा कि अब तक होता रहा है।
- अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर का मतदाता बन सकेगा और चुनावों में भाग ले सकेगा।
- रणबीर दंड संहिता के स्थान पर भारतीय दंड संहिता प्रभावी होगी तथा नए कानून या कानूनों में होने वाले बदलाव स्वत: जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे।

अब अनुच्छेद-370 का केवल खंड-1 लागू रहेगा, शेष खंड समाप्त कर दिये गए हैं। खंड-1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इसे भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के खंड-1 के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-1

1. जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इस संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है।
   (a) संघ सरकार जम्मू-कश्मीर की सीमाओं तथा नाम का उसकी इच्छा के विरूद्ध परिवर्तन नही कर सकती है।
   (b) मौलिक अधिकार इस राज्य में लागू होते है किंतु प्रतिबंधित रूप में।
   (c) भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व यहाँ लागू होते है।
   (d) भारतीय संविधान के ऐंग्लो इण्डियन तथा दलित वर्गो के प्रावधान यहाँ भी लागू होते है।
2. निम्न में कौन सुमेलित नहीं है?
   (a) अनुच्छेद 370 - जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
   (b) अनुच्छेद 371 - महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों कें संबंध में विशेष उपबंध
   (c) अनुच्छेद 371A - मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
   (d) अनुच्छेद 371B - असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
3. जम्मू-कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ?
   (a) 26 जनवरी, 1950 (b) 26 जनवरी, 1952
   (c) 26 जनवरी, 1957 (d) 26 जनवरी, 1971
4. जम्मू-कश्मीर का अपना पृथक् संविधान है। इस संविधान के अनुसार जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
   (a) राज्य का विधानमण्डल उसका निर्वाचन करता है
   (b) भारत का राष्ट्रपति
   (c) राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
   (d) राज्य का मुख्यमन्त्री राज्य के महाधिवक्ता के परामर्श से
5. जम्मू-कश्मीर का सदर-ए-रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया?
   (a) 1948 (b) 1950
   (c) 1952 (d) 1965
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. जम्मू-कश्मीर का विधानमण्डल द्विसदनीय है।
   2. जम्मू-कश्मीर में निम्न सदन विधानसभा की सदस्य संख्या 121 हैं।
   3. जम्मू-कश्मीर में गवर्नर शासन तब लगता है, जब मन्त्रिपरिषद् जम्मू-कश्मीर संविधान की अवहेलना करती है।
   4. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमन्त्री का कार्यकाल 6 वर्ष है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
   (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
   (c) 2, 3 और 4 (d) 1 और 2
7. जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में, भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) राज्य की नीति के निदेशक तत्व प्रयोज्य नहीं होते हैं।
   (b) रोजगार, अधिवास तथा सम्पत्ति के संबंध में राज्य के स्थायी निवासियों को अनुच्छेद 35A कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है।
   (c) अनुच्छेद 19(1)(f) को छोड़ दिया गया है।
   (d) राज्य के संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 प्रयोज्य नहीं है।
8. निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन-सा है, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है?
   (a) 360 (b) 368 (c) 370 (d) 375
9. किस राज्य के मामले में संसद, संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि-निर्माण कर सकती है?
   (a) असोम (b) राजस्थान
   (c) जम्मू-कश्मीर (d) केरल

अभ्यास प्रश्न-2

1. जून 2018 में, जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन की घोषणा की गई। जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल के शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल का शासन लगाया गया है।
   2. इसे राज्यपाल की इच्छा के आधार पर लगाया जा सकता है और इसके लिये भारत के राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनें (d) न तो 1 और न ही 2
2. हाल ही में अनुच्छेद 35A की वैधता को चुनौती दी गई।
   अनुच्छेद 35A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. यह जम्मू-कश्मीर राज्य को अपने 'स्थायी निवासियों' के संबंध में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है।
   2. इसे संविधान के मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई।
   3. यह तत्कालीन राष्ट्रपति के एक आदेश के तहत वर्ष 1954 में संविधान में शामिल किया गया था।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 3
   (c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?
   1. यह राज्य को अविशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है।
   2. यह केंद्र सरकार को अपनी राज्य विधानसभा की सहमति के बिना राज्य की सीमाओ में परिवर्तन करने से प्रतिबंधित करता है।
   3. यह राज्य में भारतीय संविधान के भाग-IV व IVA की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करता है।

EBD_7939

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत संवैधानिक प्रशासन की विफलता के आधार पर राज्य में आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
   2. जम्मू एवं कश्मीर का उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु रिट जारी कर सकता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

5. कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. ये प्रावधान संविधान में मूलत: उपस्थित थे।
   2. राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों का उद्देश्य राज्यों के आदिवासियों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

6. अनुच्छेद 35A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. यह संविधान में शामिल एक प्रावधान है जो जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को यह तय करने की पुर्ण स्वतंत्रता देता है कि कौन राज्य के 'स्थायी निवासी' हैं।
   2. अनुच्छेद 35A को संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (d) के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा वर्ष 1954 में संविधान में शामिल किया गया था।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

7. निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन असत्य है/हैं?
   1. संविधान के भाग IV में वर्णित नीति-निदेशक तत्व जम्मू-कश्मीर पर लागू होते हैं।
   2. संघ सरकार जम्मू-कश्मीर विधानसभा की अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर के नाम, सीमाक्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकती है।
   3. भाग lV (A) के अनुच्छेद 51 (A) में वर्णित मौलिक कर्त्तव्य जम्मू-कश्मीर पर लागू हैं।
   4. यद्यपि मौलिक अधिकार जम्मू-कश्मीर पर लागू होते हैं, परन्तु सम्पत्ति व निवास के अधिकार जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं।

   कूट

   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1, 3 और 4

8. संविधान के अनुच्छेद 35A के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
   1. अनुच्छेद 35A, जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह राज्य के "स्थायी नागरिक" की परिभाषा तय कर सके।
   2. अनुच्छेद 35A, जम्मू-कश्मीर के लिये विशेष उपबंध करने वाले अनुच्छेद 370 के भाग के रूप में जोड़ा गया है।
   3. इसे संविधान के मूल भाग में शामिल किया गया है।
   4. अनुच्छेद 35।, के अधीन उद्घोषणा के द्वारा साधारणतया राज्य सरकार और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित कर दी जाती हैं।

   इन कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) 1 और 2
   (b) 1 और 4
   (c) 2 और 3
   (d) 3 और 4

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(c)	**2**	(c)	**3**	(c)	**4**	(b)	**5**	(d)	**6**	(b)	**7**	(c)	**8**	(c)	**9**	(c)		

अभ्यास-2

1	(d)	**2**	(b)	**3**	(d)	**4**	(b)	**5**	(b)	**6**	(c)	**7**	(c)	**8**	(a)				

भारत में स्थानीय स्वशासन

12 अध्याय

भारत में स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही भारत में किसी-न-किसी रूप में पंचायतों का अस्तित्व रहा है। मुगलकालीन भारत और ब्रिटिश भारत में भी पंचायती राज व्यवस्था को जारी रखा गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो स्वरूप आज विद्यमान है, यह मुख्यत: ब्रिटिश शासन की देन है।

1. ब्रिटिश शासन में पहली बार स्थानीय संस्थाएं प्रेजिडेन्सी नगरों में अस्तित्व में आई। 1687 में बोर्ड डाइरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। 1726 में नगर निगम के महापौर के अधीन एक न्यायालय की स्थापना की गई। ऐसे न्यायालय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में स्थापित किए गए।
2. 1793 के चार्टर एक्ट ने इन स्थानीय संस्थानों को वैधानिक आधार प्रदान किया।
3. 1840 और 1853 के बीच स्थानीय कर दाताओं को इन नगर निगमों के सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया।
4. परंतु इस नीति को उस समय पूर्णतया बदल दिया गया जब 1853 में बम्बई नगर की समस्त प्रशासनिक शक्ति एक मनोनीत आयुक्त के हाथ में दे दी गई। कलकत्ता और मद्रास में भी यही किया गया।
5. 1842 के बंगाल अधिनियम से प्रेजिडेन्सी नगरों के बाहर स्थानीय संस्थाओं का आरंभ हुआ। यह अधिनियम भी नगरों में "सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं" के लिए विशेष प्रबंध करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। 1850 में इस अधिनियम को समस्त ब्रिटिश प्रदेश में लागू कर दिया गया। इसके अधीन ही नगरपालिकाओं को अप्रत्यक्ष कर लगाने की अनुमति प्रदान की गई।
6. 1868 में राजकीय सैन्य स्वच्छता आयुक्त रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर नागरिक संस्थाओं को बहुत बढ़ावा मिला।
7. 1869 के एक अधिनियम द्वारा प्रत्येक जिले में 'स्थानीय निधि समिति' बनाने की व्यवस्था की गई। जिलाधीश या जिला कलैक्टर को इस निधि का अध्यक्ष बनाया गया।
8. इन समितियों का प्रमुख कार्य कुछ उपहार लगाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य स्थानीय आवश्यकताओं का देखभाल करना था।
9. 1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई वैधानिक विकेन्द्रीकरण की नीति का एक प्रमुख परिणाम 1870 का लार्ड मेयो का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के द्वारा शिक्षा, सड़कें तथा स्वास्थ्य सेवाएं आदि विभागों का वित्तीय नियंत्रण प्रान्तीय सरकार को दे दिया गया। इसके फलस्वरूप, 'स्थानीय वित्त' का प्रारंभ हुआ।
10. 1871 के बंगाल जिला बोर्ड उपकर अधिनियम द्वारा बंगाल के ग्राम्य क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने का पहला साहसिक प्रयत्न किया गया। इसके बाद पंजाब, मद्रास एवं उत्तर-पश्चिमी प्रान्त आधुनिक उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के अधिनियम पारित किए गए।

लार्ड रिपन और स्थानीय स्वशासन

वायसराय लार्ड रिपन (कार्यकाल 1880 से 1884) को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1880-81 में लार्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को यह निर्देश दिया कि वे प्रांतीय एवं स्थानीय वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें ताकि यह निश्चित किया जा सके कि –

1. किन-किन मदों की आय-व्यय स्थानीय प्रशासन को सौंपी जाय?
2. किन-किन मदों का पुनर्विभाजन आवश्यक है ?
3. वे कौन से प्रयत्न हैं, जिनसे प्रांतीय एवं स्थानीय करों में समानता लाई जा सकती है?

इन विषयों पर प्रांतीय सरकारों से विस्तृत रिपोर्ट मिलने पर केंद्रीय सरकार ने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे स्थानीय शासन के विकास में एक मील का पत्थर कहा जाता है। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य प्रावधान थे:

1. स्थानीय बोर्डों को निश्चित कार्य तथा निश्चित आय के साधन दिए गए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड बनाए गए।
3. स्थानीय संस्थानों के कार्यों की समीक्षा तक ही सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति दी गई।
4. ऋण लेना, नागरिक सम्पत्ति का हस्तांतरण करना, नए कर लगाना इत्यादि कार्यों के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक मानी गई।

द्वैध शासन के अधीन स्थानीय स्वशासन

1919 के भारत सरकार अधिनियम के लागू होने से स्थानीय स्वायत्त शासन एक हस्तांतरित विषय बन गया। केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को इस विषय पर आदेश देने बंद कर दिये। प्रत्येक प्रांत को अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास करने की अनुमति मिल गई।

1935 के भारत शासन अधिनियम से स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को और गति प्राप्त हुई। अब वित्त का नियंत्रण लोकप्रिय सरकार के हाथों में आ गया। अत: इन संस्थाओं को अधिक धन उपलब्ध करा सकती थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में स्थानीय स्वशासन : सामुदायिक विकास कार्यक्रम

1950 में भारत का नया संविधान लागू हो गया। केंद्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों का गठन किया गया। इनमें से पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना उल्लेखनीय थी। श्री एस. के. डे

को इस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। 1952 में पंडित नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह माना गया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में गहरी रुचि पैदा करना था, किन्तु यह कार्यक्रम सरकारी तंत्र और ग्रामीण जनता के बीच की दूरी को कम करने के अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य में विफल रहा। इसकी विफलता का मुख्य कारण यह था कि इसे सरकारी महकमे की तरह चलाया गया। सरकारी मशीनरी के द्वारा गांव के लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की आशा की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अपने उत्थान एवं विकास के लिए स्वयं प्रयत्न करने के स्थान पर ग्रामीण जनता सरकार का मुंह ताकने लगी। इन बुराइयों को दूर करने का उपाय यह था कि वास्तविक सत्ता सम्पन्न लोकतंत्रीय स्थानीय संस्थाओं को आरंभ करके स्थानीय राजनीति के विष को काबू में किया जाए। बहुत- से लोगों का मत था कि पंचायती राज के माध्यम से प्रशासनिक तनावों को समाप्त किया जा सकता है। पंचायती राज का संबंध गांधीजी की यादों और जयप्रकाश नारायण द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने से है। जय प्रकाश नारायण ने पंचायती राज को देशी और प्राचीन 'सामुदायिक लोकतंत्र' के समान बताया और साथ ही इसे पश्चिम की 'जनता को हाथ बटाने का अवसर देने वाले लोकतंत्र' से आधुनिक कहा।

स्थानीय स्वशासन की विशेषताएँ

स्वशासन के महत्व को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है -

1. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से जनता अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेती है।
2. लोक शिक्षण की दृष्टि से भी से संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इन संस्थाओं को चलाने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिससे उनकी राजनीतिक चेतना विकसित होती है।
3. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव है जिनका कि लोगों के नित्य-प्रति के जीवन से संबंध है। इनका प्रबंध तो स्थानीय संस्थाएं ही ज्यादा अच्छा कर सकती हैं।
4. सत्ता व कार्यों का विभाजन हो जाने से केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों का कार्य-भार हल्का हो जाता है।
5. सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के अधिक अनुकूल है। नगरों और ग्रामों में निवास करने वाली जनता 'निर्वाचित संस्थाओं' द्वारा अपना शासन आप कर लेती है।

पंचायती राज के संबंध में गठित समितियों के प्रतिवेदन

बलवंतराय मेहता समिति का प्रतिवेदन

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के घोर असफलता के परिणामों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1957 में श्री बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने सरकार को यह बताया कि:

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटी यह थी कि इसमें जनता के सहयोग का नितांत अभाव था।
2. एक कार्यक्रम को जिसका कि लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन से संबंध है, केवल उन लोगों के द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकता है।
3. भारत में स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परम आवश्यकता है।
4. समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया – ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद्।
5. समिति ने यह सुझाव भी दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की निम्न इकाई, प्रखण्ड को समिति स्तर का माना जाए।

अप्रैल, 1958 में मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने सितम्बर, 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया।

भारत में पंचायतों का ढ़ांचा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है और इनका सृजन राज्य के कानूनों द्वारा किया जाता है। मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय शासन की इस त्रिस्तरीय योजना में पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। मुख्य कार्य पंचायत समिति को ही सौंपे गए हैं। कुछ राज्यों में पंचायत समिति को जनपद पंचायत भी कहा जाता है।

अशोक मेहता का पंचायती राज प्रतिमान

पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन करने एवं प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन सुझाने हेतु, जनता पार्टी की सरकार ने 12 सितम्बर, 1977 को श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत किया, जिसमें पंचायती राज के द्विस्तरीय स्वरूप की कल्पना की गई। अशोक मेहता के पंचायती राज प्रतिमान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. जिला परिषद् को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना की जाए।
2. जिले को विकेंद्रीयकरण की धारी माना जाए तथा जिला परिषद् को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बनाया जाए।
3. जिला परिषद् के बाद मंडल पंचायतों को विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संगठन बनाया जाए। मंडल पंचायतों का गठन कई गांवों से मिलकर होगा। ये मंडल पंचायतें 15,000 या 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जाएगी।
4. पंचायती राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का सम्पादन करें।
5. जिलाधीश सहित जिला स्तर के सभी अधिकारी अंतत: जिला परिषद् के मातहत रखे जाएं।
6. न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों के साथ नहीं मिलाया जाए।

डा. पी.वी.के. राव समिति

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने और उनमें सुधार हेतु अपने सुझाव देने के लिए डॉ. एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने गांवों के पुनर्गठन और पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय साधन सुलभ कराने की सिफारिश की।

EBD_7939

पंचायती राज का नया प्रतिमान

संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।" किंतु संविधान में इस अनुच्छेद के होते हुए भी पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं का संतोषजनक विकास नहीं हो पाया। श्री राजीव गांधी के शासनकाल में इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कुछ गंभीर प्रयास किए गए, जिसकी परिणति 1992 में संसद द्वारा पारित 73वें संवैधानिक संशोधन के रूप में सामने आई तथा 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया।

इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग: 'भाग 9' जोड़ा गया है। इस अधिनियम में राज्यों से कहा गया है कि वे अधिनियम में बताई गई रूपरेखा के आधार पर नए पंचायती राज कानून बनाएं। अधिनियम ने पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया है। अधिनियम के अनुसार बीस लाख से कम आबादी वाले राज्यों में द्वि-स्तरीय ढांचा होगा। अर्थात् वहां गांव और जिले के बीच की कड़ी अर्थात् पंचायत समिति बनाने की जरूरत नहीं समझी गई है। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन निम्न प्रकार से है-

1. ग्राम स्तर पर

ग्राम स्तर पर तीन निकायों की चर्चा की जा सकती है। ये निकाय हैं - ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत।

(क) ग्राम सभा

ग्राम सभा एक प्रकार से आम सभा के समान है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। केवल वे व्यक्ति उसके सदस्य नहीं हो सकते जो नाबालिग हैं, पागल हैं या न्यायालय द्वारा ग्राम सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए गए हैं। ग्राम सभा "ग्राम प्रधान" का चुनाव करती हैं। ग्राम प्रधान का कार्यकाल पांच वर्ष है। ग्राम सभा का एक उपप्रधान भी होता है। लेकिन उपप्रधान का चुनाव ग्राम सभा नहीं करती। वह ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है।

ग्राम सभा की बैठकें: ग्राम सभा की वर्ष में दो बैठकें होती हैं- एक खरीफ (गरमी) की फसल के बाद दूसरी रबी (सरदी) की फसल के बाद। प्रधान, ग्राम सभा की विशेष बैठक भी बुला सकता है।

ग्राम सभा के कार्य: ग्राम सभा के प्रमुख कार्य हैं-

1. पूरे वर्ष के लिए बजट पास करना।
2. ग्राम पंचायत यदि नये कर लगाना चाहे तो उन पर विचार करना।
3. गत वर्ष के हिसाब-किताब की ऑडिटरों द्वारा जो जांच की गई है, उसकी समीक्षा करना।
4. ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाना आदि।

(ख) ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा के प्रधान व उपप्रधान ग्राम पंचायत के "पदेन सदस्य" होते हैं। पंचायत का अर्थ यह नहीं है कि उसके केवल पांच सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। यह राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है कि कितनी जनसंख्या वाले गांव में कितने पंच होंगे। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेशा में पंचों की संख्या 15 से लेकर 30 तक होती है। पंजाब के गांवों में कम-से-कम 5 और अधिक-से-अधिक 9 पंच व एक सरपंच होता है।

स्थानों का आरक्षण: 73वें संशोधन अधिनियम में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया और आरक्षित स्थानों में एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों व जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि तक जारी रहेगा। यह अवधि 50 वर्ष अर्थात् सन् 2000 तक थी। राज्य सरकार विधि द्वारा किसी भी स्तर की पंचायत में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों या पदों का आरक्षण कर सकेगी।

ग्राम पंचायत की अवधि: ग्राम पंचायत का कार्यकाल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रहा है, किंतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित प्रावधान किया गया है कि-

1. प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से पांच वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी।
2. पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे।
3. विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें पांच वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।
4. विघटन किए जाने पर विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए।

इस प्रकार विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि अर्थात् 5 वर्ष में बची हुई शेष अवधि के लिए ही होगी। किंतु यदि बची हुई अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा।

ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अर्हता: अनुच्छेद 243 (च) यह व्यवस्था करता है कि वे सभी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की अर्हता रखते हैं, पंचायत का सदस्य बनने के योग्य होंगे। किंतु, दोनों के मध्य एक अंतर है, वह यह कि राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अनुच्छेद 173 के अनुसार 25 वर्ष है, जबकि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। यदि पंचायत के किसी सदस्य को योग्यता या अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो उस प्रश्न को ऐसे प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे राज्य विधानमंडल अपनी विधि द्वारा उपबंधित करे।

ग्राम पंचायत की बैठकें: ग्राम पंचायत की महीने में एक बैठक अवश्य होती है, बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। बैठक में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। यदि किसी विषय पर बराबर मत पड़ते हैं तो सरपंच को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।

ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियां: 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची स्थापित की गई है। इस अनुसूची के द्वारा

राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्ति का विभाजन उसी प्रकार किया गया है, जैसे 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच किया गया है। ये शक्तियां स्थानीय निकायों को राज्य-विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजित की जाएगी। पंचायत के प्रमुख कार्यों एवं शक्तियों को तीन प्रवर्गों में इस प्रकार रखा जा सकता है।

अनिवार्य कार्य: अनिवार्य कार्यों के अंतगर्त निम्नलिखित कार्य आते हैं–

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा।
2. मातृत्व एवं बाल-कल्याण।
3. पीने के पानी की व्यवस्था करना।
4. प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
5. सड़कें व नालियाँ आदि बनवाना।
6. सार्वजनिक स्थानों और बाजारों का प्रबंध करना।
7. कृषि का विकास।
8. शांति और व्यवस्था की स्थापना में सरकार की सहायता करना।

ऐच्छिक कार्य: कुछ कार्य ऐसे हैं जो पंचायतों के आर्थिक साधनों पर निर्भर करते हैं। इन कार्यों में प्रमुख हैं -

1. सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना।
2. अकाल और बाढ़ के समय ग्रामवासियों की मदद करना।
3. ग्रामवासियों के मनोरंजन के लिए पंचायत घरों में रेडियो एवं टेलीविजन का प्रबंध करना।
4. पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना करना।

विकासात्मक कार्य: 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों को समाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित अनेक कार्य सौंपे गये हैं। इनमें उल्लेखनीय हैं -

1. भूमि सुधार कानूनों को लागू करना।
2. वनोद्योग, लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करना।
3. तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं जुटाना।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने में सरकार की सहायता करना।

(ग) न्याय पंचायत

पंचायतों का एक प्रमुख उत्तरदायित्व ग्रामवासियों को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलवाना है। कई राज्यों में पचायतें स्वयं यह जिम्मेदारी निभा रही हैं जबकि अन्य राज्यों में इस कार्य के लिए अलग से न्याय पंचायतों का गठन किया गया है। न्याय पंचायतें छोटे-छोटे फौजदारी और दिवानी मुकदमे भी तय करती है। मुकद्दमों के निपटाने के लिए सरपंच पांच सदस्यों वाली एक "न्यायपीठ" का गठन करता है। इन पांचों न्यायपंचों में उन गांवों के पंच अवश्य लिए जाते हैं, जिनके निवासियों के बीच कोई विवाद हो। न्याय पंचायत के अधिकार क्षेत्र में छोटे-छोटे मुकद्दमे आते हैं। जैसे– छोटी-मोटी चोरियाँ, बिना इजाजत किसी के घर में प्रवेश करना, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा, किसी को धमकी देना या उससे बेगार लेना, मार-पीट या धोखा-धड़ी का व्यवहार करना आदि। न्याय पंचायतें कारावास की सजा नहीं दे सकतीं, ये सिर्फ जुर्माना कर सकती हैं। न्याय पंचायतों को 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के जुर्माने का अधिकार प्राप्त है।

न्याय पंचायत का संगठन: उत्तर प्रदेश व कई अन्य राज्यों में प्रत्येक जिले के सभी गांवों को कई मंडलों में या समूहों में बांटा गया है तथा प्रत्येक मंडल के लिए न्याय पंचायत होती है। प्रत्येक मंडल की न्याय पंचायत में संबंधित गांव के प्राय: तीन प्रतिनिधि होते हैं। न्याय पंचायत के सदस्य न्याय पंच कहलाते हैं। इन पंचों में से ही किसी एक को 'सरपंच' और किसी अन्य सदस्य को 'सहायक सरपंच' चुना जाता है, न्याय पंचायतों की आय के प्रमुख साधन हैं–

ग्राम पंचायत के आय के साधन: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों के वित्तीय संसाधनों को व्यापक बनाने की कोशिश की गई है। पंचायतों की आय के प्रमुख साधान हैं–

1. मकान व जमीन पर कर।
2. माल व पशुओं की बिक्री पर कर।
3. सामुदायिक केंद्र आदि सार्वजनिक उपयोग के भवनों से प्राप्त होने वाला किराया।
4. राज्य सरकार को भू-राजस्व से प्राप्त होने वाली आय का कुछ भाग पंचायतों को दिया जाता है।
5. न्याय पंचायत द्वारा लगाए गए जुर्माने भी पंचायतों की आय का प्रमुख साधन हैं।
6. पंचायतों को दान और उपहार भी मिलते हैं।

इसके अलावा 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अपनी विधि द्वारा पंचायत को किसी कर, शुल्क, पथकर आदि का उद्ग्रहण करने, उनका संग्रह करने और उन्हें विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

पंचायत वित्त आयोग

73वें संशोधन अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि इस अधिनियम की प्रवृत होने की तारीख (25-4-1993) से एक वर्ष के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष बाद राज्य सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने और निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगी -

1. राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय और उनके बीच विभाज्य कर, शुल्क, पथकर और फीस के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण और पंचायतों के विभिन्न स्तरों में उसका आबंटन।
2. कौन- से कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों को दिए जा सकते हैं?
3. पंचायतों को सहायता अनुदान।

वित्त आयोग का प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन राज्य विधानमंडन के समक्ष रखा जाएगा।

EBD_7939

राज्य निर्वाचन आयोग

विभिन्न राज्यों में पंचायती राज्य संस्थाएं		
राज्य	**स्तर**	**संस्थायें**
केरल	एक स्तरीय	ग्राम पंचायत
जम्मू-कश्मीर	एक स्तरीय	ग्राम पंचायत
त्रिपुरा	एक स्तरीय	ग्राम पंचायत
मणिपुर	एक स्तरीय	ग्राम पंचायत
सिक्किम	एक स्तरीय	ग्राम पंचायत
असम	दो स्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति
मध्य प्रदेश	दो स्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति
कर्नाटक	दो स्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति
ओडिशा	दो स्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति
हरियाणा	दो स्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति
उत्तर प्रदेश	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
बिहार	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
राजस्थान	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
महाराष्ट्र	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
आंध्र प्रदेश	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
हिमाचल प्रदेश	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
पंजाब	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
तमिलनाडु	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
गुजरात	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
पश्चिम बंगाल	चार स्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. अंचल पंचायत 3. आंचलिक परिषद् 4. जिला परिषद्
मेघालय	एक स्तरीय	जनजातीय परिषद्
नागालैंड	एक स्तरीय	जनजातीय परिषद्
मिजोरम	एक स्तरीय	जनजातीय परिषद्
गोवा	त्रिस्तरीय	1. ग्राम पंचायत 2. तालुका समिति, 3. जिला परिषद्।

73वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित अनुच्छेद 243 (ट) में व्यवस्था है कि पंचायतों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग के प्रमुख कार्य हैं -

1. पंचायतों के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना।
2. निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना।

आयोग की स्वतंत्रता व निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन आयोग के आयुक्त के उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है।

निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप वर्जन

(क) अनुच्छेद 243(ट): इस अनुच्छेद के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षे कसी न्यायालय के प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

पंचायती राज

संवैधानिक उपबंध: भाग-9 (अनुच्छेद 243-243 (ण))

अनुच्छेद 243 – परिभाषाएँ।
अनुच्छेद 243 (क) – ग्रामसभा।
अनुच्छेद 243 (ख) – ग्राम पंचायतों का गठन।
अनुच्छेद 243 (ग) – पंचायतों की संरचना।
अनुच्छेद 243 (घ) – स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद 243 (ड़) – पंचायतों की अवधि।
अनुच्छेद 243 (च) – सदस्यता के लिए अयोग्यताएं।
अनुच्छेद 243 (छ) – पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।
अनुच्छेद 243 (ज) – पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां।
अनुच्छेद 243 (झ) – वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।
अनुच्छेद 243 (ञ) – पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा।
अनुच्छेद 243 (ट) – पंचायतों के लिए निर्वाचन।
अनुच्छेद 243 (ठ) – संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना।
अनुच्छेद 243 (ढ) – विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।
अनुच्छेद 243 (ण) – निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन।

विभिन्न राज्यों में पंचायत समितियों के नाम	
राज्य का नाम	**समिति का नाम**
बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान	पंचायत समिति
आंध्र प्रदेश	मंडल पंचायत
तमिलनाडु	पंचायत यूनियन
पश्चिम बंगाल	आंचलिक परिषद्
असम	आंचलिक पंचायत
कर्नाटक	तलुका डैवेलपमेंट बोर्ड
मध्य प्रदेश	जनपद पंचायत
अरुणाचल प्रदेश	अंचल समिति

(ख) अनुच्छेद 243 (ण): किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्ननगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

पंचायती राज की त्रुटियां या समस्याएँ

पंचायती राज में सत्ता के विकेंद्रीकरण से विकास की गति में तो वृद्धि होगी, क्योंकि विकास परियोजनाएँ शीघ्र पूरी होंगी तथा लोगों की विकासात्मक कार्यों में भाग लेने की रुचि में वृद्धि होगी, किंतु इसके साथ कुछ की त्रुटियाँ भी दृष्टिगत होंगी, जैसे–

1. पंचायती राज व्यवस्था में जो सत्ता विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, वह केंद्र को कमजोर बना सकती है। जाति, धर्म, वर्ण, और लिंग की उपेक्षा करके यह समाज के सभी वर्गों को समानता के आधार पर न्याय दिलाने के मार्ग में बाधा बन सकती है।
2. क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ स्थानीय संगठनों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इसे रोक पाना एक कठिन काम है। भारत में मुद्रा व शक्ति का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे पंचायती राज की सफलता हेतु रोकना आवश्यक होगा।
3. यह अल्पसंख्यकों के संरक्षण में बाधा बन सकती है। यद्यपि हम देखते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों का समर्थन चाहता है तथापि कई ऐसे कारण हैं जो उन्हें ऐसा करने से वंचित करते हैं। परिणामस्वरूप प्रशासन तंत्र निम्न स्तर के लोगों को दबाए रखने की क्षमता रखता है।
4. पंचायती राज व्यवस्था में राष्ट्र की एकता और अखंडता के लक्ष्य की उपलब्धि में भी बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि पहले ही अलगाववादी और उग्रवादी शक्तियां देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बन गई है ऊपर से इन व्यवस्थाओं द्वारा भी इसका हनन हुआ है। इन शक्तियों ने राष्ट्रवाद के सूत्र को भी कमजोर किया है।
5. इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बन पाना कठिन कार्य होगा। दोनों के मध्य कटु संबंधों के कारण कई स्थानों पर विकेंद्रित संस्थाओं के निष्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

पंचायती राज की इन आधारभूत समस्याओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमें प्रतिक्रियावादी तत्वों पर प्रतिबंध तथा समुचित वातावरण की संरचना हेतु कदम उठाने आवश्यक हैं। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् चुनाव आयोजित करने के संवैधानिक दायित्व से भी पंचायती राज की सफलता को बल मिला है, क्योंकि नियमित चुनाव भी नेताओं को अधिक जिम्मेदारी बनाते हैं। यदि राजनीतिक दल पंचायती राज व्यवस्था को अपनी गंदी राजनीतिक से दूर रखें, तो यह राष्ट्र के हित में होगा। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिस्थापन पर प्रतिबंध हेतु कड़े नियम बनाने होंगे। जाति, धर्म, और मुद्रा शक्ति पर आधारित वर्तमान ढांचे को उखाड़ने के लिए सामाजिक क्रांति का होना भी बहुत जरूरी है। समाज कल्याण तथा आर्थिक विकास के उद्देश्य से गठित लोकतांत्रिक ढांचे से लोगों को कई प्रकार की आशाएं होती हैं। भारत जैसे अनेकता वाले देश की जनता की बढ़ती आशाएं प्रशासन में लोगों की भागीदारी के लिए सत्वर व प्रभावशाली नीतियों की मांग करती हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा नीतिगत उद्घोषणाओं से उठी चुनौतियों और अकांक्षाओं के लिए अंतर्गत से किए जाने वाले प्रयासों की आवश्यकता है। लोक कार्यों के प्रबंध की प्रवृत्ति का स्वरूप् लोकतांत्रिक होना चाहिए। निम्न स्तर पर लोगों के प्रतिनिधियों से लेकर उच्चतर स्तर तक दायित्वों का विकेंद्रीकरण व स्थानीय स्वायत्तता आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि निचले स्तर पर जिस लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, वह कई राज्यों के ग्रामीण नागरिकों में जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

क. खंड या क्षेत्रीय स्तर पर

ग्राम स्तर से ऊपर खंड या क्षेत्रीय स्तर आता है। इस स्तर पर समितियाँ स्थापित की गई हैं। यह पंचायती राज-व्यवस्था की मध्यवर्ती स्तर है। इस मध्यवर्ती स्तर को आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में "पंचायत समिति" कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे "क्षेत्र समिति'', असम में "आंचलिक पंचायत समिति'', पश्चिम बंगाल में ''आंचलिक परिषद्'', गुजरात में ''तालुका परिषद्'', मध्य प्रदेश में "जनपद पंचायत'', कर्नाटक में "पंचायत संघ परिषद्" कहते हैं।

पंचायत समिति का संगठन

प्रत्येक पंचायत समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं –

1. खंड के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच।
2. उस क्षेत्र विशेष से निर्वाचित सांसद एवं विधायक।
3. उस क्षेत्र के अंतर्गत जो टाऊन एरिया समितियों या अधिसूचित क्षेत्र समितियां हैं, उनके अध्यक्ष।
4. उस खंड से निर्वाचित जिला परिषद् के सदस्य।
5. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के प्रतिनिधि। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

पंचायत समिति का कार्यकाल

पंचायत समितियों का कार्यकाल पांच वर्ष है। समय से पहले भंग किए जाने की दशा में यह जरूरी है कि नयी समिति के गठन के लिए छह महीनों के भीतर चुनाव करवाए जाएं।

पंचायत समिति के पदाधिकारी

पंचायत समिति अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है। उसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी कहते हैं। इस पदाधिकारी के नीचे कई सहायक विकास अधिकारी होते हैं जो कृषि, सहकारिता, पशुपालन इत्यादि के विशेषज्ञ होते हैं।

पंचायत समिति के कार्य

भारत के अधिकांश राज्यों में पंचायत समिति पंचायती राजव्यवस्था की धुरी है। इस रूप में पंचायत समिति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं–

1. समिति के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व रख-रखाव।
2. उन्नत किस्म के बीज वितरण तथा उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों को बांटना।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्रसूति-केंद्रों की स्थापना।
4. ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय व पक्की नालियां बनवाना, धुंआ रहित चूल्हों तथा गोबर गैस संयंत्रों का वितरण, गांवों में चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना।
5. युवक संघों, महिला मंडलों तथा किसान गोष्ठियों की स्थापना करना।
6. कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था करना।
7. विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना करना।
8. कुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों का विकास करना।
9. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों का प्रबंध करना।

पंचायत समिति के आय के साधन

पंचायत समितियों के आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं–

1. राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति को अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान को निश्चित करने की जिम्मेदारी अब पंचायत वित्त आयोग को दी जा रही हैं।
2. राज्य सरकार को प्राप्त भू-राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत पंचायत समितियों को दिया जाता हैं।
3. पंचायत समितियां स्वयं बहुत-से कर वसूल करती है।

ख. जिला स्तर पर

पंचायत समितियां ग्राम पंचायतों के मध्य समन्वय स्थापित करती हैं। जिला स्तर पर पंचायती राज का सर्वोच्च निकाय जिला परिषद् है। जिला परिषद् विभिन्न पंचायत समितियों के मध्य समन्वय का काम करती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार एवं महाराष्ट्र में इसे "जिला परिषद्" ही कहा जाता है, जबकि असम में इसे "महाकोमा परिषद्" कहा जाता है। गुजरात एवं मध्य प्रदेश में इसे "जिला पंचायत" तथा तमिलनाडु एवं कर्नाटक में इसे "जिला विकास परिषद्" कहा जाता है।

जिला परिषद् का संगठन

जिला परिषद् में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं-

1. जिले की पंचायत समिति के अध्यक्ष।
2. उस जिले से निर्वाचित सांसद और विधायक।
3. जिले की प्रत्येक सहकारी समिति का एक प्रतिनिधि।
4. महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रतिनिधि। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। कम-से-कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
5. जिले में जो नगरपालिकाएं हैं, उनके अध्यक्ष।
6. जिला विकास अधिकारी या जिलाधीश भी जिला परिषद् का सदस्य होता है।

जिला परिषद् का कार्यकाल

सभी जिला परिषदों के लिए 5 वर्ष की समान अवधि का प्रावधान है। समय से पूर्व भंग होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि भंग होने की तिथि से छह माह के भीतर चुनाव करवा लिए जाएं।

पदाधिकारी: जिला परिषद् का एक सभापति या प्रमुख होता है, जिसका चुनाव परिषद् के सदस्य करते हैं।

जिला परिषद् के कार्य: जिला परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

1. जिले की सभी ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के कार्यों में तालमेल कायम करना।
2. जिले की पंचायत समितियों के बजट का निरीक्षण करना।
3. राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान को पंचायत समितियों में वितरित करना।
4. कृषि विकास, आर्थिक व सामाजिक विकास, भूमि व ग्राम नियोजन, जन-स्वास्थ्य, साक्षरता आदि से संबंधित गतिविधियों को सुनियोजित करना।
5. आदिवासी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं लागू करना।
6. सूखे और बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करना।

आय के साधन

73वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिला परिषदों के पास एक मजबूत वित्तीय आधार हो। राज्य सरकार भी जिला परिषदों को अनुदान देती है।

नगरीय संस्थाओं की नवीन प्रणाली

74वां संविधान संशोधन अधिनियम

1 जून, 1993 से प्रभावी संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम ने नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाईयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात् भाग "9 (क)" जोड़ा गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्वशासन संस्थाओं की व्यवस्था की गई है-

नगरीय शासन संबंधी संवैधानिक उपबंध (भाग-9 क)	
अनुच्छेद 243 (त)	परिभाषा
अनुच्छेद 243 (थ)	नगरपालिकाओं का गठन
अनुच्छेद 243 (द)	नगर पालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद 243 (ध)	वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
अनुच्छेद 243 (न)	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243 (प)	नगरपालिकाओं का अवधि आदि

EBD_7939

अनुच्छेद 243 (फ)	सदस्यता के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 243 (ब)	नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243 (भ)	नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां
अनुच्छेद 243 (म)	वित्त आयोग
अनुच्छेद 243 (य)	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद 243 (य) (क)	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 243 (य) (ख)	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
अनुच्छेद 243 (य) (ग)	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद 243 (य) (घ)	जिला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243 (य) (ड़)	महानगर योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243 (य) (च)	विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
अनुच्छेद 243 (य) (छ)	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

(अ) नगर निगम

देश के बड़े-बड़े नगरों जैसे दिल्ली, आगरा, बम्बई, लखनऊ, प्रयागराज, कलकत्ता, बंग्लूरू और मद्रास आदि में नगर निगम स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले 1888 में एक अधिनियम के तहत् बम्बई में नगर निगम की स्थापना की गई थी। दिल्ली में नगर निगम की स्थापना संसद के कानून के अधीन 1958 में की गई थी।

नगर निगम का संगठन

1. नगर निगम का प्रशासन एक परिषद् करती है, जिसे सामान्य परिषद् कहते हैं। परिषद् के सदस्य आम मतदाताओं द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। परिषद् के सदस्य, जिन्हें सभासद कहा जाता है, कुछ वरिष्ठ सदस्यों का चुनाव करते हैं।
2. 74वें संशोधन अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार से वरिष्ठ सदस्य राज्य-सरकार द्वारा नामांकित किये जा सकते हैं।
3. दिल्ली में 'एल्डरमैन' का नामांकन दिल्ली का उपराज्यपाल करेगा।
4. केवल ऐसे व्यक्ति ही नामांकित किये जाएंगे जो नगर प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव रखते हों या नगर निगम अथवा क्षेत्र का संसद या राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व करते हों।
5. सभासद व वरिष्ठ सदस्य एक जैसी शक्तियों का उपयोग करते हैं।
6. 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
7. 74वें संशोधन अधिनियम में यह कहा गया है कि सभी नगरीय संस्थाओं की कार्य-अवधि 5 वर्ष होगी। कोई भी नगर निगम तब तक भंग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे अपने विरूद्ध आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाए। भंग हो जाने की दशा में नये नगर निगम के गठन के लिए 6 महीनों के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए।

कार्य संचालन: सामान्य परिषद् अपने कार्यों का संचालन अपनी स्थायी समितियों के माध्यम से करती हैं। ये स्थायी समितियाँ सामान्य परिषद् द्वारा चुनी जाती हैं। ये समितियाँ प्राय: इन विषयों से संबंधित होती हैं-

1. करारोपण और वित्त।
2. बजट तैयार करना।
3. इंजीनियरिंग व निर्माण कार्य।
4. स्वास्थ्य तथा शिक्षा।

नगर निगम के पदाधिकारी

महापौर एवं उप-महापौर: नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। महापौर का चुनाव नगर निगम के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नगर निगम के सदस्य एक उप-महापौर का चुनाव भी करते हैं। आमतौर पर महापौर तथा उप-महापौर का कार्यकाल एक वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् वे पुन: इन पदों के लिए चुने जा सकते हैं। महापौर निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है-

1. वह नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के नाते वह विभिन्न विषयों पर वाद-विवाद का समय निर्धारित करता है। सदन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने पर वह सदन की बैठक स्थगित कर सकता है।
2. महापौर नगर का "प्रथम नागरिक" कहलाता है। नगर में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों का वह अभिनंदन करता है।

निगम आयुक्त या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी: निगम आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। नगर निगम के अधिकतर अधिकारियों की नियुक्ति "सामान्य परिषद्" द्वारा की जाती है। किंतु निगम आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य की सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की जाती है, परंतु सरकार इस अवधि को घटा या बढ़ा सकती है। निगम आयुक्त का वेतन नगर निगम के कोष से दिया जाता है।

निगम आयुक्त के कर्त्तव्य: निगम आयुक्त के प्रमुख दायित्व निम्नलिखित है-

1. निगम आयुक्त महापौर को प्रशासन संबंधी प्रतिवेदन देता है। इस प्रतिवेदन को महापौर निगम की सामान्य परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करता है।
2. निगम आयुक्त निगम के विभिन्न अधिकारियों और निकायों के कर्त्तव्य निर्धारित करता है और उनके कार्यों की देखभाल करता हैं।
3. वह नगर निगम और उसकी स्थायी समितियों की बैठकों में भी भाग लेता है। वह निगम द्वारा बनाए गए सभी नियमों को लागू करता हैं।
4. नगर निगम के सदस्य जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहें उसे जुटाना निगम आयुक्त का कर्त्तव्य है।

नगर निगम की आय के साधन: नगर निगम की आय के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं-

1. नगर निगम बहुत से कर लगाता है, जैसे-सम्पत्ति कर, गाडियों व पशुओं पर कर, सिनेमा और मनोरंजन कर, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर और जायदाद की बिक्री या हस्तांतरण पर कर आदि।

2. नगर निगम अन्य अनेक शुल्क भी वसूल करता है, जैसे- शिक्षा शुल्क, बिजली की खपत पर शुल्क, मार्ग कर व चुंगी शुल्क, नौकाओं पर शुल्क, विकास व सुधार कार्य के लिए वसूल किया जाने वाला शुल्क आदि।
3. नगर निगम को संबंधित राज्य सरकार अनुदान भी देती है। 74वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि नगरीय स्वशासन संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा।
4. नगर निगम लाभदायक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। वह ऐसे भवनों का भी निर्माण कर सकता है जिनसे उसे आय प्राप्त हो सके।

74वें संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य एक वित्त आयोग का गठन करेगा। आयोग का प्रमुख कार्य यह सुझाव देना है कि राज्य सरकार द्वारा वसूल किये जा रहे किन करों की आय राज्य और नगरीय संस्थाओं के मध्य वितरित की जाएगी।

(ब) नगरपालिकाएँ

नगरपालिकाएँ उन नगरों में स्थापित करने का प्रावधान है जो न तो बहुत बड़े हैं और न ही बहुत छोटे।

नगरपालिका की रचना: नगरपालिका के अधिकांश सदस्य आम मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होंगे। संबंधित राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिका में निम्नलिखित सदस्यों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकेगा-

1. नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति।
2. नगरपालिका क्षेत्र से निर्वाचित सांसद और विधायक।

74वें संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण रहेगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों में से एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किया गया आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् सन् 2010 तक की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। राज्य विधानमंडल चाहे तो पिछड़े वर्गों के लिए नगरपालिका में स्थानों का आरक्षण कर सकेगा।

नगरपालिकाओं की अवधि: प्रत्येक नगरपालिका अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक विद्यमान रहेगी। अनुच्छेद 243 (घ) में यह व्यवस्था है कि यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित की जाती है तो इसके लिए वह आवश्यक है कि उस नगरपालिका को विघटन से पूर्व ही नई नगरपालिका के लिए चुनाव करवा लिए जाएंगे। यदि नगरपालिका को पांच वर्ष से पूर्व विघटित किया गया है तो विघटन की तारीख से छह माह के भीतर नगरपालिका की शेष अवधि के लिए चुनाव करवाना आवश्यक होगा। किंतु यदि शेष अवधि छह माह से कम है तो निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा। इस स्थिति में नई नगरपालिका अर्थात् वह नगरपालिका जो पांच वर्ष की अवधि को पूरा करने के लिए चुनाव करवाया जाएगा।

सदस्यता के लिए अर्हताएं: अनुच्छेद 243(फ) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य है वह नगरपालिका का सदस्य बनने के भी योग्य होगा। किंतु दोनों निकायों की सदस्यता संबंधी योग्यता के मध्य एक अंतर है। वह अंतर यह है कि नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है जबकि अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है।

नगरपालिका के कार्य

नगर निगम और नगरपालिका के कार्य मूलभूत रूप में समान हैं। इनके प्रमुख कार्यों में उल्लेखनीय हैं-

1. नगर की स्वास्थ्य रक्षा के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना।
2. सार्वजनिक अस्पतालों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तथा मातृ व शिशु कल्याण-केंद्रों की स्थापना करना।
3. ये निकाय जन्म-मृत्यु के आंकड़ों का ब्यौरा रखते हैं ताकि जन्म-दर और मृत्यु-दर की जांच की जा सके।
4. ये निकाय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और सैकेंडरी स्कूलों की स्थापना करते हैं।
5. इन निकायों के अनेक सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित कार्य भी हैं। इस प्रकार के कार्यों में उल्लेखनीय हैं- 1. सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना 2. पर्यावरण सुरक्षा 3. समाज के कमजोर व विकलांग लोगों के हितों की रक्षा करना 4. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करना।
6. 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित 12वीं अनुसूची में 18 ऐसे विषय हैं जिनका उत्तरदायित्व नगर निगम और नगरपालिकाओं पर डाला गया है। इन विषयों में उल्लेखनीय हैं- नगर योजना, भूमि के उपयोग का विनियमन, मार्ग और पुल, जलप्रदाय, लोक-स्वास्थ्य, अग्नि-शमन सेवाएं, नगर वानिकी, मलिन बस्ती आदि।

नगरपालिका की आय के साधन: नगरपालिका की आय के मुख्य साधान निम्नलिखित हैं–

1. नगरपालिका की आय का सबसे बड़ा साधन वे कर हैं जो नगरपालिका द्वारा वसूल किए जाते हैं, जैसे-भवन कर, नगर में आने वाले माल पर चुंगी, पशुओं पर कर, विज्ञापन कर, जल एवं विद्युत के उपयोग पर कर आदि।
2. नगरपालिकाओं को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि नगरपालिकाओं को दिया जाने वाला अनुदान संबंधित राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा।
3. नगरपालिकाएं सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार से कर्ज लेती हैं जिसका भुगतान आसान किस्तों में किया जाता है।
4. 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित अनुच्छेद 243 (झ) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। इस प्रकार स्थापित किया गया वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगा–
   (क) राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले धन का राज्य और नगरपालिकाओं के मध्य उचित वितरण के संबंध में।
   (ख) वे कौन से कर, शुल्क, पथकर और फीस हैं जो नगरपालिकाओं को दिए जा सकते हैं।

EBD_7939

(ग) नगरपालिकाओं को दिया जाने वाला सहायता अनुदान।
(घ) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव।
(ड़) ऐसा कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा विर्निदिष्ट किया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग: 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित अनुच्छेद 243 (ट) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया जाएगा, जिसे नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु निम्न शक्तियाँ होगी-

1. निर्वाचन नामावली तैयार करना।
2. नगरपालिकाओं के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने की शक्ति।

74वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 243 (य)(क) के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आबंटन से संबंधित किसी विधि की विधिमान्यता की परीक्षा न्यायालय नहीं कर सकेंगे। नगरपालिका का निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकेगा। निर्वाचन अर्जी प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा विहित की जाए।

जिला और महानगर योजना समिति: 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति और राज्य के प्रत्येक महानगर में एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। इन समितियों के गठन के संबंध में यह व्यवस्था है कि-

1. जिला योजना समिति में कम-से-कम 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत और जिले की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। इनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के अनुपात में होगा।
2. महानगर योजना समिति में कम से कम दो-तिहाई सदस्य नगरपालिका के सदस्यों और नगरपालिका के क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। महानगर योजना समिति में स्थानों का विभाजन उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा।

जिला योजना समिति सम्पूर्ण जिले के विकास की योजनाएं तैयार करेगी। महानगर योजना समिति सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के विकास की योजना तैयार करेगी। इस प्रकार तैयार की गई विकासात्मक योजनाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वित्त आयोग को जो कर्त्तव्य सौंपे गए हैं उनमें 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक कर्त्तव्य और जोड़ा गया है। राज्य की नगरपालिकाओं के साधन स्रोतों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जाए? इस पर भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वित्त आयोग अपनी सिफारिश देगा।

(स) नगर पंचायत

74वें संशोधन अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार उन क्षेत्रों में नगर पंचायतें कायम की जा रही हैं जो बहुत छोटे हैं तथा जो न तो एकदम गांव जैसे हैं और न बिल्कुल शहरी क्षेत्र।

नगर पंचायत की रचना: नगर पंचायत के अधिकांश सदस्य आम मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नगर पंचायत के कुछ सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। केवल ऐसे व्यक्ति ही मनोनीत किए जाएंगे जिन्हें नगर प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो अथवा वे सांसद और विधायक जिनके निर्वाचन क्षेत्र में संबंधित नगर पंचायत स्थित हो।

नगर पंचायत की अवधि: नगर पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया है। पांच वर्ष से पूर्व ही नगर पंचायत के लिए चुनाव करवा लिए जाएंगे। किसी कारण से यदि नगर पंचायत पांच वर्ष से पूर्व विघटित की जाती है तो विघटन की तारीख से छह माह के भीतर नगर पंचायत की शेष अवधि के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य है।

नगर पंचायत के कार्य

नगर पंचायत के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

1. अपने क्षेत्र में सड़कें बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना।
2. प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध करना।
3. संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना।
4. प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंध करना।
5. मातृ व शिशु कल्याण-केंद्रों का प्रबंध करना।
6. जल एवं विद्युत की व्यवस्था करना।
7. जन्म-मृत्यु आदि का ब्यौरा रखना।

नगर पंचायत के आय के साधन वहीं हैं जो नगरपालिकाओं के हैं।

छावनी बोर्ड एवं पोर्ट ट्रस्ट

छावनी बोर्ड: जिन क्षेत्रों में सेनाएं रहती हैं उनके लिए छावनी बोर्ड स्थापित किए जाते हैं। छावनी बोर्ड केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। छावनी बोर्ड के लगभग आधे सदस्य निर्वाचित होते हैं और आधे नामजद किए जाते हैं। कानूनन नामजद किए जाते हैं। कानूनन नामजद सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यें से अधिक हो सकती है। छावनी बोर्ड उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य, सफाई, रोशनी आदि का प्रबंध करते हैं। छावनी बोर्ड को केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता राशि दी जाती है।

पोर्ट ट्रस्ट: बंदरगाह वाले क्षेत्रों में पोर्ट ट्रस्ट स्थापित किए जाते हैं। पोर्ट ट्रस्ट में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य होते हैं। पोर्ट ट्रस्ट में नगर निगम के सदस्यों और व्यापारियों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास आदि नगरों में जो पोर्ट ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं, वे निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करते हैं-

1. बंदरगाहों पर माल के लाने और ले जाने की समुचित व्यवस्था करना।
2. जहाजों के ठहरने की व्यवस्था करना।
3. यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से सफाई और रोशनी की व्यवस्था करना।
4. गोदामों की देखभाल करना आदि।

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पर बहुत-सी जिम्मेदारियाँ है। इन जिम्मेदारियों के निर्वहन में उन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएं हैं - वित्तीय संकट, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, बढ़ती हुई जनसंख्या तथा खास कर शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपडियों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी आदि। ये समस्याएं इन संस्थाओं के कार्य संचालन की प्रक्रिया में अनेकानेक बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। इन्हीं सभी परेशानियों के समाधान हेतु संविधान में 73वां संशोधन किया गया। समाधान का परिणाम भविष्य के गर्भ में है, किंतु समयानुसार इस संबंध में सकारात्मक आशाएं होना आवश्यक है।

जिला परिषद् तथा प्रादेशिक परिषद्

1. प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद् होगी जो अधिकतम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। इन सदस्यों में से अधिकतम 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जोकि राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे। शेष सदस्य व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। यदि जिला परिषद् पहले ही भंग नहीं कर दी जाती है तो ये सदस्य पांच वर्ष तक पद धारण करेंगे।
2. स्वशासी प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक पृथक प्रादेशिक परिषद् होगी।
3. जिला परिषद् और प्रादेशिक परिषद् की संरचना एवं कार्य प्रणाली के संबंध में संबंधित राज्य का राज्यपाल नियम बनाएगा।
4. ये परिषद् प्राथमिक रूप से पृथक निकाय हैं जो और इन्हें कुछ विर्निदिष्ट क्षेत्रों में विधान बनाने की शक्ति है, जैसे आरक्षित वन से भिन्न वनों का प्रबंध, संपत्ति की विरासत, विवाह और सामाजिक रीति-रिवाज।
5. इन परिषदों को भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण की तथा कुछ विर्निदिष्ट कर अधिरोपित करने की शक्ति भी है।
6. इन परिषदों द्वारा बनाई गई विधि राज्यपाल की अनुमति के अभाव में निष्प्रभावी होगी।
7. इसके अलावा इन परिषदों के क्षेत्रधिकार में आने वाले विषयों पर विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून इनके अधीन क्षेत्रों पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि ये परिषदें इस संबंध में अपनी अनुमति न प्रदान करें।
8. संसद के किसी अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के संबंध में राज्यपाल यह निर्देश दे सकेगा कि वह अधिनियम इन स्वशासी जिलों पर लागू होगा या नहीं अथवा किस सीमा तक लागू होगा।
9. इन परिषदों को न्यायिक, सिविल और दांडिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ये परिषदें संबंधित उच्च न्यायालय की अधिकारिता के उसी प्रकार अधीन होंगी, जिस प्रकार राज्यपाल समय-समय पर विर्निदिष्ट करे।

अभ्यास प्रश्न-1

1. बलवन्त राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस पंचायती राज ढाँचे की सिफारिश की थी?
   (a) केवल गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत तथा खण्ड स्तर पर पंचायत समिति
   (b) केवल खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद्
   (c) गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद्
   (d) केवल गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद्
2. निम्नलिखित में से कौन-सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है?
   (a) पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी
   (b) त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण
   (c) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
   (d) पंचायती राज संस्था को करारोपण की अनिवार्य शक्तियाँ
3. जिला योजना समिति के सम्बन्ध में क्या सत्य है?
   (a) जिला योजना समिति प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर गठित की जाएगी
   (b) जिला योजना समिति के न्यूनतम 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाएँगे
   (c) जिला आयोग समिति का प्रमुख कार्य सम्पूर्ण जिले के विकास की योजनाएँ तैयार करना है
   (d) उपरोक्त सभी
4. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा?
   (a) राज्य वन विभाग
   (b) जिला कलेक्टर/उप-आयुक्त
   (c) तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारी
   (d) ग्रामसभा
5. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है?
   (a) स्वशासन प्रदान करना
   (b) पारम्परिक अधिकारों को मान्यता देना
   (c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत क्षेत्रों का निर्माण करना
   (d) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना
6. छावनी बोर्ड के बारे में निम्न में से कौन-सी बात सही नहीं है?
   (a) इसका गठन कार्यकारी संकल्प द्वारा किया जाता है
   (b) यह रक्षा मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में काम करता है
   (c) इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगरपालिका प्रशासन के लिए की जाती है
   (d) यह एक संविधिक निकाय है
7. प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्षो का होगा
   (a) अपनी पहली बैठक की तिथि से
   (b) पंचायत के चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से
   (c) चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से
   (d) निर्वाचित सदस्यों द्वारा पद की शपथ लेने की तिथि से
8. छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
   (a) बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा (b) रक्षा सचिव द्वारा
   (c) राज्य के मुख्य सचिव द्वारा (d) भारत के राष्ट्रपति द्वारा
9. पंचायती राज प्रदान करता है-
   (a) पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास
   (b) स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन
   (c) ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व (Revenue) का संचयन
   (d) देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव

10. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था-
(a) जरूरतमन्दों को पदार्थो (goods) तथा सेवाओं का वितरण
(b) पिछड़े समुदायों की समस्याओं का समाधान
(c) छुआछूत उन्मूलन
(d) विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना

11. भारत में 73वाँ पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ?
(a) 24 अप्रैल, 1993 (b) 24 अप्रैल, 1994
(c) 24 मई, 1993 (d) 24 मई, 1994

12. पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
(a) केन्द्र सरकार (b) राज्य सरकार
(c) जिला न्यायाधीश (d) चुनाव आयोग

13. बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारम्भ की गई?
(a) राजस्थान तथा गुजरात (b) राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश
(c) उत्तर प्रदेश तथा बिहार (d) उपर्युक्त में से किसी में नहीं

14. देश में पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रारम्भ निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था?
(a) अशोक मेहता समिति (b) बलवन्त राय मेहता समिति
(c) कृष्णामचारी समिति (d) एन. जी. रंगा समिति

15. अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के संबंध में कौन-सा सुझाव दिया है।
(a) पंयायत प्रथा को समाप्त किया जाए।
(b) अनेक गांवों के लिए एक पंचायत की स्थापना की जाए।
(c) जिला परिषद् और मण्डल पंचायत नामक द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए।
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

16. पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टान्त है-
(a) स्थानीय स्वशासन का (b) प्रतिनिधिक मूलक शासन का
(c) जनवादी लोकतंत्र का (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

17. ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?
(a) पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है।
(b) 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है।
(c) ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती है।
(d) ग्राम पंचायत की अवधि पांच वर्ष होती हैं, इन्हे 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।

18. निम्नलिखित में से कौन-सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है?
(a) पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी
(b) त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण
(c) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
(d) पंचायती राज संस्था को करारोपण की अनिवार्य शक्तियाँ

19. भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सांविधानिक दर्जा दिया गया?
(a) 71वें (b) 72वें
(c) 73वें (d) 74वें

20. संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं?
(a) 243 (घ) (b) 243 (थ)
(c) 243 (फ) (d) 243 (ध)

21. संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं?
(a) 243 (घ) (b) 243 (थ)
(c) 243 (फ) (d) 243 (ध)

22. निम्न में कौन, पंचायती राज से सम्बन्धित है?
(a) शाह आयोग (b) नानावती आयोग
(c) बलवत राय मेहता समिति (d) लिब्राहन आयोग

23. भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है?
(a) पंचायती राज (b) अन्तर-राज्य परिषद्
(c) राष्ट्रपति (d) सी ए जी

24. लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का आशय है
(a) संघीय सरकार (b) संसदीय सरकार
(c) लोकतंत्रीय सरकार (d) स्थानीय सरकार

25. राजस्थान पहला राज्य है जिसमें
(a) स्थानीय स्वशासन प्रारम्भ किया
(b) मंडल प्रणाली प्रारम्भ की
(c) चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन
(d) चेयनपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन

26. भारत में त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था?
(a) बलवन्त राय मेहता समिति
(b) अशोक मेहता समिति
(c) रॉयल कमीशन
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

27. अभिव्यक्ति 'ग्राम सभा' सही रूप में निरूपित करती है
(a) किसी गाँव के बुजुर्ग नागरिकों को
(b) किसी गाँव की सारी आबादी को
(c) पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को
(d) पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को

28. भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अन्तर्गत शुरू की गई थी?
(a) 32 (b) 40
(c) 45 (d) 51

29. पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है?
(a) ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना
(b) ग्राम और खण्ड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना
(c) ग्राम, खण्ड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय संरचना
(d) ग्राम, खण्ड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतु:स्तरीय संरचना

EBD_7939

30. अक्टूबर, 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरम्भ किया गया–
(a) राजस्थान में (b) तमिलनाडु में
(c) केरल में (d) कर्नाटक में

31. वर्ष 1993 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा प्रावधान नहीं है?
(a) अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व
(b) सभी पदों के लिए उसके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापक किया जाना
(c) पंचायतों में एक तिहाई पदों तक, महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व
(d) पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय-पाबन्दी और जवाबदेही सुनिश्चित हो

32. एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद् (Municipal Council) में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि–
(a) वह अपने कालेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले
(b) वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो
(c) उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो
(d) वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे

33. यदि पंचायत भंग होती है, तो किस अवधि के अन्दर निर्वाचन होंगे?
(a) 1 माह (b) 3 माह
(c) 6 माह (d) 1 वर्ष

34. निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था?
(a) कलकत्ता (b) मद्रास
(c) बम्बई (d) दिल्ली

35. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है?
(a) स्वशासन प्रदान करना
(b) पारम्परिक अधिकारों को मान्यता देना
(c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना
(d) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना

36. निम्नलिखित में से कौन-सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा **नहीं** है?
(a) पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी
(b) त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण
(c) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
(d) पंचायती राज संस्था को करारोपण की अनिवार्य शक्तियाँ

37. प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा
(a) अपनी पहली बैठक की तिथि से
(b) पंचायत के चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से
(c) चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से
(d) निर्वाचित सदस्यों द्वारा पद की शपथ लेने की तिथि से

38. स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
(a) भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है।
(b) स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है।
(c) स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है।
(d) स्थानीय निकायों के एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है।

39. बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश के अनुसार–
(a) जिला, ब्लॉक और मण्डल स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था।
(b) जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था।
(c) जिला एवं मण्डल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था।
(d) केवल जिला स्तर पर जिला परिषद् का गठन प्रस्तावित किया गया था।

40. पंचायत की संरचना से संबंधित कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा।
(b) ग्राम सभा ग्राम स्तर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी।
(c) ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे।
(d) किसी राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा।

41. स्वायत्तशासी जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) निर्वाचन की तारीख से पाँच वर्ष
(b) निर्वाचन के बाद परिषद् की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से पाँच वर्ष
(c) शपथ ग्रहण की तारीख से छह वर्ष
(d) निर्वाचन के तारीख से छह वर्ष

42. निम्नलिखित में से कौन-सा स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद् की निधियों की लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाएगा?
(a) भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
(b) भारत सरकार द्वारा पैनलित चार्टरित लेखाकार
(c) राज्य सरकार के लेखा-परीक्षक
(d) कोई भी चार्टरित लेखाकार

43. स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के बातिलीकरण अथवा निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है?
(a) राज्यपाल (b) राष्ट्रपति
(c) राज्य का मुख्यमंत्री (d) प्रधानमंत्री

EBD_7939

44. हमारे संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है?
(a) भाग IX (b) भाग X
(c) भाग XI (d) भाग XII

45. निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए 'वित्त आयोग का गठन करता है?
(a) संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री
(b) संबंधित राज्य का वित्त मंत्री
(c) संबंधित राज्य का राज्यपाल
(d) संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री

46. ग्राम-सभा का अभिप्राय है
(a) एक पंचायत क्षेत्र के लोग
(b) जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग
(c) ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग
(d) पंचायतों के सदस्य

47. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता कौन करता है?
(a) सरपंच
(b) उपसरपंच
(c) सरपंच या उपसरपंच
(d) उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए

48. निम्नलिखित में से कौन-सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है?
(a) पी.वी.एन. राव समिति (b) एल. एम. सिंघवी समिति
(c) अशोक मेहता समिति (d) बलवंत राय मेहता समिति

49. अशोक मेहता समिति ने 'पंचायती राज' के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी?
(a) एक-स्तरीय (b) द्वि-स्तरीय
(c) त्रि-स्तरीय (d) चार-स्तरीय

अभ्यास प्रश्न-2

1. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
1. केन्टोण्मेण्ट बोर्ड एडमिनिस्टर्ड-केन्द्रीय रूप से रक्षा मन्त्रालय द्वारा।
2. नोटिफायड एरिया-नया विकासशील शहरी कमेटी द्वारा।
3. जटिल समस्याओं के साथ नगर पालिका परिषद्-बड़े शहरों का प्रशासन।
4. नगरपालिका-मेयर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

कूट
(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1 और 4
(c) 1, 2 और 4 (d) 2 और 3

2. पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित अशोक मेहता द्वारा समिति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन-सी हैं?
1. दो स्तरीय प्रणाली का सृजन।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।
3. पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की अनिवार्य शक्ति।
4. पंचायती राज गतिविधियों में राजनैतिक दलों की खुली भागीदारी।
5. अधिक्रमण होने पर एक वर्ष की अवधि के अन्दर चुनाव कराए जाने चाहिए।

कूट
(a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2, 4 और 5
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) 1, 3, 4 और 5

3. नगर निगमों से सम्बन्धित निम्न कथनों पर विचार कीजिए
1. राज्यों में उनकी स्थापना सम्बन्धित राज्य की विधानसभा के अधिनियम द्वारा की जाती है।
2. केन्द्रशासित क्षेत्रों मे उनकी स्थापना मुख्य प्रशासक के आदेश से होती है।
3. ये राज्य सरकारों के सीधे नियन्त्रण और निरीक्षण में काम करते हैं।
4. उनके परामर्श सम्बन्धी कार्य कार्यपालक कार्यों से अलग होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 3 (d) ये सभी

4. प्राक्कलन समिति के कार्यों में क्या आता है?
1. प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियाँ सुझाना।
2. यह देखना कि खर्च, इसको नियन्त्रित करने वाले प्राधिकार से मेल खाते हैं।
3. यह जाँच करना कि धन ठीक से उन सीमाओं के अन्तर्गत है, जो आकलनों में निर्धारित हैं।
4. उस रूप को सुझाना जिसमें आकलनों को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

कूट
(a) 1 और 2 (b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4 (d) ये सभी

5. पंचायती राज सम्बन्धी 73 वें संशोधन के अनिवार्य उपबन्ध निम्न में से कौन-से है?
1. मध्य और जिलास्तर पर पंचायत सभापतियों के अप्रत्यक्ष चुनाव।
2. विघटन होने की स्थिति में छः महीने के भीतर नए चुनाव।
3. पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबन्ध।
4. पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना।

कूट
(a) 1, 3 और 4 (b) 2 और 4
(c) 1 और 2 (d) 2, 3 और 4

6. निम्न में से कौन-से कथन सही हैं?
1. बलवन्त राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की।
2. अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1977 में प्रस्तुत की।
3. जी वी के राव समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत की।
4. एम एल सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की।

कूट
(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
(c) 1, 3 और 4 (d) 1 और 4

7. नगरपालिकाओं से सम्बन्धित 74वें (संशोधन) अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही है?
   1. दो लाख तक की आबादी वाले वार्डो के लिए वार्ड समितियाँ हों।
   2. राज्यपाल नगरपालिकाओं को करों की उगाही, संग्रहण और विनियोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
   3. छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद् हो।
   4. 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 20 कार्य मदों का उल्लेख है।

   कूट
   (a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 4
   (c) केवल 3 (d) 3 और 4

8. निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है?
   1. ग्राम सभा
   2. पंचायत समिति
   3. जिला परिषद्

   उत्तर निम्नलिखित कूटों में से चुनिए-
   (a) 2, 1, 3 (b) 3, 1, 2
   (c) 1, 3, 2 (d) 1, 2, 3

9. पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है-
   1. सत्ता का विकेन्द्रीकरण
   2. प्रशासन व जनता का सहयोग
   3. सत्ता का केंद्रीकरण
   4. पर्याप्त वितीय साधन

   कूटः
   (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
   (c) 1, 2 और 4 (d) 1 और 4

10. प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है?
    1. राज्य सरकार से
    2. केंद्र सरकार से
    3. केंद्र या राज्य सरकार के कानून द्वारा
    4. संविधान द्वारा

    कूटः
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) 3 और 4 (d) 1 और 4

11. भारत में स्थानीय स्वाशासन के लिए लॉर्ड रिपन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    1. जिला ही वह अधिकतम क्षेत्र होना चाहिए जिसकी आवश्यकतापूर्ति समिति या स्थानीय परिषद् द्वारा हो।
    2. स्थानीय परिषद् वृहत संख्या में मनोनीत सरकारी अधिकारियों से मिलकर बननी चाहिए तथा उसकी अध्यक्षता एक सरकारी अधिकारी द्वारा चेयरमैन के रूप में ही की जानी चाहिए।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

12. संविधान का 73वाँ संशोधन पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। इस उपबन्ध की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ हैं?
    1. सभी राज्यों में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था।
    2. प्रत्येक पाँच वर्ष में पंचायत चुनाव।
    3. महिलाओं के लिए स्थापना आरक्षण 33% से कम नहीं।
    4. विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों का गठन ।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः
    (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
    (c) 1, 2 और 4 (d) 2, 3 और 4

13. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–

सूची-I (स्थानीय निकाय)	**सूची-II (राज्य 1999 ई. की स्थिति के अनुसार)**
A. उप-प्रभाग स्तर पर जिला परिषद्	1. आन्ध्र-प्रदेश
B. मण्डल प्रजा परिषद्	2. असम
C. जनजातीय परिषद	3. मिजोरम
D. ग्राम पंचायतों का अभाव	4. मेघालय

कूटः
(a) A-2, B-1, C-4, D-3
(b) A-1, B-2, C-4, D-3
(c) A-3, B-2, C-1, D-4
(d) A-2, B-1, C-3, D-4

14. संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस/किन चीजों की व्यवस्था करता है?
    1. जिला योजना समितियों का गठन करने की
    2. राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की
    3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की

    निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

15. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका/शक्ति है?
    1. ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है।
    2. ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है।
    3. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

EBD_7939

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. भारत के संविधान के भाग IX में पंचायतों से सम्बन्धित उपबन्ध है और उसे संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया है।
    2. भारत के संविधान के भाग IX A में नगरपालिकाओं से सम्बद्ध उपबन्ध हैं तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगरपालिकाएँ हो सकती हैं–नगरपालिका परिषद् और नगर निगम।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) दोनों 1 व 2 (d) न ही 1 व न ही 2
17. संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था?
    (a) सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर, 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएँगी
    (b) पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियन्त्रण के लिए राज्य अपने-अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे
    (c) पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएँगे, यदि इनकी दो से अधिक सन्तानें हैं
    (d) यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो छ: महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएँगे
18. संविधान का 73 वाँ संशोधन पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। इस उपबंध की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं?
    1. सभी राज्यों में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था।
    2. प्रत्येक पाँच वर्षों में पंचायत चुनाव।
    3. महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण 33% से कम नहीं।
    4. विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों का गठन

    नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
    (c) 1, 2 और 4 (d) 2, 3 और 4
19. सहभागी बजट निर्माण किस प्रकार स्थानीय प्रशासकीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है?
    1. नागरिकों को लोक संसाधनों के वितरण पर चर्चा तथा वार्ता की अनुमति देकर
    2. नागरिकों को सीधे यह निर्णय करने की अनुमति देकर कि संसाधनों को कैसे तथा कहाँ व्यय किया जाय
    3. ऐतिहासिक रूप से अपवर्जित नागरिकों को महत्त्वपूर्ण निर्णय करने वाले स्थलों पर अभिगम की अनुमति देकर

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3
20. भारतीय संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित) कानून, जो आमतौर पर PESA कानून के रूप में जाना जाता है, पारित किया। निम्नलिखित में से PESA कानून से सम्बन्धित कौन-सा एक कथन सही नहीं है?
    (a) PESA का उद्देश्य था अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन उपलब्ध करवाना
    (b) PESA ग्राम सभाओं को शक्ति वंचित करता है
    (c) PESA जनजातियों का हित संरक्षित करता है
    (d) PESA जनजातियों के उत्तराधिकारों के संरक्षण हेतु लोक सुनवाई करता है।
21. भारत के संविधान में यथासमाविष्ट, प्राक्कलन समिति के कृत्य क्या होंगे?
    1. इस पर प्रतिवेदन देना कि क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, दक्षता या प्रशासनिक सुधार लाया जा सकता है।
    2. प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना
    3. यह परीक्षा करना कि क्या धन प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं के अन्दर अच्छी तरह व्यय किया गया है।
    4. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लोक उपक्रमों पर प्रतिवेदनों, यदि कोई है, का परीक्षण करना

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) 1, 2 और 3 (d) 3 और 4
22. भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों को गठित करने का और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने का उपबंध है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं।
    2. 73 वें व 74 वें संविधान संशोधनों ने संविधान में भाग IX और IXA को निविष्ट किया।
    3. भारत के संविधान के भाग IX एवं IXA के उपबंध लगभग समांतर और अनुरूप हैं।
    4. 73 वाँ संविधान संशोधन जनसंख्या के आकार का ध्यान किए बिना सभी राज्यों पर लागू है।

    ऊपर दिये गये कथनों में कौन से सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
    (c) केवल 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
23. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में विचार कीजिए:
    1. इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ (3) में किया गया है।
    2. यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

24. निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए:
    1. पूरे देश में स्थानीय सरकारों के ढाँचे में समानता लाना
    2. राज्य के राजस्व से निधि के नियमित और समुचित प्रवाह को सुनिश्चित करना
    3. नियमित अंतराल पर सरकारों का समुचित निर्वाचन करवाना
    4. शहर के प्रबंध और विकास के लिए एकल एकीकृत अधिकरण बनाना

    इनमें से किस-किस को भारतीय संविधान के 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों के कार्य व्यवहार में प्रविष्ट करने का प्रयास किया?
    (a) 1 और 2 (b) 1, 3 और 4
    (c) 1, 2 और 3 (d) 2, 3 और 4

25. भारत में पंचायतों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
    1. पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा प्रचायत की सीटों को भरा जाता है।
    2. ग्राम सभा उन व्यक्तियों का एक निकाय है, जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम की निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं।
    3. पंचायतें सांविधानिक स्वयत्तता के सिद्धान्त पर कार्य करती हैं।
    4. राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को वे शक्ति और प्राधिकार दे सकते हैं जिससे वे कार्य करने में सक्षम हो सकें।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
    (c) 1, 2 और 4 (d) केवल 1 और 4

26. भारत के संविधान के भाग IX में किए गए निर्धारण के अनुसार, पंचायतों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
    (a) पंचायतों की बैठकों में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पंचायत के अध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाने की आवश्यकता है।
    (b) राज्य विधानमंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पंचायतों में अध्यक्षों के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए अथवा नहीं।
    (c) प्रत्येक पंचायत पाँच वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, अगर पहले भंग न हुई हो।
    (d) राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण/लेखापरीक्षण के लिए उपबंध बना सकता है।

27. पंचायती राज एक व्यवस्था है-
    1. स्थानीय स्तर पर स्वशासन की।
    2. जैव-संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की।
    3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की।
    4. पदसोपानिक संरचना की।

    नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
    कूट:
    (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
    (c) 1, 2 और 3 (d) 2, 3 और 4

28. संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है-
    1. पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए;
    2. महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए;
    3. राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों का फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण; एवं
    4. 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण।

    नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
    (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
    (c) 2, 3 और 4 (d) सभी चारों

29. निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है?
    1. जिला पंचायत
    2. क्षेत्र पंचायत
    3. ग्राम पंचायत
    4. नगर पंचायत

    नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
    कूट:
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
    (c) केवल 2, 3 और 4 (d) सभी चारों

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(c)	**6**	(a)	**11**	(a)	**16**	(b)	**21**	(a)	**26**	(a)	**31**	(d)	**36**	(b)	**41**	(b)	**46**	(c)
2	(b)	**7**	(a)	**12**	(b)	**17**	(b)	**22**	(c)	**27**	(c)	**32**	(c)	**37**	(a)	**42**	(a)	**47**	(d)
3	(c)	**8**	(d)	**13**	(b)	**18**	(b)	**23**	(a)	**28**	(b)	**33**	(c)	**38**	(a)	**43**	(a)	**48**	(a)
4	(d)	**9**	(b)	**14**	(b)	**19**	(c)	**24**	(d)	**29**	(c)	**34**	(b)	**39**	(b)	**44**	(a)	**49**	(b)
5	(c)	**10**	(d)	**15**	(c)	**20**	(a)	**25**	(a)	**30**	(a)	**35**	(d)	**40**	(a)	**45**	(c)		

अभ्यास-2

1	(c)	**4**	(b)	**7**	(c)	**10**	(c)	**13**	(a)	**16**	(a)	**19**	(c)	**22**	(b)	**25**	(c)	**28**	(d)
2	(c)	**5**	(c)	**8**	(d)	**11**	(d)	**14**	(c)	**17**	(c)	**20**	(b)	**23**	(a)	**26**	(b)	**29**	(b)
3	(b)	**6**	(c)	**9**	(c)	**12**	(a)	**15**	(b)	**18**	(b)	**21**	(c)	**24**	(c)	**27**	(c)		

EBD_7939

संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

13 अध्याय

संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन

सभी संघ राज्य क्षेत्र मूल से एक ही प्रवर्ग के हैं, किंतु इनके शासन की प्रणाली में काफी अंतर है, जैसे–

1. अनुच्छेद 239(1) के अनुसार, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। इनका प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा।
2. अनुच्छेद 239(2) के अनुसार, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार प्रशासक के रूप में नियुक्त होने वाला राज्यपाल, प्रशासक के रूप में अपने कार्यों के संबंध में अपनी मंत्रिपरिषद् से स्वतंत्र होगा।

इसलिए सभी संघ राज्यक्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए एक प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं, राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए राज्यपाल द्वारा नहीं।

संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन संचालित करने वाले अधिकारियों के नाम	
मुख्य आयुक्त	**चंडीगढ़**
उप-राज्यपाल	दिल्ली, दमन तथा दीव, पांडिचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
प्रशासक	दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप

अध्यादेश जारी करने की शक्ति

संविधान ने संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है, किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है।

संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद्

मूल संविधान में संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था नहीं की गई थी। 1962 में 14वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधि द्वारा अवधारित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद् का गठन कर सकती है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद् के गठन की शक्ति दी गई है। इस प्रकार दिल्ली और पांडिचेरी की अपनी-अपनी विधानसभाएँ और मंत्रिपरिषद् हैं।

संघ क्षेत्रों का प्रशासन			
संघ क्षेत्र	**कार्यपालिका**	**विधायिका**	**न्यायपालिका**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उपराज्यपाल	–	कोलकाता (पोर्ट ब्लेयर में सर्किट न्यायपीठ)
चंडीगढ़	प्रशासक	–	पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़
दादर और नगर हवेली	प्रशासक	–	बम्बई (मुम्बई)
दमन और दीव	प्रशासक	–	बम्बई (मुम्बई)
दिल्ली	उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद्	विधानसभा	नई दिल्ली (दिल्ली)
लक्षद्वीप	प्रशासक	–	केरल (एर्नाकुलम)
पुडुचेरी	राज्यपाल, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद्	विधानसभा	मद्रास (चेन्नई)

अनुच्छेद 239 (क) में यह व्यवस्था है कि संसद विधि द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद् दोनों का सृजन कर सकेगी। इस व्यवस्था के तहत संसद ने 1963 में पांडिचेरी के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना की। इस व्यवस्था के अनुसार ही 1991 में संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना की गई है। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छह अन्य मंत्रियों की एक मंत्रिपरिषद् बनायी गयी है। यह उल्लेखनीय है कि संसद जब किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद् के संबंध में कोई विधि बनाती है, तब उस विधि में इसका उल्लेख रहता है कि ऐसी विधानसभा राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता।

कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति: अनुच्छेद 240 में इस संबंध में निम्न व्यवस्थाएँ हैं–

1. अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति को अनन्य अधिकारिता होगी।

2. राष्ट्रपति द्वारा इन राज्यक्षेत्रों के संबंध में बनाया गया कोई विनियम संसद के उस अधिनियम को निरसित या संशोधन कर सकता है जो संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय लागू किया गया है। यहां पर स्मरणीय है कि जब ऐसे किसी राज्यक्षेत्र में विधानसभा कार्य करती है तब राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति निलंबित रहेगी। विधानमंडल के विघटित या निलंबित किए जाने पर राष्ट्रपति की अधिकारिता पुनः जीवित हो जाएगी।

संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय

इस संबंध में अनुच्छेद 241 में यह व्यवस्था की गई है संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेंगी या ऐसे किसी राज्यक्षेत्र के लिए किसी अन्य निकटवर्ती उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। केवल संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का ही अपना उच्च न्यायालय है जो कि 1966 में स्थापित हुआ था। शेष अन्य संघ राज्यक्षेत्र अपने निकटवर्ती उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप कोलकाता उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। चेन्नई उच्च न्यायालय की अधिकारिता में पांडिचेरी है, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव मुम्बई उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं।

अर्जित राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 366(30) में यह व्यवस्था है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत के राज्यक्षेत्र में कोई ऐसा अन्य राज्यक्षेत्र भी शामिल होगा जो भारत के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट है अर्थात् जिसे भारत द्वारा अर्जित किया गया है, किंतु जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। इस प्रकार अर्जित किये गए राज्यक्षेत्र का अनुच्छेद 246(4) के तहत् भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के विधान के अधीन प्रशासन चलाया जाएगा।

1962 तक पांडिचेरी, करायकल, यानम तथा माहे का प्रशासन अर्जित राज्यक्षेत्र के रूप में चलाया जाता था, किंतु 1962 में इन्हें सम्मिलित रूप से "पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र" का दर्जा दे दिया गया।

अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र

(क) अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

इन क्षेत्रों के संबंध में संविधान की पांचवीं अनुसूची में उपबंधित प्रशासन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं-

1. भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उचित निर्देश दे सकेगी।
2. इन क्षेत्रों से संबंधित राज्य का राज्यपाल प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा।
3. राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल को यह अधिकारिता होगी कि वह निर्देश दे सके कि संसद या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा या कुछ अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा।
4. अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ख) जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

इन क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में दिए गए हैं–

1. ये जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिले के रूप में प्रशासित किए जाएंगे।
2. इन क्षेत्रों में जिला परिषद् तथा प्रादेशिक परिषदों का गठन किया जाएगा।
3. यदि किसी स्वशासी जिले में भिन्न-भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को, जिनमें से बसे हुए हैं स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा।

जनजाति सलाहकार परिषद्

1. ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी।
2. इस परिषद् में 20 से अधिक सदस्य होंगे।
3. इसमें से यथासंभव तीन- चौथाई सदस्य उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे।
4. यदि उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे।
5. राज्यपाल परिषद् की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित नियम बना सकेगा।
6. जनजाति सलाहकार परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।
7. अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित संविधान के इन उपबंधों को संसद द्वारा सामान्य विधान से परिवर्तित किया जा सकता है। इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।
8. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण से संबंधित प्रतिवेदन देने के लिए संविधान में एक आयोग का गठन करने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार 1960 में श्री ढेबर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई, जिसने 1961 में अपना प्रतिवेदन दिया।

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-1

1. छठी अनुसूची में किन राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन है?
   (a) असम (असोम) और त्रिपुरा
   (b) मेघालय और मिजोरम
   (c) 'a' और 'b' दोनों
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
2. निम्न में कौन सा कथन असत्य है?
   (a) मूल संविधान में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था नहीं की गई थी।
   (b) संविधान ने संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है।
   (c) 1960 में 15वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा गठन का अधिकार दिया गया।
   (d) संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की स्थापना की गई।
3. किस संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति संसद की विधायी शक्ति का अध्यारोहण कर सकती है?
   (a) लक्ष्यद्वीप (b) अंडमान एवं निकोबार द्वीप
   (c) दमन एवं दीव (d) उपरोक्त सभी के लिए
4. निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है?
   (a) ओडिशा (b) मिजोरम
   (c) मेघालय (d) असम
5. छठी अनुसूची में किन राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन है?
   (a) असम (असोम) और त्रिपुरा
   (b) मेघालय और मिजोरम
   (c) 'a' और 'b' दोनों
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
6. भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियन्त्रण के लिए विशेष उपबन्ध है?
   (a) तीसरी (b) पाँचवीं
   (c) सातवीं (d) नौवीं
7. भारत के संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबन्ध निम्नलिखित में से किसलिए किए गए हैं?
   (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए
   (b) राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए
   (c) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए
   (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए
8. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है?
   (a) असम (b) नागालैंड
   (c) मेघालय (d) त्रिपुरा
9. भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के उपबंध निम्न में से किसके लिए किए गए है?
   (a) राज्यों के बीच सीमा निर्धारण के लिए
   (b) सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए
   (c) पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए
   (d) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए
10. भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है?
    (a) तीसरी अनुसूची (b) चौथी अनुसूची
    (c) पांचवीं अनुसूची (d) छठी अनुसूची
11. भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है?
    (a) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
    (b) मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम
    (c) असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा
    (d) मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश
12. किस राज्य के अन्दर बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद् (बीटीसी), एक स्वायत्त स्वशासी निकाय, बनाया गया था?
    (a) असोम (b) मिजोरम
    (c) नागालैंड (d) मेघालय
13. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा इस अनुसूची के अधीन **नहीं** आता है?
    (a) असम (b) मणिपुर
    (c) मेघालय (d) त्रिपुरा
14. निम्नलिखित में से कौन-सा एक अन्तर्राष्ट्रीय मानवधिकार प्रपत्र भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है किन्तु अभी तक अनुसमर्थित नहीं है?
    (a) शिशु के अधिकारों पर कन्वेंशन
    (b) स्त्री के विरूद्ध सभी प्रकारों के भेदभाव के निरसन पर कन्वेंशन
    (c) स्त्री के राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन
    (d) विवाहित स्त्री की राष्ट्रीयता पर कन्वेंशन
15. 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था?
    (a) अनुच्छेद 123 (b) अनुच्छेद 124
    (c) अनुच्छेद 125 (d) अनुच्छेद 127
16. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का उद्देश्य था?
    (a) मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण
    (b) मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन
    (c) राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन
    (d) उपर्युक्त सभी
17. भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? **[IAS Prelims 2019]**
    (a) तीसरी अनुसूची (b) पाँचवीं अनुसूची
    (c) नौवीं अनुसूची (d) बारहवीं अनुसूची

अभ्यास प्रश्न-2

1. प्रशासनिक उपबन्धों तथा तत्सम्बन्धित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची-I व सूची-II का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए-

सूची-I

(A) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र
(B) अखिल भारतीय सेवाएँ
(C) भारत का नियंत्रक-लेखा महा-परीक्षक
(D) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण

सूची-II

1. दूसरी अनुसूची
2. पाँचवीं अनुसूची
3. सातवीं अनुसूची
4. छठवीं अनुसूची

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	3	4	1	2
(b)	4	3	2	1
(c)	4	3	1	2
(d)	3	4	2	1

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. लक्षद्वीप को मिनिकॉय नाम से जाना जाता है।
   2. दमन एवं द्वीप का गठन वर्ष 1966 में हुआ था।
   3. 69वाँ संविधान संशोधन 1992 में हुआ था।
   4. दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार का नियन्त्रण है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-से कथन सही नहीं हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 2, 3 और 4 (d) ये सभी
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. दिल्ली के मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
   2. दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, जो वर्ष 1966 में गठित हुआ था।
   3. दिल्ली में 6 लोकसभा तथा 2 राज्यसभा की सीटें आरक्षित हैं।
   4. दिल्ली के बारे में संविधान के अनुच्छेद 239 (A, A) में विशेष उपबन्ध हैं।

   उपरोक्त कथनों में कौन-से कथन सही हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 3 और 4
   (c) 2 और 4 (d) 1 और 3
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. स्वशासी क्षेत्रों के लिए जिलापरिषद् के गठन का प्रावधान है।
   2. जिलापरिषद् में 30 सदस्य होंगे, राज्यपाल द्वारा 5 सदस्य नामित होते हैं।
   3. जिलापरिषद् प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कर सकती है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन असत्य हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
5. किन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई है?
   1. दिल्ली
   2. पांडिचेरी
   3. चंडीगढ़
   4. दमन व दीव

   कूट:
   (a) 1 और 4 सही है (b) केवल 1 सही है
   (c) 1 और 2 सही है (d) केवल 2 सही है
6. संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है?
   1. संसद के नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक
   2. भारत का गृहमंत्री
   3. उस क्षेत्र की विधानसभा मंत्रिपरिषद् और उपराज्यपाल
   4. भारत का राष्ट्रपति

   कूट:
   (a) 1 और 3 सही है (b) केवल 3 सही है
   (c) केवल 1 सही है (d) 2 और 4 सही है
7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संदर्भ में कौन-सा/से कथन सत्य है।
   1. भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार से उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उचित निर्देश दे सकेगी।
   2. इन क्षेत्रों से सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा।
   3. राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल को यह अधिकारिता होगी कि वह यह निर्देश दे सके कि संसद या उस राज्य के विधानमण्डल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा या कुछ अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा।
   4. यदि किसी स्वशासी जिले में भिन्न-भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं, तो राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को, जिनमें ये बसे हुए हैं, स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा।

   कूट:
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
8. जनजाति सलाहकारी परिषद के बारे में प्रावधान है-
   1. इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य विधानसभा में ST वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं।
   2. इसका कार्य है कि राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट ST के कल्याण और प्रगति से सम्बन्धित मामलों में सलाह दे।
   3. राज्यपाल को निर्देश देने का अधिकार है कि संसद/विधानमण्डल का कोई विशेष अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।
   4. राज्यपाल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच भूमि के अंतरण के संबंध में विनियम बना सकेगा।

उपर्युक्त में से सही हैं-
(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3
(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2 और 4

9. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. यह पारंपरिक मौसमी संसाधनों पर यायावरी या चरागाही समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है।
2. गौण वन उपज के संग्रहण को सभी राजस्व या शुल्क या किसी भी अन्य अधिभार से मुक्त रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

10. 'अनुसूचित क्षेत्रों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. इन्हें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में घोषित किया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति के पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

11. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 371 A (b) अनुच्छेद 371 B
(c) अनुच्छेद 371 C (d) अनुच्छेद 371 D

12. संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी
2. इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है
3. इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम. एन. वेंकटचेलैया कर रहे हैं
4. यह देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।
इन कथनों में से कौन-कौन से सही है?
(a) 1 तथा 2 (b) 1 तथा 3
(c) 1, 2 तथा 3 (d) 2, 3 तथा 4

13. भारत में विशिष्टत: असुरक्षित जनजातीय समूहों [पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs)] के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : **[IAS Prelims 2019]**
1. PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्यक्षेत्र में निवास करते हैं।
2. स्थिर या कम होती जनसंख्या, PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है।
3. देश में अब तक 95 PVTGs आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं।
4. PVTGs की सूची में ईरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4 (d) 1, 3 और 4

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : **[IAS Prelims 2019]**
1. विधि के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, राष्ट्रीय तथा राज्य, दोनों स्तरों पर होते हैं।
2. प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य (मैंडेटरी) है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : **[IAS Prelims 2019]**
1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन निवासियों को वनक्षेत्रों में उगने वाले बाँस को काट गिराने का अधिकार है।
2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है।
3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(c)	**2**	(c)	**3**	(d)	**4**	(a)	**5**	(c)	**6**	(b)	**7**	(a)	**8**	(b)	**9**	(d)	**10**	(d)
11	(a)	**12**	(a)	**13**	(b)	**14**	(a)	**15**	(a)	**17**	(b)								

अभ्यास-2

1	(c)	**2**	(a)	**3**	(c)	**4**	(b)	**5**	(c)	**6**	(a)	**7**	(d)	**8**	(a)	**9**	(c)	**10**	(b)
11	(b)	**12**	(b)	**13**	(c)	**14**	(a)	**15**	(b)										

भारत की न्यायपालिका

14 अध्याय

भारत की न्यायपालिका

संविधान में संघात्मक व्यवस्था अपनाने के बावजूद हमने अमेरिका की तरह न्यायपालिका की दोहरी प्रणाली नहीं अपनायी हैं। संपूर्ण भारतीय राज्यक्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं और प्रत्येक उच्च न्यायालय के नीचे अन्य न्यायालयों का सोपान क्रम हैं, जिन्हें संविधान के अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है अर्थात् वे न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और उसके नियंत्रण के अधीन हैं।

उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय अंतिम होते हैं तथा इनके विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा।

उच्चतम न्यायालय का संगठन

संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि जब तक संसद कानून के द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती, तब तक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी। संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा न्यायाधीशों का वेतन और सेवा-शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया है। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1956 में न्यायाधीशों की कुल संख्या को आठ से बढ़ाकर दस कर दिया, 1960 में तेरह 1977 में सत्रह और 1986 में 26 कर दिया। वर्तमान में यह संख्या 30 है अर्थात् उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में न्यायाधीश, कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते समय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके। अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय मंत्रिमंडल के स्थान पर न्यायाधीशों से परामर्श करने की बात कही गई है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय आवश्यकतानुसार उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा, किंतु उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना उसके लिए आवश्यक है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

अनुच्छेद 126 के अनुसार, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या वह अपनी अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को जिसे भी वह उचित समझे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। ऐसा न्यायाधीश तब तक पदधारण करेगा जब तक कि वास्तविक मुख्य न्यायाधीश अपने कर्त्तव्यों के पालन में समर्थ न हो जाए अथवा नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हो जाए।

तद्‌र्थ न्यायाधीश

अनुच्छेद 127 में यह व्यवस्था है कि

1. यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय की बैठक का आयोजित करने या चालू रखने के लिए आवश्यक गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीश को जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, आवश्यक अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय का तद्‌र्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। किंतु अपनी इस शक्ति का प्रयोग मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही कर सकेगा।
2. इस प्रकार तद्‌र्थ रूप से नियुक्त किये गए न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकारिता और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

सेवा निवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति

अनुच्छेद 128 के अनुसार, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत न्यायाधीश को जो की उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में न्यायाधीश के रूप में भाग लेने और कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इस प्रकार आमंत्रित न्यायाधीश को वह भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति निश्चित करे उसे अन्य न्यायाधीशों के समान विशेष अधिकार भी प्राप्त होंगे, किन्तु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा अर्थात इससें न्यायाधीशों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

EBD_7939

भारत के मुख्य न्यायाधीश			
क्र. सं.	नाम	कब से	कब तक
1	एच जे कनिया	26 जनवरी 1950	6 नवम्बर 1951
2	एम पी शास्त्री	7 नवम्बर 1951	3 जनवरी 1954
3	मेहरचंद महाजन	4 जनवरी 1954	22 दिसम्बर 1954
4	बी के मुखरीजा	23 दिसम्बर 1954	31 जनवरी 1956
5	एस आर दास	1 फरवरी 1956	30 सितम्बर 1959
6	बी पी सिन्हा	1 अक्टूबर 1959	31 जनवरी 1964
7	पी बी गजेंद्रगडकर	1 फरवरी 1964	15 मार्च 1966
8	ए के सरकार	16 मार्च 1966	29 जून 1966
9	के एस राव	30 जून 1966	11 अप्रैल 1967
10	के एन वान्चू	12 अप्रैल 1967	24 फरवरी 1968
11	एम हिदायतुल्ला	25 फरवरी 1968	16 दिसम्बर 1970
12	जे सी शाह	17 दिसम्बर 1970	21 जनवरी 1971
13	एस एम सिकरी	22 जनवरी 1971	25 अप्रैल 1973
14	ए एन रे	26 अप्रैल 1973	27 जनवरी 1977
15	मिर्जा हमीदुल्ला बेग	28 जनवरी 1977	21 फरवरी 1978
16	वाई वी चंद्रचूड़	22 फरवरी 1978	11 जुलाई 1985
17	पी एन भगवती	12 जुलाई 1985	20 दिसम्बर 1986
18	आर एस पाठक	21 दिसम्बर 1986	18 जून 1989
19	ई एस वेंकटरमैय्या	19 जून 1989	17 दिसम्बर 1989
20	एस मुखर्जी	18 दिसम्बर 1989	25 सितम्बर 1990
21	रंगनाथ मिश्र	26 सितम्बर 1990	24 नवम्बर 1991
22	के एन सिंह	25 नवम्बर 1991	12 दिसम्बर 1991
23	एम एच कनिया	13 दिसम्बर 1991	17 नवम्बर 1992
24	एल एम शर्मा	18 नवम्बर 1992	11 फरवरी 1993
25	एम एन वेंकटचेलैय्या	12 फरवरी 1993	24 अक्टूबर 1994
26	ए एम अहमदी	25 अक्टूबर 1994	24 मार्च 1997
27	जे एस वर्मा	25 मार्च 1997	17 जनवरी 1998
28	एम एम पुंछी	18 जनवरी 1998	9 अक्टूबर 1998
29	ए एस आनंद	10 अक्टूबर 1998	11 जनवरी 2001
30	एस पी भरुचा	11 जनवरी 2001	6 मई 2002
31	बी एन कृपाल	6 मई 2002	8 नवम्बर 2002
32	जी बी पटनायक	8 नवम्बर 2002	19 दिसम्बर 2002
33	वी एन खरे	19 दिसम्बर 2002	2 मई 2004
34	राजेन्द्र बाबू	2 मई 2004	1 जून 2004
35	आर सी लहोटी	1 जून 2004	1 नवम्बर 2005
36	वाई के सभरवाल	1 नवम्बर 2005	13 जनवरी 2007
37	के. जी. बालकृष्णन	13 जनवरी 2007	11 मई 2010
38	एस एच कपाड़िया	12 मई 2010	28 सितम्बर 2012
39	अल्तमास कबीर	29 सितम्बर 2012	18 जुलाई 2013
40	पी सतशिवम	19 जुलाई 2013	26 अप्रैल 2014
41	राजेन्द्र मल लोढ़ा	26 अप्रैल 2014	27 सितम्बर 2014
42	एच एल दत्त	28 सितम्बर 2014	2 दिसम्बर 2015
43	टी एस ठाकुर	3 दिसम्बर 2015	3 जनवरी 2017
44	जगदीश सिंह खेहर	4 जनवरी 2017	27 अगस्त 2017
45	दीपक मिश्रा	28 अगस्त 2017	2 अक्टूबर 2018
46	रंजन गोगोई	3 अक्टूबर 2018	अब तक

न्यायाधीशों के लिए अर्हताएं

अनुच्छेद 124 (3) के अनुसार, केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो

1. भारत का नागरिक है,
2. किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा है,
3. किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है,
4. राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता है।

शपथ: संविधान की तृतीय अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र पर न्यायाधीश अपना कार्य प्रारम्भ करने से पहले राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा अपने स्थान पर नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल

संविधान में न्यायाधीशों के लिए किसी न्यूनतम आयु सीमा अथवा निश्चित पदावधि का उल्लेख नहीं है, जिसका अभिप्राय यह है कि उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण किए रहेगा, किन्तु-

1. वह किसी भी समय राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र से अपना पद त्याग सकेगा।
2. साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत से पारित संवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। कोई व्यक्ति जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में

पदधारण किया है, वह सेवानिवृत के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में निजी प्रयत्न (प्राइवेट प्रैक्टिस) नहीं कर सकेगा, किन्तु उसे राज्यपाल या राजदूत जैसे सम्मानजनक पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।

न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते

अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते की व्यवस्था की गई है। इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन एंव नि:शुल्क सरकारी आवास व अन्य सुविधायें यथा पेंशन दी जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 360(4) (ख) के अधीन वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन-भत्तों में कमी करने के लिए आदेश देने में सक्षम होगा।

उच्चतम न्यायालय का कार्य स्थान: उच्चतम न्यायालय का कार्य स्थान दिल्ली है, किन्तु मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से इसकी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकता है

अभिलेख न्यायालय

अनुच्छेद 129 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

न्यायाधीश पर महाभियोग

यदि न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता या साबित कदाचार का दोष सिद्ध हो जाता है तो न्यायाधीश को पदमुक्त करने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यह निम्न प्रकार से लगाई जाती है-

1. लोकसभा के कम-से-कम 100 या राज्यसभा के कम-से-कम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है।
2. इस प्रस्ताव का अन्वेषण तीन व्यक्तियों की समिति करती है। उसमें से दो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होता है।
3. यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या न्यायाधीश असमर्थ है तो प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन के साथ विचार के लिए उस सदन में ग्रहण किया जाता है, जिसमें प्रस्ताव लंबित होता है।
4. यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहमुत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को इस संबंध में समावेदन प्रस्तुत किया जाता है।
5 राष्ट्रपति जब समावेदन पर हस्ताक्षर कर देता है तो न्यायाधीश हटा दिया जाता है।

न्यायाधीश के विरुद्ध प्रथम महाभियोग

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी. रामास्वामी के विरुद्ध कदाचार वित्तीय के आधार पर 1990 में लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, किन्तु 10-11 मई 1993 के मतदान में महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

उच्चतम न्यायालय की कार्यविधि

न्यायालय की कार्यविधि हेतु निम्न बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत किया गया है, किन्तु स्वयं न्यायालय भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अपनी कार्यविधि के सम्बन्ध में नियम बना सकता है। कार्यविधि के सम्बन्ध में न्यायालय के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं:

1. संविधान की किसी व्यवस्था या अभिप्राय से सम्बन्धित प्रश्न या राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने से सम्बन्धित समस्त विषयों पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय के कम-से-कम पांच न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।
2. किसी ऐसे विषय पर, जिसमें संविधान की व्याख्या या कानून के स्वरूप को स्पष्ट करना आवश्यक हो तो उसे भी कम-से-कम पांच न्यायाधीशों के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और उनकी व्याख्या के अनुसार ही उसका निर्णय होगा।
3. उच्चतम न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर किये जाएंगे।
4. समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर मान्य होंगे। कोई न्यायाधीश बहुमत से पृथक् मत व्यक्त कर सकता है, जिसका बहुमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सांविधानिक स्वतंत्रता

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता निम्न प्रकार से सुनिश्चित की गई है–

1. यद्यपि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है, परन्तु फिर भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीति के क्षेत्र से अलग करके, राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है कि यह इस विषय में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करे।
2. अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन पर ही साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा समावेदन को कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
3. अनुच्छेद 125(2) के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा अवधारित है। इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किन्तु अनुच्छेद 360(4) (ख) में वित्तीय आपात की उद्घोषणा होने पर राष्ट्रपति इनमें परिवर्तन कर सकता है।
4. अनुच्छेद 146(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

5. अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी अन्यथा नहीं।
6. अनुच्छेद 124(7)के अनुसार सेवानिवृत के पश्चात् उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष अभिवादन का कार्य नहीं कर सकता।

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार

उच्चतम न्यायालय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किये गए सिद्धान्त भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियां अत्यन्त विस्तृत हैं। विश्व के किसी भी देश के उच्चतम न्यायालयों से भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ अधिक विस्तृत हैं। इन शक्तियों के कारण ही उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी विस्तृत हो गया है। ये अधिकारिताएं इस प्रकार से हैं:

1. आरंभिक अधिकारिकता

जो मुकदमे सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रारम्भ होते हैं ये आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हमारा संविधान एक संधि या समझौते के रूप में नहीं है वरन् इसके द्वारा संघ एंव राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबधी अधिकारी का विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 131 के अनुसार संघ तथा राज्यों या राज्यों के मध्य न्याय विवादों के निर्णय का प्रारंभिक क्षेत्र उच्चतम न्यायालय है। इसके अन्तर्गत निम्न विवाद आते हैं-

1. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद।
2. दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई ऐसा विवाद जिसमें एक पक्ष के साथ भारत सरकार जुड़ी हुई है।
3. दो या अधिक राज्यों के मध्य अधिकारों की वैधता से संबधित कोई विवाद।
4. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न विषय उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत नहीं आते-
   - 26 जनवरी, 1950 से पूर्व किए गए सन्धि एवं समझौते जो अब भी लागू हैं इसके ऊपर उत्पन्न हुआ विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के बाहर हैं।
   - अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा उत्पन्न कर सकती है कि किसी अंतर्राज्यिक नदी-दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य कोई न्यायालय अपनी न्यायिक अधिकारिता नहीं रखता।

प्रथम वाद

उच्चतम न्यायालय की आरंम्भिक अधिकारिता से सम्बन्धित सबसे पहला वाद 1961 में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ के रूप में सामने आया। इस बाद में कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम 1957 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी, किंतु उच्चतम न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया था।

समवर्ती आंरभिक अधिकारिता: मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय भी समुचित कार्यवाही कर सकता है। चूंकि यह अधिकारिता उच्च न्यायालयों को भी प्रदान की हुई है, अत: न्यायालय की इस अधिकारिता को समवर्ती आरंभिक अधिकारिता कहा गया है।

2. अपीलीय अधिकारिता

उच्चतम न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के साथ-साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है।

इग्लैंड के हाउस आफ लार्डस के समान ही हमारा उच्चतम न्यायालय भी देश का अंतिम अपीलीय अधिकरण है, किन्तु कुछ विषयों में न्यायालय की अधिकारिता हाउस आफ लार्डस से भी व्यापक है। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है:

- वैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि अमूक विवाद में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है या व्यापक सार्वजनिक महत्व का कोई विषय निहित है या न्याय के किसी सारवान सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने प्रमाणित करने से इन्कार कर दिया है और यदि उच्चतम न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि विवाद में संविधान की व्याख्या का कई प्रश्न निहित हैं तो वह स्वंय भी अपील के लिए अनुमति दे सकता है।
- 1953 में निर्वाचन आयोग बनाम श्री वेंकटराव के वाद में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या किसी संवेधानिक विषय में अनुच्छेद 132 के अधीन किसी अकेले न्यायाधीश के निर्णय की अपील भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है या नहीं। उच्चतम न्यायालय में इसका उत्तर हां में दिया।
- **दीवानी मामलों में:** अनुच्छेद 133 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए किसी आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि (क) उसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है (ख) उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है।
- **फौजदारी या दाण्डिक मामलों में:** इन मामलों में हाउस आफ लार्डस में कोई अपील तभी की जा सकती है जब महान्यायवादी यह प्रमाणित कर दे कि न्यायालय के विनिश्चय में विधि का कोई सारवान का लोकहित के व्यापक महत्व का कोई प्रश्न निहित है। जबकि हमारे संविधान में मृत्यु दंड से सम्बन्धित अनुच्छेद 134 (1)(क) (ख) में विनिर्दिष्ट मामलों में उच्चतम न्यायालय में अधिकारत: अपील की जा सकती है। इसके अलावा संसद को यह शक्ति दी गई है कि यह विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को दाण्डिक मामलों में अपील सुनने के लिए विशेष शक्ति प्रदान कर सकेगी।

उच्चतम न्यायालय को निम्न फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है-

EBD_7939

1. यदि उच्च न्यायालय से अपील पेश होने किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो।
2. उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से विचारार्थ अभियोग अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो।
3. यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि अमूक विवाद उच्चतम न्यायालय के विचार योग्य है, तो उच्चतम न्यायालय अपील सुन सकता है।

अन्य विशिष्ट मामलों में: अनुच्छेद 136 से यह स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय की अपनी विशेष इजाजत द्वारा किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अवधारित सशस्त्र बलों के अधिकरणों को छोड़कर किसी वाद या मामले में अपील ग्रहण करने का असीमित अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का उपयोग उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार करेगा। यहां यह स्मरणीय है कि अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को भी इस प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।

अत: यह कहा जा सकता है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार की दृष्टि से भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली है तथा संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा भी सकता है।

3. सलाहकारी अधिकारिता

अनुच्छेद 143 में यह व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति यह आवश्यक समझता है कि कोई संवैधानिक या सामाजिक महत्व का प्रश्न ऐसा है जिस पर उच्चतम न्यायालय की सलाह या परामर्श आवश्यक है तो यह राष्ट्रपति न्यायालय को सम्बन्धित प्रश्न पर अपनी राय देने के लिए कह सकता है, किन्तु इस प्रकार दी गई किसी राय को राष्ट्रपति मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। आज तक राष्ट्रपति ने इस तरह कई बार उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा है। इनमें से उल्लेखनीय है - केरल शिक्षा विधेयक 1958, राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बंधित मामला 1974, विशेष अदालत विधेयक 1978, कावेरी जल विवाद 1991, अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद 1993-94।

उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई कानूनी सलाह देने से इंकार भी कर सकता है। उदाहरण के लिए 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मुद्दे में अपनी राय देने से इंकार कर दिया था।

यहां यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया में न्यायालय की सलाहकारी भूमिका को स्वीकार नहीं किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में भारत की स्थिति ब्रिटेन, कनाडा और बर्मा (म्यांमार) से मिलती-जुलती है।

4. कुछ मुकदमों का हस्तांतरण

यदि उच्चतम न्यायालय स्वयं संतुष्ट है अथवा अटार्नी-जनरल या मुकदमे का कोई पक्ष प्रार्थना करता है और उच्चतम न्यायालय देखता है कि उसके अपने समक्ष तथा देश के एक या अनेक उच्च न्यायालयों के समक्ष मुकदमे में कानून का समान प्रश्न निहित है तो उच्चतम न्यायालय उन सभी मुकदमों को अपने पास मंगवाकर उस प्रश्न का निर्णय करेगा उसके पश्चात् संबंधित उच्च न्यायालयों को मुकदमे वापस लौटा देगा। उच्च न्यायालय उक्त निर्णय के आधार पर उस मुकदमे की सुनवाई करेगा।

5. न्यायिक पुनर्विलोकन

न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ - वह शक्ति जिसके तहत् यह कार्यपालिका के आदेशों और असंवैधानिक पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित कर दे। यह अर्थ यद्यपि बहुत साधारण-सा है, किन्तु इसका महत्व बहुत व्यापक है जिसे न्यायालय ने समय-समय पर दिए अपने महत्वपूर्ण निर्णयों से स्पष्ट किया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं –

- वेंकटरामन बनाम भारत संघ 1954, के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 20 में वर्णित दोहरे दंड का अभिप्राय न्यायिक दंड के प्रति है, प्रशासनिक या विभागीय दंड के प्रति नहीं।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के वाद में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368, संसद को सम्प्रभु नहीं बनाता। अत: संसद संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में कोई संशोधन नहीं कर सकती।
- केशवानन्द बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में न्यायालय ने यह स्थिर किया कि अनुच्छेद 368, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति तो प्रदान करता है, किन्तु संविधान के मूल ढांचे को बदलने की क्षमता प्रदान नहीं करता।
- मेनका बनाम भारत संघ 1978 के बाद में न्यायालय ने यह कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली राज्य की कोई विधि मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि वह विधि नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करती है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के वाद में न्यायालय ने संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा स्थापित अनुच्छेद 369 के खंड 4 और 5 को संविधान के आधारिक लक्षणों का उल्लंघन करने के कारण अवैध घोषित कर दिया और मूल अधिकारों को संविधान के आधारिक लक्षणों के रूप में मान्यता दी।
- सेट स्टीफन कालेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992 के बाद में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों के क्षेत्र में जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनका अर्थ बहुसंख्यकों की घोर उपेक्षा करना नहीं हैं। अत: अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में अपने समुदाय के लोगों के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही स्थान आरक्षित कर सकेंगे।

6. समीक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने पूर्ण के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार है और इस प्रकार वह अपने गत निर्णयों को बदलकर नया निर्णय दे सकता है। न्यायाधीश के.एस. हेगड़े ने इसे न्यायिक पुनर्विलोकन का ही एक अनिवार्य अंग माना है।

7. प्रकीर्ण अधिकारिता

संविधान के अनुच्छेद 317, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 257, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 7, सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 130 क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 35 ज में उच्चतम न्यायालय को निर्देश करने के संबंध में उपबंध है।

लोक प्रतिनिधित्व एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम, न्यायालय अवमानना अधिनियम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, आतंकवादी क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम, 1984 और आतंकवादी तथा विध्वंसक क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1985 में उच्चतम न्यायालय को अपील किए जाने का उपबंध है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 के अधीन निर्वाचन अर्जियां सीधे उच्चतम न्यायालय में फाइल की जाती हैं।

उच्चतम न्यायालय को प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा सभी न्यायिक शक्तियां उच्चतम न्यायालय में केन्द्रित हो सकती हैं। संविधान की व्याख्या के अधिकार के तहत संविधान वही रूप धारण कर सकता है, जिस रूप में उच्चतम न्यायालय उसकी व्याख्या करे।

उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 ने संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दे या किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार कर दे। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रधिकार के अधीन आने वाले समस्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है अन्यथा उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में ही अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है जिससे वह सम्बन्धित होता है।

प्रत्येक राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है तथा अन्य न्यायालय इसके अधीन होते हैं। उदाहरण के लिए संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है जो 1966 में स्थापित हुआ था। यह न्यायालय दिल्ली में ही अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है।

यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक् उच्च न्यायालय हो। उदाहरण के लिए 1948 में स्थापित गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम के अलावा मणिपुर, नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश तक अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है।

उच्च न्यायालय का गठन

अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय, एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 217 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेगा।

उच्च न्यायालय में अन्य नियुक्तियां एवं सेवा शर्तें: कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति अनुच्छेद 223 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या किन्हीं अन्य कारणों से वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति सम्बन्धित उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा और वह व्यक्ति व्यवस्था स्थापित होने तक मुख्य न्यायाधीश के कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

अपर और कार्यकारी न्यायाधीश

अनुच्छेद 224 के अनुसार-

1. यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि किसी उच्च न्यायालय के बकाया कार्य को निपटाने के लिए उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्ति को दो वर्ष से अधिक अस्थायी अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।
2. जब किसी उच्च न्यायालय का कोई अन्य स्थायी न्यायाधीश किसी कारणवश अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति सम्यक् रूप में नियुक्त कर सकेगा। ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश तब तक पद धारण करता है, जब तक स्थानीय अपना पदभार पुनः ग्रहण नहीं कर लेता।

1963 में स्थापित अनुच्छेद 217(3) के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् प्रस्तुत प्रश्न का समाधान करेगा, किन्तु अनुच्छेद 129 (2)(क) के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका अवधारण संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई किसी विधि के अनुसार ही किया जाएगा। अतः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्थिति में काफी अंतर है। इतना ही नहीं अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति भी उच्च न्यायालय से अच्छी है, अर्थात् यदि प्रशासन द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी की आयु का अवधारण किया जाता है तो वह अधिकारी आवश्यकतानुसार उस प्रशासनिक कार्यावाही पर न्यायालय में आक्षेप कर सकता है, किंतु यह स्थिति उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

हस्तांतरणः अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतारित कर सकता है।

सेवानिवृत न्यायाधीश की उपस्थितिः किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने न्यायालय की किसी बैठक में किसी ऐसे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को आंमत्रित कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे।

न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं

अनुच्छेद 217(2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह-

1. भारत का नागरिक है।
2. भारत के राज्यक्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है।
3. किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम-से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है।

कार्यकालः उच्च न्यायालय का प्रत्येक स्थायी, अपर, कार्यकारी और मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेगा। इससे पूर्व वह निम्न स्थितियों में अपना पद त्याग सकेगा-

1. राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा,
2. राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने पर या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने पर,

3. साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ससंद द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा।

वेतन और भत्ते: उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश उन वेतन, भत्तों एवं पेंशन इत्यादि का हकदार होगा, जो संसद समय-समय पर अवधारित करे। वर्तमान स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इनके अलावा इन्हें नि:शुल्क सरकारी आवास व अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते इत्यादि अनुच्छेद 202(3) (घ) के तहत संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, इसमें न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक अपर कार्यकारी और सेवानिवृत न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही वेतन-भत्तों एवं विशेषाधिकारों का हकदार होगा।

न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता

1. अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का प्रत्येक स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत के पश्चात् उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत के राज्यक्षेत्र में किसी प्राधिकारी के समक्ष न्यायिक कार्य नहीं करेगा।
2. न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात् इनके वेतन एवं भत्तों तथा अन्य उन्मुक्तियों में कोई कमी नहीं की जा सकती।
3. संविधान के अनुच्छेद 218 के अनुसार उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश के कार्यकाल को संवैधानिक गारंटी प्राप्त है।

शपथ ग्रहण: अनुच्छेद 219 के अनुसार, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे।

उच्च न्यायालय की अधिकारिता

संविधान निर्माण के समय देश कई उच्च न्यायालय कार्य कर रहे थे। इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार पहले से ही निश्चित था। यही कारण है कि संविधान का अनुच्छेद 225 यह घोषणा करता है कि उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार पूर्ववत् चलता रहेगा। प्रत्येक न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं -

1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

भारत के सभी उच्च न्यायालयों को भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हो गए हैं। संविधान लागू होने से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों को यह अधिकारिता प्राप्त थी तथा शेष न्यायालयों को केवल अपीलीय अधिकार प्राप्त थे। अब एक निश्चित राशि तक के मुकदमे सीधे उच्च न्यायालयों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निम्नलिखित मामले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं-

1. नौकाधिकरण, वसीयत या इच्छा पत्र, विवाह विधि, विवाह-विच्छेद कंपनी विधि तथा न्यायालय की अवमानना तथा चुनाव याचिकाओं से संबंधित मामले अब सीधे उच्च न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं।
2. यदि उच्च न्यायालय यह समझता है कि कोई विधि संविधान के विपरीत है तो वह उसे अवैध घोषित कर सकता है।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ई की धारा 29 द्वारा राजस्व में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया है। अब उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्व तथा उससे संबद्ध विषय भी आ गये हैं।
4. उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। संविधान लागू होने से पहले यह अधिकार केवल कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई के उच्च न्यायालयों को प्राप्त था, किन्तु अब सभी उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार वाले प्रदेश में नागरिकों के मूल अभिलेख जैसे-बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पृच्छा आदि रिट जारी करने का अधिकार है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार

सभी उच्च न्यायालयों को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपीलीय अधिकार प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित है-

(क) दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में कोई भी अपील या तो पहली अपील होगी या दूसरी अपील। पहली अपील का अर्थ है कि जिला न्यायालय या अन्य निम्न न्यायालयों के विरुद्ध किसी अपील पर निर्णय देता है तो उस न्यायालय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में दूसरी बार अपील की जा सकती है इस प्रकार की अपील केवल कानून के प्रश्न पर की जाती है, किसी तथ्य के प्रश्न पर नहीं।

इलाहाबाद, मुम्बई, मद्रास और पटना उच्च न्यायालय में प्रारंभिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी एक उच्च न्यायालय में पुन: अपील की जा सकती है।

(ख) संविधान की व्याख्या: कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, उच्च न्यायालय में अपील के रूप में लाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, विधि की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।

(ग) फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालय के फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है-

- उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत लिए गए निर्णय।
- जब जिला न्यायाधीश या किसी अन्य निर्धारित दण्डाधिकारी ने 4 वर्ष से अधिक कारावास का दण्ड दिया हो।
- सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्यु दण्ड तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता है जब तक उसे किसी उच्च न्यायालय की संपुष्टि न मिल जाए।
- किसी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया निर्णय।
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 134 के अतंर्गत किसी जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय।

(घ) अन्य अपीलीय संबंधी अधिकार: उच्च न्यायालय के अन्य अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं-

- राजस्व संबंधी सभी मुकदमों की अपील उच्च न्यायालयों में की जा सकती है। उदाहरण के लिए आयकर, बिक्रीकर, आदि के मुकदमे के लिए भी अलग-अलग न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, इनके निर्णयों के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- पेटेण्ट, डिजायन, उत्तराधिकार, भूमि, प्राप्ति, दिवालियापन और सरंक्षता आदि अभियोगों में भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- उच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है।

3. अधीक्षण का अधिकार

अनुच्छेद 227 के अनुसार, उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण तथा निरीक्षण करने का अधिकार

EBD_7939

प्राप्त है। इसके अलावा घोर अन्याय या अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण की अधिकारिकता भी प्राप्त है। सैनिक न्यायाधिकरण इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। अधीक्षण के अंतर्गत उच्च न्यायालय के निम्नलिखित कार्य आते हैं-

1. उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य-प्रणाली के संबंध में नियम बना सकता है।
2. अधीनस्थ न्यायालय के किसी मुकदमे की सुनवाई करने का आदेश दे सकता है।
3. किसी भी संविधानिक बातों के ज्ञात होते ही उच्च न्यायालय उस मुकदमे को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगवा सकता है।
4. अपने अधीनस्थ न्यायालय के कार्य का विवरण मांग सकता है।
5. अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन किसी भी मुकदमे को दूसरे न्यायालय में विचार के लिए भेज सकता है।
6. अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों तथा पुस्तकों को रखने आदि के संबंध में उचित निर्देश दे सकता है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की तुलना

उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
उच्चतम न्यायालय एक संघीय न्यायालय है जिसकी मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित है। इसकी खंडपीठ किसी दूसरे स्थान पर भी करने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक स्थापित नहीं की गई है।	प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, लेकिन दो राज्यों का अथवा दो या दो से अधिक केन्द्र शासित प्रदेशों के सम्मिलित उच्च न्यायालय हो सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति- 1. कम-से-कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा 2. उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो अथवा 3. राष्ट्रपति की दृष्टि में एक पारंगत विधिवता हो	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति- 1. कम-से-कम 10 वर्ष तक भारत क्षेत्र में न्यायिक अधिकारी के रूप पदासीन रहा हो अथवा 2. किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में कम-से-कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।	उच्च न्यायालय की सेवानिवृति होने की आयु 62 वर्ष है।
मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के पश्चात् पद से हटा सकता है।	मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह है।	मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये प्रतिमाह है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत के पश्चात् तथा सेवाकाल में भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने सेवाकाल में किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते। सेवानिवृत के पश्चात् वह किसी भी ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण में वकालत नहीं कर सकते, जोकि उच्च न्यायालय से निम्नस्तरीय न्यायालय हो अर्थात् वह उच्चतम न्यायालय तथा दूसरे अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण तथा पदावनति नहीं की जा सकती।	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है तथा पदोन्नति करके उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णयों को मानने को बाध्य नहीं है।	उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि संघ राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते आदि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
संविधान के महत्व से सम्बन्धित प्रश्न केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किए जाते हैं।	संविधान की व्याख्या सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उच्च न्यायालय में निर्णित नहीं किए जा सकते।

44वें संविधान संशोधन की धारा 31 के अनुसार, सभी अधीनस्थ न्यायालयों जिनमें न्यायाधिकरण भी शामिल है, पर उच्च न्यायालयों के अधीक्षण के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

4. निम्न न्यायालयों के विचाराधीन मुकदमों को अपने अधीन लेने का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 के अनुसार, उच्च न्यायालयों को यह अधिकार है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन किसी मुकदमे में संवैधानिक प्रश्न निहित है तो उस मुकदमे को अपने अधीन मंगवा सकता है। उच्च न्यायालय या तो स्वयं उस मुकदमे का फैसला कर सकता है। या उसके संबंध में कानून का प्रश्न निर्धारित कर सकता है।

5. लेख जारी करने का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए तथा अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेख करने का अधिकार प्राप्त है।

6. प्रशासकीय अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 229 के अनुसार, उच्च न्यायालय के पदाधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की अन्य शर्तें मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके लिए वह राज्यपाल तथा लोक सेवा आयोग से परामर्श लेता है।

उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के शेरिफ क्लर्क तथा अन्य कर्मचारियों तथा वकीलों आदि की फीस निश्चित करता है। इसके लिए वह राज्यपाल की स्वीकृति लेता है।

7. न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार

उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को जो संविधान के अनुरूप न हो असंवैधानिक घोषित कर सकता है, किन्तु उच्चतम न्यायालय में इसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

अभिलेख न्यायालय

उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। इसके निर्णय प्रमाण के रूप में दूसरे निचले न्यायालय के सामने रखे जा सकते हैं तथा इसकी वैधानिकता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को दण्ड दे सकता है जो इसका अपमान करता है।

उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर राज्यों के विधानमण्डल और कार्यपालिकाओं का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति और संसद को प्राप्त है। उनके कार्यकाल में उसके वेतन और भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी।

नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है, जिनके कारण इनका विशेष महत्व बढ़ गया है।

भारत के उच्च न्यायालय

1. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
   स्थापना तिथि: 1 जनवरी 2019 (कार्य शुरू)
   आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग-अलग राज्य बने। यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय होगा। 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था, अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जायेगा।
   अधिकार क्षेत्र: आंध्र प्रदेश
   मुख्य पीठ: आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी
   खंडपीठ: नहीं
2. त्रिपुरा उच्च न्यायालय
   स्थापना तिथि: 26 मार्च 2013
   अधिकार क्षेत्र: त्रिपुरा
   मुख्य पीठ: अगरतला
   खंडपीठ: नहीं
3. मणिपुर उच्च न्यायालय
   स्थापना तिथि: 25 मार्च 2013
   अधिकार क्षेत्र: मणिपुर
   मुख्य पीठ: इम्फाल
   खंडपीठ: नहीं
4. मेघालय उच्च न्यायालय
   स्थापना तिथि: 23 मार्च 2013
   अधिकार क्षेत्र: मेघालय
   मुख्य पीठ: शिलोंग
5. झारखंड उच्च न्यायालय
   स्थापना तिथि: 15 नवंबर 2000
   अधिकार क्षेत्र: झारखंड
   मुख्य पीठ: रांची
6. उत्तराखंड उच्च न्यायालय
   स्थापना तिथि: 9 नवंबर 2000
   अधिकार क्षेत्र: उत्तराखंड
   मुख्य पीठ: नैनीताल
   खंडपीठ : नहीं
7. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
   स्थापना तिथि: 1 नवंबर 2000
   अधिकार क्षेत्र: छत्तीसगढ़
   मुख्य पीठ: बिलासपुर
   खंडपीठ: नहीं
8. सिक्किम उच्च न्यायालय
   स्थापना तिथि: 16 मई 1975
   अधिकार क्षेत्र: सिक्किम
   मुख्य पीठ: गंगटोक
   खंडपीठ: नहीं
9. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
   स्थापना तिथि: 1971
   अधिकार क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश
   मुख्य पीठ: शिमला
   खंडपीठ: नहीं
10. दिल्ली उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 31 अक्टूबर 1966
    अधिकार क्षेत्र: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली
    मुख्य पीठ: नई दिल्ली
    खंडपीठ: नहीं
11. गुजरात उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 1 मई 1960
    अधिकार क्षेत्र: गुजरात
    मुख्य पीठ: अहमदाबाद
    खंडपीठ: नहीं
12. केरल उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 1956
    अधिकार क्षेत्र: केरल, लक्षद्वीप
    मुख्य पीठ: कोच्चि
13. तेलंगाना उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 1 जनवरी, 2019
    अधिकार क्षेत्र: तेलंगाना
    मुख्य पीठ: हैदराबाद
    खंडपीठ: नहीं
14. राजस्थान उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 21 जून 1949
    अधिकार क्षेत्र: राजस्थान
    मुख्य पीठ: जोधपुर
    खंडपीठ: जयपुर
15. गुवाहाटी उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 1 मार्च 1948
    अधिकार क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड
    मुख्य पीठ: गुवाहाटी
    खंडपीठ: आइजोल, ईटानगर, कोहिमा
16. ओडिशा उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 3 अप्रैल 1948
    अधिकार क्षेत्र: ओडिशा
    मुख्य पीठ: कटक
    खंडपीठ: नहीं

17. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 15 अगस्त 1947
    अधिकार क्षेत्र: चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब
    मुख्य पीठ: चंडीगढ़
18. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 2 जनवरी 1936
    अधिकार क्षेत्र: मध्य प्रदेश
    मुख्य पीठ: जबलपुर
    खंडपीठ: ग्वालियर और इंदौर
19. जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 28 अगस्त 1928
    अधिकार क्षेत्र: जम्मू और कश्मीर
    मुख्य पीठ: श्रीनगर / जम्मू
    खंडपीठ: नहीं
20. पटना उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 2 सितम्बर 1916
    अधिकार क्षेत्र: बिहार
    मुख्य पीठ: पटना
    खंडपीठ: नहीं
21. कर्नाटक उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 1884
    अधिकार क्षेत्र: कर्नाटक
    मुख्य पीठ: बैंगलोर
    खंडपीठ: धारवाड़, गुलबर्गा
22. इलाहाबाद उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 11 जून 1866
    अधिकार क्षेत्र: उत्तर प्रदेश
    मुख्य पीठ: इलाहाबाद
    खंडपीठ: लखनऊ
23. कोलकाता उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 2 जुलाई 1862
    अधिकार क्षेत्र: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल
    मुख्य पीठ: कोलकाता
    खंडपीठ : पोर्टब्लेयर
24. मुंबई उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 14 अगस्त 1862
    अधिकार क्षेत्र: गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र
    मुख्य पीठ: मुंबई
    खंडपीठ: औरंगाबाद और नागपुर
25. चेन्नई उच्च न्यायालय
    स्थापना तिथि: 5 अगस्त 1862
    अधिकार क्षेत्र: पांडिचेरी, तमिलनाडु
    मुख्य पीठ: चेन्नई
    खंडपीठ: मदुरै

अधीनस्थ न्यायालय

प्रत्येक उच्च न्यायालय के नीचे अन्य अनेक न्यायालयों का सोपान क्रम है, जिन्हें संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। ये न्यायालय सम्बन्धित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और नियंत्रण के अधीन होते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन आने वाले जिलों में प्रत्येक जिले के न्यायाधीश जो कि सर्वोपरि न्यायिक प्राधिकारी सिविल और दाण्डिक होता है, का न्यायालय है, जिसके अधीन तीन प्रभाग होते हैं–

1. सिविल मामलों का अधीनस्थ न्यायाधीश जिसकी सिविल मामलों में दंड संबधी अधिकारिता असीमित है के अधीन-मुंसिफ न्यायालय जिसमें एक हजार से पांच हजार रुपए तक के मामले आते हैं और न्याय पंचायत, जिसमें एक हजार रुपये से कम के मामले आते हैं।
2. प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय जिसमें कम मूल्यों के वादों का विचारण होता है।
3. (क) दाण्डिक मामलों का सत्र न्यायाधीश जिसकी दाण्डिक मामलों में असीमित अधिकारिता होती है इसके अधीन–
   (i) न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो कि अनन्य रूप से दाण्डिक मामलों का विचारण करता है और सम्बन्धित उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है।
   (ii) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो कि संबंधित राज्य संघ शासित क्षेत्र के नियंत्रण के अधीन रहकर विधि-व्यवस्था बनाए रखने का कार्यपालक-कृत्य पूरा करता है।

   (ख) पंचायत अदालत, सबसे निम्न सोपान के दाण्डिक न्यायालय है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधीन आने वाले महानगरों में एक महानगर मजिस्ट्रेट होता है, जो कि संबंधित उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है। महानगर के भीतर कम मूल्य वाले वादों का विचारण नगर सिविल न्यायालय और प्रेसिडेंसी न्यायालय करते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 233 के अनुसार-

1. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और प्रोन्नति के मामलों में राज्यपाल सम्बन्धित उच्च न्यायालय से परामर्श कर सकेगा,
2. वह व्यक्ति, जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम-से-कम सात वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। अनुच्छेद 234 के अनुसार, जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग से और सम्बन्धित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् इस निमित बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। अनुच्छेद 235 के अनुसार, जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसके अन्तर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थाना, प्रोन्नति और उनको छुटटी देना है, उच्च न्यायालय में निहित होगा।

कुटुम्ब न्यायालय

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन कुटुम्ब या पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। राज्य सरकार उन में जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक हो या जहाँ आवश्यक समझे इसकी स्थापना कर सकती है। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय को पारिवारिक विवादों में मैत्रीपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने के लिए स्वविवेक का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। विवाद की सफाई पता लगाने के लिए न्यायालय अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकती है। सामान्यत: विवादों में वकीलों की उपस्थिति नहीं होती, लेकिन जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए वकीलों को पेश होने की अनुमति दी जा सकती है। विभिन्न विषयों पर निर्णय करते समय कुटुम्ब संघों और परामर्शदाताओं की सेवायें ली जा सकती हैं।

EBD_7939

कुटुम्ब न्यायालयों के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत् उच्चतम न्यायालय में भी अपील की जा सकती है।

जनहित याचिका

1980 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णअय्यर ने अपने एक निर्णय में कहा कि 'न्यायिक क्रिया की सबसे बड़ी सफलता तब है जब वह कुछ आंखों से आँसू पोंछ सके' उन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि जनहित के मामलें में यह नहीं देखा जाएगा कि किसे अदालत में जाने का अधिकार है।

जस्टिस भगवती ने कहा कि, 'कोई भी जन हितैषी व्यक्ति या संस्था एक पोस्टकार्ड लिखकर भी अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में आवाज उठा सकते हैं। इस प्रकार जनहित याचिका का तात्पर्य है कि 'गरीब अनपढ़ और अनजान लोगों की एवज में दूसरे व्यक्ति या संस्थाएं भी न्याय मांगने का अधिकार रखती है।' ये चाहे तो सिर्फ अखबार की खबरों के आधार पर जनहित की याचिका न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रस्तुत का सकती है। जनहित के मामलों में न्यायिक औपचारिकताओं से गुजरना जरूरी नहीं है।

कार्यविधि: जब न्यायालय के समक्ष जनहित का कोई मामला आता है तो वह किसी निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा उन मामलों की जांच करवाता है। जांच के आधार पर न्यायालय संबधित व्यक्तियों को सूचना देता है। सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् वह अपना निर्णय सुनाता है। इन्हीं जनहित याचिकाओं के आधार पर न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे-

1. न्यायमूर्ति भगवती ने बंधुआ मजदूरों और बिहार की जेलों में वर्षों से बन्द कैदियों के संबंध में तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए।
3. कानपुर में जेल में छोटे लडकों के प्रति निर्दय व्यवहार को रोकने के लिए तथा उनके रहने के लिए नया प्रबन्ध करवाया।
4. राजस्थान में संजिम राय नामक एक व्यक्ति ने मजदूरों की ओर से एक जनहित याचिका न्यायालय में पेश की। इसी के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करने की घोषणा की गई।

इन याचिकाओं का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, उनका कहना है कि इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार करने से काम का बोझ बढ़ता जाता है और अन्य किस्म के मुकदमों के फैसले मे देरी होती है। इनका मानना है कि ऐसी याचिकायें मजिस्ट्रेट या छोटी अदालतों से ऊपर नहीं जानी चाहिए जबकि एक अन्य पक्ष ऐसे मामलों में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप उचित मानता है। इनका मानना है कि निचली अदालतें उतनी निडरता से काम नहीं कर सकतीं जितनी निर्भीकता से उच्च अदालतें करती हैं। इन याचिकाओं ने जनता के लिए न्याय सुलभ कर दिया है। न्यायमूर्ति भगवती के शब्दों में 'इनसे निर्धनों की पुकार सुनी जा रही है। उनका शोषण खत्म किया जा रहा है। उन्हें समाजिक न्याय दिलाया जा रहा है।'

लोक अदालत

लोक अदालत का अभिप्राय है- जन न्यायालय। लोक अदालत के द्वारा कुछ खास किस्म के मामलों को आपसी सुलह या समझौते के द्वारा निपटाने की कोशिश की जाती है, इस तरह की अदालतों की स्थापना के पक्ष में निम्न दलीलें दी जा सकती हैं।

1. लोक अदालतें आपसी समझौते की भावना के आधार पर काम करती हैं इससे सद्भावना बढ़ती है। उनमें न कोई विजयी होता है और न ही कोई पराजित।
2. लोक अदालतों के माध्यम से न्याय जल्दी मिल सकता है और इसमें खर्चा भी कुछ नहीं होता है।
3. इस योजना से सामान्य न्यायालयों का कार्यभार घटेगा, जिससे उसमें चल रहे विवादों का निपटारा जल्दी होगा।

लोक अदालतों के गठन में जनहितैषी लोगों, कानून के छात्र-छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विशेष भूमिका निभाई। इन लोगों को न्यायालयों में न्यायाधीशों का सहयोग मिला। इन्हीं लोगों ने संबंधित लोगों को शीघ्र न्याय और अल्प व्यय में न्याय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया।

5 अक्टूबर, 1985 को दिल्ली में पहली बार लोक अदालतों की बैठक हुई। इसका उद्घाटन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री भगवती ने किया। 22 जनवरी 1989 को दिल्ली में नौवी लोक अदालत बैठी। उस दिन सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आठ सौ मामले निपटाए गए। न्यायिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में लोक अदालत के अभियान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके तहत संघ सरकार या राज्य सरकार या जिला सरकार समय-समय पर और निर्धारित स्थानों पर लोक-अदालत का आयोजन कर सकती है।

अत: लोक अदालतें अल्प समय में अल्प खर्चे में आपसी समझौते के द्वारा विवादों का निर्णय कर सकती हैं। अन्य न्यायालयों का बोझ भी कम कर सकती हैं। सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

लोक अदालत: प्रमुख तथ्य

लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 जिसका संशोधन 2002 में किया जा चुका है। लोक अदालत द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के सम्बन्ध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों द्वारा अब तक 1 करोड़ 50 लाख से भी अधिक कानूनी मामले निपटाए जा चुके हैं।

ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लम्बित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में ले जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती हैं, लोक अदालत के निर्णय अंतिम होते हैं लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 क केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से सम्बन्धित विवादों का न्याय निर्णयन या विचारण प्रशासनिक न्यायाधिकरण के द्वारा करने का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद में 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित कर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की। मुख्य केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण नई दिल्ली में है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 42 राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करती हैं। इसके अधीन हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किये गए हैं। इस न्यायाधिकरणों का अधीक्षण और नियंत्रण सम्बन्धित उच्च न्यायालय करते है, जबकि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अधीक्षण और नियंत्रण उच्चतम न्यायालय करता है।

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-1

1. जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक आधार पर कार्य करता है, तो वह अधीन होता है
   (a) उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के
   (b) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियन्त्रण के
   (c) राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के
   (d) इस विषय में मुख्यमन्त्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के
2. सामाजिक न्याय पीठ का गठन कब किया गया है?
   (a) 3 दिसम्बर 2014 (b) 3 जनवरी 2015
   (c) 6 दिसम्बर 2014 (d) 6 फरवरी 2015

संघवाद एवं केन्द्र-राज्य सम्बन्धं

3. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
   (a) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
   (b) राज्य लोक सेवा आयोग
   (c) राज्य का मुख्यमन्त्री
   (d) राज्य का राज्यपाल
4. जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियन्त्रण में कार्य करते हैं?
   (a) जिलाधीश (b) राज्य के राज्यपाल
   (c) राज्य के विधि मन्त्री (d) राज्य के उच्च न्यायालय
5. लोकहित मुकदमा भारतीय न्यायपालिका की निम्नलिखित में से किस एक अधिकारिता के अन्तर्गत है?
   (a) प्रारम्भिक अधिकारिता (b) अपीलीय अधिकारिता
   (c) पत्रात्मक अधिकारिता (d) परामर्शदायी अधिकारिता
6. एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण (Certiorari) रिट जारी की जाती है
   (a) एक अधीनस्थ न्यायालय को, कि वह पुनरीक्षण (रिव्यू) हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तान्तरित कर दे
   (b) एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे
   (c) एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए
   (d) एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बन्धक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घण्टे में प्रस्तुत करे
7. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में निम्न में से क्या सही है?
   (a) सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है
   (b) सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है
   (c) केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है
   (d) केवल विधि मन्त्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है
8. उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परन्तु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है
   (a) राष्ट्रपति के अनुमोदन से
   (b) यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी (Majority) से यह तय करें
   (c) संसद के अनुमोदन से
   (d) राज्य विधानसभा के अनुरोध पर
9. अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा?
   (a) सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
   (b) सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल
   (c) भारत के महान्यायवादी
   (d) भारत के मुख्य न्यायाधीश
10. न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी की जाती है?
    (a) अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करने के लिए
    (b) किसी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों के पालन हेतु आदेश देने के लिए
    (c) किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक पद को रिक्त करने का आदेश देने हेतु, जिसे उसने गैर कानूनी रूप से प्राप्त कर लिया है
    (d) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही किसी कर्यवाही को रोकने के लिए
11. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि "मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे, उस तरह अपनी जिन्दगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।?"
    (a) इन्दिरा गाँधी बनाम राज नारायण
    (b) गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
    (c) बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला
    (d) अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
12. यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा?
    (a) सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
    (b) सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल
    (c) भारत के महान्यायवादी
    (d) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
13. कोई भी संविधान संशोधन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह
    (a) कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है।
    (b) सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने के लिए एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है।
    (c) विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग-3 से हटाकर संविधान में अन्य कही रखता है।
    (d) वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है।

14. भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक आधिकारिता का विस्तार कहाँ तक है?
(a) भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संधियाँ एवं समझौते
(b) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद
(c) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व के क्रियान्वयन से जुड़े विवाद
(d) संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन करता है

15. अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस अधिकारिता का प्रयोग करता है?
(a) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
(b) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
(c) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति
(d) उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना

16. निम्नलिखित में से कौन सा "न्यायिक आदेश" उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है?
(a) उत्प्रेषण लेख (b) परमादेश
(c) निषेधाज्ञा (d) अधिकार पृच्छा

17. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है?
(a) 323 ए (b) 329
(c) 343 सी (d) 343 के

18. भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?
(a) न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर (b) न्यायमूर्ति एच. कानिया
(c) न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (d) न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला

19. निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं, जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं?
(a) भारत के राष्ट्रपति (b) राज्यपाल
(c) उपराज्यपाल (d) राष्ट्रपति तथा राज्यपाल

20. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाहन करते हैं
(b) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं
(c) वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं
(d) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं

21. किस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है।
(a) अनुच्छेद 33 (b) अनुच्छेद 34
(c) अनुच्छेद 31 (d) अनुच्छेद 32

22. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
(a) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(b) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(c) संसद के दो सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति
(d) विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन

23. किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है
(a) राज्य के लोक लेखा को (b) भारत की संचित निधि को
(c) भारत के लोक लेखा को (d) राज्य की संचित निधि को

24. सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि 'बन्द' असंवैधानिक है?
(a) आन्ध्र प्रदेश (b) मध्य प्रदेश
(c) केरल (d) ओडिशा

25. निम्नलिखित में से कौन-सी रिट ऐसी है, जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है?
(a) बन्दी उपस्थापन (b) परमादेश
(c) निषेध (d) उत्प्रेषण

26. न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं
(a) साधारण कानून (b) निर्णय विधि
(c) विधि का नियम (d) प्रशासनिक कानून

27. उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों से ऊपर स्थापित की?
(a) गोलकनाथ का मामला (b) केशवानन्द भारती का मामला
(c) मिनर्वा मिल का मामला (d) उपरोक्त सभी

28. केन्द्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है
(a) इसकी परामर्शी अधिकारिता के अन्तर्गत
(b) इसकी अपीली अधिकारिता के अन्तर्गत
(c) इसकी मूल अधिकारिता के अन्तर्गत
(d) इसकी सांविधानिक अधिकारिता के अन्तर्गत

29. जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है–
(a) उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रिट अधिकारिता के
(b) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियन्त्रण के
(c) राज्य के राज्यपाल की विवेकशील शक्तियों के
(d) इस विषय में मुख्यमन्त्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के

30. भारत के संविधान के अनुसार 'जिला न्यायाधीश' अभिव्यक्ति के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होगा–
(a) मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट
(b) सेशन न्यायाधीश
(c) अधिकरण न्यायाधीश
(d) लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

31. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं-
(a) भारत की समेकित निधि से
(b) राज्य की समेकित निधि से
(c) भारत की आकस्मिकता निधि से
(d) राज्य की आकस्मिकता निधि से

32. अण्डमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है?
(a) आन्ध्र प्रदेश (b) कोलकाता
(c) चेन्नई (d) उड़ीसा

33. अग्रता अधिपत्र (Warrant of precedence) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा अग्रता का सही अवरोही क्रम है?
(a) भारत के महान्यायवादी (Attorney General) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश–संसद सदस्य–राज्यसभा उपाध्यक्ष
(b) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश–राज्यसभा उपाध्यक्ष–भारत के महान्यायवादी–संसद सदस्य
(c) भारत के महान्यायवादी–राज्यसभा उपाध्यक्ष–उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश–संसद सदस्य
(d) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश–भारत के महान्यायवादी – राज्यसभा उपाध्यक्ष–संसद सदस्य

34. जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा (PIL) लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे?
(a) एम. हिदायतुल्ला (b) ए.एम. अहमदी
(c) ए. एस. आनन्द (d) पी. एन. भगवती

35. भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है (संघ राज्य-क्षेत्र शामिल नहीं है)?
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

36. लोकहित मुकदमा भारतीय न्यायपालिका की निम्नलिखित में से किस एक अधिकारिता के अंतर्गत है?
(a) प्रारम्भिक अधिकारिता (b) अपीलीय अधिकारिता
(c) पत्रात्मक अधिकारिता (d) परामर्शदायी अधिकारिता

37. भारत के उच्चत्तम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए केशवानन्द भारती बनाम भारत राज्य वाद को एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है?
(a) धर्म को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साधनायोजित नहीं किया जा सकता
(b) देश से अस्पृश्यता का उन्मूलन करना
(c) संविधान की आधारभूत संरचना जैसा कि उद्देशिका में निरूपित है, परिवर्तित नहीं की जा सकती
(d) जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलम्बित नहीं किया जा सकता

38. भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रारम्भिक अधिकारिता का विस्तार कहाँ तक है?
(a) भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संधियाँ एवं समझौते
(b) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद
(c) राज्य के नीति-निदेशक तत्व के क्रियान्वयन से जुड़े विवाद
(d) संसद् द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन करता है

39. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण उन व्यक्तियों की सेवा के बारे में विवादों और शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है जो
(a) रक्षा बलों के सदस्यों को छोड़ कर, संघ के मामलों से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हैं
(b) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के पदधारी और सेवक हैं
(c) संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य या सचिवालयी स्टाफ हैं
(d) रक्षा बलों के सदस्य हैं

40. किस कानून के अन्तर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी?
(a) उच्चतम न्यायालय नियम, 1966
(b) संसद् द्वारा किया गया विधि-निर्माण
(c) भारत के संविधान का अनुच्छेद 145
(d) भारत के संविधान का अनुच्छेद 348

41. 'प्रतिषेध' रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
(a) किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए।
(b) किसी अवर न्यायालय या न्यायिक अथवा न्यायिक-कल्प कृत्यों को निष्पादित करने वाले निकाय को, इसलिए कि वह किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेख को उसके पुनर्विलोकन के लिए अन्तरित कर दे
(c) जहाँ वह किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह दिखाये कि किस प्राधिकार के अधीन वह पद धारण कर रहा है
(d) किसी प्राधिकारी को, इसलिए कि वह अवैध रूप से निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करे

42. निम्नलिखित रिटों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ 'शरीर आपके पास लाया जाये' है?
(a) उत्प्रेषण (b) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(c) परमादेश (d) अधिकार-पृच्छा

43. लोक अदालतों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है?
(a) लोक अदालतों के पास उन मामलों को निपटाने की अधि कारिता है, जो मुकदमा होने से पूर्व की स्थिति में हैं और उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं।
(b) लोक अदालतें उन मामलों को ले सकती हैं, जो सिविल स्वरूप के हैं और दांडिक स्वरूप के नहीं हैं।
(c) लोक अदालत को अभी तक कोई कानूनी हैसियत नहीं दी गई है।
(d) लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है।

44. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि हैं, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है?
(a) केशवानंद भारती वाद (b) गोलकनाथ वाद
(c) मिनर्वा मिल्स वाद (d) मेनका गांधी वाद

EBD_7939

45. भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
(a) उच्चतम न्यायालय अधिशासी मंडल (कॉलेजियम)
(b) मंत्रिमंडल
(c) भारत का राष्ट्रपति
(d) लोकसभा

46. निम्न में से किसे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है?
(a) संसद को
(b) राष्ट्रपति को
(c) भारत के सभी न्यायालयों को
(d) सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को

47. भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का आदर्श किस स्रोत से लिया गया है?
(a) अमेरिका (b) ब्रिटेन
(c) कनाडा (d) भारत सरकार अधिनियम, 1935

48. भारत के उच्चतम न्यायलय की सांविधानिक न्यायपीठ के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय में मृत्युदंड अधिनिर्णीत करने के लिए 'विरलों में विरलतम' सिद्धांत को पहली बार अधिकथित किया गया?
(a) बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980)
(b) गोपालनचारी बनाम केरल राज्य (1980)
(c) डा. उपेन्द्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1983)
(d) तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (1979)

49. उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी?
(a) गोलकनाथ केस में
(b) मिनर्वा मिल्स केस में
(c) बैंक नेशनलाइजेशन केस में
(d) टी.एम.पाई. फाउंडेशन केस में

50. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढांचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
(a) गोलकनाथ (b) ए.के. गोपालन
(c) केशवानंद भारती (d) मेनका गांधी

51. न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय-
(a) को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है
(b) राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है
(c) उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है
(d) राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है

52. भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है-
(a) वैधिक प्रक्रिया (b) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
(c) विधि का शासन (d) दृष्टांत और अभिसमय

53. ''मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा..... भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा.... अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करूंगा..... संविधान और कानून की रक्षा करूंगा।'' यह शपथ ली जाती है-
(a) भारत के राष्ट्रपति द्वारा (b) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(c) संसद के सदस्य द्वारा (d) राज्यपाल द्वारा

54. भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक ''अभिलेख न्यायालय'' है। इसका आशय है कि-
(a) इसे अपनी सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है।
(b) इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है।
(c) इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है।
(d) इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

55. भारत में 'न्यायिक सक्रियता' संबंधित है-
(a) प्रतिबद्ध न्यायपालिका से (b) जनहित याचिका से
(c) न्यायिक पुनरावलोकन से (d) न्यायिक स्वतंत्रता से

56. भारत में चलित न्यायालय (Mobile Court) इसका मानसपुत्र है-
(a) न्यायमूर्ति भगवती
(b) श्री राजीव गांधी
(c) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
(d) श्रीमती प्रतिभा पाटिल

57. 'विधि आयोग' के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि 'प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिये''?
(a) न्यायाधीश पी.एन. भगवती
(b) न्यायाधीश हिदायतुल्लाह
(c) न्यायाधीश एच.आर. खन्ना
(d) न्यायाधीश चन्द्रचूड़

58. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान के आधारभूत ढांचे' के सिद्धांत को स्पष्ट किया है-
(a) गोलकनाथ वाद 1967 में
(b) सज्जन सिंद वाद 1965 में
(c) शंकरी प्रसाद वाद 1951 में
(d) केशवानंद भारती वाद 1973 में

59. निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया?
(a) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(b) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(d) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ

अभ्यास प्रश्न-2

1. उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
   1. उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे।
   2. परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है।
   3. परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता।
   4. उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है।

   कूट
   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) 2 और 4
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है, जो संविधान ने उसे प्रदान की है।
   2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक सम्बद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
3. भारत के उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. यह एक अभिलेख न्यायालय नहीं है, इसे अपनी अवमानना पर दण्ड देने का अधिकार है।
   2. यह अपने निर्णय को बदल सकता है।
   3. यह अपनी कार्यवाही दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं कर सकता है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही नहीं हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) ये सभी
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान नहीं करता है।
   2. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं।
   3. वह व्यक्ति जो कम-से-कम 5 वर्ष किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।

   उपरोक्त कथनों में सा/से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 3 (d) ये सभी
5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. वंचितों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन की व्यवस्था
   2. देह व्यापार में धकेली गई महिलाओं के जीवन से जुड़े मुद्दे
   3. पेयजल की सुविधा से जुड़े मुद्दे
   4. सामाजिक समस्याओं का निपटारा

   "सामाजिक न्याय पीठ" से सम्बन्धित कथन है
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 3 (d) ये सभी
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति गणपूर्ति को पूरा करने हेतु की जाती है।
   2. तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए अनुरोध सर्वदा मौखिक होते हैं।
   3. तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) 1 और 2
   (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3
7. भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र के बीच अन्तर के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है?
   1. उच्चतम न्यायालय रिट को जारी कर सकता है। न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के मामले में, बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी, जबकि उच्च न्यायालय रिट केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कर सकते हैं।
   2. उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा रिट जारी कर सकते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता।
   3. उच्चतम न्यायालय केवल अपील के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल तभी रिट जारी कर सकता है, जब सम्बद्ध पक्ष इसके पास जाता है।
   4. उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है न केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के मामले में, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है।

   कूट
   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) 2 और 3 (d) केवल 4
8. उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
   1. उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करें।
   2. परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है।
   3. परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता।
   4. उच्चतम न्यायालय को उसी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है।

   कूट
   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) 2 और 4

EBD_7939

9. सर्वोच्च न्यायालय संघ का न्यायालय है इसका अर्थ है
   1. ये अपनी अवमानना के लिए सजा दे सकता है।
   2. इसके निर्णयों को साक्ष्य समझा जाता है तथा इसे किसी भी कानून की अदालत में नहीं लाया जा सकता है।
   3. इसे उन सभी महत्त्वपूर्ण मामलों का संग्रह रखना पड़ता है, जिनके फैसले भारत में लिए जाते हैं।
   4. इनके निर्णय एक बार लिए गए तो ये इन पर बाध्य हो जाते हैं।

   कूट
   (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
   (c) 1, 3 और 4 (d) ये सभी

10. भारत के सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित किन परिस्थितियों में निर्णय प्रदान करने की शक्ति है?
    1. किसी कानूनी विषय पर राष्ट्रपति द्वारा सलाह माँगे जाने पर
    2. संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित मुद्दे पर
    3. सार्वजनिक महत्त्व के किसी महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर
    4. किसी कानून की संवैधानिकता के प्रश्नगत किए जाने पर

    कूट
    (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
    (c) 1, 2 और 3 (d) 2, 3 और 4

11. बन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट निम्नलिखित मामलों में निकाली जाती है
    1. किसी व्यक्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति ने निरुद्ध किया है।
    2. गिरफ्तारी का आदेश किसी विधि का उल्लंघन करता है।
    3. निरोध (Detention) प्रक्रिया का उल्लंघन करता है।

    कूट
    (a) केवल 1 (b) 2 और 3
    (c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

12. न्यायालयों से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
    2. राज्य की विधायिका में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कार्य आचरण पर कोई बहस नहीं हो सकती है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
    1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय बन्दी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश देता है।
    2. प्रतिषेध रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है।
    3. अधिकार पृच्छा रिट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के किसी पद को ग्रहण करने या विशेषाधिकार की वैधता की जाँच करने के लिए जारी की जाती है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

14. उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करने की शक्ति का उपयोग किया है
    1. अधिकारिता से बाहर जाने पर।
    2. नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करने पर।
    3. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की उपेक्षा करने पर।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) 1 और 2
    (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

15. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के दौरान उसके पद से कब हटाया जा सकता है?
    1. संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
    2. प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
    3. राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी भी समय उन्हें पदच्युत कर सकता है

    कूट:
    (a) केवल 1 सही है (b) 1 और 2 सही है
    (c) 2 और 3 सही है (d) केवल 2 सही है

16. न्यायिक समीक्षा का अर्थ है-
    1. संसद न्यायालय को अपना विचार प्रकट करने के लिए कहती है।
    2. न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों एवं कार्यपालिका द्वारा जारी अध्यादेशों या आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है।
    3. संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की संवैधानिकता की जांच हेतु राष्ट्रपति उसे न्यायालय को निर्देशित करे।
    4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की जांच करना।

    कूट:
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 2, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

17. कौन-सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका की नहीं है?
    1. यह स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है।
    2. यह संविधान की अंतिम व्याख्या करती है।
    3. यह कानून-निर्माण की सर्वोच्च संस्था है।
    4. यह एकीकृत व्यवस्था है।

    कूट:
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) केवल 3 (d) केवल 4

18. 'लोकहितवाद' (PIL) से संबंधित निम्न तथ्यों पर ध्यान दें-
    1. इसका मूल्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं न्यायालय न पहुंच सकने की स्थिति में भी उसे न्याय प्रदान करता है।
    2. भारत में इसको प्रवर्तित करने का पूरा श्रेय जस्टिस भगवती को है।
    3. इसके द्वारा 'शक्तियों के पृथक्करण' (Seperation of Power) संबंध सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
    4. ताजमहल के संरक्षण से संबंधित वाद 'एम.सी. मेहता' बनाम 'भारत संघ' मूल रूप से लोकहितवाद से ही प्रारंभ हुआ था।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 4 (d) 1 और 2

EBD_7939

19. भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. यूनाइटेड स्टेट्स के विपरीत, भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
    2. भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
    3. अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग-अलग राज्यों में हल्का अन्तर है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
    (a) केवल 1 (b) 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3 (d) 2 और 3

20. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन 'उत्प्रेषण रिट' के संबंध में सही है/हैं?
    1. एक न्यायालय, अधिकरण अथवा अधिकारी होना चाहिए जिसे न्यायिक रूप से कार्रवाई करने के दायित्व सहित मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय लेने का कानूनी अधिकार हो।
    2. उत्प्रेषण रिट एक अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाहियों की प्रवृत्ति के दौरान उपलब्ध होता है।

    निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए :
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

21. उत्प्रेषण रिट (Certiorari) संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
    1. उत्प्रेषण रिट (Certiorari) ऐसे निकाय के विरूद्ध जारी होती है जिसमें विधिक प्राधिकार (Legal Authority) निहित हो तथा यह प्राइवेट व्यक्ति के विरूद्ध जिसे संवैधानिक शक्ति नहीं हो, जारी नहीं की जा सकती है।
    2. उत्प्रेषण रिट (Certiorari) जारी करते समय न्यायालय अपीली अधिकारिता (Appellate Jurisdication) का प्रयोग करता है, अधीक्षण अधिकारिता (Supervisory Jurisdication) का नहीं।
    3. एक उच्च न्यायालय की पीठ उसी न्यायालय की दूसरी पीठ को उत्प्रेषण रिट (Certiorari) जारी नहीं कर सकता।
    4. एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय को उत्प्रेषण रिट (Certiorari) जारी कर सकता है।

    (a) 1, 2, 3, 4 (b) 1, 3
    (c) 1, 2, 3 (d) 1, 3, 4

22. भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए केशवानन्द भारती बनाम भारत संघ वाद को एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है?
    (a) धर्म को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साधन-योजित नहीं किया जा सकता
    (b) देश से अस्पृश्यता का उन्मूलन करना
    (c) संविधान की आधारभूत संरचना, जैसा कि उद्देशिका में निरूपित है, परिवर्तित नहीं की जा सकती
    (d) जीवन और स्वातन्त्र्य का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलम्बित नहीं किया जा सकता

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है
    1. स्वप्रेरण पर (व्यापक लोकहित के किसी विषय में)।
    2. यदि वह ऐसी कोई सलाह माँगता है।
    3. केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से सम्बन्धित है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) केवल 3 (d) 1और 2

24. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है-
    कथन (A) : न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है।
    कारण (R) : न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दण्डित करने के दण्डात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।
    ऊपर के दोनों वक्तव्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है।
    (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है
    (b) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
    (c) A सही है परन्तु R गलत है
    (d) A गलत है परन्तु R सही है

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. जिले में उच्चतम दण्ड न्यायालय, जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है।
    2. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा होती है।
    3. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को सात वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या प्लीडर अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए।
    4. यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदण्ड का निर्णय दे तब मृत्युदण्ड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) 1 और 2 (b) 2, 3 और 4
    (c) 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
    1. संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है।
    2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक सम्बद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) दोनों 1 व 2 (d) न ही 1 व न ही 2

27. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है-

कथन (A): भारत में प्रत्येक राज्य के राज्यक्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है।

कारण (R) : भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो।

कूट:

(a) A और R दोनों सही है और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(b) A और R दोनों सही है तथा R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) A सही है परन्तु R गलत है
(d) A गलत है परन्तु R सही है

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है। उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता।
2. कोई व्यक्ति, भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है, यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम-से-कम पाँच वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 व 2 (d) न ही 1 व न ही 2

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है।
2. उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन (Plead) नहीं कर सकता।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 व 2 (d) न ही 1 व न ही 2

30. लोक अदालतों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश (Decree) मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती।
2. विवाह-सम्बन्धी/पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 व 2 (d) न ही 1 व न ही 2

31. निम्नलिखित में से कौन-से उच्चतम न्यायालय की आरम्भिक अधिकारिता में आते हैं?

1. भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद
2. संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान-मण्डल में हुए चुनाव पर विवाद
3. भारत सरकार तथा किसी संघ राज्यक्षेत्र के बीच का विवाद
4. दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 4 (d) 3 और 4

32. भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है?

1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करना पड़ता है।
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है।
3. न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमण्डल को अपना मत नहीं देना होता है।
4. भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के पश्चात् ही की जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 4 (d) 1, 2, 3 और 4

33. प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर से संबंधित कथनों पर विचार कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए:

1. प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता से परे निर्णय देने से पूर्व (सुनवाई के दौरान) जारी की जाती है।
2. प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना है।
3. प्रेतिषेध रिट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता, जबकि उत्प्रेक्षण रिट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर भी जारी किया जा सकता है।

कूट:

(a) केवल 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 दोनों (d) 1, 2 और 3

34. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन 'उत्प्रेषण रिट' के सम्बन्ध में सही है/हैं?

1. एक न्यायालय, अधिकरण अथवा अधिकारी होना चाहिए जिसे न्यायिक रूप से कार्यवाई करने के दायित्व सहित मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय लेने का कानूनी अधिकार हो।
2. उत्प्रेषण रिट एक अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाहियों की प्रवृत्ति के दौरान उपलब्ध होता है।

निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

कूट :

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

35. भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
    1. यूनाइटेड स्टेट्स के विपरीत, भारत में दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
    2. भारत के संविधान के अधीन, संघ एवं राज्यों के लिये एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है।
    3. अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग-अलग राज्यों में हल्का अंतर है।

    नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2 और 3

36. किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है
    1. जहाँ गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ हो
    2. आपराधिक आरोप के लिए कारावासित किसी व्यक्ति के छुड़ाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए
    3. जहाँ गिरफ्तारी, न्यायालय या संसद की अवमानना के लिए हुई हो

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 (d) केवल 1 और 2

37. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है–
    1. यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है।
    2. व्यापक लोक हित के विषय में स्वप्रेरणा पर।
    3. यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकार से संबद्ध है।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) 2 और 3

38. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
    2. किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव अगले सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से भिन्न होती है।
    2. उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवा निवृत्ति के पश्चात् भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

40. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत में एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (लिविंग विल) को लेकर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है।
    2. सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है कि वह अनुच्छेद 21 के तहत् जीवन के अधिकार को संरक्षित करे। एडवांस डायरक्टिव समय की जरूरत है और वह जीवन के पवित्र अधिकार को संरक्षित करने में सहायक होगा।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

41. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का आधारभूत ढाँचा संविधान का मौलिक भाग है तथा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
    2. केशवानंद भारती मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाली व्यवस्था को बनाए रखा तथा कहा कि संविधान के आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1 न ही 2

42. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
    1. सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
    2. इस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति गणपूर्ति के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए की जाती है।

    उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

43. भारत के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन-सी हैं?
    1. एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिता
    2. उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्ति
    3. इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करना
    4. विधि से सम्बन्धित मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) 1, 2, 3 और 4
    (b) केवल 1, 2 और 3
    (c) केवल 1 और 2
    (d) केवल 3 और 4

EBD_7939

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **[IAS Prelims 2019]**
1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

45. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : **[IAS Prelims 2019]**
1. न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।
2. भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 'अक्षमता और सिद्ध कदाचार' को गठित करते हैं।
3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं।
4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं।
(a) 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 3 और 4 (d) 1, 3 और 4

46. भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **[IAS Prelims 2019]**
1. किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(b)	**7**	(a)	**13**	(c)	**19**	(a)	**25**	(b)	**31**	(b)	**37**	(c)	**43**	(d)	**49**	(a)	**55**	(b)
2	(a)	**8**	(a)	**14**	(b)	**20**	(c)	**26**	(b)	**32**	(b)	**38**	(b)	**44**	(b)	**50**	(c)	**56**	(c)
3	(d)	**9**	(d)	**15**	(b)	**21**	(d)	**27**	(a)	**33**	(b)	**39**	(a)	**45**	(a)	**51**	(d)	**57**	(c)
4	(d)	**10**	(b)	**16**	(d)	**22**	(c)	**28**	(c)	**34**	(d)	**40**	(d)	**46**	(d)	**52**	(c)	**58**	(d)
5	(b)	**11**	(b)	**17**	(a)	**23**	(b)	**29**	(a)	**35**	(b)	**41**	(a)	**47**	(d)	**53**	(b)	**59**	(b)
6	(a)	**12**	(d)	**18**	(d)	**24**	(c)	**30**	(c)	**36**	(b)	**42**	(b)	**48**	(a)	**54**	(b)		

अभ्यास-2

1	(c)	**6**	(a)	**11**	(c)	**16**	(b)	**21**	(b)	**26**	(b)	**31**	(c)	**36**	(c)	**41**	(b)	**46**	(d)
2	(d)	**7**	(b)	**12**	(b)	**17**	(c)	**22**	(c)	**27**	(d)	**32**	(a)	**37**	(a)	**42**	(b)		
3	(b)	**8**	(d)	**13**	(d)	**18**	(d)	**23**	(b)	**28**	(d)	**33**	(c)	**38**	(b)	**43**	(a)		
4	(d)	**9**	(b)	**14**	(d)	**19**	(c)	**24**	(b)	**29**	(a)	**34**	(b)	**39**	(b)	**44**	(b)		
5	(d)	**10**	(d)	**15**	(a)	**20**	(c)	**25**	(d)	**30**	(a)	**35**	(c)	**40**	(c)	**45**	(c)		

EBD_7939

भारत की संघ व्यवस्था तथा संघ राज्य संबंध

15 अध्याय

भारतीय संघ व्यवस्था

संघात्मक सरकार में सम्पूर्ण शक्तियां केन्द्र एंव राज्यों में विभाजित होती हैं। इस प्रकार की सरकार के अस्तित्व में आने का कारण स्वतन्त्र तथा संप्रभुत्ता सम्पन्न राज्यों को संघीय राजनीति से जोड़ना तथा उन्हें रक्षा, विदेश नीति, वाणिज्य, संचार आदि मामलों में फायदा पहुँचाना है। इसी प्रकार एकात्मक स्वरूप सरकार का सबसे प्रचलित रूप है।

वर्तमान में मौजूद लगभग 150 देशों में से केवल 20 में संघीय प्रणाली है, इनमें पश्चिम देशों में प्रमुख हैं- कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, और स्विटजरलैंड तथा तीसरी दुनिया में भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, नाइजीरिया और मलेशिया।

भारतीय संघवाद- भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है क्योंकि वह दोहरे शासनतंत्र की स्थापना करता है। केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार है और उसके चारों ओर राज्य सरकारें हैं, जिनसे संघ का निर्माण हुआ है। भारतीय संघ में इस समय केन्द्रीय सरकार के अलावा 29 राज्य एवं 7 संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संघवाद का उद्‌भव कनाडा की शासन व्यवस्था पर आधारित है, किन्तु भारत में संघ की स्थापना राज्यों के करार द्वारा नहीं हुई है तथा राज्यों को केन्द्र से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे देश में राज्यों की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली है। इतना ही नहीं राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के पश्चात् तो संविधान का संघात्मक रूप एकात्मक रूप में बदल जाता है, इसी कारण भारत को 'अर्द्ध संघ' या केंद्रित संघवाद के नामों से पुकारा जाता है।

भारतीय शासन व्यवस्था को जानने के लिए उसमें विद्यमान संघात्मक तथा एकात्मक लक्षणों को जानना आवश्यक है।

भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप

मलूतः भारतीय संविधान संघात्मक है, क्योंकि संघीय शासन में राज्य की समस्त शक्तियाँ दो सरकारों- केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य बंटी होती है।

संघात्मक सरकार के लक्षण-

1. **द्वैद्ध शासन प्रणालीः** संघ शासन में दो तरह की सरकार होती है- एक तो केन्द्र सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार जिनके मिलने से संघ का निर्माण होता है। भारत में यह द्वैद्ध शासन प्रणाली अपनाई गई है।
2. **शक्तियों का विभाजनः** संघात्मक सरकार की एक मुख्य विशेषता राज्य की समस्त शक्तियों का बंटवारा केन्द्र और राज्य के मध्य करना होता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय केन्द्र सरकार को तथा स्थानीय महत्व वाले विषय राज्य सरकार को दिए जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में इन विषयों को तीन सूचियो में विभाजित कर दिया गया है। वे इस प्रकार हैं- (क) संघ सूची, (ख) राज्य सूची, (ग) समवर्ती सूची।

   संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केन्द्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केन्द्र एवं राज्यों के मध्य न केवल विधायी शक्तियों का भी बंटवारा किया गया है।
3. **सविधान की सर्वोच्चताः** भारत में न तो केन्द्र सरकार को सर्वोच्च माना गया है क्योंकि केन्द्र और राज्यों को जो शक्तियां प्राप्त हैं, वे संविधान में वर्णित हैं। इसलिए संविधान कानून है। राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान के अनुच्छेदों के विरुद्ध हो अवैध माना जाएगा।
4. **लिखित संविधानः** संघीय शासन केन्द्र और राज्यों के बीच एक समझौता-सा है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस समझौते के सभी नियम एवं शर्तें लेखबद्ध हो, जिससे केन्द्र एवं राज्यों को स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो जाए कि उनके अधिकार क्या हैं तथा कर्त्तव्य क्या हैं। भारतीय संविधान न केवल लिखित है, वरन् संसार के सभी संविधानों से कहीं ज्यादा लम्बा है। संविधान में निर्माताओं ने छोटी-छोटी बातों को भी संविधान में शामिल किया है ताकि केन्द्र एंव राज्यों के मध्य विवादों की सम्भावना न रहे।
5. **कठोर संविधानः** भारतीय संविधान न केवल लिखित है, बल्कि कठोर भी है। कठोर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होती है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया और स्विटजरलैंड जैसे देशों में तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है। भारत का संविधान इन संविधानों जितना कठोर नहीं है, क्योंकि संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं, जिनमें संसद राज्यों की इच्छा के विरुद्ध भी संशोधन कर सकती हैं। किन्तु, कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संसद की स्वीकृति के साथ-साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति की भी आवश्यकता होती है।
6. **उच्चतम न्यायालय की विशेष स्थितिः** संघ शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्य-सरकारें, दोनों संविधान का आदर करें। परन्तु, यदि ऐसा न हो या केन्द्र तथा राज्यों में अथवा परस्पर राज्यों में कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसके अलावा यदि केन्द्र या राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के अनुच्छेदों के प्रतिकूल हो तो इसके निबटारे के लिए निष्पक्ष या स्वतन्त्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या व उसकी रक्षा करने वाला कहा गया है। इन न्यायालयों द्वारा की गई संविधान की व्याख्या अंतिम मानी जाती है। यही उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता का प्रमाण है।

उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है।

भारतीय संविधान का एकात्मक स्वरूप: भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, किन्तु भारतीय संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो अन्य संघीय संविधानों से भिन्न हैं। अमेरिका, आस्ट्रेलिया या स्विटजरलैंड की अपेक्षा भारत में केन्द्र को राज्यों से कहीं अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे अर्द्ध संघ या केन्द्रित संघ शासन का नाम दिया है। भारतीय संघ के बारे में यह भी कहा जाता है कि 'संविधान का रूप तो संघात्मक है, परन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है।' भारतीय संघ में दृष्टिगत एकात्मक विशेषतायें निम्नलिखित हैं–

1. **राज्यों के अपने संविधान नहीं है:** भारत में केवल एक संविधान है, जम्मू कश्मीर राज्य अपवाद है, क्योंकि इसे संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और इसका अपना अलग संविधान है जो केन्द्र एवं राज्य दोनों की शक्तियों का उल्लेख करता है। अमेरिका और स्विटजरलैंड में राज्यों के अपने अलग संविधान हैं और उनमें संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों के विधानमंडलों को ही प्राप्त है, जबकि भारत में राज्यों को उन अनुच्छेदों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में ही आरम्भ हो सकती है। कुछ संशोधनों में केवल संसद की स्वीकृति ही काफी नहीं होती, बल्कि उसके लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति भी आवश्यक होती है।
2. **इकहरी नागरिकता:** प्रायः संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में ऐसा ही है, किन्तु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रत्येक नागरिक संघ का नागरिक होने के साथ-साथ संबंधित राज्य का भी नागरिक है। भारत में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। इस कारण सभी को समानता के आधार पर संविधान की ओर से अधिकार प्राप्त है।
3. **शक्तियों का बंटवारा केन्द्र के पक्ष में:** हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि केन्द्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं और इस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिन पर संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, किन्तु परस्पर विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता मिलती है, राज्यों द्वारा बनाया गया कानून निरस्त माना जाता है। इसी प्रकार राज्य सूची में 61 विषय रखे गए हैं, जिन पर राज्य की विधानमंडल कानून बना सकती है। किन्तु, कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद इन पर भी कानून बना सकती है। अविशिष्ट शक्तियां भी केन्द्र को प्राप्त हैं। शक्तियों का यह विभाजन केन्द्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है जो कि एकात्मक शासन का लक्षण है।
   अविशिष्ट शक्तियों का अर्थ किसी ऐसे विषय से है जो किसी भी सूची में अंकित न हो। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान में है।
4. **एकीकृत न्याय व्यवस्था:** संघ शासन में केन्द्र एवं राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी-न्याय व्यवस्था आवश्यक है। भारतीय संघ में अमरीका की तरह दोहरी न्याय-व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता है। उच्चतम न्यायालय के पश्चात् अन्य न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में होता है।
5. **संकटकाल में एकात्मक शासन:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 353, 356 और 360 के द्वारा राष्ट्रपति को संकटकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा राज्यों पर सभी प्रकार के शासकीय नियन्त्रण प्राप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि संबंधित राज्य में वैधानिक संकट उत्पन्न होने के कारण प्रशासन सुचारू ढंग से नहीं चलाया जा रहा तो वह राज्य में वैधानिक संकट की घोषणा कर देता है। राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के एजेण्ट के रूप में राज्य का शासन चलाता है। संसद को भी ऐसे समय में कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार, राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार संकटकाल में शासन का संघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है और केन्द्रीय शासन सर्वोपरि हो जाता है।
6. **राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं:** विश्व के अन्य संघों में उच्च सदन राज्य सभा में सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। यहाँ पर उनके आकार तथा आबादी का ध्यान नहीं रख जाता, जबकि भारत मे राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
7. **महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था:** भारतीय संविधान में समस्त महत्वपूर्ण विषयों; जैसे कानून, न्याय-व्यवस्था, उच्च नागरिक सेवाएं, लेखा-परीक्षण इत्यादि, के सम्बन्ध में, जो राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है–
   (i) अखिल भारतीय प्रशासनिक तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इन सेवाओं के सदस्य राज्यों के मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं।
   (ii) नियन्त्रक महालेखा परीक्षक केन्द्र के साथ-साथ राज्यों के व्यय का लेखा तथा लेखा-परीक्षा कार्य को भी सम्पन्न करता है।
   (iii) निर्वाचन आयोग संसद के साथ-साथ राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन भी कराता है।
   (iv) दीवानी तथा दण्ड संबंधी कानून संहिताबद्ध है और पूरे देश पर लागू होते हैं। एकात्मकता बनाए रखने के लिए इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है।

भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद

भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद से भिन्न है-

1. भारतीय संविधान ने संघ में अविशिष्ट शक्तियों को निश्चित करके कनाडा की प्रणाली का अनुसरण किया हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में ये अविशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अविशिष्ट शक्तियाँ संघ को समनुदिष्ट हैं।
2. अमेरिका में केवल राष्ट्रीय सरकार का संविधान लिखित है, राज्यों को अपने अलग संविधान निर्माण की छूट दी गई है। भारत में केवल जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण देश के लिए केवल एक ही लिखित संविधान का प्रावधान है।

3. संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, किन्तु भारतीय संविधान में संघ द्वारा राज्यों के प्रशासन और विधान दोनों पर नियंत्रण का उपबंध है। जब कोई विषय राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तो वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उसी के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहता है। यह अमेरिका या आस्ट्रेलिया के संविधान के प्रतिकूल है, किन्तु कनाडा के संविधान में पाए जाते हैं।
4. भारतीय संविधान के संशोधन में कुछ विषयों को छोडकर राज्यों की समनुदेशित भूमिका संघ की अपेक्षा कम महत्व है। अमेरिका जैसे परिसंघ के पीछे सिद्धान्त यह है कि संघ संघटक इकाइयों के मध्य करार का परिणाम है इसलिए संविधान का यह भाग जिसमें यह करार दिया गया है, सम्मिलनकारी पक्षकारों की सम्मति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
5. अमेरिकी परिसंघ को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' कहा है। इसका अर्थ है कि कोई भी राज्य अपनी इच्छानुसार संघ से विलग होकर संघ को नष्ट नहीं करेगा तथा इसके विपरीत परिसंघ की सरकार नए राज्यों की रचना करके या राज्यों के करार के समय विद्यमान सीमाओं को सम्बन्धित राज्य के विधानमण्डल की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं कर सकती, संघ के स्वरूप को नहीं बदल सकती। आस्ट्रेलिया में भी इसी सिद्धान्त को अपनाया गया है।

   भारतीय संघ में किसी भी राज्य को केन्द्र से विलग होने को अधिकार प्राप्त नहीं है जबकि संघ की संसद को राज्यों का पुनर्गठन उनकी सीमाओं में परिवर्तन आदि के लिए राज्यों का समर्थन लेना आवश्यक नहीं है। भारतीय संघ में संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार ऐसा विधान सामान्य प्रक्रिया के अनुसार साधारण बहुमत से किया जा सकता है।

   संविधान के 16वें संशोधन 1963, में यह स्पष्ट किया गया है कि संघ से विलग होने के पक्षपोषण को वाक् स्वतन्त्रता का पक्षघोषणा नहीं मिलेगा।
6. अमेरिकी परिसंघ राज्यों के करार का परिणाम है। संविधान राज्यों को उनकी सम्मति के बिना उनकी राज्यक्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित न करने की कोई प्रत्याभूति नहीं देता। भारतीय संविधान की परिसंघीय स्कीम के पीछे राज्यों के समान अधिकार जैसा कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि यह राज्यों के मध्य करार का परिणाम नहीं है।

   अमेरिकी परिसंघ के आवश्यक सिद्धान्तों में संविधान के अधीन संघटक राज्यों की समानता है, चाहे उनके मत या जनसंख्या कितनी भी हो। यह सिंद्धान्त परिसंघ संगठन में राज्यों की प्रतिष्ठा और हित की रक्षा के लिए है ऐसा माना जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 5 में यह भी जोड़ा गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जाएगा।

   भारतीय संविधान में राज्य परिषद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्य सभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या 1 से 34 के बीच है। उच्च सदन का गठन समानता के आधार पर नहीं, वरन् जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। भारतीय राज्य परिषद् को भी सही अर्थ में परिसंघ सदन नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के 238 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 12 मनोनीत सदस्य होते हैं।
7. **भारतीय परिसंघ में एक नया लक्षण था**- सिक्किम का 'सहयुक्त राज्य' के रूप में प्रयोग। अनुच्छेद 371 घ में सिक्किम के बारे में उस राज्य की विशेष परिस्थिति को देखते हुए कुछ विशेष उपबंध रखे गये हैं।

   अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकार में समन्वय स्थापित करने तथा प्रभुता के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का तर्कसम्मत विभाजन करके एक द्वैध राज्य व्यवस्था की सृष्टि की, जिसमें दोहरी नागरिकता, अधिकारों के दो समूह तथा दोहरी न्यायपालिका बनाई गई, किन्तु भारत में अनुच्छेद 5 के अनुसार एकल नागरिकता अर्थात् भारत की नागरिकता का प्रावधान है।

   अमेरिकी संविधान में जहाँ लोकसेवाओं का विभाजन संघ और राज्य के मध्य होता है, इनके अपने-अपने पदाधिकारी होते हैं और ये अपनी-अपनी विधियों के अनुसार प्रशासन का कार्य करते हैं। इसके विपरीत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबन्ध है, किन्तु ये सेवाएं संघ और राज्य दोनों के लिए समान होती हैं।

इसी प्रकार भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। इसके द्वारा दिये गए निर्णय अंतिम माने जाते हैं। इसी तरह निर्वाचन लेखा और संपरीक्षा का तंत्र भी एकीकृत है। भारतीय अनुच्छेद 258 (क) के अनुसार किसी राज्य द्वारा अपनी कार्यपालिका या विधायिका संबंधी कृत्यों को संघ को सौंपने से 'प्रभुता के समर्पण' का प्रश्न नहीं उठता। सामान्य समय में परिसंघ प्रणाली चलती रहती है, किन्तु भारत के संविधान में आपात् में ऐकिक प्रणाली का बल अर्जित करने के लिए परिसंघ सरकार को सशक्त किया गया है। अनुच्छेद 353, 354 तथा 357 के अनुसार संघ की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य के सभी विषयों पर हो जाता है।

अनुच्छेद 249 के अनुसार, भारतीय संसद यदि राज्य सूची के किसी विषय पर विधायी शक्ति का प्रयोग करती है तो राज्य सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से ऐसा विधान पारित होना आवश्यक है। अनुच्छेद 256-257 के अनुसार राज्य सरकार की बर्खास्तगी या केन्द्र के निर्देश पालन में राज्य सरकार की असमर्थता पर अनुच्छेद 365 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा यह समझ लेना कि अमूक राज्य, प्रशासन चलाने में असमर्थ है आदि प्रावधान अमेरिकी संघवाद से मेल नहीं खाते।

अनुच्छेद 269, 270, 272 के अनुसार संघ के कर स्रोतों के समुदेशन और वितरण की प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों का बड़ी सीमा तक संघ पर निर्भर रहना भी भारतीय परिसंघ का एक लक्षण है। भारतीय संविधान के भाग-1 में दिए गए चार अनुच्छेद राज्यों के गठन और पुनर्गठन से सम्बन्धित है। इनमें अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संघ के पास यह शक्ति है कि वह आवश्यकता पड़ने पर राज्यों की सीमाओं में, नाम में, परिवर्तन कर उसका पुनर्गठन कर सकती है। ऐसा करने के लिए भारतीय संघ को राज्य के विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 4 में ऐसे अनुपूरक, अनुषंगी और परिणामिक उपबंध भी हैं जो विधि को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हैं और उस विधि से संविधान की पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन किया जा सकेगा। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन के लिए विधि बनाने की विशेष प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी।

इस प्रकार भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो इसे कुछ सीमा तक एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, किन्तु इसमें भी संदेह नहीं है कि भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के लक्षण भी विद्यमान है। वास्तव में भारत में संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख कर की गई है। भारतीय संविधान न तो विशुद्ध रूप से संघात्मक है और न ही एकात्मक, अपितु इसमें दोनों प्रणालियों के लक्षण विद्यमान हैं। भारतीय संविधान में ऐसा होना भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है।

व्यवहार में संघात्मक व्यवस्था: फेडरल गवर्नमेन्ट के लेखक के.सी. व्हीयर ने लिखा है कि 'यह देखा जाना चाहिए कि क्या वास्तविक व्यवहार में परिसंघीय लक्षण जमे हुए हैं, या उसी प्रकार बल प्राप्त करते हैं जैसे कनाडा में, या केन्द्रीयकरण की ओर प्रवृत्ति है जो लक्षण संकट के समय में अधिकांश पश्चिमी शासनों में दिखाई देता है और जिसके कारण संविधान के पहलू मिट से जाते हैं।

भारत के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना न्यायोचित है, लेकिन केन्द्र ने सदैव स्वयं को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता रहा है कि संविधान शक्तिशाली केन्द्र के पक्ष में है। केन्द्र को शक्तिशाली बनाने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हुई हैं-

1. संघ की वित्तीय शक्तियां तथा राज्यों को अपने कार्यों एवं विकास के लिए संघ के अनुदान पर अत्याधिक निर्भर रहना।
2. आर्थिक नियोजन का स्वरूप, योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में योजना आयोग का व्यापक एवं विस्तृत होता जाना।
3. राज्यपालों का अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए दुरूपयोग किया जाना।

उपर्युक्त प्रयासों के द्वारा राज्यों की स्वायत्तता की माँग को अवश्य हानि हुई है, लेकिन डॉ. दुर्गादास बसु के अनुसार, 'वास्तविक कार्यकरण का सर्वेक्षण करने पर यह निष्कर्ष न्यायोचित नहीं ठहरता कि परिसंघीय लक्षण बिल्कुल मिट गए हैं। यद्यपि यह सत्य है कि ऐकिक बन्धनों को और अधिक मजबूत किया गया है'।

ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय व्यवस्था को 'सहकारी परिसंघवाद' कहा है जिसमें शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार है।

दुर्गादास बसु के विचार में भारत के संविधान की परिसंघ प्रणाली दो परस्पर विरोधी विचारों का समन्वय है-

1. शक्तियों का एक सामान्य विभाजन जिसके अधीन राज्यों को अपने क्षेत्र के भीतर स्वायत्तता मिली हुई।
2. राष्ट्रीय एकता और प्रबल संघ सरकार की आवश्यकता।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सामान्यत: संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन आपवादिक परिस्थितियों में उसे एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में इन आपवादिक परिस्थितियों का दुरूपयोग राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए किया गया है, जिससे इस पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा है।

संघ और संघ राज्य संबंध

संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों के मध्य विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है तथा राज्य संघ के प्रत्यायोजित नहीं है। संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका है, अर्थात् संघ और राज्यों के मध्य न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। संविधान में ऐसी बहुत-सी आपवादिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनके अधीन केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर आपातकाल में ही नहीं वरन् सामान्य काल में भी पर्याप्त नियंत्रण रखती है। राज्य सरकारें इन आपवादिक नियंत्रणों के अधीन विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान द्वारा न तो केन्द्रीय संसद को और न ही किसी राज्य के विधानमंडल को 'सर्वोच्च सम्प्रभु' की स्थिति प्रदान की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि केन्द्रीय संसद और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपनी अधिकारिताओं का प्रयोग संविधान के भीतर करता है, संविधान के बाहर नहीं।

एक संघात्मक व्यवस्था का यह मूलभूत लक्षण है कि उसमें केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन किया गया है। शक्तियों का यह विभाजन प्रत्येक देश का संविधान अपनी स्थानीय परिस्थितियों एवं राजनीतिक संस्कृति के अनुसार करता है। इस संबंध में भारतीय संविधान की स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

विधायी संबंध: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्र-राज्य विधायी संबंधों का स्वास्थ संचालन संविधान में विनिर्दिष्ट शक्ति-विभाजन की तीन सूचियों के आधार पर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्ति-विभाजन की केवल एक ही सूची का उल्लेख किया गया है जो कि परिसंघ विधानमंडल के संबंध में है। आस्ट्रेलिया के संविधान में भी शक्ति-विभाजन की दो सूचियो का उल्लेख है। भारतीय शासन अधिनियम, 1935 में शक्ति-विभाजन की तीन सूचियों का उल्लेख था। हमारे संविधान में संघ-राज्य विधायी संबंधों को संचालित करने वाली तीन सूचियों अर्थात् संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है।

संघ सूची: इस सूची में ऐसे 100 विषय हैं, जिन पर, संघ सरकार और संघीय संसद की अनन्य अधिकारिता है। इन राष्ट्रीय विषयों में उल्लेखनीय है-प्रतिरक्षण, विदेश कार्य, बैंक कार्य, करेंसी और सिक्के, संघ सरकार के शुल्क और कर।

राज्य सूची: इस सूची में 61 विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार और राज्य विधानमण्डल की अनन्य अधिकारिता है। इन विषयों में उल्लेखनीय हैं- लोक व्यवस्था और पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, कृषि, वन, मत्स्यिकी, राज्य सरकार के कर और शुल्क।

समवर्ती सूची: इस सूची में 52 ऐसे विषय हैं, जिन पर केन्द्र एवं राज्य दोनों को अधिकारिता प्रदान की गई। अनुच्छेद 254, यह व्यवस्था करता है कि यदि समवर्ती क्षेत्र में बनाए गए किसी कानून पर संघ और राज्य की विधि में कोई विरोध होता है तो संघ की विधि अभिभावी या मान्य होगी। इसके अलावा यदि राज्य की विधि को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो वह विधि राज्य में अभिभावी या मान्य होगी। समवर्ती सूची के उल्लेखनीय विषय हैं- दांयिक, विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, संविदा, अपकृत्य, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक योजना, न्याय, श्रम कल्याण, बीमा।

42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया।

- शिक्षा
- वन
- मापतौल
- जंगली जानवरों व पक्षियों का संरक्षण
- उच्चतम व उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त सभी का गठन

उपर्युक्त तीनों सूचियों के परस्पर टकराव होने की स्थिति में भारतीय शासन अधिनियम 1915 के अनुरूप संघीय विधानमण्डल को प्रधानता दी गई है। अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1955 के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि "यदि यह जानना हो कि कोई विशिष्ट विषय किस सूची में आता है तो उसके लिए उस विषय के सार और तत्व पर ध्यान देना चाहिए न कि उस पर लगाए गए विधायी नामपट्ट पर। के. सी. जी. नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य, 1954 के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि "यदि किसी विधानमण्डल को किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति नहीं है तो न्यायालय उस विधानमण्डल को अपनी शक्ति के बाहर जाकर या किसी अन्य विधि की शक्ति का अतिक्रमण करके या किसी अन्य युक्ति या "आभासी विधान" बनाकर ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

केन्द्र की अविशिष्ट शक्तियां: संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संविधान में अविशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं- जबकि हमारा संविधान कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए अविशिष्ट शक्तियां केन्द्र को देता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में अविशिष्ट शक्तियाँ न तो केन्द्र को दी गई थीं और न ही प्रान्तों को, बल्कि ये अविशिष्ट शक्तियां गवर्नर-जनरल में निहित थीं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 248 यह व्यवस्था करता है कि अविशिष्ट शक्तियों के अधीन वह विषय आते हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है। यदि किसी विशिष्ट विषय के संबंध में यह विवाद हो कि अविशिष्ट शक्ति के अधीन है या नहीं तो इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय करेगा।

सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246)

सूची 1-संघ सूची

1. भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य हैं, जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात् प्रभावी सैन्यवियोजन में सहायक हो।
2. नौसेना, सेना और वायुसेना संघ के अन्य सशस्त्र बल।
   पृथक् संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन, ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व।
3. छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन ऐसे क्षेत्रों के भीतर छावनी प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृहवास-सुविधा का विनियमन (जिसके अंतर्गत भारत का नियंत्रण है)।
4. नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म।
5. आयुध, अग्निआयुध, गोला-बारूद और विस्फोटक।
6. परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत।
7. संसद द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए उद्योग।
8. केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो।
9. रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध, इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति।
10. विदेश कार्य, सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता है।
11. राजनयिक, कौंसलीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व।
12. संयुक्त राष्ट्र संघ।
13. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।
14. विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन।
15. युद्ध और शांति।
16. वैदेशिक अधिकारिता।
17. नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशी।
18. प्रत्यर्पण।
19. भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन, पासपोर्ट और वीजा।
20. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं।
21. खुले समुद्र या आकाश में की गई दस्युता और अपराध, स्थल या खुले समुद्र या आकाश में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध।
22. रेल।
23. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
24. यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में ऐसे अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोतपरिवहन और नौपरिवहन जो संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, ऐसे जलमार्ग पर मार्ग का नियम।
25. समुद्री पोतपरिवहन और नौपरिवहन, जिसके अंतर्गत ज्वारीय जल में पोतपरिवहन और नौपरिवहन है; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रिशिक्षण की व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अधिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसे शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।
26. प्रकाशस्तंभ, जिसके अंतर्गत प्रकाशालोत, बीकन तथा पोतपरिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है।

27. ऐसे पत्तन जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनका परिसीमन और उनमें पत्तन प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियां हैं।
28. पत्तन करतीन, जिसके अंतर्गत उसे संबद्ध अस्पताल हैं, नाविक और समुद्रीय अस्पताल।
29. वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालन; विमानक्षेत्रों की व्यवस्था; विमान यातायात और विमानक्षेत्रों का विनियमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।
30. रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन।
31. डाक-तार; टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन।
32. संघ की संपत्ति और उससे राजस्व, किंतु किसी राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए।
33. ''''''''''''
34. देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण।
35. संघ का लोक ऋण।
36. करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा, विदेशी मुद्रा।
37. विदेशी ऋण।
38. भारतीय रिजर्व बैंक।
39. डाकघर बचत बैंक।
40. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लाटरी।
41. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; सीमा शुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात, सीमाशुल्क सीमांतों का परिनिश्चय।
42. अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य।
43. व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैंककारी बीमा और वित्तीय निगम है, किंतु सहकारी सोसाइटी नहीं है, निगमन, विनियमन और परिसमापन।
44. विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे निगमों का चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, निगमन विनियमन और परिसमापन।
45. बैंककारी।
46. विनिमय-पत्र, चेक, वचन पत्र और वैसी ही अन्य लिखतें।
47. बीमा।
48. स्टाक एक्सचेंज और वायदा बाजार।
49. पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन; प्रतिलिप्याधिकार; व्यापार चिह्न और पण्य वस्तु चिह्न।
50. बाटों और मापों के मानक नियत करना।
51. भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना।
52. वे उद्योग जिनके संबंध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है।
53. तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्रोतों का विनियमन और विकास, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; अन्य द्रव और पदार्थ जिनके विषय में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे खतरनाक रूप से ज्वलनशील है।
54. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करे।
55. खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।
56. उस सीमा तक अंतरराज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिस संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करे।
57. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र।
58. संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण, अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण का विनियमन और नियंत्रण।
59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय।
60. प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी।
61. संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद।
62. इस संविधान के प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित और संसद द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था।
63. इस संविधान के प्रारंभ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं; अनुच्छेद 371 ड़ के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय; संसद द्वारा विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित अन्य कोई संस्था।
64. भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित और संसद द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं।
65. संघ के अभिकरण और संस्थाएं जो -
    (क) वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए हैं जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण है; या
    (ख) विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए हैं; या
    (ग) अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए हैं।
66. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण।
67. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष।
68. भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान संगठन।
69. जनगणना।
70. संघ की लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग।
71. संघ की पेंशनें, अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशनें।

EBD_7939

72. संसद स दस्यों के लिए राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन आयोग।
73. संसद सदस्यों के राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते।
74. संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, संसद की समितियों या संसद द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना।
75. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियों, भत्ते विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुटटी के संबंध में अधिकार, संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार और सेवा की अन्य शर्तें।
76. संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा।
77. उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन अधिकारिता और शक्तियां (जिनके अंतर्गत उस न्यायालय का अवमान है) और उसमें ली जाने वाली फीस, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।
78. उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन (जिसके अंतर्गत दीर्घावकाश है) उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।
79. किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण और उससे अपर्वजन।
80. किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण, किंतु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके, किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तारण।
81. अंतर्राज्यिक प्रव्रजन, अंतर्राज्यिक करतीन।
82. कृषि-आय से भिन्न आय पर कर।
83. सीमाशुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है।
84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य माल पर उत्पाद-शुल्क जिसके अंतर्गत-
    (क) माननीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर,
    (ख) अफीम, इंडियन हैंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ, नहीं है; किंतु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां है जिसमें ऐल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है।
85. निगम कर।
86. व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर; कंपनियों की पूंजी पर कर।
87. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में शुल्क।
88. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क।
89. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर।
90. स्टाफ एक्सचेंजों और वायदा, बाजारों के संव्यवहारों पर स्टाफ-शुल्क से भिन्न कर।
91. विनिमय पत्रों, चेकों, वचनपत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अंतर्गत, डिबेंवरों, परोक्षियों और प्राप्तियों के संबध में स्टाफ-शुल्क की दर।
92. समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।
    (92क)- समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय विक्रय अंतर्राज्यिक व्यापार वाणिज्य के दौरान होता है।
    (92ख)- माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है), उस दशा में कर जिसमें ऐसा परेषण अंतर्राज्यिक व्यापार के दौरान होता है।
93. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।
94. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े।
95. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ; नावधिकरण विषयक अधिकारिता।
96. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं।
97. कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रमाणित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो इन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं हैं।

सूची 2-राज्य सूची

1. लोक व्यवस्था (किंतु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति) की सहायता के लिए ।
2. सूची 1 की प्रविष्टि 2क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस है।
3. उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक; भाटक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों में ली जानेवाली फीस।
4. कारागार, सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति, कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों के ठहराव।
5. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां।
6. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय।
7. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं से भिन्न तीर्थयात्राएं।
8. मादक लिकर, अर्थात् मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय या विक्रय।
9. नि:शाक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता।
10. शव गाड़ना और कर्बिस्तान; शव-दाह और श्मशान।

12. राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी अन्य संस्थाएं; संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के (घोषित किए गए) प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख।
13. संचार, अर्थात् सड़कें, पुल फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट है, नगरपालिका ट्राम, रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित यानों के भिन्न यान।
14. कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है।
15. पशुधन का परिक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय।
16. कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण।
17. सूची 1 की प्रविष्टि 56 उपबंधों के अधीन रहते हुए जल, अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति।
18. भूमि अर्थात् भूमि में या उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबध है और भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और अन्यसंक्रमण, भूमि विकास और कृषि उधार, उपनिवेशन।
21. मत्स्यिकी।
22. सूची 1 की प्रविष्टि 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिपाल्य-अधिकरण, विल्लंगमित और कुर्क की गई संपदा।
23. संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खानों का विनियमन और खनिज विकास।
24. सूची 1 की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उद्योग।
25. गैस और गैस संकर्म।
26. सूची 3 प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य।
27. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, माल का उत्पादन प्रदाय और वितरण।
28. बाजार और मेले।
30. साहूकारी और साहूकार, कृषि ऋणिता से मुक्ति।
31. पांथशाला और पांथशालापाल।
32. ऐसे निगमों का, जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न है और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन, अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसाइटियां और संगम सहकारी सोसाइटियां।
33. नाट्यशाला और नाट्यप्रदर्शन, सूची 1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन और आमोद।
34. दांव और द्युत।
35. राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म, भूमि और भवन।
37. संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन।
38. राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और, यदि विधानपरिषद् है तो, उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते।
39. विधानसभा की और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधानपरिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना।
40. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते।
41. राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग।
42. राज्य की पेंशनें, अर्थात् राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन।
43. राज्य का लोक ऋण।
44. निखात निधि।
45. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और अधिकारी के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्यसंक्रामण है।
46. कृषि-आय पर कर।
47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क।
48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क।
49. भूमि और भवनों पर कर।
50. संसद द्वारा, विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित निर्बधनों के अधीन रहते हुए, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर।
51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रतिशुल्क-
    (क) माननीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर;
    (ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ,
    किंतु जिसके अंतर्गत ऐसी औषधियां और प्रसाधन निर्मितयां नहीं हैं, जिनमें ऐल्कोहल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है।
52. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग का विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर।
53. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर।
54. सूची 1 की प्रविष्टि 92क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर।
55. समाचारपत्रों में प्रकाशित और रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर।
56. सड़कों या अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर।
57. सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, चाहे वे यंत्र नोदित हों या नहीं, जिनके अंतर्गत ट्रामकर हैं।
58. जीवजन्तुओं और नौकाओं पर कर।
59. पथकर।
60. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर।

61. प्रतिव्यक्ति कर।
62. विलास वस्तुओं पर कर, जिसके अतंर्गत मनोरंजन, आमोद, दांव और द्युत पर कर है।
63. स्टाफ-शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के संबंध में स्टाफ-शुल्क की दर।
64 इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।
65. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों को इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।
66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं हैं।

सूची 3-समवर्ती सूची

1. दंड विधि जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, किंतु इसके अंतर्गत सूची 1 या सूची 2 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सेना या वायुसेना अथवा संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं है।
2. दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं।
3. किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति।
4. बंदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और इस सूची की प्रविष्टि 3 में विनिर्दिष्ट कारणों से निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना।
5. विवाह और विवाह-विच्छेद, शिशु और अवयस्क, दत्तक-ग्रहण, बिल, निर्वसीयत्ता और उत्तराधिकार, अविभक्त कुटुंब और विभाजन, वे सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे।
6. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण।
7. संविदाएं जिनके अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वहन की संविदाएं और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं हैं, किन्तु कृषि भूमि संबंधी संविदाएं नहीं है।
8. अनुयोज्य दोष।
9. शोधन अक्षमता और दिवाला।
10. न्यास और न्यासी।
11. महाप्रशासन और शासकीय न्यासी।
12. साक्ष्य और शपथ, विधियों, लोक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता।
13. सिविल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं। परिसीमा और माध्यस्थम्।
14. न्यायालय की अवमानना, किंतु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अवमानना नहीं है।
15. आहिंडन, यायावरी और प्रव्राजी जनजातियां।
16. पागलपन और मनोवैकल्य, जिसके अंतर्गत पागलों और मनोविकल व्यक्तियों को ग्रहण करने या उनका उपचार करने के स्थान है।
17. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
    17क- वन।
    17ख- वन्य जीवजन्तुओं और पक्षियों का संरक्षण।
18. खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण।
19. अफीम के संबंध में सूची 1 की प्रविष्टि 59 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक द्रव्य और विष।
20. आर्थिक और सामाजिक योजना।
    20क- जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।
21. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास।
22. व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद।
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी।
24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्ता और वार्धाक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं।
25. सूची 1 की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय है, श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।
26. विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां।
27. भारत और पाकिस्तान डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास-स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।
28. पूर्व कार्य और पूर्व संस्थाएं, पूर्व और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं।
29. मानवों, जीवजंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रमक या सांसर्गिक रोगों अथवा नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।
30. जन्म-मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है।
31. संसद द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन।
32. राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोतपरिवहन और नौपरिवहन तथा ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जलमार्गों पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन।
33. (क) जहाँ संसद द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित से समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में,
    (ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं,
    (ग) पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे है,

EBD_7939

(घ) कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो, और बिनौले का, और

(ड़) कच्चे जूट का, व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण।

34. कीमत नियंत्रण
35. यंत्र नोदित यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्गृहीत किया जाना है।
36. कारखाने।
37. बायलर।
38. विद्युत।
39. समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय।
40. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के 3 घोषित पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष।
41. ऐसी संपत्ति की जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है- अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जाए।
42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण।
43. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर के संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली जिनके अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया और ऐसी बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियां हैं।
44. न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप-शुल्क, किंतु इसके अंतर्गत स्टाफ-शुल्क की दरें नहीं हैं।
45. सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े।
46. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।
47. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।

संघ और राज्यों की विधायी अधिकारिता में अंतर

संघ और राज्यों की विधायी अधिकारिता में प्रमुख अंतर इस प्रकार है-

(1) अनुच्छेद 245 के अनुसार, जब किसी राज्य का विधानमण्डल अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी विषय पर कोई विधि बनाता है तो उसका अर्थ यह होता है कि वह विधि सम्बन्धित राज्य के सम्पूर्ण भू-भाग पर या उसके किसी विशेष भू-भाग या किसी विशिष्ट भू-भाग के लिए कोई विधि बनाने के अतिरिक्त अनुच्छेद 246(4) के अनुसार किसी संघ राज्यक्षेत्र या किसी ऐसे अन्य क्षेत्र के लिए भी विधि बनाने में समक्ष होगी जो तत्समय भारत के राज्यक्षेत्र में सम्मिलित है।

(2) अनुच्छेद 245(2) में यह व्यवस्था है कि संसद भारत के राज्य-क्षेत्रातीत भी विधि बनाने में सक्षम होगी। इसका अभिप्राय यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और सम्पत्तियों को शासित करेंगी, बल्कि विश्व के किसी भाग में निवास करने वाली भारत की प्रजा और वहां स्थित उनकी सम्पत्ति को शासित करेंगी। यह शक्ति किसी राज्य के विधानमंडल को प्राप्त नहीं है।

संघ की विधायी अधिकारिता का विस्तारः यद्यपि हमारे संविधान में केन्द्र और राज्यों के मध्य तीन सूचियों के तहत् स्पष्टतः शक्ति-विभाजन किया गया है तथापि संविधान में कुछ आपवादिक प्रावधान ऐसे हैं, जिनके कारण शक्ति-विभाजन की उपरोक्त प्रणाली निलंबित हो जाती है। प्रमुख आपवादिक या असाधारण परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं-

1. अनुच्छेद 249 यह व्यवस्था करता है कि यदि संघ की संसद का उच्च सदन अर्थात् राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत देने वाले दो-तिहाई सदस्यों के संकल्प से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाए तो संसद एक अस्थायी अवधि के लिए इस संबंध में कानून बना सकेगी। इस प्रकार बनाये गये किसी कानून को राज्यसभा अपने संकल्प द्वारा एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकेगी। अन्यथा छह मास की अवधि के पश्चात् ऐसा कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा।
2. अनुच्छेद 250 में यह व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात-उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब भी संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनन्य अधिकारिता होगी। जब आपात-उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी तो इस प्रकार बनाई गई विधि भी संसद द्वारा शून्य घोषित कर दी जाएगी। अन्यथा आपात-उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने की घोषणा के छह माह बाद वह विधि अपने आप समाप्त हो जाएगी।
3. अनुच्छेद 252, राज्यों के विधानमण्डलों की सहमति से संघ की अधिकारिता का विस्तार करता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमण्डल संघ की संसद से यह अनुरोध करे कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर उनके संबंध में किसी विधि का निर्माण करे, तो संसद ऐसी विधि-निर्माण कर सकेगी। कोई अन्य राज्य भी अपने राज्य के विधानमण्डल में इस निमित पारित संकल्प द्वारा ऐसे विधान को अपने लिए अंगीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 252 में वर्णित प्रावधानों के तहत संसद ने सर्वप्रथम संपदा-शुल्क अधिनियम, 1953 का निर्माण किया, जबकि संपदा-शुल्क अधिरोपित करने की क्षमता संसद को नहीं है। उक्त अधिनियम अब निरसित (समाप्त) हो चुका है।
4. अनुच्छेद 253, यह व्यवस्था करता है कि यदि संसद किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या निकाय को मान्यता देने के लिए कोई अधिनियम बनाती है तो वह अधिनियम विधिमान्य होगा, भले ही ऐसा विधान, राज्य सूची में वर्णित विषयों के संबंध मे ही क्यों न हो।
5. अनुच्छेद 356 (1)(ख) यह व्यवस्था करता है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उस राज्य के संबंध मे राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाए।
6. अनुच्छेद 200 और 201 के अधीन राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है।

संसद की विधायी अधिकारिता की परिसीमाएँ: यद्यपि संसद को व्यापक विधायी अधिकारिता प्रदान की गई है, तथापि संसद की इस अधिकारिता पर निम्नलिखित परिसीमाएं हैं–

1. अनुच्छेद 240(2) यह व्यवस्था करता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के संबध में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियम इस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को निरसित या संशोधित कर सकेंगे।
2. पांचवी अनुसूची का पैरा 5, राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह अपने राज्य के किसी अनुसूची क्षेत्र में संसद के किसी अधिनियम को लागू होने से वर्जित कर दे या कुछ संशोधनों सहित लागू करें।
3. छठी अनुसूची का पैरा 12(1) (ख) के तहत असम का राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा यह आदेश दे सकेगा कि संसद का कोई अधिनियम असम के किसी स्वशासी जिले या स्वशासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है।

वित्तीय संबंध: केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के मुख्य सिद्धान्त, कार्यक्षमता पर्याप्तता और उपयुक्तता को माना गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि इन तीनों सिद्धान्तों या उद्देश्यों की एक साथ प्राप्ति की जा सके। अत: हमारे संविधान निर्माताओं ने इन तीनों सिद्धान्तों में समझौता करने की अद्भुत चेष्टा की। संविधान में केन्द्र और राज्यों की वित्तीय शक्तियों को इस प्रकार निर्धारित किया गया है।

कर राजस्व का वितरण

संघ एवं राज्य के मध्य राजस्व का वितरण निम्न प्रकार से किया गया है–

1. संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत- अर्थात् वे स्रोत जिन पर संघ का अनन्य अधिकार हैं इस प्रकार के स्रोत निम्नलिखित हैं- सीमा शुल्क, निगम कर, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, शेयर बाजार व्यष्टि और कम्पनियों की आस्तियों के पूंजी मूल्य पर कर, आय कर पर अधिभार, संघ सूची के विषयों की बाबत फीस।

2. राज्यों के प्रमुख राजस्व स्रोत- अर्थात् वे स्रोत जिन पर अनन्य रूप से राज्यों की अधिकारिता हैं। इस प्रकार के स्रोत हैं- भू-राजस्व, संघ सूची से भिन्न अन्य दस्तावेजों पर स्टाप शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, कृषि भूमि पर आय कर, अंतर्देशीय जल यातायात और सड़क यातायात के उपभोग पर कर, भूमि एवं भवनों पर कर, विज्ञापनों पर कर, विद्युत के उपभोग पर कर, विलास-वस्तुओं और मनोरंजन के उपभोग पर कर, विक्रय कर, पथ कर, वृत्ति, व्यापार आदि पर कर (यह कर 2,500 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगा), राज्य सूची के विषयों की बाबत फीस।

3. संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं राज्य निधि का भाग होने वाले शुल्क- अनुच्छेद 268 में यह व्यवस्था है कि संघ सूची के अधीन आने वाले स्टाप शुल्क और औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियों पर लगाया जाने वाला उत्पादन शुल्क ऐसे कर हैं, जिनको केन्द्र सरकार आरोपित करती हैं, किन्तु जिनका संग्रहण राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्यक्षेत्र के भीतर किया जाता है और इनसे प्राप्त आय उन राज्यों की निधि का भाग होती है, जिन्होंने इनका प्राप्त आय उन राज्यों की निधि का भाग होती है, जिन्होंने इनका संग्रहण किया है। यदि ये शुल्क संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर आरोपित है तो इनका संग्रहण भारत सरकार करेगी और इनसे प्राप्त आय भारत सरकार की निधि का भाग होगी।

4. संघ द्वारा आरोपित और एकत्रित किन्तु राज्यों को प्राप्त होने वाले कर- अनुच्छेद 269 के अनुसार, कुछ शुल्क और कर ऐसे हैं जिन्हें भारत सरकार आरोपित और एकत्रित करेगी, किन्तु जिनसे प्राप्त होने वाली आय सम्बन्धित राज्यों की संचित निधि का भाग होगी। संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में यह आय भारत की संचित निधि का भाग होगी। इस प्रकार के शुल्क और कर निम्नलिखित हैं- कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति पर संपदा शुल्क, रेल, समुद्र या वायु परिवहन के उपभोग पर सीमा-कर, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल (समाचार-पत्रों से भिन्न) के क्रय-विक्रय पर कर, अतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर।

5. संघ द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किन्तु संघ और राज्यों के मध्य वितरित किए जाने वाले कर - कुछ कर ऐसे हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित और एकत्रित किया जाता है, किन्तु जिनसे प्राप्त आय का संघ और राज्यों के मध्य समान रूप से और निश्चित अनुपात में विभाजन किया जाएगा। इस प्रकार के कर या शुल्क हैं-

1. अनुच्छेद 270 के अधीन कृषि आय से भिन्न आय पर कर,
2. अनुच्छेद 272 के अधीन संघ सूची में वर्णित उत्पाद-शुल्क, यदि संसद ऐसे वितरण का आदेश दे। किन्तु, औषधीय और प्रसाधन विनिर्मितियों पर उत्पाद-शुल्क इसमें शामिल नहीं है।

6. संघ और राज्यों को कर- भिन्न राजस्व से प्राप्त होने वाली आय भारत सरकार को कर- भिन्न राजस्व से प्राप्त होने वाली आय के मुख्य स्रोत हैं- डाक व तार, रेलवे, प्रसारण, अफीम, करेंसी एवं टकसाल आदि। केन्द्र सरकार को अपने अधीन आने वाले औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों से भी काफी आय प्राप्त होती है। इस प्रकार के प्रमुख उपक्रम है- वायु निगम, औद्योगिक, वित्त निगम, तथा वे उद्योग जिनमें भारत सरकार ने विनिवेश किया है, जैसे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड।

राज्यों को कर भिन्न राजस्व से प्राप्त होने वाली आय के मुख्य स्रोत हैं- सिंचाई साधन, वन, विद्युत, सड़क परिवहन तथा औद्योगिक, उपक्रम जैसे मुम्बई में दुग्ध प्रदाय, मध्य प्रदेश में कागज, कर्नाटक में साबुन और चन्दन की लकड़ी आदि।

7. सहायता अनुदान- अनुच्छेद 275 यह व्यवस्था करता है कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार ऐसे राज्यों को सहायता अनुदान देगी, जिनके बारे में संसद यह निश्चित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है।

EBD_7939

वित्त आयोग:

अनुच्छेद 280 यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे सार्वजनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव हो। आयोग के अन्य चार सदस्यों में से एक सदस्य किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति होगा। दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे सरकार के वित्त और लेखाओं का विषय ज्ञान हो। तीसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे वित्तीय विषयों और प्रशासन के बारे में व्यापक अनुभव हो तथा चौथा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।

संविधान में वित्त आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य बताए गए हैं-

1. केन्द्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के (जो संविधान के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाये) के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को अपने सुझाव देना।
2. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें करना।
3. स्वस्थ एवं सुदढ़ वित्त व्यवस्था के संचालन हेतु राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किन्हीं अन्य विषयों की बाबत राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देना।

पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष श्री नियोगी थे। अब तक बारह वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, जिसका कालक्रम इस प्रकार है-

वित्त आयोग के अध्यक्षों की सूची

वित्त आयोग	अध्यक्ष का नाम	कार्यकाल अवधि
पहला	क्षितिज चंद्र नियोगी	1952 से 1957 तक
दूसरा	कस्तूरीरंगा संथानम	1957 से 1962 तक
तीसरा	ए. के. चंदा	1962 से 1966 तक
चौथा	पाकला वेंकटरामन राव राजामन्नर	1966 से 1969 तक
पाँचवां	महावीर त्यागी	1969 से 1974 तक
छठा	ब्रह्मानन्द रेड्डी	1974 से 1979 तक
सातवां	जे. एम. शैलट	1979 से 1984 तक
आठवां	वाई.वी. चव्हाण	1984 से 1989 तक
नौवां	एन.के.पी. साल्वे	1989 से 1995 तक
दसवां	कृष्ण चंद्र पंत	1995 से 2000 तक
ग्यारहवां	डा. अली मोहम्मद खुसरो	2000 से 2005 तक
बारहवां	चक्रवर्ती रंगराजन	2005 से 2010 तक
तेरहवां	विजय. एल. केलकर	2010 से 2015 तक
चौदहवां	डॉ. यागा वेणुगोपाल रेड्डी	2015 से 2020 तक
पंद्रहवां	एनके सिंह	2020 से 2025 तक

अनुच्छेद 280(3) में वित्त आयोग का यह कर्त्तव्य बताया गया है कि वह राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दे।

अनुच्छेद 287 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वित्त आयोग के प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाए। यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने या न करने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है।

सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान: संविधान के अनुसार केन्द्र द्वारा राज्यों को चार तरह के सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

1. पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है, उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों, बिहार, बंगाल, असम व उड़ीसा को दे दिया जाता है।
2. बाढ़-भूकम्प व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है।
3. आदिम जातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायता अनुदान दे सकती है।
4. राज्य को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केन्द्र राज्यों की वित्तीय सहायता कर सकता है।

8. ऋण संबंधी उपबन्ध: संविधान केन्द्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों या विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को प्राप्त होता है, परन्तु वे विदेशों से धन उधार नहीं ले सकते।

राज्यों द्वारा ऋण लेना: अनुच्छेद 293 यह व्यवस्था करता है कि–

1. किसी भी राज्य की सरकार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भारत के राज्यक्षेत्र में उधार लेने की शक्ति होगी।
2. यदि किसी राज्य सरकार पर संघ सरकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार का कर्ज देते समय संघ सरकार किसी भी प्रकार की शर्त लगा सकती है।
3. केन्द्र सरकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्वयं भी किसी राज्य को उधार देने के लिए प्रस्ताव कर सकेगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी भी राज्य की सरकार भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर किसी प्राधिकारी से कर्ज नहीं ले सकती। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में राज्यों को केन्द्र सरकार की सहमति से भारत से बाहर उधार लेने की शक्ति थी, किन्तु हमारे वर्तमान संविधान में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं किया गया है। अतएव केन्द्र सरकार को ही अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से उधार लेने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।

EBD_7939

9. संचित निधि:- अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य की संचित निधि की स्थापना की गई है। आकस्मिक निधि तथा राज्यों को दिए जाने वाले करों तथा शुल्कों को छोड़कर, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राज्य हुंडियां निर्गमित करके, अग्रिमों द्वारा लिए गए उधारों से उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशि की एक संचित निधि बनती है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है।

इसी प्रकार राज्यों की भी अपनी राज्य संचित निधि होती है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियाँ की एक संचित निधि बनती है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है।

10. आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई हैं। यह निधि भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई। यह निधि कार्यपालिका के व्ययनाधीन है।

11. राज्यों के वित्तीय हितों की सुरक्षा:- अनुच्छेद 274 यह व्यवस्था करता है कि ऐसे करों (जो संविधान के अनुसार केन्द्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं) के संबंध में कोई विधेयक या संशोधन जो –

1. ऐसे कर या शुल्कों में जिनसे राज्यों का हित प्रभावित होता है, कोई परिवर्तन करता है।
2. उन सिद्धान्तों को प्रभावित करता है जिनके अनुसार संविधान के अधीन केन्द्र और राज्यों के मध्य धनराशियों का वितरण होता है।
3. संघ के उद्देश्यों के लिए ऐसे करों या शुल्कों पर कोई अधिभार आरोपित करता है, तो वह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस संबंध में राष्ट्रपति अपनी सिफारिश देने से पूर्व सम्बद्ध राज्य या राज्यों से परामर्श कर सकेगा। अनुच्छेद 271 यह व्यवस्था करता है कि संसद उपर्युक्त शर्तों को पूरा करते हुए संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे करों या शुल्कों की दर में वृद्धि कर सकेगी।

12-भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियन्त्रण:- भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उनकी निष्पक्ष रूप से जाँच करता है। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संघ राज्य की आय पर अपना नियन्त्रण करती है।

प्रशासनिक संबंध

संघ-राज्य प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों का सार यह है कि जिन विषयों पर संघ की संसद को कानून बनाने का अधिकार है। उन विषयों अर्थात् संघ सूची पर प्रशासन करने की अधिकारिता अनुच्छेद 73 के अनुसार केन्द्र सरकार को प्राप्त होगी। जिन विषयों पर राज्य विधानमण्डल को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है उन विषयों अर्थात् राज्य सूची पर प्रशासन करने की अधिकारिता अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्य की सरकार को प्राप्त होगी। समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित कार्यपालिका शक्ति दो अपवादों के साथ राज्यों को प्राप्त हैं। ये अपवाद हैं-(1)समवर्ती सूची से सम्बन्धित ऐसी कोई विधि जो किसी कार्यपालिका-कृत्य को संघ में निहित करती है। उदाहरणार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (2) जिन कार्यपालिका-कृत्यों को संविधान ने संघ को सौंपा है, जैसे-किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार या संधि को लागू करना, अनुच्छेद 256 के तहत संघ की विधि को राज्य में लागू करने के लिए अनुच्छेद 257(1) के तहत यह सुनिश्चित करना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में राज्य की कार्यपालिका हस्तक्षेप न करे आदि।

संघ का राज्यों पर नियंत्रण

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सामान्य काल में अपने नियंत्रण के अधीन रखने की अधिकारिता राष्ट्रपति में निहित उसकी कार्यपालिका और विधायी शक्तियों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 155-156 के तहत राज्यपाल को नियुक्त और पदच्युत करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 217 और 317 के अधीन क्रमश: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की राष्ट्रपति की अधिकारिता और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों से सम्बन्धित प्रावधान, अनुच्छेद 200 और 201 के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना और राष्ट्रपति का उस पर अपने स्वविवेक से निर्णय लेना। संघ सरकार द्वारा नियंत्रण के अन्य उपकरण इस प्रकार हैं-

1. **राज्य सरकार को निर्देश**- संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देना एक संघात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ये विशिष्ट प्रावधान लिये हैं। संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनके संबंध में केन्द्र समय-समय पर राज्यों को उचित निर्देश दे सकता है। इन प्रावधानों में उल्लेखनीय हैं-
   (i) अनुच्छेद 256 के तहत संघ विधि का राज्यों द्वारा पालन,
   (ii) अनुच्छेद 257 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति का किसी राज्य द्वारा अतिक्रमण न करना,
   (iii) अपने राज्य के भीतर रेलों की सुरक्षा एवं संरक्षण,
   (iv) अनुच्छेद 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के संबंध में निर्देश,
   (v) हिन्दी भाषा के समुचित विकास के लिए अनुच्छेद 351 के तहत निर्देश देना,
   (vi) संविधान के अनुच्छेद 355 में केन्द्र का यह कर्त्तव्य बताया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चले।

   राज्यों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 365 के तहत यह व्यवस्था है कि यदि कोई राज्य केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति का यह मानना विधिसंगत होगा कि सम्बंधित राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है।
2. **अखिल भारतीय सेवाएं**- संघ और राज्यों के अधीन सेवारत् व्यक्तियों के अतिरिक्त कुछ ऐसी सेवाएं होंगी जो संघ और राज्यों के लिए सामान्य होंगी। इन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहा गया है। इनमें प्रमुख हैं-भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। इन सेवाओं के पदाधिकारी राज्यों में महत्वपूर्ण

पदों पर आसीन होते हैं और इनका नियंत्रण संघ सरकार करती है। अनुच्छेद 312 (1) के तहत राज्यसभा की विशेष अनुशंसा पर इन सेवाओं के अलावा भारत सरकार और भी अनेक अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है।

3. **सहायता अनुदान** - अनुच्छेद 275 में यह व्यवस्था है कि संसद ऐसे राज्यो को, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, सहायता अनुदान दे सकेगी। इन अनुदानों के माध्यम से केन्द्र राष्ट्रीय स्तरीय एवं राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं पर नियंत्रण भी रखता है और उनमें समन्वय भी स्थापित करता है।
4. **अंतर्राज्यीय परिषद**- अनुच्छेद 263, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह एक ऐसी परिषद् की स्थापना कर सकेगा, जिससे उसके मत में लोकहित की सिद्धि होगी। इस प्रकार स्थापित की गई परिषद् के मुख्य कर्त्तव्य होंगे -(i) राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर अपनी सलाह देना, (ii) कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ या अधिक राज्यों के सामान्य हितों से संबंधित विषयों का अन्वेक्षण और उन पर विचार-विमर्श करना, जैसे कृषि, वन, लोक स्वास्थ्य आदि। इन शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् परिवहन, विकास परिषद्, केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् आदि परिषदों की स्थापना की है। वस्तुतः इन परिषदों की स्थापना करना तथा केन्द्र और राज्यों के मध्य संबंधों को घनिष्ठता प्रदान करना है। सरकारिया आयोग के सुझावनुसार 1990 में एक अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की गई। इसमें संघ के 6 मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं।
5. **अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग** - अनुच्छेद 307 यह व्यवस्था करता है कि संसद भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वाधीनता से सम्बन्धित संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए अमेरिका के अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग के समान किसी प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।
6. **जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन**- अनुच्छेद 262 यह व्यवस्था करता है कि संसद विधि द्वारा राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध कर सकेगी। साथ ही उक्त विवादों के संबंध में यह व्यवस्था कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय इस संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग न करे।

संविधान में कुछ ऐसे उपबंध है जिनके तहत केन्द्र और राज्यों की सरकारों के बीच अधिकारिता संबंधी किसी विवाद के हुए बिना भी केन्द्र-राज्य संबंधों का सफल संचालन हो सकता है। इस प्रकार के उल्लेखनीय प्रावधान निम्नलिखित हैं-

1. कृत्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन

केन्द्र सरकार अपने कृत्यों का प्रत्यायोजन दो प्रकार से कर सकती है- (क) अनुच्छेद 258(1) के अनुसार, राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, बिना संसद की मंजूरी के, कोई भी कार्यपालिका- कृत्य या शक्ति किसी राज्य को सौंप सकता है, (ख) अनुच्छेद 258(2) में यह व्यवस्था है कि संसद संघ के किसी विषय पर विधान बनाते समय ऐसे विषय के संबंध में किसी राज्य या उसके अधिकारियों को शक्ति का प्रत्यायोजन करती है तो ऐसा प्रत्यायोजन कानूनन वैध होगा। ऐसा प्रत्यायोजन करते समय संसद के लिए सम्बन्धित राज्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

प्रशासनिक सुधार के लिए गठित प्रमुख आयोग समितियाँ

आयोग/समिति	वर्ष	विषय
एन. गोपालास्वामी	1949	मुख्यालय संगठनों के लिए पुनर्गठन योजना
ए. डी. गोरवाला	1950-51	विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए लोक-प्रशासन की समीक्षा
ए. डी. गोरवाला	1950-51	पब्लिक अण्डरकिंग्स के लिए सक्षम प्रशासन की समीक्षा
पी. एच. एप्पलवी	1952	भारतीय प्रशासन का सर्वेक्षण
पी. एच. एप्पलवी	1956	औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्योगों में नीति निर्धारण तथा क्रियान्वित स्वायत्तता
आचार्य जे. बी. कृपलानी	1955-57	रेलवे में भ्रष्टाचार का सर्वेक्षण
ए. रामास्वामी मुदलियार	1956	पब्लिक सर्विस समिति (भर्ती तथा योग्यता)
मोराजी देसाई (1966-67) तथा के. हनुमन्तथ्या (1967-70)	1966-70	प्रशासनिक सुधार आयोग
के. संथानम	1964	भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवाएँ और जिला प्रशासन की समस्याएँ
डी. एस.- कोठारी	1976	भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती सम्बन्धी नीतियाँ
धर्मवीर	1978	राष्ट्रीय पुलिस आयोग
सतीश चन्द्रा	1989	सिविल सर्विसेज में परीक्षा पद्धति की समीक्षा
एन. एन.वोरा	1997	राजनीतिज्ञों के अपराधियों से सम्बन्ध
पी. सी. जैन	1998	प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा
वाई. के. अलघ	2000	सिविल सेवा परीक्षा पद्धति के मूल्यांकन एवं इसमें सुधार के सुझाव हेतु

किसी राज्य की सरकार द्वारा अपने कृत्यों का प्रत्यायोजन करने के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 258 (क) यह व्यवस्था करता है कि सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से किसी विषय के संबंध में, उस राज्य के भीतर कोई कार्य या शक्ति केन्द्र सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकता है।

2. पारस्परिक कराधान से उन्मुक्तिः

केन्द्र-राज्य संबंधों के स्वस्थ संचालन हेतु संविधान में यह व्यवस्था है कि-(i) अनुच्छेद 285(1) के अनुसार संसद की किसी विधि के अलावा किसी राज्य की सरकार या उसके किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से केन्द्र सरकार की सम्पत्ति को छूट होगी, (ii) अनुच्छेद 289(1)

EBD_7939

के अनुसार राज्य सरकार की सम्पत्ति को संघ के कराधानों से उन्मुक्ति होगी, किन्तु सागर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1963 के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 289(1) के तहत प्रदान की गई उन्मुक्ति केवल ऐसे करों तक सीमित पर आरोपित नहीं किया जाता, बल्कि माल के आयात या निर्यात पर होता है अत: राज्य सरकारों को सीमा शुल्क से छुट नहीं दी जाएगी।

राज्य सरकार को उसकी आय के संबंध में भी केन्द्र के कराधान से छूट होगी, किंतु यह छूट केवल राज्य सरकार को प्राप्त है, राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी को नहीं। इसके अलावा राज्य सरकार को उसकी आय के संबंध में दी गई छूट किसी वाणिज्यिक क्रिया- कलाप से प्राप्त होने वाली आय के संबंध में नहीं है।

संविधानेत्तर अभिकरण: योजना आयोग

संविधान में योजना आयोग का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। केन्द्र-राज्य संबंधों का संचालित करने वाली तीसरी अनुसूची (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 20 में 'आर्थिक और सामाजिक योजना' की एक प्रविष्टि है। इस प्रविष्टि का लाभ उठाकर केन्द्र सरकार ने 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा एक संविधानेत्तर निकाय की स्थापना की, जिसका नाम 'योजना आयोग' है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू योजना आयोग, आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग के सदस्यों के लिए न तो किसी निश्चित योग्यता का कोई उल्लेख है और न ही किसी कार्यकाल का। व्यवहार में आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा से ही नियुक्त किये जाते हैं। (प्रमुखतया आर्थिक एवं सामाजिक प्रशासन के विशेषज्ञ और वे प्रधानमंत्री की इच्छा तक ही अपने पद पर रहते हैं। साथ ही प्राय: सरकार के बदलने या केन्द्र में नई सरकार के आते ही आयोग का पुनर्गठन भी होता है और सदस्यों की संख्या भी परिवर्तित होती है। योजना आयोग की बैठकों में मंत्रिमण्डल के सांख्यिकीय सलाहकार भी शामिल होते हैं। आयोग के सदस्यों को वही दर्जा एवं वेतन-भत्ता दिया जाता है जो कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को उपलब्ध है।

योजना आयोग के कार्य: योजना आयोग भारत सरकार का एक सलाहकारी निकाय है। आयोग का प्रमुख कार्य पचंवर्षीय योजनाओं का प्रभावी निर्माण एवं उनका सफल संचालन सुनिश्चित करना है। आयोग के अन्य प्रमुख कर्त्तव्य हैं-

1. राष्ट्र के भौतिक संसाधनों एवं विशेषज्ञ जनशक्ति पता लगाना तथा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके विस्तार एवं वृद्धि की सम्भावनाओं को ज्ञात करना।
2. राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित एवं समुचित उपयोग हेतु प्रभावकारी योजना का निर्माण करना।
3. किसी योजना के कुशल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न चरणों का निर्धारण तथा उन चरणों के लिए आवयश्यक संसाधनों का नियमन करना।
4. आर्थिक-सामाजिक विकास में आने वाली प्रमुख बाधाओं का पता लगाना व विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक परिस्थिति या वातावरण का निर्धारण करना।
5. उस आवश्यक तंत्र का स्वरूप निश्चित करना जिसके द्वारा योजना के प्रत्येक चरण का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
6. योजना के प्रत्येक चरण की प्रगति का यथास्थिति अवलोकन करना व आवश्यक सिफारिशें करना।
7. आयोग के कार्यकलापों को प्रभावी एवं सुविधाजनक बनाना।
8. केन्द्र एवं राज्यों की विकासात्मक समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक परामर्श देना।

संक्षेप में आयोग का कार्य देश के भौतिक एवं अन्य संसाधनों के समुचित और संतुलित उपयोग हेतु ऐसी प्रभावी योजना तैयार करना है, जिसके द्वारा विकास की ऐसी प्रक्रिया आरम्भ हो जो कि सामान्य जीवन स्तर को ऊपर उठाए और विकास के नए अवसर पैदा करें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आयोग का कार्य केवल योजना बनाना है। राज्यों से सम्बन्धित होने के कारण इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों के हाथ में है। नि:सन्देह केन्द्र सरकार का सलाहकारी निकाय होने के कारण योजना आयोग की बात का काफी वजन होता है। केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्यों को दी जाने वाली अपनी आर्थिक सहायता के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकारें योजना आयोग के आदेश का उल्लंघन न करे।

योजना आयोग की आलोचना करते हुए प्राय: यह कहा गया है कि 'योजना आयोग, संघात्मक व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्तता पर प्रहार करने वाला सम्पूर्ण देश का ऐसा आर्थिक मंत्रिमण्डल है, जिसे प्रधानमंत्री ने गठित किया है और जिसके कृत्य वित्त आयोग जैसे संवैधानिक निकाय के कृत्यों का उल्लंघन करते हैं। यह विशेषज्ञ नौकरशाही का ऐसा विशालकाय संगठन है, जिसका संसद के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है।'

नीति आयोग

नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफारमिंग इंडिया) पं. जवाहरलाल नेहरू के युग में शुरू की गई योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। नेहरू काल में शुरू किए गए योजना आयोग ने भारत के पंचवर्षीय विकास की योजना को कई सालों तक लागू किया। भारत में लगभग 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने वर्षों पुरानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है।

साथ में इस आयोग की कार्यप्रणाली में भी एक बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। इस नई संस्था को थिंक-टैंक के रूप में वर्णित किया गया है। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो।

कार्य

"सहकारी संघवाद" को संदर्भित करने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

- राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकारते हुए राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तन्त्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद (Federalism) को बढ़ावा देना।

अन्य उद्देश्य

- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तन्त्र (Mechanism) विकसित करना।
- आर्थिक प्रगति के लाभों से वंचित समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।

- रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति की रूपरेखाओं का निर्माण तथा उनकी प्रगति एवं क्षमताओं की निगरानी करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों तथा अन्य हितधारकों के एक सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता समर्थन प्रणाली का सृजन करना।

नीति आयोग किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है

नीति आयोग ने लोगों के विकास के लिए नीति बनाने के लिए विकेन्द्रीयकरण (सहकारी संघवाद) को शामिल किया है। इसके आधार पर केंद्र के साथ राज्य भी योजनाओं को बनाने में अपनी राय रख सकेंगे। इसके अंतर्गत योजना निचले स्तर पर स्थित इकाईयों गांव, जिले, राज्य, केंद्र के साथ आपसी बातचीत के बाद तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य जमीनी हकीकत के आधार पर योजना बनाना होगा।

नए नीति आयोग के पद

अध्यक्ष	: प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी)
गवर्निंग काउंसिल	: मुख्यमंत्री (राज्यों के) और लेफ्टिनेंट गवर्नर (संघ शासित क्षेत्रों के)
क्षेत्रीय परिषद्	: जरूरत के आधार पर गठित, मुख्यमंत्री व क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर को शामिल किया गया।
सदस्य	: पूर्णकालिक आधार पर
अंशकालिक सदस्य	: अधिकतम 2, रोटेशनल, प्रासंगिक संस्थानों से।
पदेन सदस्य	: मंत्रियों की परिषद् से अधिकतम 4, प्रधानमंत्री द्वारा नामित।
सीईओ	: निश्चित अवधि के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
सचिवालय	: यदि आवश्यक हो।

राष्ट्रीय विकास परिषद् : योजना आयोग के कार्यकरण से यह बात सामने आयी कि यद्यपि योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन का भार राज्यों पर डाला गया है, किन्तु योजनाओं के निर्माण में राज्यों की कोई भागीदारी नहीं है। अतः 1952 में इस दोष को दूर करने और योजना-निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना की गई। परिषद् का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। जुलाई, 1967 से केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक या उपराज्यपाल भी परिषद् के सदस्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् भी एक संविधानेत्तर निकाय है।

पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिषद् की स्वीकृति के बिना योजनाओं का प्रारूप अपना अंतिम स्वरूप नहीं धारण कर सकता। राष्ट्रीय विकास परिषद् के अन्य प्रमुख कार्य हैं-

1. राष्ट्रीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में समय-समय पर विचार करना।
2. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक-सामाजिक नीतियों का अवलोकन करना।
3. राष्ट्र की विकासात्मक योजनाओं के निर्धारण और उनकी सफल प्राप्ति हेतु परामर्श देना।

योजना आयोग के अलावा समय-समय पर ऐसे बहुत से वार्षिक सम्मेलन आयोजित होते हैं, जिनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, तथापि जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के प्रमुख सम्मेलन हैं- राज्यपालों का सम्मलेन, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, विधि मंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों, पंचायत मंत्रियों आदि के सम्मेलन, विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन, मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन आदि।

राष्ट्रीय एकता परिषद् : 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा स्थापित की गई राष्ट्रीय एकता परिषद् भी एक संविधानेत्तर निकाय है। राष्ट्रीय एकता परिषद् का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों का कल्याण व उनके हितों की रक्षा करना है। परिषद् की प्रथम बैठक में प्रमुख विचारणीय विषय थे-साम्प्रदायिक सद्भाव, विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, पंजाब और कश्मीर में आंतकवाद की समस्या, अयोध्या में रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद। वी. पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने परिषद् का पुनर्गठन किया। वर्तमान में इसमें केन्द्र सरकार के मंत्रियों और समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, श्रमिकों, महिलाओं, पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि भी हैं।

अंतर्राज्यीय संबंधः भारतीय परिसंघ व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य स्वस्थ संबंधों का संचालन जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक यह भी है कि राज्यों के मध्य भी परस्पर स्वस्थ संबंधों का संचालन हों। हमारे संविधान में परिसंघ व्यवस्था की इस आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। संविधान का अनुच्छेद 261 (1) यह व्यवस्था करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यो, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। 'इसका अभिप्राय यह है कि किसी राज्य के अधिनियमों, वैधानिक निर्णयों, आदेशों को दूसरे राज्य में उसी प्रकार मान्यता दी जाएगी, जैसे उस राज्य के अधिनियमों, निर्णयों इत्यादि को दी जाती है'। संसद को अनुच्छेद 261 (2) के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे अभिलेखों, अधिनियमों, कार्यो इत्यादि को प्रमाणित करने की रीति के संबंध में विधान बना सके।

विषयों का न्यायनिर्णयनः संविधान का अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय को राज्यों के मध्य विवादों के न्यायिक निपटारे का अनन्य अधिकार प्रदान करता है। संसद अनुच्छेद 262 के तहत विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी-दून के या उसके जल के प्रयोग अथवा उसके वितरण और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए विशेष उपबंध वर्णित विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय जनपद अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। यह उल्लेखनीय है कि संसद द्वारा अधिनियम 1956 के तहत किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी-दून के जल के संबंध में दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का न्याननिर्णयन करने के लिए तदर्थ अधिकरण के गठन की व्यवस्था की गई है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 यह व्यवस्था करता है कि अन्तर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के विनियम या विकास के संबंध में हितबद्ध सरकार को सलाह देने के लिए नदी बोर्ड की स्थापना की जा सकेगी।

अंतर्राज्यीय परिषद्

अनुच्छेद 263, यह व्यवस्था करता है कि यदि राष्ट्रपति लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो किसी भी समय एक अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकेगा और उसे अंतर्राज्यीय विवादों की जांच और सलाह देने का कार्य सौंप सकेगा। इस प्रकार स्थापित की गई परिषद्

EBD_7939

को उन विवादों का समाधान करने और उन पर चर्चा करने का कार्य भी सौंपा जा सकता है, जिनमें सभी या कुछ राज्य अथवा संघ और एक से अधिक राज्यों का सामान्य हित हो। इस प्रकार स्थापित की गई परिषदों में उल्लेखनीय हैं- केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्, स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् आदि।

क्षेत्रीय परिषद् : क्षेत्रीय परिषदें एक संविधानेत्तर निकाय है। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के द्वारा की गई है। सम्पूर्ण भारत को पांच क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हितों पर सलाह देने के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। ये पांच क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. **उत्तर क्षेत्रीय परिषद्:** इसमें जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्य और चंडीगढ़, दिल्ली आदि संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं।
2. **केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद्:** इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सम्मिलित हैं।
3. **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्:** इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि राज्य सम्मिलित हैं।
4. **पश्चिम क्षेत्रीय परिषद्:** इसमें आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं।
5. **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्:** इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सम्मिलित हैं।

ये परिषदें एक सलाहकार संगठन हैं, जिनके माध्यम से सहकारिता और राष्ट्रीय एकता को राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किये बिना, बढ़ावा मिलता है। प्रत्येक परिषद् में सम्मिलित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में आर्थिक और सामाजिक योजना, सीमा विवाद अंतर्राज्यीय परिवहन या राज्य पुनर्गठन से उत्पन्न होने वाले विवादों पर या सामान्य हितों के विषयों पर विचार किया जाता है।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् के सदस्यों के रूप में सम्बन्धित राज्य का मुख्यमंत्री तथा दो अन्य मंत्री, सम्बन्धित राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन है तो राज्य का राज्यपाल, सम्बन्धित संघ राज्यक्षेत्र में यदि विधानसभा है तो मुख्यमंत्री तथा दो अन्य मंत्री, सम्बन्धित संघ राज्यक्षेत्र में यदि विधानसभा है तो मुख्यमंत्री और यदि विधानसभा नहीं है तो प्रशासक या उपराज्यपाल होता है। दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठक करने की भी व्यवस्था है। केन्द्र सरकार के गृहमंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट किया गया है।

अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य

भारतीय परिसंघ व्यवस्था में अंतर्राज्यीय अवरोधों या विवादों को समाप्त करने के लिए संविधान में अनेक उपबंध किये गए हैं। इन उपबंधों में उल्लेखनीय हैं- अनुच्छेद 19(1) (घ) (ड) (छ) के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का, भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने का और कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अनन्य अधिकार है। संविधान के इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद का यह प्रतिफल है कि भारत का प्रत्येक नागरिक यह महसूस करता है कि वह एक राष्ट्र अर्थात् भारत का निवासी है भले वह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी राज्य विशेष में रहता हो।

अनुच्छेद 301 में यह व्यवस्था है कि संविधन के अधीन रहते हुए, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य, और समागम अबाध होगा। साथ ही संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें अनुच्छेद 301 के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता पर लोक हित, सदाचार एवं सार्वजनिक व्यवस्था के प्रयोजन हेतु आवश्यक एवं युक्ति युक्त प्रतिबन्ध लगा सकती है। किन्तु, 'अतियाबारी टी कम्पनी बनाम असम राज्य, 1961' 'आटोमोबाइल ट्रासंपोर्ट बनाम राजस्थान राज्य, 1962' 'राजस्थान राज्य बनाम मांगीलाल, 1969' 'असम राज्य बनाम लाबण्यप्रभ, 1967' सैय्यद अहमद बनाम मैसूर राज्य, 1975' के विवादों में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि इन स्वतंत्रताओं पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति या राज्य को ऐसे प्रतिबंधों की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार होगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 301 के उल्लंघन से अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक स्वतंत्रताओं का स्वभावत: उल्लंघन होगा। अत: अनुच्छेद का उल्लंघन होने पर प्रभावित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन करने का अधिकार होगा।

आपात की उद्घोषणा और केन्द्र-राज्य संबंध: हमारा संविधान आपातकाल में संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है। संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन उपबंधी या नियंत्रण की व्यवस्था की गई है ये उपबन्ध इस प्रकार हैं-

1- युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 352

अनुच्छेद 352 यह व्यवस्था करता है कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है तो वह 'राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा' कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार की गई आपात-उद्घोषणा के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि युद्ध या सशस्त्र विद्रोह वास्तव में हो गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आंशंका हो तो भी वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति ने इस प्रकार की घोषणा सर्वप्रथम 26 अक्टूबर, 1962 को चीनी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए की।

अनुच्छेद 352(3) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति इस प्रकार की उद्घोषणा प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की लिखित सिफारिश पर करेगा। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की इन अधिकारिता को न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था, किंतु 44वें संशोधन द्वारा यह अधिकारिता पुन: न्यायिक समीक्षा की परिधि में आ गई है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार की गई प्रत्येक घोषणा को एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख पेश करना होता है।

एक माह की उक्त अवधि बीत जाने पर ऐसी उद्घोषणा प्रर्वतन में नही रहेगी और अगर अनुमोदन मिल जाता है तो छह माह तक जारी रहेगी। आवश्यकता होने पर छह माह के बाद पुन: संसद की अनुमति से छह मास तक प्रवर्तन में रह सकेगी यदि राष्ट्रीय आपात के संबंध में की गई इस प्रकार की उद्घोषणा के समय या उसके एक मास के भीतर लोकसभा का विघटन हो गया है तो नवीन लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात् होने वाली पहली बैठक की तारीख से तीस दिन तक उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदन के संबंध में लोकसभा की विशेष बैठक बुलाने के लिए लोकसभा न्यूनतम 1/10 सदस्य यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को लिखित सूचना दे सकते हैं। अध्यक्ष या राष्ट्रपति के लिए ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर सदन की बैठक बुलाना अनिवार्य है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की गई 'आपात-उद्घोषणा' के संबंध मे उपर्युक्त वर्णित संसदीय नियंत्रण संविधान के 44वे संशोधन (1978) की देन हैं। 44वें संशोधन से पूर्व आपात-उद्घोषणा पर संसदीय नियंत्रण का नितांत अभाव था।

आपात-उद्घोषणा का संघात्मक व्यवस्था पर प्रभाव: अनुच्छेद 352 को एक विशेष रूप में एकात्मक स्वरूप् प्रदान करती है। आपात-उद्घोषणा को संविधान में संघीय स्वरूप पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है–

1. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची में वर्णित समस्त विषयों पर हो जाता है, जबकि सामान्य काल में यह केवल अनुच्छेद 256 और 257 के संबंध में निर्देश देने तक सीमित रहता है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यद्यपि राज्य सरकार निलम्बित नहीं की जाती, तथापि वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में होती है और जहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति का अतिक्रमण करती है, वहाँ अतिक्रमण की सीमा तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति शून्य मानी जाती है। शासन का संघात्मक स्वरूप एकात्मक हो जाता है और राज्यों की स्थिति एकात्मक व्यवस्था में वर्णित स्थानीय उपखण्डों के समतुल्य रह जाती है।
2. आपात की उद्घोषणा के साथ ही संघीय संसद पर से अनुच्छेद 246(3) के तहत राज्य सूची के संबंध में लगायी गई समस्त मर्यादाएं अपने आप हट जाती हैं। यद्यपि राज्य का विधानमण्डल निलम्बित नहीं होता, तथापि संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां का वितरण निलम्बित हो जाता है। संसद एकात्मक व्यवस्था वाली संसद का रूप ले लेती है।
3. राष्ट्रपति, अपने आदेश द्वारा संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के आबंटन से सम्बन्धित समस्त संवैधानिक उपबन्धों को निलम्बित कर सकेगा, किंतु ऐसा निलम्बन उस वित्तीय वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगा जिसमें आपात-उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती। अनुच्छेद 354(2) यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में दिया गया प्रत्येक आदेश संसद के अनुमोदन के अधीन होगा।
4. अनुच्छेद 358 यह व्यवस्था करता है कि आपात-उद्घोषणा के दौरान राज्य पर अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक स्वतंत्रताओं की मर्यादाएं लागू नहीं होती अर्थात् आपात-अवधि के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अविद्यमान हो जाएंगे। अनुच्छेद 359 यह व्यवस्था करता है कि आपात की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू करवाने के मौलिक अधिकार का निलम्बन कर सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 358 की उक्त व्यवस्था ऐसे आपात तक ही सीमित है जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित की गई हो जबकि अनुच्छेद 359 की उक्त व्यवस्था युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों ही आधारों पर लागू होती। इसके अलावा की उद्घोषणा का प्रवर्तन में होने पर भी अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन किसी बंदी या अवरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय में पहुंचने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

2- राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, अनुच्छेद 356:

अनुच्छेद 355 में संघ सरकार का यह कर्त्तव्य बताया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे के प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे। अनुच्छेद 365 यह व्यवस्था करता है कि यदि कोई राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है तो राष्ट्रपति को उस राज्य के संबंध में यह समझने की शक्ति होगी कि उक्त राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलने में सक्षम नहीं है। अतएव इन दोनों ही स्थितियों में यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकती तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपात-उद्घोषणा अर्थात् राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की गई घोषणा को दो माह के भीतर ससंद की अनुमति मिला जाना आवश्यक है, किन्तु यदि उद्घोषणा के समय या दो माह के भीतर लोकसभा का विघटन हो गया है तो नवीन लोकसभा के पुनर्गठित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन मिल जाना चाहिए अन्यथा दो माह के पुनर्गठित लोकसभा की स्थिति में 30 दिन के बाद ऐसी घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। इस प्रकार की प्रत्येक उद्घोषणा को संसद द्वारा पारित संकल्प द्वारा एक बार में छह माह और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता हैं। पजांब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को तीन वर्ष से अधिक समय के लिए संविधान के संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के लिए संविधान में यह भी व्यवस्था है कि-

(क) सम्बन्धित राज्य या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा लागू हो,
(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे के राज्य में चुनाव करवाने लायक स्थिति नहीं है, अत: आपात-उद्घोषणा आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य के न्यायिक कृत्यों को छोड़कर शेष सभी कार्यकारी और विधायी शक्तियों पर संघ सरकार का अनन्य नियंत्रण स्थापित हो जाता है।

अनुच्छेद 352 और 356 की आपात उद्घोषणाओं में अंतर

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 और 356 के तहत की गई आपात-उद्घोषणाओं में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं –

1. अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भू-भाग की सुरक्षा को खतरा हो। जबकि अनुच्छेद 356 के तहत आपात-उद्घोषणा तब की जाती है। जब किसी कारणवश राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलने में सक्षम न हो, इसके लिए युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशत्र विद्रोह का होना आवश्यक नहीं है।
2. अनुच्छेद 353 के तहत की गई आपात-उद्घोषणा से यद्यपि राष्ट्रपति को किसी राज्य की सरकार या राज्य विधानमण्डल को निलम्बित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती, तथापि केन्द्र सरकार को राज्य सूची के संबध में विधायन और प्रशासन की समवर्ती एवं बाध्यकारी शक्ति प्राप्त हो जाती है, जबकि अनुच्छेद 356 से की गई आपात की उद्घोषणा से राज्य की सरकार एवं विधानमंडल निलम्बित हो जाता है और राज्य की समस्त कार्यकारी एंव विधायी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। इस कारण इस उद्घोषणा को 'राष्ट्रपति शासन' भी कहा जाता है।
3. राष्ट्रपति शासन की अवधि को संसद अपने संकल्प द्वारा अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ा सकती है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत की गई आपात-उद्घोषणा को संसद अपने संकल्प द्वारा छह-छह माह के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है, क्योंकि संविधान इस संबंध में किसी अधिकतम सीमा का उल्लेख नहीं करता।
4. अनुच्छेद 352 के अधीन की गई आपात-उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि में आती है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत की गई आपात-उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर है, क्योंकि

इसे राष्ट्रपति का 'विवेकाधीन कृत्य' माना गया है। किन्तु, उच्चतम न्यायालय ने 6 दिसम्बर 1992 को हुई ऐतिहासिक घटना के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य-सरकारों की बर्खास्तगी के संबंध में दिए अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट करके कि राज्य-सरकार की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट आवश्यक होगी तथा बर्खास्तगी के संबंध में राष्ट्रपति को दी गई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सलाह को न्यायालय जान सकेगा, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई आपातकालीन अधिकारिता को भी न्यायिक समीक्षा की परिधि में ला दिया है।

3-वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 360:

अनुच्छेद 360 में यह व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति या स्थायित्व संकट में है तो यह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकेगा। इस प्रकार की गई घोषणा के प्रवर्तन में रहने तक केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय मामलों के संबंध में उचित निर्देश देने की असीमित शक्ति का प्रयोग करेगी। इस प्रकार दिए गए निर्देशों में प्रमुख होंगे-

1. किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी श्रेणी विशेष के व्यक्तियों के वेतनों एवं भत्तों में कमी करने की अपेक्षा करना।
2. अनुच्छेद 207 की व्यवस्था के अधीन आने वाले धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकेगा।
3. राष्ट्रपति, संघ सरकार के अधीन सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों (जिनमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं) के वेतन-भत्ता इत्यादि में कमी करने का आदेश दे सकेगा।

अनुच्छेद 360 के अधीन की गई आपात-उद्घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अनुमोदन मिल जाना चाहिए, अन्यथा दो माह के बाद ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में न रहेगी। इसके अलावा यदि पूर्व वर्णित दो माह की अवधि के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के अन्दर उक्त उद्घोषणा को लोकसभा की अनुमति मिल जानी चाहिए, अन्यथा तीस दिन के बाद ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में न रहेगी। इन तीनों ही प्रकार की आपात-उद्घोषणाओं को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस लेने में सक्षम होगा।

सरकारिया आयोग

भारतीय संघ व्यवस्था में केन्द्र-राज्य संबंधों के स्वस्थ संचालन पर विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए केन्द्र सरकार में मार्च, 1983 को न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग में एक एस.आर. सेन और दूसरे बी. शिवरामन सदस्य थे। इनके अलावा इस आयोग में एक सचिव, एक सयुंक्त सचिव तथा चार निदेशक भी थे। आयोग ने 1987 में 1600 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें कीं-

1. नि:सन्देह देश की एकता एवं अखण्डता के लिए मजबूत केन्द्र अनिवार्य है।
2. किसी अन्य विकल्प के न रह जाने पर ही अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। संसद के अनुमोदन के बाद ही राज्य की विधानसभा भंग की जानी चाहिए। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट संसद में भी प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि संसद राज्य सरकार की बर्खास्तगी के वास्तविक कारणें को जान सके।
3. केन्द्र एवं राज्यों के मध्य निगम कर के उचित बंटवारे की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके लिए आवश्यकतानुसार संविधान का संशोधन किया जाना चाहिए।
4. केन्द्र सरकार को केवल विशेष प्रयोजनों एवं सीमित अवधि के लिए ही आयकर पर अधिकार लगाना चाहिए।
5. राज्यों को सहायता अनुदान एवं ऋण देने की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
6. राज्यों में केन्द्रीय रक्षा बलों की तैनाती के संबंध में केन्द्र सरकार को अपने स्वविवेक से काम लेना चाहिए। केन्द्र सरकार का यह स्वविवेक राज्यों की इच्छा के विपरीत भी हो सकता है।
7. राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किये जाने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति को विधेयक की प्राप्ति के पश्चात् चार माह के भीतर निर्णय ले लेना चाहिए। यदि विधेयक पुन: विचार हेतु वापस करना हो तो यह कार्यवाही विधेयक की प्राप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर हो जानी चाहिए।
8. आयोग ने इन्जीनियरी, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सहकारिता और उद्योग के लिए भी अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की सिफारिश की है।
9. योजना आयोग के सभी चरणों में राज्यों से पूर्ण और प्रभावी विचार-विमर्श करें ताकि राज्य यह महसूस कर सकें कि योजना निर्माण में उनकी भूमिका 'पूरक' की नहीं, बल्कि बराबर के भागीदार की है।
10. योजना आयोग का उपाध्यक्ष ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ होना चाहिए जो अपनी वस्तुनिष्ठता और प्रसिद्धि से केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों का भी पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सके।
11. राष्ट्रीय विकास परिषद् का पुनर्गठन करना चाहिए और इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद्' कर देना चाहिए। परिषद् को केन्द्र एवं राज्यों के मध्य 'सर्वोच्च राजनीतिक संस्था' के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
12. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 में उल्लिखित अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना पर जोर दिया है।
13. आयोग के मत में प्रधानमंत्री और सभी केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर एक 'सर्वोच्च मंत्रिमण्डल' की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रकार स्थापित किया गया मंत्रिमंडल केन्द्र और राज्यों के सामान्य हितों से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श करें।
14. दलगत राजनीति से तटस्थ व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जिस राज्य में उसे नियुक्त किया जाए।
15. राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्यत: परामर्श लिया जाना चाहिए।
16. राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की जाए। राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त किसी व्यक्ति को सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
17. देश की एकता और अखण्डता के लिए त्रि-भाषा सूत्र को अपनाना चाहिए अर्थात् एक केन्द्रीय या राष्ट्रीय भाषा, एक राज्य स्तरीय भाषा और एक स्थानीय भाषा।

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-1

1. निम्नलिखित में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) भारतीय संसद में उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
   (b) भारत में न्यायपालिका संविधान के सहायक के रूप में कार्य करती है।
   (c) भारत में द्वैध शासन प्रणाली है जो केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर बनी है।
   (d) भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, केंद्र तथा राज्य दोनों संविधान के अधीन है तथा वे संविधान के अनुसार कार्य करते हैं।
2. जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो भारतीय नागरिक प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता के लिए किस प्रावधान के अंतर्गत अपनी सुरक्षा कर पाऐंगे-
   (a) अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
   (b) नागरिकों को किसी भी तरह सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी।
   (c) अनुच्छेद 225 के अंतर्गत नागरिकों को सुरक्षा प्राप्त होगी।
   (d) नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों का निलबंन जारी रहेगा।
3. सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था?
   (a) राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का संबंध
   (b) केन्द्र-राज्य संबंध
   (c) राज्य एवं पंचायत निकाय संबंध
   (d) राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का संबंध
4. निम्नलिखित में से कौन-से मुद्दे को अन्तर्राज्यीय परिषद् के न्याय क्षेत्र से बाहर रखा गया है?
   (a) राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच एवं सुझाव देने के लिए
   (b) नदी घाटी अथवा अन्तर्राज्यीय नदियों के जल वितरण के अधिकार से सम्बन्धित विवाद अथवा शिकायत पर निर्णय देना
   (c) उन विषयों पर विचार करना तथा ऊपरी जाँच करना जो सभी राज्यों पर केन्द्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के अधीन हो
   (d) ऐसे विषयों पर निर्देश खास कर उन विषयों पर जो नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता से सम्बन्धित हैं
5. सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सम्बन्ध में जाँच के लिए हुई थी?
   (a) जेल सुधार (b) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
   (c) पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए (d) शिक्षा सुधार
6. सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन संविधान की किस धारा के अन्तर्गत किया गया है?
   (a) धारा 236 (b) धारा 352
   (c) धारा 370 (d) धारा 263
7. आय कर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?
   (a) संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और आय कर प्राप्तियों को स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है
   (b) संघ कर लगाता है उद्ग्रहण करता है और सब आय की प्राप्तियों को अपने लिए रख लेता है
   (c) संघ कर लगाता है और उद्ग्रहण करता है, लेकिन सभी प्राप्तियाँ राज्यों में वितरित कर दी जाती हैं
   (d) केवल आय कर पर लगाया गया अधिकार ही संघ और राज्यों के बीच बाँटा जाता है
8. केन्द्र और राज्य के बीच केन्द्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है?
   (a) कराधान जाँच आयोग (b) टैरिफ आयोग
   (c) वित्त आयोग (d) योजना आयोग
9. संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है?
   (a) अनुच्छेद 215 (b) अनुच्छेद 275
   (c) अनुच्छेद 325 (d) अनुच्छेद 355
10. भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है?
   (a) मोरले-मिन्टो सुधार, 1909
   (b) मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919
   (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
   (d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
11. अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है-
   (a) सभी राज्यों की सहमति से
   (b) बहुसंख्य राज्यों की सहमति से
   (c) सम्बन्धित राज्यों की सहमति से
   (d) बिना किसी राज्यों की सहमति से
12. भारतीय संविधान का कौन-सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है?
   (a) भाग 11 और अध्याय 1 (b) भाग 11 और अध्याय 2
   (c) भाग 12 और अध्याय 1 (d) भाग 12 और अध्याय 2
13. केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है-
   (a) अनुच्छेद 168-171 के अन्तर्गत
   (b) अनुच्छेद 268-281 के अन्तर्गत
   (c) अनुच्छेद 278-291 के अन्तर्गत
   (d) अनुच्छेद 289-295 के अन्तर्गत
14. भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र-राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं?
   (a) भाग X में (b) भाग XI में
   (c) भाग XII में (d) भाग XIII में
15. निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है?
   (a) वित्त आयोग (b) अंतर्राज्यीय काउंसिल
   (c) केंद्रीय वित्त मंत्रालय (d) योजना आयोग
16. संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को-
   (a) वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
   (b) राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
   (c) किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
   (d) मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है।

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-2

1. निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान संघवाद को सशक्त करते हैं?
   1. एकीकृत न्यायपालिका 2. कठोर संविधान
   3. विधि का शासन 4. आपातकालीन प्रावधान
   5. द्विसदनीय व्यवस्था

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1, 2 और 5 (b) केवल 2, 3 और 5
   (c) केवल 2 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5
2. संविधान में वित्त आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य बताए गये हैं-
   1. केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को अपने सुझाव देना।
   2. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश करना।
   3. स्वस्थ एवं सुदृढ़ वित् व्यवस्था के संचालन हेतु राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गये किन्हीं अन्य विषयों की बाबत राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देना।

   उपर्युक्त में कौन-सा कथन सत्य है?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी
3. निम्न में कौन-सा कथन सत्य है?
   1. संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 267 के अंतर्गत प्रदान की गई है।
   2. आकस्मिकता निधि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई है।
   3. आकस्मिकता निधि कार्यपालिका के अधीन व्यय नहीं की जा सकती है।

   कूट:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) 1 और 3
4. क्षेत्रीय परिषद् के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करे।
   1. क्षेत्रीय परिषद् एक संविधानेत्तर निकाय है।
   2. इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई।
   3. सम्पूर्ण भारत को छह क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हितों पर सलाह देने के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं।
   4. ये परिषदें एक सलाहकारी संगठन है जिसके माध्यम से सहकारिता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है।

   उपर्युक्त में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
   (c) केवल 4 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके कार्यकाल और कार्यकाल के बाद ऐसे किसी कार्य के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता है, जो उन्होंने अपनी कार्यालयी शक्तियों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में किए हैं।
   2. राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध उनके कार्यकाल की समाप्ति पश्चात् व्यक्तिगत कार्यों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा न ही गिरफ्तार किया जा सकता है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. राज्य किसी अन्य राज्य से आयातित माल पर ज्यादा कर लगा सकता है।
   2. राज्यों को अन्य राज्यों से आयातित माल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) इनमें से कोई नहीं
7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क
   1. राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है।
   2. का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
8. भारत में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध निर्भर करते हैं
   1. संवैधानिक प्रावधानों पर
   2. परम्पराओं तथा व्यवहारों पर
   3. न्यायिक व्याख्याओं पर
   4. बातचीत के लिए यन्त्रविन्यास पर

   कूट
   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) 2, 3, और 4 (d) ये सभी
9. इनमें से कौन भारत और अमेरिकी संघवाद की सामान्य विशेषता है?
   1. समवर्ती सूची का संविधान में शामिल होना।
   2. लिखित संविधान।
   3. केन्द्र और राज्य के बीच शक्ति का बँटवारा।
   4. अवशिष्ट शक्ति का राज्यों के हाथ में होना।

   कूट
   (a) 2 और 3 (b) 1 और 3
   (c) 2, 3 और 4 (d) 1 और 4

10. इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है?
    1. संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बँटवारा।
    2. अवशिष्ट अधिकार जो की संघ में शामिल है।
    3. नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालक का अस्तित्व।

    कूट

    (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
    (c) 1 और 3 (d) ये सभी

11. अन्तर्राज्यीय परिषद् के सम्बन्ध में निम्न कथनों पर विचार करें
    1. यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है।
    2. इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1995 में की गई थी।
    3. इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमन्त्री तथा कैबिनेट स्तर के छः मन्त्री होते हैं।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    (a) 1 और 3 (b) 1, 2 और 3
    (c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

12. भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन-सी संविधानेत्तर और विधेत्तर संस्था/संस्थाएँ हैं?
    1. राष्ट्रीय विकास परिषद् 2. राज्यपाल सम्मेलन
    3. आंचलिक परिषद् 4. अन्तर्राज्यीय परिषद्

    नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिये-

    (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
    (c) 3 और 4 (d) केवल 4

13. निम्नलिखित में कौन-कौन से विषय हैं जिन पर कम-से-कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों के अनुसमर्थन से ही सांविधानिक संशोधन सम्भव है?
    1. राष्ट्रपति का निर्वाचन
    2. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
    3. सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची
    4. किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति

    नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिये-

    (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
    (c) 1, 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

14. भारत के केंद्र-राज्य संबंध प्रभावित होते हैं-
    1. संविधान के प्रावधानों से
    2. नियोजन प्रक्रिया से
    3. राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से
    4. हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से

    नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

    (a) 1 और 2 (b) 2, 3 और 4
    (c) 2, 4 और 5 (d) 1, 2 3 और 4

15. एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है-
    1. संघ और राज्यों के बीच संबंध
    2. राज्यों के मध्य संबंध
    3. समन्वय के लिए तंत्र
    4. विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र

    अपना सही उत्तर दिए गए कूट से चुनिए

    (a) 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3
    (c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(b)	**2**	(a)	**3**	(b)	**4**	(b)	**5**	(b)	**6**	(d)	**7**	(a)	**8**	(c)	**9**	(d)	10	(c)
11	(d)	**12**	(a)	**13**	(b)	**14**	(b)	**15**	(a)	16	(b)								

अभ्यास-2

1	(c)	**2**	(d)	**3**	(c)	**4**	(b)	**5**	(b)	**6**	(d)	**7**	(d)	**8**	(c)	**9**	(a)	**10**	(b)
11	(c)	**12**	(b)	**13**	(a)	**14**	(d)	**15**	(a)										

EBD_7939

संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं

16 अध्याय

लोक सेवाएँ और लोक सेवा आयोग

भारत में लोक सेवा का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल से ही प्रारंभ हो गया था। लॉर्ड कार्नवालिस (1786-93) ने कंपनी की असैनिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। सन् 1857 के विद्रोह के पश्चात् शासन की बागडोर महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गई। तब महारानी ने यह घोषणा की कि हमारी प्रजा को चाहे वे किसी भी रंग या धर्म के हो, हमारी सेवाओं में उचित स्थान दिया जाए। इसी के परिणामस्वरूप 1861 में इंडियन सिविल सर्विस अधिनियम पास किया गया। भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा चूंकि लंदन में आयोजित होती थी इसलिए भारतियों को उच्च सेवाओं के लिए चुना जाना लगभग असंभव था। इतना ही नहीं लार्ड लिटन ने भारतियों को उच्च पदों से वंचित रखने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी।

ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवाएँ प्राय: तीन भागों में विभक्त रही–

1. अखिल भारतीय सेवाएँ
2. केन्द्रीय सेवाएँ
3. प्रांतीय सेवाएँ

अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। उच्च प्रशासनिक पद पर गोरों का प्रभुत्व था। परन्तु 1935 के पश्चात् स्थिति बदल चुकी थी। अब आई.सी.एस. अधिकारियों में भारतियों की बहुतायता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आई.सी.एस. अधिकारियों की सेवा-शर्तें लगभग पहले जैसी बनी रही, क्योंकि ये लोग प्रशासन कला में निपुण थे और देश को उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी। नयी व्यवस्था में दो परिवर्तन हुए- प्रथम, इंडियन सिविल सर्विस का नाम बदल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया। द्वितीय अखिल भारतीय सेवाएँ अब भारत के अधिकार में आ गईं अर्थात् लोकसेवाओं की भर्ती ब्रिटेन में स्थित भारत सचिव द्वारा बंद हो गई।

संसदीय शासन व्यवस्था में लोक सेवकों की स्थिति: संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद् के रूप में सामने आता है। यह मंत्रिपरिषद् ही प्रशासन की नीतियों का निर्धारण करती है और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है।

लोक सेवाएं: वर्तमान लोकतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था में सिविल सेवाएं सरकारी तंत्र के अनिवार्य अंग हैं। वस्तुत: ये अराजनीतिक तथा अनिर्वाचित कृप्यकारी ही हैं, जो जन-निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्देश एवं नियंत्रण के अधीन एवं नियमों तथा सिद्धांतों के अनुसार प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद् तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे विधानमंडल का विश्वास प्राप्त रहता है। दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद् की पदावधि के संबंध में प्राय: अनिश्चितता रहती है और देश का प्रशासन अधिकारियों के एक विशाल समूह द्वारा चलाया जाता है। यह समूह राजनीति से तटस्थ रहते हुए प्रशासन में निरन्तरता बनाए रखता है। अधिकारियों के इस समूह के संबंध में प्राय: यह कहा जाता है कि जहां मंत्री एक राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं वहां ये प्रशासक एक स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ये प्रशासन की तकनीक के विशेषज्ञ होते हैं। इन्हें प्रशासन चलाने का विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विशेष प्रशिक्षण अथवा प्रशासकीय तकनीक का मंत्रियों में प्राय: अभाव होता है। स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करने वाले अधिकारियों में प्राय: यह दोष पाया जाता है कि ये अधिकारी लालफ़ीताशाही अथवा नियमों-विनियमों का कड़ाई से पालन करते हुए परिवर्तन के प्राय: विरोधी होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका चूंकि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अत: उसमें नवीन विचारों या परिवर्तन का आना स्वाभाविक है तथापि कुल मिलाकर यह कहना होगा कि लोक सेवकों में लालफ़ीताशाही का गम्भीर दोष होने के बावजूद इनकी सेवाएँ संसदीय प्रणाली के स्वस्थ संचालन हेतु अपरिहार्य हैं क्योंकि आधुनिक युग में सरकार चलाना एक कला नहीं, वरन् एक विज्ञान है और इसलिए यह विशेषज्ञों का काम है। विशिष्ट कार्य होने के कारण यह कार्य उन सरकारी सेवकों की विशाल सेना को सौंप दिया गया है, जिन्होंने सरकार चलाने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा सरकार चलाने के कार्य को अपने रोजगार के रूप में अपनाया है।

भारत में लोक सेवा का स्वरूप

भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण

अखिल भारतीय सेवाएँ

1. भारतीय प्रशासनिक सेवाएँ
2. भारतीय पुलिस सेवा
3. भारतीय वन सेवा

केन्द्रीय सेवाएँ- प्रथम श्रेणी भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त

1. भारतीय आबकारी सेवा
2. भारतीय रेलवे एकाउन्ट्स सेवा
3. भारतीय चुंगी एवं केन्द्रीय एक्साइज सेवा
4. भारतीय ऑडिट एवं एकाउन्ट्स सेवा
5. भारतीय प्रतिरक्षा एकाउन्ट्स सेवा
6. भारतीय डाक सेवा
7. भारतीय रेलवे ट्रैफिक सेवा
8. मिलिट्री भूमि एवं छावनी सेवा
9. भारतीय अध्यादेश फैक्ट्रीज सेवा
10. केन्द्रीय सूचना सेवा

राज्यों में अधिकांशतः पायी जाने वाली सेवाएँ

1. राज्य प्रशासनिक सेवाएँ
2. राज्य पुलिस सेवा
3. राज्य ऑडिट एवं एकाउन्ट्स सेवा
4. राज्य शिक्षा सेवा
5. राज्य को-ऑपरेटिव सेवा
6. राज्य नियोजन सेवा
7. राज्य कारागार सेवा
8. राज्य वाणिज्यिक सेवा

लोक सेवकों की नियुक्तिः संविधान द्वारा केन्द्र एवं राज्यों के लिए पृथक्-पृथक् लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं व केन्द्रीय सेवाओं के लिए जो परीक्षाएँ होती हैं, उनका संचालन संघ लोक सेवा आयोग करता है। राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही केन्द्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करता है। राज्य सेवाओं के लिए भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेवा आयोगों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने काम के विषय में तथा सेवाओं की दृष्टि से राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रतिवर्ष रिपोर्ट भेजें।

लोक सेवकों का प्रशिक्षणः परीक्षा में चयनित होने के पश्चात् उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का दौर शुरू होता है। प्रशिक्षण के दौरान लोकसेवकों को लोकसेवा के दायित्वों से परिचित करवाया जाता है। लोक सेवाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण भारत में ही होता है। कुछ गिने-चुने अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें विशेष कारण से विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

इन अफसरों को लालबहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट मसूरी की प्रशासनिक अकादमी पुलिस अकादमी जैसे प्रशिक्षण केन्द्र में तमाम तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हें रिफ्रेशर कोर्स प्रदान करता है।

अखिल भारतीय सेवा के लिए चयनित उम्मीदवारों को सर्वप्रथम छह माह के लिए प्रशासन अकादमी भेजा जाता है। वहां, उन्हें सार्वजनिक प्रशासन संविधान, कानून, अर्थशास्त्र और भारत के सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान कराया जाता है। इसके पश्चात् लगभग एक वर्ष तक उन्हें किसी राज्य में रहकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वहां सिंचाई कार्यों की जानकारी दी जाती है। इन्हें मजिस्ट्रेट के कार्यों को भी समझना पड़ता है। इसके बाद आगामी प्रिशिक्षण के लिए उन्हें पुनः अकादमी भेजा जाता है। यहां इन्हें लगभग छह माह बिताने पड़ते हैं। इसके पश्चात् ही उन्हें उनके पदों पर नियुक्त किया जाता है।

अवधि एवं सेवा शर्तें: (प्रसादपर्यन्त सेवा) अनुच्छेद 310 की व्यवस्थाओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल या सैन्य पद धारण करता है, वह यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेगा। इसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी समय किसी भी आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। यदि इस प्रकार की गई पदच्युत संविधान में दिए गए रक्षोपायों का उल्लंघन करती है तो प्रभावित व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकेगा।

किसी संविदा या समझौता द्वारा सरकारी कर्मचारी की पदच्युत के संबंध में सरकार के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाया जा सकता, किन्तु उस स्थिति में जब सरकार ने किसी तकनीकि कर्मचारी या विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त करने के लिए उससे कोई समझौता किया है और यदि समझौते की अवधि के भीतर संबंधित व्यक्ति की सेवाओं का पर्यवसान किया जाता है तो उस व्यक्ति या कर्मचारी को समुचित प्रतिकर दिया जाएगा। परन्तु यदि 'कदाचार' के आधार पर उसे पदच्युत किया जाता है तो प्रतिकर या हर्जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

ब्रिटेन में सम्राट के प्रसाद पर कोई बंधन नहीं है, किंतु भारत का संविधान राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद को कुछ सीमाओं में बांधता है। वे सीमाएँ इस प्रकार हैं-

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी है जो राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण नहीं करता, इन्हें पदच्युत करने के लिए संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124, 148, 218 और 324 में विशेष व्यवस्था की गई है।

सामान्य सेवानिवृत्ति, पदच्युत, पद से हटाया जाना, पंक्ति में अवनति

सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1967 के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी सेवक को पद से हटाने के संबंध में दिया गया आदेश यदि किसी दंड के परिणामस्वरूप नहीं है और उसमें "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ केवल सामान्य सेवानिवृत्ति लगाया जाएगा, पदच्युत या पद से हटाया जाना नहीं। इसके अलावा यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कोई आयु तय की जाती है तो भी उसे पदच्युत न समझा जाएगा।

पदच्युत या पद से हटाया जाना

पुरूषोत्तम बनाम भारत संघ, 1958 के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी लोक सेवक को पद से हटाने के संबंध में दिया गया आदेश यदि किसी दण्ड के परिणामस्वरूप है और उसमे यदि "सेवानिवृत्ति" या छँटनी यदि शब्दों का प्रयोग किया गया है तो भी उसे पदच्युत या पद से हटाया जाना समझा जाएगा।

पदच्युत तथा पद से हटाया जाने में अन्तर

अब्दुल सलाम बनाम सरफ़राज, 1975 में मामले में न्यायालय ने पदच्युत और पद से हटाए जाने के संबंध में अंतर स्पष्ट किया और कहा कि पदच्युत किया गया व्यक्ति सरकार के अधीन पुनः नियोजन के लिए अपात्र हो जाता है, किंतु पद से हटाए गए व्यक्ति के साथ ऐसी क्या निरर्हता न होगी।

पदच्युत और पद से हटाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित समानता होती हैं-

1. दोनों आदेश इस आधार पर दिए जाते हैं कि सरकारी सेवक का आचरण दोषयुक्त है या उसमें कोई कमी है।
2. दोनों में ही वेतन-भत्ता और पहले की गई सेवाओं की बाबत अर्जित पेंशन का अधिकार जब्त हो जाता है।

पंक्ति में अवनति

पंक्ति में अवनति का अर्थ होता है– किसी अधिकारी की प्रास्थिति का रैंक में कमी करना। यह दो प्रकार से होती है–

(क) किसी उच्च अधिकारी को किसी निम्नस्तर या निम्न वेतनमान में रख देना।

(ख) अधित किसी रैंक से नीचे का रैंक प्रदान करना।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां कोई पदाधिकारी स्थानापन्न रूप से किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है और बाद में अपने पूर्व पद पर वापस आ जाता है तो इसे पंक्ति में अवनति नहीं माना जाता। किन्तु, स्थानापन्न के बाद पुनः पद पर वापसी यदि किसी दंड के कारण हुई अर्थात् भविष्य के पदोन्नति के अवसरों को मोअतली करना आदि, तो पंक्ति में अवनति माना जाएगा।

निम्नलिखित तीन परिस्थितियाँ या मामले ऐसे हैं, जिनके अधीन यदि किसी कर्मचारी को पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है तो उसे किसी प्रकार की जांच या सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। ये तीन मामले हैं–

1. ऐसा व्यक्ति जिसे किसी अपराधिक मामले में दोषी सिद्ध किया गया है।
2. पदच्युत या अवनति करने वाले सक्षम प्राधिकार का वह समाधान हो जाता है कि किन्हीं विशेष कारणों से ऐसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी जांच की जाए।

प्रशासनिक अधिकरण

1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 323(क) स्थापित किया गया। यह अनुच्छेद लोक सेवाओं से संबंधित संवैधानिक विधि तक क्रांतिकारी परिवर्तन का सूचक है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ और राज्य की लोक सेवाओं में भर्ती एवं सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन सिविल या किसी उच्च न्यायालय से लेकर केन्द्र या राज्य (यथास्थिति) के प्रशासनिक अधिकरणों को सौंपा जाए।

भारत की संसद ने एक अधिनियम द्वारा 2 अक्टूबर, 1985 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करके उक्त अनुच्छेद को लागू किया।

कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर न्याय निर्णयन का अधिकार प्रशासनिक अधिकरण को प्राप्त नहीं है। ये मामले निम्नलिखित हैं–

1. प्रतिरक्षा बलों के सदस्य
2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक,
3. संसद या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडलीय सचिवालय के कर्मचारी।

इन मामलों के अलावा कोई भी लोक सेवक जो पदच्युति, पद से हटाए जाने या पंक्ति में अवनत किए जाने अथवा ऐसे ही किसी अन्य विषय से प्रभावित है तो वह संबंधित प्रशासनिक अधिकरण में ही न्याय की गुहार कर सकता है किसी न्यायालय में नहीं। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अंतिम आश्रय या सहारे के रूप में ही कोई प्रभावित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन केवल उच्चतम न्यायालय में ही अपील कर सकता है किसी अन्य उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में नहीं। अतः प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का केवल उच्चतम न्यायालय को ही अनन्य अधिकार प्राप्त है।

लोक सेवकों के उत्तरदायित्वः लोक सेवकों को बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वे लोग मंत्रियों की अपेक्षा अधिक योग्य होते हैं और उनमें अनुशासन-भावना भी अधिक होती है। अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि नियमों का कड़ाई से पालन करें। इसके अतिरिक्त उनका यह कर्त्तव्य है कि वे निष्पक्षता से कार्य करें असंगत अथवा अनुचित बातों पर ध्यान न दे तथा अपने निर्णय अथवा निश्चय को मित्रता, शत्रुता, भय, लालच और महत्वकांक्षा से प्रभावित न होने दें। निजी तौर पर व्यक्ति राग-द्वेष से ऊपर उठ सकता है, परन्तु सार्वजनिक कर्त्तव्यों का पालन करते समय अधिकारियों को जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभावों से दूर रहना चाहिए। साथ ही नौकरशाही और जनता के मध्य की दूरी को कम करने की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए।

लोक सेवा आयोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः भारत में सर्वप्रथम सन् 1919 के भारत शासन अधिनियम के अधीन 1924 के "ली कमीशन" की संस्तुतियों के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए भारतीय गणतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 315 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि संबंधित राज्यों के विधानमंडल इस संबंध में एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध करे तो संसद उनके अनुरोध के अनुसरण में ऐसा आयोग स्थापित कर सकेगी। राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग भी किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

संघ लोक सेवा आयोग नियुक्तिः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315(2) के अनुसार दो या अधिक राज्य एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग भी रख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा-शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाएगी। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य हैं। आयोग के किसी सदस्य की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

संघ या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 316 के अनुसार आयोग के यथास्थिति आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन दस वर्ष तक कोई पद धारण किया है।

पदावधिः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, हो सकता है।

EBD_7939

किन्तु, इस अवधि से पूर्व भी संघ या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य निम्नलिखित रीतियों से अपना पद रिक्त कर देंगे-

1. राष्ट्रपति को संबोधित अपने लिखित पत्र द्वारा।
2. न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित करने, पद पर रहते हुए कोई लाभ का पद धारण कर लेने, मानसिक या शारीरिक रूप से कर्त्तव्य पालन में असमर्थ होने पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाए जा सकेंगे।
3. उच्चतम न्यायालय के ऐसे प्रतिवेदन पर, जिसमें उन्हें कदाचार को दोषी ठहराया गया हो, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाए जा सकेंगे।

वेतन एवं भत्ते: अनुच्छेद 322 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन-भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 2,50,000 रुपये और अन्य सदस्यों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है।

राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति: राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं उनकी सेवा-शर्तें संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाएगी। सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् उनकी सेवा-शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

पदावधि: राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य 6 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक अपना पद धारण करेंगे।

पदमुक्ति: राज्य आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य 1. किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपने लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे। 2. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों (अध्यक्ष समेत) की असमर्थता या कदाचार संबंधी जांच, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को सौंप सकेगा तथा न्यायालय के प्रतिवेदन के अनुसरण में अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को वह (राष्ट्रपति) किसी भी समय पदच्युत कर सकेगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति में यह महत्वपूर्ण अंतर है कि राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, उन्हें पदच्युत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। किन्तु राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किए जाते हैं, किंतु उन्हें पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, राज्यपाल को नहीं। राज्य आयोग के किसी सदस्य को हटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत के संबंध में अंतिम आदेश देने तक राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को निलम्बित करने के लिए राज्यपाल अंतरिम आदेश दे सकता है।

संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कदाचार संबंधी जांच का आदेश यदि उच्चतम न्यायालय में लम्बित है और सदस्य की पदावधि समाप्त हो जाती है तो भी न्यायालय जांच हेतु दिए गए राष्ट्रपति के आदेश का उत्तर देगा अर्थात् इस संबंध में दिया गया राष्ट्रपति का निर्देश विफल नहीं होगा।

कोई सदस्य कदाचार का दोषी तभी समझा जाएगा जब वह-

1. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा की गई किसी संविदा या समझौते में हितबद्ध है।
2. यदि वह उक्त संविदा या समझौते से उत्पन्न किसी लाभ या उपलब्धियों में हितबद्ध है, किंतु अनुच्छेद 316(4) यह व्यवस्था करता है कि कदाचार के उक्त प्रावधान किसी निगमित कम्पनी के सदस्य के रूप में अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से लाभ प्राप्त करने वाले सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होते।

वेतन एवं भत्ते: अनुच्छेद 322 के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन-भत्ते सम्बंधित राज्यों की संविदा निधि पर भारित होंगे।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता: संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अन्य प्रावधानों के साथ-साथ अनुच्छेद 319 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-

1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा।
2. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे, किंतु किसी भी स्तर पर अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे।
3. किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में हो सकेगा। यह किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हो सकेगा, किंतु भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन कोई पद प्राप्त करने के लिए अपात्र होगा।
4. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पदधारण नहीं करेगा।

लोक सेवा आयोग के कार्य: संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं-

1. क्रमश: संघ और राज्य की सरकारों में नियुक्ति या भर्ती के लिए परीक्षा का संचालन करना।
2. अनुच्छेद 320 के अनुसार, आयोग (यथास्थिति) राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उसको निर्देशित किए गए विषयों पर परामर्श देगा।
3. अनुच्छेद 321 के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल अपने अधिनियम द्वारा आयोग को संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में या किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था के लिए अतिरिक्त सेवा प्रदान करने का निर्देश दे सकेंगे।
4. अनुच्छेद 323 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को और राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को प्रतिवर्ष अपने द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के संबंध में अपना वार्षिक प्रतिवेदन देंगे।

EBD_7939

5. अनुच्छेद 320(2) की व्यवस्था के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग का वह कर्त्तव्य होगा कि वह दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन विशेष सेवाओं के लिए भर्ती की योजना बनाए जिनके लिए कुछ विशेष योग्यताओं वाले व्यक्ति अपेक्षित हों।
6. किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध करने पर संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति की अनुमति से उस राज्य की सभी या कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेगा।
7. कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा। इन विषयों में उल्लेखनीय है-
   (क) लोक सेवाओं या पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषय
   (ख) लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण और पदोन्नति के मामले
   (ग) अनुशासनात्मक मामले,
   (घ) कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति पर,
   (ड.) शासकीय सेवा में रहते हुए घायल हो जाने के कारण पेंशन देने के मामलों पर।

किंतु–

1. संघ के क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के संबंध में राष्ट्रपति या राज्य के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिसमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे सभी विनियम समुचित विधान मंडल के समक्ष रखे जाएंगे, विधान मंडल उनमें उपान्तरण कर सकेगा।
2. उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि लोक सेवा आयोग से विनिर्दिष्ट विषयों में परामर्श करने की सरकार की बाध्यता से ऐसे किसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होता जो संविधान द्वारा अपेक्षित आयोग से समुचित परामर्श किए बिना सरकार के किसी कार्य से प्रभावित होता है। न्यायालय ने इसका कारण यह दिया है कि संविधान द्वारा विहित परामर्श सरकार को अपचारी अधिकार के दोष निर्धारण के विषय में सहायता देना है या विधिक व्यय के भुगतान के दावे के गुणगान पर विचार में सहायता करना है। आयोग का यह कृत्य शुद्ध रूप से सलाह देने का है। यदि सरकार इन विषयों में किसी कारण आयोग से परामर्श नहीं करती तो इस लोप के कारण सरकार का कृत्य अविधिमान्य नहीं होता और ऐसे कार्य से प्रभावित किसी व्यक्ति को ऐसी अनियमितता या लोप के आधार पर सरकार के विरुद्ध न्यायालय में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

   लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन: अनुच्छेद 323(1) के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष अपने आयोग द्वारा सम्पादित कार्यों का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। यदि राष्ट्रपति ने आयोग के प्रतिवेदन में की गई किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है तो वह स्वीकार न करने के कारणों से भी संसद को अवगत करवाएगा।

   अनुच्छेद 323(2) में वह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य का लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक कार्यकरण से संबंधित अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करे। दो या अधिक राज्यों के लिए स्थापित किया गया संयुक्त लोक सेवा आयोग अपने अधीन आने वाले राज्यों के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं का वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। दोनों ही प्रकार के प्रतिवेदनों को राज्यपाल अपने राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल यदि आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई किसी सिफारिश को अस्वीकार करेगा तो उसे अस्वीकार करने के कारणों से विधानमण्डल को अवगत करवाना होगा।

आयोग की सलाहकारी भूमिका

डी. सिल्वा बनाम भारत संघ, 1962 के मामले में उच्चतम न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी निकाय है। अत: लोक सेवा आयोग का कार्य सिर्फ सलाह देना है। इसका प्रतिफल यह है कि सरकार आयोग द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार पदोन्नति या स्थानांतरण आदि विषयों पर भी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करती है। 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियमों द्वारा स्थापित लोक सेवा आयोग की भूमिका भी केवल सलाहकारी थी। यदि सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार न करे तो उक्त अधिनियमों में किसी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। किन्तु, हमारे संविधान ने इस संबंध में सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया है, वह है- यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को आयोग के प्रतिवेदन को क्रमश: संसद या राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत करना होता है तथा यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग के प्रतिवेदन में की गई किसी सिफारिश को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें यथास्थिति संसद या राज्य विधानमण्डल को अस्वीकार करने के कारणों से अवगत करवाना होता है, यह इस संबंध में स्पष्टीकरण देना होता है। इस स्पष्टीकरण ने इस संबंध में सरकार की मनमानी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है।

अखिल भारतीय सेवाएं

अखिल भारतीय सेवाएं केन्द्रीय सेवाओं से भिन्न हैं। केन्द्रीय सेवाएं संघ की सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय आधार पर सेवा करने के लिए बनाई जाती है। सम्पूर्ण भारत में केन्द्र सरकार के जो भी महत्वपूर्ण विभाग है, उनमें सेवा प्रदान करने के लिए इन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार की सेवाओं में उल्लेखनीय है- भारतीय विदेश सेवा, भारतीय संपरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क सेवा।

अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद अनुच्छेद 312 के प्रावधानों के अनुसार करती है। इन सेवाओं के उदाहरण हैं- भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि। इन पदाधिकारियों की भर्ती, सेवा की शर्तों इत्यादि का नियंत्रण संसद द्वारा होता है। इन सेवाओं के पदाधिकारी राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। अत: ये सेवाएं राज्यों पर केंद्रीत नियंत्रण का सशक्त माध्यम हैं।

मूल अधिकार और लोक सेवा आयोग

संविधान संसद को सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों पर लागू होने वाले मूल अधिकारों का उपांतरण का संशोधन करने का अधिकार तो देता है, किंतु लोक सेवकों या असैनिक सेवकों के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अत: लोक सेवकों को भी सामान्य नागरिकों की भांति मूल अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) से खण्ड (6) में विनिर्दिष्ट आधारों पर लोक सेवकों के मूल अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किंतु ये प्रतिबंध 'युक्तियुक्त' आधारों पर ही लगाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 309 के अनुसार, राज्य को भी सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। लोक सेवक में दक्षता, ईमानदारी, निष्पक्षता और अनुशासन आदि गुणों की आवश्यकता होती है। राज्य को वह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वह यह सुनिश्चित करे कि लोक सेवक में ये गुण हैं या नहीं। यदि व्यक्ति में इन गुणों का अभाव है तो राज्य उन्हें लोक सेवा में आने से रोक सकता है, किंतु ऐसा युक्तियुक्तता पर आधारित होना चाहिए अर्थात् इनका लोक सेवा में शर्तों से सीधा निकट का तथा तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

लोकसेवा अधिकारियों को प्राप्त रक्षोपाय

सभी सरकारी सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पदधारण करते हैं, किंतु लोक सेवकों को पदावधि के संबंध में कुछ रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं, जो सैनिक कर्मचारियों से भिन्न हैं। वे रक्षोपाय निम्नलिखित हैं-

(क) अनुच्छेद 311(1) के अनुसार, कोई भी सिविल सेवक उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा उपच्युत नहीं किया जाएगा।

(ख) किसी भी सिविल सेवक के विरुद्ध पदच्युति या पद से हटाये जाने अथवा पंक्ति से अवनत अर्थात् अधिकारी के स्तर या रैंक में कमी करना किए जाने का आदेश तभी दिया जा सकेगा, जब उसे उस पर लगाए गए आरोपों की बाबत सुनवाई का 'युक्तियुक्त अवसर' दिया गया हो। 'युक्तियुक्त अवसर' अभिव्यक्ति के निम्नलिखित अर्थ लगाए जाने चाहिए-

1. लोक सेवकों को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार करने और अपने को निर्दोष साबित करने का समुचित अवसर देना अर्थात् लोक सेवक को यह बताया जाए कि उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं तथा ये आरोप किन आधारों पर लगाए गए हैं।
2. सम्बद्ध सरकारी सेवक को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में उत्तर देने का अवसर देना होगा।
3. उसके उत्तर पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय करना होगा।
4. अभियुक्त के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने से पहले नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन करना होगा।

यहां यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जब किसी कर्मचारी को अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है, किंतु यदि वह अवसर का फायदा नहीं उठाता तो उसके संबंध में कोई जांच करना आवश्यक नहीं है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की उच्चतम न्यायालय ने शाहदूल बनाम रजिस्ट्रार, 1974 के वाद में स्थापित किया। किंतु घनश्याम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1973 के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में जांच करना आवश्यक न समझना अविधिमान्य होगा, जहां सरकार द्वारा निर्वाह भत्ता न दिए जाने के कारण प्रभावित व्यक्ति जांच के लिए हाजिर न हो सके।

अनुच्छेद 311 में यह भी प्रावधान है कि अभियुक्त को फौजीदारी सजा सुनाई गई है तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो कि इस आरोप की जांच राष्ट्रहित के विरुद्ध है तथा संबंधित जांच अधिकारी यह पुष्टि लिखित रूप में कर दें कि जांच संभव नहीं है तो जांच की प्रक्रिया को टाल दिया जाता है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
   (a) यह राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा-निर्देश भेजता है।
   (b) इसके सभी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते है।
   (c) यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है।
   (d) इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं हैं।
2. सिविल सेवा में सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियाँ/आयोग में कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं हैं?
   (a) के. सन्थानम - भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवाएँ और जिला प्रशासन की समस्याएँ
   (b) डी. एस. कोठारी - भारतीय सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियाँ
   (c) सतीष चन्द्रा - सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु
   (d) वाई. के. अलघ - दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग
3. राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
   (a) राष्ट्रपति (b) राज्यपाल
   (c) अध्यक्ष लोक सेवा आयोग (d) अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग
4. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण उन व्यक्तियों की सेवा के बारे में विवादों और शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है जो-
   (a) रक्षा बलों के सदस्यों को छोड़कर, संघ के मामलों से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त है
   (b) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के पदधारी और सेवक हैं
   (c) संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य या सचिवालयी स्टाफ हैं
   (d) रक्षा बलों के सदस्य हैं
5. संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य कदाचार का दोषी होगा यदि
   (a) यदि वह किसी निजी कम्पनी में निवेश करता है तथा ब्याज प्राप्त करता है
   (b) किसी निगमित कम्पनी से किसी प्रकार सम्बद्ध है
   (c) सरकार की ओर से कोई संविदा करते समय लाभ प्राप्त करता है
   (d) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

EBD_7939

6. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन असत्य है?
   (a) वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम भाषा संस्कृत है
   (b) प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया
   (c) वर्ष 1976 में राजभाषा (विधायी) आयोग को समाप्त कर दिया गया
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
7. केन्द्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पड़ी?
   (a) चार्टर अधिनियम, 1833
   (b) रेग्यूलेटिंग अधिनियम, 1773
   (c) चार्टर अधिनियम, 1853
   (d) पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784
8. नई अखिल भारतीय सेवा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है?
   (a) राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा
   (b) संसदीय अधिनियम द्वारा
   (c) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
   (d) यू पी एस सी के संकल्प द्वारा
9. निम्न में से किसके द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकार, निगमित निकाय या लोक संस्थान के कार्मिक तन्त्र को संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में रखा जा सकता है?
   (a) राष्ट्रपति (b) केन्द्रीय कार्मिक मन्त्रालय
   (c) संसद (d) उच्चतम न्यायालय
10. संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से सम्बन्धित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
   (a) 1909 का अधिनियम (b) 1919 का अधिनियम
   (c) 1930 का अधिनियम (d) 1947 का अधिनियम
11. संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है?
   (a) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
   (b) राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा
   (c) संसद के अधिनियम द्वारा
   (d) सम्बन्धित राज्यों के विधानमण्डल के प्रस्ताव द्वारा
12. अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है?
   (a) भारत के राष्ट्रपति (b) भारतीय संविधान
   (c) भारतीय संसद (d) संघ लोक सेवा आयोग
13. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण उन व्यक्तियों की सेवा के बारे में विवादों और शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है, जो
   (a) रक्षा बलों के सदस्यों को छोड़कर, संघ के मामलों से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त है
   (b) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के पदधारी और सेवक हैं
   (c) संसद या किसी राज्य विधानमण्डल के सदस्य या सचिवालयी स्टाफ हैं
   (d) रक्षा बलों के सदस्य हैं
14. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण उन व्यक्तियों की सेवा के बारे में विचारों और शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है, जो
   (a) रक्षा बलों के सदस्यों को छोड़कर, संघ के मामलों से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हैं
   (b) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के पदधारी और सेवक हैं
   (c) संसद या किसी राज्य विधानमण्डल के सदस्य या सचिवालयी स्टाफ है
   (d) रक्षा बलों के सदस्य हैं
15. संघ और राज्यों के लेखा खातों का रख-रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा?
   (a) भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारत के वित्तमन्त्री
   (b) योजना आयोग की स्वीकृति से भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक
   (c) राष्ट्रपति की स्वीकृति से भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक
   (d) भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति
16. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
   (a) संसद (b) प्रधानमंत्री
   (c) राष्ट्रपति (d) मंत्रिमण्डल
17. राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् जिस नियोजन के लिए पात्र है, वह नियोजन है-
   (a) संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष
   (b) राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद
   (c) संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
18. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (Indian Institute of Public Administration) की स्थापना कब हुई थी?
   (a) मार्च, 1950 (b) मार्च, 1954
   (c) अप्रैल, 1951 (d) मार्च, 1955
19. पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ?
   (a) महाराष्ट्र (b) बिहार
   (c) राजस्थान (d) पं. बंगाल
20. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
   (a) राष्ट्रपति (b) राज्यपाल
   (c) मुख्यमंत्री (d) प्रधानमंत्री
21. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय राज्य सूची में नहीं है?
   (a) पुलिस
   (b) स्थानीय शासन
   (c) वन
   (d) सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
22. भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है?
   (a) मसूरी (b) माउण्ट आबू
   (c) नागपुर (d) हैदराबाद

23. अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है?
(a) राष्ट्रपति (b) संघ लोक सेवा आयोग
(c) 2/3 बहुमत से राज्य सभा (d) 2/3 बहुमत से लोक सभा

24. कर्मचारी चयन आयोग (अधीनस्थ कर्मचारी सेवा आयोग) का गठन कब हुआ था?
(a) 1 जुलाई, 1954 (b) 1 जुलाई, 1976
(c) 1 जुलाई, 1980 (d) 1 अगस्त, 1963

25. निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी संघीय कर से सम्बन्धित हैं?
(a) आयकर (b) कस्टम अधिकारी
(c) कॉर्पोरेशन कर (d) भू-राजस्व

26. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है?
(a) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो
(b) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो
(c) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो
(d) 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो

27. सुशासन (Good Governance) की धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था?
(a) यू. एन. डी. पी. (b) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) ई. सी. डी. सी. (d) विश्व बैंक

28. किस राज्य के अन्दर बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद् (बीटीसी), एक स्वायत्त स्व. शासी निकाय, बनाया गया था?
(a) असोम (b) मिजोरम
(c) नागालैंड (d) मेघालय

29. केन्द्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है?
(a) योजना आयोग (b) संघीय वित्त मन्त्री
(c) वित्त आयोग (d) राष्ट्रीय विकास परिषद्

30. सही विकल्प चुनें:
दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
(a) भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
(b) संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
(c) सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा
(d) सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा

31. किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है?
(a) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(b) प्रधानमंत्री
(c) लोक सभा का अध्यक्ष
(d) भारत के राष्ट्रपति

32. भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिये निम्न में से कौन सही है?
(a) यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है।
(b) इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना-देना नहीं है।
(c) इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं।
(d) यह राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा-निर्देश भेजता है।

33. निम्नलिखित में से कौन सही है?
संघ लोक सेवा आयोग एक-
(a) नियामक संगठन है
(b) वैधानिक संगठन है
(c) संसदीय अध्यादेश से स्थापित है
(d) संवैधानिक संगठन है

अभ्यास प्रश्न-2

1. निम्नलिखित में कौन-सा/से कथन असत्य है?
1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. भारत में सर्वप्रथम सन् 1919 के भारत शासन अधिनियम के अधीन 1924 के "ली कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
3. 1917 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
4. संविधान के अनुच्छेद 315 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा।

कूट:
(a) 1 और 2 (b) केवल 3
(c) 3 और 4 (d) केवल 4

2. एक लोक सेवक का आपराधिक दायित्व एक सामान्य नागरिक के समान ही है। मगर इनके कुछ अपवाद है नीचे दिए गये अपवादों में कौन-सा अपवाद सत्य है?

1. **भारतीय दंड संहिता की धारा 77 और 78 के अनुसार:** किसी लोक सेवक का न्यायिक कार्यों या न्यायिक आदेश के अनुसरण में किए गए कार्यों के संबंध में कोई दायित्व नहीं है।
2. **भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार:** न्यायिक अधिकारियों से भिन्न अधिकारी को भी ऐसे कार्यों के लिए उन्मुक्ति प्राप्त होगी जो विधि या तथ्य संबंधी किसी भूल के कारण सद्भावनापूर्वक किसी विधि को आबद्धकर समझता था।
3. **दंड प्रकिया की धारा 197 के अनुसार:** ऐसा कोई लोक सेवक, जिसे केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, यदि वह अपने शासकीय कृत्यों के अनुसरण में किसी अपराध का अभियुक्त है तो उसके विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति से ही की जाएगी।
4. **अनुच्छेद 34 के अनुसार:** ऐसे क्षेत्र में, जिसमें सैन्य विधि प्रवृत्त है, व्यवस्था बनाए रखने या पुन:स्थापित करने के लिए किए गए अधिकारियों के कार्यों को संसद "उन्मुक्ति अधिनियम" बनाकर विधिमान्य घोषित कर सकेगी।

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 3 और 4
(c) 1, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. 92वाँ संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और सन्थाली भाषा को जोड़ा गया।
   2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूलत: 14 भाषाएँ थीं, परन्तु वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं।
   3. 21वाँ संशोधन अधिनियम, 1966 द्वारा आठवीं अनुसूची में सिन्धी भाषा जोड़ी गई।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. भारतीय संविधान के भाग XVII में भाषा का उल्लेख किया गया है।
   2. अनुच्छेद 345 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
   3. संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।
   4. अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति गठित करने का उपबन्ध करता है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2 और 4

5. लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा आयोग का सदस्य न रहने की स्थिति में किसी पद को ग्रहण करने सम्बन्धी प्रतिबन्ध के सन्दर्भ में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं?
   1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करने का पात्र नहीं होगा।
   2. राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सदस्य अथवा किसी दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकेगा, किन्तु भारत सरकार या राज्य सरकार में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
   3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर उसका कोई भी सदस्य यू पी एस सी के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
   4. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर उसका कोई भी सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या किसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, किन्तु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियुक्त नहीं हो सकता है।

कूट

(a) केवल 1 (b) 2 और 4
(c) 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

6. अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाती है?
   1. भारत के राष्ट्रपति
   2. विधानसभा के अध्यक्ष
   3. विधानसभा के विपक्ष के नेता
   4. राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
   5. विधानपरिषद् मे विपक्ष के नेता

कूट

(a) 1, 4 और 5 (b) 1, 2 और 4
(c) 3 और 4 (d) 3, 4 और 5

7. समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. राज्य के लिए एक बाध्यकारी स्थिति है कि एक समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) सब पर लागू की जा सकती है।
   2. समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) सम्बन्धी प्रावधान संविधान के भाग-3 में दिया गया है।
   3. समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) सम्बन्धी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता है।
   4. भारत में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि 10 वर्ष की अवधि में समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) सभी पर लागू कर दी जाए।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 3 (b) 2 और 4
(c) 3 और 4 (d) 1, 2 और 4

8. कर्मचारी चयन आयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
   1. इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई।
   2. यह कार्यालय कार्मिक मन्त्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है।
   3. इसका गठन कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा हुआ।
   4. यह आयोग केन्द्र सरकार के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सचिवालय में क्लास-III के गैर-तकनीकी पदों पर कार्मिक की भर्ती करता है।

कूट

(a) 1, 2 और 4 (b) 2, 3 और 4
(c) 3 और 4 (d) 2 और 4

9. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सम्बन्ध में निम्न में से क्या सही है?
   1. इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 312(A) के उपबन्धों के अधीन की गई।
   2. इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हुआ।
   3. इसका गठन वर्ष 1985 में हुआ।
   4. इसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा हुआ।

कूट

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

10. निम्नलिखित किन-किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उच्चतम न्यायालय को मामले भेजे बिना ही पदच्युत कर सकता है?
    1. यदि वह सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय से बाहर अन्यत्र कोई लाभ का पद ग्रहण करता है।
    2. यदि उसे दिवालिया करार दिया जाता है।
    3. यदि मानसिक या शारीरिक दुर्बलतावश वह पद पर बना नहीं रह सकता है।
    4. यदि वह किसी भी प्रकार भारत सरकार, किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके पक्ष में किए गए किसी करार या समझौते से सम्बद्ध होता है या उसमें रुचि रखता है।

EBD_7939

कूट

(a) 2 और 3 (b) केवल 4
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
    1. संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यो की संख्या निर्धारित नहीं है।
    2. संघ लोक सेवा आयोग की कुल संख्या के आधे सदस्यों को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए।
    3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर 5 वर्ष तक या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक बने रह सकते हैं।
    4. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।
    5. संघ लोक सेवा आयोग के सभी खर्चों का प्रबन्ध भारत की संचित निधि से किया जाता है।

    कूट

    (a) 2, 4 और 5 (b) 1 और 5
    (c) 2, 3 और 4 (d) 1, 4 और 5

12. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा लेता है
    1. केन्द्रीय सेवाओं के लिए
    2. अखिल भारतीय सेवाओं के लिए
    3. राज्य सेवाओं के लिए
    4. संयुक्त रूप से दो-या-दो से अधिक राज्यों की सेवाओं के लिए

    कूट

    (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 2
    (c) केवल 1 (d) 1 और 2

13. प्रशासनिक उपबन्धों तथा तत्सम्बन्धित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची-I व सूची-II का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए-

    सूची-I

    (A) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र
    (B) अखिल भारतीय सेवाएँ
    (C) भारत का नियंत्रक-लेखा महा-परीक्षक
    (D) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण

    सूची-II

    1. दूसरी अनुसूची 2. पाँचवीं अनुसूची
    3. सातवीं अनुसूची 4. छठवीं अनुसूची

	(A)	(B)	(C)	(D)
(a)	3	4	1	2
(b)	4	3	2	1
(c)	4	3	1	2
(d)	3	4	2	1

14. नीचे दिए हुए दोनों वक्तव्यों पर विचार कीजिए इनमें से एक वक्तव्य को कथन (A) कहा गया है तथा दूसरे को कारण (R).
    कथन (A): अनुच्छेद 312 के अधीन राज्य सभा को राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवाओं की रचना करने की शक्ति प्राप्त है
    कारण (R): राज्य सभा राष्ट्रीय हित को अधिक अच्छा परिभाषित कर सकती है
    उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में
    निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
    (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है
    (b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता
    (c) A सही है, लेकिन R गलत है
    (d) A गलत है, लेकिन R सही है

15. नीचे दिए हुए दोनों वक्तव्यों पर विचार कीजिए इनमें से एक वक्तव्य को कथन (A) कहा गया है तथा दूसरे को कारण (R)
    कथन (A): संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है
    कारण (R): संघ लोक सेवा आयोग सांविधानिक निकाय है
    इन वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सही है?
    (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है
    (b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है
    (c) A सही है, किन्तु R गलत है
    (d) A गलत है, किन्तु R सही है

16. निम्नलिखित दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए इनमें से एक वक्तव्य को कथन (A) कहा गया है तथा दूसरे को कारण (R).
    कथन (A): प्रशासनिक सुधार आयोग का कथन था कि परिसंघीय ढाँचे में अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना, किन्तु उनका संघ द्वारा नियंत्रित होना असामान्य लक्षण है।
    कारण (R): अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में संविधान के अनुच्छेद 312 ने पूरा अधिकार संसद को दिया है
    उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सही है?
    (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है
    (b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता
    (c) A सही है, लेकिन R गलत है
    (d) A गलत है, लेकिन R सही है

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(d)	**5**	(c)	**9**	(c)	**13**	(a)	**17**	(a)	**21**	(c)	**25**	(d)	**29**	(c)	**33**	(d)		
2	(d)	**6**	(a)	**10**	(b)	**14**	(a)	**18**	(b)	**22**	(d)	**26**	(b)	**30**	(a)				
3	(b)	**7**	(b)	**11**	(d)	**15**	(d)	**19**	(c)	**23**	(c)	**27**	(d)	**31**	(d)				
4	(a)	**8**	(a)	**12**	(c)	**16**	(c)	**20**	(b)	**24**	(b)	**28**	(a)	**32**	(b)				

अभ्यास-2

1	(b)	**3**	(d)	**5**	(d)	**7**	(a)	**9**	(c)	**11**	(b)	**13**	(c)	**15**	(d)				
2	(d)	**4**	(c)	**6**	(d)	**8**	(b)	**10**	(d)	**12**	(d)	**14**	(c)	**16**	(b)				

EBD_7939

सरकार और लोक सेवक: अधिकार एवं दायित्व

17 अध्याय

सरकार और लोक सेवक

केन्द्र एवं राज्यों की सम्पत्ति: केन्द्र और राज्यों के संविधान के द्वारा विधिक व्यक्ति माना गया है। अर्थात् ये सम्पत्ति के स्वामी हो सकते हैं, सम्पत्ति का अर्जन कर सकते हैं, व्यापार एवं कारोबार कर सकते हैं। इनको ये अधिकार अन्य प्राइवेट या निजी व्यक्तियों के समान ही संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। केन्द्र और राज्य अनेक प्रकार से सम्पत्ति का अर्जन कर सकते हैं। इस संबंध में इनके प्रमुख साधन या स्रोत निम्नलिखित हैं–

1. अनुच्छेद 294 और 295 के अनुसार, संविधान के प्रारंभ के समय जो सम्पत्ति डोमिनियम ऑफ़ इंडिया के गवर्नर या किसी प्रान्त के गवर्नर या देशी रियासत के अधीन थी, वह संविधान के लागू होने पर केन्द्र या तत्समान राज्य को प्राप्त हो जाएगी।
2. अनुच्छेद 296 में यह व्यवस्था है कि वह सम्पत्ति जो किसी अधिकारवान स्वामी के अभाव में स्वामीहीन होने पर इस संविधान के प्रारम्भ होने से पूर्व यथास्थिति 'हिज मेजेस्टी' या देशी राज्य के शासक को प्राप्त हुई होती है, इस संविधान के लागू होने पर उस राज्य की सरकार को प्राप्त होगी जिसके अधीन राज्यक्षेत्र में वह सम्पत्ति स्थित है। किसी अन्य दशा में वह सम्पत्ति केन्द्र सरकार को प्राप्त होगी।
3. अनुच्छेद 297 के अनुसार, भारत के राज्यक्षेत्र में आने वाले समुद्र या सागर के नीचे की समस्त भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें केन्द्र सरकार में निहित होगी।
4. समवर्ती सूची की प्रविष्टी संख्या 42 के अनुसार, केन्द्र और राज्य दोनों ही किसी सम्पत्ति का अन्वेषण, अर्जन या अधिग्रहण करने के लिए विधि बनाने में सक्षम होंगे।
5. 1978 में किए गए संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31(2) को शून्य करके प्रतिकार या मुआवजा देने की संवैधानिक बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
6. अनुच्छेद 298 यह व्यवस्था करता है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अपने उद्देश्यों के लिए अन्य प्राइवेट या निजी व्यक्तियों के समान ही क्रय करके या संविदा कर सकेंगी तथा विक्रय या विनिमय द्वारा सम्पत्ति का अर्जन कर सकेंगी। किन्तु, अनुच्छेद 300 (क) यह कहता है कि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति की अनिवार्य अर्जन केवल प्राधिकृत या सक्षम विधि के द्वारा ही हो सकेगा।

केन्द्र और राज्यों की व्यापार करने की शक्ति

केन्द्र या किसी राज्य की सरकार कोई भी व्यापार या कारोबार करने में सक्षम होगी, किंतु यह व्यापार या कारोबार सक्षम विधानमण्डल द्वारा विनियमित किया जा सकेगा। अनुच्छेद 298 (क) में यह व्यवस्था है कि यदि केन्द्र सरकार राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में (उदाहरण के लिए कृषि) व्यापार या कारोबार करती है तो वह व्यापार या कारोबार राज्य विधानमंडल की विधायी अधिकारिता के अधीन होगा। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि जब केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अपने किसी व्यापार या कारोबार के संबंध में विधान बनाती है तब उन्हें उन संवैधानिक मर्यादाओं से उन्मुक्ति होती है जिनके वह अन्यथा अधीन होती है। इसके अलावा यदि राज्य युक्तियुक्त औचित्य के बिना किसी निजी व्यापारी के पक्ष में किसी ऐसे एकाधिकार का सृजन करता है तो न्यायालय ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, किंतु यदि केन्द्र या राज्य के पक्ष में ऐसे किसी एकाधिकार का सृजन किया जाता है तो इसकी युक्तियुक्ता को किस न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अतएव केन्द्र या राज्य न केवल व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, बल्कि ऐसे व्यापार की बाबत अपने पक्ष में किसी एकाधिकार का सृजन भी कर सकते हैं। इसे प्राय: व्यापार का राष्ट्रीयकरण कहा जाता है।

सरकारी समझौते के लिए औपचारिकताएँ

केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अन्य प्राइवेट या निजी व्यक्तियों के समान संविदा या समझौता करने की शक्ति है, किंतु सरकार की समझौता औपचारिकताओं के अधीन होती है। समझौता करने की उक्त अधिकारिता तथा औपचारिकताएं निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्रपति या राज्यपाल (यथास्थिति) द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति ही संविदा का निष्पादन करेगा।
2. संविदा का निष्पादन राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से तथा उसके नाम पर ही किया जाएगा।

यदि इन शर्तों में से किसी का अनुपालन नहीं किया जाता तो संविदा सरकार पर न तो आबद्धकर होगी और न ही सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय। यदि किसी अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कोई समझौता किया है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया जा सकेगा।

केन्द्र या राज्यों के विरुद्ध वाद

अनुच्छेद 300(1) में की गई व्यवस्था का सार यह है कि एक विधिक व्यक्ति के समान केन्द्र सरकार या किसी राज्य की सरकार–

1. किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध वाद ला सकती है।
2. कोई व्यक्ति या सरकार केन्द्र या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध वाद ला सकता है।

वाद लाने की शक्ति

अनुच्छेद 131 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार, भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है तथा प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य के नाम वाद ला सकती है। इस प्रकार का वाद किसी प्राइवेट या निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है तथा किसी अन्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के विरुद्ध भी। उदाहरण के लिए, संघ किसी व्यक्ति अथवा

एक या अधिक के विरुद्ध वाद ला सकता है, कोई राज्य किसी व्यक्ति अथवा किसी अन्य राज्य या संघ के विरुद्ध वाद ला सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब वाद किसी प्राइवेट या निजी व्यक्ति के विरुद्ध होता है तो वह वाद निम्नतम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में प्रारंभ किया जाता है। दो या अधिक राज्यों अथवा केन्द्र एवं राज्यों के मध्य का कोई विवाद केवल उच्चतम न्यायालय में ही प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि उसे ही इस संबंध में अनन्य आरम्भिक अधिकारिता है।

वाद के प्रति दायित्व

इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 300 संविदा संबंधी दायित्वों एवं अपकृत्य या सिविल दोष से संबंधित दायित्वों एवं अपकृत्य या सिविल दोष संबंधित दायित्वों में भेद करता है अर्थात् अनुच्छेद 299 में वर्णित औपचारिकताओं एवं अन्य कानूनी दशाओं या परिसीमाओं में रहते हुए सरकार का संविदा दायित्व वैसा ही है जैसा कि किसी प्राइवेट या निजी व्यक्ति का संविदा की सामान्य विधि के अधीन होता है। अपकृत्य या सिविल दोष के संबंध में भारत में विद्यमान विधि सरकार के प्रभुतासंपन्न और प्रभुताहीन कृत्यों में विभेद करती है।

प्रभुतासंपन्न कृत्य

सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा अपने प्रभुत के भीतर किए गए अपकृत्यों या सिविल दोषों के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकेगा। इस प्रकार के कृत्यों के उदाहरण हैं- युद्ध के दौरान माल या सम्पत्ति का अधिग्रहण सेना के लिए सड़क बनाना या अन्य कोई सुरक्षात्मक कार्य, न्याय प्रशासन इत्यादि।

प्रभुताहीन कृत्य

अर्थात् ऐसे कृत्य जो सरकार की प्रभुता के अधीन नहीं है और जिनसे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को हानि हुई है। इस प्रकार की क्षति के उदाहरण है- विधि के विरुद्ध कोई लाभ प्राप्त करना और लौटाने से मना करना, सरकार द्वारा प्रकाशित संकल्प से होने वाली मानहानि।

राज्य के प्रधान के विरुद्ध वाद

ऐतिहासिक कारणों से कुछ मामलों में राज्य को दायित्व से उन्मुक्ति है, किंतु हमारे संविधान में किसी लोक सेवक को ऐसे शासकीय कृत्यों के लिए जो देश सामान्य विधि के अधीन विधि विरुद्ध है, कोई उन्मुक्ति नहीं दी गई है। इस नियम का अपवाद वह उन्मुक्ति है जो राज्य के अध्यक्षों अर्थात् राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई है।

संविधान (41वां संशोधन) विधेयक, 1975 द्वारा अनुच्छेद 361 का संशोधन करके राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री के विरुद्ध उनकी पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी दण्डिक कार्यवाही करने पर रोक लागाई जा रही थी, किंतु 1977 में श्रीमती गांधी के पद से हटाए जाने के पहले यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री को अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसके शासकीय कृत्यों के लिए उन्मुक्ति

संविधान किसी लोकसेवक को ऐसे शासकीय कृत्यों के लिए जो देश की सामान्य विधि का उल्लंघन करते हैं, कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता। किंतु संविधान की इस व्यवस्था का अपवाद अनुच्छेद 361 है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए किए गए समस्त कार्यों, चाहे वे राजनीतिक हो, सरकारी हो या वैयक्तिक, के संबंध में उन्मुक्ति प्रदान करता है। यहां वह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सरकारी कार्य यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से तथा उसकी ओर से ही किया जाता है। अनुच्छेद 361 के तहत प्रदान की गई उन्मुक्ति का अर्थ विधिक कार्यवाही या न्यायालय में किसी कार्यवाही से उन्मुक्ति है, विधानमंडल इसका अपवाद है। अत: शासकीय कर्त्तव्यों के प्रयोग में किए गए असंवैधानिक कार्यों के लिए अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति पर संसद महाभियोग लगा सकती है। असंवैधानिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 361 के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति सिविल कार्यवाहियों के संबंध में प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध उनके व्यक्तिगत कार्यों की बाबत सिविल कार्यवाहियां की जा सकती हैं, किंतु राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस संबंध में दो मास की लिखित सूचना देने के बाद।

मंत्रियों की स्थिति

संविधान में मंत्रियों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के समान कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई है जबकि राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके शासकीय कृत्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान की गई है। मंत्रियों की विचित्र स्थिति के कारण, राष्ट्रपति या राज्यपाल के शासकीय कार्यों के लिए भी किसी मंत्री को न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि शासकीय कार्य राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं। यह उन्मुक्ति शासकीय कार्यों के संबंध में है, व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्यों के संबंध में नहीं।

पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कार्य

राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपनी पदावधि के दौरान किए गए अवैध व्यक्तिगत कार्यों के लिए उन्मुक्ति विशेष अवधि के लिए ही परिसीमित है, जो इस प्रकार है-

(क) अपराध के लिए उनके विरुद्ध जब तक वे पद पर बने रहते हैं तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, किंतु अवधि की समाप्ति पर, पद से हटाए जाने पर या अन्यथा पदावधि के पश्चात् ऐसी कार्यवाही किए जाने पर कोई रोक नहीं है।

(ख) सिविल कार्यवाहियों के बारे में ऐसी कोई उन्मुक्ति नहीं है, किंतु संविधान ने एक प्रक्रियात्मक शर्त लगा दी है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को दो मास की लिखित सूचना देने के बाद कार्यवाही की जा सकती है।

लोक अधिकारियों की वाद-शाक्यता

संविधान में सरकारी सेवकों द्वारा अपनी शासकीय या व्यक्तिगत हैसियत में किए गए विधि विरोधी कार्यों के लिए व्यक्तिगत दायित्वों के बारे में कोई विभेद नहीं किया गया है। संविधान में लोक सेवकों के दायित्व के बारे में केवल एक उपबंध है, किंतु साधारण विधि में उसके शासकीय कार्यों के बारे में दायित्व के संबंध में कुछ शर्तें अधिरोपित की गई हैं। यह विश्लेषण निम्न रूप में प्रस्तुत है:

1. संविदा

अनुच्छेद (2) के अनुसार, यदि सरकारी सेवक द्वारा अपनी शासकीय हैसियत में की गई संविदा अनुच्छेद 299 में की गई है तो ऐसी संविदा की बाबत सम्पृक्त सरकार उत्तरदायी होगी, वह अधिकारी नहीं जिसने

EBD_7939

संविदा निष्पादित की थी। किंतु, यदि संविदा अनुच्छेद 299(2) के अनुसार नहीं की गई है तो जिस अधिकारी ने उसका निष्पादन किया था, वह उसके लिए विधि के अनुसार उत्तरदायी होगा चाहे संविदा से उसने कोई व्यक्तिगत फायदा न उठाया हो।

2. अपकृत्य

भारत में सरकार अपने प्रभुतासंपन्न कृत्यों के लिए हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऐसे मामलों में जिस अधिकारी के माध्यम से कार्य किया जाता है, उसे भी पूरी उन्मुक्ति प्राप्ति है। अन्य मामलों में सरकार के विरुद्ध और व्यक्तिगत रूप से अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी जब तक कि-

(क) वह कार्य विधि द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों के अनुपालन में सद्भावनापूर्वक किए गए न हो।

(ख) वह न्यायिक अधिकारी न हो। इस अधिनियम द्वारा न्यायिक अधिकारी को उसके शासकीय कृत्यों के निर्वहन के लिए कार्यों में सिविल कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति दी गई है।

किंतु किसी लोक के लिए जो ऐसे कार्य की बाबत हो जो लोक अधिकारी ने अपने शासकीय कृत्य में किए हो या जिसका इस प्रकार किया जाना तात्पर्यित हों, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80-82 की प्रक्रिया संबंधी परिसीमाओं के अधीन होगी। इसमें यह शर्त भी है कि ऐसा वाद लाने के पहले दो मास की सूचना दी जानी चाहिए।

लोक सेवकों का आपराधिक दायित्व

एक लोक सेवक का आपराधिक दायित्व एक सामान्य नागरिक के समान ही है। इसके निम्नलिखित अपवाद हैं-

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 77-78 के अनुसार- किसी लोक सेवक का न्यायिक कार्यों का न्यायिक आदेश के अनुसरण में किए गए कार्यों के संबंध में कोई दायित्व नहीं है।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार- न्यायिक अधिकारियों से भिन्न अधिकारी को भी ऐसे कार्यों के लिए उन्मुक्ति प्राप्त होगी जो विधि या तथ्य संबंधी किसी भूल के कारण सद्भावनापूर्वक किसी विधि को आबद्धकर समझता था।
3. दंड प्रक्रिया की धारा 197 के अनुसार- ऐसा कोई लोक सेवक जिसे केन्द्र या राज्य सरकार की मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है यदि वह अपने शासकीय कृत्यों के अनुसरण में किसी अपराध का अभियुक्त है तो उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही यथास्थिति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति से ही की जाएगी।
4. अनुच्छेद 34 के अनुसार- ऐसे क्षेत्र में, जिसमें सैन्य विधि प्रवृत्ति है, व्यवस्था बनाए रखने या पुनः स्थापित करने के लिए किए गए अधिकारियों के कार्यों को संसद 'उन्मुक्ति अधिनियम' बनाकर निधिमान्य घोषित कर सकेगी।

अभ्यास प्रश्न-1

1. **गोलकनाथ** *बनाम* **पंजाब सरकार** केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या स्थिर किया गया?
   (a) संसद मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है या छीन सकती है
   (b) ससद को मूल अधिकारों को सीमित करने अथवा संशोधित करने का अधिकार नहीं है
   (c) राष्ट्रपति को ही मूल अधिकारो में परिवर्तन करने का अधिकार है
   (d) मूल अधिकारों में परिवर्तन केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गोलकनाथ** *बनाम* **पंजाब सरकार** के केस में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए सविधान में कौन-सा संशोधन किया गया?
   (a) 42वाँ (b) 24वाँ
   (c) 44वाँ (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. 1967 में कई राज्यों में संयुक्त विधायक दलों का गठन हुआ था संविदा सरकार भी बनीं किन्तु वह स्थायी सिद्ध न हो सकीं उनका एक अपवाद .....है-
   (a) बिहार (b) मध्य प्रदेश
   (c) उड़ीसा (d) उत्तर प्रदेश
4. भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया?
   (a) संघ लोक सेवा आयोग (b) योजना आयोग
   (c) प्रशासनिक सुधार आयोग (d) सरकारिया आयोग
5. निम्नलिखित में से किस लेख (Writ) के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है, जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए?
   (a) उत्प्रेषण (b) परमादेश
   (c) निषेधाज्ञा (d) बंदी प्रत्यक्षीकरण
6. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था-
   (a) जरूरतमन्दों को वस्तुओं (goods) तथा सेवाओं का वितरण
   (b) पिछड़े समुदायों की समस्याओं का समाधान
   (c) छुआछूत उन्मूलन
   (d) विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना
7. राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् जिस नियोजन के लिए पात्र है, वह नियोजन है-
   (a) संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष
   (b) राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद
   (c) संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

8. दो या अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
   (a) प्रधानमंत्री
   (b) आपसी सहमति से सम्बन्धित राज्यों के राज्यपाल
   (c) राष्ट्रपति
   (d) केन्द्रीय गृहमंत्री
9. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से सम्बन्धित है?
   (a) अनुच्छेद 112 (29) (b) अनुच्छेद 146 (3)
   (c) अनुच्छेद 148 (6) (d) उपर्युक्त सभी
10. भारत के केन्द्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण निम्नलिखित के अधिकार क्षेत्र में आता है-
   (a) नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक
   (b) लोक लेखा समिति
   (c) अनुमान समिति
   (d) उपर्युक्त सभी
11. लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है?
   (a) कार्यपालिका के (b) व्यवस्थापिका के
   (c) न्यायपालिका के (d) उपर्युक्त सभी के
12. किस राज्य के अन्दर बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद् (बीटीसी), एक स्वायत्त स्व. शासी निकाय, बनाया गया था?
   (a) असोम (b) मिजोरम
   (c) नागालैंड (d) मेघालय
13. केन्द्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है?
   (a) योजना आयोग (b) संघीय वित्त मन्त्री
   (c) वित्त आयोग (d) राष्ट्रीय विकास परिषद्
14. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धान्तों की अनुशंसा करता है?
   (a) वित्त आयोग (b) अन्त:राज्यीय परिषद्
   (c) केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय (d) लोक लेखा समिति
15. निम्नलिखित में से किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अधिमत दिये जो केन्द्र-राज्य सम्बंधों से प्रत्यक्षत: संबंधित हैं?
   (a) केशवानंद भारती वाद
   (b) विशाखा वाद
   (c) एस. आर. बोम्मई वाद
   (d) इंदिरा साहनी वाद
16. केन्द्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है?
   (a) सलाहकार अधिकारिता
   (b) आरम्भिक अधिकारिता
   (c) अपीलीय अधिकारिता
   (d) सांविधानिक अधिकारिता
17. केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है-
   (a) अनुच्छेद 168-171 के अन्तर्गत
   (b) अनुच्छेद 268-281 के अन्तर्गत
   (c) अनुच्छेद 278-291 के अन्तर्गत
   (d) अनुच्छेद 289-295 के अन्तर्गत
18. निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है?
   (a) वित्त आयोग (b) अंतर्राज्यीय काउंसिल
   (c) केंद्रीय वित्त मंत्रालय (d) योजना आयोग
19. संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को-
   (a) वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
   (b) राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
   (c) किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
   (d) मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है।
20. केन्द्र और राज्य के बीच केन्द्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है?
   (a) कराधान जाँच आयोग (b) टैरिफ आयोग
   (c) वित्त आयोग (d) योजना आयोग
21. केन्द्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है?
   (a) योजना आयोग (b) संघीय वित्त मन्त्री
   (c) वित्त आयोग (d) राष्ट्रीय विकास परिषद्
22. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है
   (a) संघवाद का (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
   (c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का
23. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सम्बन्धित नहीं है?
   (a) सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1964 से मिलती है।
   (b) यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करती है।
   (c) यह एक संवैधानिक संस्था है।
   (d) इसका उद्देश्य संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना है।
24. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक **गलत** है?
   (a) भारत में कोई चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ नहीं है।
   (b) भारत में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कोई स्थाई अध्यक्ष नहीं है।
   (c) भारत में चीफ्स ऑफ़ स्टाफ कमेटी का एक अध्यक्ष है जो चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य करता है।
   (d) भारत में चीफ्स ऑफ़ स्टाफ कमेटी का एक अध्यक्ष है जो चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य नहीं करता है।
25. केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है-
   (a) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
   (b) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
   (c) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
   (d) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-2

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
भारत में, शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर कर
1. संघ द्वारा लगाए जाते हैं
2. राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन-सी संविधानेत्तर और विधेत्तर संस्था/संस्थाएँ हैं?
1. राष्ट्रीय विकास परिषद्
2. राज्यपाल सम्मेलन
3. आंचलिक परिषद्
4. अन्तर्राज्यीय परिषद्
नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिये-
(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) केवल 4

3. प्रशासन में लोक समाज की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रशासन के स्वरूप पर सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का काफी प्रभाव पड़ता है।
2. प्रशासन से यह आशा की जाती है कि वह सरकारी और अर्द्ध सरकारी अभिकरणों के माध्यम से समाज के कार्यों का संचालन करे, परंतु सामाजिक व्यवस्था बनाने के अलावा इसकी अन्य कोई भूमिका नहीं हैं।
उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. 1978 में किए गए संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 (2) को शून्य करके प्रतिकार या मुआवजा देने की संवैधानिक बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
2. अनुच्छेद 300 (क) यह कहता है कि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति की अनिवार्य अर्जन केवल प्राधिकृत या सक्षम विधि के द्वारा ही हो सकेगा।
3. अनुच्छेद 298 में संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, व्यापार या कारोबार करने और किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति की व्यवस्था है
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 तीनों गलत है
(d) 1, 2 और 3 तीनों सही है

5. निम्न कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. अनुच्छेद-257 के अनुसार, प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
2. अनुच्छेद-250 में यह भी प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकारों की उसकी सीमाओं में केंद्रीय सम्पत्ति और रेलगाड़ियों की रक्षा के लिए आदेश दे सकती है।
3. अनुच्छेद-261 के अनुसार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी मान्यता दी जाएगी
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करे:
(a) केवल 1 तथा 2
(b) केवर 2 तथा 3
(c) केवल 1 तथा 3
(d) 1, 2 तथा 3

6. निम्न कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. अनुच्छेद 131 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार, भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है
2. अनुच्छेद 132 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य के नाम से वाद ला सकती है
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों सही है
(d) 1 और 2 दोनों गलत है

7. निम्न कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. अनुच्छेद 300 में संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, व्यापार या कारोबार करने और किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति की व्यवस्था है
2. भारतीय संविधान अनुच्छेद 299 के अंतर्गत संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कि गयी या की जाने वाली संविदाओं का उपबंध किया गया है
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (c) केवल 2
(b) 1 और 2 दोनों सही है (d) 1 और 2 दोनों गलत है

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. अनुच्छेद 364 राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए किए गए समस्त कार्यों, चाहे वे राजनीतिक हो सरकारी हो या वैयक्तिक, के संबंध में उन्मुक्ति प्रदान करता है
2. शासकीय कर्त्तव्यों के प्रयोग में किए गए असंवैधानिक कार्यों के लिए अनुच्छेद 365 के तहत् राष्ट्रपति पर संसद महाभियोग लगा सकती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों सही है
(d) 1 और 2 दोनों गलत है

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए किए गए समस्त कार्यों, चाहे वे राजनीतिक हो सरकारी हो या वैयक्तिक, के संबंध में उन्मुक्ति प्रदान करता है
   2. अनुच्छेद 361 के अधीन राष्ट्रपति को प्रदान की गई उन्मुक्ति सिविल कार्यवाहियों के संबंध में प्राप्त नहीं है

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों सही है (d) 1 और 2 दोनों गलत है
10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 362 के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति सिविल कार्यवाहियों के संबंध में प्राप्त नहीं है।
   2. संविधान में मंत्रियों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के समान कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई है

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों सही है (d) 1 और 2 दोनों गलत है
11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारतीय दंड संहिता की धारा 77-78 के अनुसार- किसी लोक सेवक का न्यायिक कार्यों का न्यायिक आदेश के अनुसारण में किए गए कार्यों के संबंध में कोई दायित्व नहीं है।
   2. दंड प्रक्रिया की धारा 197 के अनुसार- ऐसा कोई लोक सेवक जिसे केन्द्र या राज्य सरकार की मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों गलत है (d) 1 और 2 दोनों सही है
12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. अनुच्छेद 34 के अनुसार- ऐसे क्षेत्र में, जिसमें सैन्य विधि प्रवृत्ति है, व्यवस्था बनाए रखने या पुन: स्थापित करने के लिए किए गए अधिकारियों के कार्यों को संसद 'उन्मुक्ति अधिनियम' बनाकर विधिमान्य घोषित कर सकेगी।
   2. अनुच्छेद 36, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर, संसद की विधि बनाने की शक्ति के बारे में है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों गलत है (d) 1 और 2 दोनों सही है
13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. अनुच्छेद 297 के अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र में आने वाले समुद्र या सागर के नीचे की समस्त भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें राज्य सरकार में निहित होगी।
   2. संघ सरकार द्वारा राज्य-सूची के किसी विषय से सम्बन्धित व्यापार करने पर उस व्यापार पर विधायी अधिकारिता राज्य विधानमण्डल की होगी
   3. किसी भी व्यापार को करने हेतु संविदा करने के लिए संघ एवं राज्यों की सरकारों द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 2 और 3
   (c) 1, 2 और 3 तीनों गलत है
   (d) 1, 2 और 3 तीनों सही है

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(b)	**2**	(b)	**3**	(c)	**4**	(c)	**5**	(b)	**6**	(d)	**7**	(a)	**8**	(c)	**9**	(d)	**10**	(a)
11	(a)	**12**	(a)	**13**	(c)	**14**	(a)	**15**	(c)	**16**	(b)	**17**	(b)	**18**	(a)	**19**	(b)	**20**	(c)
21	(c)	**22**	(b)	**23**	(c)	**24**	(c)	**25**	(d)										

अभ्यास-2

1	(c)	**2**	(b)	**3**	(c)	**4**	(d)	**5**	(c)	**6**	(a)	**7**	(b)	**8**	(d)	**9**	(c)	**10**	(b)
11	(d)	**12**	(a)	**13**	(b)														

EBD_7939

निर्वाचन

18
अध्याय

भारत में निर्वाचन: संवैधानिक प्रावधान

आधुनिक लोकतंत्र का मुख्य आधार उसमें जनता का सक्रिय सहयोग है। जनता अपने मताधिकार का उपयोग करके शासन को चलाने का अधिकार देती है और शासकों के कार्यों का परिक्षण करके तय करती है कि अगले चुनावों में उन्हें फिर से शासन करने का अधिकार दिया जाए या नहीं। यदि उसका कार्य जन-भावनाओं की पूर्ति करता है तो जनता एक बार फिर उन्हें शासक नियुक्त कर देती है। अन्यथा अन्य व्यक्तियों के हाथ में शासन सौंप सकती है। चुनावों में भाग लेने से एक ओर जनता में सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने की रूचि उत्पन्न होती है तो दूसरी ओर लोकप्रिय निर्वाचनों के द्वारा बनी सरकार को वैधानिकता प्राप्त होती है। इस प्रकार लोकतंत्र में निर्वाचनों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यही वह माध्यम है, जिसके द्वारा सत्ता का शांतिपूर्ण ढंग से हस्तनान्तरण होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अधिकथित की गई है। संघ तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन की प्रक्रिया विधान द्वारा बनाए जाने के लिए छोड़ दी गई है। संविधान में इस संबंध में कुछ सिद्धांत बताए गए है जो निम्न प्रकार से है-

1. अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और केवल धर्म, मूलदशा, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा अर्थात् इसके अन्तर्गत सम्प्रदायिक या विशेष प्रतिनिधत्व के लिए कोई उपबंध नहीं है।
2. अनुच्छेद 326 के अनुसार निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा।

संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, परन्तु संविधान द्वारा अनिवासी विकृत चित्त, अपराधी, भ्रष्ट या अवैध आचरण वाले व्यक्तियों को मताधिकार के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

संसदीय प्रावधान: अनुच्छेद 327 की व्यवस्था के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी सभी विषयों पर विधान बनाने की शक्ति भारत की संसद को प्राप्त है। इसमें निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य मामले भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 328 के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपने विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर उस सीमा तक विधान बना सकता है, जहां तक उसके द्वारा बनाया गया विधान संसद के विधान का अतिक्रमण नहीं करता।

चुनावों से संबंधित संसद के उल्लेखनीय अधिनियम निम्नलिखित है-

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 इसके अन्तर्गत मतदाताओं की अयोग्यता, मतदाता सूची तथा अन्य संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 इसके अंतर्गत चुनाव तथा उप-चुनावों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है।
3. परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962, 1972 इसके अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा आरक्षण का प्रावधान किया गया है। परिसीमन आयोग का कार्य जनसंख्या के नये आंकड़ों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का नये रूप में विभाजन करना भी है।
4. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 भी बनाया गया है।

भारतीय निर्वाचन पद्धति की विशेषताएं: वयस्क मताधिकार के अतिरिक्त भारतीय निर्वाचन पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है-

1. यह पद्धति भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है।
2. एक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार का निर्वाचन होता है।
3. मतदाता प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते है।
4. मतदान गुप्त रूप से किया जाता है ताकि यह ज्ञात न हो सके कि मतदाता ने किस उम्मीदवार के पक्ष में अपने मत का प्रयोग किया है।
5. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से साधारण बहुमत के द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है।
6. उच्च सदन के लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाई गई है।

निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय: निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित विवाद प्राय: सामने आते हैं-

1. क्या निर्वाचन प्रक्रिया का उचित रूप से अनुसरण किया गया था?
2. क्या निर्वाचित व्यक्ति संविधान या विधि के अधीन किसी निरर्हता से ग्रस्त था?
3. कोई व्यक्ति जिसे वास्तव में निर्वाचित घोषित किया जाना था, क्या उचित प्रकार से घोषित किया गया? आदि।

इन समस्त विवादों के विनिश्चय के लिए संविधान के अनुच्छेद 329 में व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 329 के अनुसार इन विवादों के संबंध में देश के सामान्य न्यायालयों को कोई अधिकारिता नहीं होगी। निर्वाचन से संबंधित प्रश्न केवल निर्वाचन अर्जी के माध्यम से सक्षम अधिकारी को ही प्रस्तुत किए जाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार निर्वाचन अर्जी का विनिश्चय करने की शक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में भी अपील की जा सकती है।

संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्थापित अनुच्छेद 323(ख) में यह व्यवस्था की गई है कि संसद या राज्य-विधानमंडल निर्वाचन के संबंध में विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए विधि द्वारा अधिकरणों की स्थापना कर सकेंगे और यह उपबंध कर सकेंगे कि उक्त अधिकरणों की अधिकारिता से आने वाले विषयों का न्यायनिर्णयन करने के लिए कोई अन्य न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग न करे। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इन अधिकरणों के निर्णयों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है किंतु अभी तक ऐसी कोई अधिकरण स्थापित नहीं किया गया है।

चुनावी अपराध

1. जनता के मध्य धार्मिक, जातीय, साम्प्रदायिक अथवा भाषायी आधार पर भाषण करना।
2. मतदाता से पूर्व के 48 घंटों के दौरान चुनाव प्रचार करना या जनसभा आयोजित करना।
3. चुनाव सभा अथवा चुनाव प्रचार के दौरान व्यवधान उत्पन्न करना।
4. चुनाव पत्रिका या पोस्टरों को छापनेवाले प्रकाशक का नाम व पता दिए बिना उक्त पत्रिका या पोस्टर का प्रयोग करना।
5. मतों की गोपनीयता व रख-रखाव का उल्लंघन करना।
6. चुनाव कर्मचारियों तथा पुलिस व अन्य सशस्त्र बलों को प्रलोभन देकर मतदान को प्रभावित करना।
7. मतदान के दिन मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार करना।
8. मतदान केन्द्र में अथवा उसके समीप की शांति व्यवस्था को लाउड स्पीकर साधनों से भंग करना।
9. मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों के अनुपालन में असमर्थ रहना।
10. मोटर, वाहनों आदि साधनों के द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना अथवा ले जाना।
11. गैर-कानूनी रूप से मतदान पत्रों को मतदान पेटी के अलावा किसी अन्य गैर-कानूनी सामग्री में डालना अथवा मतदान पत्र को नष्ट करना।
12. मतदान केन्द्र पर कब्जा करना।
13. मतदान पेटी में प्राधिकृत मतदान पत्र के अलावा किसी अन्य गैर-कानूनी सामग्री को डालना अथवा मतदान पत्र को नष्ट करना।

उपर्युक्त अपराधों के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 मास से 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों प्रकार का दंड दिया जा सकता है।

चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण

1. किसी व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बनने अथवा न बनने के लिए बाध्य करना।
2. किसी मतदाता को मत देने अथवा न देने, किसी विशेष व्यक्ति अथवा दल के पक्ष में मत देने अथवा न देने के लिए बाध्य करना।
3. किसी व्यक्ति के स्वतंत्र मताधिकार को प्रभावित करना।
4. आध्यात्मिक बहिष्कार सामाजिक अथवा जातीय बहिष्कार समुदाय से बाहर करना आदि आने वाली आपतियों अथवा विरोधों की घोषणा करना।
5. धर्म, जाति, सम्प्रदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने को प्रेरित करना अथवा धार्मिक, जातीय या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का उपयोग करना।
6. समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, जाति, सम्प्रदाय या भाषा के आधार पर वैमनस्य, द्वेष अथवा घृणा को प्रोत्साहित करना।
7. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र अथवा आचरण के संबंध में असत्य टिप्पणी प्रकाशित करना।
8. किराये पर उपलब्ध वाहनों को मतदाताओं को मुफ्त में उपलब्ध करवाना।
9. किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक चुनाव-व्यय करना।
10. मतदान केन्द्र पर कब्जा।

निर्वाचन आयोग: संगठन एवं कार्य

निर्वाचन आयोग की संरचना: संवैधानिक प्रावधान: निर्वाचनों के महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 324 (1 से 5) में की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत चुनावों का निरीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है और इस आयोग को निर्वाचन आयोग का नाम दिया गया है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय पर मनोनीत करे। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनायी गई किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

निर्वाचन आयोग में जब मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ-साथ अन्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है अन्यथा नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा-शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

प्रादेशिक आयुक्त:

अनुच्छेद 324(4) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा तथा राज्यसभा और विधानपरिषद (जहां विधानपरिषद विद्यमान है) के प्रत्येक निर्वाचन से पहले इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किये जाने वाले कार्यों में सहायता करने के लिए आवश्यकतानुसार प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा। इन प्रादेशिक आयुक्तों की पदावधि और सेवा-शर्तें राष्ट्रपति द्वारा संसद की विधि के अधीन रहते हुए अवधारित की जायेंगी। इन प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति पदच्युत कर सकेगा अन्यथा नहीं।

इसके अलावा निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने कि आयोग या आयुक्त को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

1952 के प्रथम आम चुनावों के संचालन हेतु पहली बार दो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की गई, किंतु द्वितीय आम चुनावों के समय इस व्यवस्था को निरस्त कर दिया गया। 1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों का संचालन करने हेतु प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों के स्थान पर दो उपनिर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 1969 के मध्यवधि चुनावों का संचालन करने के लिए एक उपनिर्वाचन आयुक्त था।

निर्वाचन आयोग के कर्मचारी:

संविधान के अनुच्छेद 324(6) में आयोग के कार्य को चलाने के लिए जिन कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, राष्ट्रपति व राज्यपाल उनकी व्यवस्था करेंगे और उन कर्मचारियों का दायित्व होगा कि वे आयोग द्वारा सौंपे गए कार्यों को सम्पन्न करें। इस प्रकार अपने विभिन्न कार्यों के लिए आयोग को केन्द्र राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। आयोग को अपने कार्य सम्पादन के लिए राज्य, जिला चुनाव क्षेत्र और मतदान केन्द्र स्तर पर कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी व उप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा चुनाव अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। जिले के स्तर पर भी चुनाव अधिकारियों की व्यवस्था होती है।

निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं, एक ओर निर्वाचन सूची की तैयारी की जाती है और दूसरी ओर निर्वाचन का संचालन किया जाता है। मतदान केन्द्र पर निर्वाचन के समग्र पीठासीन पदाधिकारी तथा उसकी सहायता के लिए मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसके साथ ही अन्य छोटे कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं।

चुनाव कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1988 में संशोधन करके इसमें एक नई धारा 13ग शामिल की गई। इस नई धारा में यह प्रावधान है कि चुनावों के लिए मतदान सूचियों को तैयार करने और संशोधित करने के लिए लगाए गए कर्मचारी और अधिकारी उस अवधि के लिए चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे, जिसमें से वे इस तरह का काम करते हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों पर चुनाव आयोग का नियंत्रण, अधीक्षण तथा अनुशासन लागू होगा।

निर्वाचन आयोग की व्यवहारिक स्थिति: बहु-सदस्यीय या एक-सदस्यीय: सन् 1951 में पहली बार संविधान के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और तब से निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य करता रहा। श्री सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए।

16 अक्टूबर, 1989 को राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने निर्वाचन आयोग को व्यापक रूप देने के उद्देश्य से दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। ये अधिकारी श्री एस.एस. धानोवा और श्री वी.एस. सैगल थे। श्री धानोवा और श्री सैगल की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। श्री धानोवा और श्री सैगल क्रमश: अवकाश प्राप्त आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी थे।

2 जनवरी, 1990 को राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्तों के रूप में श्री धानोवा तथा श्री सैगल की नियुक्तियां रद्द कर दी, जिसके साथ ही बहु-सदस्यीय आयोग फिर एक सदस्यीय हो गया।

1 अक्टूबर, 1993 को केन्द्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए श्री गिल और श्री कृष्णामूर्ति को आयुक्त के रूप में नियुक्त करके आयोग को पुन: बहु-सदस्यीय बना दिया। राष्ट्रपति ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की अधिसूचना जारी की।

इस अधिसूचना के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम, 1991 में संशोधन किया गया। इस संशोधन उपरांत वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों के अतिरिक्त अन्य चुनाव आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष हो गये। अधिसूचना में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच कार्य विभाजन को भी परिभाषित किया गया।

यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों में किसी मामले पर मतभेद होता है तो बहुमत का निर्णय मान्य होगा। इसी अध्यादेश में अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन बढ़ाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर कर दिया गया तथा सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई, किंतु मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी. एन. शेषन के प्रबल विरोध के कारण शीघ्र ही इन आयुक्तों की नियुक्ति भी स्थगित करनी पड़ी और आयोग पुन: एक सदस्यीय हो गया।

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 14 जुलाई, 1995 को दिये गये अपने एक फैसले से निर्वाचन आयोग को बहु-सदस्यीय बनाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य दो चुनाव आयुक्तों के समकक्ष मानने संबंधी राष्ट्रपति की अधिसूचनाओं को वैध घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी की अध्यक्षता में गठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने श्री शेषन की इस दलील को नामंजूर कर दिया कि आयोग में वे ही सर्वोपरि है और उनके दोनों आयुक्तों डॉ. एम.एस. गिल और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति का काम केवल उन्हें सलाह देना है। संविधान पीठ ने श्री शेषन की इस दलील को भी नामंजूर कर दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य दो आयुक्तों की अपेक्षा अधिक अधिकार दिये गए हैं। अपने फैसले के साथ ही न्यायालय ने यह आशा व्यक्त की कि आयोग के सदस्य अब एक-दूसरे के प्रति संदेह की भावना से ऊपर उठकर सदभावनापूर्ण वातावरण में काम करेंगे तथा आयोग का कार्यकाल छह वर्ष कर दिया गया।

भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि भारत का राष्ट्रपति इस पद पर नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है।

पदावधि: मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह इस अवधि से पूर्व यदि अपनी आयु के 65 वर्ष पूरे कर लेता है तो पदमुक्त हो जाता है। वह अपनी पदावधि के अन्तर्गत राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी पदमुक्त हो सकता है या संसद द्वारा पारित संकल्प (महाभियोग) पर इसे हटाया जा सकता है। महाभियोग की कार्यवाही उसी प्रकार की जाती है जैसे की उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरूद्ध की जाती है।

अन्य निर्वाचन आयुक्त भी छह वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन यदि वे अपनी आयु के 65 वर्ष पूर्ण कर लेते तो इन्हें पदमुक्त समझा जाता है। वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर भी पदमुक्त हो सकते हैं।

EBD_7939

मुख्य चुनाव आयुक्त

1950 से अब तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची:

मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम	कार्यकाल का प्रारंभ	कार्यकाल समाप्ति
सुकुमार सेन	21 मार्च 1950	19 दिसम्बर 1958
के. वी. के. सुंदरम	20 दिसम्बर 1958	30 सितम्बर 1967
एस. पी. सेन वर्मा	01 अक्तूबर 1967	30 सितम्बर 1972
डा. नागेन्द्र सिंह	01 अक्तूबर 1972	06 फरवरी 1973
टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी 1973	17 जून 1977
एस. एल. शकधर	18 जून 1977	17 जून 1982
आर. के. त्रिवेदी	18 जून 1982	31 दिसम्बर 1985
आर. वी. एस. शास्त्री	01 जनवरी 1986	25 नवम्बर 1990
वी. एस. रमादेवी	26 नवम्बर 1990	11 दिसम्बर 1990
टी. एन. शेषन	12 दिसम्बर 1990	11 दिसम्बर 1996
एम. एस. गिल	12 दिसम्बर 1996	13 जून 2001
जे. एम. लिंगदोह	14 जून 2001	07 फरवरी 2004
टी. एस. कृष्णमूर्ति	08 फरवरी 2004	15 मई 2005
बी. बी. टंडन	16 मई 2005	28 जून 2006
एन. गोपालस्वामी	29 जून 2006	20 अप्रैल 2009
नवीन चावला	21 अप्रैल 2009	29 जुलाई 2010
शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी	30 जुलाई 2010	10 जून 2012
वी. एस. संपत	11 जून 2012	15 जनवरी 2015
हरि शंकर ब्रह्मा	16 जनवरी 2015	18 अप्रैल 2015
डॉ. नसीम जैदी	19 अप्रैल 2015	06 जुलाई 2017
अचल कुमार ज्योति	06 जुलाई 2017	22 जनवरी 2018
ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी 2018	30 नवम्बर 2018
सुनील अरोड़ा	02 दिसम्बर 2018 से	अक्तूबर 2021

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान: प्रजातंत्र का मूल निर्वाचन ही होता है, इसलिए निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने वाली संस्था को स्वतंत्र निकाय बनाना आवश्यक समझा गया। इस कारण संविधान में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं-

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा संकल्प पारित पर ही पद से हटाया जा सकता है।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है।
4. निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। इसका गठन कार्यपालिका या विधायिका द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है।
5. मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के पश्चात् उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता संबंधी उच्चतम न्यायालय का निर्णय

28 अक्टूबर 2002 की उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में चुनाव तिथियों को लेकर राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग के मध्य उठे विवाद के संबंध में अपना निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत् चुनाव कराने संबंधी निर्णय करने का चुनाव आयोग का अधिकार संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। न्यायालय के अनुसार चुनाव आयोग अनुच्छेद 174(1) से बंधा हुआ नहीं है जिसके अनुसार विधानसभा की दो बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 174(1) और अनुच्छेद 124 के बीच कोई अंर्तविरोध नहीं है तथा दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। इस मामले में गुजरात सरकार का मानना था कि अनुच्छेद 174(1) के तहत् विधानसभा के दो बैठकों के बीच छ: माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। अत: राज्य में चुनाव संपन्न कराये जायें।

निर्वाचन आयोग के कार्य: संविधान के अनुच्छेद 324(1) के द्वारा संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करने का और इन सभी निर्वाचनों का संचालन निर्देशन और नियंत्रण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। अतएव निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन:

निर्वाचन आयोग का सर्वप्रमुख कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है। प्रथम आम चुनाव में चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अधिन राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर किया गया था, किंतु इस व्यवस्था को संतोषजनक नहीं माना गया और संसद ने 1952 के परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि हर दस वर्ष बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के उपरांत चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है और उसके अतिरिक्त आयोग में दो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से लेकर 7 तक ऐसे सहायक सदस्यों का प्रावधान है। वे सहायक सदस्य संबद्ध राज्य से लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। आम जनता द्वारा अपने सुझाव एवं आपतियां आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। इन सुझावों या आपतियों पर खुली बैठक में विचार करने के बाद ही आयोग द्वारा सीमांकन आदेश की घोषणा की जाती है। यह घोषणा अंतिम होती है अर्थात् इसके विरूद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

2. मतदाता सूचियां तैयार करना:

लोकसभा और विधानसभा के प्रत्येक आम चुनावों (मध्यावधि चुनाव भी) के पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियां तैयार करवायी जाती है, क्योंकि इस कार्य के संपन्न होने पर ही चुनाव कराये जा सकते हैं। इस कार्य का प्रमुख उद्देश्य यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रह जाए जो मतदान करने की योग्यता रखता है।

उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 326 के अनुसार- भारत का प्रत्येक नागरिक जो अठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में मतदान का अधिकारी होता है। इस संबंध में कोई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वर्गीय, जातीय या शैक्षिक प्रतिबंध नहीं है। इस अनुच्छेद का अपवाद वे व्यक्ति है जो- अनिवास, विकृत चित्त, अपराधी, भ्रष्ट या अवैध आचरण के दोषी है और जिन्हें सक्षम विधानमंडल द्वारा मतदान के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

3. राजनीतिक दलों का समूहों को मान्यता प्रदान करना:

राजनीतिक दलों एवं समूहों को मान्यता प्रदान करना निर्वाचन आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान करने के वर्तमान आधार या नियमों के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब उसने संसदीय या विधानसभा चुनाव में संबंधित राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का न्यूनतम चार प्रतिशत प्राप्त किया है या उस राज्य में लोक सभा के लिए निर्वाचित 25 या उससे कम सदस्यों के अनुपात में कम से कम उसका भी एक सदस्य निर्वाचित हुआ हो। चार या उससे अधिक राज्यों में इस प्रकार मान्यता मिल जाने पर किसी पार्टी या दल को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। उपरोक्त आधारों के तहत् अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने 21 फरवरी 1992 को तीन राष्ट्रीय स्तर के दलों कांग्रेस(एस), जनता दल समाजवादी और लोकदल की मान्यता समाप्त कर दी। 2019 के चुनाव में सात राष्ट्रीय दल थे।

4. राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना:

निर्वाचन आयोग उन राजनीतिक दलों को जिनको उसने राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की है, आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। यदि चुनाव चिन्ह को लेकर किन्हीं राजनीतिक पार्टियों में मतभेद या विवाद होता है तो उस स्थिति में निर्वाचन आयोग ही विवाद का समुचित समाधान करता है। इस संबंध में दिए गए निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

5. परामर्शदायी कार्य:

1. अनुच्छेद 103 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद उसका निर्णय देगा।
2. अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद अपना निर्णय देगा।

दोनों ही स्थितियों में आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह परामर्श दें।

राजकीय सेवा की अवमानना

1. मतदाता सूची तैयार करने उसमें संशोधन अथवा सुधार करने मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि का समावेश करने अथवा निषेध करने में अक्षम रहना।
2. मतदाता केन्द्र की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने में अक्षम रहना।
3. चुनाव कर्मचारियों द्वारा किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना।
4. मतदान करवाने के लिए दिए गए निर्देशों की अवमानना या उल्लंघन करना।
5. किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनाव अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करना।
6. किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा मतदान केन्द्र पर कब्जा करने जैसे जघन्य कृत्य करना।

राजकीय सेवा की अवमानना के दोषी पाए गए किसी सरकारी कर्मचारी को 3 माह से 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार का दंड दिया जा सकता है।

6. निर्वाचन का संचालन करना:

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन के संचालन के लिए आयोग निम्नलिखित कार्य कर सकता है-

1. मतदान की गोपनीयता के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतपत्रों को मिलाना।
2. फर्जी मतदान को रोकने के लिए व्यवस्था करना।
3. चुनाव में उम्मीदवार तथा उसके अभिकर्ता को मतपेटियों पर मोहर लगाने की आज्ञा प्रदान करना।
4. चुनाव अधिकारी तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों की निगरानी करने के लिए चुनाव प्रेक्षकों की नियुक्ति करना।
5. समाज के कमजोर वर्गों के लिए पृथक मतदान केन्द्र की स्थापना करना।
6. **चुनाव रद्द करना:** निर्वाचन आयोग चुनावों में धांधली होने की स्थिति में चुनावों को रद्द कर सकता है तथा किसी चुनाव क्षेत्र के कुछ मतदान केन्द्र के मतों को निरस्त करके वहां पुनः मतदान की आज्ञा दे सकता है।
7. **उप-चुनाव करवाना:** जब कभी संसद या राज्य विधानमंडल में कोई स्थान रिक्त होता है, तब निर्वाचन आयोग उस स्थान को भरने के लिए उपचुनाव कराता है।
8. **उम्मीदवारों को आयोग्य ठहराना:** यदि चुनाव के पश्चात् कोई उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा नियत अवधि के अन्तर्गत अपने चुनाव से संबंधित व्यय का विवरण नहीं देता, तो निर्वाचन आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है।
9. **अन्य कार्य:** निर्वाचन आयोग्य उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त भी निम्नलिखित कार्य करता है-
   - राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
   - उम्मीदवारों द्वारा चुनावों पर किए जाने वाले व्यय को निश्चित करना।
   - मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना।
   - चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देना।

EBD_7939

निर्वाचन प्रक्रिया

चुनाव अधिसूचना: चुनाव प्रक्रिया का आरंभ इस संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा से होता है। राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा को चुनाव अधिसूचना भी कहते है। यह अधिसूचना वर्तमान लोकसभा या राज्य विधानसभा की अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में जारी की जाती है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के पश्चात् चुनाव आयोग मतदान की तारीख घोषित करता है। मतदान की तारीख घोषित करने को चुनाव प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है।

मतदान केन्द्रों पर कब्जा

भारतीय चुनाव व्यवस्था में मतदान केन्द्रों पर कब्जा एक आम बात थी। जब प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 135(क) में मतदान केन्द्रों पर कब्जे की परिभाषा में निम्नलिखित बातें शामिल की गई हैं-

1. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए निर्धारित किसी स्थान पर कब्जा करना ताकि मतदान अधिकारियों को मतपत्र या मतदान मशीनें उन्हें सौंपने पर विवश किया जा सके।
2. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र पर कब्जा करना और किसी विशेष राजनीतिक दल या समूह के पक्ष में मतदान करने के लिए बाध्य करना।
3. किसी मतदाता को धमकी या प्रलोभन देना और उसे मतदान न करने के लिए विवश करना या किसी विशेष दल के पक्ष में मतदान के लिए बाध्य करना।
4. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना केन्द्र पर कब्जा करना और निष्पक्ष एवं व्यवस्थित मतगणना को प्रभावित करना।

यदि मतदान अथवा मतगणना केन्द्र पर कब्जे के कारण मतदान अथवा मतगणना करना असंभव हो जाए, तो मतदान अधिकारी इस मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को देगा। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग उस मतदान केन्द्र पर मतदान का आदेश देगा या उस चुनाव क्षेत्र में मतदान स्थगित कर देगा।

मतदान या मतगणना केन्द्र पर कब्जा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को दंड स्वरूप छह माह से तीन वर्ष तक की कैद और अन्य कोई जुर्माना अदा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

- जब चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है तो प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरे जाते हैं। उम्मीदवारों की नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिन का समय दिया जाता है। प्रत्याशी के लिए अनिवार्य है कि वह देश का नागरिक हो तथा प्रत्याशी का प्रस्तावक उसके चुनाव क्षेत्र का मतदाता हो। जब सभी प्रत्याशियों के आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते है तो अगली निश्चित तिथि पर इन सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी की वजह से वह नामांकन पत्र को अस्वीकार कर सकता है। उसके पश्चात् प्रत्याशी को अपना नाम वापस लेने के लिए दो दिन का समय दिया जाता है। फिर निर्वाचन अधिकारी अंतिम सूची तैयार कर देता है। राजनीतिक पार्टियों तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव-चिन्ह प्रदान किया जाता है।
- 1966 के बाद से उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कम-से-कम 20 दिन का समय दिया जाता है। चुनावों पर होने वाला व्यय मतदाताओं की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। (परन्तु इस व्यय में पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों पर किया जाने वाला व्यय तथा कम्पनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिये जाने वाला अनुदान शामिल नहीं है) चुनाव अभियान मतदान की तारीख के 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। निर्वाचन आयोग समय-समय पर इस संबंध में आचार संहिता जारी करता है। राजनीतिक नेताओं से इस आचार संहिता को मानने की अपेक्षा की जाती है, किंतु इसकी अवहेलना भी की जाती रही है।

लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण

1. **संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार:** लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। वर्तमान में लोकसभा के 79 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 40 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
2. **अनुच्छेद 332 के अनुसार:** प्रत्येक राज्य की विधानसभा में असम के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे।
3. **अनुच्छेद 331 के अनुसार:** यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में इस समुदाय के अधिकतम दो सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा।
4. **अनुच्छेद 333 के अनुसार:** राज्यपाल को भी राज्य की विधानसभा में इस समुदाय के सदस्यों को नामनिर्देशित करने की शक्ति है, किंतु 1969 में किए गए संविधान के 23वें संशोधन के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में आंग्ला-भारतीय समुदाय के केवल एक सदस्य को ही नामनिर्देशित कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 366(2) में आंग्ल-भारतीय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है- ऐसा व्यक्ति जिसका पिता या पति-परम्परा में कोई अन्य पुरूष यूरोपीय अवजनन का है या था, किंतु जो भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासी है अथवा ऐसा व्यक्ति जो ऐसे राज्यक्षेत्र में ऐसे माता-पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहां (यूरोप में) साधारणतया निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वहां वास नहीं कर रहे हैं।

उपर्युक्त वर्णित सभी आरक्षणों के संबंध में संविधान के मूल प्रारूप में 10 वर्ष की समय सीमा तय की गई थी अर्थात् संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष तक यह आरक्षण लागू रहेगा। किंतु, अनेक कारणों से आरक्षण की समय सीमा बढ़ायी जाती रही है। 1989 में किए गए संविधान के 62वें संशोधन द्वारा यह समय सीमा संविधान के प्रारंभ होने से पचास वर्ष अर्थात् सन 2000 तक के लिए बढ़ा दी गई थी, किंतु वर्तमान में 79वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सन् 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

EBD_7939

राज्य एवं जिला स्तर पर निर्वाचन तंत्र

भारत जैसे विशाल देश में चुनावों का सफल संचालन प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर स्थापित निर्वाचन तंत्र के माध्यम से ही किया जा सकता है। अतएव प्रत्येक राज्य या संघ राज्य स्तर पर–

1. एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, जिसे संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से परामर्श करके चुनाव आयोग द्वारा नामांकित किया जाता है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रायः राज्य सरकार का वरिष्ठ कार्यकारी या न्यायिक अधिकारी होता है।
2. मुख्य चुनाव अधिकारी को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए संयुक्त, उप या सहायक मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। इन पदाधिकारियों को राज्य सरकार से परामर्श करके मुख्य चुनाव अधिकारी स्वयं ही नियुक्त करता है।
3. मुख्य चुनाव अधिकारी का प्रमुख कार्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के स्तर पर चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना है।
4. जिला स्तर पर जिलाधिकारी जिले के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभालता है।
5. मतदाता सूचियों को तैयार करने और उनका संशोधन करने का प्रमुख दायित्व मतदाता पंजीकरण अधिकारी का होता है। उसकी सहायता के लिए एक सहायता मतदाता पंजीकरण अधिकारी होता है। प्रायः डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को मतदाता पंजीकरण अधिकारी का कार्यभार सौंपा जाता है तथा राजस्व एकत्र करने वाले कनिष्ठ अधिकारी जैसे तहसीलदार आदि को प्रायः सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी का कार्यभार सौंपा जाता है।
6. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के पर्यवेक्षण या देख-रेख का कार्य एक अधिकारी को सौंपा जाता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। यह अधिकारी संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार से परामर्श करके निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस अधिकारी को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों का कार्यभार भी सौंपा जा सकता है। इस अधिकारी की सहायता के लिए एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। उपजिला अधिकारी स्तर के किसी पदाधिकारी को किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी बनाया जा सकता है तथा जिला अधिकारी स्तर के किसी पदाधिकारी को किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी बनाया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अपने पदाधिकारियों की एक सूची निर्वाचन आयोग को भेजती है। जिसके आधार पर स्तरों के अनुसार क्रमशः विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है।
7. निर्वाचन को वास्तव में संपन्न कराने वाले पीठासीन और मतदान अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकित किया जाता है जबकि 1966 से पूर्व यह कार्य रिटर्निंग अधिकारी का था।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त कर सकता है तथा अन्य मतदान अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाती है।
9. पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि मतदान केन्द्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न हो।

प्रायः ऐसे अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है, जिसमें विशिष्ट प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ निर्वाचन कानूनों एवं प्रक्रियाओं का भी पर्याप्त ज्ञान हो।

निष्कर्षतः हम कह सकते है कि निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए ही अन्यानेक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ताकि जनता के अच्छे प्रतिनिधि प्रशासन में आ सकें।

भारत में चुनाव सुधार

हमारे देश में लोकसभा के लिए 17 आम चुनाव तथा विभिन्न राज्यों के लिए अनेक आम चुनाव हो चुके हैं। चुनाव के सांचे-ढांचे और प्रक्रिया में सुधारों की आवश्यकता पर वर्ष 1952 से ही बराबर जोर दिया जाता रहा है, क्योंकि चुनावों में जो प्रमुख बातें और प्रवृत्तियां सामने आयी है वो चुनावों में काले धन के अत्यधिक प्रयोग, हिंसा, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, सरकारी साधनों के दुरूपयोग की ओर संकेत करती है। अतः चुनावों में निहित इन दोषों को दूर करने के लिए समय-समय पर अनेक आयोग और समितियां स्थापित की गई है। इन समितियों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-

तारकुंडे समिति और उसकी सिफारिशें: अगस्त 1974 में श्री जयप्रकाश नारायण ने बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री वी.एस. तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति को निर्वाचन कानूनों में निहित दोषों को दूर करने के लिए अपने सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं-

1. मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए।
2. राजनीतिक दलों के आय-व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा तैयार किया जाए। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय की जाए।
3. प्रत्येक मतदाता को सरकार की ओर से छपे हुए मतदान कार्ड निःशुल्क दिए जाऐं।
4. कामचलाऊ सरकार के रूप में काम करने वाली सरकार को नयी नीतियों की घोषणा नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें लागू करना चाहिए। ऐसी सरकार को न ही नयी परियोजनाएं चालू करनी चाहिए तथा न ही उनका वादा करना चाहिए क्योंकि इससे मतदाता पर्याप्त प्रभावित होते हैं।
5. चुनाव के दौरान मंत्रिमण्डल के सदस्य सरकारी खर्च पर न तो यात्रा करें और न ही जन-सभाओं को आयोजित करें।
6. लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए जमानत की रकम 500 रु से बढ़ाकर 2000 रू कर दी जाए और विधानसभाओं के उम्मीदवारों के लिए 200 रू से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दी जाए।
7. जिस प्रकार ब्रिटेन में बी.बी.सी. पर राजनीतिक दलों को पिछले चुनावों में प्राप्त मतों के अनुपात में प्रचार का समय दिया जाता है, उसी प्रकार भारत में भी उम्मीदवारों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय दिया जाए।
8. राज्यों में पृथक निर्वाचन आयोग स्थापित किए जाएं और केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को तीन सदस्यीय बनाया जाए।
9. निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए केन्द्र और राज्यों में निर्वाचन परिषदें स्थापित की जाएं तथा मतदाता जागरूकता के लिए भी मतदाता परिषदें भी स्थापित की जाए।

श्यामलाल शकरधर के सुझाव: जुलाई 1981 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने पहली बार मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश की थी।

गोस्वामी समिति और उसके दिये सुझाव: राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने विधिमंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। वर्ष 1990 में गोस्वामी समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं–

1. मतदान केन्द्र पर कब्जे की घटनाओं को रोकने के लिए पुनर्मतदान कराया जाए।
2. आरक्षित सीटों के लिए भ्रमणशील पद्धति अपनायी जाए।
3. निर्वाचन याचिकाओं का यथाशीघ्र निपटारा किया जाए।
4. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग प्रारंभ किया जाए।
5. संसद या राज्य-विधानमंडल के किसी भी रिक्त स्थान के लिए छह मास के भीतर उप-चुनाव करवाने का अनिवार्य प्रावधान किया जाए।

के. संथानम समिति: के. संथानम की अध्यक्षता वाली समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की:

1. चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जाए।
2. राजनीतिक दलों के पंजीयन, दलों के संविधान तथा सदस्यों के पंजीयन के संबंध में स्पष्ट नियम बनाए जाए।
3. निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के अधीन किया जाए तथा दोषी निर्वाचन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया जाए।
4. निर्वाचक नामावलियों को हमेशा अद्यतन रखने की व्यवस्था की जाए।
5. समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाए।

टी. एन. शेषन की सिफारिशें: श्री तिरूनिल्लै नरतिल्लै शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर अपनी नियुक्ति के साथ ही भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार का बीड़ा उठाया। श्री शेषन द्वारा प्रस्तुत उल्लेखनीय सिफारिशें हैं–

1. श्री शेषन ने यह स्पष्ट घोषणा की कि 1 जनवरी 1995 के बाद बिना मतदाता पहचान पत्र की कोई चुनाव नहीं हो सकेंगे। श्री शेषन के अनुसार चुनाव में काफी संख्या में जाली वोट पड़ते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता को उसकी फोटो लगा पहचान पत्र प्रदान किया जाए। चुनाव में मतदान करने के लिए पहचान पत्र का होना अनिवार्य हो। श्री शेषन की इस घोषणा से गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया क्योंकि देश के अनेक राज्यों ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने में अपनी असमर्थता जतायी। अन्ततः उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से इस विवाद का समाधान हो सका।
2. चुनावों में धन के दुरुपयोग पर श्री शेषन ने गहन आपति की। इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 1994 को अपनी एक अधिसूचना द्वारा चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी। इस सीमा के अनुसार अब प्रत्येक राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 50,000 से 1-5 लाख तक रूपये खर्च किये जा सकेंगे तथा प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1-5 लाख से 4-5 लाख रूपये तक खर्च किये जा सकेंगे।
3. यह कहा गया कि चुनाव प्रचार करते समय किसी धर्म विशेष, जाति या सम्प्रदाय विशेष की धार्मिक एवं जातीय भावनाओं को उकसाना या साम्प्रदायिक भाषण करना या धर्म के नाम पर वोट मांगना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
4. चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों या मशीनरी का कथित प्रयोग चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
5. भारत की संसद के उच्च सदन अर्थात् राज्यसभा की सदस्यता के लिए यह अनिवार्य होगा कि कोई सदस्य जो राज्यसभा में किसी राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह उस राज्य विशेष का सामान्य निवासी और मतदाता भी हो। श्री शेषन की इस घोषणा से वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की संसद सदस्यता पर प्रश्न उठने लगे क्योंकि यह माना गया कि श्री सिंह असम के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो करते हैं, किंतु वे असम के सामान्य निवासी या मतदाता नहीं हैं।
6. श्री शेषन ने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के राजनीतिक दलों ने यदि शीघ्र ही अपने संगठनात्मक चुनाव नहीं करवाए तो उनकी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता समाप्त कर दी जाएगी और उनको प्रदान किया गया चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया जाएगा।
7. राजनीतिक दलों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि ये ऐसे किसी चुनाव चिन्ह का प्रयोग न करें जो किसी धर्म, जाति या सम्प्रदाय विशेष का प्रतीक हों।

इन्द्रजीत समिति: 22 मई 1998 को सम्पन्न सर्वदलीय सम्मेलन की सिफारिश पर जून, 1998 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सांसद इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में संसदीय समिति गठित की गई। इस समिति द्वारा सिफारिशें अगस्त 2000 में दी गई जो निम्नलिखित हैं–

1. राजनीतिक दलों को चुनाव में व्यय करने हेतु धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
2. चुनावी व्यय के लिए एक सार्वजनिक कोष स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें सरकार को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रूपये की राशि का योगदान करना चाहिए तथा इतनी ही राशि का योगदान राज्यों से होना चाहिए।

चुनाव सुधारों के लिए किए गए प्रयास

1. चुनाव के समय खर्च का हिसाब देना:

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को जनवरी, 2002 में यह निर्देश दिए कि वह प्रत्याशीदर खर्च का ब्यौरा चुनाव समाप्त होने के पश्चात् पैंतालीस दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करें। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार संसदीय चुनावों में अधिक-से-अधिक पंद्रह (15) लाख और विधानसभा चुनावों में छह (6) लाख रूपये खर्च कर सकता है। चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत न करने की स्थिति में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह और मान्यता निलम्बन जैसी कार्यवाही कर सकता है।

2. राजनीति का अपराधिकरण रोकने का प्रयास:

राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए संसद ने दिसम्बर, 2002 में एक विधेयक पारित किया, जिसके द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके द्वारा कोई भी अपराधी सजा पूरी करने के 6 वर्ष पश्चात् तक चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेगा। किसी अपराध में केवल जुर्माना अधिरोपित किये जाने की स्थिति में भी वह छह वर्ष तक चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा।

EBD_7939

2 मई, 2002 को उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि-वह दो माह के भीतर यह आदेश निकाले कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह नामांकन दाखिल करते समय मतदाताओं की सुविधा के लिए एक शपथ-पत्र में निम्न सूचनाएं दें:

1. शैक्षिक योग्यता;
2. आपराधिक पृष्ठभूमि-सजा हुई या निर्दोष पाए गए;
3. उम्मीदवार, उसकी पत्नी तथा आश्रितों की सम्पति और देनदारी का ब्यौरा;
4. ऐसे लंबित मामले जिनमें अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से 6 माह पूर्व आरोप लगा दिया हो और लगाए गए आरोपों के लिए दो वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान हो।

निर्वाचन आयोग ने सरकार से यह प्रार्थना की कि वह निर्वाचन विधि में आवश्यक सुधार कर इन सुझावों को स्वीकार करें। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई दो महीने की अवधि समाप्त होने के करीब निर्वाचन आयोग ने 28 जून 2002 को एक आदेश निकालकर यह अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक उम्मीदवार चारों मुद्दों पर आवश्यक सूचना शपथ-पत्र में दें। यदि कोई उम्मीदवार यह सूचना नहीं देता या गलत सूचना देता है अथवा शपथ-पत्र दाखिल ही नहीं करता तो उसका नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के इस आदेश की कड़ी आलोचना हुई। 8 जुलाई, 2002 को एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि संसद में मानसून विधेयक लाया जाए, जिससे राजनीति में आपराधिक तत्वों के प्रवेश पर अंकुश लगे।

विधेयक के प्रारूप में यह प्रावधान है कि यदि किसी उम्मीदवार के विरूद्ध नामांकन की तारीख से 6 माह पूर्व दो अदालतों में किन्हीं जघन्य अपराधों के आरोप लग गए हों, तो उसे निर्वाचन के लिए अयोग्य माना जाए। किंतु सभी राजनीतिक दल इस विषय पर एकमत दिखाई दिए कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में सूचना मांगना अनुचित होगा और साथ ही, देश के कुछ भागों में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि संपति, नकद, जेवर आदि की घोषणा से संपति और उसका स्वामी दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। विधेयक मानसून सत्र में पारित नहीं हो सका।

सरकार ने राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा कुछ सुधार लाने का प्रयास किया। राष्ट्रपति कलाम ने एक बार अध्यादेश विषयक सिफारिश को पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटा दिया, किंतु जब एक बार पुनः मंत्रिमंडल ने अध्यादेश जारी किए जाने की संस्तुति की तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। तथापि अध्यादेश जारी हो गया, किंतु इसके विरूद्ध जनहित याचिका दायर कर दी गई। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के आदेश की पुष्टि की।

ऐसा लगता है कि सारा मामला दलगत राजनीति अथवा सभी दलों के निहित स्वार्थों में उलझकर रह गया है। चुनाव सुधारों के समक्ष आने वाली मुख्य समस्याएं निम्न है-

1. चुनावों में होने वाला भारी व्यय तथा वह वैधानिक रूप में कहां से आए।
2. चुनावों में धनबल, बाहुबल और माफिया शक्ति की आवश्यकता और प्रयोग को कैसे रोका जाए।
3. सांप्रदायिकता, जातिवाद, अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की समस्याएं।
4. उम्मीदवारों के चयन में जनता को किसी भागीदारी के अवसर न मिलना और दलों के द्वारा चुने गए विकल्पों से चुनने की मजबूरी।
5. किन्हीं सिद्धांतों अथवा कार्यक्रमों पर आधारित स्वस्थ राजनीतिक दल व्यवस्था का अभाव तथा बिना अंदरूनी लोकतंत्र के सैकड़ों दलों का अस्तित्व।
6. विशाल निर्वाचन क्षेत्र तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिक चरित्र पर प्रश्नचिन्ह, क्योंकि लगभग 70 प्रतिशत निर्वाचितों के विरोध में अधिक मत पड़ते हैं, पक्ष में कम।
7. त्रिशंकु सदन, अस्थिर सरकारें तथा बार-बार एवं जल्दी-जल्दी होने वाले आम चुनावों का भारी खर्च और असुविधा।

संविधान आयोग ने इस सभी समस्याओं के समाधान के कारगर सुझाव दिए है। अधिकांश सुझावों को लागू करने के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति और विभिन्न दलों में सहमति की जरूरत होगी ताकि विधायन के द्वारा और कार्यकारी आदेशों, नियमों और उपनियमों में परिवर्तन करके अधिक स्वच्छ और प्रभावी निर्वाचन व्यवस्था और प्रक्रिया को स्थापित किया जा सके। वर्तमान परिस्थितियों में कुछ सुझावों को लागू करने का प्रयत्न भी किया गया है। ये सुझाव हैं

1. **फोटो पहचान पत्र:** निर्वाचन आयोग मतदाता फोटो पहचान पत्रों के उपयोग द्वारा मतदान की प्रक्रिया को धीरे-धीरे और निश्चित रूप से सरल, सहज और तेज बना रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों में मतदाताओं के बोगस मतदान और प्रतिरूपण पर रोक लगाने के लिए संपूर्ण देश में (जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर) मतदाताओं को 1993 में फोटो पहचान पत्र जारी करने का विनिश्चय किया गया था। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी करने की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण भारसाधक है और नियमित आधार पर इसकी प्रगति को मनीटर कर रहा है।
2. **इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीनों का प्रयोग:** जन-प्रतिनिधित्व कानून 1951 में 1989 में संशोधन किया गया है और इसमें धारा 61 (क) जोड़ी गई है, ताकि मतदान में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जा सके। यह संशोधन 15 मार्च, 1989 से लागू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें, नवम्बर 1998 में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों में पहली बार इस्तेमाल की गई। इन चुनावों में अपने अनुभवों को देखते हुए आयोग ने जून, 1999 में गोवा राज्यसभा के सम्पूर्ण चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों से कराए। इस प्रकार गोवा प्रथम राज्य हो गया, जहां पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों द्वारा सर्वप्रथम चुनाव सम्पन्न कराए गए। इसके बाद लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों के दौरान 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। इसमें 65 हजार मतदान केन्द्रों पर छह करोड़ से अधिक मतदाताओं ने इसका प्रयोग किया।
3. **निर्वाचन संबंधी विधियों से अंतवर्लित निर्वाचन अर्जियां तथा अन्य न्यायालय मामले:** विधायी विभाग को विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के कारण निर्वाचन संबंधी विधियों से अंतवर्लित विभिन्न निर्वाचन अर्जियों और अन्य न्यायालय मामलों को भी देखना पड़ता है। वर्ष 2002 के आरंभ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों में 90 मामले लंबित थे।

   वर्तमान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 71 मामले लंबित हैं। इन सभी मामलों को प्रभावपूर्ण ढंग से समझा जा रहा है।

4. **राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ निर्वाचन व्यय का बंटवारा:** निर्वाचन पर होने वाला समस्त व्यय आरंभ से संबंधित राज्यों की सरकारी और संघ राज्यक्षेत्र (विधान-मंडल वाले) के प्रशासनों द्वारा अपनी-अपनी संचित निधियों से पूरा किया जाता है। उस व्यय में भारत सरकार का अंश महालेखाकारों द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के बीच आपस में तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार, प्रभाजित किया जाता है। यदि लोकसभा और राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचन एक साथ होते है तो निर्वाचनों पर होने वाला व्यय भी बराबर-बराबर बांट दिया जाता है। लोकसभा के निर्वाचन का संपूर्ण व्यय, भारत सरकार द्वारा तथा विधानमंडलों के निर्वाचन का संपूर्ण व्यय राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है। ऐसे संघ राज्यक्षेत्रों की जिनमें विधानमंडल नहीं हैं, संपूर्ण निर्वाचन व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन पर होने वाला समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

भारत में आम चुनाव

भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इसके लिए पांच वर्ष की निश्चित अवधि के पश्चात् चुनाव होते हैं। जनता लोकसभा तथा अपने राज्यों की विधान सभाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। वयस्क मताधिकार पर आधारित होने के कारण इस लोकतंत्र में साधारण जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। भारत में प्रथम आम चुनाव (1951-52) लोकतंत्र के इतिहास में एक साहसिक प्रयोग था। इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ। यद्यपि द्वितीय आम चुनाव भारत के लिए कोई नया कार्य नहीं था, लेकिन 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन का जो कार्य हुआ, उसने भारतीय राजनीति में कुछ अनिश्चितता का समावेश कर दिया और ऐसी स्थिति में भारत के एक वर्ग द्वारा इस बात की मांग की गई कि चुनाव स्थगित कर दिये जाने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने साहसपूर्वक फरवरी, 1957 में चुनाव करवायें और 3 सप्ताह में चुनाव कार्य सम्पन्न हो गया। यह चुनाव भी पुनः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ कराया गया। तीसरे आम चुनाव, 1962 में कराए गए, जिसमें केरल तथा उड़ीसा की विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं हो पाया। चौथे आम चुनाव, 1967 में हुए, किंतु इसमें भी नागालैंड और पांडिचेरी विधानसभाओं के चुनाव नहीं हो पाएं। 1967 के बाद अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव समय से पहले कराने पड़े। पांचवें आम चुनाव, 1971 में करवाएं गए। छठवें आम चुनाव, 1977 में हुए, जिसमें पहली बार जनता पार्टी जिसका गठन भारतीय लोकदल, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दल और विद्रोही कांग्रेसियों द्वारा किया गया था, सत्ता में आई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई।

सातवीं लोकसभा के चुनाव, 1980 में तथा आठवीं लोकसभा के चुनाव, 1984 में सम्पन्न हुए। आठवें आम चुनाव में कांग्रेस (ई) ने लगभग 80 प्रतिशत स्थान (508 में से 401) और 41.3 प्रतिशत मत प्राप्त किए। 1989 के नौवीं लोकसभा के आम चुनावों के पश्चात् के डेढ़ वर्ष के समय में दो अल्पमत सरकारों का गठन हुआ। पहली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा तथा वामपंथी दलों ने बाहर से समर्थन दिया और दूसरी राष्ट्रीय मोर्चे से अलग हुए एक गुट को दल-बदल सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। दसवीं लोकसभा के चुनाव, 1991 में सम्पन्न हुए, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी अकेली पार्टी रही तथा इसकी सरकार मात्र 13 दिन तक चली और गिर गई। इसके पश्चात् संयुक्त मोर्चा की गठबंधन सरकार बनी जिसमें 13 पार्टियां शामिल थीं। 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनावों के परिणाम भी अस्पष्ट बहुमत वाले थे। पहले भाजपा की सरकार बनी फिर मिली जुली। 13वीं लोकसभा के आम चुनाव 1999 में हुए, जिसमें अंततः भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन में 20 से भी अधिक पार्टियां शामिल थीं। यह गठबंधन चुनाव पूर्व व्यवस्था के अनुसार चला। इस गठबंधन का नेतृत्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 14वीं लोकसभा के आम चुनाव अप्रैल, 2004 में सम्पन्न हुए।

2004 के परिणाम 13 मई, 2004 को घोषित किए गए। कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को 217 सीटें मिली और भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को केवल 186 सीटें ही मिली। कांग्रेस 145 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में जबकि भाजपा को 138 सीटें मिली जो 1999 के आम चुनावों में प्राप्त 182 सीटों से काफी कम थी। कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को निश्चित देखते हुए अधिक-से-अधिक पार्टियों ने कांग्रेस गठबंधन में स्वयं को शामिल किया। इस प्रकार समाजवादी पार्टी 36, बहुजन समाज पार्टी 18 और वामदल 59, जद एस. 4 और रालोद 3 कांग्रेस के चुनाव पश्चात् के सहयोगी थे, जिनके मिलने से कांग्रेस गठबंधन की सीटों की संख्या 335 तक पहुंच जाती है।

आग्रहों और दबावों के बावजूद चूंकि श्रीमती सोनिया गांधी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर केंद्र में नई सरकार का नेतृत्व करने से मना कर दिया, इसलिए उनके द्वारा नामित डॉ. मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने।

15वीं लोकसभा चुनाव (2009)

पांच वर्ष तक केंद्र में सफलतापूर्वक साझा सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने 2009 के आम चुनाव में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया और सहयोगी दलों के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाई जबकि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर सकी।

कांग्रेस ने इस चुनाव में मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में भी यद्यपि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़कर 206 हो गई और उसके नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील

गठबंधन की फिर से सरकार बनी। कांग्रेस ने इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत कर ली लेकिन बिहार में वह केवल दो सीटों पर सिमटने को मजबूर हुई थी। भाजपा बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही लेकिन राजस्थान में वह पिछले प्रदर्शन को दोहराने में विफल रही थी।

इस चुनाव की एक और खास बात यह रही कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को तगड़ा झटका लगा और वहां तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में तथा जनता दल (यू) को बिहार में एवं बीजू जनता दल को ओडिशा में अच्छी सफलता मिली थी। राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने दो क्षेत्रों सारण और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ा लेकिन पाटलिपुत्र सीट पर वे हार गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता राम विलास पासवान हाजीपुर सीट पर हार गए थे।

लोकसभा की 543 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सात राष्ट्रीय, 34 राज्य स्तरीय, 322 निर्बंधित पार्टियों ने चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस, भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थे। कुल 8070 उम्मीदवारों ने अपनी राजनीतिक किस्मत को आजमाया था।

राष्ट्रीय पार्टियों ने कुल 1623 स्थानों पर उम्मीदवार खड़े किए थे जिनमें से 376 सीटों पर उन्हें सफलता मिली। इन पार्टियों को 63.58 प्रतिशत वोट मिले थे। राज्य स्तरीय पार्टियों ने 394 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे जिनमें से 146 निर्वाचित हुए थे। निर्बंधित पार्टियों ने 6053 उम्मीदवार लड़ाए थे जिनमें से 21 जीत गए थे।

कांग्रेस के 440 उम्मीदवारों में से 206, भाजपा के 433 में से 116 और बसपा के 500 उम्मीदवारों में से 21 ही जीत सके थे। भाकपा और माकपा को बड़ा झटका लगा था। भाकपा के 56 में से चार तथा माकपा के 82 में से 16 उम्मीदवार ही निर्वाचित हो पाए थे। राकपा के 68 में नौ और राजद के 44 में से चार प्रत्याशी विजयी हो पाए थे।

16वीं लोकसभा चुनाव (2014)

साल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू होने से पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि नतीजे ऐतिहासिक होंगे। हालांकि, पिछले चुनावों के बाद से काफी कुछ बदल गया है। सबका एक ही लक्ष्य था कि मतदान के सात चरणों के बाद 23 मई को जब वोटों की गिनती हो तो देश की सत्ता को हासिल किया जा सके।

इससे पहले 2014 के चुनाव बेहद चौंकाने वाले रहे थे। नैशनल डेमोक्रैटिक अलायंस (NDA) ने न सिर्फ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, बल्कि गठबंधन का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी अकेले ही जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब रही थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बने। वहीं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) को तो बुरी तरह हार झेलनी ही पड़ी, कांग्रेस ने शायद सबसे भयानक स्थिति का सामना किया।

2014 में देश के कुल 83,40,82,814 मतदाताओं में से 54,78,00,004 वैध वोट पड़े थे जिनमें से 33,24,94,491 वोट राष्ट्रीय पार्टियों के खाते में आए थे। 543 में से 282 सीटें बीजेपी को, 44 कांग्रेस, 37 एआईएडीएमके 34 तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल को 20 सीटें मिलीं जबकि 128 सीटें दूसरी पार्टियों के हाथ आई।

भारतीय जनता पार्टी ने 428 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 282 को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने शायद अपने इतिहास में सबसे बुरी हार का सामना किया और उसके 464 प्रत्याशियों में से सिर्फ 44 को ही जीत का स्वाद चखने का मौका मिला था। उसकी सहयोगी नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 36 में से 6 सीटों पर जीत मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 67 में से 1 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) को 93 में से 9 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। सबसे खराब स्थिति मायावती की बहुजन समाज पार्टी की रही जिसने 503 उम्मीदवार मैदान में उतारे लेकिन पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी।

17वीं लोकसभा चुनाव (2019)

भारत की 545 लोकसभा सीटों वाली संसद के गठन के लिए 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर नकदी मिलने की वजह से तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट पर मतदान को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। इसलिए इस बार 542 सीटों पर ही चुनाव हुए।

चुनाव परिणामों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। वर्ष 2014 के आम चुनावों में 282 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार 303 सीटें मिली। इस तरह 1971 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पहली सरकार बन गयी, जिसे पूर्ण बहुमत के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है।

देश पर पांच दशक से अधिक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनावों के मुकाबले कुछ बेहतर रहा, लेकिन वह मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के काबिल इस बार भी नहीं रही। 2014 में 44 सीटें जीतने वाली कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में महज 52 सीटें ही जीत पायी।

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 2014 लोकसभा चुनाव में 34 सीटें जीती लेकिन इस बार सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली। वामपंथियों का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में इस बार लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिली।

नरेंद्र मोदी को हराने और किसी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में वैकल्पिक सरकार बनाने की जोड़-तोड़ में जुटे आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी लोकसभा की तीन सीटों पर सिमटकर रह गयी। 2014 में नायडू की पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह दक्षिण की एक और पार्टी अन्नाद्रमुक 37 सीटों से एक सीट पर सिमट गयी। हालांकि, इस राज्य में द्रमुक ने शानदार प्रदर्शन किया। 2014 में 0 पर सिमट चुकी पार्टी को इस बार 23 सीटें हासिल हुई और यह पार्टी लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया। पार्टी के सांसदों की संख्या 9 से बढ़कर 16 हो गयी। आंध्रप्रदेश से कटकर बने राज्य तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का प्रदर्शन पिछले चुनावों के मुकाबले अच्छा नहीं रहा। 2014 में 11 सीटें जीतने वाली टीआरएस को इस बार 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं, ओड़िशा में बीजू जनता दल (बीजद) के गढ़ में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया। फलस्वरूप नवीन पटनायक की पार्टी की सीटें 20 से घटकर 12 रह गयीं।

EBD_7939

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के चुनावों में शून्य (0) रही मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने इस बार अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी (सपा) से गठबंधन किया और किंगमेकर बनने का सपना देख रही थीं। वह किंगमेकर तो नहीं बन सकीं, लेकिन उनकी पार्टी 0 से 10 तक पहुंच गयी।

दूसरी तरफ, एक बार फिर भाजपा के साथ जुड़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 16वीं लोकसभा में उनके 2 सांसद थे, जो 17वीं लोकसभा में बढ़कर 16 हो गये हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी शिव सेना ने पिछली बार 18 सीटें जीती थीं, इस बार भी 18 सीटें जीतीं। इस तरह उसे न कोई फायदा हुआ, न नुकसान।

सांसदों की औसत आयु 54 वर्ष- सत्रहवीं लोकसभा में सांसदों की औसत आयु 54 वर्ष है। महिला सांसदों की बात करें, तो वे पुरुष सांसदों के मुकाबले जवां हैं। उनकी औसत आयु पुरुष सांसदों से छह साल कम हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में जो जनप्रतिनिधि चुने गये हैं, उनमें 12 फीसदी की उम्र 40 साल से कम है। 41 फीसदी की उम्र 41-55 वर्ष के बीच है, तो 42 फीसदी 56-70 साल के हैं। मात्र 6 फीसदी सांसदों की उम्र 70 साल से अधिक है। 16वीं लोकसभा में 40 साल तक की उम्र के मात्र 8 फीसदी सांसद थे।

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि जैसे-जैसे संसद की उम्र बढ़ रही है, अपने सांसदों की भी उम्र बढ़ रही है। पहली लोकसभा में 26 फीसदी सांसदों की उम्र 40 साल से कम थी।

394 सांसद स्नातक- इस बार स्नातक तक पढ़े 394 लोग संसद पहुंचे हैं। 17वीं लोकसभा में 27 फीसदी सांसदों ने हायर सेकेंड्री तक की पढ़ाई की है, जबकि 43 फीसदी ग्रेजुएट (स्नातक) है। 25 फीसदी पोस्ट ग्रेजुएट और 4 फीसदी सांसदों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। 16वीं लोकसभा में 20 फीसदी सांसदों के पास उच्चतर माध्यमिक की डिग्री थी। 1996 से 75 फीसदी स्नातक की डिग्री लेने वाले लोग चुनकर संसद पहुंचे हैं।

1977 में सबसे कम, 2019 में सबसे ज्यादा महिला

पहली लोकसभा में 5 फीसदी महिलाएं थीं, जो अब बढ़कर 14 फीसदी हो गयी हैं। इस बार 78 महिलाएं चुनकर संसद पहुंची हैं। 16वीं संसद में 62 महिलाओं को लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना था। हालांकि, भारत में धीरे-धीरे महिलाओं की राजनीति और संसद में भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन यह अब भी विकसित और कई पिछड़े देशों की तुलना में कम है। अमेरिका में 24 फीसदी, ब्रिटेन में 32 फीसदी, दक्षिण अफ्रीका में 43 फीसदी, बांग्लादेश में 21 फीसदी और रवांडा में 61 फीसदी महिला प्रतिनिधि हैं।

सबसे ज्यादा समाजसेवी और किसान

सबसे ज्यादा समाजसेवी और किसान इस बार लोकसभा पहुंचे हैं। 39 फीसदी सांसदों ने खुद को राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताया है। वहीं, 38 फीसदी ने अपना पेशा कृषि बताया है। 542 सांसदों में 23 फीसदी व्यवसायी हैं, 4 फीसदी वकील, 4 फीसदी डॉक्टर, तीन फीसदी कलाकार और दो फीसदी शिक्षक हैं। कई सांसदों ने बताया है कि उनका पेशा एक से ज्यादा है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. इनमें से कौन-सा चुनाव उद्घोषणा और भारतीय चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित सही कथन है?
   (a) चुनाव के लिए आग्रह सरकार द्वारा किया जाता है और चुनाव उद्घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाती है
   (b) चुनाव के लिए आग्रह गृह मन्त्रालय द्वारा केन्द्र को किया जाता है और गृह विभाग द्वारा राज्य को
   (c) चुनाव के लिए निर्देश चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं तथा राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल द्वारा पास किए जाते हैं
   (d) चुनाव के लिए निर्देश और अधिसूचना दोनों जारी करने का क्रिया कलाप चुनाव आयोग द्वारा सम्पन्न किया जाता है
2. 'NERPAP' का पूरा नाम है
   (a) नेशनल इलैक्ट्रोरल रूल प्यूरीफिकेशन एंड ऑथेन्टिकेशन प्रोग्राम
   (b) नेशनल इलैक्ट्रोनिक रूल फ्यूरीफिकेशन ऑथेन्टिकेशन प्रोग्राम
   (c) नेशनल इलैक्ट्रोरल रूल फिल्ट्रेशन ऑथौरटी प्लान
   (d) नेशनल इंजीनियर रूल फिल्ट्रेशन ऑथौरिटी प्लान
3. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
   (b) मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा पारित संकल्प पर ही पद से हटाया जा सकता है।
   (c) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के श्रेणी में रखा जाता है।
   (d) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
4. भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है?
   (a) भारत का उप-राष्ट्रपति (b) भारत का निर्वाचन आयोग
   (c) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति (d) भारत का अटॉर्नी जनरल
5. भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है?
   (a) गृह मन्त्रालय (b) सम्बन्धित राज्य
   (c) चुनाव आयोग (d) संसदीय सचिवालय
6. चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीद्वारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है
   (a) उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया
   (b) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत
   (c) भारत के संविधान में निर्धारित
   (d) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, वन 1951 में विनिर्दिष्ट

7. मताधिकार से क्या अभिप्राय है?
   (a) ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुँचे
   (b) वोट देने का अधिकार
   (c) अमीरों को वोट देने का अधिकार
   (d) केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार
8. भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है?
   (a) 18 वर्ष (b) 21 वर्ष
   (c) 16 वर्ष (d) 20 वर्ष
9. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है?
   (a) भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना
   (b) भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना
   (c) राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना
   (d) राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना
10. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी, 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है
   (a) 16 लाख (b) 18 लाख
   (c) 20 लाख (d) 25 लाख
11. भारतीय राजनीति के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
   (a) योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है
   (b) राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर भो अध्यादेश जारी कर सकते हैं
   (c) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है
   (d) राष्ट्रीय विकास परिषद में केन्द्रीय वित्त मन्त्री और सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री होते हैं
12. जब केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने (वर्ष 2002 में) चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे अपनी सहमति दी?
   (a) अनुच्छेद 121 (b) अनुच्छेद 122
   (c) अनुच्छेद 123 (d) अनुच्छेद 124
13. गुजरात में विधानसभा के चुनाव (वर्ष 2002 में) को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद के अन्तर्गत किया?
   (a) अनुच्छेद 142
   (b) अनुच्छेद 143
   (c) अनुच्छेद 144
   (d) अनुच्छेद 145
14. निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अन्तर्गत सुस्पष्ट उपबन्ध के पालन में गठित हुआ?
   (a) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   (b) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
   (c) निर्वाचन आयोग
   (d) केन्द्रीय सतर्कता आयोग
15. भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार **[IAS Prelims 2017]**
   (a) मूल अधिकार है (b) नैसर्गिक अधिकार है
   (c) संवैधानिक अधिकार है (d) विधिक अधिकार है
16. भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरम्भ के विषय में से कौन-सा सही है?
   (a) सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना
   (b) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केन्द्र में गृह मन्त्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना
   (c) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना
   (d) निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना
17. अक्टूबर 2009 में तीन राज्यों में हुए विधान सभा चुनावों में निम्नलिखित में से किस/किन राज्य/राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया?
   (a) महाराष्ट्र, हरियाण और अरूणचल प्रदेश-तीनों राज्यों में
   (b) केवल महाराष्ट्र और अरूणाचल प्रदेश में
   (c) केवल हरियाणा और महाराष्ट्र में
   (d) केवल अरूणाचल प्रदेश में
18. भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिये पद पर होता है?
   (a) छः वर्ष
   (b) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त
   (c) छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिये, जो भी पहले हो
   (d) पाँच वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक के लिये, जो भी पहले हो
19. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?
   (a) निर्वाचन आयोग
   (b) परिसीमन आयोग
   (c) योजना आयोग
   (d) निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग की सहायता से

EBD_7939

20. भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, किसमें निहित है?
(a) भारत का उच्चतम न्यायालय
(b) भारत की संसद
(c) भारत निर्वाचन आयोग
(d) मुख्य निर्वाचन आयुक्त

21. भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है?
(a) उच्च न्यायालय (b) सर्वोच्च न्यायालय
(c) राष्ट्रपति (d) भारतीय चुनाव आयोग

22. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (ब्वउउपेपवदमत) को उनके पद से कौन हटा सकता है?
(a) संसद के दोनों सदन (b) केंद्रीय मंत्रिपरिषद
(c) भारत के राष्ट्रपति (d) भारत के मुख्य न्यायाधीश

23. भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, एक 'राष्ट्रीय दल' के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है?
(a) कम-से-कम दो राज्य (b) कम-से-कम तीन राज्य
(c) कम-से-कम चार राज्य (d) कम-से-कम पाँच राज्य

24. भारत में निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का सही पूरा शब्द-रूप, निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(a) वोटर वेरिफाइएबल पोल ऑडिट ट्रेल
(b) वोटर वेरिफाइंग पेपर ऑडिट ट्रेल
(c) वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल
(d) वोटर वेरिफाइएबल पेपर अकाउंट ट्रेल

25. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है-
(a) लोक सभा द्वारा (b) प्रधानमंत्री द्वारा
(c) राष्ट्रपति द्वारा (d) मुख्य न्यायाधीश द्वारा

26. निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं हैं?
(a) निर्वाचक नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना
(b) संसद के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचन को कराना
(c) राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराना
(d) निर्वाचन आयोग की, उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना

27. भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है-
(a) संवैधानिक अधिकार
(b) मूल अधिकार
(c) विधिक अधिकार (एक अधिनियम के अंतर्गत)
(d) इनमें से कोई नहीं

28. निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता?
(a) लोक सभा का (b) राज्य सभा का
(c) राष्ट्रपति का (d) स्थानीय निकायों का

29. किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि-
(a) वह राज्य में या तो लोक सभा अथवा विधान सभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है।
(b) वह राज्य में या तो लोक सभा अथवा विधान सभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है।
(c) वह राज्य में या तो लोक सभा अथवा विधान सभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है।
(d) उपुर्यक्त में से कोई नहीं

30. किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है?
(a) तमिलनाडु (b) आंध्र प्रदेश
(c) जम्मू एवं कश्मीर (d) केरल

31. भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है?
(a) संसद (b) राष्ट्रपति
(c) चुनाव आयोग (d) सर्वोच्च न्यायालय

32. दल-बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ, वह कौन सी थी?
(a) 17 फरवरी, 1985 (b) 15 फरवरी, 1985
(c) 30 मार्च, 1985 (d) 21 अप्रैल, 1985

33. निम्नांकित में से दल-बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है?
(a) एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो जिससे वह संबंधित था।
(b) किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा।
(c) किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है।
(d) लोक सभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है।

34. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनैतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है?
(a) नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
(b) बहुजन समाज पार्टी
(c) कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
(d) समाजवादी पार्टी

35. पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
(a) केंद्र सरकार (b) राज्य सरकार
(c) जिला न्यायाधीश (d) चुनाव आयोग

36. पंचायत चुनाव होते हैं-
(a) प्रत्येक चार वर्षों में (b) प्रत्येक पांच वर्षों में
(c) प्रत्येक छः वर्षों में (d) सरकार की इच्छानुसार

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-2

1. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. भारत में पंजीकृत मतदाता भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है।
   2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है और उसे 2 वर्ष या अधिक के कारावास का दण्डादेश दिया गया है, तो यह चुनाव लड़ने के लिए अनर्हता होगी।

   कूट

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

2. भारत में राजनीतिक दलों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है।
   2. चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है।
   3. राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है, जिसे चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
   4. वर्ष 1999 के आम चुनाव में आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय तथा 48 राज्यस्तरीय राजनीतिक दल थे।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

   (a) 1, 2 और 4 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार यदि किसी पंजीकृत दल का है, तो उसका नामांकन पत्र उस चुनाव क्षेत्र के कम-से-कम एक पंजीकृत मतदाता के द्वारा समर्थित होना चाहिए।
   2. मतगणना समाप्त होने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित करता है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

4. निम्नलिखित दशाओं में से किस/किनमें लोकसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि वापस लौटाई जाती है?
   1. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत नामांकन अवैध पाया जाता है
   2. वैध पाए जाने के बावजूद उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है।
   3. उम्मीदवार चुनाव में पराजित हो जाता है, परन्तु वह मतदान में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है।

   कूट

   (a) 1 और 2 (b) केवल 1
   (c) 2 और 3 (d) ये सभी

5. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. भारत में पंजीकृत मतदाता भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है।
   2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है और उसे 2 वर्ष या अधिक के कारावास का दण्डादेश दिया गया है, तो यह चुनाव लड़ने के लिए अनर्हता होगी।

   कूट

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

6. भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं
   1. संसद एवं राज्य विधानमण्डलों के सभी चुनाव करवाना।
   2. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना।
   3. किसी राज्य में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना।
   4. निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण।

   कूट

   (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
   (c) 1, 3 और 4 (d) ये सभी

7. भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं?
   1. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना।
   2. नगरपालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना।
   3. निर्वाचनों से उत्पन्न सभी सन्देहों और विवादों की जाँच के लिए अधिकारी की नियुक्ति।

   उपरोक्त कथनों में कौन-से कथन सही हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) केवल 3

8. अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के सम्बंध में निम्न प्रावधान दिये गये हैं-
   1. निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
   2. जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
   3. निर्वाचन आयुक्तों तथा प्रादेशिका आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

4. राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग की सलाह पर कर सकता है जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन अनुच्छेद 324 में शामिल है?

(a) केवल 1 (b) केवल 4

(c) उपरोक्त सभी (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

9. दिनेश गोस्वामी समिति और उनके सुझावों के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य हैं?

1. मतदान केन्द्र पर कब्जे की घटनाओं को रोकने के लिए पुनर्मतदान कराया जाए।
2. आरक्षित सीटों के लिए भ्रमणशील पद्धति अपनायी जाए।
3. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग प्रारम्भ किया जाए।
4. संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी रिक्त स्थान के लिए एक साल के भीतर उप-चुनाव करा लिया जाए।

कूटः

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 3 (d) केवल 4

10. भारत के चुनाव आयुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर प्रकाश डालें?

1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त भी वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
4. चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार सम्भालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, होता है।

उपरोक्त में कौन-कौन से कथन सही हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 3 और 4 (d) 1 और 4

11. भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन-कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं?

1. वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
2. एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली
3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली
4. अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली

कूटः

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) 2, 3 और 4

12. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

1. भारत में पंजीकृत मतदाता भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है और उसे 2 वर्ष या अधिक के कारावास का दण्डादेश दिया गया है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अनर्हता होगी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोक सभा अथवा राज्य की विधाान सभा के निर्वाचन में, जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए, किए गए मतदान का कम से कम 50 प्रतिशत पाना अनिवार्य है।
2. भारत के संविधाान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, लोक सभा में अधयक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

14. भारत के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परन्तु मिलने वाले वेतन में असमानता है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।
4. चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार सम्भालने की तारीख से पाँच वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाता है।

इनमें से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 4 (d) 2 और 4

15. निम्नलिखित दशाओं में से किस/किन में लोक सभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि वापस लौटायी जाती है?

1. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत नामांकन अवैध पाया जाता है।
2. वैध पाये जाने के बावजूद उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है।
3. उम्मीदवार चुनाव में पराजित हो जाता है परन्तु वह मतदान में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1

16. राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
2. राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक-नामावली बनाने की भी शक्ति है।
3. राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता जब तक वह खुद ही पदत्याग न करे या उसकी पदावधि समाप्त न हो जाए।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1

17. निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करके कोई राजनीतिक दल, एक राष्ट्रीय दल के दर्जे का दावा कर सकता है?

1. लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के एक आम चुनाव में, किन्हीं चार या इससे अधिक राज्यों में डाले गये वैध मतो (वोटों) का कम से कम छः प्रतिशत (6%) प्राप्त होने पर
2. किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा की कम से कम चार सीटों पर विजय पाकर अथवा लोकसभा में कम से कम दो प्रतिशत (2%) सीटें जीवतकर (अर्थात् 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 11 सीटें), और ये सदस्य कम से कम तीन विभिन्न राज्यों से निर्वाचित हों
3. दावा करने वाले दल को कम से कम दो राज्यों में प्रान्तीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो
4. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होना अनिवार्य है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 4

(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 3 और 4

18. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

1. निर्वाचन से संबंधित विवादों पर निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकतर क्षेत्र में आता है।
2. संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है।
3. भारत की संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

19. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

1. चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पद भार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उसके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो, होता है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु वेतन में असमानता है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है, जितना उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है।
4. मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चत्तम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता।

उपर्युक्त में कौन से कथन सही हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) 2 और 4 (d) 3 और 4

20. भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता के सन्दर्भ में विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का या चार राज्यों के विधान सभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6 प्रतिशत प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चार सीटों पर जीत हासिल करना आवश्यक है।
2. राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त करना और कम-से-कम 2 सीटों पर जीत हासिल करना आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

21. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है/है?

(a) भारतीय संविधान में उपबन्ध है कि भारत का निर्वाचन आयोग तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे।

(b) संविधान में उपबन्ध है कि भारत का निर्वाचन आयोग पाँच सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा चार अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे।

(c) संविधान में उपबन्ध है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने संसद विधि द्वारा समय-समय पर नियत करे मिलकर बनेगा।

(d) संविधान में उपबंध है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, से मिलकर बनेगा।

EBD_7939

22. भारत में निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

1. मतदाता सूचियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है।
2. आदर्श आचार संहिता, चुनाव की तिथि की घोषणा होने के साथ ही अस्तित्व में आ जाती है।
3. निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा-निर्धारण से संबंधित कानून भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए जाते हैं।
4. केवल चुनाव याचिका के माध्यम को छोड़कर किसी निर्वाचन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 3 (b) 1, 2 और 4
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 4

23. भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है-

(I) संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना।
(II) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिये चुनाव करवाना।
(III) किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिये अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की संस्तुति करना।
(IV) निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण।

नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए-

कूट:

(a) I, II, III (b) I, II, IV
(c) I, III, IV (d) सभी चारों

24. भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।
2. राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है।
3. राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है।
4. 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त छः राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे।

इन कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?

(a) 1, 2 और 4 (b) 1 और 3
(c) 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(d)	**5**	(c)	**9**	(a)	**13**	(b)	**17**	(a)	**21**	(d)	**25**	(c)	**29**	(c)	**33**	(d)		
2	(a)	**6**	(d)	**10**	(a)	**14**	(c)	**18**	(c)	**22**	(a)	**26**	(d)	**30**	(d)	**34**	(d)		
3	(c)	**7**	(b)	**11**	(b)	**15**	(c & d)	**19**	(d)	**23**	(c)	**27**	(c)	**31**	(c)	**35**	(b)		
4	(b)	**8**	(a)	**12**	(c)	**16**	(c)	**20**	(c)	**24**	(c)	**28**	(d)	**32**	(b)	**36**	(b)		

अभ्यास-2

1	(c)	**4**	(d)	**7**	(d)	**10**	(b)	**13**	(d)	**16**	(b)	**19**	(d)	**22**	(a)				
2	(d)	**5**	(c)	**8**	(c)	**11**	(a)	**14**	(b)	**17**	(c)	**20**	(c)	**23**	(b)				
3	(c)	**6**	(b)	**9**	(d)	**12**	(c)	**15**	(b)	**18**	(a)	**21**	(d)	**24**	(d)				

EBD_7939

भारत में दलीय व्यवस्था

19 अध्याय

भारत में राजनीतिक दल

राजनीतिक दल का अर्थः एक राजनीतिक दल का अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किन्हीं सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक समस्याओं के स्वरूप और उनके समाधान के संबंध में एकमत है, कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसने अपने किन्हीं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से कार्य करने का निश्चय किया है।

आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। वास्तव में आज की प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था में सरकार और संसद केवल संवैधानिक आवरण मात्र है, वास्तविक या यथार्थ शक्ति का प्रयोग राजनीतिक दल ही करते हैं।

राजनीतिक दलों का वर्गीकरणः राजनीतिक दलों की संख्या संरचना एवं कार्यप्रणाली इत्यादि के आधार पर एलेन बाल ने राजनीतिक दलों के निम्नलिखित वर्ग निर्धारित किए हैं–

(क) द्विदलीय पद्धति

इसके अन्तर्गत राजनीतिक दलों के दो वर्ग आते हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. **अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतिः** इस पद्धति में दलीय विचारधाराओं पर कम बल दिया जाता है। इसमें सर्वाधिक ध्यान मतों को जीतने पर दिया जाता है। अमेरिका तथा आयरलैंड की द्विदलीय पद्धति इस प्रकार की दलीय पद्धति उदाहरण है।
2. **सुस्पष्ट दलीय पद्धतिः** इस पद्धति में दल अधिक केन्द्रीकृत होते हैं। इस पद्धति में विचारधारा पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप चुनावी संघर्ष में विचारधारा का संघर्ष राजनीति को पर्याप्त प्रभावित करता है। यह पद्धति ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी एवं आस्ट्रेलिया आदि देशों में पायी जाती है।

(ख) बहुदलीय पद्धति

इसके अन्तर्गत भी राजनीतिक दलों के दो वर्ग आते हैं, जो निम्नलिखित हैं–

1. **कार्यवाह बहुदलीय पद्धतिः** यह पद्धति जो दो से अधिक दल वाली होते हुए भी विशेषतः सरकारों की स्थिरता के संबंध में स्पष्ट द्विदलीय पद्धतियों के समान आचरण करती है, कार्यवाह बहुदलीय पद्धति कहलाती है। स्वीडन और नार्वे में सोशल डैमोक्रेटिक पार्टी है, जिनका विरोध अन्य उदारवादी, अनुदारवादी कृषक इत्यादि विरोधी दलों द्वारा किया जाता है, किंतु आधारभूत स्थिति यही रहती है कि या तो सोशल डैमोक्रेटो की सरकार बनती है अथवा स्पेशल डैमोक्रेटो और अन्य विरोधी दलों का सम्मिलित, किंतु स्थिर सरकार बनती है।
2. **अस्थिर बहुदलीय पद्धतिः** इस पद्धति में सरकार का स्थिरता का अभाव होता है। इस दलीय पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण इटली है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इटली की संसद में कम-से-कम आठ पार्टियों का प्रतिनिधित्व रहता, किंतु आज तक किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। यही कारण है कि इटली में सरकारों का बहुत जल्दी-जल्दी पतन होता है।
3. **एक दल की प्रभुता वाली बहुदलीय पद्धतिः** दलीय व्यवस्था का यह एक ऐसा रूप है, जिसमें अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल पाए जाते हैं। इन दलों में घनघोर प्रतिस्पर्द्धा भी होती है, किंतु इस पद्धति में एक ऐसा दल होता है जिसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पर्याप्त मान्यता एवं समर्थन प्राप्त होता है। यह दल अपनी लोकमान्यता के कारण दलीय व्यवस्था के बहुदलीय स्वरूप को एकदलीय स्वरूप प्रदान करता है। इस प्रकार की दलीय पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण भारत है तथा एकदलीय प्रधानता स्थापित करने वाले दल है- अखिल भारतीय कांग्रेस (ई)। हालाँकि अब भारतीय जनता पार्टी भी स्वयं को स्थापित करने में सफल रही है।
4. **एकदलीय पद्धतिः** यह दलीय व्यवस्था का वह रूप है, जिसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एक दल या पार्टी ही पायी जाती है। प्रायः ऐसी दलीय व्यवस्था वाले देशों में कानून या संविधान के अनुसार ही यह निश्चित कर दिया जाता है कि देश का शासन एक दल विशेष के लोग ही चलाएंगे। इस प्रकार की दलीय व्यवस्था के सर्वोत्तम उदाहरण हैं- मिस्र, तंजानिया और विशेष रूप से पूर्व सोवियत संघ।

भारत में दलीय व्यवस्था का विकास

भारत में राजनीतिक दलों का विकास या इतिहास राष्ट्रीय आन्दोलन के अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किंतु, कांग्रेस अपनी स्थापना के समय एक राजनीतिक दल या संगठन की अपेक्षा एक सामाजिक संगठन अधिक थी। दूसरे शब्दों में, 'कांग्रेस भारतीय राष्ट्रवाद से उत्पन्न होने वाला एक ऐसा विशेष संगठन था, जिसने राष्ट्र में ब्रिटिश शासन के विरोध का बिगुल बजाया और ब्रिटिश विरोधी तत्वों को एकत्र किया। धीरे-धीरे कांग्रेस का जनाधार विस्तृत होता गया और इसने स्वराज या डोमीनियम स्टेटस की मांग रखी। कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ती हुई हिंदू-मुस्लिम एकता और स्वराज्य की मांग को कुचलने के लिए साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने 1905 में बंगाल का हिन्दू बंगाल और मुस्लिम बंगाल के रूप में विभाजन करके भारत में हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य को जन्म दिया। इस वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना को ब्रिटिश सरकार ने खुले हाथ से समर्थन दिया।

मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया स्वरूप 1916 में हिन्दू महासभा की स्थापना हुई। हिन्दू महासभा की स्थापना में पंडित मदनमोहन मालवीय जैसे कांग्रेसियों का उल्लेखनीय हाथ था। 1979 में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति से भारत के कुछ युवा नेता अत्यधिक प्रभावित हुए। इनमें श्री मानवेन्द्र नाथ राय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्हीं की प्रेरणा से 1924 में श्री सत्यभक्त और श्री हसरत मोहानी के प्रयासों से कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई। पार्टी का प्रथम अधिवेशन 25 दिसम्बर, 1925 को हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी की आर्थिक नीतियों से सहमत नहीं थे। इन व्यक्तियों या नेताओं में उल्लेखनीय थे- अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया। ये नेता समाजवादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। फलस्वरूप, इन नेताओं ने 1934 में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की। इस दल के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह दल कांग्रेस के भीतर रहकर ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता था।

कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने 1938 में फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय चार बड़े राजनीतिक दलों का अस्तित्व था– कांग्रेस, साम्यवादी दल, हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग।

- 1963 में भारतीय साम्यवादी दल में फूट पड़ गई, जिसके फलस्वरूप 1964 भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के रूप में एक नए साम्यवादी दल का जन्म हुआ।
- 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और सत्ता कांग्रेस एवं संगठन कांग्रेस अस्तित्व में आई।
- 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1977 में इसका जनता पार्टी में विलय हो गया। 1980 में यह दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया।
- 1974 में भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी (यह 1959 में स्थापित हुई) संयुक्त समाजवादी दल, उत्कल कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल को मिलाकर भारतीय लोकदल की स्थापना की गई।
- 1977 में जनता पार्टी की स्थापना संगठन, कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल, समाजवादी दल और चन्द्रशेखर के नेतृत्व में विद्रोही कांग्रेसियों के सम्मिलन से हुई थी। 1977 में ही जनता पार्टी में जगजीवनराम के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक कांग्रेस का विलय हुआ। सर्वप्रथम 1977 में ही कांग्रेस केन्द्र में सत्ताच्युत हुई और जनता पार्टी ने श्री मोराजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का गठन किया।
- अक्टूबर, 1988 में जनता पार्टी, लोकदल (ब) और जनमोर्चा के विलय के परिणामस्वरूप जनता दल का गठन हुआ। 1989 में इस दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में अन्य दलों के सहयोग से केन्द्र में सरकार का गठन किया; किंतु आन्तरिक मतभेदों के कारण यह सरकार 11 माह में ही गिर गई।
- 1991 के संसदीय चुनावों में प्रमुख भूमिका इन राष्ट्रीय दलों की रही– कांग्रेस (इ), भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)।

राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियाँ

क्र.सं.	नाम	गठन
1.	भारतीय जनता पार्टी (BJP)	1980
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)	1885
3.	मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM)	1964
4.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)	1925
5.	बहुजन समाज पार्टी (BSP)	1984
6.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)	1999
7.	तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC)	1998
8.	नेशनल पिप्लस पार्टी (NPP)	2013

राजनीतिक दलों का पंजीकरण

1. राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है तथा पंजीकृत राजनीतिक दल को चाहे वे राष्ट्रीय स्तर की हो या राज्य स्तर के, आरक्षित चुनाव चिह्न दिया जाता है।
2. 1952 में निर्वाचन आयोग ने 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में तथा 60 दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी थी।
3. 30 सितंबर, 2000 को निर्वाचन आयोग द्वारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) और जनता दल (सेकुलर) का राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त करने के निर्णय के कारण यह संख्या घटकर क्रमशः 4 और 48 हो गई है।
4. 1 दिसम्बर, 2000 को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन), 1968 में संशोधन की घोषणा करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान कर दी गई।
5. इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या बढ़कर 5 और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की संख्या 47 हो गई है। इनके अतिरिक्त भारत में पंजीकृत, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त 612 राजनीतिक दल हैं।

राजनीतिक दलों को मान्यता

राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा इसके घोषित निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। जो राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराना चाहता है, वह इसके लिए आयोग के समक्ष आवेदन करता है।

मान्यता के लिए आवेदन

राजनीतिक दल द्वारा पंजीकरण के लिए दिये जाने वाले आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा–

1. वे नीतियां, लक्ष्य और उद्देश्य, जिनका वह अनुसरण करता है या अनुसरण करना चाहता है।
2. अपने राजनीतिक सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए अपने कार्यक्रमों, कार्यों, तथा कृत्यों की जानकारी देना।
3. उस दल के मुख्य अंगों के अध्यक्षों (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए और अन्य सदस्यों के नाम।)
4. निर्वाचकों के साथ दल के संबंध और जनता से प्राप्त समर्थन, जो उसे उपलब्ध है तथा ऐसे संबंध और समर्थन का प्रमाण।
5. उन राजनीतिक सिद्धांतों का जिन पर वह दल (संगम या निकाय) आधारित है।

उपर्युक्त विवरणों के आधार पर समाधान होने पर निर्वाचन आयोग प्रथमतः किसी दल को राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है।

राज्यस्तरीय या क्षेत्रीय दल को मान्यता

जो दल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है।

1. वह लगातार 5 वर्षों से राजनीतिक क्रिया-कलापों से जुड़ा हुआ हो।
2. राज्य में हुए लोकसभा अथवा विधानसभा के साधारण निर्वाचन में उस दल द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या उस राज्य में हुए ऐसे साधारण निर्वाचन में हुए निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या के 4 प्रतिशत से कम न हो।
3. लोकसभा के लिए उस राज्य के निर्वाचित प्रत्येक 25 सदस्यों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम-से-कम एक सदस्य निर्वाचन द्वारा भेज चुका हो, या उस राज्य की विधानसभा के लिए उस सभा के प्रत्येक 30 सदस्यों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम-से-कम एक सदस्य निर्वाचन द्वारा भेज चुका हो।

उपर्युक्त सभी शर्तों की पूर्ति के पश्चात् निर्वाचन आयोग किसी भी दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है तथा उसका चुनाव चिह्न भी आरक्षित कर देता है। यदि ऐसे दल में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो निर्वाचन आयोग ही यह निर्णय लेता है कि कौन दल का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में राज्य दल

समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के कारण, भारत के राजनीतिक निर्माण ने कई मजबूत राज्य दलों के उद्भव को देखा है। ये उनके विशेष राज्यों के उद्देश्यों को पूरा करते हैं तथा लोकसभा चुनावों में गठबंधन बनाने या तोड़ने के लिए अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे दी गई तालिका वर्णमाला क्रम में, भारत में विभिन्न राज्य राजनीतिक दलों की एक सूची दर्शाती है।

क्रमांक संख्या	राज्य	राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टी	चुनाव चिह्न	सक्षिप्त
1	दिल्ली	आम आदमी पार्टी		एएपी
2	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल कांग्रेस		एसी
3	तमिलनाडु	ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम		एआईएडीएमके
4	असम	असम गण परिषद्		एजीपी
5	पश्चिम बंगाल	ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक		एआईएफबी
6	पश्चिम बंगाल	सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस		एआईटीसी
7	असम	अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट		एयूडीएफ
8	उड़ीसा	बीजू जनता दल		बीजेडी
9	तमिलनाडु और पुडुचेरी	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम		डीएमके
10	हरियाणा	इंडियन नेशनल लोकदल		आईएनएलडी
11	कर्नाटक और केरल	इंडियन नेशनल लोकदल		जेडी (एस)

EBD_7939

12	बिहार और झारखंड	जनता दल (यूनाइटेड)		जेडी (यू)
13	जम्मू-कश्मीर	जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस		जेकेएन
14	जम्मू-कश्मीर	जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी		जेकेएनपीपी
15	जम्मू-कश्मीर	जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी		जेकेपीडीपी
16	झारखंड	झारखंड मुक्ति मोर्चा		जेएमएम
17	केरल	केरल कांग्रेस		केऐसी
18	केरल	केरल कांग्रेस (एम)		केईसीएम
19	बिहार	केरल कांग्रेस (एम)		एल आई पी
20	गोवा	महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष		एमएजी
21	तमिलनाडु और पुडुचेरी	मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कझगम		एमडीएमके
22	मणिपुर	मणिपुर पीपुल्स पार्टी		एमपीपी
23	केरल	इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग		एमयूएल
24	नागालैंड और मणिपुर	नागा पीपल्स फ्रंट		एनपीएफ

25	तमिलनाडु	पाट्टाली मक्कल कॉची		पीएमके
26	बिहार	राष्ट्रीय जनता दल		आरजेडी
27	पश्चिम बंगाल	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी		आरएसपी
28	पंजाब	शिरोमणि अकाली दल		एसएडी
29	सिक्किम	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट		एसडीएफ
30	गोवा	यूनाइटेड गोअन्स डेमोक्रेटिक पार्टी		यूजीडीपी
31	महाराष्ट्र	शिवसेना		एसएचएस
32	उत्तर प्रदेश	समाजवादी पार्टी		एसपी
33	आंध्र प्रदेश	तेलुगू देशम		टीडीपी
34	आंध्र प्रदेश	तेलंगाना राष्ट्र समिति	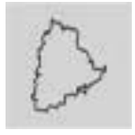	टीआरएस
35	मेघालय	यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी		यूडीपी
36	उत्तराखंड हिमालय	उत्तराखंड क्रांति दल	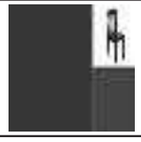	यूकेकेडी

EBD_7939

1 दिसम्बर 2000 को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) 1968 में किये गये संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए संबंधित दल को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गये वैध मतों का कम-से-कम 6 प्रतिशत मत प्राप्त करने के साथ-साथ राज्य विधानसभा की कम-से-कम 2 सीटें जीतना आवश्यक है या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कम-से-कम 3 प्रतिशत सीटें अथवा 3 सीटें (इनमें से जो अधिक हो) को जीतना आवश्यक है।

राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता

1 दिसम्बर, 2000 को निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) 1968 में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता के लिए नए मानदण्ड निर्धारित किये हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:

1. राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गये वैध मतों का 6 प्रतिशत प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम-से-कम सीटों पर विजय पाना आवश्यक होगा या लोकसभा में उसे कम-से-कम 2 प्रतिशत सीटें अर्थात् लोकसभा की कुल सीटों में से 11 सीटें जीतनी आवश्यक होगी।
2. ये सीटें कम-से-कम तीन राज्यों से होनी चाहिए।
3. इससे पूर्व कोई दल यदि 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होता था, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में आयोग द्वारा मान्यता प्रदान कर दिये जाने की व्यवस्था थी।
4. उस दल को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती थी, जिससे राज्य में लोकसभा के असाधारण निर्वाचन में कुल डाले गए वैध मतों का 4 प्रतिशत प्राप्त किया हो।
5. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्षों तक अपने पुराने चुनाव चिह्न को रखने की छूट होगी, परन्तु मान्यता प्राप्त दल को प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाएं चुनाव के समय आकाशवाणी या दूरदर्शन पर निःशुल्क चुनाव प्रचार आदि प्रदान नहीं की जाएगी।

भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ

भारत की दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धतिः

मॉरिस जोन्स ने भारत की दलीय व्यवस्था को एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति की संज्ञा दी है। भारत में ब्रिटेन और अमेरिका की तरह द्वि-दलीय पद्धति को नहीं अपनाया गया है। यहां बहुदलीय पद्धति को अपनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यहां छोटे-बड़े और मध्यम स्तर के अनेक राजनीतिक दल हैं, किन्तु इनमें से कुछ को छोड़कर अन्यों के पास कोई सुदृढ़ नीति अथवा कार्यक्रम नहीं हैं। इनमें से अनेक दलों को राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई हैं, लेकिन इनका अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तरीय स्वरूप केवल कहने भर का है। वास्तव में अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) एक ऐसा विशाल राजनीतिक संगठन है, जिसने समय-समय पर भारत में अनेक राजनीतिक दलों को जन्म दिया है।

कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने स्वतंत्रता के बाद से अधिकांश समय तक देश की शासन व्यवस्था को संभाला है। 1967, 1977 और 1989-90 में यह प्रतीत हुआ था कि अब कांग्रेस का एकछत्र शासन समाप्त हो जाएगा तथा देश में गैर-कांग्रेसवाद का युग शुरू होगा, किंतु गैर-कांग्रेसवाद का युग अस्थिरता, दल-बदल तथा विवादों का युग रहा है।

1967 में हुए चतुर्थ आम चुनावों में लगभग आधे राज्यों की विधानसभाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ। इन राज्यों में गैर-कांग्रेसी दलों की मिली-जुली सरकारों की स्थापना हुई। किंतु, गैर-कांग्रेस दलों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं व्यक्तिगत हितों में आकाश-पाताल का अंतर रहा है। फलतः साझा-सरकारें अस्थिरता की शिकार रही हैं। अतः 1971 लोकसभा और 1972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पुनः सारे देश पर छा गई।

1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पहली बार केन्द्र से सत्ताच्युत हुई और जनता पार्टी ने केन्द्रों में सरकार का गठन किया। लेकिन जनता सरकार में गम्भीर आन्तरिक मतभेदों के कारण शीघ्र ही सरकार का पतन हो गया और 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः केन्द्र में सरकार का गठन किया। 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस रिकार्ड बहुमत लेकर सत्ता में आयी। 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस दूसरी बार केन्द्र से सत्ताच्युत हुई और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार अस्तित्व में आयी। किंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार मात्र 11 महीनों में ही सत्ता से बाहर हो गई तथा 1991 में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनावों के बाद कांग्रेस ने पुनः केन्द्र में सरकार का गठन किया।

वास्तव में कांग्रेस की इस उल्लेखनीय स्थिति के निम्नलिखित कारण रहे हैं-

1. कांग्रेस का इतिहास भारत की स्वतंत्रता का इतिहास है।
2. कांग्रेस को मात्र एक राजनीतिक दल के रूप में ही नहीं, वरन् एक संस्कृति (भारतीय संस्कृति) के रूप में देखा गया है।
3. कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसमें देश के सभी वर्गों एवं समुदायों का प्रतिनिधित्व है, इस समन्वय का इसकी लोकप्रियता में काफी हाथ रहा है।
4. कांग्रेस का नेतृत्व सदैव ही साफ छवि वाले, प्रभावशाली और सम्मानजनक व्यक्तियों के हाथ में रहा है। इसमें उल्लेखनीय हैं- पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, श्री पी. वी. नरसिंह राव तथा वर्तमान में श्रीमती सोनिया गांधी।

संसदीय शासन में दलीय व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विचारकों के भिन्न-भिन्न मत है, जैसे कि-प्रो. लास्की का मत है कि संसदीय शासन एक सुनियमित द्वि-दलीय पद्धति द्वारा ही सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। किंतु नॉरमन डी. पामर का कहना है- "किसी एक दल का प्रभुत्व नवीन विकासोन्मुख लोकतांत्रिक देशों में स्थायित्व लाता है।" तथा मोरिस जोन्स ने कहा है कि "एक दल का अस्तित्व और शासन में उसकी सर्वोपरिता राजनीतिक शैली के एकीकरण में सहायता तत्व है।"

EBD_7939

अत: भारतीय संदर्भ में प्रो. पार्क ने ठीक ही कहा है कि 'भारतीय लोकतंत्र को आवश्यक स्थायित्व कांग्रेस की समूचे देश में व्याप्त शक्ति द्वारा ही प्रदान किया गया है, जो कि स्वाधीनता के बाद भारत के नवजात लोकतंत्र की महती आवश्यक थी।"

2. वैयक्तिक नेतृत्व पर आधारित दलीय प्रणाली

1. भारत में दलीय राजनीतिक वैयक्तिक नेतृत्व पर आधारित है। यहां सर्वप्रमुख दल या शासक दल में साधारणतया एक ही व्यक्ति को सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त रही है। स्वयं देश के सर्वप्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी ने प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान किया है। इन नेताओं को केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष ख्याति प्राप्त रही है। इन नेताओं के बारे में सामान्यत: यह धारणा रही है कि ये नेता जिन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर लेते थे वहां कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो जाती है।
2. राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में नेतृत्वहीनता पैदा हुई। इस संकट से उभरने के लिए श्री नरसिंह राव को कांग्रेस ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। किंतु निवर्तमान में कांग्रेस का एक असन्तुष्ट समूह श्री राव की कार्यशैली से प्रसन्न नहीं था। स्वयं श्री नरसिंह राव भी इस असन्तुष्ट गुट को संतुष्ट करने में सफल नहीं हो पाए। इस कारण स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी को राजनीति में लाने के लिए कुछ कांग्रेसी नेताओं का कठोर परिश्रम कांग्रेस एवं भारतीय दल व्यवस्था के व्यक्ति आधारित स्वरूप को ही करता है।
3. कांग्रेस के अलावा अन्य अनेक छोटे-बड़े राजनीतिक दल भी व्यक्ति पूजा को ही विशेष महत्व देते हैं। इस प्रकार के दल एवं उनमें उल्लेखनीय व्यक्ति हैं- जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, तेलगू देशम में नन्दमूरि तारक रामाराव, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम में कुमारी जयललिता जयराम आदि।
4. परन्तु यह भी एक स्वीकार करने योग्य तथ्य है कि जब भी किसी राजनीतिक दल या शासक दल में शक्तिशाली वैयक्तिक नेतृत्व का अभाव हुआ तो उस दल की राजनीतिक शक्ति और दलीय अनुशासन दोनों में ही कमी आयी है।
5. इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने अपने नेता को चुनौती देने की घोषणा की तब उस नेता की आवाज को बलपूर्वक कुचल दिया गया है। तेलुगू देशम में पर्वतनेनी उपेन्द्र और श्रीमती रेणुका चौधरी के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा कांग्रेस में अर्जुन सिंह के खिलाफ की जा रही कार्यवाही इस समस्या के कुछ ज्वलंत उदाहरण है।

3. राजनीतिक दलों में दल-बदल और विभाजन की प्रवृत्ति

1. भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दल, दल-बदल, विभाजन और विघटन के शिकार रहे हैं। भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस (इ) भी अब तक स्वयं दो बार विभाजित हो चुकी है- 1969 में सत्ता कांग्रेस और संगठन कांग्रेस के रूप में तथा 1978 में सत्ता कांग्रेस में से इन्दिरा कांग्रेस अर्थात् कांग्रेस (इ) नामक एक नए दल का उदय हुआ।
2. 1977 में गठित जनता पार्टी, 1980 में चार-चार जनता पार्टियों में बंट गई- जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी (चरण सिंह),जनता पार्टी (राजनारायण)।
3. 1964 में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन हुआ और मार्क्सवादी साम्यवादी दल अस्तित्व में आया।
4. 1988 में गठित जनता दल के आज तीन भाग हैं- जनता दल (बोम्बई), समाजवादी जनता दल और जनता दल (अजीत सिंह)।

दल-बदल: भारतीय दल प्रणाली का एक अन्य लक्षण दल-बदल है। 1967 से 1970 के मध्य दल-बदल के कारण उत्तर-पश्चिमी भागों में अनेक दलों की सरकारें आयीं और चली गयीं। 1977 और 1989 में केन्द्र में स्थापित हुई, गैर-कांग्रेसी सरकारें भी दल-बदल राजनीतिक अस्थिरता का कारण और परिणाम दोनों ही रहा है।

4. शक्तिशाली विपक्ष का अभाव

भारत में शक्तिशाली विपक्ष का प्राय: अभाव रहा है। 1967-70, 1977-79 और 1989 से 1991 के काल में कांग्रेस केन्द्र एवं अधिकांश राज्यों में सत्ता से बाहर रही और इसने एक शक्तिशाली विपक्ष की भूमिका अदा की। कांग्रेस के अलावा कोई भी दल, विपक्ष की भूमिका को सही मायनों में नहीं निभा पाया है। यहां उल्लेखनीय है कि जिस दल की सदस्य संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के न्यूनतम दसवें भाग के बराबर होती है, उस दल को प्रमुख विपक्षी दल तथा उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सबसे पहले 1969 में संगठन कांग्रेस के राम सुभग सिंह को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई। 1977 में कांग्रेस विपक्ष में आयी और यशवंत राय बलवंत राच चव्हाण को लोकसभा में तथा कमलापति त्रिपाठी को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई। 1989 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस (इ) के नेता राजीव गांधी विपक्ष के नेता बने। 1991 के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता बने। लोकसभा में विपक्ष की भूमिका का अंदाज इस तथ्य से सहज ही लगाया जा सकता है कि सरकार करोड़ों रुपये के प्रतिभूति घोटाले या चीनी घोटाले के मामले में लीपापोती करती रही और हमारे विपक्ष ने मात्र संसद के बहिष्कार से ही अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री समझ ली।

5. साम्प्रदायिक एवं क्षेत्रीय दल

भारतीय दल प्रणाली का यह एक अनन्य लक्षण है कि यहां साम्प्रदायिक एवं क्षेत्रीय आधारों पर राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। इस प्रकार के दलों में उल्लेखनीय हैं- मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, नेशनल कांफ्रेंस, द्रविड मुन्नेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, तेलुगू देशम, असम गण परिषद्, सिक्किम संग्राम परिषद्, शिव सेना, बजरंग दल आदि।

भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएँ

भारतीय दल प्रणाली के सम्मुख निम्नलिखित समस्याएं हैं-

1. **संगठनात्मक समस्याएँ:** आज प्रत्येक राजनीतिक दल में अनुशासन का घोर अभाव है। प्रत्येक दल में अनेक प्रभावशाली नेता हैं, जिन्होंने अपने अलग-अलग गुट बना रखे हैं। ये नेता अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए अपने-अपने गुटों के माध्यम से पार्टी नेतृत्व को प्रभावित करते हैं। पार्टी में संगठन के अभाव के कारण प्राय: हर दल आज विघटन, विभाजन और दल-बदल जैसी बुराइयों का शिकार है।

2. **द्विदलीय प्रणाली का अभाव:** 1991 के लोकसभा चुनावों में यद्यपि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बाद दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तथापि इससे यह आशा नहीं की जा सकती कि भारत में अब कांग्रेस का प्रभावशाली विकल्प पैदा हो गया है क्योंकि 1977 और 1989 के गैर-कांग्रेसवाद के कटु अनुभव हमारे सामने हैं। इसके अलावा 1994 के विधानसभा चुनावों से जो स्थिति उभर कर सामने आयी है, वह किसी स्वस्थ दलीय व्यवस्था की ओर संकेत नहीं करती।
3. **चुनावों में काले धन की भूमिका:** आज चुनाव अत्यधिक खर्चीले हो गए हैं। चुनावों में काले धन का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। कांग्रेस दल पर प्राय: यह आरोप लगाया जाता है कि यह दल धन के बल पर ही चुनाव जीतता है। 1994 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय के बारे में यह कहा गया है कि चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी थी, अत: कांग्रेस पर्याप्त धन खर्च न सकी और चुनाव हार गई।
4. **जातिवाद और साम्प्रदायिकता:** प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने उम्मीदवारों के चयन में उनकी जाति एवं सम्प्रदाय का विशेष ध्यान रखते हैं। इसके अलावा चुनावों में जातीय एवं साम्प्रदायिक आधार पर भाषण दिए जाते हैं और जनता की साम्प्रदायिक एवं जातीय भावनाओं को भड़काया जाता है। इस कारण आज चुनाव काफी हिंसात्मक होते जा रहे हैं। जाति के आधार पर आरक्षण करने की राजनीतिक दलों में होड़ लग गयी है। संसदीय लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं हैं।
5. **सह-अस्तित्व की समस्या:** भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय, परस्पर विश्वास एवं सद्भाव का प्राय: अभाव रहा है। कभी मिली-जुली सरकार का गठन करना पड़े तो राजनीतिक दल तभी तक उस सरकार को समर्थन देते हैं जब तक उनका हित-साधना होता रहे। जब उनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो वे सरकार से अपना सहयोग वापस ले लेते हैं। इस कारण भारत में विशेषत: राज्य स्तर पर भयानक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति देखने को मिलती है। अत: राजनीतिक दलों में सह-अस्तित्व की भावना का अभाव है। इस भावना को प्राप्त करने के लिए देश को सुस्पष्ट विचारधाराओं पर आधारित दो या तीन अखिल भारतीय दलों की आवश्यकता है।
6. **राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव:** भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किंतु यहां के राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव है। अनेक राष्ट्रीय स्तरीय राजनीतिक दलों में वर्षों से संगठनात्मक चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को यदि अपवाद माने तो शेष छोटे-बड़े राजनीतिक दलों में स्थिति काफी असंतोषजनक है। स्वयं देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कांग्रेस में नई दिल्ली से ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में तो भयानक राजनीति खेली जाती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह स्थिति एक गम्भीर समस्या है।

दल-बदल विरोधी अधिनियम

दल-बदल भारतीय दलीय व्यवस्था का एक अशुभ लक्षण है। इस बुराई पर रोक लगाने के लिए 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दल-बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित है-

(क) निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी:

1. यदि वह स्वेच्छा से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है।
2. यदि वह अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे। परन्तु यदि पन्द्रह दिन के अंदर उसे इस उल्लंघन के लिए क्षमा कर दिया गया है तो उसकी सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
3. यदि निर्दलीय के रूप में निर्वाचित कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए।
4. यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के छह माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए।

(ख) किसी राजनीतिक दल के विघटन पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी अर्थात् यदि मूल पार्टी के एक-तिहाई सांसद या विधायक पार्टी छोड़ देते हैं तो इससे उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) इसी प्रकार विलय की स्थिति में भी पार्टी के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय की पुष्टि करते हैं तो भी दल-बदल नहीं माना जाएगा।

(घ) दल-बदल पर उठे किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होगा और किसी न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

(ङ) सदन के अध्यक्ष को इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा।

दल-बदल विरोधी अधिनियम को न्यायालय ने समय-समय पर दिए अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में वैध ठहराया है। न्यायालय ने इस अधिनियम द्वारा स्थापित 10वीं अनुसूची और उसकी धारा सात के प्रावधानों को स्पष्ट किया है। धारा सात के अनुसार दल-बदल पर अध्यक्ष के फैसलों पर न्यायालयों को पुनर्विचार का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय ने अधिनियम के इस प्रावधान को अमान्य घोषित किया है। न्यायालय के अनुसार किसी सदस्य को अयोग्य करार देते समय अध्यक्ष या सभापति न्यायाधिकरण के रूप में काम करते हैं। अत: अन्य न्यायाधिकरण के फैसलों की तरह उनके फैसलों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

किहोतो होल्लोहान बनाम जाचिलिहू, तथा अन्य, एस. सी. 1991 के सी. डब्ल्यू. पी. 17 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि दलबदल-विरोधी कानून में कुछ कानूनी खामियां हैं, क्योंकि संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उसकी पुष्टि अपेक्षित संख्या में राज्य विधान सभाओं ने नहीं की। साथ ही, 10वीं अनुसूची के अधीन अध्यक्ष के कृत्यों के बारे में जरूरी है कि मामलों का विधि के अधीन न्यायिक निरीक्षण किया जाए। आयोग्यता के प्रश्न के निर्धारण की प्रक्रिया को सदन की कार्यवाहियों का अंग नहीं माना जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाने वाली अनुसूची के पैरा 7 को रद्द कर दिया और घोषणा की कि दलबदल-विरोधी कानून के अधीन कार्य करते समय अध्यक्ष की स्थिति न्यायाधिकरण जैसी होगी। अत: सभी न्यायाधिकरणों के निर्णयों की भांति उसके निर्णय की भी न्यायिक पुनरीक्षण की जा सकती है।

दलबदल विरोधी अधिनियम वाली संविधान की दसवीं अनुसूची में खामियां दलबदल को अविधिमान्य ठहराने के लिए 52वें संशोधन का प्रारूप जिन लोगों ने तैयार किया लगता है कि उन्होंने बाद में उत्पन्न कुछ स्थितियों के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया था। यह तथ्य 10वीं अनुसूची के कतिपय प्रावधानों के बारे में पाया गया कि विभिन्न पीठासीन-अधिकारी उनका नितांत भिन्न निर्वचन कर सकते हैं। इस कारण कानून को लागू करने में भयंकर अनिश्चितता तथा अस्थिरता पैदा हो गई तथा उससे अनेक खामियां उजागर हुई।

संघीय स्तर पर दो सरकारों यानी श्री वी.पी. सिंह तथा श्री चंद्रशेखर की सरकारें जल्दी-जल्दी गिर गईं। भले ही श्री चंद्रशेखर ने जनता दल (समाजवादी) सरकार का गठन किया और मूल प्रस्ताव पर लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया, परन्तु सत्तारूढ़ जनता दल (समाजवादी) के सभी सदस्य या तो वे थे, जिन्हें अध्यक्ष रवि राय ने असंबद्ध घोषित कर दिया था अथवा वे थे, जिनके विरुद्ध अध्यक्ष राय ने दलबदल-विरोधी कानून के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर दिया था। अध्यक्ष की कार्रवाई की परिधि में श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य आ गए थे, मामला घिसटता रहा। अंतत: 11 जनवरी, 1991 को राय ने संदेह का लाभ सत्तारूढ़ दल को देने का निश्चय किया और कहा कि विभाजन एक विगत प्रक्रिया थी, जो 5 नवंबर को शुरू हुई और समाप्त हो गई। जनता दल (समाजवादी) को 54 सदस्यों वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। जो सात सदस्य विभाजन की तिथि के बाद शामिल हुए, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया।

7 अगस्त, 1992 को जनता-दल विभाजन के दूसरे मामले में जनता दल के 59 सदस्यों में से 20 सदस्य एक साथ एक समूह में सशरीर अध्यक्ष पाटिल के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने दावा किया कि उनका एक अलग समूह है और उन्हें श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल के सदस्यों से अलग स्थान दिया जाए। भले ही जनता दल के नेतृत्व ने दो अलग-अलग बारियों में इनमें से आठ सदस्यों को पहले ही पार्टी से निकाल दिया था, फिर भी अध्यक्ष ने सदन में उनके लिए अलग सीटें आबंटित कीं। उन्हें लोकसभा के सभी अधिकृत रिकार्डों में जनता दल के 59 सदस्यों के रूप में दिखाया जाता रहा। 1 जून, 1993 को अपने अंतिम निर्णय में अध्यक्ष पाटिल ने व्यवस्था दी कि

1. संविधान के अधीन राजनीतिक पार्टियों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे विधानमंडल पार्टी से सदस्यों को निकाल दें और पार्टी विशेष के टिकट पर चुने गए सदस्यों के रूप में उनके संवैधानिक दर्जे को छीन लें दसवीं अनुसूची, पैरा 21(1)।
2. 20 सदस्य 7 अगस्त, 1992 को किसी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं थे, चूंकि उस दिन उनकी एक-तिहाई अपेक्षित संख्या थी, अत: उनका जनता दल संसदीय पार्टी का वैध धड़ा था। बीस सदस्यों में से चार को अध्यक्ष ने इस आधार पर अयोग्य ठहराया कि उन्होंने अपनी पार्टी के सचेतक की आज्ञा का उल्लंघन किया था लेकिन अयोग्यता का, आदेश की तिथि से केवल भविष्यलक्षी प्रभाव होना था। सबसे महत्व की बात यह है कि अध्यक्ष ने इस बारे में सहमती प्रकट की कि दलबदल-विरोधी कानून में खामियां हैं। और उनका पुनरीक्षण तथा उनमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर होगा यदि दसवीं अनुसूची के अधीन सदस्यों की अयोग्यता के निर्धारण का कार्य न्यायाधीशों को सौंप दिया जाए।

छठवीं अनुसूची में विधानमंडल पार्टी तथा मूल राजनीतिक पार्टी की परिभाषा दोनों ही दशाओं में 'राजनीतिक पार्टी' के संदर्भ में की गई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीतिक पार्टी की परिभाषा नहीं दी गई है। यह जरूरी है कि 'राजनीतिक पार्टी' की परिभाषा दी जाए और दलबदल-विरोधी कानून के प्रयोजनों के लिए उसकी मान्यता की शर्तें निर्धारित की जाएं। दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के संवैधानिक उपबंध की दृष्टि से यह विशेष रूप से आवश्यक है। उसका आशय है कि विभाजन के बाद अलग हुए धाड़े को पैरा 2(1) के प्रयोजनों के लिए 'राजनीतिक पार्टी' समझा जाएगा।

सभी पक्ष इस बारे में सहमत है कि दलबदल-विरोधी कानून वाली संविधान की 10वीं अनुसूची में अनेक खामियां हैं, जिसके कारण हमारी राज्य व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है और उसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। इस अधिनियम में राजनीतिक पार्टी, विभाजन, विलय आदि अनेक शब्दों की परिभाषा नहीं दी गई है।

राजनीतिक दलों की भूमिका

भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत को एक सफल लोकतंत्र बनाने में और स्वतंत्रता दिलाने में इन दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये प्रमुख राजनीतिक दल निम्नलिखित हैं-

राष्ट्रीय राजनीतिक दल: स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय राजनीति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति एवं भूमिका का इस प्रकार विवेचन किया जा सकता है–

(क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व

1. भारत के स्वतंत्रता का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है।
2. 1885 में कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय आन्दोलनों के रूप में की गई थी।
3. स्थापना के समय कांग्रेस का उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता पर कब्जा करना नहीं था। इसकी स्थापना का उद्देश्य देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना और देशवासियों में राजनीतिक चेतना पैदा करना था।
4. कांग्रेस एक सुधारवादी आन्दोलन भी था।
5. सुधारवादी आन्दोलन के रूप में कांग्रेस का उद्देश्य देश की पिछड़ी हुई सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और देश का औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति दिलवाना था।
6. 1920 से 1947-48 तक मोहनदास करमचन्द्र गांधी ने कांग्रेस को अपना प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्

1. कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था, जो 1947 में पूरा हो चुका था। महात्मा गांधी का मत था कि काग्रेंस का स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है अत: इसका सत्ता से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए।
2. कांग्रेस के अन्य नेता गांधी जी के इस मत से सहमत नहीं थे। अत: उन्होंने देश के प्रथम आम चुनावों में भाग लिया और अपने को अन्य दलों की अपेक्षा सर्वोच्च स्थिति में पाया। 1951-52 के आम चुनावों में कांग्रेस 489 में से 364 पर विजयी रही। इन चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। 1967 तक कांग्रेस की यह स्थिति नहीं रही।

EBD_7939

3. 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति में काफी गिरावट आई।
4. 1969 में कांग्रेस के बंग्लौर अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा के मध्य गम्भीर मतभेद पैदा हो गये।
5. मतभेद का मुख्य बिंदु यह था कि वास्तविक नेतृत्व शक्ति किसके हाथ में हो। संसदीय समूह के हाथ में, जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है या संगठन समूह के हाथ में, जिसका अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष होता है।
6. कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के मध्य मतभेद दूर न हो सके, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस सत्ता कांग्रेस एवं संगठन कांग्रेस में विभक्त हो गई।
7. सत्ता कांग्रेस ने 1971-72 के चुनावों में शानदार विजय प्राप्त की। इसे आम चुनाव में 350 सीटें मिलीं, जबकि संगठन कांग्रेस को इन चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ा।
8. 1975 के तथाकथित आपातकाल ने मार्च, 1977 के लोकसभा चुनावों से सत्ता कांग्रेस को देश की सत्ता से बाहर कर दिया।
9. देश में पहली बार 1977 में गैर-कांग्रेसी दल (जनता पार्टी) की। सरकार बनी। जनता पार्टी ने इस चुनावों में 296 सीटें प्राप्त की।
10. मई, 1977 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ।
11. इस अधिवेशन में श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थन से श्री ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए।
12. शीघ्र ही श्रीमती गांधी और ब्रह्मानंद रेड्डी के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए और जनवरी, 1978 में श्रीमती गांधी ने अपने एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना की घोषणा की। इस दल का नाम इन्दिरा कांग्रेस अर्थात् कांग्रेस (इ) रखा गया।
13. मार्च, 1977 में केन्द्र में स्थापित हुई जनता सरकार का अपने गंभीर आन्तरिक मतभेदों के कारण शीघ्र ही पतन हो गया।
14. 1980 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस (इ) का प्रमुख नारा था- 'इंदिरा लाओ देशा बचाओ' तथा 'वोट उन्हें जो देश चला सकें'। अतएव 1980 में इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पुनः विजय प्राप्त की।
15. 1980 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में 351 स्थान प्राप्त हुए।
16. जुलाई, 1981 में निर्वाचन आयोग ने इंदिरा कांग्रेस को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (ई) अर्थात् असली कांग्रेस के रूप में मान्यता प्रदान की।
17. 31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती गांधी की उनके दिल्ली स्थित निवास पर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद उनके पुत्र श्री राजीव गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली।
18. दिसम्बर, 1984 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विशाल बहुमत प्राप्त किया। इसे लोकसभा में 401 स्थान प्राप्त हुए। यह कांग्रेस की ऐतिहासिक सफलता थी।
19. नवम्बर, 1989 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कुल 193 प्राप्त हुए। इन चुनावों में दूसरी बार गैर-कांग्रेसी दल (राष्ट्रीय मोर्चा) की सरकार स्थापित हुई।
20. इस समय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, किंतु श्री सिंह भी अपनी सरकार को आन्तरिक मतभेदों से उबार न सके और कुछ माह बाद ही देश में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी गई।
21. 21 मई, 1991 को कांग्रेस (ई) अध्यक्ष श्री राजीव गांधी की श्रीपेरूम्बदूर (मद्रास) में हत्या कर दी गई।
22. श्री गांधी की हत्या से कांग्रेस में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया।
23. शीघ्र ही श्री पी.वी. नरसिंह राव कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आए।
24. मई-जून, 1991 के चुनावों में कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की और केन्द्र में सरकार का गठन किया।
25. नवम्बर-दिसम्बर, 1994 में दक्षिण भारत में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा।
26. इन चुनावों में कांग्रेस की पराजय से प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष श्री पी.वी. नरसिंह राव की नेतृत्व शैली पर संकट के बादल मंडराने लगे।
27. अप्रैल, 2004 में संपन्न चुनावों में पुनः एक बार कांग्रेस मात्र 183 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में सामने आयी। इस बार कांग्रेस ने स्वंय सत्ता की बागडोर सम्भाली। गठबंधन की राजनीति में विश्वास रखते हुए कांग्रेस ने पूर्व वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केन्द्र सरकार का गठन किया।

(ख) जनता पार्टी

1. जनवरी, 1977 के लोकसभा चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए गैर-कांग्रेसी अर्थात् विपक्षी दलों ने जनता पार्टी का गठन किया।
2. 1977 में जनता पार्टी ने चुनावों में सफलता प्राप्त की और अपने नेता मोराजी देसाई के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार का गठन किया।
3. यह पहला अवसर था जब केंद्र में कांग्रेस सत्ता में नहीं थीं।
4. मई, 1977 में जनता पार्टी की विधिवत् स्थापना हुई।
5. उस समय इसमें सम्मिलित दल थे- संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल, साम्यवादी दल।
6. जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने लोकसभा का विश्वास खो दिया। श्री देसाई ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके साथ ही जनता पार्टी के लिए एक गम्भीर संकट पैदा हो गया।
7. जुलाई, 1979 में जनता पार्टी का महत्वपूर्ण घटक अर्थात् लोकदल जनता पार्टी से अलग हो गया, लोकदल नेता श्री चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
8. फरवरी, 1980 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अप्रैल, 1980 के तीन भाग हो गए-जनता पार्टी, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी।

(ग) भारतीय जनता पार्टी

1. 6 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी के जनसंघ नामक घटक ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नए दल की स्थापना की। अटल बिहरी वाजपेयी को इस नवीन दल का अध्यक्ष और श्री लाल कृष्ण आडवाणी, सिकन्दर बख्त तथा मुरली मनोहर जोशी को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया।
2. 1984 तक देश में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी को अपेक्षाकृत विजय प्राप्त न हो सकी। दिसम्बर, 1984 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की हालत और पतली हो गई। इसे लोकसभा में केवल दो स्थान प्राप्त हुए।
3. नवम्बर, 1989 लोकसभा चुनावों में पार्टी की स्थिति सुदृढ़ हुई। पार्टी को लोकसभा में 86 स्थान प्राप्त हुए। इन चुनावों के फलस्वरूप केन्द्र में स्थापित हुई राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया।

4. फरवरी, 1990 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आयी।
5. मई-जून, 1991 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक लाभ हुआ। पार्टी ने 119 स्थान प्राप्त किए।
6. 1993 में राष्ट्रीय राजधानी संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में हुए पहले विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेखनीय विजय प्राप्त की और श्री मदनलाल खुराना के नेतृत्व में सरकार का गठन किया।
7. 1993 के चुनावों में पार्टी ने सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए और गठबंधन की सरकार बनाई। इस गठबंधन के नेतृत्व की कमान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाली।
8. 2004 के चुनावों ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है।
9. 2014 तथा 2019 के चुनावों में पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी।

(घ) जनता दल

1. 1987 से 1989 के मध्य कांग्रेस (इ) और उसके नेता राजीव गांधी की तेजी से गिरती लोकप्रियता ने जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। अक्टूबर, 1988 में जनता पार्टी, लोकदल (बहुगुणा) और जनमोर्चे के विलय से जनता दल की स्थापना हुई।
2. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अध्यक्ष बनाया गया तथा देवीलाल को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया।
3. नवम्बर, 1989 के लोकसभा चुनावों में जनता दल को 141 स्थान प्राप्त हुए। केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। इस मोर्चे का मुख्य घटक दल जनता दल ही था।
4. जनता दल नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री तथा देवीलाल को उप-प्रधानमंत्री बनाया गया।
5. 1989 के विधानसभा चुनावों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में जनता दल ने सरकार का गठन किया।
6. 1990 में जनता दल के विभाजन के साथ ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई।
7. जनता दल से अलग हुए नेता चंद्रशेखर और देवीलाल ने जनता दल (एस) का निर्माण किया। जनता दल (एस) ने कांग्रेस (इ) के साथ मिलकर केन्द्र में सरकार का गठन किया। इस बार चंद्रशेखर प्रधानमंत्री तथा देवीलाल पुनः उप-प्रधानमंत्री बने, किंतु शीघ्र सरकार गिर गई।
8. मई-जून, 1991 के लोकसभा चुनावों में विश्वनाथ प्रताप सिंह नेतृत्व वाले जनता दल को केवल 56 स्थान प्राप्त हुए।
9. 1994 में जनता दल में से जनता दल (अजीत सिंह) नामक एक नए दल का जन्म हुआ।
10. आजकल विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाला जनता दल काफी कमजोर स्थिति में है।
11. अजीत सिंह ने अपने जनता दल का कांग्रेस (इ) में विलय कर लिया है।

(ङ) भारतीय साम्यवादी दल

1. प्रसिद्ध साम्यवादी नेता मानवेन्द्र नाथ राय की प्रेरणा से 1924-1925 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई।
2. श्री राय की सलाह पर ही साम्यवादी दल को सोवियत संघ के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की शाखा मान लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक साम्यवादी नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य किया।
3. द्वितीय महायुद्ध में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, किंतु सोवियत संघ और ब्रिटेन की युद्धकालीन मैत्री के कारण भारत में साम्यवादी दल को ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना पड़ा। जब भारत का नया संविधान अस्तित्व में आया तो साम्यवादी दल ने इसे "दासता का घोषणा पत्र" कहा।
4. 1952 में हुए प्रथम आम चुनावों में साम्यवादी दल को लोकसभा में 27 स्थान प्राप्त हुए। इन चुनावों के बाद पार्टी लोकसभा में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में उभर कर सामने आयी।
5. 5 अप्रैल, 1957 को भारतीय साम्यवादी दल ने केरल में सरकार का गठन किया। यह पहला अवसर था, जब भारत के किसी भाग (राज्य) में किसी गैर-कांग्रेसी दल ने सरकार का गठन किया। विश्व के इतिहास में चुनावों के माध्यम से पहली बार कोई साम्यवादी दल सत्ता में आया।
6. श्री एस.के. डांगे भारतीय साम्यवादी दल के जाने माने नेता थे। 1989 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 12 स्थान प्राप्त हुए। 1991 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 14 स्थान प्राप्त हुए।

(च) भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)

1. 1953 से ही भारतीय साम्यवादी दल के प्रमुख नेताओं के आपसी मतभेद खुलकर सामने आने लगे। 1964 में मतभेद इतने बढ़ गए की पार्टी का विभाजन हो गया और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) अस्तित्व में आया।
2. इस नवीन दल के प्रमुख नेता थे- प्रमोद दास गुप्ता, ज्योति बसु, ऐ. के. गोपालन, पी- राममूर्ति आदि।
3. 1967 के लोकसभा चुनावों में इस नए दल को भारतीय साम्यवादी दल से अधिक सफलता प्राप्त हुई। 1971 के लोकसभा चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 25 स्थान प्राप्त हुए। पश्चिम बंगाल मार्क्सवादी दल का प्रमुख गढ़ है।
4. 1980 के लोकसभा चुनावों में इस दल को 35 स्थान प्राप्त हुए, जिनमें से 27 स्थान अकेले पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुए।
5. मई, 1987 में पश्चिम बंगाल में वाममोर्चे को लगातार तीसरी बार शानदार विजय हासिल हुई। वाममोर्चे का महत्वपूर्ण घटक मार्क्सवादी दल था, जिसे 294 सदस्यीय विधानसभा में 187 स्थान प्राप्त थे। इस कारण ज्योति बसु को मुख्यमंत्री बनाया गया।
6. 1991 के चुनावों में पुनः ज्योति बसु के नेतृत्व में वाममोर्चे की सरकार सत्ता में आई। इस बार मार्क्सवादी दल को 188 स्थान प्राप्त हुए, किंतु 1991 में ही केरल में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 35 स्थान प्राप्त हुए। मार्क्सवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं- नम्बूदिरीपाद, ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत।

7. अप्रैल, 1993 में मार्क्सवादी दल ने त्रिपुरा विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार का गठन किया।
8. 2004 में गठित कांग्रेस की गठबंधन सरकार में वाममोर्चा एक अहम भूमिका अदा कर रहा है।
9. वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का शासन है।

(छ) बहुजन समाज पार्टी

बहुजन समाज पार्टी के सर्वोच्च नेता कांशी राम ने पार्टी का लक्ष्य 'ब्राह्मणवाद का विरोध' बतलाया है। कांशी राम का कहना है कि उनकी पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है, जिसके तहत् सदियों तक दलितों को अत्याचार का सामना करना पड़ा। कांशीराम ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 'आरक्षण' को वैसाखी का नाम दिया है। अभिप्राय यह है कि एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिससे किसी भी वर्ग या जाति के लिए आरक्षण की जरूरत न रहे।

1993 के विधानसभा चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक साझा मोर्चा बनाया। यह मोर्चा एक मिली-जुली सरकार कायम करने में कामयाब रहा। 1992 के पंजाब विधानसभा चुनावों में भी बहुजन समाज पार्टी को अच्छी सफलता मिली। पार्टी ने पंजाब विधान सभा की 9 सीटें जीतीं। जुलाई 1993 में लोकसभा की तीन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था।

भारत में दबाव समूह

दबाव समूह का अर्थः 'दबाव समूह' को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है। हित समूह, गैर-सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, गुट इत्यादि शब्दों का प्रयोग दबाव गुटों के लिए किया जाता रहा है। दबाव समूह नहीं होते और न हित समूह और दबाव समूह समान ही है। प्रत्येक देश और समाज में सैकड़ों हित समूह होते हैं, किंतु जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो 'दबाव समूह' बन जाते हैं। व्यक्तियों के ऐसे समूहों को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका सम्बंध विशेष मामलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते, न ही चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं।

वस्तुतः दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासकीय और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को, सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किये बिना ही प्रभावित करना चाहते हैं, तो दबाव गुट की श्रेणी में आयेंगे। दबाव समूहों की तुलना 'अज्ञात साम्राज्य' से की जाती है। जब इनके हित संकट में होते हैं अथवा जब इन्हें कतिपय स्वार्थो की प्राप्ति करनी होती है तो ये सक्रिय बन जाते हैं। अन्यथा वे हित समूहों के रूप में निष्क्रिय ही बने रहते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह के लक्षण निम्न हैं-

1. ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही ये चुनाव में भाग लेते हैं।
2. दबाव समूहों का संबंध विशिष्ट मसलों से होता है।
3. दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति-निर्माताओं को प्रभावित करते हैं।
4. दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। जब उनके हित खतरे में होते हैं तो वे सक्रिय हो जाते हैं।

दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर		
	राजनीतिक दल	**दबाव समूह**
1.	राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं।	दबाव समूह चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते।
2.	राजनीतिक दलों के विस्तृत उद्देश्य तथा कार्यक्रम होते हैं।	दबाव समूहों के लक्ष्य संकुचित होते हैं।
3.	राजनीतिक दल विधानमंडल में कार्य करता है।	दबाव समूह विधानमंडल के बाहर कार्य करते हैं।

दबाव समूहों का महत्त्व

दबाव समूहों का महत्व व्यापक बनता जा रहा है। ये समूह प्रशासन को जन-इच्छा के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह का महत्व निम्न कारणों से हैं-

1. ये सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं।
2. शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूहों का अस्तित्व उभर कर आया है।
3. शासन के लिए गैर-सरकारी स्रोत के रूप में सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह का महत्व है।
4. जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में दबाव समूह कार्य करते हैं।
5. ये समूह, नागरिक और सरकार के मध्य संचार साधन का कार्य करते हैं।
6. समाज और शासन में संतुलन स्थापित करने का कार्य दबाव समूह करते हैं।
7. दबाव समूह विधि-निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशेषज्ञता तथा ज्ञानगुरुता के कारण ये विधि-निर्माता समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं। इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी होती है कि इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाने लगा है।

वस्तुतः दबाव समूह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का दूसरा नाम है। निरंकुश तंत्र में भी इनका अभाव नहीं होता। भारत में दबाव समूहों के उद्भव के प्रमुख कारण है- लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की नीतियां और व्यक्तिवाद से समाजवाद की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव।

भारतीय राजनीति में दबाव समूह

भारत में अमेरिका की भांति दबाव समूह विकसित नहीं हो पाये हैं यद्यपि कतिपय व्यावसायिक संगठन दबाव समूहों के रूप में सक्रिय अवश्य हैं। किंतु, अन्य समुदायों के दबाव समूह मध्यवर्गीय नेतृत्व के कारण सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णयों को आधुनिक ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक विपन्नता के कारण दबाव समूहों की मांग तथा शासकीय सामर्थ्य के मध्य एक बड़ा अंतर भारत में दर्शनीय है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के चलन, राजनीतिक अधिकारों की वृद्धि जनता को प्राप्त विशेषाधिकारों एवं आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नियोजित कार्यक्रमों के विस्तार के कारण भारत की राजनीतिक संरचना में संगठित दबाव व हित समूहों का विस्तार होता जा रहा है।

EBD_7939

भारत में दबाव समूह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: स्वाधीनता से पूर्व अनेक हित समूह भारतीय राजनीति में क्रियाशील रहे हैं। ब्रह्म समाज, धर्मसभा, तरूण बंगाल ग्रुप, सत्यशोधक समाज, ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन, इत्यादि हित समूह समाज सुधार के रूप में कार्यरत थे। सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इत्यादि का ध्येय तो मात्र मध्यम वर्ग के हितों की ही अभिवृद्धि करना था और इसलिए इन्हें प्रारम्भिक हित समूह कहा जा सकता है। बाद में कांग्रेस एक राष्ट्रीय आन्दोलन में परिवर्तित हो गयी। हित समूह से राष्ट्रीय आन्दोलन में परिवर्तन की इस घटना ने भारतीय राजनीति में उदित होने वाले दबाव समूह के स्वरूप और ढांचे को अत्यधिक प्रभावित किया है। कांग्रेस को एक जन-आंदोलन के रूप में संगठित करने के ध्येय से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कृषक संघों, श्रमिक संघों, छात्र समुदायों आदि का निर्माण किया।

अत: यह कहना उचित होगा कि स्वाधीनता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था, जिसमें भांति के हित समुदाय संगठित होकर अपने हितों की अभिवृद्धि करते थे। मुस्लिम लीग के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ही हिन्दू महासभा की स्थापना की गयी थी।

भारत में दबाव समूहों के प्रकार: भारत में राजनीति को प्रभावित करने वाले दबाव समूहों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. संस्थानात्मक दबाव समूह।
2. समुदायात्मक दबाव समूह।
3. असमुदायात्मक दबाव समूह।
4. प्रदर्शनात्मक दबाव समूह।

भारत में दबाव समूह			
संस्थानात्मक दबाव समूह	**समुदायात्मक दबाव समूह**	**असमुदायात्मक दबाव समूह**	**प्रदर्शनात्मक दबाव समूह**
कांग्रेस कार्य समिति	श्रमिक संघ	साम्प्रदायिक तथा धार्मिक समुदाय	जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट
कांग्रेस संसदीय बोर्ड	व्यावसायिक संघ	जातिगत समुदाय	बब्बर खालसा
मुख्यमंत्री क्लब	कृषक समुदाय	भाषागत समुदाय	खालिस्तान कमांडो फोर्स
केन्द्रीय चुनाव समिति	छात्र समुदाय	गांधीवादी संघ	उल्फ़ा
नौकरशाही	कर्मचारी संघ	युवा तुर्क	खालिस्तान लिबरेशन फोर्स
सेना	साम्प्रदायिक संघ	सिण्डीकेट	

(क) संस्थानात्मक दबाव समूह: संस्थानात्मक दबाव समूह का तात्पर्य उस दबाव समूह से है, जो सरकार या राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये दबाव समूह राजनीतिक दलों के अपने आंतरिक संगठन होते हैं, जैसे, राजनीतिक दलों की कार्य समिति, संसदीय बोर्ड, चुनाव समिति, युवा संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, कृषक संगठन अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठन आदि। इनके अतिरिक्त कर्मचारियों के संगठन को भी संस्थानात्मक दबाव समूहों में रखा जा सकता है।

(ख) समुदायात्मक दबाव समूह: समुदायात्मक दबाव समूह अपने हित के संरक्षण के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे समूह के उदाहरण श्रमिक संघ, व्यवसायिक संघ तथा कृषक संघ हैं। जैसे- भारतीय जनता पार्टी (पूर्व में जनसंघ) का भारतीय मजदूर संघ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। समुदायात्मक समूह के अधीन कई व्यवसायिक संघ भी है जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण 'फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स, ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री' है। इनके अतिरिक्त विभिन्न कृषक संघ भी राजनीतिक दल की नीतियों को प्रभावित करते हैं।

भारत में कृषक संघ का इतिहास काफी पुराना है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जो किसानों के हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करती थी। वर्तमान समय में प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने-अपने कृषक संघ हैं।

सरकारी कर्मचारियों के संघ तथा छात्रों के संघ भी अपने हितों के संरक्षण के लिए राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं।

- **सरकारी कर्मचारी संगठन:** ऑल इण्डिया रेलवे मैन एसोसिएशन, ऑल इण्डिया पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ़ वर्कर्स यूनियन ऑल इण्डिया टीचर्स एसोसिएशन प्रमुख हैं।
- **छात्र संगठन:** अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् स्टूडेन्ट्स फ़ेडरेशन ऑफ़ इण्डिया, ऑल इण्डिया स्टूडेण्ट्स फ़ेडरेशन, नेशनल स्टूडेन्ट्स यूनियन ऑफ़ इण्डियन समता युवाजन सभा प्रमुख हैं।
- कुछ साम्प्रदायिक संगठन भी समुदाय के रूप में एकबद्ध होकर अपने हितों के संरक्षण में संलग्न हैं। ऐसे संगठन में हिंदू महासभा, कायस्थ सभा, भारतीय इसाइयों की अखिल भारतीय परिषद् तथा पारसी एसोसिएशन प्रमुख हैं।
- **साम्प्रदायिक और धार्मिक समुदाय:** मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद् बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जमायत-इस्लाम-ए-हिन्द तथा जमायते-इस्लाम, जैन समाज, वैष्णव समाज, नय्यर सेवा समाज, बजरंग दल प्रमुख हैं।
- **जातीय संगठन:** नाडार जाति संघ, कम्मा तथा रेड्डी जातीय समुदाय, लिंगायत और ओक्का लिंगा, जाट एवं राजपूत गुट तथा क्षत्रीय महासभा प्रमुख हैं।
- **गांधीवादी संगठन:** सर्व सेवा संघ, सर्वोदय, भूदान, खादी ग्रामोद्योग संघ, गांधी प्रतिष्ठान प्रमुख हैं।

(ग) असमुदायात्मक दबाव समूह: असमुदायात्मक दबाव समूह औपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह संगठित संघ नहीं होते और इनमें साम्प्रदायिक और धार्मिक समुदाय जातीय समुदाय, गांधीवादी समुदाय, भाषागत समुदाय, सिण्डीकेट तथा युवा तुर्क की प्रमुख भूमिका होती है।

इन सभी के अलावा युवा तुर्क भी सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। 1970 के दशक में कांग्रेस ने युवा तुर्क का प्रयोग उन युवा नेताओं के लिए किया, जो त्वरित आर्थिक परिवर्तन में विश्वास करते थे। युवा तुर्क ने कांग्रेस की नीतियों को काफी परिवर्तित किया है।

इन्हीं के कारण सरकार द्वारा कई परिवर्तनकारी निर्णय किए गए थे। जैसे-बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजाओं की विशेषाधिकारों तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति, सामान्य बीमों का राष्ट्रीयकरण, अधिकतम जोत की सीमा का निर्धारण, शहरी सम्पत्ति की सीमा का निर्धारण, गेंहू के व्यापार का राष्ट्रीयकरण आदि।

(घ) प्रदर्शनकारी दबाव समूहः प्रदर्शनकारी गुट वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे और अन्य आक्रामक रवैया अपना लेते हैं।

इनके द्वारा संगठित गुट न केवल अपना असन्तोष व्यक्त करते हैं, अपितु सरकार के निवेश तथा निर्गत ढांचे को प्रभावित करते हुए नियम-निर्माण, नियम प्रयुक्त एवं नियम-अधिनिर्णयन के स्वरूप को भी छू लेते हैं। ये गुट किसी विशेष नीति को बनवाने अथवा बदलने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इसके लिये ये कई उपाय अपनाते हैं, जैसे जनसभाएं, गली-कूचा बैठक, पद-यात्रा रैली, विरोध दिवस मनाना, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंचना, अग्निदाह, आवागमन अवरुद्ध करना, घेराव तथा धारना आदि।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् अनेक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदर्शनकारी गुटों के दबाव, के फलस्वरूप लिये गए हैं। इन्हीं के दबाव के फलस्वरूप मद्रास, बम्बई व पंजाब राज्यों का विभाजन हुआ। पूर्वांचल में नये राज्यों का निर्माण करना पड़ा। सरकार की गौ-वध नीति के विरोध में साधुओं ने अनशन किया एवं हिन्दी भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी के विरोध में सत्याग्रह किया। बंगाल में नक्सलवादी गुट का उदय हुआ जिसमें हिंसा, हत्या, लूटपाट, आदि का प्रयोग करते हुए सरकार का भूमि सुधार, भूमि के न्यायोचित वितरण तथा भू-श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। मार्च 1975 में गुजरात विधानसभा के विघटन का निर्णय 'नव निर्माण समिति' जैसे दबाव गुट के कारण ही लेना पड़ा। नवनिर्माण समिति ने पूरे गुजरात में हिंसा, बंद, हड़ताल, अनशन, लूटपाट, आगजनी का उग्र वातावरण निर्मित कर दिया। एक बड़े नेता ने कई दिनों तक अनशन किया और अन्त में उन्हें केन्द्रीय सरकार को बड़ी अनिच्छा से विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी पड़ी। इस प्रकार प्रदर्शनकारी दबाव समूह दलों के शिकंजों में फंस कर हिंसा एवं आंदोलन की राजनीति को प्रश्रय देने लग जाते हैं। इनके द्वारा अपनाये जाने वाले असंवैधानिक तरीकों को देखते हुए उनके यथार्थ स्परूप के बारे में संदेह उत्पन्न होता है। प्रदर्शनकारी दबाव गुटों में आजकल जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (कश्मीर) खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा, सिख स्टूडेण्ट्स फैडरेशन (पंजाब), उल्फ़ा (असम) के नाम उल्लेखनीय हैं।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में विभिन्न दबाव समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा दिन-प्रतिदिन इनका महत्व बढ़ता ही जा रहा है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. दल-बदल विरोधी कानून (Anti Defection Law) से संविधान का कौन-सा संशोधन सम्बन्धित है?
   (a) 51 वाँ (b) 52 वाँ
   (c) 53 वाँ (d) 54 वाँ
2. दल-बदल-विरोधी अधिनियम (Anti-Defection Law) के अन्तर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्रदत्त है?
   (a) सर्वोच्च न्यायालय को
   (b) लोक सभा अध्यक्ष को
   (c) सभापति, राज्य सभा को
   (d) संयुक्त संसदीय समिति को
3. लोक सभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की सख्या के कम-से-कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए?
   (a) 5% (b) 10%
   (c) 15% (d) 25%
4. किसी सदन में किसी राजनीतिक दल के कितने सदस्यों के किसी दूसरे दल में विलय को दल-बदल विरोधी अधिनियम में अवैध नहीं माना जाएगा?
   (a) सभी (b) एक-तिहाई
   (c) एक-चौथाई (d) 15 प्रतिशत
5. दबाव समूह, राजनीतिक दलों से इस अर्थ में भिन्न हैं-
   (a) वे सुसंगठित होते हैं
   (b) वे संख्या में अधिक होते हैं
   (c) वे सत्ता-प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं
   (d) वे जनता से कटे रहते हैं
6. रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का नाम है-
   (a) भारतीय किसान पार्टी
   (b) लोक जनशक्ति
   (c) राष्ट्रीय जनता पार्टी
   (d) भारतीय किसान कामगार पार्टी
7. दबाव समूह का कार्य है-
   (a) चुनाव लड़ना
   (b) सरकार बनाना
   (c) दूसरों के हितों को प्रोत्साहित करना
   (d) अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना
8. किस राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है?
   (a) भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)
   (b) भारतीय जनता पार्टी
   (c) भारतीय समाजवादी दल
   (d) भारतीय साम्यवादी दल

EBD_7939

9. लोक सभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएँ और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं?
   (a) कैबिनेट मंत्री
   (b) राज्यमंत्री
   (c) उपमंत्री
   (d) उपर्युक्त में से किसी के बराबर नहीं
10. भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं हो सके हैं इसका मुख्य कारण है-
   (a) भारत के अनेक छोटे-छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं
   (b) संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय हैं, उनका कोई निश्चित राजनीतिक विचार नहीं है
   (c) समूहों का भारत में न स्वतन्त्र अस्तित्व है और न ही वह राजनीति में कोई स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं
   (d) उपर्युक्त सभी
11. दबाव समूह तथा राजनीतिक दल के बीच निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रभेदक कारक है?
   (a) दबाव, समूह कुछ लोगों तक सीमित है, जबकि राजनीतिक दलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं
   (b) दबाव समूह सक्रिय राजनीतिक शक्ति की आकांक्षा नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं
   (c) दबाव समूह लोगों को राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं
   (d) राजनैतिक दल राजनीतिक अवस्थिति अपनाते हैं, जबकि दबाव समूहों का राजनीतिक मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है
12. दल-बदल के आधार पर संसद-सदस्यों की निर्योग्यता किस स्थिति में लागू नहीं होगी?
   (a) मूल राजनीतिक दल, जिससे कि वह निर्वाचित हुआ है, के विभाजन की स्थिति में
   (b) यदि उसने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है
   (c) यदि वह राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान नहीं करता है
   (d) यदि सदन का कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के पश्चात् राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है
13. भारत के दबाव समूह के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) ये एक राजनीतिक संगठन होते हैं और सक्रिय रूप से चुनाव में भाग लेते हैं।
   (b) दबाव समूहों का संबंध विशिष्ट मसलों से होता है।
   (c) दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं।
   (d) दबाव समूह को भारत में अज्ञात साम्राज्य कहा गया है और जब उनके हित खतरे में होते हैं तो वे सक्रिय हो जाते हैं।
14. चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीद्वारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है
   (a) उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया
   (b) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत
   (c) भारत के संविधान में निर्धारित
   (d) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, वन 1951 में विनिर्दिष्ट
15. भारत की संसद द्वारा दल-बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था?
   (a) वर्ष 1984 (b) वर्ष 1985
   (c) वर्ष 1986 (d) वर्ष 1988
16. संविधान का कौन-सा संशोधन, राजनीतिक दल-बदल से सम्बन्धित है?
   (a) 44वाँ (b) 50वाँ (c) 52वाँ (d) 60वाँ
17. भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी एक अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है?
   (a) दूसरी अनुसूची (b) पाँचवीं अनुसूची
   (c) आठवीं अनुसूची (d) दसवीं अनुसूची
18. किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम-से-कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए?
   (a) 1% (b) 2% (c) 4% (d) 6%
19. एकल हस्तान्तरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है
   (a) केवल दो विकल्प
   (b) केवल एक विकल्प
   (c) भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प
   (d) उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं
20. किसी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यकलाप के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है?
   (a) राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा देते हैं
   (b) राजनीतिक दल सरकार एवं लोगों के बीच कड़ी का काम करते हैं।
   (c) राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा अधिकतम संख्या में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित करवाना चाहते हैं
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

अभ्यास प्रश्न-2

1. भारत में दलीय विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिये गये कथनों पर विचार करें।
   1. भारत में राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दल अत्यधिक है।
   2. भारत में साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय आधारों पर दलों के गठन की परम्परा रही है।
   3. भारत में राजनैतिक दल राष्ट्रीय हितों की बजाय दलीय हितों को ही ध्यान में रखते हैं।
   4. वर्तमान भारत में अब मिली-जुली सरकारों के गठन की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-से कथन सही हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी
2. निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी-
   1. यदि वह स्वेच्छा से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है।
   2. यदि निर्दलीय के रूप में निर्वाचित कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल में छः माह के अंदर शामिल नहीं होता है।
   3. यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए।

4. कोई सदस्य अपने दल या उसके अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 4

3. निम्न में कौन-सा दल राष्ट्रीय दल नहीं है?
   1. भारतीय जनता पार्टी
   2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
   3. शिव सेना
   4. राष्ट्रीय जनता दल

कूट:

(a) 1 और 4 (b) 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

4. दलबदल विरोधी कानून को भारत की नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में माना गया है। इसने विधायकों या सांसदों को राजनैतिक माईंड सेट के साथ नैतिक और समकालीन राजनीति करने को मजबूर कर दिया है। दलबदल विरोधी कानून ने राजनेताओं को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गियर शिफ्ट करने के लिए हतोत्साहित किया। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का एक सदस्य सदन की सदस्यता के अयोग्य हो सकता है।
   1. यदि वह स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
   2. एक सदन का नामांकित सदस्य, सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि वह किसी भी राजनैतिक दल मे उस दिन से छह महीने के अंदर शामिल हो जाता है जिस दिन वह सदन में अपनी सीट लेता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न ही 1, न ही 2

5. निम्नलिखित में कौन-सा/राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है?
   1. मुस्लिम लीग
   2. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
   3. अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लॉक
   4. पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी ऑफ इण्डिया

कूट:

(a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 4
(c) केवल 3 (d) कोई भी नहीं

6. यदि किसी राज्य विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि–
   (a) मतदान बहुत कम हुआ
   (b) बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था
   (c) निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पर विजय बहुत कम मतों से थी
   (d) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी
7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. दल-बदल विरोधी कानून किसी निर्वाचित सदस्य पर अपने दल के सुस्पष्ट अधिदेश के विरोध में मत देने पर प्रतिबन्ध लगाता है।
   2. दल-बदल विरोधी उपबन्ध उस समय लागू नहीं होते जब किसी दल के 1/3 सदस्य दल के अधिदेश की अवज्ञा करते हैं तथा स्वयं को एक पृथक् दल के रूप में संगठित करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन असत्य है?
   1. भारत का चुनाव आयोग दलों को उनकी सामर्थ्य तथा कार्यकलाप के क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के रूप में वर्गीकृत करता है।
   2. सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अपना अलग चुनाव चिह्न आरक्षित रहता है।
   3. राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के संबंध में चुनाव चिह्न राज्य विशेष अथवा राज्यों तक सीमित रहता है।
   4. 1 दिसम्बर, 2000 को निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिह्न अधिनियम, 1968 में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता के लिए मानदण्ड निर्धारित किये हैं।

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा भारत में दलीय व्यवस्था के सम्बन्ध में सही है?
   1. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग देता है।
   2. भारत में दलीय व्यवस्था बहुदलीय की है।

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(b)	**2**	(b)	**3**	(b)	**4**	(a)	**5**	(c)	**6**	(b)	**7**	(d)	**8**	(d)	**9**	(a)	**10**	(d)
11	(b)	**12**	(a)	**13**	(a)	**14**	(d)	**15**	(b)	**16**	(c)	**17**	(d)	**18**	(d)	**19**	(d)	**20**	(d)

अभ्यास-2

1	(d)	**2**	(b)	**3**	(c)	**4**	(b)	**5**	(d)	**6**	(d)	**7**	(a)	**8**	(d)	**9**	(c)		

EBD_7939

संघ की राजभाषा

20
अध्याय

हमारे संविधान निर्माताओं के सम्मुख जो अनेक दूरूह समस्याएं आई, उनमें से हमारी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अथवा संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न सर्वाधिक जटिल प्रश्न सिद्ध हुआ। अंत में संविधान के भाग-17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343 और 344 के अनुसार, संघ की राजभाषा के संबंध में निम्न उपबंध दिए गए-

1. **संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार:** देवनागरी लिपि वाली हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और कहा गया कि भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप ही होगा। उल्लेखनीय है कि हिन्दी भाषा भारत की कुल जनसंख्या के 46 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
2. **अनुच्छेद 343(2) के अनुसार:** संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका आरंभ से अर्थात् संविधान के लागू होने से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। 15 वर्षों के अर्थात् 25 जनवरी, 1965 के उपरान्त भी संसद किन्ही विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दे सकती है।
3. **अनुच्छेद 343(3) के अनुसार:** 1963 में संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अधीन राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।

राजभाषा आयोग

संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संविधान कुछ विषयों की बाबत परामर्श देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। इस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान प्रारंभ होने से 5 वर्षो के भीतर की जाएगी। उसके बाद प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति के बाद राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जाएगी। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 22 राजभाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी होंगे।

राजभाषा आयोग के कार्य

राजभाषा आयोग का प्रमुख कार्य निम्नलिखित के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सिफ़ारिशें देना हैं-

1. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग पर,
2. संघ के सभी या किंही शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर,
3. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तथा संघ और राज्य की सरकारों द्वारा निर्मित अधिनियमों एवं विधानों की भाषा पर,
4. संघ के किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के विषय में,
5. संघ और किसी राज्य के बीच अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा पर,
6. कोई अन्य विषय जो राजभाषा की बाबत राष्ट्रपति द्वारा आयोग को विनिर्दिष्ट किया जाए।

राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन और संसद की संयुक्त समिति: संविधान के अनुच्छेद 344(4) में यह व्यवस्था है कि राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। इस समिति में लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। इन 30 सदस्यों का चुनाव क्रमानुसार एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 349 में यह व्यवस्था है कि संयुक्त संसदीय समिति राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगी। राष्ट्रपति संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों या सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार निर्देश दे सकेगा।

1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति ने 1957 में विचार किया और इस संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित सिफारिशें की-

1. संविधान में राजभाषा के बारे में एक समेकित योजना है। इस योजना के भीतर राजभाषा के संबंध में आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सकता है।
2. विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं राज्यों में शासकीय कार्यों के माध्यम के रूप में शीघ्रता से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। संघ के प्रयोजनों के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग भी व्यवहारिक और आवश्यक हो गया है, किंतु संघ के संबंध में भाषा संबंधी यह परिवर्तन स्वाभाविक होना चाहिए।
3. 1965 तक अंग्रेजी को मुख्य राजभाषा के रूप में और हिंदी को उपराजभाषा के रूप में चलाना चाहिए। 1965 के पश्चात् हिन्दी संघ की प्रमुख राजभाषा हो जाएगी और अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहेगी।
4. संघ के किसी भी प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।
5. संविधान के अनुच्छेद 351 का राजभाषा के विकास के संबंध में उल्लेखनीय महत्व है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि हिन्दी का इस प्रकार विकास किया जाए कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिन्दी के सरल और सुबोध प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रथम राजभाषा आयोग: राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 344 के तहत प्राप्त अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त समिति ने विचार किया और अपनी राय राष्ट्रपति के पास भेजी। राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि-

1. वैज्ञानिक, प्रशासनिक एवं कानूनी साहित्य संबंध हिन्दी शब्दावली तैयार करने के लिए तथा अंग्रेजी कृतियों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए एक स्थायी आयोग का गठन किया जाए।
2. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे और बाद में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रचलन आरंभ किया जाए।
3. संसदीय विधान कार्य अंग्रेजी में चलता रहेगा तथा उसके अधिकृत हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करनी होंगी।

स्थायी राजभाषा आयोग: राजभाषा आयोग ने शब्दावली के विकास के लिए दो स्थायी राजभाषा आयोगों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने संसदीय समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा 1961 में दो स्थायी राजभाषा आयोग स्थापित किए गए। हिन्दी पर्याय तैयार करने के लिए एक समिति का गठन तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के अधीन तथा दूसरे आयोग का गठन विधि मंत्रालय के अधीन किया गया। 1976 में राजभाषा (विधायी) आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके कार्य भारत सरकार के विधायी विभाग को सौंप दिए गए। दूसरा आयोग अर्थात् वैज्ञानिक और तकनीकि शब्दावली आयोग, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है।

1960 में जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश में राजभाषा आयोग की अन्य सिफारिशों को लागू करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई-

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहे, किंतु कुछ समय पश्चात् हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना लिया जाए अर्थात् परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे।
2. संसदीय विधान अंग्रेजी में ही चलता रहेगा, किंतु मंत्रालय द्वारा इसका प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. जहां किसी राज्य के विधानमंडल में पुन:स्थापित विधेयकों या अधिनियमों का मूल पाठ हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में है, वहां उनका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध करवाया जाएगा।
4. उच्चतम न्यायालय की भाषा अन्तत: हिन्दी होगी।
5. अन्तत: सभी प्रदेशों में हिन्दी सामान्यता सभी निर्णयों, नियमों या आदेशों की भाषा होगी।

राजभाषा अधिनियम, 1963

संविधान के अनुच्छेद 343(3) तथा प्रथम राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध इस प्रकार हैं-

1. संघ के समस्त कार्यकारी एवं विधायी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिश्चित काल तक बनी रहेगी।
2. किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का या किसी केन्द्रीय अधिनियम के तहत निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनिमय आदि का हिंदी में अनुवाद, उसका हिन्दी में प्राधिकृत अनुवाद समझा जाएगा।
3. संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त विधेयकों अथवा उनके संशोधनों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी, किंतु उनका हिंदी में भी प्राधिकृत अनुवाद किया जाएगा।
4. किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग की गई भाषा यदि हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न है तो उन अधिनियमों या अध्यादेशों का उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अनुवाद करवाया जा सकेगा। इस प्रकार किसी अधिनियम या अध्यादेश का अंग्रेजी या हिंदी अथवा दोनों भाषाओं में किया गया अनुवाद उस भाषा का अथवा भाषाओं का प्राधिकृत अनुवाद समझा जाएगा।
5. किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी या अपने राज्य की राजभाषा में अनुवाद करवा सकेगा। इसके अलावा यदि कोई आदेश या निर्णय अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा में दिया गया है, तो उसका अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद करवाया जाएगा।
6. संघ और ऐसे राज्यों के बीच जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्र व्यवहार के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी।

इसके अलावा इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष कार्यों जैसे- प्रस्ताव, सामान्य आदेश, अधिसूचना, नियम, प्रेस-विज्ञप्ति, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट एवं समझौते इत्यादि में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा।

प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973

जब किसी केन्द्रीय विधि का हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया जाता है तो वह उस भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। यह उपबंध संसद ने 1973 में पारित प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम द्वारा स्थापित किया है।

26 नवम्बर, 1949 को अंतिम रूप से स्वीकृत भारतीय संविधान की भाषा अंग्रेजी थी। संविधान सभा के सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने प्राधिकार में मूल संविधान का अनुवाद हिन्दी में करवाया। संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर भी किये। संविधान के इस हिन्दी अनुवाद को संविधान का प्राधिकृत पाठ घोषित किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1987 में संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 394(क) स्थापित किया गया।

इस अनुच्छेद के तहत् हिन्दी में संविधान का प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार हिन्दी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ का है। यदि अर्थ लगाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति आवश्यक समाधान करवाएगा।

राज्य की राजभाषा

1. **संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार:** प्रत्येक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अपने राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को अपने राज्य के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, किंतु जबकि राज्य विधानमंडल इस संबंध में विधि नहीं बनाता, तब तक राज्य की राजभाषा अंग्रेजी ही रहेगी।

EBD_7939

2. **अनुच्छेद 346 के अनुसार:** राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा ही प्राधिकृत भाषा मानी जाएगी।
3. **अनुच्छेद 347 के अनुसार:** यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की गई मांग को सही समझता है तो वह उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजनों के लिए उक्त भाषा (मांगकर्ताओं की भाषा) को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है।

अनुच्छेद 29(क) में मौलिक अधिकारों के साथ कुछ सांस्कृतिक अधिकार भी दिए गए हैं। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग मांग करे और राष्ट्रपति को समाधान हो जाए तो वह आदेश दे सकता है कि उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में सरकारी मान्यता दी जाए।

1963 के राजभाषा अधिनियम में उपबंध है कि संघ तथा अहिंदी भाषी राज्यों के बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होगा और यदि हिन्दी या अहिन्दी राज्य के बीच पत्रादि के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाए, तब ऐसे पत्रादि के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध होगा।

न्यायपालिका की भाषा

संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार: यह व्यवस्था की गई है कि जब तक संसद विधि द्वारा इस संबंध में कोई अन्य उपबंध न करे तब तक-

1. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।
2. संघ अथवा राज्य के विधानमंडलों के विधेयको, कानूनों, नियमों तथा कार्यपाली आदेशों अथवा अध्यादेशों का मूल पाठ अंग्रेजी में होगा।

किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही राज्य की राजभाषा में होने की अनुमति दे सकता है, लेकिन न्यायालय के निर्णय, डिग्री या आदेश केवल अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे। यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक संसद विधि द्वारा इस संबंध में कोई अन्य उपबंध न कर दें।

1963 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि कतिपय दशाओं में राज्य के अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्णयों आदि के संबंध में अधिनियम में प्रावधान है कि हिन्दी या किसी अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है, यदि राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त कर ले और निर्णय आदि के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद नत्थी हो।

लोक शिकायतों की भाषा

अनुच्छेद 350: अनुच्छेद 350 में एक अति महत्वपूर्ण उपबंध है कि न केवल किसी नागरिक को अपितु हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयुक्त किसी भाषा में अभ्यावेदन दे सके। अत: कोई भी सरकारी विभाग, एजेंसी या अधिकारी अभ्यावेदन को लेने के इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि वह राजभाषा में नहीं है।

राजभाषा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

कोई भी सरकार आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अपनी राजभाषा के विकास एवं उन्नति के लिए अपने खर्चे पर किसी अकादमी इत्यादि की स्थापना नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रकार स्थापित अकादमी या संस्था संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन होगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य निधि से संचालित किसी संस्था में किसी धर्म-विशेष या भाषा-विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 27 के पीछे कारण यह है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की ओर से सभी धर्मों, भाषाओं एवं सम्प्रदायों को समान प्रतिष्ठा दी जाएगी। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रस्तुत सन्दर्भ में अनुच्छेद 27 के उल्लंघन का अर्थ यह है कि "कोई सरकार हिन्दुओं के वेद, भगवद्गीता या मुस्लमानों की कुरान अथवा ईसाइयों के बाइबिल आदि धार्मिक ग्रन्थों का अपनी भाषा अकादमी के माध्यम से प्रकाशन, प्रचार और प्रसार नहीं करवा सकती।"

यदि राज्य स्तर में सरकार के खर्चे पर भाषाओं की प्रोन्नति करना चाहता है तो इसका एकमात्र संवैधानिक तरीका यह है कि एक ऐसी भाषा अकादमी स्थापित की जाए जो आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के लिए हो, किंतु उस भाषा अकादमी के माध्यम से किसी धर्म-विशेष का प्रचार प्रसार करना अनुच्छेद 27 का उल्लंघन माना जाऐगा।

अनुच्छेद 351 में संविधान द्वारा केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि हिन्दी के विकास एवं प्रसार के लिए विशेष कदम उठाए ताकि हिन्दी भाषा भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस संबंध में संस्कृत को सर्वाधिक महत्व देते हुए हिन्दी को समृद्ध करने की बात भी कही गई है। केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए तो अनेक प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन संस्कृत के संवर्द्धन के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं, जबकि संस्कृत से शब्द लेकर हिंदी को समृद्ध करने का निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है।

अन्य भाषाओं के प्रयोग से संबंधित विशेष व्यवस्थाएं

अन्य भाषाओं के प्रयोग की रक्षा करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं-

1. अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी किसी शिकायत को दूर करवाने के लिए संघ या राज्य के किसी प्राधिकारी को यथास्थिति संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अपना आवेदन करने का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, किसी शिकायतकर्ता के आवेदन को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि आवेदन हिन्दी या अंग्रेजी में नहीं किया गया है।
2. अनुच्छेद 350 (क) में राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाए।
3. अनुच्छेद 350 (ख) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करे। यह पदाधिकारी संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा, और अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा तथा राष्ट्रपति ऐसे प्रत्येक प्रतिवेदन को संसद में रखवाएगा।

अभ्यास प्रश्न-1

1. निम्नलिखित में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) संविधान के मूल भाग में केवल 14 भाषाओं को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी।
   (b) 1967 में किये गये संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया
   (c) अगस्त 1992 में किये गये 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया।
   (d) अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 24 हो गई है।
2. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा ही प्राधिकृत मानी जाएगी?
   (a) अनुच्छेद 345 के द्वारा (b) अनुच्छेद 346 के द्वारा
   (c) अनुच्छेद 348 के द्वारा (d) अनुच्छेद 350 के द्वारा
3. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन असत्य है?
   (a) वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम भाषा संस्कृत है
   (b) प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया
   (c) वर्ष 1976 में राजभाषा (विधायी) आयोग को समाप्त कर दिया गया
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं?
   (a) 19 (b) 20
   (c) 22 (d) 18
5. संविधान की कौन-सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है?
   (a) सातवीं अनुसूची में (b) आठवीं अनुसूची में
   (c) नवीं अनुसूची में (d) दसवीं अनुसूची में
6. भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसम्बर 1953 में राज्य-पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यपुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था इस आयोग के अध्यक्ष थे-
   (a) जस्टिस फजल अली (b) जस्टिस एम. पी. छागला
   (c) पंडित हृदयनाथ कुंजरू (d) गुलजारी लाल नन्दा
7. निन्नलिखित में से किन चार भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है?
   (a) बोडो, संथाली, अंडमानी, भोजपुरी
   (b) बोडो, संथाली, मैथिली, अंडमानी
   (c) बोडो, संथाली, मैथिली, भोजपुरी
   (d) बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी
8. संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है?
   (a) अनुच्छेद 348 (1) (b) अनुच्छेद 346 (1)
   (c) अनुच्छेद 343 (1) (d) अनुच्छेद 345 (1)
9. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन-सी भाषाएँ बाद में जोड़ी गई थीं?
   (a) अंग्रेजी, सिन्धी, मराठी, संस्कृत
   (b) संस्कृत, सिन्धी, कोंकणी, मणिपुरी
   (c) सिन्धी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
   (d) मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली
10. निम्नलिखित में से किस भाषा को केन्द्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा (क्लासिकल भाषा) का दर्जा दिया गया है?
    (a) गुजराती (b) तमिल
    (c) मराठी (d) मलयालम
11. भारत का पहला चुनाव आयुक्त था
    (a) एस पी सेन वर्मा
    (b) डॉ. नागेन्द्र सिंह
    (c) के वी के सुन्दरम
    (d) डॉ. सुकुमार सेन
12. श्री एन गोपालस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने सम्भाला था?
    (a) वी एस सम्पत (b) एस वाई कुरैशी
    (c) नवीन चावला (d) एम एस गिल
13. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है
    (a) 15 (b) 18
    (c) 22 (d) 14
14. निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अन्तर्गत, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में चार भाषाएँ जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई?
    (a) संविधान (नब्बेवाँ संशोधन) अधिनियम
    (b) संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम
    (c) संविधान (बानवेवाँ संशोधन) अधिनियम
    (d) संविधान (तिरानवेवाँ संशोधन) अधिनियम
15. भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी (official) भाषा का दर्जा दिया गया है?
    (a) 15 (b) 18
    (c) 22 (d) 25
16. निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है?
    (a) बिहार ने
    (b) छत्तीसगढ़ ने
    (c) उत्तर प्रदेश ने
    (d) उत्तराखंड
17. भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है:
    (a) सामान्य बहुमत से
    (b) कम से कम 2/3 बहुमत से
    (c) कम से कम 3/4 बहुमत से
    (d) संशोधित नहीं किया जा सकता

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-2

1. प्रथम राजभाषा अयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
   1. राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 344 के तहत प्राप्त अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया।
   2. श्री वी.जी. खेर इस आयोग के अध्यक्ष बने।
   3. इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
   4. इस प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति ने 27, अप्रैल 1960 को आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि संसदीय विधान कार्य अंग्रेजी में चलता रहेगा तथा उसके अधिकृत हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करनी होगी।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सत्य हैं-
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) केवल 4 (d) उपरोक्त सभी
2. संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जब तक संसद विधि द्वारा इस संबंध में कोई अन्य उपबंध न करे तब तक-
   1. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी।
   2. संघ अथवा राज्य के विधानमंडलों के विधेयकों, कानूनों, नियमों तथा कार्यपालक आदेशों अथवा अध्यादेशों का मूल पाठ अंग्रेजी में होगा।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा कथन सत्य है?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनो (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. अनुच्छेद 345 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
   2. भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है।
   3. अनु. 344 राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति गठित करने का उपबंध करता है।
   4. संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

   उपरोक्त में कौन सा/से कथन असत्य है?
   (a) केवल 1 (b) 2 और 3
   (c) 2, 3 और 4 (d) केवल 4
4. निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए।
   1. गुजराती 2. कन्नड़
   3. तेलुगू

   उपर्युक्त में से किसको/किनको सरकार ने 'श्रेण्य (क्लासिकी) भाषा/भाषाएं घोषित किया है?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
5. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
   1. भारत में 100 गैर-अधिसूचित भाषाएँ हैं, जिन्हें कम-से-कम एक लाख या उससे अधिक लोग बोलते हैं।
   2. भारत में 42 ऐसी भाषाएँ हैं, जिन्हें 10000 से भी कम लोग बोलते हैं और इन्हें संकटापन्न समझा जा रहा है।
   3. भारत का सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज (मैसूर) इन संकटापन्न भाषाओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है।

   निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें:
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
6. निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए-
   1. गुजराती 2. कन्नड़ 3. तेलुगू

   उपर्युक्त में से किसको/किनको सरकार ने शास्त्रीय (क्लासिकी) भाषा/ भाषाएं घोषित किया है?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1 संविधान में राजभाषा के संबंध में अध्याय 17 में उल्लेख किया गया है।
   2. हिंदी दिवस 14 सितम्बर को मनाया जाता है।
   3. संघ की राजभाषा हिंदी को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त तीनों
8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. वर्तमान नियमानुसार संसद की कार्रवाई हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में होती है।
   2. संसदीय राजभाषा समिति में लोक सभा के 20 व राज्य सभा के 10 सदस्य होते हैं।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों कथन सही है
   (d) दोनों कथन गलत है
9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. संविधान के अनुच्छेद 348 में उल्लेख किया गया है कि जब तक कोई और व्यवस्था न की जाए तब तक उच्च/उच्चतम न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।
   2. संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 20 भाषाएं हैं।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों कथन सही है
   (d) दोनों कथन गलत है
10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. राजभाषा की दृष्टि से भारत को 03 क्षेत्रों में बांटा गया है।
    2. राजभाषा की दृष्टि से बांटे गये क्षेत्रों में चंडीगढ ''ग'' क्षेत्र में आता है।
    3. अंडमान निकोबार द्वीप समूह को राजभाषा की दृष्टि से ''ख'' क्षेत्र में रखा है क्योंकि यह राज्य हिन्दी भाषी है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1, 2 और 3 तीनों कथन गलत है
    (d) तीनों कथन सही है

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त नाम पट्ट, पत्र शीर्ष, लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी-अंग्रेजी भाषा में लिखित, मुद्रित या उत्कीर्ण की जायेगी।
    2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उपयोग में लाई जाने वाली द्वि भाषी रबर की मोहरों में ऊपर हिन्दी भाषा में एवं नीचे अंग्रेजी भाषा में लिखना अनिवार्य है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों कथन सही है
    (d) दोनों कथन गलत है
12. निम्न कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितम्बर, 1949 स्वीकार किया गया था
    2. भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा प्रान्त में कोंकणी भाषा बोली जाती है
    3. भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषायी समूह इण्डो-आर्यन है

    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 2 और 3 (d) उपरोक्त तीनों कथन सही है
13. निम्न कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. केन्द्रीय हिंदी समिति की बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं।
    2. क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें तीन महीने में एक बार आयोजित की जाती है।

    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों सही है (d) दोनों कथन गलत है
14. राजभाषा के सम्बन्ध में निम्न कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. 1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया
    2. वर्ष 1967 में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया है
    3. केन्द्रीय हिन्दी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

    नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करे:
    (a) 1 तथा 2 (b) 2 तथा 3
    (c) 1 तथा 3 (d) 1, 2 तथा 3
15. राजभाषा के सम्बन्ध में निम्न कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. अनुच्छेद 343(1) में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
    2. अनुच्छेद 344 (4) में यह व्यवस्था है कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे।
    3. कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और हिंदी में काम करने को प्रेरित करने के लिए राजभाषा उत्सव मनाया जाता है।
    4. संविधान के भाग-V में राजभाषा नीति सम्बंधित उपबंध अनुच्छेद-120 में है।

    नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करे:
    (a) 1 तथा 2 (b) 2 तथा 3
    (c) 1 तथा 3 (d) 1, 2, 3 तथा 4
16. राजभाषा के सम्बन्ध में निम्न कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. अनुच्छेद-344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति वर्ष 1955 में हुई
    2. राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बी.जी. खेर थे
    3. वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था

    नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करे:
    (a) 1 तथा 2 (b) 2 तथा 3
    (c) 1 तथा 3 (d) 1, 2, 3 तथा 4
17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. वर्ष 1986-87 से इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना प्रचालनरत है
    2. हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना का प्रथम पुरस्कार ₹40,000 का है
    3. अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधान मंडल राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को अपने सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त तीनों
18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. रेल हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता रेल मंत्री करते हैं
    2. प्रति वर्ष रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में अराजपत्रित कर्मचारी को ₹5000/ प्रथम पुरस्कार दिया जाता है
    3. रेल राजभाषा त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त तीनों

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(d)	**2**	(b)	**3**	(a)	**4**	(c)	**5**	(b)	**6**	(a)	**7**	(d)	**8**	(c)	**9**	(c)	**10**	(b)
11	(d)	**12**	(c)	**13**	(c)	**14**	(c)	**15**	(c)	**16**	(d)	**17**	(b)						

अभ्यास-2

1	(c)	**2**	(c)	**3**	(a)	**4**	(c)	**5**	(d)	**6**	(c)	**7**	(d)	**8**	(c)	**9**	(a)	**10**	(a)
11	(c)	**12**	(d)	**13**	(b)	**14**	(d)	**15**	(d)	**16**	(a)	**17**	(d)	**18**	(d)				

EBD_7939

संविधान संशोधन

21 अध्याय

संविधान एक जीवित और परिवर्तनशील प्रलेख है। देश और काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नई-नई सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। विश्व के संविधानों को प्रायः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है- नम्य संविधान और अनम्य संविधान। संघीय संविधान अनम्य होते हैं, इसलिए इनके संशोधन की प्रक्रिया कठिन और जटिल होती है। भारतीय संविधान अपनी निराली संशोधन प्रक्रिया के फलस्वरूप नम्यता और अनम्यता का सामंजस्य उपस्थित करता है। भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल लिखित संविधान है, फिर भी अनम्य या कठोर नहीं है।

परम्परा, न्यायिक व्याख्या तथा संविधान में संशोधन के द्वारा ही संविधान का विकास संभव होता है। परंपरा राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप को निश्चित तौर पर निर्धारित करती है तथा न्यायिक व्याख्या के माध्यम से उच्चतम न्यायालयों ने समय-समय पर संवैधानिक समस्याओं की व्याख्या की है, किंतु लिखित संविधान का विकास औपचारिक संशोधन के द्वारा ही संभव होता है।

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

भारत का संविधान न तो इंग्लैंड के संविधान की भांति इतना लचीला है कि संसद साधारण कानूनों की भांति साधारण बहुमत से इसे बदल सके और न ही अमेरिका की भांति इतना कठोर है जिसमें संविधान की एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। भारतीय संविधान निर्माता इस बात से भली-भांति परिचित थे कि संविधान न इतना कठोर बने कि उसमें समयानुसार और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना संभव न हो और न ही इतना लचीला बने कि सत्तारूढ़ दल अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार इसमें बार-बार परिवर्तन कर सके। अतः उन्होंने इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया।

संवैधानिक प्रावधानः संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग-20, अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन निम्न प्रकार से होता है-

(क) साधारण बहुमत सेः हमारे संविधान में कुछ ऐसे उपबंध है, जिन्हें अथवा जिनके प्रभाव को संसद बिना किसी संवैधानिक संशोधन के सामान्य विधि प्रक्रिया के द्वारा अर्थात् साधारण बहुमत द्वारा बदल सकती है। ऐसे उपबंध हैं-

1. अनुच्छेद 2, 3 व 4 जिससे संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों को प्रविष्ट कर सके, सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके और तदनुसार प्रथम व चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन कर सके।
2. अनुच्छेद 73(2) जिसमें संसद को यह अधिकार है कि वह कोई निश्चित व्यवस्था होने तक राज्य में कुछ सुनिश्चित शक्तियां निहित कर सकती है।
3. अनुच्छेद 75, 97, 125, 148, 165(5) तथा 221(2) जो द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की आज्ञा देते हैं।
4. अनुच्छेद 100(3) संसदीय गणपूर्ति का प्रावधान है।
5. अनुच्छेद 105 जो संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था करता है।
6. अनुच्छेद 106 जो संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था करता है।
7. अनुच्छेद 118(2) संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किए जाने पर प्रक्रिया से संबंधित विधि की व्यवस्था करता है।
8. अनुच्छेद 120(3) जो संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है।
9. अनुच्छेद 124(1), 133(3) तथा 135 जो संसद द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के न किए जाने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के द्वारा उच्चतम न्यायालय को भेजी गई अपील को रोकने, उच्चतम न्यायालय के लिए सुनिश्चित अधिकार क्षेत्र नियत करने की व्यवस्था करते हैं।
10. अनुच्छेद 169(1) जो कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। इत्यादि।

(ख) दो-तिहाई बहुमत तथा राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति सेः संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान है जो वास्तव में संघ एवं राज्यों, दोनों से संबंधित हैं। इनके संशोधन के लिए संशोधन विधेयक को निम्न दो चरणों से गुजरना पड़ता है-

1. संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है।
2. संसद द्वारा जब उक्त प्रक्रिया के अनुसार विधेयक पारित हो जाता है तो वह दूसरे चरण में प्रवेश करता है, जिसमें उक्त संशोधन विधेयक को संघ राज्यों में से कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। उसके पश्चात् राष्ट्रपति की सहमति से संसद में संशोधन लागू हो जाता है। यह संशोधन प्रक्रिया निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं-

1. अनुच्छेद 54- राष्ट्रपति का निर्वाचन।
2. अनुच्छेद 55- राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली।
3. अनुच्छेद 72- संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा।

4. अनुच्छेद 162- संघ के राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा।
5. अनुच्छेद 241- केन्द्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय।
6. अनुच्छेद 368- संविधान में संशोधन प्रक्रिया।
7. संविधान के भाग 5 का अध्याय 4- संघ की न्यायपालिका।
8. संविधान के भाग 6 का अध्याय 5- राज्यों के उच्च न्यायालय।
9. भाग 11 का अध्याय 1- संघ और राज्यों के विधायी संबंध।

(ग) दो-तिहाई बहुमत द्वारा संशोधन: इसके अन्तर्गत संविधान के वे सभी उपबंध आते हैं जिनमें उक्त दोनों विधियों द्वारा संशोधन संभव नहीं होता। इनको संशोधित करने के लिए संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक विधेयक को सदन की कुल सदस्य संख्या को बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर विधेयक पारित माना जाएगा और संविधान में आवश्यक संशोधन लागू होगा।

संशोधन पद्धति की आलोचना

यद्यपि संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श संशोधन पद्धति अपनाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी जो संशोधन पद्धति अपनाई गई है उसमें कुछ अस्पष्टाएं और त्रुटियां हैं, जो निम्नलिखित हैं-

1. राज्य विधानमण्डलों से पुष्टि के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं।
2. संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने की व्यवस्था नहीं।
3. संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं।
4. संविधान संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था का अभाव।

उपर्युक्त आधारों पर संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की गई है।

संविधान संशोधन प्रक्रिया की विशेषताएं

भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की कत्तिपय विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट है कि संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार संसद में निहित है और संशोधन के लिए अलग संस्था के गठन की आवश्यकता नहीं है।
2. राज्यों के विधानमंडल संशोधन संबंधी विधेयक का प्रस्तुतीकरण नहीं कर सकते।
3. संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है।
4. संशोधन संबंधी विधेयक उसी प्रकार पारित होना चाहिए जिस प्रकार अन्य विधेयक पारित होते हैं।
5. संविधान संशोधन विधेयकों का जनता के द्वारा पुष्टीकरण नहीं होता।
6. संसद में संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य नहीं है।
7. संविधान के प्रत्येक अंश में संशोधन किया जा सकता है।

भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया न तो जटिल है और न ही एकदम लचीली बल्कि संतुलित है, यही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है।

संविधान संशोधन अधिनियम

1950 में संविधान के प्रारंभ से लेकर वर्ष 2019 तक संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। ये सब संशोधन संसद ने अपनी विधायी शक्ति के प्रयोग के माध्यम से किए गए हैं। अब तक किए गए संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित हैं-

1. **संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1950:** यह संविधान का प्रथम संशोधन था। इसके द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342 और 376 में संशोधन किया गया। नवीन अनुच्छेद अर्थात् 31(क) और 31(ख) को संविधान में अन्त:स्थापित किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नवीन अनुसूची अर्थात् नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।
2. **संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1952:** इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया। यह संशोधन विधेयक संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन से संबंधित था। अत: इस विधेयक के लिए अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग 'क' और भाग 'ख' में विनिर्दिष्ट राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त किया गया।
3. **संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1954:** इस संशोधन के द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (अर्थात् समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 में संशोधन किया गया। चूंकि यह संशोधन अधिनियम केन्द्र राज्य विधायी संबंधों को शासित करने वाली सातवीं अनुसूची की एक सूची में संशोधन के लिए था, अत: इस अधिनियम के संबंध में भी अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग 'क' और भाग 'ख' में विनिर्दिष्ट राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त किया गया।
4. **संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31, 31(क) और 305 तथा संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन किया गया।
5. **संविधान (पांचवा संशोधन) अधिनियम, 1955:** इस संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया।
6. **संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956:** इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 269 और 286 का संशोधन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्ट 54 और सूची I में प्रविष्ट 92(क) अन्त:स्थापित की गई। चूंकि यह अधिनियम केन्द्र-राज्य विधायी संबंधों को शासित करने वाली सातवीं अनुसूची में संशोधन के लिए था, अत: इसके संबंध में अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग 'क' और भाग 'ख' विनिर्दिष्ट राज्यों में से आधे से अधिक राज्य विधानमंडल का समर्थन प्राप्त किया गया।
7. **संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 49, 80, 81, 131, 153, 168, 170, 171, 216, 217, 220, 222, 224, 230, 231, 232, 239, 240, 298 और 371 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम द्वारा नवीन अनुच्छेद अर्थात् 258, 290(क), 350(क), 350(ख), 372(क) और 378(क) संविधान में अन्त:स्थापित किए गए। इस

अधिनियम द्वारा संविधान की पहली, दूसरी, चौथी और सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 46, 67 और सूची II की प्रविष्टि 12, 24 तथा सूची III की प्रविष्टि 40 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 238, 242, 243, 259, 278, 306 और अनुच्छेद 379 से 391 तक के सभी अनुच्छेदों का लोप कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग 'ख' का लोप कर दिया गया। इस संशोधन अधिनियम पर भी अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त किया गया।

8. **संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 334 का संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई।
9. **संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960:** भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते के क्रियान्वयन हेतु असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के क्षेत्र को पाकिस्तान को प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। इस संशोधन अधिनियम के संबंध में अनुच्छेद 3 के तहत् पश्चिम बंगाल राज्य के विधानमंडल से विचार प्राप्त किए गए। इस अधिनियम के संबंध में आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त किए गए। इस अधिनियम के संबंध में आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अनुच्छेद 368 के "परन्तुक" में राज्यक्षेत्रीय परिवर्तन उल्लिखित नहीं था।
10. **संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 240 और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर दादर और नगर हवेली को संघ राज्यक्षेत्र का दर्जा दिया गया।
11. **संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 66 और 71 में संशोधन करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधिमान्यता को प्रश्नगत करने के अधिकार को संकुचित बना दिया गया।
12. **संविधान (बारहवां संशोधन) अधिनियम, 1962:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 240 और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमण और दीव को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया।
13. **संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962:** इस अधिनियम के द्वारा एक नवीन अनुच्छेद अर्थात् 371 'क' संविधान में स्थापित किया गया। इसके द्वारा नागालैंड राज्य के प्रशासन के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
14. **संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962:** इस अधिनियम के द्वारा पांडिचेरी, कराइकल, माहे और यनम के भूतपूर्व फ्रांसीसी राज्यक्षेत्रों को संयुक्त कर संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक-से-अधिक राज्य-विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

इस संशोधन अधिनियम के द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमण और दीव पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्रों को अपना विधानमंडल और मंत्रिपरिषद् बनाने की वही अधिकारिता प्रदान की गई जो अधिकारिता राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से पूर्व भाग 'ग' राज्यों को प्राप्त थीं।

इस संशोधन के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया। यह व्यवस्था मुख्यत: पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए की गई।

15. **संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 124, 128, 217, 222, 224, 224(क), 226, 297, 311 और 316 में तथा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 78 में संशोधन किया गया। इन संशोधनों के द्वारा निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, अनुच्छेद 226 के अधीन, रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया गया। इसके द्वारा उच्च न्यायालय अपने अधीन राज्य क्षेत्र के बाहर स्थित सरकार या प्राधिकारी के विरूद्ध भी रिट जारी कर सकता है, यदि वाद उसकी अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ है। अनुच्छेद 311 द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद के अनुसार सिविल सेवा से पदच्युत करने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया। इस संशोधन अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
16. **संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963:** इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन करके संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह भारत की प्रभुता और अखण्डता को प्रश्नगत करने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगा सके। इसके अलावा अनुच्छेद 84, 173 और तीसरी अनुसूची में संशोधन किया गया। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
17. **संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31 'क' का संशोधन किया गया तथा नौवीं अनुसूची में 21 से 64 तक की प्रविष्टियां जोड़ी गई।
18. **संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 3 में यही स्पष्टीकरण जोड़ा गया कि संसद को नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बनाने की विस्तृत शक्ति है। इस अधिनियम के द्वारा भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा नामक दो पृथक राज्य बनाने का उपबंध किया गया।
19. **संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 324 में संशोधन करके निर्वाचन के कर्त्तव्यों के संबंध में स्थिति को स्पष्ट किया गया।

EBD_7939

20. **संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 233 'क' संविधान में स्थापित करके, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को विधिमान्य घोषित किया गया।
21. **संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967:** इस अधिनियम के द्वारा "सिधी" को आठवीं अनुसूची मे विनिर्दिष्ट राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया।
22. **संविधान (बाइसवां संशोधन) अधिनियम, 1969:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244(क), 371(ख) और 275 में खण्ड (1क) स्थापित किए गए। इनके द्वारा असम राज्य में छठी अनुसूची के भाग 2(क) में विनिर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत राज्य मेघालय का गठन किया गया। इस अधिनियम के संबंध में आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
23. **संविधान (तेइसवां संशोधन) अधिनियम, 1969:** इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि का विस्तार करने हेतु अनुच्छेद 330, 332, 333 और 334 का संशोधन किया गया। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
24. **संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 13 में खण्ड (4) स्थापित किया गया, अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यह भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन। संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
25. **संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31 के खण्ड (2) में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 31(ग) संविधान में अन्त:स्थापित किया गया। सम्पत्ति का अधिग्रहण किए जाने पर प्रतिकर पर्याप्त है या नहीं इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई कि यदि किसी अधिनियम में यह घोषणा है कि वह अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) के निदेशक तत्वों को प्रभाव देने के लिए है तो उसे इस आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि उससे मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
26. **संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 291 और 362 का लोप कर दिया गया, अनुच्छेद 363(क) संविधान में अन्त:स्थापित किया गया और अनुच्छेद 366(22) का संशोधन किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों के शासकों की मान्यता समाप्त करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई।
27. **संविधान (सताइसवां संशोधन) अधिनियम, 1971:** इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 'क' और 240 का संशोधन किया गया, अनुच्छेद 239 'ख' और 371 'ग' संविधान में अन्त:स्थापित किए गए। इस अनुच्छेद अधिनियम द्वारा मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया।
28. **संविधान (अठाइसवां संशोधन) अधिनियम, 1972:** इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 312 'क' संविधान में अन्त:स्थापित किया गया, अनुच्छेद 314 का लोप किया गया तथा भूतपूर्व भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की सेवा-शर्तें और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।
29. **संविधान (उन्नतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972:** इस अधिनियम के द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में मद 65 और 66 जोड़ी गई। केरल राज्य के भूमिसुधार से संबंधित दो विधेयकों को नौवीं अनुसूची में रखा गया।
30. **संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 133(1) का संशोधन किया गया और यह व्यवस्था कर दी गई कि उच्चतम न्यायालय में केवल ऐसी ही अपीलें हो सकेंगी, जिनमें विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो। इस अधिनियम के संबंध में आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
31. **संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 81, 330 और 332 में संशोधन किया गया और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई।
32. **संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973:** इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 371(1) में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 371(घ) से 371(ड़) तक के अनुच्छेद संविधान में अन्त:स्थापित किए गए, सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 63 में संशोधन किया गया।
33. **संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को नवम् अनुसूची में शामिल किया गया।
34. **संविधान (चौंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974:** इस अधिनियम के द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में 67 से 86 तक की मदें जोड़ी गई। इस अधिनियम द्वारा विभिन्न राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को नवम अनुसूची में शामिल किया गया।
35. **संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974:** इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 2 'क' अन्त:स्थापित किया गया, अनुच्छेद 80 से 81 तक संशोधन किया गया, संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई और सिक्किम को सहयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
36. **संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975:** इस संशोधन में अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, अनुच्छेद 2 'क' और संविधान की दसवीं अनुसूची का लोप किया गया, पहली अनुसूची में मद 22 जोड़ी गई एक नवीन अनुच्छेद अर्थात् 371(च) संविधान में अन्त:स्थापित किया गया, चौथी अनुसूची में प्रविष्टि 23 जोड़ी गई। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
37. **संविधान (सैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239(क) से 240 तक का संशोधन किया गया। इसके अलावा अरूणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया।

EBD_7939

38. **संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239(ख), 352, 356, और 360 का संशोधन करके राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश के प्रख्यापन को न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि से बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
39. **संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975:** इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329(क) अन्त:स्थापित किया गया और अनुच्छेद 71 का संशोधन किया गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
40. **संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976:** इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 297 प्रतिस्थापित किया गया, नौवीं अनुसूची में 125 से 188 तक की मदें जोड़ी गई। इसके अलावा यह व्यवस्था की गई कि भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड अथवा महाद्वीपीय मग्न तट भूमि, खनिज आदि निहित होंगे। संसद को यह अधिकार होगा कि वह राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट आदि भूमि को निश्चित या नियत करे।
41. **संविधान (इक्तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976:** इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316 का संशोधन करके संयुक्त आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई।
42. **संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976:** यह संशोधन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 'समाजवाद' 'पंथ निरपेक्ष' आदि शब्द जोड़े गए। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31(ग), 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 105, 118, 145, 166, 170, 172, 189, 191, 194, 208, 217, 225, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368 और 371'च' में तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया।

    इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 103, 150, 192 और 226 संविधान में प्रतिस्थापित किए गए। अनुच्छेद 31(घ), 32(क), 39(क), 43(क), 48(क), 131(क), 139(क), 144(क), 226(क), 228(क), 257(क), 323(क), और 323(ख) संविधान में अन्त:स्थापित किए गए। इस संशोधन अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
43. **संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977:** इस अधिनियम के द्वारा 42वें संशोधन से स्थापित अनुच्छेद 31(घ), 32(क), 131(क) और 144(क), 226(क) और 228 का लोप किया गया तथा अनुच्छेद 145 का संशोधन किया गया। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31(घ) को भी, जिसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कतिपय कानून बनाने के लिए संसद को विशेष शक्तियां दी गई थीं, हटा दिया गया।
44. **संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा 42वें संशोधन से किए गए समस्त परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया और एक नए अनुच्छेद 300(क) को अन्त:स्थापित कर सम्पत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 से निकाल कर इसमें अनुच्छेद 300(क) में रखा गया। इससे सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1)(च), 31, 74(4), 123(4), 166(4), 213(4), 239ख(4), 257क और 239क का लोप किया गया तथा अनुच्छेद 30(1क), 134क, 361क संविधान में अन्त:स्थापित किए गए।

    इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19(1), 22, 31क, 31ग, 38, 71, 74, 83, 103, 105, 123, 132-134, 139क, 172, 192, 194, 217, 225, 226, 227, 329, 356, 358, 359, 360, 361, और 371च संशोधन सहित संविधान में प्रतिस्थापित किए गए। इस अधिनियम पर भी आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
45. **संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 334 में उपबंधित आरक्षण की अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य-विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
46. **संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982:** इस अधिनियम द्वारा विक्रय-कर से संबंधित अनुच्छेद 269, 286 और 366 में संशोधन किया गया तथा सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 92ख को अन्त:स्थापित किया गया।
47. **संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984:** इस अधिनियम द्वारा संविधान की नौंवी अनूसूची में 189 से 202 तक की मदें जोड़ी गई।
48. **संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984:** इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (5) में "परन्तुक" अन्त:स्थापित करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई।
49. **संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 244 तथा पांचवी और छठी अनुसूची में संशोधन किया गया। त्रिपुरा के संबंध में छठी अनुसूची को लागू किया गया।
50. **संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984:** इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 33 प्रतिस्थापित किया गया।
51. **संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984:** इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन किया गया। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
52. **संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985:** इस संशोधन के द्वारा दल-बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 का संशोधन किया गया तथा संविधान में दसवीं अनुसूची अन्त:स्थापित की गई। संक्षेप में इस संशोधन अधिनियम को दल-बदल विरोधी कानून कहते हैं।
53. **संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 371छ को संविधान में स्थापित कर मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

54. **संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 125 और 221 में तथा दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई।
55. **संविधान (पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986:** इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371ज अन्त:स्थापित करके अरूणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया।
56. **संविधान (छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987:** इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371झ अन्त:स्थापित किया गया। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का विभाजन करके गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर वहां विधानसभा की व्यवस्था की गई। दमन और दीव को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया।
57. **संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987:** इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 332 में खंड (3क) अन्त:स्थापित किया गया। अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन करके नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में तथा नागालैंड और मेघालय विधानसभाओं में इन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में व्यवस्था की गई।
58. **संविधान (अठावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987:** इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 394क अन्त:स्थापित किया गया। इसके अलावा इस संशोधन के द्वारा संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत अनुवाद करवाने की भी व्यवस्था की गई।
59. **संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (5) में "परन्तुक" प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 359(क) संविधान में अन्त:स्थापित किया गया। अनुच्छेद 356 का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि आपात उद्घोषणा आवश्यकतानुसार 3 वर्ष तक प्रवृत्त रह सकेगी। अनुच्छेद 352 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के अलावा पंजाब या उसके किसी भाग में आन्तरिक उपद्रव फैलाने या उसकी संभावना होने पर राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकेगा।
60. **संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988:** इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन करके वृत्ति-कर की अधिकतम सीमा 2,500 रूपये की गई जबकि इससे पूर्व यह सीमा 250 रूपये थी।
61. **संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989:** इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई जबकि पहले यह 21 वर्ष थी। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
62. **संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989:** इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 334 का संशोधन करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाकर 50 वर्ष (अर्थात् संविधान के प्रारंभ होने से सन् 2000 तक) कर दी गई। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
63. **संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989:** इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (5) के "परन्तुक" और अनुच्छेद 359क का लोप कर दिया गया। यह व्यवस्था पंजाब में आपात उद्घोषणा को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई।
64. **संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990:** इस अधिनियम द्वारा पंजाब में आपात् उद्घोषणा को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 356 में आवश्यक संशोधन किए गए।
65. **संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990:** इस अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।
66. **संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990:** इस अधिनियम द्वारा संविधान की नौंवी अनुसूची में 203 से 257 तक की मदें स्थापित की गई।
67. **संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990:** इस अधिनियम द्वारा पंजाब में आपात् उद्घोषणा को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। आपात् उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 4 वर्ष निश्चित की गई।
68. **संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991:** इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में आपात् उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी।
69. **संविधान (उनहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1991:** इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239कक और 239कख अंत:स्थापित करके दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई।
70. **संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992:** इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 54 और 368 का संशोधन करके दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की शक्ति प्रदान की गई।
71. **संविधान (इक्हत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992:** इस अधिनियम द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया।
72. **संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992:** इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 322 में संशोधन किया गया है, ताकि त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए तब तक के लिए अस्थायी व्यवस्था, की जा सकें, जब तक की संविधान के 170वें अनुच्छेद के अन्तर्गत वर्ष 2000 के बाद प्रथम जनगणना के आधार पर सीटों का तालमेल न हो जाए।
73. **संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992:** स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से यह संशोधित अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग अर्थात् भाग 9क जोड़ा गया जो कि पंचायतों के विषय में है। संविधान के इस भाग में 243 से 243ण तक के अनुच्छेद हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। यह अधिनियम 25 अप्रैल, 1993 से प्रभावी है।

EBD_7939

74. **संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993:** इस संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरपालिकाओं के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात् भाग 9क जोड़ा गया। इस नवीन भाग में अनुच्छेद 243त से 243यछ तक के अनुच्छेद हैं। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। यह अधिनियम 1 जून, 1993 से प्रभावी है।
75. **संविधान (पिचत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994:** इस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों में राज्य स्तरीय किराया संशोधन अभिकरण स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 14क के अनुच्छेद 323ख में संशोधन किया गया है।
76. **संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994 (नौवीं अनुसूची):** तमिलनाडु में आरक्षण अधिनियम को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
77. **संविधान (सत्तहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995:** सरकारी सेवाओं में प्रोन्नतियों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का कोटा सुरक्षित किया गया।
78. **संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995:** संविधान का अनुच्छेद 31बी नौंवी अनुसूची में शामिल उन कानूनों को इस आधार पर चुनौति देने से संवैधनिक छूट प्रदान करता है कि इससे संविधान के खंड-3 में सुरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की सरकारें और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की सूची है।
79. **संविधान (उन्नासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999:** अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों एवं एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण 2010 तक बढ़ाया गया।
80. **संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 (अनुच्छेद 269, 270, 272):** केन्द्रीय करों की निबल प्राप्तियों का 26 प्रतिशत भाग राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान।
81. **संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000:** अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से बाहर रखने का प्रावधान।
82. **संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000:** पदों पर पदोन्नति देने के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी परीक्षा के अर्हता अंकों में अथवा मूल्यांकन स्तरों में नरमी बरतने के लिए की गई व्यवस्था।
83. **संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000:** अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में सीट आरक्षण से छूट क्योंकि वहां की पूर्ण जनसंख्या जनजातीय है।
84. **संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 (अनुच्छेद 82, 170(3):** 1991 की जनगणना के आधारों पर राज्यों में लोकसभा व विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बगैर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना।
85. **संविधान (पिचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 (अनुच्छेद 16 (4) (क):** सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था।
86. **संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002:** इस अधिनियम के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21क संविधान में जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिली 12 दिसंबर, 2002 को।
87. **संविधान (87वां संशोधन) अधिनियम, 2003:** इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 में संशोधन करके प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार, अनुच्छेद 330 में 1991 के स्थान पर 2001 रखकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का निर्णय 2001 की जनसंख्या के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया। 87वां संविधान संशोधन लोकसभा में 6 मई, 2003 को और पारित हुआ। इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली-22 जून, 2003 को।
88. **संविधान (88वां संशोधन) अधिनियम, 2003:** इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 268, 269, 270 में आंशिक संशोधन किए गए हैं, तथा संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची-I संघीय सूची में 92बी की प्रविष्टि के बाद निम्नवत् नई प्रविष्टि जोड़ दी गई है, अर्थात् "92सी, सेवाओं पर कर"
89. **संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003:** इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके शीर्षक में परिवर्तन कर, "नेशनल कमीशन फॉर शुडूल्ड कास्ट्स" कर दिया गया है, तथा नया अनुच्छेद 338ए में जोड़ दिया गया है जिससे अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है।
90. **संविधान (90वां संशोधन) अधिनियम, 2003:** इसके द्वारा अनुच्छेद 332 में संशोधन कर नया प्रोवीजों रख दिया गया है, जिसमें असम राज्य की विधानसभा में बोडोलैंड टेरीटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट में सम्मिलित चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के संबंध में प्रावधान है।
91. **संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003:** 97वें संविधान संशोधन विधेयक का जनवरी, 2004 में हस्तक्षारित होने के बाद अब उसे 91वें संशोधन अधिनियम मान लिया गया है। इसके द्वारा दल-बदल कानून में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के चलते अब दल-बदल करने वाला विधायक/सांसद सदन की सदस्यता खोने के साथ-साथ सदन के शेष कार्यकाल अथवा पुनर्निर्वाचित होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) मंत्रीपद या लाभ के किसी अन्य पद के लिए आयोग्य हो जाएगा।

    उपर्युक्त अधिनियम द्वारा ही केंद्र राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है। इसके तहत् सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक हो सकेगी। छोटे राज्यों जहां सदस्य संख्या 40-40 है, में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 हो सकेगी।

92. **संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम 2003:** इसके द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में चार भाषाएं बढ़ा दी गई हैं, जो निम्नवत है- मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली।

तिरानबेवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2005

इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में एक नया उपबंध (5) जोड़ा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को सरकारी अनुदान के बिना ही चल रही निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के प्रवेशार्थियों को प्रवेश में आरक्षण उपलब्ध कराने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

चौरानबेवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2006

इस अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद-164(1) को संशोधित करके छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में जनजातीय मामलों की देख-रेख हेतु पृथक् मंत्री की नियुक्ति का अनिवार्य प्रावधान किया गया है, जबकि बिहार को इससे बाहर कर दिया गया है। अब इस संशोधित सूची में ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश हैं, जहां जनजातीय मामलों की देखरेख हेतु पृथक मंत्री की नियुक्ति की जानी अनिवार्य है।

पिच्चयानवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2009

इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत लोक सभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। 1999 के 79वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई 10 वर्ष की अवधि 25 जनवरी, 2010 को समाप्त हो गई। इससे पूर्व इसकी अवधि 10-10 वर्ष के लिए 8वें, 23वें, 45वें, 62वें एवं 79वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई जाती रही है।

छियानबेवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2011

इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची [अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351] में 15वें स्थान पर आने वाली भाषा उड़िया का नाम परिवर्तन कर ओडिया कर दिया गया है।

सत्तानबेवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2011

इस अधिनियम को 12 जनवरी, 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके द्वारा संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 19 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) में या संघ के बाद या सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। भाग-IV में अनुच्छेद 43ख जोड़ा गया है तथा भाग-9क के पश्चात् भाग-9ख जोड़ा गया है। इनमें सहकारी समितियों के गठन, विनियमन एवं विधि संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2012

संविधान में अनुच्छेद 371(J) शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था।

99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2013

यह अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (N.J.A.C.) की संरचना एवं कामकाज हेतु संविधान की विभिन्न अनुच्छेद 124(2), 127(1), 128, 217(1) व (2) तथा 224(क) में संशोधन किया गया।

सौवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2015

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 मई 2015 को 119 वें संविधान संशोधन विधेयक-2013 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (एलबीए-लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट) से संबंधित है।

इससे पहले, यह विधेयक मई 2015 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था।

यह भारतीय संविधान का 100वां संशोधन है जिसके तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है।

इस निर्णय के बाद बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र मिले (17160 एकड़) जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र (7110 एकड़) क्षेत्र प्राप्त हुए।

असम में भारत को 470 एकड़ भूमि बांग्लादेश से प्राप्त हुई जबकि 268 एकड़ बांग्लादेश को दिया गया।

परिक्षेत्र प्रत्येक देश के एक छोटे भूभाग को कहते हैं जो दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में घिरा होता है। इस विधेयक में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मेघालय में मौजूद परिक्षेत्र शामिल हैं।

संविधान संशोधन (101वां) अधिनियम, 2016

8 सितम्बर, 2016 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 अस्तित्व में आया। जीएसटी परिषद की स्थापना 15 सितंबर 2016 को की गई।

29 मार्च, 2017 को माननीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक लोकसभा के विचारार्थ एवं पारित करने हेतू पेश किये। ये थे- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक, 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक, 2017, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक, 2017 और जीएसटी (राज्यों की क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017। ये सभी विधेयक लोकसभा ने 29 मार्च, 2017 को और राज्य सभा ने 06 अप्रैल, 2017 को पारित कर दिये।

102वां संविधान संशोधन विधेयक, 2018

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में 123वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हुआ। सरकार की तरफ से बिल में कुछ संशोधन किए गए, जिसमें आयोग में महिला सदस्य को भी शामिल किया गया है। साथ ही राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप को लेकर विपक्ष की शंका भी दूर करने की कोशिश की गई है।

103वां संविधान संशोधन विधेयक, 2018

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। इस बाबत सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गयी। संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 को शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गयी थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, "संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 14 जनवरी को उस तारीख के रूप में चिह्नित करती है जिस दिन कथित कानून के प्रावधान प्रभाव में आएंगे।" अधिनियम में

EBD_7939

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन किया गया है और एक उपबंध जोड़ा गया है जो राज्यों को "आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान" बनाने का अधिकार देता है। 'विशेष प्रावधान' अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य निजी संस्थानों समेत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से जुड़ा है। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।

भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन	
राष्ट्रपति	5,00,000
उप-राष्ट्रपति	4,00,000
प्रधानमंत्री	1,60,000
राज्यों के राज्यपाल	3,50,000
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	2,80,000
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	2.50,000
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त	2,50,000
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष	2,50,000
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	2,50,000
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष	2,50,000
भारत के कैबिनेट सचिव	2,50,000
संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल	1,10,000
तीनों सेनाओं के प्रमुख	2,50,000
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	2,50,000
उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश	2,25,000
लोक सभा एवं राज्य सभा के सदस्य	1,00,000
भारत सरकार के अन्य सचिव	2,25,000
तीनों सेनाओं के उप प्रमुख	2,25,000
राज्य सरकारों के मुख्य सचिव	2,25,000
भारत सरकार के सहायक सचिव	1,82,000
राज्य सरकारों के प्रिंसिपल सचिव	1,82,000
भारत सरकार के संयुक्त सचिव	1,44,000
राज्य सरकारों के सचिव	1,44,000

अभ्यास प्रश्न-1

1. राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद् के मध्य वर्तमान सम्बन्ध निम्नलिखित में से किस अधिनियम के उपबन्धों से शासित हैं?
   (a) 42वाँ (संशोधन) अधिनियम
   (b) 48वाँ (संशोधन) अधिनियम
   (c) 54वाँ (संशोधन) अधिनियम
   (d) 44वाँ (संशोधन) अधिनियम
2. भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसमें ग्राम-पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है?
   (a) 72वाँ (b) 73वाँ
   (c) 75वाँ (d) 76वाँ
3. 93वाँ संविधान संशोधन किसके संबंध में है?
   (a) आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एंव संथाली भाषाओं को शामिल करना।
   (b) संघ द्वारा उद्गृहीत एवं संघ तथा राज्यों द्वारा वसूले गए तथा विनियेजित सेवा-कर को सातवीं अनुसूची में शामिल करना।
   (c) 6 तथा 14 वर्ष के बीच की आयु वाले सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
   (d) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के सदस्यों की निजी शिक्षण संस्थाओं सहित सभी शिक्षण संस्थाओं (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर) में आरक्षण का प्रावधान।
4. निम्न में कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं हैं?
   (a) 1 संविधान संशोधन - इसके द्वारा संविधान में एक नवीन अनुसूची अर्थात नौवीं अनुसूची जोड़ी गई
   (b) 3 संविधान संशोधन - इस संशोधन द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में संशोधन किया गया।
   (c) 21 संविधान संशोधन - इस अधिनियम द्वारा "मैथली" को आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया।
   (d) 42 संविधान संशोधन - इस अधिनियम द्वारा पहली बार संविधान की "प्रस्तावना" में संशोधन किया गया।
5. 87वें संविधान संशोधन अधिनियम-2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया है?
   (a) 2001 (b) 2010
   (c) 1991 (d) 1971
6. 'शिक्षा' पहले राज्य सूची के अन्तर्गत आती थी, इसको किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया है?
   (a) 24 वाँ संशोधन (b) 36 वाँ संशोधन
   (c) 42 वाँ संशोधन (d) 44 वाँ संशोधन
7. संसद को मौलिक अधिकारों में सशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया?
   (a) 42 वाँ संशोधन
   (b) 24 वाँ संशोधन
   (c) 44 वाँ संशोधन
   (d) संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है
8. भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' एवं 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए-
   (a) 44 वें संशोधन द्वारा (b) 42 वें संशोधन द्वारा
   (c) 25 वें संशोधन द्वारा (d) 24 वें संशोधन द्वारा

9 . निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को 'लघु संविधान' (Mini-constitution) कहा गया था?
(a) 42 वें (b) 44 वें
(c) 46 वें (d) 50 वें

10. संविधान का 65 वाँ संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है?
(a) भूमि सुधार कानून
(b) अनु. जाति व अनु. जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा
(c) राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए
(d) अल्पसंख्यक वर्ग के आयोग के गठन के लिए

11. संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है?
(a) 42 वें संशोधन (b) 44 वें संशोधन
(c) 48 वें संशोधन (d) 24 वें संशोधन

12. संविधान के 21 वें संशोधन द्वारा संविधान की आठवीं अनूसूची में निम्नलिखित में कौन-सी भाषा शामिल की गई है?
(a) संस्कृत (b) सिन्धी
(c) उर्दू (d) अंग्रेजी

13. संविधान के किस संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों की आयु-सीमा 60 वर्ष से बढाकर 62 वर्ष की गई?
(a) 39 वें संशोधन द्वारा (b) 41 वें संशोधन द्वारा
(c) 42 वें संशोधन द्वारा (d) 44 वें संशोधन द्वारा

14. 44 वें संविधान संशोधन का एक उपबन्ध यह भी है कि एक मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलम्बित नहीं किया जा सकता है, वह मूल अधिकार है-
(a) अबाध विचरण की स्वतंत्रता का अधिकार
(b) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
(c) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(d) अवसर की समानता का अधिकार

15. किस संविधान संशोधन के अन्तर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया?
(a) 30वाँ संशोधन (b) 36वाँ संशोधन
(c) 32वाँ संशोधन (d) 42वाँ संशोधन

16. भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया?
(a) 1951 में (b) 1950 में
(c) 1958 में (d) 1955 में

17. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 6 की गई है?
(a) 45वाँ संविधान संशोधन (b) 44वाँ संविधान संशोधन
(c) 43वाँ संविधान संशोधन (d) 42वाँ संविधान संशोधन

18. भारत के संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में पहला संशोधन कब हुआ?
(a) 1951 में (b) 1971 में
(c) 1976 में (d) 1984 में

19. 52 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम संविधान की किस सूची में रखा गया है?
(a) 7वीं सूची (b) 9वीं सूची
(c) 8वीं सूची (d) 10वीं सूची

20. संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अन्तर्गत संशोधित किया गया है?
(a) 31वें (b) 34वें
(c) 44वें (d) 42वें

21. निम्नलिखित में से कौन-सा संशोधन अधिनियम 'मिनी संविधान' माना जाता है?
(a) 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
(b) 24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971
(c) 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
(d) 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

22. राष्ट्रीय आपात-घोषणा का दुरूपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है
(a) 42वाँ संशोधन अधिनियम (b) 43वाँ संशोधन अधिनियम
(c) 44वाँ संशोधन अधिनियम (d) 45वाँ संशोधन अधिनियम

23. संविधान का 93 वाँ संशोधन सम्बन्धित है–
(a) सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से
(b) 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से
(c) सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से
(d) हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से

24. निम्न सांविधानिक संशोधनों में से कौन-से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से सम्बन्धित हैं?
(a) 6वाँ और 22 वाँ (b) 13वाँ और 38वाँ
(c) 7वाँ और 31वाँ (d) 11वाँ तथा 42वाँ

25. 104वाँ संविधान संशोधन विधेयक किससे सम्बन्धित था?
(a) कुछ राज्यों में विधान परिषदों के उत्सादन समाप्त किए जाने से
(b) भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए द्वैध नागरिकता आरम्भ करने से
(c) निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से
(d) केन्द्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से

26. निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केन्द्र और किसी राज्य में मन्त्रिपरिषद् का आकार, क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा?
(a) 91वाँ (b) 93वाँ
(c) 95वाँ (d) 97वाँ

27. मूल भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई।
(a) प्रथम संशोधन द्वारा (b) आठवें संशोधन द्वारा
(c) नौवें संशोधन द्वारा (d) 42वें संशोधन द्वारा

EBD_7939

अभ्यास प्रश्न-2

1. ऐसे कौन-से मामले हैं, जिन पर संवैधानिक संशोधन सम्भव है, जिनमें कम-से-कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति आवश्यक हैं?
   1. राष्ट्रपति का चुनाव
   2. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
   3. सातवीं अनुसूची की सूची में कोई एक
   4. किसी राज्य के विधानपरिषद् को समाप्त करना।

   कूट

   (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
   (c) 1, 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

2. निम्नलिखित में से कौन-कौन से अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं?
   1. अनुच्छेद 97 2. अनुच्छेद 165(5)
   3. अनुच्छेद 214 4. अनुच्छेद 241

   कूट

   (a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
   (c) 1 और 2 (d) केवल 4

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुरः स्थापना द्वारा ही प्रारम्भ किया जा सकता है।
   2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की माँग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमण्डल द्वारा किया जाना भी आवश्यक हैं।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
   1. संविधान संशोधन से सम्बन्धित विधेयक का आरम्भ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है।
   2. संविधान संशोधन विधेयक केवल मन्त्री द्वारा ही संसद में पेश किया जा सकता है।
   3. राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
   4. संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा ही।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) 3 और 4
   (d) 1 और 4

5. संविधान का 73वाँ (संशोधन) अधिनियम निम्नलिखित में से किन-किन राज्यों पर लागू नहीं होता है?
   1. नागालैण्ड 2. मिजोरम
   3. जम्मू-कश्मीर 4. मेघालय

   कूट

   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 4
   (c) 2 और 3 (d) ये सभी

6. निम्न कथनों पर विचार करें?
   1. संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा ही।
   2. संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक का आरम्भ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है।
   3. संविधान संशोधन विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही संसद में पेश किया जा सकता है।
   4. राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन असत्य है?

   (a) 1 और 2 (b) 3 और 4
   (c) केवल 3 (d) केवल 4

7. भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. लोक सम्प्रभुता और वयस्क मताधिकार संविधान के मूल लक्षण हैं।
   2. जहाँ तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध है, संविधान संशोधन कठिन होता है।
   3. संविधान नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योन्याश्रिता को मान्यता देता है।
   4. संविधान जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के जनमत संग्रह उपक्रम प्रत्याह्वन जैसे तरीकों का प्रावधान करता है।

   कूटः

   (a) केवल 1 (b) 1, 2 और 4
   (c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2 और 3

8. साधारण बहुमत से संशोधित होने वाले उपबंध हैं-
   1. किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन
   2. राज्य में विधान परिषदों का गठन या सृजन
   3. कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमण्डलों का सृजन
   4. उच्चतम/उच्च न्यायालय की भाषा
   5. पाँचवीं/छठी अनुसूची

   कूटः

   (a) 1, 2, 3, 4 और 5 (b) 1, 2, 3 और 4
   (c) 1, 4 और 5 (d) 2, 3, 4 और 5

9. भारत में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किनमें संशोधन लाने के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है?
   1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका
   2. संघ और राज्यों की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार
   3. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ
   4. सातवीं अनुसूची में शामिल कोई सूची

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
   (a) 1, 2, 3 और 4
   (b) केवल 1, 2 और 3
   (c) केवल 3 और 4
   (d) केवल 1 और 2

10. 2003 में यथा संशोधित संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम 1985 के अनुसार दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत एक विधायक की निर्हरता होगी, यदि-
   1. वह ऐसे राजनैतिक दल की, जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है, सदस्यता स्वेच्छापूर्वक छोड़ देता है।
   2. वह अपने राजनैतिक दल द्वारा दिए गए दिशानिर्देशन के विरूद्ध मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है।
   3. विभाजन के परिणामस्वरूप, एक-तिहाई से कम सदस्य सदन में नया समूह या दल बना लेते हैं।
   4. वह सदस्य जो स्वतंत्र सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है, किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
   (a) 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
   (c) 1 और 2 (d) 1, 2, 3 और 4

11. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (संविधान में संशोधन)	**सूची-II (विषय वस्तु)**
A. संविधान (उनहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1991	1. राज्यस्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना
B. संविधान (पचहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1994	2. अरूणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं
C. संविधान (अस्सीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2000	3. गाँवों या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन
D. संविधान (तिरासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2000	4. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना
	5. दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना

   कूट:
   (a) A-5, B-1, C-4, D-2 (b) A-1, B-5, C-3, D-4
   (c) A-5, B-1, C-3, D-4 (d) A-1, B-5, C-4, D-2

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारत के संविधान में 22 भाग हैं।
   2. भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं।
   3. भारत के संविधान में नवीं, दसवीं, बारहवीं अनुसूचियों को संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) केवल 2
   (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

13. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (भारत के संविधान के संशोधन)	**सूची-II (विषय)**
A. 52 वाँ संशोधन अधिनियम, 1985	1. मतदान आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करना
B. 73 वाँ संशोधन अधिनियम, 1992	2. शिक्षा का अधिकार
C. 61 वाँ संशोधन अधिनियम, 1988	3. पंचायती राज
D. 86 वाँ संशोधन अधिनियम, 2006	4. दल-बदल के आधार पर अयोग्यता

   कूट :

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	4	1	3	2
(b)	4	3	1	2
(c)	2	3	1	4
(d)	2	1	3	4

14. संविधान के 73वें संशोधन में निम्न में से कौन-कौन से उपबंध किए गए हैं?
   1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से चुनाव करवाना।
   2. राज्य शासन द्वारा कार्यों का न्यागमन।
   3. राज्य वित्त आयोग का सृजन।
   4. त्रिस्तरीय भारतीय संघ की स्थापना।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

15. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    1. इससे, सभी राज्यों के लिए यह अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की तीन-स्तरीय प्रणाली (व्यवस्था) को स्थापित करें।
    2. प्रतिनिधि पाँच वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए।
    3. सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की एक-तिहाई सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 3

16. 2003 में यथा संशोधित संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम 1985 के अनुसार दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत एक विधायक की निरर्हता होगी, यदि
    1. वह ऐसे राजनैतिक दल की, जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है, सदस्यता स्वेच्छापूर्वक छोड़ देता है।
    2. वह अपने राजनैतिक दल द्वारा दिये गये दिशानिर्देशन के विरूद्ध मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है।
    3. विभाजन के परिणाम स्वरूप, एकतिहायी से कम सदस्य सदन में नया समूह या दल बना लेते हैं।
    4. वह सदस्य जो स्वतंत्र सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है, किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है।

    नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4
    (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

17. भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों में से किनमें संशोधन लाने के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों का अनुसमर्थन आवश्यक है?
    1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका
    2. संघ और राज्यों की कार्यपालक शक्ति का विस्तार
    3. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ
    4. सातवीं अनुसूची में शामिल कोई सूची

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

    कूट:
    (a) 1, 2, 3 और 4
    (b) केवल 1, 2, और 3
    (c) केवल 3 और 4
    (d) केवल 1 और 2

18. भारत के संविधान में ऐसे उपबन्ध हैं, जो संसद को संविधान के कुछ उपबन्धों के प्रवर्तन को, बिना वास्तव में उनका संशोधन किए, उपान्तरित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं। उनमें शामिल हैं।
    1. अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत बनाई गई कोई विधि (नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से सम्बन्धित)
    2. अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत बनाई गई कोई विधि (नए राज्यों के निर्माण से सम्बन्धित)
    3. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 और 2
    (b) केवल 2 और 3
    (c) 1, 2 और 3
    (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

19. संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस/किन चीजों की व्यवस्था करता है?
    1. जिला योजना समितियों का गठन करने की
    2. राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की
    3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की

    निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

20. भारत के संविधान की नवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथन/कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
    1. वह 1951 में प्रथम संशोधन से अंत:स्थापित की गई।
    2. इसमें वे विधियाँ सम्मिलित हैं जो न्यायिक पुनर्विलोकन के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं।
    3. वह 42वें संशोधन द्वारा अंत: स्थापित की गई।
    4. नवीं अनुसूची में प्राथमिक रूप से वे विधियाँ हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित हैं।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) 3 और 4 (d) केवल 3

21. संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस/किन चीजों की व्यवस्था करता है?
    1. जिला योजना समितियों का गठन करने की
    2. राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की
    3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की

    निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

EBD_7939

22. संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था?
    (a) सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर, 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएँगी
    (b) पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियन्त्रण के लिए राज्य अपने-अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे
    (c) पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएँगे, यदि इनकी दो से अधिक सन्तानें हैं
    (d) यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो छः महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएँगे

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. भारत के संविधान के भाग IX में पंचायतों से सम्बन्धित उपबन्ध है और उसे संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है।
    2. भारत के संविधान के भाग IXA में नगरपालिकाओं से सम्बद्ध उपबन्ध हैं तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगरपालिकाएँ हो सकती हैं–नगरपालिका परिषद् और नगर निगम।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) दोनों 1 व 2 (d) न ही 1 व न ही 2

24. संविधान का 73 वाँ संशोधन पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। इस उपबंध की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं?
    1. सभी राज्यों में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था।
    2. प्रत्येक पाँच वर्षों में पंचायत चुनाव।
    3. महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण 33% से कम नहीं।
    4. विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों का गठन

    नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
    (c) 1, 2 और 4 (d) 2, 3 और 4

25. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? **[IAS Prelims 2019]**
    1. गर्भवती महिलाएँ, प्रसव-पूर्व तीन महीने और प्रसवोत्तर तीन महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं।
    2. शिशुगृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम-से-कम छह बार शिशुगृह जाने की अनुमति देना अतिवार्य होगा।
    3. दो बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
    (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(d)	**4**	(c)	**7**	(b)	**10**	(b)	**13**	(b)	**16**	(a)	**19**	(d)	**22**	(c)	**25**	(c)		
2	(b)	**5**	(a)	**8**	(b)	**11**	(b)	**14**	(b)	**17**	(b)	**20**	(d)	**23**	(b)	**26**	(a)		
3	(d)	**6**	(c)	**9**	(a)	**12**	(b)	**15**	(b)	**18**	(c)	**21**	(c)	**24**	(c)	**27**	(a)		

अभ्यास-2

1	(a)	**4**	(b)	**7**	(d)	**10**	(d)	**13**	(b)	**16**	(d)	**19**	(c)	**22**	(c)	**25**	(c)		
2	(c)	**5**	(d)	**8**	(a)	**11**	(a)	**14**	(c)	**17**	(a)	**20**	(c)	**23**	(a)				
3	(d)	**6**	(b)	**9**	(a)	**12**	(c)	**15**	(d)	**18**	(a)	**21**	(c)	**24**	(b)				

EBD_7939

विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध

22 अध्याय

संविधान के भाग-16, अनुच्छेद 330 से 342 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल-भारतीय समुदाय, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति

भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का यह मत था कि हरिजनों अर्थात् अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं और विधानमंडलों में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आरक्षण से इन वर्गों को सरकार और सरकार की विभिन्न सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकेगा।

अनुसूचित जातियों में प्राय: उन जातियों को शामिल किया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई समझी जाती हैं। ये जातियां पीढ़ियों से अप्रिय, अमान्य अथवा हीन समझे जाने वाले कार्यों, जैसे- मल उठाना, सफाई करना, मृत पशु को उठाना, मोची का कार्य करना आदि के कार्य में लिप्त रही हैं। अनुसूचित जनजातियों में उन जातियों को शामिल किया गया है जो ऐसे क्षेत्रों में रह रही हैं जिनका भौतिक विकास नहीं हुआ है अथवा जो प्राय: आदिवासी क्षेत्र कहे जाते हैं। दूसरे शब्दों में आदिवासी, भील और खानाबदोश आदि जातियां अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। अत: इन दोनों ही श्रेणियों के व्यक्तियों को विकास की धारा के साथ जोड़ने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता समझी गई।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध

संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं दी गई, किंतु संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके इस संबंध में एक सूची बनाए। संसद इस सूची का पुनरीक्षण कर सकती है।

संवैधानिक उपबंध

संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. अनुच्छेद 15 के अनुसार, राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। किंतु अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए मूलवंश, जाति या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर अपनी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा।
2. अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को अबाध संचरण और निवास करने का अधिकार दिया गया है। किंतु, अनुच्छेद 19 के भाग 5 में यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य नागरिकों के निवास एवं संचरण से संबंधित उक्त मौलिक अधिकार पर आवश्यक एवं युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। किसी भी प्रकार के छुआछूत या अस्पृश्यता के व्यवहार को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
4. अनुच्छेद 16(4) में यह कहा गया है कि राज्य समाज के पिछड़े या कमजोर वर्गों के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
5. अनुच्छेद 46 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समाज के कमजोर वर्गों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
6. मूल संविधान के अनुच्छेद 338 में जातियों एवं जनजातियों के कल्याण से संबंधित एक पदाधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। किंतु 1990 में किए गए संविधान के 65वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद के संशोधित उपबंधों के अनुसार एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना का उपबंध किया गया है। आयोग को सौंपे गए अन्य अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के अलावा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को उनके अधिकारों एवं रक्षोपायों से वंचित करने की शिकायतों की जांच का कार्य भी आयोग को सौंपा गया है। संविधान का 65 वां संशोधन 12 मार्च, 1992 से प्रभावी हो गया है।
7. अनुच्छेद 339(1) के अनुसार राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में अपना प्रतिवेदन देने के लिए इस संविधान के प्रारंभ होने से अर्थात् 26 जनवरी, 1950 प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात् एक आयोग की नियुक्ति करेगा।
8. अनुच्छेद 339(2) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को बनाने और उनके निष्पादन में आवश्यक समझे जाएं।

9. अनुच्छेद 275(1) में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार संघ से यह अपेक्षा की गई है कि वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण से संबंधित किसी राज्य की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाए।
10. अनुच्छेद 164 के "परन्तुक" में यह कहा गया है कि बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जो अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभारी भी हो सकेगा। व्यवहार में इस तीनों राज्यों के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी अनुच्छेद की अपेक्षा के अनुसार "कल्याण मंत्री" का पद सृजित किया गया है।
11. संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची में उन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं।

लोकसभा और राज्य विधानमंडल में आरक्षण

1. **अनुच्छेद 330:** इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए केन्द्रीय संसद के निम्न सदन अर्थात् लोकसभा में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का आधार जनसंख्या पर निर्भर है। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 40 स्थान आरक्षित हैं।
2. **अनुच्छेद 332:** इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित किसी भी प्रकार के आरक्षण को मूल संविधान में 10 वर्ष तक लागू किया गया था, किंतु राजनीतिक कारणों से 10 वर्ष की इस अवधि को 1959 में 20 वर्षों के लिए, 1969 में 30 वर्षों के लिए कर दिया गया तथा 1980 में यह अवधि 40 वर्षों के लिए कर दी गई। 1989 में किए गए संविधान के 62वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 334 में एक उपबंध स्थापित किया गया। इस अनुच्छेद के उपबंध के अनुसार इस अवधि को संविधान प्रारंभ होने से 50 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था जनवरी, 2000 में समाप्त हो गई हैं, किंतु इस उपबंध के नवीनतम संशोधन (79) संविधान संशोधन अधिनियम, 1999 द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 60 वर्षों अर्थात् 2010 तक के लिए कर दिया गया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग

संविधान के 65वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके इस आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं-

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों की जांच करना।
2. इन जातियों के सदस्यों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना।
3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधानित संवैधानिक संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करना।
4. इन जातियों के सदस्यों के संरक्षण के कार्यों पर प्रति वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना।
5. इन जातियों के सदस्यों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
6. इसके अतिरिक्त संविधान की 5वीं अनुसूची जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है, के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में कार्य करना।

भारत में अल्पसंख्यक वर्ग

भारत में अल्पसंख्यकों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

(क) धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक

भारत एक बहुधर्मी देश है। यहां अनेक धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं, जैसे- हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, जैन, बौद्ध आदि। इनमें से हिंदू धर्म के अनुयायी बहुमत में है, जबकि मुस्लिम, सिक्ख, इसाई आदि धर्मों के अनुयायी अल्पमत में हैं।

मुस्लिम धर्म

ब्रिटिश शासन काल में भारत की 40 करोड़ की आबादी में से नौ करोड़ मुसलमान थे। 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी भारत में काफी संख्या में मुसलमान रह गए। 1991 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 12 प्रतिशत भाग मुसलमानों का है। स्वाधीन भारत में मुसलमानों को न केवल संविधान और कानून के द्वारा समान अधिकार और संरक्षण की गारंटी प्राप्त है, बल्कि इन्हें महत्त्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक सम्मान भी प्रदान किया गया है। डा. जाकिर हुसैन और फखरूद्दीन अली अहमद ने देश के उच्चतम पद अर्थात् राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। श्री हिदायतुल्ला, श्री एम. एच. बेग और ए. एम. अहमदी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद राष्ट्रीय मोर्चा सरकार (1989) में केन्द्रीय गृहमंत्री थे। श्री गुलाब नबी आजाद नरसिंह राव के सरकार में पर्यटन मंत्री थे। डॉ. ए.पी.जे. कलाम भी राष्ट्रपति पद पर शोभायमान थे।

इसके अलावा मुसलमानों की देश के आम चुनावों में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इन चुनावों में देश के सर्वप्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस (इ) की शानदार सफलताओं के पीछे मुसलमानों का कांग्रेस समर्थन होना प्रमुख कारण रहा है। 1977 और 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के पीछे मुस्लिम मतदाताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद ने जहां एक ओर हिंदू वोटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है, वहां मुस्लिम वोटों को कांग्रेस से हटाकर जनता दल, समाजवादी जनता दल, बहुजन समाज पार्टी व साम्यवादियों के मध्य विभाजित किया है।

ईसाई धर्म

इसाई धर्म के अनुयायी भी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में गिने जाते हैं। दक्षिण भारत और केरल में ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। ईसाइयों ने राजनीति की अपेक्षा सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखा है।

EBD_7939

सिक्ख धर्म

स्वतंत्रता के बाद सिक्खों के अकाली आन्दोलन ने पंजाबी भाषा के आधार पर पृथक राज्य की मांग रखी। 1966 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा और पंजाब राज्य बनाए गए। नवगठित पंजाब राज्य में सिक्खों की कुल जनसंख्या 61 प्रतिशत हो गयीं। सिक्खों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल, संसद एवं विधानसभाओं में पर्याप्त स्थान दिए गए हैं। देश के आठवें राष्ट्रपति एक सिख अर्थात् ज्ञानी जैल सिंह थे। राजीव गांधी की सरकार में बूटा सिंह गृहमंत्री थे। श्री सुरजीत सिंह बरनाला तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पंजाब के सिक्खों के एक वर्ग ने पृथक "खालिस्तान" की मांग को लेकर भयंकर आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभ कर दी, जिसके कारण 1982 से 1991 तक पंजाब समस्या एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या बनी रही।

(ख) भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक

भारत में भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से इस अर्थ में भिन्न है कि बंगाली, तमिल, तेलुगू, मलयालम, हिंदी और उर्दू आदि भाषाओं को बोलने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। भाषाई अल्पसंख्यकों की गंभीर मांगों के कारण 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश, भाषा, (तेलुगू) के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है।

अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध

एक अल्पसंख्यक समूह से अभिप्राय उस समूह से है जो अपनी जाति, भाषा अथवा धर्म की दृष्टि से बहुमत अथवा बहुसंख्यक समूह से भिन्न है और अल्पमत में है। 1957 में केरल शिक्षा विधेयक के संबंध में दिए गए अपने निर्णय में अल्पसंख्यक समूह की परिभाषा देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी समूह जिसकी संख्या पचास प्रतिशत से कम हो, वह अल्पसंख्यक वर्ग में आता है। पचास प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक होने या न होने के प्रश्न का एक राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में निर्धारण किया जाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में "अल्पसंख्यक" शब्द का तो प्रयोग किया गया है, किंतु अल्पसंख्यकों की परिभाषा संविधान में कहीं नहीं दी गई है।

संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में निम्न उपबंध किए हैं-

1. **धार्मिक स्वतंत्रता:** भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को अग्रसर करने के लिए कोई उपबंध नहीं हैं।
2. **भाषा और संस्कृति का अधिकार:** भारतीय राज्यक्षेत्र के प्रत्येक नागरिक या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है जो अपनी भाषा या संस्कृति बनाए रखना चाहते हैं तो राज्य विधि द्वारा बहुसंख्यकों की या किसी स्थान की अन्य संस्कृति उन पर अधिरोपित नहीं कर सकता। यह उपबंध धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण देता है तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को भी।
3. **मातृभाषा में शिक्षण सुविधाएँ:** संविधान के अनुच्छेद 350 में यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि इस निमित राज्य को उचित निर्देश दें।
4. **भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध:** अनुच्छेद 350 (ख) के अधीन राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अर्थात् भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। इस विशेष पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संविधान में उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट समय पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाएगा और राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन राज्यों को भिजवाएगा।
5. **इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार:** अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का और उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है तथा अपने समुदाय के बालकों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार भी प्राप्त हैं।
6. **शिक्षण संस्थाओं को राज्य की सहायता देने में विभेद न किया जाना:** अनुच्छेद 30 (2) के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

संसद ने संविधान, संघ और राज्य विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 अधिनियमित किया। इस आयोग के प्रमुख कार्य हैं-

1. अल्पसंख्यकों से संबंधित, कोई भी निर्देश जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा दिया गया हो, उस पर अमल करना।
2. अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए समय-समय पर अथवा विशेष रिपोर्ट तैयार करके केन्द्रीय सरकार के समक्ष पेश करना।
3. संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए किए गए विकास कार्यों का मूल्यांकन करना।
4. अल्पसंख्यकों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त रक्षोपायों तथा संसद और राज्यों की विधायिका द्वारा अधिनियमित किए गये कानूनों के कार्यान्वयन का संचालन करना।
5. अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सुझाव देना।
6. अल्पसंख्यकों में शिक्षा का विकास तथा सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के संबंध में शोध कार्य करना।
7. उन कारणों की समीक्षा करना, जिनके द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ विभेद किया गया हो तथा उन कारणों को दूर करने के लिए प्रभावशाली उपायों की अनुशंसा करना।

आंग्ल-भारतीय समुदाय

भारतीय समाज में आंग्ल-भारतीय समुदायों की विशेष स्थिति होने के कारण संविधान में इनके हितों की रक्षा के लिए उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(2) में आंग्ल-भारतीय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-

"ऐसे व्यक्ति जिसका पिता या पितृ परम्परा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किंतु जो भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासी है और जो ऐसे राज्यक्षेत्र में ऐसे माता-पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहां साधारणतया निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं।"

आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए संविधान द्वारा किए गए विशेष उपबंध निम्न प्रकार से हैं-

1. अनुच्छेद 331 और 333 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं मे आंग्ल-भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।
2. अनुच्छेद 331 के अनुसार संसद में आंग्ल-भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर राष्ट्रपति इस समुदाय के दो प्रतिनिधि लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।

संविधान के 23वें संशोधन अधिनियम, 1969 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह समझे की राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह जितने उचित समझे राज्य विधानसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। वर्तमान समय में भी राज्यों में इस समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

अन्य पिछड़ा वर्ग

हमारे संविधान मे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अलावा 'पिछड़ा वर्ग' अभिव्यक्ति का भी उल्लेख किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे उपेक्षित वर्ग है, जिन्हें संविधान में 'पिछड़े वर्ग' का संबोधन दिया गया है। संविधान में पिछड़े वर्ग की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ये संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं-

1. **अनुच्छेद 15 के अनुसार:** अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा या इसी प्रकार के किसी अन्य आधार पर राज्य द्वारा विभेद करने का प्रतिषेध करता है, किंतु यह अनुच्छेद सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की राज्य की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। दूसरे शब्दों में, यदि राज्य पिछड़े वर्गों के हित में कोई विशेष उपबंध करता है तो ऐसे उपबंधों को विभेदकारी होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता।
2. **अनुच्छेद 29(2) के अनुसार:** राज्य निधि से सहायता पाने वाली या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति भाषा आदि के आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा।
3. **अनुच्छेद 16 के अनुसार:** राज्य की सेवाओं में भर्ती के संबंध में किसी नागरिक के साथ भेदभाव की मनाही की गई है, किन्तु राज्य पिछड़े वर्गों के हित में अपनी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण कर सकता है।
4. **अनुच्छेद 161 के 'परन्तुक' की व्यवस्था के अनुसार:** लगभग सभी राज्यों में और केंद्र में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक "कल्याण मंत्री" के पद का सृजन किया गया है।
5. **अनुच्छेद 340:** यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है।

पिछड़ा वर्ग आयोग

पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा उन्नति के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक पिछड़ा वर्ग आयोगों का गठन किया गया है। इन आयोगों में उल्लेखनीय हैं-

काका साहेब कालेलकर आयोग

अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। वर्ष 1953 में राष्ट्रपति ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को निम्नलिखित के बारे में सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया-

1. वह कौन-सा परीक्षण होगा जिसके द्वारा जनता के किसी वर्ग या समूह को पिछड़ा कहा जा सकता है।
2. सम्पूर्ण भारत के लिए ऐसे पिछड़े समुदायों की सूची तैयार करना।
3. पिछड़े वर्गों की कठिनाइयों की परीक्षा करना और उनकी स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय बताना।

1955 में आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, किंतु आयोग द्वारा सुझाए गए उपाय सरकार को बहुत अस्पष्ट और अव्यावहारिक प्रतीत हुए।

बी.पी. मंडल अयोग

काका साहेब कालेलकर आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों की विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से 20 सितम्बर, 1978 को मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े आयोग की नियुक्ति की। मंडल आयोग ने 1980 में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की। अगस्त, वर्ष 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने की घोषणा कर दी।

मंडल आयोग पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

मंडल आयोग की प्रस्तावित 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की सरकारी घोषणा से समाज में अव्यवस्था फैल गई। अन्ततः उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से शांति-व्यवस्था स्थापित हो सकीं। 15 नवम्बर, 1992 को उच्चतम न्यायालय ने मंडल रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित आरक्षण के संबंध में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया। नौ न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय में न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिए गए इस 27 प्रतिशत आरक्षण को उचित ठहराया, किंतु इस संबंध में एक अपवाद यह जोड़ा कि पिछड़े वर्गों के समृद्ध लोगों को आरक्षण का लाभ न दिया जाए। न्यायालय ने 25 सितम्बर, 1991 के नरसिंह राव सरकार के उस आदेश को असंवैधानिक माना, जिसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्गों को भी दस प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

EBD_7939

न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह नहीं बताया कि "पिछड़े वर्ग" में किन्हें शामिल किया जाए? इस संबंध में न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया कि वह इस कार्य के लिए एक आयोग की स्थापना करे। इस प्रकार स्थापित आयोग न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में पिछड़े वर्गों की पहचान करें।

न्यायालय के निर्देशानुसार संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 पारित किया जो 1 फरवरी, 1993 को लागू हुआ। अगस्त, 1993 में न्यायाधीश आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। न्यायाधीश आर.एन. प्रसाद आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने अपनी सेवाओं में 9 सितंबर, 1993 में पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए।

आरक्षण के संबंध में वर्तमान स्थिति

25 अगस्त, 1994 को संविधान के 85वें संशोधन को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा तमिलनाडु के आरक्षण संबंधी बिल को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया। उल्लेखनीय है कि नौंवी अनुसूची में जिस अधिनियमों को डाल दिया जाता है। उनके संबंध में न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तमिलनाडु सरकार ने उक्त आरक्षण विधेयक के द्वारा राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में 69 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी।

22 जुलाई, 1994 को उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति जो किसी राज्य विशेष में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहा है, वह दूसरे किसी राज्य में उन सुविधाओं की अधिकारत: मांग नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य विशेष की सरकार द्वारा घोषित "आरक्षण सूची" में शामिल नहीं है, वह उस राज्य में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता।

11 नवम्बर, 1994 को उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के उस निर्णय पर रोक लगा दी, जिसमें सरकार ने राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश इत्यादि के लिए 73 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। न्यायालय ने 1992 में दिए गए अपने पूर्व निर्णय को दोहराते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

4 दिसम्बर, 1994 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने राज्य के गरीब किसानों और बेरोजगार युवाओं का वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इससे राज्य में आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत हो गई है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में केन्द्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। घोषणा के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम 33 वर्ष की आयु तक सात बार प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जबकि अन्य व्यक्तियों को अधिकतम 30 वर्ष तक केवल चार बार प्रतियोगिता में भाग लेने की सुविधा प्राप्त हैं।

103 वें संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

महिला आरक्षण

सर्वप्रथम भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने महिलाओं को आरक्षण देने की बात उठायी थी, किंतु उनकी आकस्मिक मृत्यु के पश्चात् यह मांग ज्यू-की-त्यूं रह गई। इनकी मृत्यु के पश्चात् विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें बनी और संसद में इस संबंध में आरक्षण दिए जाने की बात समय-समय पर उठाई जाने लगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने इस विषय को अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताते हुए एक ही रात में चर्चा कर इसे पारित करने की घोषणा कर दी। भाजपा की उमा भारती ने इस पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि इस विधेयक में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। उनके इस मत ने विवाद का रूप ले लिया, किंतु उनके इस विवाद का सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। इस विधेयक को फिर सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रवर समिति ने इस विधेयक पर 9 दिसम्बर, 1996 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समिति पूरी तरह इस बात से सहमत थी कि लोकसभा व राज्य विधानसभा की कुल सीटों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। समिति ने मूल विधेयक में आरक्षित सीटें 1/3 से कम नही के स्थान पर 1/3 के निकटतम कर दिया।

समिति ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए प्रस्तावित कुल 33 प्रतिशत में से ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। समिति ने यह सिफारिश की कि सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देने पर विचार करे ताकि उन वर्गों की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल सके।

समिति के इस प्रतिवेदन को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री आई. के. गुजराल ने स्वयं सदन में प्रस्तुत करना चाहा, उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अंतत: यह विधेयक फिर ठंडे बस्ते में चला गया। भाजपा ने चुनावों से पहले 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया था और कांग्रेस पार्टी ने भी इस विधेयक के समर्थन का वचन दिया था, किंतु व्यक्तिगत बात करने पर किसी भी दल का सदस्य इसका पुरजोर विरोध करता है। उदाहरण के लिए- शाहबानो प्रकरण में श्री राजीव गांधी पर महिला हित विरोधी काम करने का आरोप लगाया गया था, इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया था।

इसके पश्चात् स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की बात चल पड़ी और 1992 से 73वां तथा 74वां संशोधन अधिनियम पास हो गया। इस विधेयक के आधार पर विभिन्न राज्यों में कानून बनाने के समय महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्थान आरक्षित किए गए और इसमें अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उनकी जनसंख्या के आधार पर और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को स्थान मिला। अल्पसंख्यकों को इसमें इसलिए आरक्षण नहीं दिया गया, क्योंकि इसकी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गयी थी।

वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा जब संसद में यह विधेयक पेश किया गया तो कुछ भिन्न और विचित्र स्वरूप ही देखने को मिला। इस विधेयक के विरोधियों ने इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं होने दिया और इसका विरोध इस प्रकार किया, जिससे संसद की गरिमा पर भी प्रश्नचिन्ह लगा।

1996 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा पुनः राजनीतिक दलों के मध्य तीव्र मतभेद का कारण बना और एक बार पुनः टला। इस बार विधेयक को टालने में प्रमुख भूमिका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव और राजद के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव ने निभाई। जब इनकी मिली-जुली सरकार सत्ता में थी तो इन्होंने विधेयक के इसी प्रारूप को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, किंतु बाद में यह शर्त रखी कि तब तक महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दिया जाएगा, जब तक कि 33 प्रतिशत में से 1/3 भाग अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित नहीं हो जाता अर्थात् आरक्षण इनकी वर्तमान मांग है। इन्हें डर है कि महिलाओं के लिए जो 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी उससे केवल ऊँची जाति की महिलाएं ही लाभान्वित होंगी।

अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को अपने वोट बैंक की भांति इस्तेमाल करती हैं, राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि सदैव इस पर मतभेद और चर्चाएं हों और प्रत्येक चुनावों में इसे एक मुद्दे की भांति प्रयोग किया जा सके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही राजनीतिक पार्टियां इसे पारित नहीं होने देना चाहतीं।

महिला आरक्षण विधेयक, 1998 (संवैधानिक प्रावधान) प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण संबंधी 84वां संविधान संशोधन किया जिसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं-

1. संविधान के अनुच्छेद 330(1) में लोकसभा में महिलाओं के स्थान आरक्षित होंगे।
2. अनुच्छेद 330(2) के तहत् आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के जहां तक संभव हों 1/3 स्थान, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की महिलाओं के लिए होंगे।
3. किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थान की कुल संख्या के, जहां तक संभव हो 1/3 स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित संख्या भी शामिल है) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में भिन्न-भिन्न चुनाव क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किए जा सकेंगे।
4. जहां ऐसे मनोनयन के लिए तीन साधारण निर्वाचनों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक ब्लॉक के संबंध में किए जाते हैं, वहां एक स्थान प्रथम, दो साधारण निर्वाचनों के पश्चात् गठित की जाने वाली प्रत्येक लोकसभा के लिए आंग्ल-भारतीय समाज की महिला के मनोनयन के लिए आरक्षित रहेंगे और तीसरी साधारण निर्वाचन के पश्चात् गठित की जाने वाली लोकसभा में उस समुदाय की महिला के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं रहेगा।
5. अनुच्छेद 332(क)(1) प्रत्येक राज्य विधानसभा में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।
6. इस अधिनियम द्वारा संविधान में लिए गए संशोधन से लोकसभा किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक इस अधिनियम के प्रारंभ पर विधान (यथास्थिति) लोकसभा, राज्य की विधानसभा या दिल्ली की विधानसभा विघटित नहीं हो जाती।

अभ्यास प्रश्न-1

1. लोकसभा में एंग्लो-इण्डियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अन्तर्गत किया गया है?
   (a) 331 (b) 221
   (c) 121 (d) 139
2. निम्नलिखित कथनों मे कौन-सा असत्य है?
   (a) भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
   (b) सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है।
   (c) 1995 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना एक गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में की गई।
   (d) संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में "अल्पसंख्यक" शब्द का प्रयोग किया गया है, किन्तु अल्पसंख्यकों की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है।
3. राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था?
   (a) भारत के संविधान में संशोधन
   (b) संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय
   (c) संसद द्वारा पारित अधिनियम
   (d) भारत के राष्ट्रपति का आदेश
4. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में सही नहीं है?
   (a) अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेगी।
   (b) आयोग की सभी रिपोर्टें और इसकी सिफारिशें केवल लोक सभा के समक्ष रखी जाएँगी।
   (c) किसी मामले की जाँच-पड़ताल करते समय सिविल कोर्ट की सारी शक्तियाँ आयोग के पास होती हैं।
   (d) अपनी निजी प्रक्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति आयोग के पास होती है।
5. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है?
   (a) 14 (b) 19
   (c) 29 (d) 32
6. भारत में संविधान के कौन-से अनुच्छेद में "पिछड़ा वर्ग" शब्द का प्रयोग किया गया है?
   (a) 15(4) (b) 16(4)
   (c) 17(4) (d) 23(4)

EBD_7939

7. भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है?
   (a) अनुच्छेद 338 A (b) अनुच्छेद 341
   (c) अनुच्छेद 16 (d) अनुच्छेद 82
8. भारत के संविधान में लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है:
   (a) अनुच्छेद 330 में (b) अनुच्छेद 331 में
   (c) अनुच्छेद 332 में (d) अनुच्छेद 333 में
9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है?
   (a) पृथ्क्करणीयता का सिद्धांत
   (b) अधिमानी स्थित का सिद्धांत
   (c) संरक्षा विभेद का सिद्धांत
   (d) सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत
10. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई
   (a) संघीय मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा
   (b) संविधान में संशोधन के द्वारा
   (c) संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा
   (d) राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा
11. 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम' किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया?
   (a) 1990 (b) 1980
   (c) 1992 (d) 1995
12. काका साहेब कालेलकर आयोग सम्बन्धित था-
   (a) पिछड़े वर्ग से (b) अनुसूचित जाति से
   (c) अनुसूचित जनजाति से (d) ईसाइयों से
13. निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
   (a) कर्पूरी ठाकुर (b) जगजीवन राम
   (c) बी. पी. मंडल (d) काकासाहेब कालेलकर
14. 14 अगस्त, 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरान्त अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है-
   (a) 1206 (b) 607
   (c) 1410 (d) 1500
15. अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है-
   (a) वयस्क मताधिकार
   (b) संचित मत प्रणाली
   (c) व्यावसायिक प्रतिनिधित्व
   (d) सूची प्रणाली
16. निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों का वर्णन नहीं है?
   (a) पंजाब
   (b) राजस्थान
   (c) गुजरात
   (d) जम्मू और कश्मीर
17. 'पिछड़े वर्ग का नागरिक' से सम्बन्धित निम्नलिखित पदों में से कौन-सा एक संविधान में परिभाषित नहीं है?
   (a) सामाजिक दृष्टि से पिछड़े
   (b) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े
   (c) शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े
   (d) सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े

अभ्यास प्रश्न-2

1 अनुच्छेद-29 के तहत् अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है-
   1. भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
   2. राज्य द्वारा पोषित/राज्यनिधि (state Funded) से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश जाति, भाषा के आधार पर ही वंचित किया जाएगा।

   उपर्युक्त कथनों में से सत्य है/हैं-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1, 2 (d) न ही 1 और न ही 2
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किए गए हैं।
   2. अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
   3. अनुच्छेद 16(4A) के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
   4. अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उन्नति के लिए संविधान द्वारा किए गए विशेष उपबन्धों के लिए अन्य नागरिक विभेदकारी उपबन्धों को आधार बनाकर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3
   (c) 1 और 2 (d) केवल 2
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. केन्द्र सरकार ने वर्ष 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया।
   2. पिछड़े वर्गों की उन्नति और उनकी दशा सुधारने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

4. पिछड़ा वर्ग आयोग से सम्बन्धित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में हुआ था।
   2. इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मण्डल थे।
   3. इसने पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 31% आरक्षण देने का सुझाव दिया।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3
5. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई है।
   2. राष्ट्रीय जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य हैं।
   3. इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम की स्थापना वर्ष 2016 में की गई है।
   2. इसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है।
   3. यह अनुसूचित जाति के युवाओं को कौशल व उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है।

   उपरोक्त कथनों में से कानै-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) 2 और 3
   (c) केवल 3 (d) ये सभी
7. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम के क्या उद्देश्य हैं?
   1. अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए आर्थिक तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा देना। इस सम्बन्ध में व्यवसायिक समूहों तथा महिलाओं को प्राथमिकता देना।
   2. अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों को आवश्यक कर्जे तथा अग्रिम धन प्रदान करना, ताकि वह सब रोजगार तथा उद्योग स्थापित कर सकें।
   3. रोजगार के क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना।

   कूटः
   (a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1 और 2
8. अुनसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के कार्यो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-
   1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा की जाने वाली शिकायतों की जाँच करना
   2. इन जातियों के सदस्यों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना।
   3. इन जाति के सदस्यों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना
   4. अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए प्रावधानित संवैधानिक संरक्षणों से संबंधित सारे मामलों का अन्वेषण करना

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 2, 3 ओर 4 (d) उपरोक्त सभी
9. निम्न कथनों पर विचार करें-
   1. अनुसूचित जातियों एंव जनजातियों की उन्नति के लिए संविधान द्वारा किए गए विशेष उपबंधों के लिए अन्य नागरिक विभेदकारी उपबंधों को आधार बनाकर न्यायालय जा सकते हैं।
   2. अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
   3. भाग 16 में अनु 330 से 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं।
   4. अनुच्छेद 16(4A) के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

   उपरोक्त कथनों में कौन सही नहीं है?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी
10. निम्न कथनों पर विचार करें-
    1. संविधान के भाग 16 में विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध दिए गये है।
    2. भाषाई अल्पसंख्यकों की गंभीर मांगो के कारण 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा।
    3. अनुच्छेद 339(1) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध कराई गई है
    4. अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है।

    उपर्युक्त में से कौन-से/सा सही है/हैं?
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 4
    (c) केवल 2 (d) उपरोक्त सभी
11. अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के कार्यों से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए।
    1. जनजातीय समुदायों के खनिज पर अधिकार पर रोक लगाकर सरकार को स्थानांतरण।
    2. वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय।
    3. जनजातीय लोगों का भूमि से बिलगाव रोकने के उपाय तथा उन लोगों का प्रभावी पुनर्वासन करना जो पहले ही भूमि से विलग हो चुके हैं।

    निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
    (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
    (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

EBD_7939

12. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए:
    1. इसकी स्थापना 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत की गई थी।
    2. इसे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के संबंध मे सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

13. भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. सरकारी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है।
    2. राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है।
    3. राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है।
    4. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही है?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
    (c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

14. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/है?
    1. भारत में महिला की स्थिति विषयक समिति (NSWI) ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा की।
    2. राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी।
    3. इस आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन एवं मॉनीटरिंग करना है।

    नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
    (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 2
    (c) केवल 1 और 2 (d) केवल 1 और 3

15. भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन-से संवैधानिक प्रावधान और कानून हैं?
    1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 17
    2. नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955
    3. अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
    (a) केवल 1 और 3
    (b) केवल 1 और 2
    (c) 1, 2 और 3
    (d) केवल 2 और 3

उत्तरमाला

अभ्यास-1

1	(a)	**2**	(c)	**3**	(c)	**4**	(b)	**5**	(c)	**6**	(b)	**7**	(a)	**8**	(a)	**9**	(c)	**10**	(c)
11	(a)	**12**	(a)	**13**	(d)	**14**	(a)	**15**	(d)	16	(a)	**17**	(b)						

अभ्यास-2

1	(a)	**2**	(b)	**3**	(c)	**4**	(c)	**5**	(d)	**6**	(b)	**7**	(b)	**8**	(d)	**9**	(a)	**10**	(d)
11	(b)	**12**	(c)	**13**	(c)	**14**	(a)	**15**	(c)										

महत्त्वपूर्ण संसदीय शब्दावली

1
परिशिष्ट

- **"अधिनियम"** – संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है।
- **"तदर्थ समिति"** – विशिष्ट विषय पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा संयुक्त रूप से दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गठित समिति और यह समिति ज्योंही अपना कार्य पूर्ण कर लेती हैं तो इसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है।
- **"वाद-विवाद का स्थगन"** – किसी प्रस्ताव/संकल्प/विधेयक, जिस पर तत्समय सभा में विचार चल रहा है, पर वाद-विवाद को सभा द्वारा गृहीत किसी प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव में ही निर्दिष्ट किसी आगामी दिन तक के लिए अथवा अनियत दिन के लिए स्थगित करना।
- **"सभा की बैठक का स्थगन"** – स्थगन होने पर सभा की बैठक समाप्त हो जाती है और सभा अगली बैठक के लिए नियत समय पर पुन: समवेत होती है।
- **"अनियत दिन के लिए स्थगन"** – अगली बैठक के लिए कोई निश्चित तिथि नियत किए बिना ही सभा की किसी बैठक की समाप्ति।
- **"विनियोग विधेयक"** – यह किसी वित्तीय वर्ष अथवा उसके एक भाग की सेवाओं के लिए लोकसभा द्वारा दत्तमत धन और भारत की संचित निधि पर प्रभारित धन के भारत की संचित निधि से प्रत्याहरण अथवा विनियोग का उपबंध करने के लिए वार्षिक रूप से (अथवा वर्ष में कई बार) पारित किया जाने वाला धन विधेयक है।
- **"बैलट"** – लॉटरी के जरिए एक से अधिक सूचनाओं की परस्पर अग्रता को निर्धारित करने की प्रक्रिया।
- **"विधेयक"** – यह उचित रूप में रखे गए विधायी प्रस्ताव का प्रारूप है जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने पर अधिनियम बन जाता है।
- **"बजट"** – यह किसी वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। राज्य सभा के सभा पटल पर बजट दो भागों में, अर्थात्, रेल बजट और सामान्य बजट के रूप में रखा जाता है।
- **"संसदीय समाचार"** – संसदीय समाचार से राज्यसभा का संसदीय समाचार अभिप्रेत है। यह दो भागों में प्रकाशित होता है। भाग-एक में सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सम्मिलित होता है और भाग-दो में सभा या समितियों के कार्य से संबद्ध या संसक्त किसी मामले या किसी भी अन्य मामले, जो सभापति के विचार से इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, के संबंध में जानकारी दी गई होती है।
- **"बैठकों की सारणी"** – बैठकों की अस्थायी सारणी राज्यसभा की बैठकों के दिवसों और उन दिवसों पर सभा द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य के स्वरूप को दर्शाती है।
- **"ध्यानाकर्षण"** – एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है, मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं और इसके उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगते हैं।
- **"निर्णायक मत"** – किसी मामले में मतों की संख्या समान होने पर सभा में सभापति या उस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य और समिति में अध्यक्ष या इस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य द्वारा दिया गया मत निर्णायक मत होता है।
- **"क्रासिंग द फ्लोर"** – इससे सभा में बोल रहे सदस्य और सभापीठ के बीच से गुजरना अभिप्रेत है। यह संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है।
- **"अनुदान मांग"** – मंत्रालय/विभाग के योजना तथा गैर-योजना व्यय को पूरा करने के लिए बजट आवंटन का निर्धारित किया जाना।
- **"मत-विभाजन"** – यह सभा के समक्ष प्रस्तावित उपाय या प्रश्न पर, उसके पक्ष या विपक्ष में मतों को अभिलिखित करके किसी निर्णय पर पहुंचने का तरीका है।
- **"लाटरी निकालना"** – इस पद्धति का उपयोग गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों, एक ही दिन लिए जाने के लिए एक से अधिक सदस्यों द्वारा साथ-साथ दी गई प्रश्नों की सूचनाओं, आधे घंटे की चर्चा या किसी अन्य सूचना की सापेक्षिक पूर्ववर्तिता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है।
- **"कार्यवाही में से निकाला जाना"** – मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या गरिमारहित शब्दों, वाक्यांशों या अभिव्यक्तियों को सभापति के आदेश से राज्यसभा की कार्यवाही या अभिलेख में से निकाल दिया जाता है।
- **"वित्त विधेयक"** – यह विधेयक अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए सामान्यत: प्रति वर्ष पुर:स्थापित किया जाता है और इसमें किसी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाला विधेयक शामिल होता है।
- **"वित्तीय कार्य"** – सभा के वित्तीय कार्य में रेल और सामान्य बजटों तथा अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरणों को, उनके लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने के बाद, सभा पटल पर रखा जाना, सामान्य और रेल बजटों पर सामान्य चर्चा, सम्बद्ध विनियोग विधेयकों तथा वित्त विधेयकों पर विचार व उन्हें लौटाया जाना, ऐसे राज्य, जो राष्ट्रपति के शासनाधीन हैं, के बजटों इत्यादि का सभा पटल पर रखा जाना शामिल है।

EBD_7939

- **"राजपत्र"** – इससे भारत का राजपत्र अभिप्रेत है।
- **"आधे घंटे की चर्चा"** – सभापति की अनुज्ञान से कोई सदस्य पर्याप्त लोक महत्व के किसी ऐसे मामले पर चर्चा आरम्भ कर सकता है जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रहा हो और जिसके उत्तर को किसी तथ्यपूर्ण मामले पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।
- **"सभा का नेता"** – इस का तात्पर्य प्रधानमंत्री से है यदि वह राज्य सभा का सदस्य हो या उस मंत्री से है जो राज्यसभा का सदस्य हो और सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नाम-निर्देशित किया गया हो।
- **"विपक्ष का नेता"** – सभा का वह सदस्य जो तत्समय सरकार को उस सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता हो और जिसे सभापति ने उस रूप में मान्यता प्रदान की हो।
- **"अनुपस्थिति की अनुमति"** – सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए इसकी अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य से इसके कारण तथा ऐसी अवधि बताते हुए एक आवेदन करना अपेक्षित है जिसके लिए उसे सभा की बैठकों से अनुपस्थिति होने की अनुमति दी जाये।
- **"विधान कार्य"** – सभा में किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार तथा पारण।
- **"कार्यावलि"** – यह कार्य की उन मदों की सूची होती है जो किसी दिन विशेष को राज्यसभा में अपने उसी क्रम में लिए जाने के लिए निर्धारित की गई होती है जिस क्रम में वे इसमें दर्ज है।
- **"लॉबी"** – सभाकक्ष से एकदम सटा हुआ और उसी के साथ समाप्त होने वाला बन्द गलियारा लॉबी कहलाता है।
- **"प्रथम भाषण"** – सभा में राज्य सभा के लिए अपने निर्वाचन/ नाम-निर्देशन के बाद सदस्य का प्रथम भाषण होता है।
- **"अनुमति से उठाये गए मामले"** – प्रश्न काल और पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के तुरन्त बाद, कोई सदस्य सभापति की पूर्व अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी मुद्दे को उठा सकता है।
- **"विधेयक का भार साधक सदस्य"** – वह मंत्री/गैर सरकारी सदस्य जिसने सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को पुर:स्थापित किया है।
- **"कार्यज्ञापन"** – यह सभापीठ द्वारा उपयोग हेतु दिवस की कार्यावलि में सूचीबद्ध मदों की घोषणा करते समय उसकी सहायता करने के लिए होता है।
- **"संदेश"** – संविधान के अनुच्छेद 86(2) और 111 के अधीन संसद की एक सभा अथवा दोनों सभाओं को राष्ट्रपति का पत्र और संसद की एक सभा द्वारा दूसरी सभा को भेजा गया पत्र संदेश कहलाता है।
- **"प्रस्ताव"** – मंत्री या सदस्य द्वारा सभा को दिया गया इस आशय का औपचारिक प्रस्ताव कि सभा कोई कार्यवाही करे, कोई कार्यवाही किए जाने का आदेश दे अथवा किसी मामले पर राय व्यक्त करे, और प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार की होती है कि, स्वीकृत हो जाने पर वह सभा के निर्णय अथवा इच्छा करने का द्योतक हो जाता है।
- **"धन्यवाद प्रस्ताव"** – यह सभा में उपस्थित किया गया एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अधीन संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में दिये गये अभिभाषण के प्रति सभा की कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है।
- **"किसी सदस्य का नाम लेकर उसे अवकारी बताना"** – सभापति द्वारा ऐसे सदस्य, जो सभापीठ के प्राधिकार का अनादर करता है अथवा सभा के कार्य में लगातार और जानबूझ कर बाधा डालते हुए सभा के नियमों का दुरूपयोग करता है, के आचरण की ओर सभा का ध्यान इस दृष्टि से आकर्षित कराना कि उस सदस्य को सभा की सेवा से अधिक से अधिक सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने की कार्रवाई की जाए।
- **"अध्यादेश"** – संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा बनाये गए कानून को अध्यादेश कहते हैं।
- **"उपसभाध्यक्ष पेनल"** – यह सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किए गए राज्य सभा के छ: सदस्यों का पैनल होता है जिनमें से कोई भी सदस्य सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा वैसा अनुरोध किए जाने पर सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभा का सभापतित्व कर सकता है।
- **"सभापटल पर रखे गये पत्र"** – ऐसे पत्र या प्रलेख जो सभापति की अनुमति से किसी मंत्री अथवा किसी गैर-सरकारी सदस्य अथवा महासचिव द्वारा संविधान के उपबंधों अथवा राज्यसभा के प्रक्रिया विषयक नियमों अथवा संसद के किसी अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में सभा पटल पर इस प्रयोजन से रखे जाते हैं ताकि उन्हें राज्यसभा के अभिलेख में लिया जा सके।
- **"वैयक्तिक स्पष्टीकरण"** – वह सदस्य या मंत्री जिसके विरुद्ध सभा में वैयक्तिक स्वरूप की टीका-टिप्पणियां या आलोचना की जाती हैं, सभापति की सम्मति से, अपने बचाव में वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का हकदार है।
- **"औचित्य का प्रश्न"** – यह प्रक्रिया विषयक नियमों अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों, जो सभा के कार्य को नियंत्रित करते हैं, के निर्वचन अथवा प्रवर्तन से संबंधित प्रश्न होता है जो सभा में उठाया जाता है और सभापीठ के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- **"राज्य सभा की प्रसीमाएं"** – इसमें सभाकक्ष, लॉबियां, दीर्घाओं और ऐसे अन्य स्थान शामिल हैं जिन्हें सभापति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।
- **"गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प"** – गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन को किसी सदस्य द्वारा, मंत्री के सिवाए, प्रस्तुत सामान्य लोक हित का ऐसा मामला, जो सभा द्वारा अभिमत की घोषणा के रूप में हो या ऐसे किसी अन्य रूप में हो जिसे सभापति उचित समझें।
- **"सत्रावसान"** – राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 85(2)क के अधीन दिए गए आदेश द्वारा राज्य सभा के सत्र की समाप्ति।
- **"प्रस्ताव पर मत लेना"** – किसी प्रस्ताव पर वाद-विवाद समाप्त हो जाने पर, सभापति अपने आसन से खड़े होकर 'प्रश्न यह है कि' शब्दों से आरम्भ करके सभा के समक्ष प्रस्ताव को बोलकर या पढ़कर सुनाता है।

- **"प्रश्न-सारणी"** – सदस्यों को सत्र के आमंत्रण सहित परिचालित की गई एक सारणी जिसमें प्रश्नों के उत्तरों की तारीखें और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीखें दी गई होती हैं।
- **"प्रश्नकाल"** – सभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने के लिए आवंटित है।
- **"विशेषाधिकार का प्रश्न"** – प्रश्न जिसमें किसी सदस्य के या सभा के या इसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन या सभा की अवमानना अंतर्ग्रस्त हो।
- **"गणपूर्ति"** – संविधान के अनुच्छेद 100(3) के अधीन यथा उपबंधित सभा या समिति की किसी बैठक के कार्य के वैध निष्पादन के लिए उपस्थित सदस्यों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या सभा की बैठक की गणपूर्ति सभा की कुल सदस्य-संख्या के दसवें भाग से होगी।
- **"राज्यसभा वाद विवाद"** – सभा में कही गई किसी भी बात का शब्दशः अभिलेख राज्य सभा की प्रत्येक बैठक के लिए शासकीय वृत्तलेखक द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है, कुछ ऐसे शब्दों, वाक्यांशों तथा अभिव्यक्ति, यदि कोई हों, को छोड़कर जिनके लिए सभापीठ द्वारा कार्यवाही से निकाले जाने हेतु उस समय आदेश दिया जाता है अथवा सभापति द्वारा अभिलिखित न किए जाने हेतु उस समय आदेश दिया जाता है, जब सदस्य उनकी अनुमति के बिना बोलते हैं।
- **"सदस्यों की नामावली"** – ऐसा रजिस्टर जिसमें नए चुने गए सदस्य शपथ लेने या प्रतिज्ञापन करने के पश्चात् सभा में पहली बार अपना स्थान ग्रहण करने से पहले हस्ताक्षर करते हैं।
- **"सत्र"** – राज्य सभा के किसी सत्र की अवधि राष्ट्रपति के राज्य सभा को आमंत्रित करने वाले आदेश में उल्लिखित तारीख और समय से आरंभ होकर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान किए जाने के दिन तक होती है।
- **"अल्पकालिक चर्चा"** – अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी मामले को उठाने के लिए, सदस्य द्वारा उठाये जाने वाले मामले को स्पष्ट तथा सही रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना दी जानी होती है जिसका समर्थन दो अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- **"अल्प सूचना प्रश्न"** – अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई प्रश्न, जिसे अल्प सूचना देकर प्रश्न पूछने के कारण बताते हुए पूरे पंद्रह दिन से कम समय की सूचना पर सदस्य द्वारा मौखिक उत्तर हेतु पूछा जाए।
- **"सभा की बैठक"** – राज्य सभा की बैठक तभी विधिवत् गठित होती है जब बैठक का सभापतित्व सभापति या कोई ऐसा सदस्य करे जो संविधान अथवा राज्य सभा के प्रक्रिया विषयक नियमों के अधीन सभा की बैठक का सभापतित्व करने के लिए सक्षम हो।
- **"विशेष उल्लेख"** – यह सदस्य को उपलब्ध एक प्रक्रिया है जो अधिकतम 250 शब्दों के मूल-पाठ को पढ़कर सभा में लोक महत्व के किसी मामले का उल्लेख करना चाहता है।
- **"स्थायी समिति"** – सभा द्वारा निर्वाचन या सभापति द्वारा नामनिर्देशन द्वारा प्रति वर्ष या समय-समय पर गठित की गई ऐसी समिति, जो स्थायी स्वरूप की होती है।
- **"तारांकित प्रश्न"** – ऐसा प्रश्न जो मौखिक उत्तर पाने के इच्छुक किसी सदस्य द्वारा सभा में पूछा जाए और जिसका विभेद तारांक लगाकर किया जाए।
- **"परिनियत संकल्प"** – संविधान या संसद के किसी अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में कोई संकल्प।
- **"अधीनस्थ विधान"** – संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद के अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसरण में किसी कार्यकारी या अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, आदेश, योजनाएं, उपविधियां आदि जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त है।
- **"आमंत्रण"** – राज्य सभा के महासचिव द्वारा राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन राज्य सभा के सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पत्र जिसमें उन्हें राज्य सभा का सत्र आरम्भ होने के स्थान, तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाता है।
- **"अनुपूरक प्रश्न"** – किसी ऐसे तथ्यपूर्ण मामले, जिसके संबंध में प्रश्न काल के दौरान उत्तर दिया गया हो, को और स्पष्ट करने के प्रयोजन से सभापति द्वारा बुलाये जाने पर किसी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न।
- **"सभापटल"** – सभापति के आसन के नीचे महासचिव के डेस्क के सामने का पटल। सभा पटल पर रखे जाने हेतु अपेक्षित पत्र इस पटल पर रखे गए समझे जाते हैं।
- **"अतारांकित प्रश्न"** – सभा में मौखिक उत्तर के लिए न पुकारा जाने वाला प्रश्न। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर सभा पटल पर रखा गया समझा जाता है।
- **"विदाई उद्गार"** – यह प्रथा है कि प्रत्येक सत्र में सभापीठ, सदस्यों व दलों के नेताओं और समूहों को सभा के कार्य संचालन में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए सत्र के समापन पर विदाई उद्गार दे।
- **"सचेतक गण"** – सत्ताधारी दल तथा विपक्षी दलों/समूहों से विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादित करने और संसद के अंदर किसी दल के आंतरिक संगठन में महत्वपूर्ण सम्पर्क बनाने के लिए सदस्य लिए जाते हैं।

EBD_7939

राजनीतिक तथा संवैधानिक शब्दावली

2
परिशिष्ट

अविश्वास प्रस्ताव	सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा ऐसा प्रस्ताव जिसमें सरकार में अविश्वास प्रकट किया गया हो या सरकार की भर्त्सना की गई हो, अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा वाद-विवाद के उपरांत मतदान करवाकर किया जाता है।
अलगाववाद	किसी मसले पर किसी राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र से अपने को पृथक् रखना अलगाववाद कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस नीति का अनुसरण किया गया।
अल्टीमेटम	किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई यह चेतावनी कि यदि निश्चित अवधि में उसकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम उठाया जायेगा। इस आशय की चेतावनी को ही अल्टीमेटम कहा जाता है।
ऑर्डीनेंस	किसी आपात स्थिति का सामना करने हेतु राज्य प्रमुख द्वारा जारी किया गया संवैधानिक आदेश। इसे निश्चित अवधि के लिए लागू किया जाता है तथा इसे मानने के लिए सभी बाध्य होते हैं। यह तभी जारी होता है जब व्यवस्थापिका का अधिवेशन न चल रहा हो।
ओम्बुड्समैन	स्वीडिश राजनीतिक व्यवस्था के इस शब्द का प्रयोग उस सतर्कता अधिकारी के लिए किया जाता है, जो सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखता है तथा सरकार के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतें सुनता है।
आप्रवास या आप्रवासन	इसका अभिप्राय उस कार्यवाही से है जिसमें कोई व्यक्ति उन्नति अथवा सुरक्षा के अवसरों की खोज में अथवा अन्य किसी आकर्षण के वशीभूत अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसने हेतु जाता है।
अधिग्रहण	इस कार्यवाही के अन्तर्गत एक राज्य किसी अन्य राज्य की भूमि या कोई भूमि, जिसका संबंध किसी से न हो, को अपने हाथ में ले लेता है। यह एक प्रकार की एकपक्षीय कार्यवाही है।
अध्यक्षीय व्यवस्था	लोकतान्त्रिक शासन की वह प्रणाली जिसमें राज्य का प्रधान और शासन का प्रधान एक ही होता है। इस व्यवस्था में अध्यक्ष/राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और जिसमें अध्यक्ष/राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति नहीं, बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व	यह एक प्रकार की निर्वाचन पद्धति है, जिसमें प्राप्त मतों के अनुपात में किसी राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में स्थान प्रदान किए जाते हैं। इस पद्धति में ऐसा सम्भव नहीं है कि किसी दल को उसके द्वारा प्राप्त मतों से अधिक स्थान व्यवस्थापिका में प्राप्त हो जाएं।
उत्तरदायी सरकार	शासन के इस प्रकार में कार्यपालिका अपने कृत्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे संसदीय या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है।
उपचुनाव	मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्यता के कारण रिक्त हुए किसी स्थान के लिए होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है।
एमनेस्टी	जब कोई सरकार विद्रोहियों या कैदियों को सामान्य रूप से क्षमा कर देती है तथा छोड़ देती है, तो उसे एमनेस्टी कहा जाता है।
उपनिवेशवाद	किसी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे देश पर अधिकार, शासन तथा इस प्रकार शासित देश के अधिकारों का हनन, स्वतंत्रता का दमन, इसकी उत्पादकता का शोषण और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति की परतन्त्रता, ये सारे उपनिवेशवाद के अन्तर्गत आते हैं।
एन्वाय	एक देश के अधिकाधिक प्रतिनिधि जब अन्य देश को मनोनीत किये जाएं तो उसे एन्वाय कहा जाता है। इसे विशिष्ट कार्य के लिए भी भेजा जा सकता है।
एक्सट्राडीशन	एक देश या सरकार द्वारा दूसरे देश या सरकार को उसके अपराधी को न्यायिक जाँच तथा दण्ड के लिए सौंप देना एक्सट्राडीशन कहलाता है।

ओपन डोर पोलिसी	सभी राष्ट्रों या व्यक्तियों के समान शर्तों पर व्यापार की नीति को ओपन डोर पोलिसी कहा जाता है। इस नीति को अपनाने वाला व्यक्ति या राष्ट्र, किसी अन्य व्यक्ति या राष्ट्र को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं देता है।
कोरम	किसी सभा की कार्यवाही के लिए किसी संस्था में सदस्यों की आवश्यक उपस्थिति की संख्या को कोरम कहा जाता है। कोरम के अभाव में उस सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती।
कर्फ्यू	सरकारी आदेश, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी अवधि के दौरान बाहर सड़क पर घूम नहीं सकता तथा दुकान नहीं खोल सकता।
कूप	जब किसी सैनिक कार्यवाही, विद्रोह या गुट द्वारा गैर-कानूनी तरीके से तथा गुप्त रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंका जाता है तथा एक नई सरकार की स्थापना की जाती है तो उसे 'कूप' कहा जाता है। जब किसी राज्य के सैनिक अधिकारी द्वारा वैधानिक शासक को हटाकर शासन पर कब्जा कर लिया जाता है तो उसे सैनिक कूप कहा जाता है।
गुरुभार	किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी जनसंख्या से अधिक संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान करना गुरुभार कहलाता है।
गन बोट डिप्लोमेसी	यह एक कूटनीति है, जिसके अन्तर्गत अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए, कोई देश दूसरे देश को अपनी शक्ति का भय दिखाता है।
गिलोटीन	किसी सदन में वाद-विवाद का समय पहले ही निश्चित कर दिया जाता है। वार्ता समाप्त होने के बाद वाद-विवाद को समाप्त कर मतदान करा लिया जाता है। इस प्रक्रिया को गिलोटीन कहा जाता है। **या** यह फांसी पर चढ़ने वालों के सिर काटने का एक उपकरण था, जिसका प्रयोग 18वीं तथा 19वीं सदी में फ्रांस में होता था। इसे अब बंद कर दिया गया है। फ्रांसीसी क्रान्ति के समय शीघ्रता से वध करने के लिए गिलोटीन नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। सर्वप्रथम गिलोटीन को ही फांसी की सजा (उक्त यंत्र से) दी गई थी, इसलिए इसका नाम गिलोटीन पड़ा।
ग्लासनोस्त	सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्योव द्वारा आविष्कृत एक शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है- खुलापन। इसका प्रयोग प्रतिबंधित सोवियत समाज और अर्थव्यवस्था को ज्यादा अन्त:क्रियात्मक स्वतंत्रता दिए जाने के संदर्भ में किया गया।
गेलप पोल	यह अमेरिका के प्रिंसटन न्यूजर्सी स्थित उस संस्था का नाम है, जो जनमत का सर्वे करती है। अमेरिका के जनमत इंस्टिट्यूट के संस्थापक डॉ. जॉर्ज गेलप के नाम पर इस संस्था का नाम रखा गया है।
गेरीमैन्ड्रिग	इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के विशेष संदर्भ में होता है। इस शब्द का आशय निर्वाचन क्षेत्रों के इस प्रकार पुनर्गठन से है, जिससे किसी दल विशेष के अधिकतम समर्थक एक ही निर्वाचन क्षेत्र की परिधि में आ जाएँ और उस दल के प्रत्याशी की विजय की सम्भावनाएं बढ़ जाएं।
घाटबंदी	किसी विदेशी शक्ति के पोतों को अपने क्षेत्र या बंदरगाहों में प्रविष्ट न होने देने की नीति घाटबंदी कहलाती है।
चार्ज डी- अफ़ेयर्स	जो व्यक्ति, राजदूत के स्थान पर अल्पकाल के लिए काम करता है, उसे चार्ज डी- अफ़ेयर्स कहा जाता है।
चोविनिज्म	वह व्यर्थ, झूठी कादारी या देशभक्ति, जो किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा किसी एक देश या समाज अथवा वर्ग के लिए दिखाई जाती है। इसमें दूसरे देश या समाज अथवा वर्ग के लिए घृणा का प्रदर्शन किया जाता है।
जिओनिज्म	19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यहूदियों से संबंधित यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। इसका उद्देश्य था- यहूदियों को फ़िलिस्तीन में राष्ट्रीय देश बनाने का अवसर प्राप्त कराना।
डिनर डिप्लोमेसी	राजनीतिज्ञों का दावत पर मिलना तथा कठिन समस्याओं का हल खोजना डिनर डिप्लोमेसी कहलाता है।
तानाशाही	जिस शासन व्यवस्था में राज्य की सम्पूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में आ जाती हैं तथा वह दूसरों की परवाह किए बिना अपने अनुसार कार्य करता है, उस व्यवस्था को तानाशाही कहा जाता है।
तटस्थता	दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध में किसी प्रकार की सहभागिता न करना तटस्थता कहलाता है। तटस्थ राष्ट्र न ही किसी का समर्थन करता है, न ही किसी का विरोध और न ही उनकी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराता है।

EBD_7939

द्वैध-शासन	शासन का वह प्रकार, जिसमें कार्यपालिका को दो भागों में विभक्त किया जाता है। इनमें एक भाग अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि दूसरा भाग व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ऐसा शासन प्रान्तों में ब्रिटिश सरकार द्वारा 'भारत शासन अधिनियम, 1919' के अन्तर्गत लागू किया गया था।
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका	जिस व्यवस्थापिका में दो सदन-उच्च सदन तथा निम्न सदन-होते हैं, उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं।
ध्रुवीकरण	एक विचारधारा के लोगों का एक दल या एक समूह के नीचे एकत्रित होना ध्रुवीकरण कहलाता है।
नौकरशाही	जो सरकार नागरिक सेवकों द्वारा चलाई जाती है या जिसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर हर बात के लिए निर्भर रहना पड़ता है, उस व्यवस्था को नौकरशाही कहा जाता है। नौकरशाही कार्यप्रणाली विशिष्ट प्रकार की होती है। यह एक प्रकार से विकृति सूचक शब्द है, जो लोक सेवकों के लिए प्रयुक्त होता है।
निरंकुशतावाद	तानाशाही सरकार की कार्यव्यवस्था को निरंकुशतावाद कहा जाता है।
नेक्सेलाइट्स	साम्यवादियों में से भारत में जो लोग अधिक क्रान्तिकारी थे तथा हिंसा द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे, जैसा कि माओ का विचार था। उन क्रांतिकारी साम्यवादियों ने पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक स्थान पर 1967 में अपना कार्य किसानों और मजदूरों की निराशा को लेकर हिंसात्मक तरीकों सहित प्रारंभ किया और इस तरह नेक्सेलाइट्स का उदय हुआ।
नाजिज्म	द्वितीय महायुद्ध के समय हिटलर की पार्टी के सदस्य जर्मन में नाजी के नाम से जाने जाते थे और नाजियों द्वारा प्रचारित विचारधारा 'नाजिज्म' कहलाती थी। यह विचारधारा पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी है। यह विचारधारा फ़ासिज्म में विश्वास करती है और अपनी आर्यन जाति को सर्वश्रेष्ठ मानकर संसार में सर्वश्रेष्ठ जाति घोषित करती है। फ़ासिज्म व जाति का योग ही नाजिज्म कहलाता है।
नॉन-एग्रेशन पैक्ट	जब दो या दो-से-अधिक देश यह समझौता करें कि वे एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे तो उसे 'अनाक्रमण-सन्धि' या 'नॉन-एग्रेशन पैक्ट' कहा जाता है।
न्यूक्लियर अम्ब्रेला	परमाणु बम द्वारा युद्ध होने की दशा में रक्षा की गारण्टी का अर्थ न्यूक्लियर अम्ब्रेला है।
नव उपनिवेशवाद	वर्तमान में राजनीतिक उपनिवेशवाद की समाप्ति हो गई है, किन्तु आर्थिक उपनिवेशवाद का युग आरंभ हो गया, यह आर्थिक उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद कहलाता है।
नि:शस्त्रीकरण	युद्ध को रोकने के लिए यह निश्चय करना कि राष्ट्र अपने आयुधों को कम करेंगे या केवल सीमित आयुध की रखेंगे, को नि:शस्त्रीकरण कहते हैं।
निर्णायक मत	पक्ष और विपक्ष का मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा दिया जाने वाला मत निर्णायक मत कहलाता है।
निन्दा प्रस्ताव	संविधान ने व्यवस्थापिका के सदस्यों को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी मंत्री के कार्यों को अस्वीकृत करने या निन्दा करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर सकें तथा बहुमत मिलने पर पारित कर सकें। इससे मंत्रियों अथवा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने में सुविधा रहती है।
प्रतिभा पलायन	जब किसी देश के वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत सुविधाओं एवं अवसरों के कारण दूसरे देशों में जाने लगते हैं तो ऐसी स्थिति को प्रतिभा-पलायन कहा जाता है।
प्रजातांत्रिक समाजवाद	यह ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सरकार का ढाँचा तो प्रजातंत्र पर आधारित होता है, किंतु सरकार की नीतियां, कार्य व विचारधारा समाजवाद पर केन्द्रित होती है अर्थात् इस व्यवस्था में राजनीतिक न्याय व सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को दिलाने का प्रयत्न प्रजातान्त्रिक पद्धति से किया जाता है।
पूँजीवाद	ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति को पूर्व स्वतंत्रता होती है तथा सम्पत्ति का अधिकार होता है जिससे वह प्राकृतिक साधनों व भूमि का स्वामी बन सकता है, उत्पादन व वितरण को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है, मजदूरों व उनकी मजदूरी को प्रभावित कर सकता है, अपना निजी व्यापार तथा उद्योग किसी भी सीमा तक विकसित कर सकता है तथा प्रतियोगिता में पूर्णत: भागीदारी कर सकता है उस व्यवस्था को पूँजीवाद कहा जाता है।
पंचायती राज	स्थानीय स्वराज लाने के लिए, अपना विकास स्वयं करने के लिए तथा अपना न्याय स्वयं करने के लिए जो व्यवस्था प्रस्तुत की गयी, उसे पंचायती राज कहा जाता है।

पिंग पोंग डिप्लोमेसी	साम्यवादी चीन की उस कूटनीति को पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है, जिसके द्वारा वह बाहरी देशों को, जिनसे उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित करता है तथा मित्रता का संबंध बढ़ाता है अर्थात् खेलों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की कूटनीति को पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है।
पॉलिटीकल सैबोटेज	जब एक दल या सरकार दूसरे दल या सरकार को गुप्त रूप से नष्ट करने का प्रयत्न करती है, तो उसे पॉलिटीकल सैबोटेज कहा जाता है।
पोलित ब्यूरो	सोवियत संघ में साम्यवादी दल की सर्वोच्च सत्ता जो नीति निर्धारण का कार्य करती है।
प्रीएम्बिल	संविधान के प्रारंभिक परिचयात्मक भाग को प्रीएम्बिल कहा जाता है। इस भाग में संविधान की भावना तथा उद्देश्य का संक्षिप्त कथन होता है।
प्रोटोकॉल	दो देशों के मध्य कूटनीतिक आचरण के नियम को प्रोटोकॉल कहा जाता है।
फ़िलिबस्टर	मतदान के लिए प्रस्तुत किसी मुद्दे को विलम्बित करने के लिए आवश्यकता से अधिक समय तक भाषण करने, जो प्रायः अप्रासंगिक होता है, को फ़िलिबस्टर कहा जाता है। अमेरिका के सीनेट में इसका बहुलता से प्रयोग होता है।
फ़ोर्थ स्टेट	इस शब्द का पहली बार एडमण्ड बर्क ने प्रयोग किया था। इसका आशय प्रेस से है।
फ़ोर्थ वर्ल्ड	फ़ोर्थ वर्ल्ड उन देशों को कहा जाता है जो पेट्रोल निर्यात् करने वाले देशों द्वारा कीमतें बढ़ाने के कारण आर्थिक संकट में पड़ गए हैं। इन देशों में अधिकतर तृतीय विश्व के अविकसित या विकासशील देश शामिल हैं।
फ़िफ्थ कॉलम	ऐसे व्यक्तियों को फ़िफ्थ कॉलम कहा जाता है, जो किसी अन्य देशों में जाकर गुप्त सूचनाएं प्राप्त करते हैं अथवा असंतोष उत्पन्न कर विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं।
फ़ासिज्म	जिस व्यवस्था या विचारधारा में राज्य को व्यक्ति से बड़ा माना जाता है और राज्य की रक्षा के लिए उसकी सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित कर दी जाती हैं, तो यह फ़ासिज्म कहलाता है। जैसे, इटली में मुसोलिनी के हाथों में सारी शक्तियां थीं।
बफ़र स्टेट	दो राष्ट्रों के मध्य एक ऐसा तटस्थ राष्ट्र जो दोनों को युद्ध करने से रोके अथवा अपनी ही राज्य सीमा पर एक अन्य राष्ट्र स्थापित कर ले ताकि कोई अन्य राष्ट्र उस पर आक्रमण न कर सके, उसे बफ़र स्टेट कहा जाता है।
बुर्जुआ	व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा जमींदारों को, जो सामंतों के बाद आते थे और मध्यम वर्ग के कहे जाते थे, बुर्जुआ कहा जाता है। मजदूर तथा साम्यवादी इनके शत्रु रहे हैं।
बूट लेगिंग	गैर कानूनी तरीके से शराब बनाने तथा बेचने के कार्यों को बूट लेगिंग कहा जाता है।
बोल्शेविज्म	रूस की क्रांतिकारी साम्यवादी विचारधारा जिसके प्रभाव से रूस में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, बोलशेविज्म कहलाती है।
बाँस का पर्दा	चीन की साम्यवादी सरकार के नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को बाँस का पर्दा कहा जाता है। इसके कारण वहां के नागरिक विदेशों में आ-जा नहीं सकते हैं तथा अपनी और अपने देश की कोई बात बाहर नहीं कह सकते हैं।
बायकॉट	किसी व्यक्ति, सभा, दल तथा सरकार का बहिष्कार करना बायकॉट कहलाता है।
ब्रेन वाशिंग	जब कोई राज्य या समुदाय अपने सदस्यों में वही विचार भरता है, जो उसके हैं और सदस्यों के स्वतंत्र विचारों को नष्ट कर दिया जाता है, तो उसे ब्रेन वाशिंग कहा जाता है।
मैनीफ़ेस्टो	किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव के पूर्व अपने कार्यों तथा कार्यक्रमों का घोषणा पत्र मैनीफ़ेस्टो कहलाता है।
मार्शल लॉ	समस्त नागरिक कानूनों की अवहेलना करते हुए जब किसी क्षेत्र का प्रशासन सैनिक कानूनों के अधीन कर दिया जाता है, तो इस स्थिति को मार्शल लॉ कहा जाता है।
मुक्त व्यापार	स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के संदर्भ में एक जैसी शर्तें अपनाना मुक्त व्यापार कहलाता है। इस नीति को अपनाने वाला राष्ट्र विदेशी वस्तुओं पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाता।
मंत्रिमण्डलीय सरकार	ऐसी सरकार जिसमें एक नाममात्र की कार्यपालिका तथा एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसे संसदीय सरकार भी कहा जाता है।

EBD_7939

मिली-जुली सरकार	जब किसी प्रजातंत्र में दो या दो-से-अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो ऐसी सरकार मिली-जुली सरकार कहलाती है।
यूथेनेशिया	किसी व्यक्ति को किसी ठीक न होने वाले रोग, दु:ख व दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए जानबूझकर मार देने के नियम, कानून या व्यवस्था को यूथेनेशिया कहा जाता है।
युद्ध अपराध	युद्ध काल में सैनिकों द्वारा किसी भी पक्ष के व्यक्तियों की अनावश्यक हत्या, शारीरिक यातना, सामूहिक नर संहार के कार्य करना युद्ध अपराध कहलाता है।
येलो पेरिल	साम्यवादी चीन के आक्रमणकारी रुख के कारण एक आतंक छा गया था। चीन के कारण उत्पन्न इस खतरे को ही 'येलो पेरिल' कहा जाता है।
यंग तुर्कस	किसी दल के ऐसे युवक, जो दल की पिछड़ी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं।
राइटिस्ट्स	रूढ़िवादी लोग जो समाजवाद व साम्यवाद में विश्वास नहीं करते हैं तथा जो राष्ट्रवादी होते हैं तथा जिन्हें प्रतिक्रियावादी भी कहा जाता है, राइटिस्ट्स कहलाते हैं। इस विचारधारा का उदय अभी कुछ समय से ही हुआ है। फ्रांस की क्रांति के समय जो सदस्य उदार प्रवृत्ति के थे तथा व्यवस्थापिका के अध्यक्ष की दायीं ओर बैठते थे, उन्हें भी राइटिस्ट्स कहा जाता था।
सचेतक	जो संसद सदस्य अपने दल के सभी सदस्यों की संसद में उपस्थिति की देखभाल करता है, उसे निश्चित कार्य करने अथवा न करने का आदेश देता है तथा सदस्यों को अनुशासन में रखता है, उसे सचेतक कहते हैं।
क्षेत्रीय समुद्र	समुद्र का वह तटवर्ती भाग जिसे तटीय राज्य के क्षेत्राधिकार में माना जाता है, प्रारम्भ में इसका प्रसार तट से 3 'समुद्री मील' तक माना जाता है। वर्तमान में इसको 12 'समुद्री मील' माना जाता है। 'क्षेत्रीय समुद्र' में अन्य राज्यों के जहाज या पोत, सम्बन्धित राष्ट्रों की पूर्वानुमति से ही प्रविष्ट हो सकते हैं।
संधि	दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य औपचारिक समझौते को सन्धि कहते हैं।
सिट डाउन स्ट्राइक	इसे पेन डाउन स्ट्राइक भी कहते हैं। यह वह हड़ताल है जिसमें कर्मचारी काम पर तो जाते हैं, परन्तु वहां बैठे रहते हैं, काम नहीं करते।
स्नैप पोल	जब राष्ट्रपति द्वारा संसद को अथवा राज्यपाल द्वारा विधानमण्डल को अचानक भंग कर दिया जाता है और थोड़े समय के नोटिस पर ही नए चुनाव करा दिए जाते हैं तो ऐसे चुनावों को स्नैप पोल कहते हैं। 1971 में लोकसभा का भंग होना तथा विधानसभाओं का अक्सर मुख्यमंत्रियों की सलाह पर भंग किया जाना और चुनाव करना स्नैप पोल के उदाहरण हैं।
स्टार्स एण्ड स्ट्राइप्स	अमेरिका के झण्डे का नाम स्टार्स एण्ड स्ट्राइप्स है, इसमें तरह-तरह की धारियाँ हैं तथा साथ में सम्मिलित इकाई राज्यों की संख्या के बराबर तारे बने हैं।
शिखर सम्मेलन	किसी विषय पर विचार-विमर्श के लिए राज्याध्यक्षों का सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहलाता है।
शक्ति-पृथक्करण	शासन की शक्तियों का कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के मध्य सुस्पष्ट विभाजन और किसी इकाई द्वारा अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाना शक्ति-पृथक्करण कहलाता है। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में यह अवधारण है कि विधि-निर्माण, विधि-क्रियान्वयन और नागरिकों के अधिकारों की समुचित सुरक्षा का दायित्व, अलग-अलग इकाइयों के पास रहने से ही मनुष्य की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है।
श्रम-संघवाद	समाजवाद का एक प्रकार जिसके अनुसार सभी उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण श्रमिक संघों के पास होना चाहिए। प्रारम्भिक रूप से यह विचारधारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में फ्रांस में विकसित हुई।
सर्वोदय	सब के कल्याण के दर्शन को सर्वोदय कहते हैं। गांधीजी तथा विनोबा भावे को इसमें अटूट विश्वास था। इसी आधार पर विनोबा भावे ने अपना भूदान आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य था-समाज में शान्तिपूण, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाना। इसका उद्देश्य अल्पमत अथवा बहुमत का हित नहीं, अपितु आद्योपान्त सभी का हित करना है।
विधि का शासन	इसका आशय यह है कि संबंधित राज्य में कोई व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च है। इस प्रकार के शासन में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं और उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रसिद्ध ब्रिटिश विधि वेता एल्बर्ट डाइसी द्वारा 19वीं सदी में किया गया।
रेड जाइन्ट्स	रूस व चीन के साम्यवादी राज्यों को रेड जाइन्ट्स कहते हैं, क्योकि रेड का तात्पर्य साम्यवाद से है और जाइन्ट्स बड़े राष्ट्रो की ओर संकेत करता है।
रेड गार्ड्स	चीन के उन युवकों को रेड गार्ड्स कहते हैं, जो लाल पट्टा हाथ में बांधकर माओ के सिद्धांतों का प्रचार करते थे और जिन्होंने चीन में सांस्कृतिक आन्दोलन चलाया था।

सर्वहारा वर्ग	वह वर्ग जिसके पास वैयक्तिक सम्पत्ति बिल्कुल नहीं है या लगभग नहीं के बराबर है। यह वर्ग अपने श्रम को बेचकर अपना जीवन-यापन करता है। मार्क्सवादी विचारक इसे श्रमिक वर्ग से समीकृत करते हैं।
संसदीय व्यवस्था	लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली जिसमें एक तो नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के निम्न या लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
लेम-डक सेशन	यह व्यवस्थापिका का वह सत्र है जब नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया हो, परन्तु पुरानी व्यवस्थापिका अपनी अन्तिम बैठक कर रही हो। यथार्थ में 'लेम-डक', व्यवस्थापिका के उन सदस्यों को कहते हैं जो नई व्यवस्थापिका में पुनर्निर्वाचित न हो सके हों।
लेफ्टिस्ट	उन लोगों या दलों को लेफ्टिस्ट कहते हैं, जिनके विचार साम्यवाद या समाजवाद से प्रभावित होते हैं और कुछ उदारवादी होते हैं। वस्तुतः वामपंथी का तात्पर्य इस शब्द से अब लिया जाता है। इसका पहले विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति के समय उग्रपंथी राष्ट्रीय महासभा में अध्यक्ष के बाई और बैठते थे, उन्हें ही वामपंथी कहा जाता था।
हाइजेकिंग	किन्हीं राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से कुछ व्यक्तियों द्वारा पिस्तौल दिखाकर या मारने की धमकी देकर किसी वायुयान को अपने निश्चित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ले चलने को बाध्य करना हाइजेकिंग कहलाता है।
हॉट लाइन	जब दो बड़े देशों के नेता आपस में प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क करके बातचीत करते हैं या उच्च स्तरीय बातचीत का प्रबन्ध करते हैं, ताकि एक-दूसरे की भावना या नीयत समझने में कोई त्रुटि न हो जाए जिससे भविष्य में भयंकर परिणाम हों, ऐसी दूरभाष की व्यवस्था को हॉट लाइन कहते हैं।
हैबियस कॉरपस	1679 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित उस अधिनियम को हैबियस कॉरपस कहते हैं, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसे बिना वारण्ट तथा बिना अपराध बताए कैद कर लिया गया है, को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने आपको न्यायालय में हाजिर करने की माँग कर सकता है। न्यायालय से जमानत प्राप्त करने की प्रार्थना कर सकता है और शीघ्र न्यायिक जाँच या सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। भारत में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा मूलभूत अधिकार के हनन सम्बन्धी उपचार में दी जाने वाली 'रिट' या 'लेख' का नाम भी हैबियस कॉरपस है, जो किसी भी बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देती है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'शरीर प्रस्तुत करो'।
संघीय राज्य	छोटे-छोटे से इकाई राज्य (सब) मिलकर एक इकाई राज्य की स्थापना इस प्रकार करते हैं कि कुछ सम्मिलित कार्य नवनिर्मित राज्य को सौंप देते हैं तथा शेष कार्यों के लिए स्वतंत्र रहते हैं। यह व्यवस्था राजनीतिक प्रयास का परिणाम होती है। इसके लिए दुष्परिवर्तनशील लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन व स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है।
संवैधानिक सरकार	संविधान के उपबंधों द्वारा सीमित और संविधान के प्रावधानों के अनुकूल चलाई जाने वाली सरकार को संवैधानिक सरकार कहते हैं।
शीत युद्ध	जब वास्तविक युद्ध न हो तथा दो या अधिक देश एक-दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखें तथा प्रचार के माध्यम से आरोप-प्रत्यारोप की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, तो इस स्थिति को 'शीत युद्ध' कहते हैं।
शांति समझौता	जब दो देश शत्रुता त्याग देते हैं, लड़ना बंद कर देते हैं, शान्ति स्थापित करने के लिए वैचारिक आदान-प्रदान करने को तैयार हो जाते हैं तो उनका यह कार्य शांति समझौता कहलाता है।
स्वायत्तता	जिन प्रान्तों या संस्थानों को अपने आपको चलाने का या स्वयं शासन करने का अधिकार होता है, उसे स्वायत्तता कहते हैं।
राजदूत	स्वतंत्र देश दूसरे देशों में अपना अधिकारिक प्रतिनिधि भेजते हैं, जिससे कि वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करके वार्ता कर सके। इस प्रकार के प्रतिनिधि को जो उस देश द्वारा वैधानिक रूप से नियुक्त किया जाए उसे राजदूत कहते हैं। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत इस प्रकार के अधिकारिक प्रतिनिधि को हाई कमिश्नर (उच्चायुक्त) कहते हैं।
वयस्क मताधिकार	हर प्रजातांत्रिक राज्य में वयस्कों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। वे बिना किसी जाति, धर्म, रंग, लिंग के भेदभाव के इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसमें भिन्न-भिन्न देश में वयस्क आयु भिन्न-भिन्न होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ में वयस्क आयु 18 वर्ष है, जबकि यह आयु भारत में 21 वर्ष थी। वर्तमान में भारत में 61वां संविधान संशोधन 1989 करके मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई है।
स्थगन प्रस्ताव	यदि आकस्मिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण कोई घटना या दुर्घटना हो जाए तो सदन के सदस्य यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि उस विचाराधीन मामले को कुछ समय के लिए रोक कर उस घटना पर विचार कर लिया जाए, इसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति पर ही रखा जा सकता है। उठाए जाने वाला मामला इतना गम्भीर होना चाहिए कि सदन के लिए अपने सामान्य कार्य को रोक कर उस पर तुरन्त विचार करना आवश्यक व उचित हो। अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में पूरा अधिकार है कि वह उस मामले पर वाद-विवाद की अनुमति दे या न दे। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से संसद सदस्यों को यह मौका मिलता है कि वे मंत्रियों के कार्यों एवं भूलों को प्रकाश में ला सकें।

EBD_7939

भारतीय संविधानः एक दृष्टि में

3
परिशिष्ट

उद्देशिका (प्रस्तावना)

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भाग 1: संघ और उसका राज्यक्षेत्र	
अनुच्छेद 1.	संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद 2.	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 2क.	(निरसित)
अनुच्छेद 3.	नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद 4.	पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां
भाग 2: नागरिकता	
अनुच्छेद 5.	संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6.	पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 7.	पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 8.	भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुल व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार
अनुच्छेद 9.	विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
अनुच्छेद 10.	नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 11.	संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

भाग 3: मूल अधिकार	
साधारण	
अनुच्छेद 12.	परिभाषा (राज्य शब्द की)
अनुच्छेद 13.	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां
समता का अधिकार	
अनुच्छेद 14.	विधि के समक्ष समता
अनुच्छेद 15.	धर्म, मूलवंश जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद 16.	लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनुच्छेद 17.	अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18.	उपाधियों का अंत
स्वतंत्रता का अधिकार	
अनुच्छेद 19.	वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 20.	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21.	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 22.	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
शोषण के विरुद्ध अधिकार	
अनुच्छेद 23.	मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद 24.	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	
अनुच्छेद 25.	अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26.	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 27.	किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
अनुच्छेद 28.	कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	
अनुच्छेद 29.	अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30.	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद 31.	(निरसित)
कुछ विधियों की व्यावृत्ति	
अनुच्छेद 31क.	संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद 31ख.	कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद 31ग.	कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद 31घ.	(निरसित)
सांविधानिक उपचारों का अधिकार	
अनुच्छेद 32क.	(निरसित)
अनुच्छेद 32.	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
अनुच्छेद 33.	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 34.	जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 35.	इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान
भाग 4: राज्य की नीति के निदेशक तत्व	
अनुच्छेद 36.	परिभाषा
अनुच्छेद 37.	इस भाग में अन्तर्विष्ट तत्वों का लागू होना
अनुच्छेद 38.	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा
अनुच्छेद 39.	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
अनुच्छेद 39क.	समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद 40.	ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 41.	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद 42.	काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद 43.	कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
अनुच्छेद 43क.	उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
अनुच्छेद 44.	नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
अनुच्छेद 45.	बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
अनुच्छेद 46.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 47.	पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य
अनुच्छेद 48.	कृषि और पशु पालन का संगठन
अनुच्छेद 48क.	पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद 49.	राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 50.	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 51.	अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
भाग 4-क: मूल कर्त्तव्य	
अनुच्छेद 51क.	मूल कर्त्तव्य
भाग 5: संघ	
अध्याय 1- कार्यपालिका	
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति	
अनुच्छेद 52.	भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 53.	संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 54.	राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 55.	राष्ट्रपति के निवार्चन की रीति
अनुच्छेद 56.	राष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 57.	पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद 58.	राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद 59.	राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 60.	राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 61.	राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 62.	राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनुच्छेद 63.	भारत का उपराष्ट्रपति

EBD_7939

अनुच्छेद 64.	उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद 65.	राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 66.	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 67.	उपराष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 68.	उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनुच्छेद 69.	उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 70.	अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 71.	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय
अनुच्छेद 72.	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 73.	संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
मंत्रिपरिषद्	
अनुच्छेद 74.	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
अनुच्छेद 75.	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
भारत का महान्यायवादी	
अनुच्छेद 76.	भारत का महान्यायवादी
सरकारी कार्य का संचालन	
अनुच्छेद 77.	भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 78.	राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य
अध्याय 2. संसद	
साधारण	
अनुच्छेद 79.	संसद का गठन
अनुच्छेद 80.	राज्यसभा की संरचना
अनुच्छेद 81.	लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद 82.	प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुन:समायोजन
अनुच्छेद 83.	संसद के सदनों की अवधि
अनुच्छेद 84.	संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
अनुच्छेद 85.	संसद के सत्र, सत्रवसान और विघटन
अनुच्छेद 86.	सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
अनुच्छेद 87.	राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 88.	सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारी
संसद के अधिकारी	
अनुच्छेद 89.	राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 90.	उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 91.	सभापति के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद 92.	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 93.	लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 94.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 95.	अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद 96.	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 97.	सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 98.	संसद का सचिवालय
कार्य संचालन	
अनुच्छेद 99.	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 100.	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
सदस्यों की निरर्हताएं	
अनुच्छेद 101.	स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद 102.	सदस्यों के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 103.	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

अनुच्छेद 104.	अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां	
अनुच्छेद 105.	संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि
अनुच्छेद 106.	सदस्यों के वेतन और भत्ते
विधायी प्रक्रिया	
अनुच्छेद 107.	विधेयकों के पुन:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद 108.	कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद 109.	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 110.	"धन विधेयक" की परिभाषा
अनुच्छेद 111.	विधेयकों पर अनुमति
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया	
अनुच्छेद 112.	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 113.	संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद 114.	विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 115.	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 116.	लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद 117.	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
विधायी प्रक्रिया	
अनुच्छेद 118.	प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद 119.	संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 120.	संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 121.	संसद में चर्चा पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 122.	न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
अध्याय 3. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ	
अनुच्छेद 123.	संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अध्याय 4. संघ की न्यायपालिका	
अनुच्छेद 124.	उच्चतम नयायालय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद 125.	न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 126.	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद 127.	तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
अनुच्छेद 128.	उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
अनुच्छेद 129.	उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 130.	उच्चतम न्यायालय का स्थान
अनुच्छेद 131.	उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
अनुच्छेद 131क.	(निरसित)
अनुच्छेद 132.	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
अनुच्छेद 133.	उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
अनुच्छेद 134.	दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
134क.	उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र
अनुच्छेद 135.	विद्यमान विधि के अधीन संघीय न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना
अनुच्छेद 136.	अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
अनुच्छेद 137.	निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
अनुच्छेद 138.	उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
अनुच्छेद 139.	कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना
अनुच्छेद 139क.	कुछ मामलों का अंतरण
अनुच्छेद 140.	उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां
अनुच्छेद 141.	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना
अनुच्छेद 142.	उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश

EBD_7939

अनुच्छेद 143.	उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 144.	सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना
अनुच्छेद 144क.	(निरसित)
अनुच्छेद 145.	न्यायालय के नियम आदि
अनुच्छेद 146.	उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 147.	निर्वचन
अध्याय 5. भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	
अनुच्छेद 148.	भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
अनुच्छेद 149.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियां
अनुच्छेद 150.	संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
अनुच्छेद 151.	संपरीक्षा प्रतिवेदन
भाग 6: राज्य	
अध्याय 1. साधारण	
अनुच्छेद 152.	परिभाषा
अध्याय 2. कार्यपालिका	
राज्यपाल	
अनुच्छेद 153.	राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154.	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155.	राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156.	राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157.	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद 158.	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159.	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160.	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161.	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद 162.	राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति का विस्तार
मंत्रिपरिषद्	
अनुच्छेद 163.	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
अनुच्छेद 164.	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
राज्य का महाधिवक्ता	
अनुच्छेद 165.	राज्य का महाधिवक्ता
सरकारी कार्य का संचालन	
अनुच्छेद 166.	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 167.	राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य
अध्याय 3. राज्य का विधान-मंडल	
साधारण	
अनुच्छेद 168.	राज्यों के विधानमंडलों का गठन
अनुच्छेद 169.	राज्यों में विधानपरिषदों का उत्सादन या सृजन
अनुच्छेद 170.	विधानसभाओं की संरचना
अनुच्छेद 171.	विधानपरिषदों की संरचना
अनुच्छेद 172.	राज्यों के विधानमंडलों की अवधि
अनुच्छेद 173.	राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
अनुच्छेद 174.	राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रवसान और विघटन
अनुच्छेद 175.	सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
अनुच्छेद 176.	राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 177.	सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
राज्य के विधानमंडल के अधिकारी	
अनुच्छेद 178.	विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 179.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 180.	अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति
अनुच्छेद 181.	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 182.	विधानपरिषद का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 183.	सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 184.	सभापति के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति

अनुच्छेद 185.	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्पविचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 186.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 187.	राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय कार्य संचालन
अनुच्छेद 188.	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 189.	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
सदस्यों की निरर्हताएं	
अनुच्छेद 190.	स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद 191.	सदस्यता के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 192.	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद 193.	अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति।
राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां	
अनुच्छेद 194.	विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि
अनुच्छेद 195.	सदस्यों के वेतन
विधायी प्रक्रिया	
अनुच्छेद 196.	विधेयकों के पुन:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद 197.	धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन।
अनुच्छेद 198.	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 199.	"धन विधेयक" की परिभाषा
अनुच्छेद 200.	विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद 201.	विचार के लिए आरक्षित विधेयक
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया	
अनुच्छेद 202.	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 203.	विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद 204.	विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 205.	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 206.	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद 207.	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
साधारणतया प्रक्रिया	
अनुच्छेद 208.	प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद 209.	राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 210.	विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 211.	विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 212.	न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
अध्याय 4. राज्यपाल की विधायी शक्ति	
अनुच्छेद 213.	विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
अध्याय 5. राज्यों के उच्च न्यायालय	
अनुच्छेद 214.	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 215.	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 216.	उच्च न्यायालयों का गठन
अनुच्छेद 217.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
अनुच्छेद 218.	उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना
अनुच्छेद 219.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 220.	स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 221.	न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 222.	किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण
अनुच्छेद 223.	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद 224.	अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 224क.	उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवा-निवृत्त न्यायधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 225.	विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता

EBD_7939

अनुच्छेद 226.	कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 226क.	(निरसित)
अनुच्छेद 227.	सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 228	कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अन्तरण
अनुच्छेद 228क	(निरसित)
अनुच्छेद 229.	उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 230.	उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार
अनुच्छेद 231.	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
अध्याय 6. अधीनस्थ न्यायालय	
अनुच्छेद 233.	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 233क.	कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद 234.	न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
अनुच्छेद 235.	अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
अनुच्छेद 236.	निर्वचन
अनुच्छेद 237.	कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना
भाग 7: पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य	
अनुच्छेद 238.	(निरसित)
भाग 8: संघ राज्य क्षेत्र	
अनुच्छेद 239.	संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 239क.	कुछ संघ राज्य क्षेत्रो के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद् का या दोनों का सृजन
अनुच्छेद 239ख.	विधानमंडलों के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति
अनुच्छेद 240.	कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 241.	संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 242.	(निरसित)

भाग 9: पंचायतें	
अनुच्छेद 243.	परिभाषायें
अनुच्छेद 243क.	ग्राम सभा
अनुच्छेद 243ख.	पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 243ग.	पंचायतों की संरचना
अनुच्छेद 243घ.	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243ड.	पंचायतों आदि की अवधि
अनुच्छेद 243च.	सदस्यता के लिए अनर्हता
अनुच्छेद 243छ.	पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243ज.	पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ
अनुच्छेद 243झ.	वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना
अनुच्छेद 243ञ.	पंचायतों का लेखा परीक्षण
अनुच्छेद 243ट.	पंचायतों के निर्वाचन
अनुच्छेद 243ठ.	संघ राज्यक्षेत्रों पर प्रवर्तन
अनुच्छेद 243ड.	कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना
अनुच्छेद 243ढ.	विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता
अनुच्छेद 243ण.	निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन
भाग 9-क: नगरपालिकायें	
अनुच्छेद 243त.	परिभाषायें
अनुच्छेद 243थ.	नगरपालिकाओं का गठन
अनुच्छेद 243द.	नगरपालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद 243ध.	वार्डों, समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना
अनुच्छेद 243न.	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243प.	नगरपालिकाओं आदि की अवधि
अनुच्छेद 243फ.	सदस्यता के लिए अनर्हता
अनुच्छेद 243ब.	नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243भ.	नगरपालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां
अनुच्छेद 243म.	वित्त आयोग
अनुच्छेद 243य.	नगरपालिकाओं के लेखा का परीक्षण

अनुच्छेद 243यक.	नगरपालिकाओं के निर्वाचन
अनुच्छेद 243यख.	संघ राज्यों पर प्रवर्तन
अनुच्छेद 243यग.	कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना
अनुच्छेद 243यघ.	जिला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243यड.	महानगरीय योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243यच.	वर्तमान विधियों तथा नगरपालिकाओं की निरंतरता
अनुच्छेद 243यछ.	निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

भाग 10: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

अनुच्छेद 244.	अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 244क.	असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद् का या दोनों का सृजन।

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय 1. विधायी संबंध

विधायी शक्तियों का वितरण	
अनुच्छेद 245.	संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
अनुच्छेद 246.	संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु
अनुच्छेद 247.	कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 248.	अवशिष्ट विधायी शक्तियां
अनुच्छेद 249.	राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 250ण.	यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 251.	संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद 252.	दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना
अनुच्छेद 253.	अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
अनुच्छेद 254.	संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद 255.	सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना

अध्याय 2. प्रशासनिक संबंध

साधारण	
अनुच्छेद 256.	राज्यों की और संघ की बाध्यता
अनुच्छेद 257.	कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 258.	कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति
अनुच्छेद 259.	(निरसित)
अनुच्छेद 260.	भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता
अनुच्छेद 261.	सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यविधियां
जल संबंधी विवाद	
अनुच्छेद 262.	अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णय
राज्यों के बीच समन्वय	
अनुच्छेद 263.	अन्तर्राज्यीय परिषद् के संबंध में उपबंध

भाग 12: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

अध्याय 1. वित्त

साधारण	
अनुच्छेद 264.	निर्वचन
अनुच्छेद 265.	विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
अनुच्छेद 266.	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक-लेखे
अनुच्छेद 267.	आकस्मिकता निधि
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण	
अनुच्छेद 268.	संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क
अनुच्छेद 269.	संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर
अनुच्छेद 270.	संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
अनुच्छेद 271.	कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

अनुच्छेद 272.	कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे
अनुच्छेद 273.	जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान
अनुच्छेद 274.	ऐसे कराधान पर, जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा
अनुच्छेद 275.	कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
अनुच्छेद 276.	वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर
अनुच्छेद 277.	व्यावृत्ति
अनुच्छेद 278.	(निरसित)
अनुच्छेद 279.	''शुद्ध आगम'' आदि की गणना
अनुच्छेद 280.	वित्त आयोग
अनुच्छेद 281.	वित्त आयोग की सिफारिशें
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध	
अनुच्छेद 282.	संघ या राज्य द्वारा अपने राज्य से किए जाने वाले व्यय
अनुच्छेद 283.	संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोकलेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि
अनुच्छेद 284.	लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा आदि
अनुच्छेद 285.	संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट
अनुच्छेद 286.	माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन
अनुच्छेद 287.	विद्युत पर करों से छूट
अनुच्छेद 288.	जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट
अनुच्छेद 289.	राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट
अनुच्छेद 290.	कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन
अनुच्छेद 290क.	कुछ देवस्यम् निधियों को वार्षिक संदाय
अनुच्छेद 291.	(निरसित)
अध्याय 2. उधार लेना	
अनुच्छेद 292.	भारत सरकार द्वारा उधार लेना
अनुच्छेद 293.	राज्यों द्वारा उधार लेना

अध्याय 3-संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद	
अनुच्छेद 294.	कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद 295.	अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद 296.	राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति
अनुच्छेद 297.	राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना
अनुच्छेद 298.	व्यापार करने आदि की शक्ति
अनुच्छेद 299.	संविदाएं
अनुच्छेद 300.	वाद और कार्यवाहियां
अध्याय 4-संपत्ति का अधिकार	
अनुच्छेद 300क.	विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना
भाग 13: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	
अनुच्छेद 301.	व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 302.	व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 303.	व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 304.	राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन
अनुच्छेद 305.	विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद 306.	(निरसित)
अनुच्छेद 307.	अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति
भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	
अध्याय 1. सेवाएं	
अनुच्छेद 308.	निर्वचन
अनुच्छेद 309.	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें
अनुच्छेद 310.	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

EBD_7939

अनुच्छेद 311.	संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना
अनुच्छेद 312.	अखिल भारतीय सेवाएं
अनुच्छेद 312क.	कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 313.	संक्रमणकालीन उपबंध
अनुच्छेद 314.	(निरसित)
अध्याय 2. लोक सेवा आयोग	
अनुच्छेद 315.	संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद 316.	सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि
अनुच्छेद 317.	लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना
अनुच्छेद 318.	आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 319.	आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध
अनुच्छेद 320.	लोक सेवा आयोगों के कृत्य
अनुच्छेद 321.	लोक सेवा आयोगों के पास कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति
अनुच्छेद 322.	लोक सेवा आयोगों के व्यय
अनुच्छेद 322.	लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन
भाग 14-क: अधिकरण	
अनुच्छेद 323क.	प्रशासनिक अधिकरण
अनुच्छेद 323ख.	अन्य विषयों के लिए अधिकरण
भाग 15: निर्वाचन	
अनुच्छेद 324.	निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद 325.	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना
अनुच्छेद 326.	लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना
अनुच्छेद 328.	किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति
अनुच्छेद 329.	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
अनुच्छेद 329क.	(निरसित)
भाग 16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	
अनुच्छेद 330.	लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 331.	लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 332.	राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 333.	राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 334.	स्थानों के आरक्षण और विशेष-प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात् न रहना
अनुच्छेद 335.	सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
अनुच्छेद 336.	कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद 337.	आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद 338.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष जानकारी
अनुच्छेद 339.	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 340.	पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
अनुच्छेद 341.	अनुसूचित जातियाँ
अनुच्छेद 342.	अनूसूचित जनजातियाँ
भाग 17: राजभाषा	
अध्याय 1. संघ की भाषा	
अनुच्छेद 343.	संघ की राजभाषा
अनुच्छेद 344.	राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
अध्याय 2. प्रादेशिक भाषाएं	
अनुच्छेद 345.	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

EBD_7939

अनुच्छेद 346.	एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा
अनुच्छेद 347.	किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध
अध्याय 3. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा	
अनुच्छेद 348.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 349.	भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया
अध्याय 4. विशेष निदेश	
अनुच्छेद 350.	व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 350क.	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ
अनुच्छेद 350ख.	भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
अनुच्छेद 351.	हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश
भाग 18: आपात उपबंध	
अनुच्छेद 352.	आपात की उद्घोषणा
अनुच्छेद 353.	आपात की उद्घोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद 354.	जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना
अनुच्छेद 355.	बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य का संरक्षण करने का संघ का कर्त्तव्य
अनुच्छेद 356.	राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद 357.	अनुच्छेद 356 के आधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद 358.	आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन
अनुच्छेद 359.	आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
अनुच्छेद 359क.	(निरसित)
अनुच्छेद 360.	वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
भाग 19: प्रकीर्ण	
अनुच्छेद 361.	राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
अनुच्छेद 361क.	संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण
अनुच्छेद 362.	(निरसित)
अनुच्छेद 363.	कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
अनुच्छेद 363क.	देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अन्त
अनुच्छेद 364.	महापत्तनों और विमान क्षेत्रो के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 365.	संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव
अनुच्छेद 366.	परिभाषाएं
अनुच्छेद 367.	निर्वचन

भाग 20: संविधान का संशोधन	
अनुच्छेद 368.	संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
भाग 21: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	
अनुच्छेद 369.	राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वें समवर्ती सूची के विषय हो।
अनुच्छेद 370.	जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
अनुच्छेद 371.	महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371क.	नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371ख.	असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371ग.	मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371घ.	आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371ड.	आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
अनुच्छेद 371च.	सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371छ.	मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371ज.	अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371झ.	गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 372.	विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन
अनुच्छेद 372क.	विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 373.	निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 374.	फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद् हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 375.	संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों पदाधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना
अनुच्छेद 376.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 377.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 378.	लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 378क.	आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 379-391.	निर्वचन
अनुच्छेद 392.	कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति
भाग 22: संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	
अनुच्छेद 393.	संक्षिप्त नाम
अनुच्छेद 394.	प्रारम्भ
अनुच्छेद 394क.	हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
अनुच्छेद 395.	(निरसित)

संविधान की अनुसूचियाँ एवं उनसे संबंधित विषय

भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो इस प्रकार हैं:

प्रथम अनुसूची	इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (29 राज्य) एवं संघ शासित (सात) क्षेत्रों का उल्लेख है। **नोट:** संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। **नोट:** 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक् तेलंगाना राज्या बनाया गया। इससे पहले राज्यो की संख्या 28 थी।
द्वितीय अनुसूची	इसमें भारत राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है।
तृतीय अनुसूची	इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों) द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।

EBD_7939

चौथी अनुसूची	इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
पांचवीं अनुसूची	इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
छठी अनुसूची	इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
सातवी अनुसूची	इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अन्तर्गत तीन सूचियाँ हैं- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची: (1) **संघ सूची:** इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। (2) **राज्य सूची:** इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अन्तर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। (3) **समवर्ती सूची:** इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं।

आठवीं अनुसूची:	इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आंठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
नौवीं अनुसूची	संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। **नोट:** अब तक यह मान्यता थी कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी, 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है।
दसवीं अनुसूची	यह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
ग्यारहवीं अनुसूची	यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
बारहवीं अनुसूची	यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिय 18 विषय प्रदान किए गए हैं।